

# बिहार के कटिहार प्रखण्ड में भूमि उपयोग परिवर्तन प्रतिरूप

शोध-प्रबन्ध


इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डी० फिल० (भूगोल)  
उपाधि हेतु प्रस्तुत

निर्देशक

डा० ब्रह्मानन्द सिंह  
प्रवक्ता, भूगोल विभाग  
इलाहाबाद विश्वविद्यालय

शोधकर्ता

दीन बन्धु



भूगोल विभाग  
इलाहाबाद विश्वविद्यालय  
इलाहाबाद

1993

## प्राक्कथन

मनुष्य का भूमि से सम्बन्ध उसके अस्तित्व से ही प्रारम्भ होता है । आदि काल में तो मनुष्य की भूमि उपयोगिता केवल वन्य जीवों के शिकार तक ही सीमित रहती होगी । किन्तु मानव सभ्यता के विकास के साथ-साथ भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप विभिन्न देश और काल में भूमि का उपयोग बदलता रहा । कालान्तर में विज्ञान और तकनीकी विकास एवं मानवीय आवश्यकताओं की विविधता के कारण इसका असतुलित उपयोग होने लगा, जिसके कारण आज सम्पूर्ण पर्यावरण ही क्षति-ग्रस्त अवस्थिति की ओर बढ़ रहा है। इस विभीषिका से बचने के लिए आज आवश्यक हो गया है कि विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भूमि के सुसतुलित उपयोग को प्रतिष्ठित किया जाए ।

भूमि से सम्बन्धित मनुष्य की मुख्य आवश्यकताओं को हम मूलतः तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं - सांस्कृतिक, कृषि एवं प्राकृतिक सम्पत्ति । जिनमें सांस्कृतिक एवं कृषि कार्य ही भूमि उपयोग प्रतिरूप में परिवर्तन लाने वाले प्रमुख कारक हैं । सांस्कृतिक उपयोग में आवास, कार्यस्थल, परिवहन मार्ग इत्यादि तथा कृषि-उपयोग में विभिन्न शस्य, बाग-बगीचे आदि आते हैं । भौगोलिक परिस्थितियों तथा मानवीय आवश्यकताओं के साथ-साथ इसके स्वरूप में परिवर्तन आता जाता है । अतः इससे उत्पन्न समस्याओं के समाधान के लिए वृहद स्तर से लेकर लघुतम स्तर के प्रदेशों में भूमि उपयोग प्रतिरूप में परिवर्तन का अध्ययन आवश्यक हो जाता है, ताकि इससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं का एक उपयुक्त नीति के साथ समाधान प्रस्तुत किया जा सके । प्रस्तुत शोध-प्रधन्ध इसी सन्दर्भ के निमित्त है । इसके अन्तर्गत कटिहार प्रखण्ड को अध्ययन की एक इकाई के रूप में लिया गया है । उसमें भूमि उपयोग के मौलिक सिद्धान्तों, वर्गीकरण, उपयोग तथा इससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर तथ्यों के साथ विचार करते हुए, उसके समाधान से सम्बन्धित भूमि उपयोग में एक उपयुक्त नीति क्या हो, इस पर प्रकाश डाला गया है ।

कटिहार प्रखण्ड बिहार राज्य के उत्तरी-पूर्वी भाग में सलग्न है । इसकी भूमि का निर्माण विभिन्न नदियों (कोसी, गंगा, महानदा) द्वारा लायी गयी मिट्टी से हुआ है । अशिक्षा, गरीबी एवं रूढ़िवादिता के कारण अध्ययन क्षेत्र काफी पिछड़ा है जिसके फलस्वरूप

वर्तमान भूमि का सही ढंग से उपयोग नहीं हो सका है । इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या प्रतिवर्ष अतिवृष्टि, बाढ़ एवं सूखे से होने वाली कृषि की क्षति है । चूंकि यहाँ की अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि पर ही आश्रित है । अतः इसका प्रभाव लोगों के आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन पर पड़ता है । अध्ययन क्षेत्र में चार फसलों (भदई, अगहनी, रबी एवं गरमा) का उत्पादन होता है । अगहनी यहाँ की प्रधान फसल है । मुद्रादायिनी फसलों में यहाँ पटमन, केला का उत्पादन किया जाता है, किन्तु इसमें उल्लेखनीय सुधार नहीं हो सका है । किसानों में इसके प्रति विशेष अभिरूचि उत्पन्न किए बिना इसमें अपेक्षित सुधार नहीं लाया जा सकता ।

अध्ययन क्षेत्र में घनी आबादी होने के कारण तथा भूमि का अनियोजित तथा अव्यवस्थित रूप से उपयोग होने के कारण अनेक समस्याओं ने जन्म लिया है, जिसके सबसे अधिक शिकार यहाँ के भूमिहीन कृषि मजदूर हैं । प्रस्तुत क्षेत्र में कृषि पर आधारित लघु उद्योगों के विकास की प्रबल सम्भावना है, किन्तु इसके लिए सक्रिय प्रयास एवं सरकारी सहयोग आवश्यक है ।

प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध में कटिहार प्रखण्ड में भूमि उपयोग के विभिन्न पक्षों को विश्लेषित करने के लिए उपयुक्त मानचित्रों एवं रेखाचित्रों का समावेश किया गया है । प्रतिदर्श रूप में आठ गाँवों के विशेष अध्ययन से जो भिन्न-भिन्न क्षेत्रों और भिन्न-भिन्न पक्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इस अध्ययन के प्रायोगिक पक्ष को भी परिपुष्ट करने का प्रयास किया गया है । शोधकर्ता ने भरपूर प्रयास किया है कि वास्तविक तथ्य, यथा-सम्भव परिलक्षित किया जाय, जिससे भूमि-उपयोग का व्यावहारिक स्वरूप सार्थकता पूर्ण विवेचित हो सके । यद्यपि कहीं-कहीं उचित आँकड़ों के सुलभ न होने से उक्त विश्लेषण अधिक तर्क सगत नहीं हो सका है, फिर भी विश्लेषण में सजगता एवं प्रवाहमयता बनाये रखने का यथोचित प्रयास किया गया है ।

उक्त शोध प्रबन्ध एक भौगोलिक प्रयास के रूप में प्रस्तुत है । उद्देश्य पूर्ति में यह प्रयास कितना सफल है, इसे विद्वज्जन ही बता सकते हैं । यदि मेरे इस शोध कार्य से उद्देश्य पूर्ति में आंशिक भी सफलता मिलती है, तो मेरा प्रयास सार्थक होगा एवं भरपूर सतोष की प्राप्ति होगी ।

२५/१२/५५  
"दीनबन्धु"

### आभारोक्ति

गुरु के प्रति एक शिष्य किन रूपों में आभार व्यक्त करे, जिनके ज्ञान के आलोक में से ही वह अस्तित्व पाता है एवं उसका व्यक्तित्व प्रकाशमान होने के साथ पूर्णता को प्राप्त करता है, फिर भी पूज्य गुरु के प्रति दो शब्द न अर्पित करूँ तो यह मेरी धुष्टता होगी। अतः चिर प्रेरणा स्रोत गुरुप्रवर डा० ब्रह्मानन्द सिंह (प्रवक्ता, भूगोल विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद) का मेरे हृदय से आभारी हूँ। आपके व्यस्तता में भी जिस उदारता से हमें कुशल मार्गदर्शन, स्नेह एवं आशीर्वाद प्राप्त होता रहा है, उसके लिए श्रद्धापूर्वक शीघ्र स्वमेव ही चरणों में झुक जाता है। आपके आशीर्वाद से प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध पूर्णता को प्राप्त कर सका। शोध कार्य के दौरान श्रीमती सुमति सिंह के योगदान को भूल जाऊँ तो यह मेरी कृतघ्नता होगी, जो अपने पारिवारिक जीवन में व्यस्त रहकर भी मुझे क्षण-प्रतिक्षण धैर्य एवं प्रोत्साहन देती रहीं। पूज्य गुरुदेव डा० माधव प्रसाद पाण्डेय, एम० ए० डी०लिट०, का हृदय से आभारी हूँ, जिनके सतत प्रेरणा एवं प्रोत्साहन से शोध कार्य सम्भव हो सका।


डॉ० सविन्द्र सिंह, (अध्यक्ष, भूगोल विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद), डॉ० आर० एन० सिंह, रीडर एवं डॉ० आर० सी० तिवारी, रीडर सहित भूगोल विभाग के उन सभी विद्वजनों के प्रति आभारी हूँ, जिनके अपूर्व स्नेह से मुझे शोध कार्य करने का सुअवसर मिला। साथ ही डॉ० सुधाकर त्रिपाठी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ जिनसे समय-समय पर मार्गदर्शन सम्बन्धी लाभ प्राप्त होता रहा।

डॉ० राजेन्द्र नाथ मण्डल (प्राचार्य के० बी० झा महाविद्यालय कटिहार) का आभारी हूँ जिन्होंने सदैव मुझे प्रेरणा एवं प्रोत्साहन दिया। श्री राजेन्द्र नारायण चौधरी (रीडर, दर्शनशास्त्र महाविद्यालय, कटिहार) एवं डा० श्री कृष्ण चन्द्रा (अध्यक्ष, कृषि रसायन विभाग, बिहार कृषि कालेज सवौर) तथा डा० लोकनाथ शर्मा, श्री ज्ञान प्रकाश, श्री वी० पी० वर्मा (जिला सचिव, स्काउट - गाइड, कटिहार) सहित समस्त स्काउटर, गाइडर के प्रति कृतज्ञता अर्पित करता हूँ जिनसे विविध रूपों में रचनात्मक सुझाव प्राप्त होते रहे।

शोध कार्य के दौरान अनन्य मित्र श्री जनार्दन प्रसाद मण्डल के सहयोग एव प्रोत्साहन के लिए किन शब्दों में अपना उद्गार प्रगट करूँ, जिन्होंने विषम परिस्थिति के क्षणों में मेरा उत्साहवर्धन करते हुए इस रचनात्मक कार्य के लिए सदा प्रेरित किया साथ ही श्री शिवशंकर शाही के भातृत्व सहयोग के लिए भी मैं हृदय से आभारी हूँ। विद्यालय परिवार के प्रधानाध्यापक (श्री शिव चन्द्र सिन्हा) सहित सभी शिक्षक बन्धुओं के प्रति मैं अपना हार्दिक आभार प्रगट करता हूँ जिनका सुझाव एव सहयोग शोध कार्य के दौरान प्राप्त होता रहा।

डॉ० धर्मवीर सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, शोध छात्र भूपेन्द्र वीर सिंह एवं चन्द्र भूषण मिश्रा तथा शोध छात्रा कु० प्रभा सिंह के प्रोत्साहन एव सहयोग के लिए धन्यवाद प्रगट करता हूँ शोध छात्र सतीश कुमार सिंह के प्रति धन्यवाद प्रगट करता हूँ, जिन्होंने शोध लेखन कार्य में शैक्षिक समस्याओं के निवारण हेतु रचनात्मक सुझाव दिया। इसके साथ ही राजेश कुमार सिंह एव सुजित कुमार सिंह को हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे पुनर्लेखन आदि कार्य में सक्रिय सहयोग प्रदान किया जिससे शोध कार्य को पूरा करने में मेरा प्रयास सफल हो सका। श्री वीरेन्द्र कुमार ओझा, जय प्रताप सिंह, अभिजीत सेन, सत्येन्द्र कुमार सिंह को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने ऑकड़ों के सकलन में सहयोग प्रदान किया। मैं अपनी पूजनीय माता सहित समस्त परिवारजनों का जिनके त्याग, प्रेरणा एव स्नेह ने मुझे इस योग्य बनाया, आजीवन ऋणी रहूँगा।

अंत में मैं श्री एस० के० सिन्हा (सी०आई० कटिहार, प्रखण्ड) के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने प्रखण्ड एव जनपद कार्यालयों से आवश्यक अभिलेख एवं तथ्यों की प्राप्ति में विशेष सहयोग प्रदान किया। इसके साथ ही डॉ० राजमणि त्रिपाठी (काटोगाफर), रामनाथ सिंह एव गोविन्द दास को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने शोध-प्रबन्ध का मानचित्र तथा टकण कार्य अति शीघ्र पूर्ण करने में सहयोग प्रदान किया। मैं उन सभी सस्थाओं, पुस्तकालयों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों तथा व्यक्तियों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने विविध प्रकार से प्रत्यक्ष एव अप्रत्यक्ष रूप में शोधकर्ता को सहायता प्रदान करके शोध-प्रबन्ध को पूर्ण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी।



(दीनबन्धु)

शोध छात्र, भूगोल विभाग  
इलाहाबाद विश्वविद्यालय  
इलाहाबाद  
(3090)

इलाहाबाद

29 नवम्बर, 1993

कर्तिक पूर्णिमा

## अनुक्रम

	पृष्ठ-संख्या
प्राक्कथन	I - II
आभारोक्ति	III- IV
अनुक्रम	V - XII
मानचित्र सूची	XIII- XIV
<b>अध्याय - प्रथम</b>	
सकल्पनात्मक पृष्ठभूमि	1 - 43
1 1 प्रस्तावना	1 - 4
1 2 भूमि उपयोग	4 - 6
1 3 भूमि उपयोग सम्बन्धी शोध का उद्देश्य	6 - 7
1 4 भूमि उपयोग सम्बन्धी सर्वेक्षण और शोध	8 - 8
1 5 भूमि और भूमि ससाधनों की भौगोलिक सकल्पना	8 - 20
(अ) भूमि	
(ब) भूमि संसाधन	
(स) 'भूमि-प्रयोग' 'भूमि-उपयोग' और 'भूमि-ससाधन उपयोग' मे अन्तर	
1 6 भौगोलिक खोज के रूप मे भूमि उपयोग सर्वेक्षण	20 - 21
1 7 भूमि उपयोग-सर्वेक्षण पद्धतिया	21 - 26
(अ) ब्रितानी पद्धति	
(ब) अमेरिकी पद्धति	
(स) चीनी पद्धति	
(द) भारतीय पद्धति	
1 8 वर्तमान शोध-प्रबन्ध का उद्देश्य एव अध्ययन विधि	26 - 41
(अ) शोध सर्वेक्षण एव ऑकड़ों का सग्रह	
(ब) सर्वेक्षण अवधि	
(स) प्रतिदर्श गावों का चयन	
1 9 विषय वस्तु से सम्बन्धित प्रत्यय एव परिभाषाएँ	41 - 43
(अ) ग्राम	
(ब) टोला (ग्राम खण्ड)	
(स) खेत	
(द) अधिकृत भूमि (भूमि पर कानूनी या व्यावहारिक अधिकार)	
<b>अध्याय - द्वितीय</b>	
भौतिक स्वरूप	50 - 92
2 1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	50 - 51
2 2 अध्ययन क्षेत्र की अवस्थिति	51 - 51
2 3 सरचना	51 - 53

2 4	उच्चवाच	53 - 55
	(अ) बॉगर क्षेत्र	
	(ब) कछारी क्षेत्र	
2 5	अपवाह तन्त्र	56 - 61
	(क) कोसी धार	
	(ख) फरही नदी	
	(ग) कमला नदी	
	(घ) मोनाली नदी	
	(ङ ) गिदरी नदी	
	(च) कोसी नदी	
2 6	जल-प्लावन	61 - 63
2 7	भूमिगत जल	63 - 64
2 8	जलवायु	64 - 77
	(अ) तापमान	
	(ब) वायुभार	
	(स) वायु दिशा एव वायु गति	
	(द) आर्द्रता	
	(य) वर्षा	
	(र) ऋतुएँ । शीत ऋतु 2 ग्रीष्म ऋतु 3 वर्षा ऋतु	
	(ल) मौसम एव फसलें	
	(व) जलवायु एव मानव क्रियाएँ	
2.9	मृदा एव मृदा वर्गीकरण	77 - 79
	(अ) बालू के कणों की मात्रा के आधार पर -	
	(1) बलुई मिट्टी	
	(2) बलुई दोमट मिट्टी	
	(3) मटियार मिट्टी	
	(ब) उर्वरता के आधार पर	
	(1) गोयड मिट्टी	
	(2) मझार मिट्टी	
	(3) पाली मिट्टी	
2 10	अध्ययन क्षेत्र में मृदा वर्गीकरण	80 - 83
	(1) बॉगर - दोमट, मटियार दोमट, मटियार, करैल, बलुअर दोमट	
	(2) खादर - कछारी	
2.11	भूमि उपयोग क्षमता का वर्गीकरण -	84 - 87
	(1) अति उत्तम कोटि की भूमि	
	(2) उत्तम प्रकार की भूमि	
	(3) मध्यम कोटि की भूमि	
	(4) निम्न कोटि की भूमि	

2 12	मृदा अपरदन	87 - 88
	(1) परत अपरदन	
	(2) अवनलिका अपरदन	
2 13	मृदा सरक्षण	88 - 90
2 14	प्राकृतिक वनस्पति	91 - 92
अध्याय - तृतीय		
	भू-आर्थिक-ससाधन	96 - 147
3 1	जनसख्या	96 - 118
	(अ) जनसख्या वृद्धि	
	(1) अति निम्न	
	(2) निम्न	
	(3) मध्यम	
	(4) उच्च	
	(ब) जनसख्या वितरण	
	(1) सामान्य घनत्व	
	(2) कायिक घनत्व	
	(3) कृषि घनत्व	
	(स) विभिन्न घनत्वों का तुलनात्मक विवेचन	
	(1) उच्च घनत्व	
	(2) मध्यम घनत्व	
	(3) न्यून घनत्व	
	(द) यौन-अनुपात	
	(य) नगरीकरण	
	(र) साक्षरता	
	(ल) व्यावसायिक संरचना	
	(व) न्याय पचायत स्तर पर व्यावसायिक संरचना	
	(श) चयनकृत गावों में व्यावसायिक संरचना	
	(क) कृषक जनसख्या	
	(1) उच्च प्रतिशत कोटि	
	(2) मध्यम प्रतिशत कोटि	
	(3) न्यून प्रतिशत कोटि	
	(ख) खेतिहर मजदूर	
3.2	पशु ससाधन	118 - 122
	(अ) गौ पशु	
	(ब) भैंस	
	(स) भेंड़	



	(द) बकरी	
	(य) घोडा-गधा-खच्चर	
	(र) सूअर	
	(ल) कुक्कुट	
	(व) बत्तख	
3.3	डेयरी उद्योग	122 - 125
3.4	खनिज	125 - 126
3.5	परिवहन	126 - 129
	(अ) सडक परिवहन	
	(ब) रेल परिवहन	
3 6	सिंचाई के साधन	129 - 133
	(अ) नहरे	
	(ब) तालाब	
	(स) ट्यूबेल	
	(द) नदी	
	(य) कुओं	
	(र) अन्य स्रोत	
3 7	विद्युतीकरण	133 - 135
3 8	यत्रीकरण	135 - 137
3 9	खाद एव उर्वरक	137 - 139
3 10	उद्योग	139 - 142
	(क) जूट उद्योग	
	(ख) फ्लावर मिल्स	
	(ग) राइस मिल्स	
	(घ) नार्थ बिहार सिलकेट इण्डस्ट्री	
3 11	अन्य विशेषताएँ	142 - 144
3.12	कटिहार के ऐतिहासिक, धार्मिक एव दर्शनीय स्थल	144 - 147
	(1) कटिहार जनपद के दर्शनीय स्थल	
	(क) बलदिया वाडी	
	(ख) बेलवा	
	(ग) दूबी-सुभी	
	(घ) गोरखपुर	
	(ङ ) कल्याणी झील	
	(च) मनिहारी	
	(छ) पीर पहाड	
	(ज) धोथा जलकर	
	(झ) मकदमपुर	

(2) कटिहार शहर के दर्शनीय स्थल

(क) दुर्गा मन्दिर

(ख) काली बाड़ी

अध्याय - चतुर्थ

भूमि उपयोग सिद्धान्त

149 - 174

4.1 (अ) सामान्य सन्दर्भ

(ब) ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

(स) सिद्धान्त सन्दर्भ

(द) सिद्धान्त निरूपण

(1) वॉन थ्यूनेन का सिद्धान्त

(2) ओलोफ जोनासन का सिद्धान्त

(3) ओई0 बेकर का सिद्धान्त

(4) लॉश का सिद्धान्त

(5) वाल्टर इजार्ड का सिद्धान्त

(6) मण्डल द्वारा प्रतिपादित भूमि उपयोग से सम्बन्धित

ध्रुवीय, प्रति ध्रुवीय विचार धाराएँ

(अ) ध्रुवीय विचारधारा

(ब) प्रति ध्रुवीय विचारधारा

(7) भूमि उपयोग सम्बन्धित नवीनतम सिद्धान्त

(अ) अनुकूलतम भौतिक दशाओं एवं सीमाओं का सिद्धान्त

(ब) अनुकूलतम आर्थिक दशाओं एवं सीमाओं का सिद्धान्त

(स) अनुकूलतम क्षेत्र के फगलों में प्रतियोगिता

(8) अन्य व्याख्याताओं का योगदान

4.2 भौगोलिक विश्लेषण

174 - 182

(अ) स्थलाकृतिक स्वरूप

(ब) मृदा-विश्लेषण

(1) वानस्पतिक तत्त्व

(2) खनिज तत्त्व

(3) मृदा-आर्द्रता एवं ताप

(4) जलवायु विवेचन

(5) फसल-प्रकार एवं फसल-प्रतिरूप

(6) फसल-सम्मिश्रण

(7) फसल-संतुलन

(8) फसल-संयोजन

(9) कृषि भूमि उपयोग सक्षमता

- (10) भूमि की सर्वाधिक उत्पादन परिकल्पना  
(11) कृषि भूमि उपयोग आयोजना

अध्याय - पचम

भूमि उपयोग का परिवर्तनशील वितरण प्रतिरूप	185 - 223
5 1 भूमि -उपयोग	185 - 187
5 2 भूमि -उपयोग का प्रारूप एवं श्रेणीयन	187 - 200
(अ) कृषि अप्राप्य भूमि का वितरण प्रतिरूप	
(1) मानवीय कारक	
(2) प्राकृतिक कारक	
(ब) कृष्य बजर भूमि का वितरण प्रतिरूप	
(स) बाग-बगीचों का वितरण प्रतिरूप	
(द) शुद्ध कृषिगत क्षेत्र का वितरण प्रतिरूप	
(य) दो फसली क्षेत्र का वितरण प्रतिरूप	
(र) सिंचित क्षेत्र का वितरण प्रतिरूप	
5 3 भूमि उपयोग में परिवर्तन	200 - 203
(अ) कृषि अप्राप्य	
(ब) कृष्य बजर	
(स) बाग-बगीचा	
(द) द्विफसलीय	
(य) सिंचित क्षेत्र	
5.4 शुद्ध कृषित क्षेत्र में परिवर्तन	204 - 207
(अ) शुद्ध कृषित भूमि में परिवर्तन	
1 निम्न श्रेणी	
2 उच्च श्रेणी	
3. अति उच्च श्रेणी	
5.5 कृष्य बंजर क्षेत्र में परिवर्तन	207 - 210
(अ) कृष्य बजर भूमि में परिवर्तनशील वितरण प्रतिरूप	
1 अत्यधिक हास वाले क्षेत्र	
2. अधिक हास वाले क्षेत्र	
3 न्यून हास वाले क्षेत्र	
4 अति न्यून हास वाले क्षेत्र	
5.6 कृषि हेतु अप्राप्य क्षेत्र में परिवर्तन	210 - 213
(अ) अप्राप्य भूमि का परिवर्तनशील वितरण प्रतिरूप	
1 निम्न वृद्धि के क्षेत्र	
2 मध्यम वृद्धि के क्षेत्र	
3 उच्च वृद्धि के क्षेत्र	
4 अति उच्च वृद्धि वाले क्षेत्र	

5 7	बाग-बगीचों के क्षेत्र में परिवर्तन	213 - 216
	(अ) बाग-बगीचों के क्षेत्र में परिवर्तनशील	
	1. उच्च हास वाले क्षेत्र	
	2. निम्न हास वाले क्षेत्र	
	3. अति न्यून हास वाले क्षेत्र	
5 8	दो फसली क्षेत्र में परिवर्तन	217 - 220
	(अ) दो फसली भूमि में परिवर्तनशील वितरण प्रतिरूप	
	1. निम्न वृद्धि वाले क्षेत्र	
	2. सामान्य वृद्धि वाले क्षेत्र	
	3. उच्च वृद्धि वाले क्षेत्र	
	4. अति उच्च वृद्धि वाले क्षेत्र	
5 9	सिंचित क्षेत्र में परिवर्तन	220 - 223
	(अ) सिंचित क्षेत्र में परिवर्तनशील वितरण प्रतिरूप	
	1. निम्न वृद्धि वाले क्षेत्र	
	2. मध्यम वृद्धि वाले क्षेत्र	
	3. सामान्य से अधिक वृद्धि वाले क्षेत्र	
	4. उच्च वृद्धि वाले क्षेत्र	
	5. अति उच्च वृद्धि वाले क्षेत्र	

#### अध्याय - षष्ठम्

	शस्य प्रतिरूप	225 - 262
6 1	शस्य स्वरूप	225 - 231
6 2	(अ) भदई फसलों का शस्य प्रतिरूप	231 - 239
	(ब) ग्राम्य स्तर पर भदई फसलों का क्षेत्रीय वितरण	
6.3	(अ) अगहनी फसलों का शस्य प्रतिरूप	239 - 245
	(ब) ग्राम्य स्तर पर अगहनी फसलों का क्षेत्रीय वितरण	
6.4	(अ) रबी फसलों का शस्य प्रतिरूप	245 - 251
	(ब) ग्राम्य स्तर पर रबी फसलों का क्षेत्रीय वितरण	
6.5	(अ) गरमा फसलों का शस्य प्रतिरूप	251 - 256
	(ब) ग्राम्य स्तर पर गरमा फसलों का क्षेत्रीय वितरण	
6.6	(अ) शस्य गहनता	256 - 262
	(ब) ग्राम्य स्तर पर शस्य गहनता	

#### अध्याय - सप्तम्

	प्रतिदर्श गांवों में भूमि उपयोग एक सूक्ष्म विवेचन	264 - 296
7 1	ग्राम - बौरा	264 - 268
7 2	ग्राम - गोपालपुर	268 - 271
7 3	ग्राम - कजरी	271 - 275

7.4	ग्राम - शकरपुर	275 - 279
7.5	ग्राम - परियागदह	279 - 283
7.6	ग्राम - सहिसिया	283 - 286
7.7	ग्राम - खैरा	286 - 290
7.8	ग्राम - रकसा	290 - 296

### अध्याय - अष्टम्

	भूमि उपयोग नियोजन	299 - 328
8.1	प्राकृतिक समस्याओं के समाधान हेतु योजना	299 - 301
8.2	सामाजिक - आर्थिक समस्याओं का समाधान	301 - 315
	(अ) भूमि-उपयोग के वर्तमान स्वरूप में सुधार	
	(ब) आवश्यक सुविधाओं का प्राविधान	
	(1) सिंचाई	
	(2) खाद एवं उर्वरक	
	(3) उन्नतशील बीजों का प्रयोग	
	(4) नवीन कृषि यन्त्र	
	(स) शस्य स्वरूप में परिवर्तन	
	(द) ग्रामीण औद्योगीकरण	
	(य) सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुविधाएँ	
8.3	ग्राम्य स्तर पर नियोजन	315 - 319
8.4	भूमि विकास में विधि नियमन	319 - 320
8.5	भूमि विकास में व्यवधानों का नियन्त्रण	320 - 321
8.6	कृषि उत्पादनों का विपणन	322 - 322
8.7	अभिनव प्रवृत्तियों का प्रसरण	322 - 324
	(अ) भूमि सक्षमता	
	(ब) बहुफसलीकरण	
	(स) कृषि कार्य कुशलता	
8.8	कृषि उत्पादकता	324 - 325
8.9	कृषि विकास सम्बन्धी योजनाएँ	325 - 328
	(अ) सघन कृषि विकास योजना	
	(ब) अधिक उपज वाली वाली फसलों के विकास की योजना	
	(स) बहुफसली योजना	
	(द) लघु कृषक विकास योजना	
	(य) साक्षा विकास योजना	
	(र) कृषि श्रमिकों हेतु विकास योजना	
	(ल) कृषि ऋण योजना	

### सारांश

- \* प्रतिचरित सहायक ग्रन्थों की सूची (Bibliography)
- \* फोटोग्राफी

331 - 328
I - IX
X - XV

LIST OF ILLUSTRATIONS

<u>NO.</u>	<u>THE NAME OF FIGURE</u>	<u>AFTER PAGE</u>
2.1	Location of Katihar Prakhanda	50
2.2	Katihar Prakhanda Administrative Divisions	51
2.3	Katihar Prakhanda Physiography & Drainage Pattern	52
2.4	Weather Conditions at Katihar City	65
2.5	Katihar Prakhanda Soil Fertility	77
2.6	Soil Classification, Land Capability Classification	83
*****		
3.1	Growth of Population (1951-1991)	97
3.2	Demographic Characteristics	99
3.3	Population Distribution 1991	100
3.4	General Density 1951	101
3.5	General Density 1991	102
3.6	Physiological Density 1991	103
3.7	Agricultural Density 1991	104
3.8	Occupational Structure 1991	114
3.9	Industrial Pattern 1991	139
*****		
4.1	Van Thunen's Agricultural Locational Model	152
4.2	Jonasson's Agricultural Model	156
4.3	Christaller & Loschian Landscape Hypothesis	159
4.4	Mandal's model of Landuse Pattern	164
4.5	Model's of Spatial Agricultural Production	166
4.6	Model's of Optimum Physical & Economic Conditions and Limits	170
4.7	Model's of Land use Planning	181
*****		
5.1	General Landuse Pattern 1991	187
5.2	Trends of land Utilization 1991	190

5.3	<i>Changing Pattern of Landuse Components 1951-91</i>	200
5.4	<i>Changes in net sown area 1951-91</i>	204
2.5	<i>Changes in Cultivable waste land 1951-91</i>	207
5.6	<i>Changes in Non Cultivable land 1951-91</i>	211
5.7	<i>Changes in Trees and Orchards 1951-91</i>	215
5.8	<i>Changes in Double Cropped area 1951-91</i>	217
5.9	<i>Irrigated area, Changes in irrigated area 1951-91</i>	220

\*\*\*\*\*

6.1	<i>Spatial cropping pattern in Katihar Prakhanda 1991</i>	226
6.2	<i>Area under Bhadaı cropping 1991</i>	233
6.3	<i>Area Under Agahani cropping 1991</i>	241
6.4	<i>Area under Rabi cropping 1991</i>	246
6.5	<i>Area under Garmacropping 1991</i>	252
6.6	<i>Cropping intensity 1991</i>	257

\*\*\*\*\*

7.1	<i>Changing landuse Pattern of village Baura (1951-91)</i>	265
7.2	<i>Changing landuse Pattern of village Gopalpur(1951-91)</i>	269
7.3	<i>Changing landuse Pattern of village Kajari(1951-91)</i>	273
7.4	<i>Changing landuse Pattern of village Shankerpur(1951-91)</i>	277
7.5	<i>Changes landuse Pattern of village Pariagdah(1951-91)</i>	280
7.6	<i>Changing landuse Pattern of village Sahisia(1951-91)</i>	284
7.7	<i>Changing landuse Pattern of village Khaira(1951-91)</i>	287
7.8	<i>Changing landuse Pattern of village Raksa(1951-91)</i>	291

\*\*\*\*\*

XXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

अध्याय - प्रथम

संकल्पनात्मक पृष्ठभूमि

XX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXX



## अध्याय - प्रथम

### सकल्पनात्मक पृष्ठभूमि

#### ।। प्रस्तावना

भूमि उपयोग सर्वेक्षण भौगोलिक अध्ययन का एक महत्वपूर्ण पहलु है। यह एक गत्यात्मक सांस्कृतिक सकल्पना है, जो भूमि के अभाव का प्रतिफल है। इस अभाव की पूर्ति हेतु मानव दो सांस्कृतिक प्रक्रियाये सम्पन्न करता है। प्रथम - नये-नये क्षेत्रों (भूमि) की खोज तथा दूसरा - भूमि उपयोग की गहनता में वृद्धि। विश्व स्तर पर बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण भूमि उपयोग सबधी अध्ययन की उपादेयता और अधिक बढ़ गयी है। वन तेजी से कट रहे हैं। वनों के इस कटान के फलस्वरूप धीरे-धीरे भूमि बन्ध्या होती जा रही है।

मानव का सर्वांगीण विकास प्रकृति के साथ सामंजस्य पर ही निर्भर है, उस पर विजय प्राप्त करने में नहीं। आज मानव तकनीकी विकास के मद में चूर होकर इस बात को भूल बैठा है और प्रकृति पर विजयश्री प्राप्त करने की होड़ में अपने अस्तित्व को ही सकट में डाल लिया है जिसमें अधाधुध वनों की कटाई, कारखानों तथा चिमनियों एवं मोटर वाहनों से निकलती विषैली गैसों, नदियों में गिरता शहर का विषैला कचड़ा आदि कारक सम्पूर्ण पर्यावरण को प्रदूषित करते जा रहे हैं। जिसका शिकार समस्त जीव मण्डल तो क्या हमारी सांस्कृतिक धरोहरे भी हो रही है। इसका परिणाम आज भी हमारे समक्ष ओजोन-क्षरण, हरित-गृह प्रभाव, पृथ्वी का तापन आदि रूपों में आने लगा है। आश्चर्य तो तब होता है जब इन परिणामों की भयावहता से विज्ञ होते हुए भी मानव इस दिशा में कोई कदम उठाने में उदासीन है। इस विषय पर श्री ज्ञानेन्द्र कुमार बह्त (निदेशक, राष्ट्रीय एटलस मानचित्रण संगठन) ने मनु 1988 में अंतर्राष्ट्रीय सगोष्ठी (भूमि उपयोग मूल्यांकन एवं मानचित्रण) के अवसर पर अपने स्वागत भाषण में निम्न रूप में अपनी चिन्ता जताई। "हमें मालूम नहीं कि हम क्या कर रहे हैं ? आज सम्पूर्ण विश्व अपने इस कृत्य से चिंतित और व्याकुल है कि अगर इसे समय से न रोका गया तो आगे चलकर भयकर परिणाम होंगे। आश्चर्य तो इस बात का है कि यह सब जानते हुए भी पर्यावरण रक्षा के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किया जा रहा है। इसका मूल कारण है कि हमें यह नहीं ज्ञात है कि कहा, क्या करना है?" ।

मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भूमि का उपयोग विविध रूपों में बेहिचक करता चला जा रहा है। भूमि-सबधी इस प्रकार के उपयोगों के फलस्वरूप अनेक समस्याएँ

और अधिक बढ़ जाती है। जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप मृदा की उत्पादकता में ह्रास की समस्या और गंभीर हो जाती है। अतः मानव कल्याण हेतु भूमि उपयोग में परिवर्तन आवश्यक एवं अपरिहार्य हो जाता है। जिसके लिए, वर्तमान एवं सम्भाव्य भूमि उपयोग का मूल्यांकन अनिवार्य है। भूमि उपयोग संकल्पना मुख्यतया किसी प्रदेश में प्राप्त संसाधनों, आवश्यकताओं और प्रयत्नों के मध्य निरन्तर अन्तर्क्रियाओं का फल है तथा भूमि प्रबंध की कुशलता अथवा अकुशलता पर विकास एवं विनाश दोनों संभव है। इसलिए भूमि उपयोग को स्थिर श्रेणियों में विभक्त करना भ्रातिमूलक है।<sup>2</sup> जनसंख्या वृद्धि, तीव्र औद्योगीकरण एवं नगरीकरण के फलस्वरूप कृषि भूमि में निरंतर ह्रास हो रहा है। इस ह्रास के कारण परिस्थिति की असंतुलन में तेजी से वृद्धि हो रही है। भूमि-उपयोग की अज्ञानता के कारण भूमि-दुरुपयोग तेजी से बढ़ रहा है। बहुत ही कम भूमि सभी उत्पादनों के लिए सर्वोत्तम है। साथ ही वैसी भूमि भी बहुत ही कम है, जिसका कोई उपयोग न होता हो। अतः भूमि के लिए भूमि संबंधी सर्वेक्षण एवं उसका मूल्यांकन आवश्यक है, जो प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं तकनीकी दशाओं के संदर्भ में अध्ययन किया जाना चाहिए। भूमि की उपादेयता केवल कृषि के लिए आवश्यक नहीं अपितु इसके साथ ही मानव के सर्वांगीण विकास हेतु ग्रामीण एवं नगरी भूमि-उपयोग के सभी पक्षों के समाकलित अध्ययन द्वारा ही पर्यावरण एवं सामाजिक, आर्थिक समस्याओं का हल किया जा सकता है।<sup>3</sup>

भूमि-उपयोग संबंधी अध्ययन में भूमि-उपयोग के वर्तमान प्रतिरूप के साथ ही इसको प्रभावित करने वाले समस्त परिस्थिति की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक तथ्यों का जनसंख्या के संदर्भ में विश्लेषण एवं व्याख्या होना चाहिये - भूमि उपयोग सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त तथ्यों के प्रतिवेदन के अन्तर्गत भूमि-उपयोग संबंधी विभिन्न मानचित्रों का निर्माण कर रूचिकर तथ्यों का विश्लेषण होता है। सर्वेक्षक एवं शोधकर्ताओं द्वारा प्रदत्त भूमि-उपयोग प्रतिवेदन को महत्व प्रदान कर प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर उसका उपयोग कर लाभ प्राप्त किया जा सकता है। - अतः आज के संदर्भ में भूमि का समुचित उपयोग, सर्वांगीण विकास और वातावरण को प्रदूषण रहित रखने के संदर्भ में अति आवश्यक है। भूमि संसाधनों के अध्ययन और उनके निश्चित उपयोग पर ही हमारा उन्नत आर्थिक भविष्य निर्भर करता है।

भूमि-उपयोग सबधी अध्ययन मे कृषि के स्वरूप एव प्रतिरूप संबधी अध्ययन भी महत्वपूर्ण है । विश्व के वे देश जहाँ प्राचीन काल से कृषि कार्य हो रहा है, वहाँ के कृषकों ने मूल एव सुधार अथवा सतत् प्रयोगों के द्वारा भूमि उपयोग को स्थानीय भौगोलिक तत्वों के अनुकूल बना लिया है । फसलों की प्रकृति के अनुरूप कृषि कार्य सम्पन्न करते हैं। अतः इन क्षेत्रों का भूमि उपयोग वहाँ की कृषि क्षमता या कृषि दृष्टि से भूमि की उपयुक्तता की ओर संकेत करता है । भूमि-उपयोग सबधी अध्ययन मे यह ज्ञात होता ही है कि कितनी कृषि-भूमि किस उपयोग मे है, साथ ही इस बात का भी ज्ञान हो जाता है कि किस प्रदेश मे भूमि सबधी क्या समस्याये है, जैसे - मृदा अपरदन, उर्वरता मे हास आदि । किस प्रदेश मे भूमि-उपयोग उपयुक्त नहीं है ? कहाँ पर गहन कृषि की सभावनाये है ? किसी फसल विशिष्ट का कहाँ विस्तार हो सकता है ? आवश्यक सुविधाओं का प्रावधान कर किन भागों मे भूमि को दो फसली मे परिणत किया जा सकता है ? अतः, यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि भूमि उपयोग सबधी अध्ययन कृषि नियोजन की पहली सीढ़ी है क्योंकि कृषि नियोजन के पूर्व यह विदित होना चाहिये कि किस प्रकार की भूमि है ? उसकी क्षमता कितनी है और कहाँ तक विस्तार की सभावनाये है ? -

भूमि-उपयोग सबधी अध्ययन से उसका प्रादेशिक वितरण प्रतिरूप तो प्रदर्शित होता ही है, साथ ही कृषि प्रणाली, कृषि पद्धति, शस्य स्वरूप एव उसका वितरण, घास के मैदान (चारागाह) बाग-बगीचों सबधी तथ्यों के प्रादेशिक वितरण का भी ज्ञान होता है । इसके साथ ही भूमि-उपयोग सबधी अध्ययनों से कृषि प्रादेशिकीकरण के निर्धारण मे भी सहायता मिलती है । जैसे इसके माध्यम से उन प्रदेशों का सीमाकन बहुत ही सुगमतापूर्वक हो जाता है कि उस क्षेत्र विशेष मे कृषि का आधार फसले है, अथवा मिश्रित कृषि फसलोत्पादन एव पशुपालन या क्षेत्र विशेष मे पशुपालन मुख्य उद्यम है ।

भूमि-उपयोग सर्वेक्षण से भूमि की उर्वरता, उत्पादकता एव गहनता आदि की दृष्टि से भूमि के वर्गीकरण मे सहायता मिलती है । इसके आधार पर या उक्त तथ्यों के आधार पर भूमि का सही मूल्यांकन होता है । तदनुसार भूमि का उपयोग किया जाता है, जैसे कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोगों - उद्योग, अधिवास, एव अन्य सांस्कृतिक उपयोगों आदि के लिए

भूमि का उपयोग सभव होता है । इस प्रकार भूमि-उपयोग सबधी अध्ययन उन देशों के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जहाँ जनसख्या सघन है एव उनके भरण-पोषण हेतु कृषि उत्पादानो की विशेष माँग है ।

भारत जैसे विकसशील देश जिसकी 80% जनसख्या गाँवों में निवास करती है जीवन-निर्वाहन का मुख्य आधार कृषि है । अतः इस स्थिति में भूमि उपयोग सबधी अध्ययन की महत्ता और अधिक बढ़ जाती है । भूमि उपयोग का जो वर्तमान स्वरूप है उसे किस प्रकार और बेहतर बनया जा सकता है, इसके लिए न केवल दृष्टि विकसित करनी होगी, बल्कि दिशा भी निर्धारित करनी होगी, और निरतर उस दिशा में प्रतिबद्ध रूप में बढ़ने का प्रयास भी होना चाहिये, तभी हम भूमि का सतुलित विकास कर बहुआयामी उपयोग स्वस्थ ढंग से करने में सफल हो सकते हैं और आने वाली मानवता के लिए सकट विहीन, वैभवपूर्ण-विहान प्रदान कर सकते हैं ।<sup>4</sup>

## 1.2 भूमि-उपयोग का अध्ययन क्षेत्र -

भूमि-उपयोग का तात्पर्य मानव द्वारा धरातल की विविध रूपों (पर्वत, पठार, रेगिस्तान, दलदल, खदान, यातायात मार्ग, आवास, कृषि एवं पशुपालन आदि) में प्रयोग किये जाने वाले कार्यों से है । मनुष्य का भूमि से सबध उसके अस्तित्व से ही प्रारम्भ होता है । मानव सभ्यता के विकास के साथ-साथ भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप विभिन्न देश और काल में भूमि के उपयोग बदलते रहे हैं । वर्तमान में भूमि का प्रमुख उपयोग फसलों के उत्पादन के लिए किया जाता है । इसका अन्य उपयोग यातायात, मनोरंजन, आवास, उद्योग तथा व्यवसाय आदि जैसे कार्यों के लिए भी होता है । प्रायः भूमि का सघन उपयोग बहुदेशीय हुआ करता है, यथा - वन की भूमि का उपयोग चारागाह के रूप में तो होता ही है, साथ-ही-साथ उसे मनोरंजन के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है । विज्ञान और तकनीकी विकास एवं मानवीय आवश्यकताओं की विविधता के कारण भूमि के उपयोग में अनेक समस्याएँ आ गई हैं तथा संपूर्ण पर्यावरण असतुलित स्थिति की ओर बढ़ रहा है । इस विभीषिका से बचने के लिए आज आवश्यक हो गया है कि विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भूमि के सतुलित उपयोग को प्रतिष्ठित किया जाय ।<sup>5</sup> अतः भविष्य को ध्यान में रखते हुए यह देखना आवश्यक है

कि भूमि के किसी भाग का दुरुपयोग भी न हो और यदि ऐसा है तो उपयोग योग्य बनाया जाय । ऐसे भाग जो अकृष्य पड़े हुए हैं, उन्हें कृषि योग्य बनाया जाय ताकि बढ़ती हुई जनसंख्या का भरण-पोषण सुगमतापूर्वक हो सके।

शर्मा<sup>6</sup> के शब्दों में भूमि-उपयोग के अध्ययन क्षेत्र को निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है - *"this subject matter deals with the examination and the explanation of the man's use of land in relation to the various factors of environment, including the elaboration of the possibilities of its better use."*

ऐतिहासिक दृष्टि से ऐसे शोधों का अध्ययन इस प्रकार किया जाना चाहिए जिम्मे सस्थापित प्रवृत्तियों का विशेष परिचय मिल सके। इन प्रवृत्तियों के अन्तर्गत भू-उपयोग की विभिन्न स्थितियों एवं विशेषताओं का आकलन तथा उनका निरीक्षण भी निहित होगा, जिससे भूमि उपयोग के लिए उत्पन्न प्रतिस्पर्धा एवं उसके विभिन्न वर्गों में हो रहे तथा होने वाले प्रयोग के विश्लेषण एवं विवेचन को पर्याप्त प्रोत्साहन मिल सके। इन प्रवृत्तियों का उद्देश्य वर्तमान भू-उपयोग प्रणाली को प्रभावित करने वाले विभिन्न ऐतिहासिक, आर्थिक, मानवीय और भौतिक तथ्यों के प्रभावों के समुचित मूल्यांकन से है।<sup>7</sup> इन्हीं उद्देश्यों के अन्तर्गत भूमि उपयोग का ऐसा वर्णन और सश्लेषण भी अपेक्षित है जो भूमि उपयोग की भू-आर्थिक समस्याओं को स्पष्ट रूप में चित्रित कर सके।

भूमि उपयोग की योजना भूमि को अधिक प्रभावी, विचार सगत और सुधरे उपयोग की सम्भावनाओं और उनमें सन्निहित विभिन्न क्षमताओं का आकलन मात्र तक ही सीमित न हो, बल्कि वह अधिक व्यावहारिक हो जो अगली पीढ़ी के लिए भी सपोषण की क्षमता बनाये रखने के उद्देश्य से प्रेरित हो सके और जो व्यक्ति एवं समाज दोनों की खुशहाली बढ़ाने में सक्षम हो।

इस प्रकार भूमि उपयोग योजना की परिकल्पना में ये सभी प्रवृत्तियाँ एवं सम्भावनायें सन्निहित हैं। किसी भी क्षेत्र की भूमि उपयोग सम्बन्धी योजना ऐसे प्रयासों से प्रेरित होनी चाहिए जिससे उस क्षेत्र की भूमि के चप्पे-चप्पे का अधिक लाभप्रद उपयोग किया जा सके। भूमि का ऐसा उपयोग उस भूभाग की क्षमता पर निर्भर होगा कि वह क्षेत्र विशेष जनसंख्या का निर्वाहन भलीभाँति करने में सक्षम हो और यह तभी सम्भव है जब क्षेत्र विशेष का भूमि उपयोग सर्वोत्तम हो। इसके साथ ही भूमि उपयोग की योजना में भूमि को वैज्ञानिक एवं सुव्यवस्थित उपयोग में सन्निहित वास्तविक क्षमताओं का निश्चय करना भी आवश्यक होता है जिससे उसके अधिकतम सम्भाव्य उपयोग का निर्धारण किया जा सके।

### 1.3 भूमि उपयोग सम्बन्धी शोध का उद्देश्य

भूमि उपयोग सर्वेक्षण का प्रथम लक्ष्य भूमि उपयोग की प्रविधि जानने के अतिरिक्त यह ज्ञात करना कि अतीत में उसका उपयोग किस प्रकार होता रहा है। इसके साथ ही यह भी जानकारी आवश्यक है कि इसकी अतीत कालिक विधि क्या थी? तथा इसकी वर्तमान विधि क्या है और उनमें क्या अन्तर है? भूमि उपयोग के बदलते हुए वितरण का ज्ञान भी वांछनीय है। तात्पर्य यह है कि केवल खोज पूर्ण अध्ययनात्मक सर्वेक्षण ही हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए बल्कि हमारा लक्ष्य ऐसा सर्वेक्षण होना चाहिए जो व्यवस्थात्मक तथा निदानात्मक हो, जिससे कि हम यह समझ सकें कि वर्तमान भूमि उपयोग को बदल कर कैसे अधिक लाभप्रद बनाया जा सकता है।

इस प्रकार जब हम भूमि उपयोग के सन्दर्भ में विचार करते हैं तब हमें यह भी देखना आवश्यक होगा कि भूमि के अन्तर्गत वे कौन से तत्व हैं जिनके सर्वोत्तम उपयोग के सम्बन्ध में तथ्यों को प्रगट करना है और देश-काल तथा परिस्थितियों के अनुरूप नीति निर्धारित करनी है।

भूमि उपयोग सर्वेक्षण के अन्य लक्ष्यों की दृष्टि से हमें यह भी ज्ञात करना है कि उसके उपयोग में आए हुए दोषों का निराकरण कैसे किया जाय तथा दुरुपयोग और अनुपयोग कैसे रोका जाय एवं परीक्षण तथा विश्लेषणों से प्राप्त ज्ञान के आधार पर भूमि उपयोग में सुधार कैसे किया जाय। भूमि उपयोग के अध्ययन का अंतिम लक्ष्य ऐसी योजना का कार्यान्वयन

है जो भविष्य में उसके उपयोग का विस्तृत आधार कर सके।<sup>8</sup> अतः भूमि उपयोग के किसी भी योजना या सम्बन्धित कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्रीय समृद्धि एवं व्यक्तिगत खुशहाली प्राप्त करने की उपायों की उपलब्धि से है जो उस प्रदेश के लोगों और संस्थितियों के अनुकूल हो। इस प्रकार भूमि के भू-आर्थिक उपयोग को ध्यान में रखते हुए उस योजना का क्रियान्वयन भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इस दृष्टिकोण से हमारी भूमि उपयोग सर्वेक्षण योजना इन उद्देश्यों तक पहुँचने का एक सक्षम साधन या मार्ग होना चाहिए जो सिद्धान्त निरूपण के लिए भी निदेशक बन सके। वास्तव में भूमि उपयोग सर्वेक्षण शोधकर्ता के लिए स्वयं में पूर्ण लक्ष्य नहीं है, बल्कि उसका उद्देश्य तो भूमि उपयोग के निश्चित एवं लाभप्रद योजना भी तैयार करना है।

प्रो० डडले स्टैम्प<sup>9</sup> के शब्दों में ऐसी योजना द्वारा भूमि की प्रत्येक इकाई के अनुकूलित उपयोग को निर्धारित किया जाता है। इसी उद्देश्य से योजना लोचदार तथा समय समय पर बदलती परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तनशील होनी चाहिए। भूमि उपयोग शोध का प्रमुख उद्देश्य भूमि उपयोग प्रकारों के साथ ही शस्य-प्रतिरूपों एवं उनमें सतुलन स्थापित करना है जिससे भूमि का विशिष्ट भाग किस प्रकार के उपयोग के लिए सर्वाधिक अनुकूल है? उसका निर्णय किया जा सके। उपर्युक्त तथ्यों के साथ ही यह भी ज्ञात करना हमारा उद्देश्य होता है कि कृषित भूमि के प्रत्येक इकाई के लिए उपयुक्त फसलों को अपनाकर उत्पादकता में कैसे वृद्धि की जाय। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भूमि उपयोग की सम्भाव्यता तथा क्षेत्र विशेष के निवासियों की आवश्यकताओं का विवेचन भी हमारे कार्यक्रमों का भाग बन जाता है।

प्रो० चटर्जी<sup>10</sup> ने सत्य ही कहा है कि भारत में भी भूमि उपयोग सर्वेक्षण उद्देश्यों की पूर्ति के अनुसार ही रचनात्मक और निदेशात्मक होना चाहिए। वह वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक, व्याख्यात्मक, निदानात्मक, तुलनात्मक और सांख्यिकीय विधियों से परिपुष्ट हो, परन्तु सबसे अधिक आवश्यकता इस बात की है कि सर्जनात्मक और पुनर्स्थापनात्मक भी हो। भूमि उपयोग में सुधार और उसके उद्देश्य ऐसी ही सभावनाओं से निर्मित एवं प्रेरित होने चाहिए।

#### 1.4 भूमि उपयोग संबंधी सर्वेक्षण और शोध

भूमि उपयोग संबंधी सर्वेक्षण एवं शोध दोनों पक्षों को प्रायः अध्ययनकर्ता समान महत्त्व देता है, परन्तु आज के वैज्ञानिक अध्ययनों में भूमि उपयोग संबंधी सर्वेक्षण और शोध के बीच स्पष्ट अन्तर कर दिया गया है। भूमि उपयोग सर्वेक्षक और शोधकर्ता दोनों ही भूमि के अधिकतम उपयोग से संबंधित कार्यों से जुड़े रहते हैं। इन दोनों ही अध्ययनों के दृष्टिकोण और अध्ययन प्रवृत्ति में अंतर होता है। सर्वेक्षक भूमि-उपयोग संबंधी तथ्यों को प्राप्त करने में विशेष रूचि रखता है, ताकि वह वर्तमान भूमि उपयोग की कमियों में सुधार लाकर सर्वोत्तम भूमि उपयोग के लिए सुझाव प्रस्तुत कर सके। परन्तु भूमि-उपयोग शोधकर्ता एक ऐसे ज्ञानावली का सृजन करना चाहता है जो भौगोलिक सिद्धान्तों का विकास कर सके इसके साथ ही वह ऐसे सिद्धान्तों का निरूपण भी करता है जो देशकाल की सीमाओं से आबद्ध होकर भूमि उपयोग संबंधी यथोचित नियम प्रस्तुत कर सके। शर्मा<sup>11</sup> ने सर्वेक्षक एवं शोधकर्ता के कार्यों का स्पष्ट शब्दों में विश्लेषण किया है। उनके अनुसार भूमि उपयोग सर्वेक्षक का कार्य समय और स्थान की सीमा से आबद्ध होता है। सम्बन्धित, विश्लेषण, सुझाव और तथ्यों के सदर्भ में समय और स्थान की अपेक्षा नहीं कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सर्वेक्षक का कार्य समय और स्थान की सीमा से बंधा होता है। उसे अपने उस निश्चित अध्ययन क्षेत्र से सम्बन्धित तथ्यों को एक निश्चित काल अवधि में प्रस्तुत करना पड़ता है। लेकिन भूमि उपयोग शोधकर्ता का कार्य तो किसी भी परिवर्तन सन्स्थिति में भूमि उपयोग सम्बन्धी ऐसे सिद्धान्तों का निर्माण करना है जो भूमि उपयोग सर्वेक्षण का समन्वय करता हो और शास्त्र तथ्यों को आभाषित करता हो तथा उन्हें समयानुकूल सम्पन्न करता हो। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि सर्वेक्षण कार्य शोध का ही एक अंग है, उसे क्षेत्रीय शोध के रूप में ही व्यक्त किया जा सकता है क्योंकि यह ऐतिहासिक या पुस्तकीय शोध से पूर्णतः भिन्न होता है।

#### 1.5 भूमि और भूमि ससाधनों की भौगोलिक सकल्पना

भूमि उपयोग सम्बन्धी अध्ययनों में आधारभूमि सकल्पनाओं और पदों का सही-सही ज्ञान आवश्यक है। भूमि की भौगोलिक सकल्पना को निम्न रूपों में व्यक्त किया जा सकता है -



## (अ) भूमि

'भूमि' पद प्रायः धरातल के ठोस भाग को यक्त करने के लिए प्रयुक्त होता है। सामान्य बोल-चाल में धरातल और मिट्टी को कोई ऐसी वस्तु माना जाता है जिस पर मनुष्य ठहर सकता हो, मकान बना सकता हो, या बाग-बगीचे लगा सकता हो, परन्तु भूगोल वेत्ताओं या अध्येताओं द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली 'भूमि' की तकनीकी सकल्पना तो बहुत ही व्यापक है, जो उसकी सामान्य अर्थ में प्रयोग आने वाली सकल्पना से पूर्णतः भिन्न है।

भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में 'भूमि' शब्द का जो अर्थ विकसित हुआ वह कालक्रम के अनेक परिवर्तनों से गुजरा है। ऐसा प्रतीत होता है कि यात्रिक क्रान्ति आने के पूर्व सम्भवतः इसका अधि प्रचलित अर्थ लगभग एक ही था।<sup>12</sup>

'भूमि' साधारणतया मकानों, सड़कों आदि के रूप में दिखाई देने वाला वह धरातल समझा जाता है, जिस पर मनुष्य ठहरता या चलता था। 'भूमि' का दूसरा अर्थ मिट्टी लगाया गया, जिसका सबंध खेतों, चारागाहों, जगलों आदि से था, जो कृषि उत्पादन के साधन या सह-साधन के रूप में प्रयुक्त थे। 'भूमि' शब्द का तीसरा अर्थ खनिजों के स्रोत के रूप में भी लगाया गया, जैसे - बालू, मिट्टी, पत्थर आदि पदार्थ जिसके उपयोग मकानों और सड़कों आदि के लिए होता था। इसमें अधात्विक खनिज, जैसे - चूना, फास्फेट आदि भी सम्मिलित है, जिनका उपयोग उर्वरक के रूप में होता था। इस प्रकार एक सकुचित सीमा तक उन धातुओं के स्रोत के रूप में भी भूमि को माना जाता था।

यान्त्रिक क्रान्ति ने पृथ्वी की ऐसी सतहों का उपयोग भी प्रारम्भ कर दिया जो इससे पहले मनुष्य की पहुँच के बाहर थे। अब अधोभौमिक क्षेत्र से कोयला, पेट्रोलियम जैसे ईंधन और कुछ धातुएँ प्राप्त की जाने लगीं। मनुष्य ने अपने शोषण की दिशाओं को ऊपर की ओर भी फैलाया। अतः वायु अब नेत्रजन के रूप में प्रयोग आने लगी है। सौर्य-प्रकाश भी अब उपयोग में लाया जाने लगा है। मनुष्य ने भूमि के शोषण को न केवल नीचे की ओर विकसित किया, बल्कि उसने इसे अवकाश की ओर भी विकसित किया है। इस प्रकार भूमि केवल ठोस धरातल पर्याय ही बनकर नहीं रह गयी बल्कि इसका विस्तार मिट्टी की पतली

परत और धरातल के नीचे खनिजों तक हो गया ।

इस प्रकार भूमि वायु एव जल जैसे पदार्थों से भी सलग्न हो गई। अतः इसका विस्तार तीसरी बीमा में भी हो गई है। केवल पशुपालन और कृषि से 'भूमि' शब्द का जो तादात्म्य स्थापित किया जाता था, वह अब समाप्त हो गया। 'भूमि' के अन्तर्गत अब अधोभौमिक खनिज तथा वायुमण्डलीय पदार्थ भी आ गये। इस प्रकार भूमि एक तृविधात्मक प्रत्यय के रूप में विकसित हो गई है।

भौगोलिक सन्दर्भ में 'भूमि' की परिभाषा धरातल, वायुमण्डल, और समुद्र के त्रिविध के रूप में की जा सकती है।<sup>13</sup>

भूमि का यह व्यापक अर्थ न केवल धरातल, जल, और हिम आदि को ही व्यक्त करता है बल्कि यह भवनों, खेतों, खनिज-ससाधनों, जल-ससाधनों, वायु-ससाधनों के गुणों को भी समाहित करता है, जैसे - हवा, सौर्य प्रकाश, पवन, वर्षा, तापमान, वाष्पन, आदि। ये सभी कारक किसी न किसी प्रकार 'भूमि' के अन्तर्गत ऐसे सुधार और विकास भी सम्मिलित किए जा सकते हैं जो मनुष्य द्वारा विकसित किए गये हैं और जो धरातल को प्रभावित करते हैं तथा जिन्हें हम आसानी से भूमि से पृथक् नहीं कर सकते। मनुष्य द्वारा निर्मित किए गए गुण सामान्यतः प्रकृति के गुणों के समान ही व्यवहार करते हैं जैसे - मनुष्य द्वारा समतल की गई भूमि भी प्रकृति द्वारा प्रदत्त समतल भूमि के समान ही गुणों और लक्षणों से युक्त होती है। इसी प्रकार पौधों में दिए जाने वाले मानव-निर्मित पोषक पदार्थ भी प्रकृति द्वारा प्राप्त पोषक पदार्थों की भाँति ही कार्य करते हैं और लाभप्रद सिद्ध होते हैं। अतः भूमि शब्द से आशय अनेकानेक सम्भावनाओं से युक्त आक्षुण्ण तथा अनश्वर माना जाता है जिसका स्वरूप मानव की आवश्यकता के सन्दर्भ में परिवर्तनशील है।

#### (ब) भूमि-संसाधनः

'भूमि' उपयोग का सम्बन्ध संसाधनों के अध्ययन मात्र से ही नहीं है, बल्कि इसका अर्थ अधिक व्यापक है। 'भूमि' शब्द के अर्थ पर प्रायः सहमत न होने के कारण ही इसके

लिए 'भूमि ससाधन' शब्द को अधिक सार्थक माना गया है। इस प्रकार भूमि के सामान्य अर्थ को स्पष्ट करना सरल हो जाता है और उसे अधिक विस्तृत करने की आवश्यकता नहीं होती है।

भूमि ससाधन को धरातल के मौलिक दशाओं से प्राप्त साधनों और मानव कल्याण के लिए उसके सन्निहित विशेषताओं के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।<sup>14</sup>

इस प्रकार भूमि ससाधन धरातल पर मनुष्य द्वारा किए गए सभी प्रकार के विकास को अपने में समाहित करता है। अब उसका वह सकुचित अर्थ नहीं रह गया है जिसमें वह प्रकृति द्वारा प्रदत्त ससाधनों को ही अपने अन्दर ग्रहण करता हो।

(स) 'भूमि प्रयोग' 'भूमि-उपयोग' और 'भूमि-ससाधन उपयोग' में अन्तर :

यद्यपि ये सभी पद प्रायः एक दूसरे के पर्याय के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। परन्तु इनके बीच सूक्ष्म अन्तर प्राप्त है। ये सब क्रमशः अंग्रेजी के *Land use*, *Land utilisation*, और *Land resource utilisation* शब्दों के हिन्दी रूपान्तर हैं। अर्थशास्त्री और भूगोल - विद् इनकी अलग-अलग व्याख्याएँ प्रस्तुत करते हैं। प्राकृतिक परिवेश में भूमि प्रयोग एक तत्सामयिक प्रक्रिया है, जबकि मानवीय इच्छाओं के अनुरूप अपनाया गया भूमि-उपयोग एक एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है।<sup>15</sup> इससे सतत एवं क्रमबद्ध विकास का स्वरूप परिभाषित होता है। अतः 'भूमि-उपयोग' शब्द एक प्रक्रिया की ओर इंगित करता है और यह स्वयं से वर्णनात्मक है। वुड<sup>16</sup> के अनुसार भूमि प्रयोग केवल प्राकृतिक भू-दृश्य के सम्बन्ध में ही नहीं, अपितु मानवीय क्रियाओं पर आधारित उपयोगी सुधारों के रूप में भी प्रयुक्त होना चाहिए। वैनजटी<sup>17</sup> भी उपर्युक्त विद्वानों के विचारों से पूर्ण रूपेण सहमत है और उन्हीं के कथन की पुष्टि करते हुए कहते हैं कि - 'भूमि-उपयोग' प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक दोनों ही उपादानों के संयोग का प्रतिफल है।' सिंह<sup>18</sup> के अनुसार कृषि से पूर्व की अवस्था के लिए (जिसके अन्तर्गत प्राकृतिक परिवेश का पूर्णतया अनुसरण किया जाता हो), 'भूमि-प्रयोग' शब्द अधिक उपयुक्त होगा परन्तु जब मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भूमि के उचित या अनुचित उपयोग के पश्चात् लाभप्रद भूमि-उपयोग अपनाता है, तो उग्र अवस्था को 'भूमि-

उपयोग' कहना अधिक सगत होगा। फॉक्स<sup>19</sup> ने 'भूमि-प्रयोग' एवं 'भूमि-उपयोग' में अन्तर स्पष्ट करते हुए यत व्यक्त किया है कि 'भूमि-प्रयोग' का अर्थ उस भू-भाग से है जो प्रकृति प्रदत्त विशेषताओं के अनुरूप प्रयुक्त हो रहा हो जबकि 'भूमि-उपयोग' भूमि-उपयोग की शोषण प्रक्रिया है, जिसमें भूमि का व्यावहारिक उपयोग किसी निश्चित उद्देश्य से सम्बन्धित होता है। अतः इस सकल्पना को स्पष्ट करते हुए कहा जा सकता है कि प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुरूप 'भूमि-प्रयोग' एक बिन्दु मात्र है, जबकि मानवीय इच्छाओं के अनुरूप अपनाया गया भूमि-उपयोग एक रेखा के समान है। अतः 'भूमि-उपयोग' एक दीर्घकालीन प्रक्रिया को व्यक्त करता है, जिसमें सतत एवं क्रम बद्ध विकास का आभास होता है।

अर्थशास्त्रियों ने 'भूमि-उपयोग' के स्थान पर 'भूमि-ससाधन उपयोग' शब्द का प्रयोग किया है। इस सदर्भ में उनका कथन है कि जब मनुष्य भूमि का उपयोग अपनी आवश्यकताओं एवं इच्छाओं के अनुरूप करने में सक्षम हो जाता है, तो उस समय भूमि एक ससाधन के रूप में परिणित हो जाती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब किसी क्षेत्र का 'भूमि-उपयोग' वहाँ की आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में क्षेत्र विकास हेतु मानव इच्छानुसार सम्पन्न हो रहा हो और प्राकृतिक पर्यावरण का नियंत्रण कम हो रहा हो तो उस अवस्था को 'भूमि-ससाधन उपयोग' कहा जा सकता है।

बार्लो<sup>20</sup> के अनुसार, 'भूमि-ससाधन उपयोग' भूमि समस्या एवं उसके नियोजन की विवेचना की वह धुरी है जिसके अध्ययन के लिए उन्होंने पांच महत्वपूर्ण दृष्टिकोण बताये हैं -

- 1 आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न समाज की स्थापना
- 2 भूमि ससाधन उपयोग की अवस्था तथा अनुकूलतम उपयोग का निर्धारण
- 3 विभिन्न लागत कारकों (जैसे - पूँजी, श्रम आदि) के अनुपात में भूमि से अधिकतम लाभ की योजना
- 4 फसलगत भूमि के उपयोग में माँग, मूल्य एवं लाभ के आधार पर लाभदायक सामंजस्य तथा परिवर्तन संबंधी सुझाव

- 5 किसी क्षेत्र के लिए अनुकूलतम एव बहुध्येयी भूमि उपयोग की विवेचना करना तथा उसके सुझाव को क्षेत्रीय अगीकरण हेतु समन्वित करना ।

### सारिणी 1.1

#### भूमि शब्दावलियां, कृषि विकास एव सामाजिक व्यवस्थाए

क्रम संख्या	शब्दावलियां	कृषि विकास की अवस्थाएं	प्रमुख सामाजिक व्यवस्थाएं
1	भूमि-प्रयोग	कृषि से पूर्व की अवस्था	आखेट-फल एकत्रीकरण व्यवस्था
2	भूमि-उपयोग (विस्तृत)	स्थानान्तरणशील एव जीवन निर्वाहन अवस्था	जन-जातीय व्यवस्था
3	भूमि-उपयोग (गहन)	जीवन निर्वाहन कृषि अवस्था	परम्परागत सामाजिक व्यवस्था
4	भूमि-ससाधन उपयोग	व्यापारिक कृषि अवस्था	विकसित एव आधुनिक सामाजिक व्यवस्था
5	नगरीय भूमि-ससाधन उपयोग (प्रारम्भिक)	गहन व्यापारिक कृषि अवस्था	अधिक विकसित एव आधुनिक सामाजिक व्यवस्था
6	नगरीय-भूमि ससाधन उपयोग(आदर्श)	आवासीय एव व्यावसायिक कृषि अवस्था	सर्वाधिक विकसित व्यवस्था

कैरियल<sup>21</sup> महोदय के अनुसार 'भूमि-प्रयोग' 'भूमि-उपयोग' एवं 'भूमि-ससाधन उपयोग' तीनों ही पद भूमि विकास के विशिष्ट परिस्थितियों के द्योतक है। इन परिस्थितियों का सम्बन्ध भूमि उपयोग के विकास की तीन भिन्न भिन्न अवस्थाओं से है जो क्रमशः अलग-अलग समयों में सम्पन्न होते हैं। सिंह<sup>22</sup> ने इन अवस्थाओं को उपर्युक्त सारणी द्वारा व्यक्त

किया है।

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि कृषि-कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व वन, मरू भूमि, पर्वत, पठार जैसी भ्वाकृतियों का आधिपत्य था। इस दशा में भूमि प्रयोग (न्यूनतम लाभदायी भूमि-उपयोग) ही सम्भव था। इस अवस्था में जहाँ कहीं अनुकूल दशाएँ सुलभ थी, अस्थायी कृषि का प्रादुर्भाव हुआ। तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ने के फलस्वरूप कृषि क्षेत्र में वृद्धि हुई और अकृष्य क्षेत्र उत्तरोत्तर सिकुड़ता गया। इस प्रकार के कृषि को हम 'जीवन निर्वाहक कृषि' कह सकते हैं। धीरे-धीरे कृषित क्षेत्र बढ़ता गया और अकृष्य क्षेत्र में कमी आती गयी। जहाँ कहीं दोनों में अधिकतम सतुलन होगा वहीं भूमि उपयोग को अनुकूलतम अवस्था प्राप्त होगी। ऐसी दशा में कृषि अप्राप्य क्षेत्र में वृद्धि एवं कृषित क्षमता में ह्रास होगा परन्तु प्रस्य क्रम गहनता में एवं कृषि क्षमता में वृद्धि होगी। इस अवस्था में कृषकों का झुकाव यान्त्रिक कृषि पद्धति की ओर तथा माग एवं पूर्ति पर आधारित मुद्रादायिनी फसलों की कृषि की ओर अधिक होगा। इस अवस्था को कृषि विकास की व्यापारिक अवस्था या भूमि-ससाधन उपयोग कहा जा सकता है। नगरीय 'भूमि-उपयोग' की अवस्था में कृषि अप्राप्य क्षेत्र की अपेक्षा वृषित क्षेत्र कम होता जाता है तथा तीव्र गति से नगरीकरण के फलस्वरूप उसमें क्रमशः कमी होती जाती है। 'भूमि-उपयोग' मानव उपयोगिता के आधार पर एक महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधन के रूप में प्रस्तुत होता है। अन्य विषयों की भाँति ही इसकी कुछ विशिष्ट सकल्पनाएँ हैं, जो इसके विषय वस्तु को स्पष्ट करती हैं उनमें मुख्य निम्न प्रकार हैं -

- 1 भूमि ससाधन की आर्थिक सकल्पना ,
- 2 भूमि उपयोग क्षमता की सकल्पना ,
- 3 सर्वोत्तम या अनुकूलतम भूमि-उपयोग की सकल्पना ,
- 4 भूमि-उपयोग के तुलनात्मक लाभ की सकल्पना ,
- 5 भूमि-उपयोग में दूरी की सकल्पना,
- 6 भूमि-उपयोग में क्षेत्रीय सतुलन की सकल्पना ,
- 7 भूमि-उपज की व्यावहारिक सकल्पना ,

8 भूमि-उपयोग अध्ययन में प्रत्यक्ष ज्ञान और प्रतिविम्ब सकल्पना ।

संक्षेप में उपर्युक्त सकल्पनाओं का वर्णन निम्न प्रकार है -

### 1. भूमि-उपयोग की आर्थिक सकल्पना

भूमि पद का अर्थ भिन्न-भिन्न विषय वर्गों में उद्देश्य एवं दृष्टिकोण पर आधारित होता है। जैसे - अर्थशास्त्री भूमि को पूजा के रूप में देखता है, जबकि भूगोलवेत्ता के लिए भूमि एक क्षेत्र है जो मानवीय उपयोगिता के संदर्भ में आर्थिक संसाधन बन जाती है। इस प्रकार भूमि शब्द का उपयोग प्रायः क्षेत्र, प्रकृति, उत्पादन-कारक, उपभोग-पदार्थ, स्थिति, सम्पत्ति तथा पूजा के रूप में प्रयोग किया जाता है। भूगोल-वेत्ता के लिए भूमि एक क्षेत्र है, जो अनश्वर है, जिसे धरातल, मृदा पृथ्वी के रूप में प्रयोग करता है और आवश्यकतानुसार उपभोग करता है। इस प्रकार भूमि उपयोगिता की दृष्टि से आर्थिक - संसाधन बन जाती है।

प्रायः देखने को मिलता है कि धरातल पर जो क्षेत्र अविकसित और आर्थिक दृष्टि से महत्वहीन है, वह कल लाभप्रद सिद्ध होता है। इस प्रकार यह भूमि की विपरीत अवस्था है। इसी प्रकार जब भूमि को प्रकृति के रूप में मूल्यांकित करते हैं तो उसका अर्थ प्राकृतिक वातावरण से संबद्ध होता है, यथा - सौर्य प्रकाश, वर्षा, हवा, वाष्पीकरण तथा मृदा एवं धरातलीय दशाएँ भूमि की उपयोगिता को प्रभावित करती हैं।

मानव भूमि को आर्थिक संसाधन हेतु उनके अनेक विशेषताओं को परिभाषित करता है। इस स्थिति में भूमि को उत्पादन कारक के रूप में प्रयोग में लाते हैं। इसलिए अर्थशास्त्री भूमि को उत्पादन कारक के रूप में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं।

मानव जब भूमि का प्रयोग उत्पादन कारक के रूप में करता है जब भूमि-प्रकृति प्रदत्त सह-साधनयुक्त मानी जाती है, जिससे भोज्य पदार्थ, उर्जा, संसाधन तथा उद्योग धन्धों के लिए कच्चे माल की प्राप्ति होती है - जिसका उपयोग मानव अपने आर्थिक विकास हेतु करता

है। इसी प्रकार भूमि को उपयोग पदार्थ के रूप में मान्यता दी जाती है। मानव भूमि का उपयोग अनेक रूपों, यथा - निवास-स्थान, पार्क, चारागाह, मनोरजन मैदान आदि स्थल अन्य उपभोग पदार्थों की ही भांति है।

आधुनिक युग में भूमि को स्थिति के रूप में विशेष मान्यता प्रदान की जा रही है। इस अवधारणा का सबंध बाजार, यातायात तथा अन्य भौतिक एवं सांस्कृतिक स्वरूपों के सदर्भ में किसी स्थान की स्थिति से है। भूमि का महत्व, मूल्य एवं उपयोग उसकी भौतिक स्थिति तथा पहुँच से ही नहीं निर्धारित होती, अपितु उसके स्थिति विशेष के कारण भी उसके महत्व का आकलन किया जाता है। वर्तमान अर्थतन्त्र में राजनैतिक स्थिति, सामरिक स्थिति आदि कारकों का महत्वपूर्ण स्थान है -

भूमि को सम्पत्ति के रूप में मान्यता विधि-सम्मत है। भूमि का सम्पत्ति के रूप में मानव की धारणा मौलिक है, जबकि सस्थागत सम्पत्ति समय के साथ परिवर्तनशील है। यह प्रायः देखने को मिलता है कि जब तक सस्था या प्रबन्ध तत्र, जिसकी देख-रेख में सम्पत्ति रहती है, वह शक्तिशाली होता है। इसका सम्पत्ति के रूप में अधिक उपयोग एवं मूल्य होता है। अन्यथा यह महत्वहीन हो जाती है।

भूमि उत्पादन कारक के रूप में पूजा है। मानव अपनी आवश्यकतानुसार उसका आर्थिक दृष्टि से उपयोग करता है। भूमि के आर्थिक उपयोगों के अनेक पक्ष हैं, जैसे - भूमि जब तक प्रकृति प्रदत्त विशेषताओं के अनुरूप होती है, उस भूमि का आर्थिक महत्व कम होता है, लेकिन जब मनुष्य अपनी इच्छानुसार उसका उपयोग करता है तो वह भूमि पूजा बन जाती है। इसलिए अर्थशास्त्री भूमि की पूजा के रूप में देखता है।

## 2. भूमि-उपयोग क्षमता का सकल्पना

भूमि उपयोग क्षमता से आशय भूमि ससाधन इकाई की उत्पादन क्षमता से है जिसमें उत्पादन लागत की अपेक्षा शुद्ध लाभ अधिक होता है। शुद्ध लाभ से ही अनेक इकाईयों की भूमि उपयोग क्षमता ज्ञात की जाती है। भूमि उपयोग क्षमता का निर्धारण किसी निश्चित समय



एव उपलब्ध तकनीकी स्तर के सन्दर्भ में किया जाता है। इसकी व्याख्या कृष्य और सकल कृषित क्षेत्र तथा प्रति एकड उत्पादन के माध्यम से किया जाता है ।

### 3. सर्वोत्तम या अनुकूलतम भूमि उपयोग की सकल्पना

प्राय यह देखने को मिलता है कि एक इकाई क्षेत्र का उपयोग अनेक रूपों में होता है। उपयोगकर्ता भूमि के अनेक उपयोगों में से किसी एक उपयोग को निर्धारित करते समय आर्थिक आय की विचार धारा से प्रभावित होता है। अतः भूमि इकाई का उपयोग इस रूप में होना चाहिए जिससे किसी निश्चित अवधि में उससे अधिकतम लाभ हो, वह उपयोग जिससे सर्वाधिक आय प्राप्त होती है, उसे अनुकूलतम उपयोग कहते हैं। भूमि का उपयोग उस समय सर्वोत्तम माना जाता है, जब उसका उपयोग एक या अनेक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सर्वाधिक शुद्ध लाभ की दृष्टि से किया जाता है। अतः यह सकल्पना तुलनात्मक लाभ के सिद्धान्त से निर्धारित होती है।

### 4 भूमि उपयोग के तुलनात्मक लाभ की संकल्पना

भूमि उपयोग सम्बन्धी अध्ययन में तुलनात्मक लाभ की सकल्पना विशेष महत्वपूर्ण है। यह सकल्पना निर्णयकर्ता के भूमि के अनेक उपयोगों में से तुलनात्मक लाभ के सिद्धान्त पर आधारित है। निर्णयकर्ता ऐसा उपयोग अपनाता है जिससे किसी निश्चित अवधि में सर्वाधिक शुद्ध आय होती है। प्रायः किसी भी क्षेत्र में भूमि उपयोग विशिष्टता इसी सिद्धान्त के अनुरूप मिलती है। कृष्य प्रादेशिकरण में भी तुलनात्मक लाभ की दृष्टि से ही फसलों का चयन करते हैं। यथा भूमि उत्पादकता के आधार पर चावल उत्पादन के लिए दक्षिणी भारत में उत्तरी भारत की अपेक्षा तुलनात्मक लाभ अधिक है। समान श्रम एवं पूँजी लागत में प्रति एकड चावल का उत्पादन उत्तरी भारत की अपेक्षा अधिक होता है, अर्थात् उत्तरी भारत की अपेक्षा दक्षिणी भारत में उत्पादन लागत की तुलना में लाभ अधिक है। यह अन्तर भूमि संसाधन के गुणात्मक पहलू से सम्बन्धित है।

### 5. भूमि उपयोग में क्षेत्रीय संतुलन की संकल्पना :

भूमि उपयोग के व्यावहारिक अध्ययन का यह एक महत्वपूर्ण पक्ष है। किसी

भी भू-भाग का भूमि-उपयोग क्षेत्रीय माग तथा पूर्ति सिद्धान्त के अनुरूप सन्तुलित होना चाहिए। प्रायः भूमि उपयोग सन्तुलित होने पर भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक भी म्यूआई होते हैं। इस से सम्बन्धित म्यूआई चरों में बाजार माग मूल्य का स्वभाव यथा यातायात शुल्क मुख्य होते हैं।

भूमि उपयोग में सन्तुलन की प्राप्ति भी इस समय होती है जब इससे सम्बन्धित तत्वों के प्रभाव में अन्तर नहीं होता है। इस दशा में सन्तुलन म्यूआई होता है तथा क्षेत्रीय माग के अनुरूप होता है। वह भूमि उपयोग सन्तुलन जो क्षेत्रीय माग के अनुरूप नहीं होता है आंशिक सन्तुलन कहलाता है। यदि भूमि उपयोग अन्तर्क्षेत्रीय व्यापार तथा अन्य पदार्थों के माग के अनुरूप सन्तुलित है तो ऐसी दशा में भूमि उपयोग को पूर्ण सन्तुलित कहा जायेगा। विकासशील अर्थव्यवस्था को अधिक गतिशील बनाने हेतु इस प्रकार के भूमि उपयोग का सन्तुलित अध्ययन अनिवार्य होता है।

## 6 भूमि उपयोग में दूरी की संकल्पना

ग्रामीण भूमि उपयोग विश्लेषण में दूरी एक महत्वपूर्ण संकल्पना है। दूरी एक आर्थिक इकाई है जिसका प्रभाव भूमि उपयोग पर पड़ता है। प्रसिद्ध जर्मन विद्वान वान थ्यूनेन ने सर्वप्रथम ग्रामीण भूमि उपयोग तथा दूरी के सम्बन्धों को सैद्धान्तिक रूप दिया। ऐसा देखा जाता है कि बाजार तथा शहरी केन्द्रों से दूरी बढ़ने के साथ-साथ भूमि उपयोग के स्वरूप में अन्तर तथा द्वास होने लगता है। कृषक के घर से जैसे-जैसे खेत की दूरी बढ़ती जाती है भूमि उपयोग में अन्तर मिलता है तथा शुद्ध लाभ की दर में भी कमी हो जाती है। इसी प्रकार मुख्य यातायात साधनों से भूमि इकाई की दूरी बढ़ने के साथ उत्पादकता तथा शुद्ध लाभ में द्वास हो जाता है तथा भूमि उपयोग में भी अन्तर मिलता है। इस प्रकार भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले अनेक कारकों में दूरी का स्थान सर्वोपरि है।

## 7. भूमि उपयोग की व्यावहारिक संकल्पना

इस संकल्पना का सम्बन्ध निर्णयकर्ता के व्यवहार एवं उस परिस्थिति से है जिसके अन्तर्गत वह भूमि उपयोग सबध निर्णय लेता है जिसके अन्तर्गत वह भूमि उपयोग संबंधी निर्णय

लेता है। सामान्यतया कृषक फसल बोने के पूर्व कई बार निर्णय लेता है। इस निर्णय में उनका व्यवहार तीन विशेष पक्षों (क) उपयोगिता (ख) सक्रमकता तथा (ग) व्यक्तिनिष्ठ संभाव्यता से प्रभावित होता है।

कृषक या भूमि उपयोग कर्ता निर्णय से पूर्व प्रयुक्त लागत तथा आशान्वित आय को समान तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाकर मूल्यांकन करता है। इस मूल्यांकन के अन्तर्गत उत्पादकता की मात्रा, लागत, लाभ एवं बाजार को ध्यान में रखा जाता है। आर्थिक दृष्टि से बाजार भी महत्वपूर्ण पक्ष है। इसीलिए कुछ अर्थशास्त्रियों का कथन है कि यदि बाजार मूल्य के स्थान पर व्यक्तिगत उपयोगिता का प्रयोग किया जा सके तो उपयोगिता सकल्पना का व्यावहारिक महत्व बढ़ जायेगा, लेकिन आगे यह समस्या उत्पन्न होती है कि यदि व्यापारिक कृषि में मूल्य का निर्धारण नहीं किया गया है तो उपयोगिता का मापन अधिक विकट हो जाएगा।

#### 8. भूमि उपयोग में प्रत्यक्ष स्थान तथा प्रतिबिम्ब सकल्पना

भूमि उपयोग अध्ययन में प्रत्यक्ष स्थान तथा प्रतिबिम्ब अत्यन्त जटिल सकल्पना है। उपयोग निर्णय में निर्णयन - पर्यावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। निर्णय क्रिया प्रत्यक्ष तथा प्रतिबिम्बित स्थान से प्रभावित होती है जिनके आधार पर निर्णयन पर्यावरण निर्धारित होता है। भूमि उपयोग सम्बन्धी निर्णय व्यक्ति विशेष के अनुभव तथा व्यक्तियों के बाह्य साधनों द्वारा निर्धारित होती है।

मानव भूमि-उपयोग के सन्दर्भ में जब निर्णय लेता है तो निर्णय कार्य सीधे प्रत्यक्ष स्थान से प्रभावित होता है। भूमि-उपयोग स्वरूप को समझने के लिए मानव निर्णय क्रिया के आवश्यक पक्षों को भी समझना आवश्यक है।

उपर्युक्त सकल्पनाओं से ज्ञात होता है कि 'भूमि-उपयोग' का अर्थ बहुत ही व्यापक एवं विस्तृत है। 'भूमि-उपयोग' का स्वरूप मानव सभ्यता के विकास और मानव के आवश्यकतानुसार परिवर्तित होता रहा है और होता रहेगा। यह परिवर्तन कृषि विकास अवस्थाओं के रूप में

लक्षित हुआ है और होता रहेगा। कृषि कार्य की विविधता एवं विशिष्टता भूमि उपयोग के विकास कार्य एवं क्रम को व्यक्त करती है, जो व्यक्ति के जीवन-यापन की आवश्यकताओं से लेकर उसके आर्थिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक विकास को पूर्णतया प्रभावित किए हुए है। शोधगत क्षेत्र के जीन जीवन में भूमि-उपयोग का मुख्य अर्थ कृषि कार्य से है, जो इस ग्राम्य-प्राधान्य क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की मुख्य कुजी है।

### 1.6 भौगोलिक खोज के रूप में भूमि उपयोग सर्वेक्षण

भूमि उपयोग सर्वेक्षण मूलतः एक महान भौगोलिक उपलब्धि है, जो सर्वेक्षण की विशिष्ट विधियों से सम्बन्धित है। कृषि अर्थशास्त्री, वन-रक्षक, भूमि-संरक्षक, अनुसंधानकर्ता, प्रशासक तथा भूगोल के सामान्य छात्र और कुछ विशेष प्रकार वैज्ञानिक भी भूमि उपयोग की विभिन्न पक्षों से सम्बन्धित रहते हैं, परन्तु उनका उद्देश्य विशेष प्रकार का होता है, जो भूगोल के शोध छात्र से पृथक है। भौगोलिक सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त ज्ञान भूमि उपयोग सम्बन्धी अध्ययनों से अधिक लाभप्रद होता है। भूगोल मनुष्य की क्रियाशीलता को विकसित करता है जिससे वह वातावरण की समस्याओं को समझने में दक्षता प्राप्त करता है। इससे उसकी अनुभूति व्यापक बन जाती है। भूगोल का शोधकर्ता भूमि उपयोग की अनुकूलतम स्थिति तक अग्रसारित करने में सभी सम्भव दिशाओं से पहुँचने का प्रयास करता है, क्योंकि वह भू-दृश्यावली को विशिष्ट दृष्टिकोणों से विश्लेषण करने में अभ्यस्त होता है।<sup>23</sup>

भूमि के प्रति भूगोल वेत्ता का दृष्टिकोण दार्शनिक और सगठनात्मक दोनों ही होता है। इसलिए वह अपने अध्ययन के विभिन्न पक्षों को सुदृढ़ बनाने के लिए अन्य विषयों जैसे - भू-गर्भशास्त्र, जलवायु विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी शास्त्र, सांख्यिकीय, इतिहास आदि से निकल का सम्बन्ध स्थापित करता है। वह मनुष्यों, घटनाओं तथा वस्तुओं को उनके क्षेत्रीय सम्बन्धों के परिवेश के जानने में सक्रिय हो जाता है।<sup>24</sup> प्रशासक तथा अन्य विशेषज्ञ जो भूमि उपयोग सर्वेक्षण में कार्यरत होते हैं, वे सभी कारकों को ध्यान में रखकर सर्वांगीण सश्लिष्ट चित्र प्रस्तुत करने में प्रायः असफल रहते हैं। भूमि उपयोग में क्षेत्रीय तथा सामाजिक पर्यावरण को समझना भी अत्यन्त आवश्यक होता है। इन सभी दृष्टिकोणों से निश्चय ही भूगोल के शोधकर्ता का योगदान सराहनीय होता है, क्योंकि उसका विवेचन सम्पन्नकालित एवं

सन्निकट तथ्यपरक होता है, जिसमें वह भूमि के उपयोग एवं दुरूपयोग के साथ ही उनसे सम्बद्ध समस्याओं की भी समीक्षा करता है। भूगोल वेत्ता स्वभावतः सम्बद्ध तथ्यों के बीच भी महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध खोजने का प्रयास करता है, और इस कार्य में वह भौतिक तथ्यों जैसे - उच्चवाचक शैल-सस्तर, मिट्टी, भूमिगत-जल, मौसम, एवं जलवायु आदि तथा मानवीय तथ्यों जैसे - जनसङ्ख्या, बाजार, यातायात आदि के साथ भूमि उपयोग के सम्बन्धों को मानचित्र द्वारा प्रस्तुत करता है, और उनका अध्ययन करता है। वह सामाजिक तथा आर्थिक तथ्यों को जो निश्चय ही भूमि उपयोग से सम्बन्धित है पूर्णतः समझने के लिए उनके आकड़े एकत्रित करता है तथा उनका विश्लेषण करता है। भूमि उपयोग अध्ययन में भूगोल वेत्ता का मुख्य कार्य वातावरण पर मानव की क्रियाओं एवं प्रतिक्रियाओं के प्रभावों एवं प्रभारों का निर्धारण करना है, जिसे कृषि कार्य के क्षेत्र परिसिमित होते हैं।

कभी-कभी भूगोल वेत्ता पर अधिक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने के लिए दोषारोपण किया जाता है किन्तु वास्तव में यह सभी तथ्यों के सन्निहित विश्लेषण के लिए आवश्यक है। कभी-कभी यह सामान्यीकरण भी प्रस्तुत करता है जिसमें प्रतिरूपण या परिनियमन आवश्यक हो जाते हैं। शोधकर्ता के लिए अधिक महत्त्व की बात तो यह है कि वह धैर्य पूर्वक विस्तृत विवेचन करे और अपने अध्ययनों में सूक्ष्म दृष्टिकोणों वैज्ञानिक विधियों तथा मौलिक आधारों को अपनाये।<sup>25</sup>

### 1.7 भूमि-उपयोग सर्वेक्षण पद्धतियाँ

भूमि उपयोग सर्वेक्षण और उसके अध्ययनों से सम्बन्धित तकनीकी ज्ञान को विकसित करने में जी०पी० मास्<sup>26</sup> सी०ओ० सोय<sup>27</sup> डब्लू०डी० जोन्स एवं वी०सी० फ्रेन्च<sup>28</sup> विद्वानों ने विशेष योगदान दिया है। इस अर्थशास्त्र के विद्वानों ने अपनी पुस्तकों एवं आर्थिक भूगोल की पत्रिकाओं में अनेक लेख प्रकाशित कर भूमि उपयोग सम्बन्धी अध्ययन की आधार शिखा रखी। परन्तु भूमि उपयोग सम्बन्धी विस्तृत योजना का कार्य तो स्टैम्प एवं बक जैसे भूगोल के विद्वानों द्वारा ही प्रतिस्थापित गिया गया है जिनके अथक परिश्रम के फलस्वरूप भूमि उपयोग के अध्ययन एवं नियोजन के क्रम बद्ध एवं वैज्ञानिक स्वरूप को समझने में विशेष सहायता मिली है। प्रो० एस०वान वाल्केन वर्ग की अध्यक्षता में अन्तर्राष्ट्रीय भौगोलिक संघ के लिरन्बन

महाधिवेशन में एक आयोग का गठन किया गया था, जिसमें विश्व के सभी देशों के लिए भूमि उपयोग सर्वेक्षण की योजना प्रस्तावित की गई थी और उसकी सफलता के लिए विभिन्न देशों में सरकारी तन्त्र एवं अन्य सस्थाओं के सहयोग से सर्वेक्षण के कार्य प्रारम्भ किए गए थे। ऐसे सर्वेक्षणों के फलस्वरूप अनेक देशों में प्रशासनिक तन्त्रों द्वारा या शोध संस्थानों द्वारा या व्यक्तिगत स्तरों पर अध्ययनों द्वारा प्राप्त परिणामों को प्रकाशित किया गया। जिसमें विश्व भूमि उपयोग सर्वेक्षण हेतु प्रस्तावित रूप रेखा को सशोधित भी किया गया। भूमि उपयोग सर्वेक्षण में अब तक प्रयुक्त विभिन्न विधियों या पद्धतियों को निम्न तीन श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है।

#### (अ) ब्रितानी पद्धति

भूमि उपयोग की प्रथम पद्धति ब्रितानी पद्धति कही जाती है। वास्तव में यह प्रो० स्टैम्प<sup>29</sup> द्वारा निर्देशित पद्धति है जिसका लक्ष्य ब्रिटेन में भूमि-सर्वेक्षण शोधों द्वारा प्राप्त भूमि के विविध उपयोगों का तथ्यात्मक अंकन करना है। यह सर्वेक्षण छ इंच परिलक्षक एक कील वाले मापक (1:1060) के आर्डिनेन्स मानचित्रों के आधार पर ऐच्छिक कार्याकर्ताओं द्वारा सम्पन्न किया गया था। भूमि-उपयोग सर्वेक्षण का तत्सम्बन्धी प्रतिवेदन 92 भागों में प्रकाशित किया गया। भूमि उपयोग के इस सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त तथ्यों को 1:63360 के मापक के मानचित्र पर दर्शाया गया। प्रत्येक मानचित्र भूमि-उपयोग से सम्बन्धित विश्लेषण पर आधारित भौतिक पृष्ठभूमि का चित्र प्रस्तुत करता था जिसमें भूमि उपयोग के क्षेत्रों का विभाजन भी सम्मिलित था।

यह सर्वेक्षण लन्दन विश्वविद्यालय में किन्स कालेज के डा० एलाइस कोल मैन के तत्वाधान में पुनः सम्पन्न किया गया। इसमें मानचित्रों का नया क्रम व्याख्यात्मक साहित्य सहित प्रस्तुत किया गया है, जो अधिक उपयोगी सिद्ध हुआ है इसमें 7 25000 की मापनी का उपयोग सहायक हुआ है।

#### (ब) अमेरिकी पद्धति

संयुक्त राज्य अमेरिका में भूमि उपयोग सर्वेक्षण या तो क्षेत्रीय होते हैं या राज्य

स्तरीय टेनसी 'वैली एथार्टी' द्वारा अत्यधिक विस्तृत भिन्नात्मक सूचकांक विधि से भूमि उपयोग सर्वेक्षण किए गए। कालान्तर में संयुक्त राज्य अमेरिका में भूमि संरक्षण सेवाओं ने देश के विभिन्न भागों के विस्तृत भूमि उपयोग मानचित्रों की एक श्रृंखला ही तैयार कर दी जो भू-क्षरण, मृदा प्रकार धरातलीय ढाल और नवीन भूमि-उपयोग पद्धतियों के अनुसार सघन सर्वेक्षणों पर आधारित था। वर्तमान समय में कृषि विभाग, संयुक्त राज्य अमेरिका ने भूमि-क्षमता सम्बन्धी सर्वेक्षणों पर विशेष बल दिया है (स्मिथ, 1961, पृ० 80-81)। सामान्यतया संयुक्त राज्य अमेरिका ने सर्वेक्षणों का पूर्व उद्देश्य केवल निश्चित समय पर किसी चयनित भूमि की इकाई की उपयोगिता सम्बन्धी आख्या तैयार करना था तथा साथ ही साथ वातावरण तथा प्राकृतिक गुणों पर आधारित भूमि के ऐसे उपयोग की ओर इंगित करना भी था जो उस भूमि की इकाई के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हो सके। तात्पर्य यह है कि अमेरिकी सर्वेक्षण भूमि की अधिकतम उपयोगिता की क्षमता को ज्ञात करने के लिए किया जाता है।

### (स) चीनी पद्धति

जे०एल० बक द्वारा चीन में प्रयुक्त भूमि उपयोग सर्वेक्षण पद्धति एक तीसरी उल्लेखनीय पद्धति है। बक महोदय के सर्वेक्षण का उद्देश्य चीन की खेती के विषय में सुलभ ज्ञान प्राप्त करना था जो राष्ट्रीय कृषि नीति के लिए एक आधार पर प्रस्तुत कर सके।<sup>30</sup> इस सर्वेक्षण के उद्देश्य से ली जानी वाली सूचनाएँ 22 प्रान्तों के 154 जिलों के 168 क्षेत्रों (लोकेलीटीज) के 16,789 कृषि फार्मों से प्रतिदर्श रूप में प्राप्त की गयी थी। इन सभी 168 क्षेत्रों का सर्वेक्षण अधिक सूक्ष्म और गहन विधि से किया गया था जिसमें जनसंख्या, योजन स्वरूप, जीवन स्तर और विपणन जैसे कारकों को भी सम्मिलित किया गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय भौगोलिक संघ द्वारा 1946 में स्थापित भूमि उपयोग आयोग द्वारा प्रस्तुत सस्तुतियों के परिणाम स्वरूप विश्व-भूमि उपयोग सर्वेक्षण संस्था ने न केवल यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में बल्कि उष्णकटिबन्धीय देशों में भी बड़े पैमाने पर भूमि उपयोग सर्वेक्षण किया। इस सर्वेक्षण का प्रथम उद्देश्य विश्व के सभी भागों के वर्तमान भूमि उपयोग के सम्यक वर्गीकरण की पद्धति का संकेत प्रस्तुत करना तथा तथ्य-विश्लेषणों के आधार पर उनका प्रयोग करना था। भूमि-उपयोग के वर्गीकरण के प्रयोग को अधिक महत्त्व दिया गया था। मानक

भूमि-उपयोग वर्गीकरण नो प्रकार की मुख्य कोटियों में विभक्त किया गया है, जिनके अन्तर्गत अनेक उपकोटिया भी हैं।<sup>31</sup> इस सम्बन्ध में 'सामयिक पत्रक' और 'क्षेत्रीय मोनो ग्राफ' जिन्हें प्रो० स्टैम्प ने प्रकाशित किया था, मुख्य है।

इस प्रकार अब तक व्यवहृत पद्धतियों में या तो किसी विशेष भू-भाग के सर्वाधिक उपादेयता वाले उपयोग को महत्व दिया गया (अमेरिकी पद्धति) या प्रतिदर्श विधि द्वारा किसी देश विशेष की कृषि नीति निर्धारित करने के लिए जीवन स्तर, जनसंख्या और विभाजन की सुलभ क्षेत्रीय सुविधाओं के सन्दर्भ में गहन अध्ययन किया गया (चीनी पद्धति) या केवल भौतिक (धरातलीय) पृष्ठभूमि के आधार पर भूमि उपयोग की स्वतन्त्र व्याख्या की गयी (ब्रिटानी, पद्धति)। किन्तु इन तीनों पद्धतियों में भारत के लिए कोई भी पद्धति पूर्णतः उपयुक्त नहीं प्रतीत होती। भारत की वर्तमान जनसंख्या एवं विविधताओं को ध्यान में रखते हुए अगर कोई भी पद्धति सीमित रूप में उपयुक्त लगती है तो वह किसी भी भूखण्ड की सर्वाधिक उपयोगिता के आधार पर भूमि उपयोग सर्वेक्षण विधि वाली अमेरिकी पद्धति ही हो सकती है, क्योंकि इस कृषि प्रधान देश में भूमि की प्रत्येक इकाई से जो भी अधिकतम उत्पादन सम्भव हो सकता है उसे प्राप्त करना बड़ी जनसंख्या के भरण-पोषण के लिए अत्यावश्यक है, साथ ही साथ भारत के लिए प्रयोग में आने वाली भूमि उपयोग पद्धतियाँ समन्वयात्मक भी होनी चाहिए जो कारकों को सन्दर्भ में विशिष्ट हो सके।

#### (द) भारतीय पद्धति

भारत में दो प्रकार के अध्यायों द्वारा भूमि उपयोग सर्वेक्षण किए जाते हैं। भारत सरकार के राष्ट्रीय प्रतिदर्श विधि द्वारा सम्पूर्ण भारत में भूमि उपयोग सर्वेक्षण और फसल उत्पादन आकलन की योजना चलाई जा रही है।<sup>32</sup> इसके द्वारा देश में रबी और खरीफ फसलों के मुख्य अन्नो के सम्पूर्ण उत्पादन का और उसके अन्तर्गत कृषि भूमि का विशेष विधि द्वारा आकलन किया जाता है। परन्तु राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण द्वारा जनपद फसलों का अभी भी कोई आकलन नहीं किया गया है। भारत सरकार की केन्द्रीय मृदा संरक्षण परिषद द्वारा बड़ी-बड़ी नदी घाटी योजनाओं के क्षेत्रों में भूमि उपयोग और मृदा उपयोग का सर्वेक्षण किया जा रहा है जिसका मुख्य लक्ष्य मृदा सर्वेक्षण द्वारा भूमि क्षमता का वर्गीकरण करना है।<sup>33</sup>



भारत में भूमि उपयोग सर्वेक्षण का कार्य भारतीय भूगोल वेत्ताओं द्वारा भी किया गया है जो मुख्यतः प्रो० स्टैम्प द्वारा ब्रिटेन में प्रयुक्त की गयी भूमि उपयोग सर्वेक्षण सम्बन्धी शास्त्रीय विधि द्वारा प्रेरित हुआ है।<sup>34</sup> अन्य देशों की भाँति भारत में भी भूमि उपयोग के कई पक्षों जैसे कृषि क्षमता, कृषि गहनता, कृषि कुशलता आदि पर अनेक लेख प्रकाशित हुए हैं। देश में सर्वप्रथम भूमि उपयोग सर्वेक्षण एवं शोध कार्य का सूत्रपात प्रो० एस० पी० चटर्जी (1945-1952)<sup>35</sup> द्वारा पश्चिमी बंगाल के चौबीस - परगना और हावडा जिलों में किया गया था। उनके द्वारा इन जिलों में किया गया विस्तृत भूमि उपयोग सर्वेक्षण हमारे लिए एक आदर्श बन गया है। प्रो० वी० एल० एस० प्रकाश राव ने (1947-56)<sup>36</sup> गोदावरी नदी घाटी के क्षेत्र में भूमि उपयोग का शोधपूर्ण सर्वेक्षण एवं विवेचनात्मक अध्ययन किया है। प्रो० ओ० पी० भारद्वाज ने (1960-61-64)<sup>37</sup> जालन्धर जिले के पूर्वी भाग में भूमि अपरदन समस्या का विस्तृत अध्ययन किया है तथा उन्होंने व्यास एवं सतलज नदियों के द्वाब क्षेत्र में भूमि उपयोग का भी विशेष अध्ययन किया है। प्रो० एम० शफी ने (1960)<sup>38</sup> पूर्वी उत्तर प्रदेश में भूमि उपयोग का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया है। ये सभी कार्य महत्वपूर्ण हैं जो शोध छात्रों के लिए मार्गदर्शन प्रस्तुत करते हैं। इन भूगोल विद्वानों ने भारत में भूमि उपयोग सम्बन्धी शोध कार्य का जो मार्ग प्रशस्त किया है, वह सराहनीय और प्रेरणात्मक है। नये भूगोल वेत्ता इन मार्गों के साथ ही साथ अब नई दिशाओं का भी विकास करने लगे हैं जो उनके सफल प्रयासों के द्योतक हैं।

1960 के पश्चात् भारत में कृषि क्षमता, कृषि गहनता, शस्त्र स्वरूप, शस्य साहचर्य तथा शस्य समिश्रण से सम्बन्धित अनेक लेख प्रकाशित हुए। कृषि क्षमता के निर्धारण में शफी<sup>39</sup> भाटिया<sup>40</sup>, जसवीर सिंह<sup>41</sup>, चौहान<sup>42</sup>, सिंह<sup>43</sup> एवं त्यागी<sup>44</sup> के कार्य विशेष महत्वपूर्ण रहे हैं। शस्य समिश्रण एवं शस्य साहचर्य से सम्बन्धित शोध कार्य के सन्दर्भ में - हरिपाल सिंह<sup>45</sup>, बी० के० राय<sup>46</sup>, त्रिपाठी एवं अग्रवाल<sup>47</sup>, शर्मा<sup>48</sup>, नित्यानन्द<sup>49</sup> एवं सिंह<sup>50</sup> आदि भूगोल वेत्ताओं के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

शस्य संयोजन तथा विश्लेषण की दृष्टि से भाटिया<sup>51</sup> एवं मजीद हुसैन<sup>52</sup> के लेख विशेष महत्वपूर्ण हैं। इसी अवधि में शस्य स्वरूप एवं कृषि प्रादेशीकरण से सम्बन्धित अनेक शोध

पत्र भी प्रकाशित जो भूमि उपयोग से सम्बन्धित शोध कर्ताओं के लिए विशेष सहायक है । प्रो० जसवीर सिंह<sup>53</sup> तथा तिवारी<sup>54</sup> द्वारा प्रकाशित कृषि मानचित्रावलीयों भी भूमि उपयोग के क्षेत्र में अध्ययन कर्ताओं के लिए विशेष उपयोगी है । इन सभी शोध प्रबन्धों एवं शोध प्रपत्रों द्वारा भूगोल वेत्ताओं द्वारा भूमि के विभिन्न पक्षों का विश्लेषण किया गया है । इन भूगोल विद्वानों ने पुरानी परिकल्पनाओं की पुष्टि या उनका सशोधन करते हुए नये विधि तन्त्र का भी विवेचन किया है । साथ ही साथ इन्होंने परिवर्तनशील प्रतिमानों के सन्दर्भ में भूमि उपयोग की व्याख्या एवं विश्लेषण करने हेतु अधिक व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर भी विशेष बल दिया है । इन प्रयत्नों से भूमि उपयोग का अध्ययन अवश्य ही अधिक लाभप्रद हो गया है ।

### 1.8 वर्तमान शोध प्रबन्ध का उद्देश्य एवं अध्ययन विधि -

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध का मुख्य उद्देश्य कृषि प्रधान एवं पूर्ण रूपेण ग्रामीण कटिहार प्रखण्ड के भूमि-उपयोग की समुचित व्याख्या प्रस्तुत करना है जिससे भौतिक, मानवीय एवं ऐतिहासिक कारकों के सन्दर्भ में -

- 1 भूमि उपयोग के क्षेत्रीय एवं कालिक विशिष्टताओं की समुचित व्याख्या की जा सके ।
- 2 वर्तमान भूमि उपयोग एवं उसकी सम्भाव्य क्षमता का मूल्यांकन किया जा सके तथा
- 3 प्रखण्डवासियों की आवश्यकताओं एवं उनके आर्थिक स्तर के उन्नयन हेतु भूमि उपयोग के समन्वित वैज्ञानिक नियोजन हेतु कुछ ठोस कार्यक्रम प्रस्तावित किए जा सकें ।

उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के निम्न प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ।

अध्ययन क्षेत्र की भौतिक, मानवीय एवं जैविक सम्पदाओं का अध्ययन करना जिन पर क्षेत्र का आर्थिक विकास अवलंबित है ।

क्षेत्रीय विशेषताओं के समुचित अध्ययन हेतु अध्ययन क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग के प्रतिरूप का अध्ययन करना ।

अतीत एवं वर्तमान भूमि उपयोग प्रतिरूपों के क्षेत्रीय विशेषताओं के आधार पर परिवर्तन प्रतिरूप का अध्ययन करना तथा शस्य प्रतिरूप एवं शस्य गहनता के माध्यम से वर्तमान कृषि पद्धति एवं शस्य प्रकारों का निर्धारण करना ।

जनसंख्या अधिवास एवं जनसंख्या वहन क्षमता का निर्धारण करना ।

जनसंख्या एवं भू-संपदा के स्तुलन को ध्यान में रखते हुए भूमि-उपयोग के आधुनिकीकरण एवं व्यवसायीकरण हेतु समन्वित - नियोजन की रूपरेखा तैयार करना ।

उपर्युक्त लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु शोधकर्ता ने परिकल्पनाओं को आधार बनाया है ।

1. भूमि संपदा से सम्पन्न होते हुए भी अध्ययन क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से राज्य का एक पिछड़ा हुआ अंचल है जहाँ के भूमि उपयोग में पारम्परिक पद्धतियों की प्रधानता है ।
2. अध्ययन क्षेत्र के कृषि-भूमि उपयोग में खाद्य फसलों की प्रधानता है जिनके उत्पादन में वैज्ञानिक कृषि पद्धति, रसायनों, खादों, कीटनाशक पदार्थों, ऊर्णतिशील बीजों आदि का बहुत कम उपयोग किया जाता है ।
3. यद्यपि सिंचाई आदि साधनों के विकास के कारण सकल क्षेत्र एवं शस्य गहनता में हाल के वर्षों में वृद्धि हुई परन्तु बढ़ती जनसंख्या हेतु आवासों के निर्माण एवं परिवहन-संचार के साधनों में वृद्धि आदि के कारण शुद्ध बोया गया क्षेत्र उत्तरोत्तर घटता जा रहा है ।
4. नगरों एवं परिवहन मार्गों की समीपता के कारण कृषि भूमि उपयोग में व्यवसायीकरण को प्रोत्साहन मिल रहा है तथा नई कृषि पद्धतियों से मुद्रादायिनी फसलों के उत्पादन पर बल दिया जा रहा है ।
5. अध्ययन क्षेत्र के कृषि भूमि-उपयोग में समुचित सुधार कर क्षेत्र के निवासियों के आर्थिक स्तर को ऊपर उठाया जा सकता है ।

अध्ययन की सुविधा हेतु शोध प्रबन्ध को नौ अध्यायों में बाँटा गया है । इनमें से जहाँ प्रथम अध्याय में भूमि उपयोग की सकल्पना, उसकी अध्ययन विधि, भूमि उपयोग शोध का महत्व, अध्ययन प्रणाली आदि के बारे में जानकारी प्रदान करता है वहीं दूसरे और तीसरे अध्यायों में अध्ययन क्षेत्र की भौतिक एवं भू-आर्थिक विशिष्टताओं का मूल्यांकन किया गया है । चौथे अध्याय में भूमि उपयोग का सैद्धान्तिक विवेचन एवं पाँचवें अध्याय में क्षेत्र के सामान्य भूमि उपयोग का परिवर्तनशील वितरण प्रारूप सम्बन्धी विवेचन है - जबकि पाँचवें अध्याय में भूमि उपयोग तथा छठे अध्याय में शस्य प्रतिरूप (रबी, खरीफ एवं जायद फसलों) के अन्तर्गत शस्यों का विशेष अध्ययन प्रस्तुत किया गया है । सातवें अध्याय में भूमि उपयोग गहनता, प्रवणता सम्बन्धी अध्ययन प्रस्तुत है । आठवें अध्याय में प्रतिदर्श गावों में सामान्य भूमि उपयोग के साथ ही परिवर्तन प्रतिरूप एवं तद्जनित समस्याओं का सम्यक अध्ययन दिया गया है । नवें अध्याय में अध्ययन क्षेत्र में भूमि उपयोग का निष्कर्ष एवं उसमें सुधार हेतु भावी योजनाओं का प्रारूप प्रस्तुत किया गया है ।

#### (अ) शोध सर्वेक्षण एवं ऑकड़ों का संग्रह

इस शोध सर्वेक्षण का क्षेत्र बिहार राज्य के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित कटिहार जनपद की कटिहार प्रखण्ड है जो भौगोलिक दृष्टि से मध्य गंगा मैदान के कोशी अंचल का एक अभिन्न भाग है । इस सर्वेक्षण में उन सभी कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया गया है जिनके द्वारा शोधकर्ता ने आवश्यक तथ्य एवं ऑकड़े गाँव - गाँव एवं न्याय पचायत स्तर पर घूम-घूम कर तथा प्रखण्ड और जनपद एवं राज्य के मुख्यालयों से प्राप्त किए हैं । इन विवरणों को सुविधा की दृष्टि से तीन उपक्रमों में विभाजित किया जा सकता है जो निम्न प्रकार हैं -

##### (1) प्रथम अध्याय

इसके अन्तर्गत प्रखण्ड, जनपद और राज्य के मुख्यालयों से प्राप्त विभिन्न प्रकार के कार्यालय अभिलेखों, प्रतिवेदनों, सांख्यिकीय ऑकड़ों, पाण्डुलिपियों, डायरी में लिखित तथ्यों तथा राजस्व विभाग से उपलब्ध तत्सम्बन्धी विवरणों को शोधपूर्ण परीक्षण एवं विवेचन हेतु प्राप्त किया गया है । भूमि उपयोग से सम्बन्धित अपेक्षित सांख्यिकीय ऑकड़े मुख्यतः राजस्व अभिलेखों

तथा पत्रियों से प्राप्त किए गए है । भूमि उपयोग की परिभाषा और वर्गीकरण की विधि जो प्रखण्ड के राजस्व अधिकारियों द्वारा निर्धारित की गयी है, उनमे पारम्परिक बातचीत के माध्यम से जानी गयी है ।

कटिहार प्रखण्ड जो इस शोध अध्ययन का क्षेत्र है, बिहार राज्य के ऐसे भागों में से एक है जिन्हे राजस्व अधिकारियों द्वारा समस्याओं से उलझा हुआ (जैसे- बाढ, गरीबी, अधिक जनसंख्या, अविकसित यातायात, बेरोजगारी, उद्योगों का अभाव, निम्न जीवन स्तर तथा निम्न शिक्षा स्तर आदि से पूर्णरूपेण ग्रसित) माना गया है । इस प्रकार के सर्वेक्षण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के सन्दर्भ में राजस्व विभाग के अभिलेखों द्वारा प्रमुख स्रोत सुलभ है । इन अभिलेखों में भूमि-उपयोग एवं कृषि कार्य से सम्बन्धित साँख्यकीय आँकड़े प्रस्तुत किये गये है जो इस प्रखण्ड के 20 ग्राम सेवक (लेखपाल) तथा क्षेत्रीय निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त किए गये हैं । भूमि-उपयोग सम्बन्धी आकड़ों का मुख्य स्रोत ग्राम सेवक (लेखपाल) का विवरण होता है । इस विवरण को प्रखण्ड का क्षेत्रीय निरीक्षक ग्राम सेवकों (लेखपालों) से प्राप्त कर सग्रहीत करता है । यह राजस्व विभाग का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमि उपयोग अभिलेख होता है । ग्राम सेवक ग्वेनों के निरीक्षण के आधार पर चार फसलों का जिन्सवार (विवरण) तैयार करता है । जो निम्न प्रकार है -

- (क) भदई का जिन्सवार - (भदई में बोयी जाने वाली फसलों का विशेष विवरण )
- (ख) अगहनी का जिन्सवार - (अगहन में बोयी जाने वाली फसलों का विशेष विवरण)
- (ग) रबी का जिन्सवार - (रबी में बोयी जाने वाली फसलों का विशेष विवरण )
- (घ) गरमा का जिन्सवार - (गरमा में बोयी जाने वाली फसलों का विशेष विवरण)

ग्राम सेवक (लेखपाल) अपने निरीक्षणों का विवरण खसरा (निरीक्षण-पुस्तिका) में लिखता है , जिसमें वह सिचाई के साधन, सिंचित क्षेत्र, असिंचित क्षेत्र आदि के साथ ही साथ फसलों के बाढ, सूखा आदि द्वारा क्षतिग्रस्त क्षेत्र का भी उल्लेख करता है । ये विवरण खसरा एवं खतियान से सुलभ हो जाते है । पूरे गाँव के लिए विभिन्न प्रकार के भूमि उपयोगों का विवरण एवं उनका योग भी खसरे में दिया रहता है । खरीफ फसलों (भदई एवं अगहनी) का विवरण अक्टूबर तक, रबी फसलों का विवरण मार्च तक एवं गरमा फसलों का विवरण मई तक तैयार किया जाता है ।

क्षेत्रीय निरीक्षक, ग्राम सेवक द्वारा प्रस्तुत इन फसल विवरणों का परीक्षण करता है और जब वह सन्तुष्ट हो जाता है कि ये विवरण ठीक हैं और उपयुक्त ढंग से तैयार किए गये हैं तथा विचलनों का सावधानी पूर्वक विवेचन किया गया है और अंकों के योग भी सही है तो वह उन विवरणों पर अपना हस्ताक्षर करता है। तदुपरान्त वह उन्हें क्षेत्रीय निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करता है। इससे पूर्व क्षेत्रीय पदाधिकारी भी यह जाँच कर लेता है। किलेखापालों द्वारा प्रस्तुत फसलों तथा अन्य प्रकार के क्षेत्रफलों का विवरण सही ढंग से प्रस्तुत किया गया है अथवा नहीं और क्षेत्रीय निरीक्षक द्वारा उनका समुचित ढंग से परीक्षण किया गया है अथवा नहीं। वह आवश्यकतानुसार सुधार भी करता है। इस प्रकार भूमि उपयोग के आँकड़े ग्राम सेवक, क्षेत्रीय निरीक्षक एवं क्षेत्रीय पदाधिकारी के माध्यमों से तैयार किये जाते हैं। इन आँकड़ों को विश्वसनीय समझा जाता है। प्रत्येक वर्ष ग्राम सेवक एक मिलान खसरा (जो विशेष क्षेत्रफल विवरण पुस्तिका है) अपने सर्वेक्षणों द्वारा बनाये गये खसरे के आधार पर तैयार करता है। जब खसरे में सभी प्रविष्टियाँ पूर्ण हो जाती हैं तब भूमि के प्रत्येक प्रकार के क्षेत्रफल का वितरण विशेष विवरण के रूप में प्रदर्शित किया जाता है और उनसे सम्बन्धित पूरे गाँव के योग भी दिये जाते हैं। इन सभी तथ्यों का पुनर्निरीक्षण समुचित ढंग से तथा गंभीरतापूर्वक क्षेत्रीय निरीक्षक द्वारा किया जाता है। क्षेत्रीय निरीक्षक अपने क्षेत्रफल विवरण में (भूमि-अभिलेख पजी) विभिन्न प्रकार के भूमि उपयोगों के अन्तर्गत प्रत्येक गाँवों के सभी योगों को अंकित करता है। वह पूरे प्रखण्ड के सदर्थ में भी ऐसे क्षेत्रफलों के विवरणों के लिए योगांकन करता है। राजस्व विभाग द्वारा ये सभी आँकड़े पूर्णतया शुद्ध एवं विश्वसनीय कहे जाते हैं।

ग्राम्य स्तर पर 1952 तथा 1991-92 सत्र के भूमि उपयोग प्रतिरूप और मुख्य फसलों के अन्तर्गत भूमि उपयोग सबधी आँकड़े क्षेत्रीय निरीक्षक के कार्यालय, प्रखण्ड कटिहार से प्राप्त किये गये हैं। ये भूमि उपयोग और फसली सबधी आँकड़े प्रखण्ड में 126 ग्राम पंजियों से जिनमें 1952 तथा 1992 तक प्रत्येक गाँव के योगों के भी विवरण है, लिये गये हैं। 03 10.73 को कटिहार जनपद पूर्णिया से अलग हुआ है। पूर्णिया का अनुमंडल कटिहार जनपद जो ग्यारह (11) प्रखण्डों (कटिहार - आजमनगर, कढ़वा, प्राणपुर, मनिहारी, अमदाबाद, फलका, बरारी, कोढा, बारसोई, बलरामपुर को मिलाकर बनाया गया। इस जनपद को बाद में दो अनुमंडल

(कटिहार तथा बारसोई) में विभाजित किया गया । आवश्यकतानुसार, अनुमंडल के क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण भी किया गया ।

इस अध्ययन में वर्ष 1951 तथा 1991 की जनगणना के आधार पर इस प्रखंड के सभी गाँवों को जनसंख्या का विवरण लिया गया है । ग्राम पंजिका क्षेत्रीय निरीक्षक द्वारा प्रत्येक वर्ष के भूमि उपयोग के क्षेत्रफलों के विवरणों से तैयार की गई सांख्यिकीय पंजी होती है, जिन्हे केवल वार्षिक स्तर पर ही सकलित किया जाता है । -

इसी प्रकार प्रखण्ड एवं अनुमण्डल पंजिकाएँ भी होती हैं जो उस क्षेत्र के कृषि कर्म का इतिहास व्यक्त करती हैं । इनसे भूमि उपयोग के आँकड़ों में होने वाले परिवर्तनों का विवेचन करना सरल हो जाता है । इन पंजिकाओं में अचल पदाधिकारी (सी0ओ0) द्वारा ऐसी आख्याएँ एवं ऐसे अभिलेख दिये जाते हैं जो किसी निश्चित क्षेत्र में स्थानीय महत्व की फसलों के विभिन्न प्रकारों, उनके वर्गों एवं उन फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफलों के वार्षिक समाकलनों का उल्लेख करते हैं । इनमें खाद्य, अखाद्य एवं मुद्रादायिनी फसलों का भी विवरण होता है । अन्य राजस्व अभिलेख जिनका निरीक्षण किया गया है उनमें लेखपाल दैनन्दिनी (डायरी) खतौनी, क्षेत्रीय निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत करदाताओं और भूमि अधिकारियों से सम्बन्धित विवरण अन्य राजस्व विवरण, राज्य सम्पत्ति पंजी (कृषित - भूमि, भवनों से सलग्न भूमि, राजकीय मार्ग, नहरों की भूमि आदि) आकस्मिक घटनाओं के अभिलेख, सहायक क्षेत्रीय निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत विवरण क्षेत्रीय निरीक्षक और अचल पदाधिकारी तथा परगनाधिकारी द्वारा प्रस्तुत समीक्षात्मक विवरण और प्रखण्ड में कृषि दशाओं के विषय में लिखे गये मासिक तथा सामयिक अभिलेख (जैसे भूकम्प, सूखा, अतिवृष्टि, आधी, तूफान, ओलावृष्टि, बाढ़ आदि से सम्बन्धित विवरण) तथा बगीचों और झाड़ियों से सम्बन्धित पंजी गाँवों के आवास कर या लगान सम्बन्धी अभिलेख आदि सम्मिलित हैं ।

16" इन्च प्रदर्शित करता है । मील (1 3960) की मापनी पर निर्मित कटिहार प्रखण्ड के नौ चयनित गाँवों के मानचित्र प्रखण्ड कार्यालय के नजारात विभाग से प्राप्त किए गये हैं । इन्हें प्रदर्शित गाँवों के रूप में अध्ययन किया गया है । उनका चयन यादृच्छिक प्रतिचयन विधि से किया गया है । इन प्रदर्शित गाँवों के मानचित्रों पर खेतों की सीमाएँ उनकी

सख्या, मार्ग नहरों की शाखाएँ, कुएँ, आबादी के क्षेत्र तथा अन्य संलग्न विवरण प्रदर्शित रहते हैं । शोध कार्य में ये बहुत ही उपयोगी पाये गये हैं ।

भारत सरकार के सर्वेक्षण विभाग द्वारा निर्मित धरातलीय पत्रक भी प्रयोग में लाये गये हैं जो इस कार्य में बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुए हैं । इनसे उच्चावचन, प्रशासनिक सीमा, आवासों की स्थितियाँ आदि के अध्ययन में विशेष सहायता मिलती है ।

धरातल के स्वरूप, उच्चावच, ढाल, अपवाह, सिंचाई, बाँध और झण्डियों आदि से सम्बन्धित विश्वसनीय और उपयोगी आँकड़े कटिहार जनपद में स्थित विभिन्न सरकारी कार्यालयों से प्राप्त किये गए हैं जो उस कार्यालय द्वारा निर्मित योजना और सर्वेक्षण मानचित्र पर आधारित हैं ।

## (2) द्वितीय उपक्रम

इस उपक्रम में इस क्षेत्र का गहन निरीक्षण किया गया है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत इस क्षेत्र में रबी की फसल कट जाने के बाद 1992 के मई माह में कटिहार प्रखण्ड में स्थित चयनित (प्रतिदर्शी) गावों तथा कई अन्य गावों का निरीक्षण किया गया । भूकर मानचित्रों, खसरा के विस्तृत विवरणों, विभिन्न अभिलेखों आदि के आधार पर तथ्यों का अध्ययन किया गया तथा आवश्यकतानुसार ट्रेन, बस, सायकिल तथा कभी-कभी पैदल चलकर भी इन तथ्यों का परीक्षण किया गया, जिससे सत्यता का भरपूर बोध हो सके । उदाहरण के लिए गंगा, कोसी, महानन्दा तथा सहायक नदियों एवं नालों के तटों पर विभिन्न मार्गों द्वारा पहुँचकर उनके किनारों, जल प्रवाहों, अपरदन कार्य तथा मोड़ों आदि का तथा इनसे परिवर्तित भौतिक स्वरूपों का विस्तृत सर्वेक्षण किया गया । इस कार्य में धरातलीय पत्रकों का सहयोग विशेष उल्लेखनीय था । कई स्थानों पर रेखाचित्रों द्वारा भौतिक विवरणों का आरेखण भी किया गया ।

इस प्रकार राजस्व विभाग के कार्यालयों से प्राप्त आँकड़ों तथा निजी निरीक्षणों पर आधारित तथ्यों की सहायता से भूमि के अकृषित उपयोगों जैसे - आवासों से संलग्न भूमि, जलाशय,



बजर (परती एव कृषि अनुपयोगी भूमि) बाग खरपतवार भरे क्षेत्र आदि का तथा कृषित भूमि का विवेचनात्मक अध्ययन किया गया । इन सभी तथ्यों और आकड़ों को मानचित्रों की सहायता से सावधानी पूर्वक विश्लेषित किया गया । भूमि उपयोग और भूमि दुरुपयोग तथा भूमि का अधिक लाभदायक और सतृलित प्रयोग समझने के लिए उपर्युक्त सभी तथ्यों के विषय में स्थानीय कृषकों तथा अन्य लोगों से विचार-विमर्श भी किये गए ।

स्थानीय लोगों से निर्मित प्रश्नावली के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से पूछ-ताछ की गयी (जैसे - सरपच, मुखिया तथा जमींदारों आदि) जिससे भूमि उपयोग की वर्तमान स्थिति समझने के लिए ऐतिहासिक सांस्कृतिक आर्थिक और भौगोलिक तथ्यों के विषय में पर्याप्त ज्ञान प्राप्त किया गया । इस क्षेत्र के भूमिगत जल ससाधन का ज्ञान कई गावों में घूमकर किये गये निरीक्षणों द्वारा प्राप्त किया गया । यह कार्य पूर्व-पश्चिम एव उत्तर-दक्षिण दिशा में लिये गये चयनित आधारों के माध्यम से सम्पादित किया गया । बाढ से प्रभावित भूमि का विवरण सर्वेक्षणों द्वारा प्राप्त किया गया जिसका तत्सम्बन्धी पूर्व अभिलेखों से तुलनात्मक अध्ययन भी किया गया ।

### (3) तृतीय उपक्रम .

इस उपक्रम में प्रतिदर्श गावों का विशेष अध्ययन किया गया है । उनका गहन भूमि उपयोग सर्वेक्षण किया गया जिसमें कृष्येत्तर भूमि ससाधनों का निरीक्षण भी सम्मिलित था । इस कार्य को सम्पादित करने के लिए शोधकर्ता ने जुलाई 1992 से जून 1993 तक के प्रत्येक मौसमी फसलों की अवधि में (बोने से काटने तक के उपक्रम में) प्रत्येक प्रतिदर्श गाँव का लगभग तीन-चार बार निरीक्षण किया । -

इनमें से कुछ गावों का अन्तिम अवलोकन मई के प्रथम सप्ताह में किया गया। इन गावों के आकड़ों का सकलन प्रश्नावली के आधार पर तथा राजस्व अभिलेखों के माध्यम से किया गया और उनका अध्ययन क्षेत्र में किए गये सत्यापन के उपरान्त सावधानी पूर्वक किया गया ।

इन गावों में बगीचों झाड़ियों (खरपतवार आदि) बजर (नई परती एवं पुरानी परती) भूमि आदि के विवरण भी उन्हीं के माध्यमों में प्राप्त किये गये हैं, और उनका विश्लेषण भूकर मानचित्रों की सहायता से किया गया है। इन कार्यों का विस्तृत उल्लेख चयनित गावों के भूमि उपयोग सम्बन्धी अध्याय में किया गया है।

कृषि क्षेत्रों का विस्तृत सर्वेक्षण मुख्यतः प्रतिदर्श गावों के कृषि क्षेत्रों तथा उनके फसल चक्रों के सम्बन्ध में) प्रत्येक प्रतिदर्श गाव के सर्वेक्षण एवं निरीक्षण के समय किया गया था। इनका विशेष विवरण शोध प्रबन्ध में सर्दभित स्थानों पर दिया गया है। इन सर्वेक्षणों के अवसर पर प्रतिदर्श गावों के कुछ किसानों से साक्षात्कार भी किया गया है जिनसे भूमि के उपयोग और दुरुपयोग के कारणों का ज्ञान प्राप्त करने में सहायता मिली है जिससे तथ्यपरक मानचित्रों को तैयार करने में भी सहायता मिली है। शोधकर्ता कृषकों द्वारा प्राप्त सूचना पर ही पूर्णतः अवलम्बित नहीं रहा है, बल्कि उसने अपने सर्वेक्षणों में कृषिगत भूमि के उपयोगों का भी व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण किया है और इस प्रकार अपने विचारों को परिपुष्ट किया।

प्रतिदर्श गावों के कृषकों से जो जानकारी कृषि विधियों के सम्बन्ध में प्राप्त की गयी थी, उनमें जुताई, खाद, बुआई, गुडाई, बीज, सिंचाई, कटाई, मड़ाई आदि की सूचनाएँ विशेष उल्लेखनीय हैं।

उपर्युक्त सर्वेक्षणों से यह भली-भाँति ज्ञात होता है कि इस प्रखण्ड में बाढ़, मृदाक्षरण एवं अल्प क्षेत्र पर ऊसर की समस्याएँ हैं। मृदा-क्षरण को रोकने के लिए इस क्षेत्र में जनचेतना उत्तरोत्तर - जागृत हो रही है। जनता में मृदा को अधिक बुद्धिमत्ता पूर्वक बचाने के लिए जागरूकता बढ़ती जा रही है। इस शोध प्रबन्ध में बाढ़ एवं मृदाक्षरण की दृष्टि से रक्सा गाव को चयनित गाव के रूप में विशेष अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। यह गांव कारी कोशी नदी के अपवाह क्षेत्र में स्थित है। बाढ़ एवं भूक्षरण की समस्याओं से यह गाव प्रति वर्ष संकटमय रूप से प्रभावित हो जाता है। मृदा क्षारीयता भी इस क्षेत्र की एक बड़ी समस्या है। इससे सम्बन्धित क्षेत्रों में भूमि उपयोग की दूसरी बड़ी समस्या है। नहरों से सिंचित क्षेत्र में कई भागों

मे भूमि पर मृदाक्षारता की मात्रा तीव्र गति से बढ़ रही है जिसके फलस्वरूप खेती का कार्य श्रिथिल पडता जा रहा है । ऐसी भूमि कालान्तर मे ऊसर क्षेत्र के रूप में परिवर्तित हो जाती है । इस क्षेत्र मे ऊसर भूमि छोटे - छोटे भूखण्डों के रूप मे विशेषकर इस प्रखण्ड के दक्षिणी पश्चिमी भाग विखरी पडी हुई है । ऊसर क्षेत्र का कुछ भाग उत्तर मे पायी जाती थी किन्तु विशेष प्रयत्नों से अब धीरे-धीरे उसकी क्षारीयता प्राय समाप्त हो गई है । दक्षिणी एवं उत्तरी पूर्वी का क्षेत्र विशेषकर बरसात के मौसम मे जलप्लावित हो जाता है क्योंकि इसका क्षेत्र निम्ब पडता है इनमे मुख्य रूप से रकसा प्रतिदर्श गाव है ।

इस प्रकार विभिन्न सर्वेक्षण अभियानों के अन्तर्गत इस क्षेत्र मे भूमि-उपयोग को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों से संबंधित सभी सूचनाएं संग्रहीत करने का प्रयास किया गया है । भूमि उपयोग का प्रचलित विधियों और अतीत एवं वर्तमान भूमि उपयोग में पाये जाने वाले क्षेत्रों का भी पर्याप्त ज्ञान किया गया है । भूमि उपयोग में कालिक परिवर्तनों के अध्ययन हेतु संपूर्ण क्षेत्र (प्रखण्ड) का एव चयनकृत गाँवों का वर्ष 1951-1952 तथा 1992-93 (किसी - किसी दशा मे 1991-92)मे विशेष तुलनात्मक विवरण प्राप्त किया गया है ग्राम स्तर पर भूमि उपयोग सबधी एव शस्य स्वरूप सबधी 1951-1952 एवं 1992-93 वर्षों के तथ्यों का माप चित्रण किया गया है । परिवर्तनों की व्याख्या हेतु 1951-52 तथा 1992-93 के आकड़ों को आधार मानकर 40 (चालीस) वर्ष की अवधि के ऐसे आँकड़ों से तुलना कर विशेषणात्मक परीक्षण किया गया है । इस प्रकार के परीक्षणों से कई महत्वपूर्ण परिवर्तनों का बोध हुआ है जो इस शोध प्रबन्ध के यथावश्यक स्थानों पर दर्शाये गये है ।

#### (ब) सर्वेक्षण अवधि .

भूमि-उपयोग सबधी विवरणों को प्राप्त करने के लिए पूरे एक वर्ष की अवधि का चक्र ध्यान में रखा गया है । यह अवधि इस उद्देश्य से ली गई है ताकि मौसमी परिवर्तनों के फलस्वरूप भूमि उपयोग मे होने वाले अंतरों का सही-सही ज्ञान प्राप्त किया जा सके । ऐसी कोई विधि जो एक वर्ष से कम की अवधि के आधार पर कोई भी निष्कर्ष प्राप्त करना चाहते है , वह अवश्य ही तथ्यात्मक विश्लेषण को प्रस्तुत करने में असमर्थ हो जाती है । इसीलिए कम से कम पूरे एक वर्ष की अवधि ही ग्रामीण भूमि उपयोग से संबंधित आँकड़ों का

सकलन करने के लिए एव उन पर आधारित तथ्यों का विश्लेषण करने के लिए अत्यन्त आवश्यक है । बिहार के इस भाग में ग्रामीण भूमि उपयोग से सम्बन्धित अनेक आधारभूत तथ्य ऐसे हैं जो भूमि उपयोग के अध्ययनों की तकनीकी पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं ।

इस शोध क्षेत्र में भूमि सर्वेक्षण का कार्य नवम्बर 1991 से जुलाई 1993 के बीच सम्पन्न हुआ है । यह अवधि दो कृषि वर्षों की है । 1991 के मितम्बर माह के अन्तिम सप्ताह में जबकि ग्रामीण भूदृश्यावली में खरीफ की कटाई के बाद लगभग पूर्णतः नग्नता में आ गई थी, भूमि के भौतिक स्वरूप का सर्वेक्षण प्रारम्भ किया गया जो बाढ़ के वर्षों में पूरा किया गया । फसलों से सम्बन्धित आँकड़ों के वितरण भी बीच-बीच में प्राप्त किये गये और तत्सम्बन्धी सर्वेक्षण भी किये गये । इस प्रदेश के इस भाग में भूमि उपयोग के चक्र का सही और पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए एव तत्सम्बन्धित विभिन्न कार्य-कलापों का पूर्ण क्रम समन्वित करने की दृष्टि से विभिन्न फसलों के मौसमों में निरीक्षण किया गया था ।

प्रतिदर्श गावों के सन्दर्भ में दो वर्ष की अवधि में इस प्रकार कई बार निरीक्षण किये गये । शोधकर्ता को प्रत्येक तीन महीने बाद ऐसे निरीक्षण करने पड़े थे, जिसे वर्ष के समस्त मौसमों में विशिष्ट फसलों और उनके कृषि कर्मों का तथ्यात्मक अध्ययन किया जा सके । कुछ फसलें ऐसी भी हैं जो तीन महीने से कम की अवधि तक ही खेतों में रहती हैं उनकी जानकारी के लिए भी प्रतिदर्श गावों का निरीक्षण तीन महीने में कम से कम एक बार करना आवश्यक हो गया था, जिसे तत्परता पूर्वक किया गया । विवरणों को प्राप्त करने में कम से कम त्रुटि हो इसका ध्यान रखा गया । सर्वेक्षण वर्षों में संयोग से एक सामान्य वर्ष का जिस वर्ष मौसमी दशाएँ तथा कृषि उत्पादन सम्बन्धी दशाएँ मूलतः सामान्य थीं । कृषि उत्पादन तथा पशुओं से प्राप्त उत्पादन भी सामान्य थे । साथ ही वर्षा की मात्रा भी सामान्य रही । इन दो वर्षों में सकलित तथ्य तथा परिलक्षित दशाएँ भूमि उपयोग का विशिष्ट चित्र प्रस्तुत करने में बहुत अधिक सहायक हुई हैं । प्रतिदर्श गावों में भूमि-उपयोग के वार्षिक चक्र से सम्बन्धित अध्ययनों के लिए पूरे दो वर्ष की सर्वेक्षण अवधि ली गयी थी जिसे उस चक्र का पूरा ज्ञान मिल सके । ऐसा इसलिए भी आवश्यक था जिसे परिवर्तनशील दशाओं में होने वाले ग्रामीणी भूमि उपयोग के विभिन्न पहलुओं का सही-सही प्रारूप प्राप्त किया जा सके । प्रतिदर्श

गावों के सदर्थ में फसल चक्र की जानकारी के लिए एक मुख्य कृषि वर्ष तथा सह-कृषि वर्षों का विधिवत् अध्ययन किया गया जिनसे कई प्रकृतियों का बोध होता है ।

भूमि उपयोग निरीक्षणों के लिए समुचित समय चुना जाना आवश्यक है । भू-दृश्यावली का अवलोकन करने के लिए फसलों की बुआई समाप्त होने पर सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ करना चाहिए जिससे सभी भू-दृश्य स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकें । फसल सम्बन्धी निरीक्षण के लिए जब तक फसल खेत में लगी है तब तक ही निरीक्षण का कार्य करना चाहिए । इस प्रकार के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही कृषि भूमि उपयोग सम्बन्धी सर्वेक्षण कार्य जुलाई, बुआई, गुडई, कटाई, मडाई तथा ओसाई आदि अवसरों पर सम्पन्न किया गया था । इन सन्दर्भों में कृषकों से आवश्यक सूचनाएँ भी प्राप्त की गयी थी जिनसे तथ्यों की शुद्धता की जांच करने में बड़ी सहायता मिली है ।

#### (स) प्रतिदर्श गावों का चयन

भूमि उपयोग सम्बन्धी अध्ययनों में शोधकर्ता को या तो सर्वव्यापी विधि अपनानी पड़ती है जिसमें किसी विशेष क्षेत्र की सभी इकाइयों का सर्वेक्षण किया जाता है । जो अपने आप में एक विस्तृत कार्य है अथवा उसे सर्वेक्षण की प्रतिदर्श विधि अपनानी पड़ती है जिसमें कुछ प्रतिनिधि इकाइयों के चयन के आधार पर ही सर्वेक्षण का कार्य पूरा किया जाता है और उस क्षेत्र के विस्तृत सर्वेक्षण के लिए उपयुक्त मानक सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया जाता है । इनसे प्राप्त परिणामों को सम्पूर्ण क्षेत्र के लिए सही और सतोषप्रद मान लिया जाता है । वास्तव में यह प्रतिनिधित्व विधि है । सम्पूर्ण क्षेत्र की भूमि उपयोग का सर्वव्यापी सर्वेक्षण सम्पन्न करने के लिए प्रत्येक खेत का कम से कम तीन से चार बार तक निरीक्षण करना अपेक्षित होता है जिससे वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र की सम्पूर्ण फसल चक्र को अध्ययन करने की सुविधा मिल सके । ऐसा करना अकेले शोधकर्ता के लिए सम्भव नहीं है क्योंकि इसमें बहुत अधिक समय लगता है । इसीलिए त्याज्य समझा जाता है । सम्पूर्ण क्षेत्र सर्वव्यापी सर्वेक्षण पूरा करने का ऐसा कोई दूसरा सतोषप्रद विकल्प भी नहीं ज्ञात हो सका है जिसमें प्रत्येक गाव का मौलिक स्वरूप प्रस्तुत किया जा सके । प्रत्येक गाव की अपनी निजी समस्याएँ होती हैं, जिनका पृथक् रूप में अध्ययन करना चाहिए, परन्तु जब समय और श्रम को ध्यान में

रखा जाता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि का कोई दूसरा सतोषप्रद विकल्प नहीं है । किसी एक शोधकर्ता की परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिनसे वह समय श्रम और द्रव्य व्यय की सीमाओं से बंध जाता है । अतः उसे प्रतिदर्श विधि जैसी ही आवश्यकता है जिसमें वह प्रतिदर्श क्षेत्रों के आकड़ों के अध्ययन द्वारा ही किसी विस्तृत क्षेत्रीय इकाई के लिए सामान्यीकरण प्रस्तुत करता है परन्तु ऐसा करने से अध्ययन की व्यापकता, गहनता और विश्वसनीयता बहुत कुछ क्षीण हो जाती है । फिर भी यादृच्छिक प्रतिदर्श - विधि या इससे मिलती-जुलती अन्य विधि कई विज्ञानों में व्यापक रूप में प्रयोग में लायी जा रही है । अतः भूगोल के अध्ययन में भी प्रतिदर्श विधि विस्तृत पैमाने पर अपनायी जाने लगी है । इस विधि में प्रतिदर्श भाग किसी सम्पूर्ण क्षेत्र का चुना हुआ छोटा अंश मात्र होता है । उसे समुचित नियमों के आधार पर सावधानी से चुना जाता है । वह सम्पूर्ण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है तथा उसके विवेचन के लिए मान्य और पर्याप्त समझा जाता है । इस अध्ययन में प्रतिदर्श विधि निम्न रूप में प्रयोग में लायी गयी है -

#### (अ) प्रतिदर्श विधि की चयन प्रक्रिया

प्रस्तुत अध्ययन में सर्वेक्षण के लिए जो प्रतिदर्श गाँव चुने गये हैं उन्हें मुख्यतः निम्न आधार पर लिया गया है -

1. प्रतिदर्श गाँवों का चयन सम्पूर्ण क्षेत्र में भौतिक पक्षों एवं आर्थिक उपक्रमों को ध्यान में रखकर किया गया है । इनमें तत्सम्बन्धी स्तरीकरण भी निहित है ।
2. प्रतिदर्श गाँव सम्पूर्ण क्षेत्र के सन्दर्भ में विभिन्न पक्षों के सन्तुलन को ध्यान में रखकर चुने गए हैं ।

#### (ब) चयन की प्रक्रिया के पूर्व प्रारम्भिक जाँच

प्रतिदर्श विधि को अपनाने से पूर्व किए जाने वाले निरीक्षणों में क्षेत्र में प्राप्त होने वाले सभी सम्भव तथ्यों एवं आकड़ों के आधार पर भूमिगत जल स्तर, अपवाह, मृदा, प्राकृतिक, वनस्पति, जनसंख्या, सिंचाई, कृषित भूमि तथा अकृषित भूमि आदि का आलोचनात्मक परीक्षण किया गया है - जिसमें तथ्यों को तालिकाबद्ध करके आकड़ों को मानचित्रित करके आवश्यकतानुसार जाँच पड़ताल किया गया है । नीचे की तालिका में अध्ययन क्षेत्र में चयनित प्रतिदर्श गाँवों

के प्रकार और उनकी चयन प्रविधि दर्शायी गयी है -

क्र०सं० - प्रतिदर्श गावों के प्रकार

- यादृच्छिक प्रतिदर्श चयन विधि

1. शुद्ध कृषित भूमि -

इसके अन्तर्गत प्रतिदर्श गाँव के रूप में 'बौरा' का चयन किया गया है। यह गाँव शुद्ध कृषित भूमि का उपयुक्त उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस गाँव का कुल क्षेत्रफल 102.4 एकड़ है जिसका 93.69% भाग शुद्ध कृषित भूमि के अन्तर्गत आता है।

2. कृष्य बजर भूमि -

वह भूमि जिस पर वर्तमान में कृषि नहीं की जाती है, परन्तु पूर्व में कृषि की जाती थी। भविष्य में कृषि के क्षेत्र में तकनीकी विकास, या उपकरणों तथा कृषि साधनों के विस्तार के फलस्वरूप ऐसी भूमि कृष्य भूमि में परिवर्तित हो सकती है।

ग्राम - गोपालपुर कृष्य बजर-भूमि का एक उपयुक्त उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस ग्राम का कुल क्षेत्रफल 342 एकड़ है, जिसका 20.64% भाग कृष्य बजर भूमि के अन्तर्गत है। इतने इसे इस कोटि में रखा गया है।

3. कृषि हेतु अप्राप्य भूमि -

अध्ययन क्षेत्र के जितने भू-भागों पर आवसीय या सांस्कृतिक क्षेत्र, जल क्षेत्र का विस्तार है उसे कृषि हेतु अप्राप्य भूमि के अंतर्गत रखा गया है। कटिहार जनपद के कटिहार प्रखण्ड, जो कि अध्ययन क्षेत्र है, के अंतर्गत 'कजरो' ग्राम इस प्रकार का एक उपयुक्त उदाहरण प्रस्तुत करता है। जिसका क्षेत्रफल 211 एकड़ है तथा कुल भूमि का 24.67% भाग कृषि हेतु अप्राप्य भूमि के अंतर्गत है। अतः इस गाँव को इस श्रेणी में रखा गया है।

4. दो फसली भूमि - इस गाँव का चयन मुख्य रूप से रबी एवं खरीफ फसलों के अन्तर्गत दो फसली क्षेत्र के आधार पर किया गया है। प्रतिदर्श गाव के रूप में 'शकरपुर' दो फसली भूमि का उपयुक्त उदाहरण प्रस्तुत करता है, क्योंकि इस गाँव का कुल क्षेत्रफल 107 63 एकड़ है, जिसका 90 32% भाग दो फसली भूमि के अन्तर्गत आता है।
5. सिंचित क्षेत्र - इस कोटि के लिए प्रतिदर्श गाँव के रूप में 'परियाग दह' का चयन किया गया है। मौसमी फसल रबी के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्र का निरीक्षण किया गया जिसमें ग्राम 'परियाग दह' के शुद्ध कृषि क्षेत्र 143 79 एकड़ का 43 35% भाग सिंचित है। इस दृष्टि से ग्राम 'परियाग दह' को इस श्रेणी में रखा गया है।
6. गैर आबाद गाँव - गैर आबाद गाँव का चयन प्रखण्ड के प्रतिदर्श गैर आबाद गावों के फसल समिश्रण के आधार किया गया है। इस परीक्षण में यह पाया गया है कि जो गाँव गैर आबाद होते हैं वहाँ फसलों का समिश्रण प्रायः नहीं होता है या होता भी है तो कम। इस दृष्टि से ग्राम 'सहसिया' को उपयुक्त पाया गया है।
7. अभ्यन्तर गाँव - वह गाँव जो मुख्यालय से दूरस्थ स्थित हो तथा आने जाने की कोई सुविधा नहीं हो (तात्कालिक सुविधाओं से वंचित हो) ऐसे गाँव को दूरस्थ स्थित गाव के श्रेणी में आते हैं। इस गाँव के चयन में शोधकर्ता ने अपने निरीक्षणों से प्राप्त अनुभवों का भी प्रयोग किया है - इस श्रेणी में कटिहार प्रखण्ड के गाँव 'फरही' को चुना गया है।



8. **बाढ़ग्रस्त गाँव -** सरकारी अभिलेखों एवं व्यक्तिगत निरीक्षणों के फलस्वरूप फसलों का बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण बाढ़ प्रभावित गाँव के रूप में "रकसा" गाँव को चुना गया है, क्योंकि इस गाँव की खरीफ की फसल बाढ़ से पूर्णतया नष्ट हो जाती है ।
- 9 **यातायात उन्मुख गाँव -** यातायात उन्मुख प्रतिदर्श गाँव का चयन व्यापार के आधार पर किया गया है । इसका निर्धारण कटिहार से बारसोई जाने वाली सड़क एवं रेलमार्ग के निकट स्थित गाँवों के अन्तर्गत व्यापार करने वाले व्यक्तियों के आधार पर किया गया है क्योंकि दुकाने एवं अन्य व्यापारिक कार्य कहीं अधिक होंगे जहाँ यातायात की विशेष सुविधा होगी । इस दृष्टि से कटिहार प्रखण्ड के ग्राम "खैरा" को प्रतिदर्श के रूप में चुना गया है ।

### 1.9 विषय वस्तु से सम्बन्धित प्रत्यय एवं परिभाषाएँ

इस अध्ययन क्षेत्र में विषय-वस्तु से सम्बन्धित कई प्रत्यय एवं परिभाषाएँ प्रयोग में लायी गयी हैं । उनका परम्परागत प्रयोग निम्न प्रकार है -

#### (अ) ग्राम :-

ग्राम शब्द का प्रयोजन उस निश्चित भू भाग से है जो भूकर सर्वेक्षणों द्वारा प्रदर्शित प्रायः किसी एक केन्द्रीय और नियमित बस्ती से सम्बन्धित कृषि भूमि या सहक्रिया के प्रयोग पर निर्भर है । ऐसे प्रत्येक भू भाग का 'ग्राम' के रूप में अलग-अलग सकेताक होता है । इनमें आबादी के स्थानों को तत्सम्बन्धी बस्ती के नाम से पुकारा जाता है । ग्राम की यह परिभाषा यूरोपीय प्रत्यय से भिन्न है । यूरोप में (मुख्य रूप से ब्रिटेन में) कृषि क्षेत्र में किसी भी बाजार को जो अंशतः औद्योगिक तथा अंशतः आवासीय केन्द्र होता है , गाँव कहते हैं । यह कस्बे से छोटा होता है । गाँव से बाहर कृषि भूमि पर खेती का कार्य करने वाले लोग खेतों में अपने छोटे-छोटे घर बनाकर बस जाते हैं

तथा बिखरे होते है और इन्हे 'कृषि झोपडियों' की सजा दी जाती है ।<sup>55</sup>

इस अध्ययन क्षेत्र मे भारतीय गाव का प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है जिसमे गाव निर्धारित सीमाओं के अन्तर्गत एक सुसंगणित कृषि क्षेत्र है। इस प्रखण्ड मे प्रतिदर्श गावों का विस्तार 36 42 एकड से लेकर 408 95 एकड तक पाया जाता है। यहा यूरोप जैसे कृषि कुटीर अधिवास की भांति गाव खेतों मे बिखरे हुए नहीं होते बल्कि वे एक सुसंगठित इकाई के रूप मे प्राय एक ही स्थान पर सघन रूप मे बसे होते है जिनमे भू-स्वामी और कृषि श्रमिक भी साथ-साथ उसी अधिवास मे निवास करते है। भारतीय जनगणना की व्याख्या के अनुसार 'गांव' भवन सर्वेक्षणों द्वारा निर्धारित सीमाओं वाला एक भू-भाग है। कुछ घरों के एक समूह को स्थानीय नाम दे दिया जाता है। उसे गाव कहा जाता है। लेकिन सर्वदा ऐसा नहीं होता।<sup>56</sup> क्योंकि कभी-कभी गांव के साथ पुरवे भी मिले होते है। ऊपर की परिभाषा से यह स्पष्ट हो जाता है कि गाव एक सामाजिक इकाई या आबादी सम्बन्धी इकाई के लिए प्रयुक्त नहीं होता। यह एक ऐसी इकाई को व्यक्त करता है जो प्रधानत राजस्व या प्रशासनिक इकाई है। यद्यपि यह सच है कि साधारणतया गाव आबादी की एक ऐसी इकाई को कहते है जिसमे कुछ घरों का एक या अनेक समूह कृषिगत भूमि के बीच मे स्थित होता है और जो निश्चित सीमाओं को व्यक्त करता है किन्तु कभी-कभी ऐसा नहीं भी होता है। गांव अपने आकार के समरूप महत्वपूर्ण इकाई को तो व्यक्त करता ही है, साथ ही साथ वह अपना भिन्न अस्तित्व की प्रस्तुत करता है। गाव का एक राजस्व मौजा<sup>x</sup> होता है। इस प्रखण्ड मे गावों की कुल सख्या 126 है जिनमें आबाद गावों की सख्या 113 तथा गैर आबाद गावों की सख्या 13 है।<sup>57</sup>

### (ब) टोला (ग्राम खण्ड)

कुछ घरों का एक समूह जो राजस्व मौजे की आबादी या बस्ती का एक अंश होता है, 'टोला' कहलाता है। कभी-कभी टोला मुख्य गांव से कुछ दूर पर होते हैं। एक से अधिक टोले एक ही राजस्व मौजे में मुख्य गांव से कुछ दूरी पर पाये जाते हैं, उनमें से केन्द्रीय और प्रारम्भिक बस्ती को मुख्य गाव कहते है और उसके निकट की बस्तियों को टोला कहते है। जब मुख्य गांव बडा होता है तो उसके भिन्न-भिन्न भागों को भी टोले कहते हैं। कभी-  
 x 'मौजा' उर्दू का शब्द है जो एक गाव का भाग होता है। इसका अब भी प्रयोग किया जाता है।

कभी टोले से उसी गाव मे भिन्न-भिन्न जातियों के अधिवास का भी बोध होता है।

(स) खेत (उप सर्वेक्षण क्षेत्र या उप कृषि क्षेत्र)

किसी भी गाव मे सम्पूर्ण क्षेत्र छोटे-छोटे भू-खण्डों मे विभक्त रहते है और इसका सदर्थ - राजस्व अभिलेखो जैसे खसरा एव खतोनी मे और तत्सम्बन्धी मानचित्रों मे अंकित रहता है। प्रत्येक खेत का अपना एक सकेताक होता है, जिसको खसरों का क्षेत्राक का सर्वेक्षण क्षेत्रांक कहते है।

(द) अधिकृत भूमि (भूमि पर कानूनी या व्यावहारिक अधिकारी)

सम्पूर्ण भूमि चाहे वह कृषि योग्य हो या न हो एक या एक से अधिक लोगों द्वारा प्रयोग मे लायी जाती है या उसके अधिकार मे होती है। कभी-कभी वह सरकारी या सस्थाओ के अधिकार मे या प्रयोग मे भी होती है। इन सभी प्रकार के अधिकारों या व्यावहारिक प्रयोगों का यथा सम्भव शीर्षक के अनुसार व्यक्तियों, सस्थाओं या सरकार के नाम से अभिलेख रखा जाता है। ऐसे अभिलेखो मे भूमि का एक चप्पा हो सकता है जो एक ही गांव में स्थित हो या भूमि के बहुत से चप्पे (टुकडे) भी हो सकते है जो एक या अनेक गावों मे स्थित हो। आर्थिक या प्रशासनिक दृष्टि से उनका प्रबन्ध जिलाधिकारी के अन्तर्गत आता है। भूमि की कानूनी और व्यावहारिक अधिकार के अनुसार तीन प्रकारों मे विभक्त किया जाता है- जो निम्न हैं-

- 1 स्वामित्व प्रधान भूमि
- 2 उपयोग प्रधान भूमि
- 3 व्यावहारिक प्रयोग हेतु प्रबन्धाधिकरण द्वारा या अन्य स्रोतों द्वारा पट्टे पर दी गयी भूमि ,

यह ध्यान देने योग्य बात है कि प्रयोग मे आने वाले कुछ खेत या चप्पे कृषि कार्य मे नहीं लाये जाते, बल्कि वे अन्य कार्यों मे प्रयुक्त होते है।

सदर्भ-सूचिका ( REFERENCES )

1. दत्त, ज्ञानेन्द्र कुमार भूमि उपयोग-मूल्याकन एव मानचित्रण राष्ट्रीय एटलस एवं थिमैटिक मानचित्रण सगठन- कलकत्ता 1988, पृ0. 1
2. अग्निहोत्री एन0 के0 एवं अग्निहोत्री सुनीता - भूमि उपयोग मानचित्रण, राष्ट्रीय एटलस एव थिमैटिक मानचित्रण सगठन - कलकत्ता 1986, पृ0 1
3. उपर्युक्त पृ0 ।
4. गोरी शंकर, भूमि उपयोग - मूल्याकन एव मानचित्रण राष्ट्रीय एटलस एवं थिमैटिक मानचित्रण सगठन, कलकत्ता 1988, पृ0 44
- 5 मिश्र सूर्यमणि - भूमि उपयोग - मूल्याकन एव मानचित्रण राष्ट्रीय एटलस एव थिमैटिक मानचित्रण सगठन, कलकत्ता 1988, पृ0 19
6. *Sharma, S.C. Land utilization in Sadabad Tahsil (Mathura) U P., India, Unpublished Ph.D. Thesis, Agra University 1966, p.5.*
7. सिंह, बी0एन0 - देवरिया तहसील मे कृषि भूमि उपयोग (अप्रकाशित शोध प्रबन्ध) 1984, पृ0 ।
8. *sharma, S.C., p 6.*
9. *Stamp, L.D. : The land of Britain · Its use and Misuse, 1962, p 426.*
10. *Chatterjee, S.P. : Land use survey in India, Proceedings of International Geography Seminar, Aligarh, India, 1956, Chatterjee, S.P. Land use Survey in India, proceedings of Summer school in Geography, Simla India, 1962*
11. *Sharma, S.C. : Land utilization in Sadabad Tahsil (Mathura) U P., India, Unpublished Ph.D. Thesis, Agra University 1966, p.7.*

12. *Ibid*, p 8
13. *Ibid*, p 9
14. *Ibid*, p 9
15. **Chauhan, D.S.** : *Studies in utilization of Agricultural land*, Agrawal and Compeny, Agra, 1966, pp 22-24.
16. **Wood, H.A.** : *A Classification of Agricultural land use for Development planning*, International Geog (22nd I G U Canada) Uni of Toronto Press 1972, p 1106
17. **Vanzetti, C.** : *Land use and Natural vegetation in International Geography*, Edited by W. Peter Adems and Fredrick, M Halleiver, Toronto University 1972, pp. 1105 - 1106.
18. **सिंह, ब्रजभूषण** कृषि भूगोल, तारा पब्लिकेशन, वाराणसी 1979, पृ0 105
19. "Land use is the actual and specific use to which the land surface is put in terms of inherent land use characteresties J W. Fox, 1956.
20. **Barlowe, R. and Johnson, V.W.** *Land Problems and Politicies*, MC Graw Hill Book Company, Inc New York, 1954, p. 99
21. **Kariel, B.G. and Kariel, P.E.** *Explorations in Social Geog Addision welsley Publishing Comp. 1972. p.172.*
22. **सिंह, ब्रजभूषण** कृषि भूगोल पृ0 105
23. **Sharma, S.C.** "Land utilization in Sadabad Tahsil (Mathura) U P. India, 1966 p.11.

24. Ibid - p 11
25. Ibid - p. 12
26. Marsh, G.P. : Man and Nature, Physical Geography As Modified, by Human Action New York, 1864.
27. Sauer, C.O., Mapping The Utilization of Land Geographical Recieve, Vol 4, 1919 New York.
28. Jones, W.D., and Finch, V C. Detailed Field Mapping of American Geographer, Vol. 15, 1925 nemmea Polis.
29. Stamp, L.D., The land of Britain its use and Misuse, 1962, p 21
30. Buck J.L. Land utilization in china, Nanking University Press, 1937, pp 7-8
31. A World Land use survey, Geographical Journal, Land on 1950, Vol C XV, pp 223 - 226.
32. The National survey, Report No.3, Tables with notes on the Third Round August - Nov 1951, submitted to the Govt of India in Aug. 1953 and published in March 1954.
33. The standing technical sub-committee All India Soil Land use survey, Central Soil conservation Board, Soil surruy Manual India Agricultural Research Institute, New Delhi, 1960
34. Chatterjee, S.P. : Field years of science in India, Indian Science Congress Association, Culcutta, 1963. p.145

35. Chatterjee, S.P. : Land utilization in the District of 24 Parganas, West Bengal, B.C. Law, Part 2, Calcutta, 1945.

Chatterjee, S.P. : Land utilization survey of Howrah District, Geographical Review of India, 1954, 14(3).

36. Prakash Rao, V.L.S. . Soil Survey and Land use Analysis Indian Geographical Journal 1947, 22(3).

Prakash Rao, V.L.S. . Land use Survey in India- Its Scops and Problems, Proceeding of International Geography Seminar India, 1956

37. Bhardwaj, O.P. : Problems of Soil Erosion in East Jullunder Doab (Punjab) 1960, N.G J.9 pp. 159-175.

Bhardwaj O.P. : Land use in the low land of beas in the Bist Jullunder Doab, 1961, N G J.9 Vol 4, pp.257-68

Bhardwaj, O.P. : Land use in the low land of sutlaj in the Bist Jullunder Doab. Sample studies 1964 X.1 pp 1-25

38. Shafi, M: Land utilization in Eastern Uttar Pradesh, Aligarh, 1960

39. Shafi M. measurment of Agricultural Efficiency in Uttar Pradesh, Economic Geography 1960 Vol 36(4)

Shafi, M. : Agricultural Efficiency in Relation to Land use survey in Uttar Pradesh, Geographical outlook 1962, Vol. 3(1).

40. **Bhatia, S.S.** : Pattern of Crop concentration and Diversification of in India, Economic Geogerahy 1965, Vol, 44 pp 39 - 56
41. **Singh, Jasbir,** "Spatial Temporal Development in land use Efficiency in Haryana state', Geographical Reveiw of India, Culcutta, 1972, Vol pp 312 - 326
42. **Singh, Jasbir,** A New Technique of Measuring Agricultueal Productivity in Haryana (India), The Geographer, 1952, Vol -19, pp. 14 - 33
43. **Singh, B.B.** "Land use Efficiency, stage and optimum land use." Uttar Bharat Bhoogol Patrika, Gorakhpur, 1971, Vol-7(2), pp 85 - 101
44. **Tyagi, B.S.** : "Agricultural Intensity in chunar Tahasil, Distt. Mirzapur, U P. N G J I. of India, 1972, Vol 18(1), pp 42 - 48
45. **Singh, Harpal** : "Crop Combination Regions in Malwa Tract of Punjab" Deccan Geographer, 1965, Vol - 8(1) pp. 21 - 30
46. **Ray, B K.** Crop Association and changing pattern of Crops in Ganga - Ghoghra Doab East N.G J.I , 1967, Vol-13(4), pp 144 - 207
47. **Tripathi V.B. and Agrawal, V.** : Changing pattern of Crop Land use in lower Ganga Yamuna Doab,, The Geographer 1968, Vol-15, pp. 128 - 140
48. **Sharma, T.C.,** "Pattern of Crop land use in Uttar Pradesh" The Deccan Geographer 1972, Vol -34, pp. 46 -60.



49. **Nitya Nand,** : 'Crop Combination Regions in Rajasthan " Geographical Review of India 1972, Vol -34 pp. 46 - 60
50. **सिंह बी० एन०** ,: देवरिया तहसील मे कृषि भूमि उपयोग (अप्रकशित शोध प्रबन्ध ) 1984, पृ० पृ० 316 - 322
51. **Bhatia, S.S.** : "Pattern of Crop Concentration and Diversification in India " *Economic Geography* 1965, Vol, 41 pp 39 - 56.
52. **Hussain Majid,** . "Pattern of Crop concentration in Uttar Pradesh," *Geog. Review of India* 1970, Vol. 32(3) pp 169 - 185.
53. **Singh Jasbir,** : "Agricultural Atlas of India." Kuru<sup>~</sup>Khetra, 1974
54. **Tiwari, P.S.,** : " Agricultural Atlas of Uttar Pradesh", 1970
55. **Baron Meston** : *The Geography of an Indian Village,* *Geography a quarterly Journal of the Geographical Association, Manchester, March 1955, No 107, Vol.XX Part 1, pp 1-2*
56. *Census of India, 1951, Part II a Demographic Table, p 2*
57. जनगणना पुस्तिका, जनपद कटिहार 1981

XXXXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

अध्याय - द्वितीय

भौतिक स्वरूप

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXX

## अध्याय - द्वितीय

### भौतिक-स्वरूप


#### 2.1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि -

अध्ययन क्षेत्र बिहार राज्य के उत्तरी-पूर्वी भाग जनपद कटिहार का एक भूखण्ड है जो 3 अक्टूबर 1973 से पूर्व पूर्णिया जनपद का अनुमण्डल था। इस स्थान का नाम 'कटिहार' क्यों पड़ा ? इसकी पृष्ठभूमि में अनेक ऐतिहासिक तथ्य निहित हैं। इसका उत्तर तीन प्रकार से ढूँढने का प्रयास किया जाता है। सर्वप्रथम कुछ लोग शिव और सती से संबंधित किंवदन्ती का हवाला देते हैं। कहा जाता है कि अपने पिता द्वारा पति की उपेक्षा से दुखित सती ने यज्ञ के हवन कुण्ड में प्राणोत्सर्ग कर दिया और उसके शव को अपने कंधे पर लाद शिव उद्मान्त विचरण के क्रम में कटिहार के भू-भाग से होकर गुजरे थे। इस स्थान पर चूँकि मती की कटि का हार खंडित होकर गिर गया था, अतः इस स्थान का नाम कटिहार पड़ा।<sup>1</sup>

कटिहार के नामकरण का संबंध महाभारत की एक कथा से भी जोड़ा जाता है। कहते हैं कि दुर्योधन की शर्त के अनुसार पाँचों पाण्डवों को बारह वर्ष का वनवास के बाद एक वर्ष अज्ञातवास करना पड़ा था। अज्ञातवास की अवधि को पाण्डवों ने मत्सराज विराट के यहाँ छद्मवेश में व्यतीत किया था। विराट पुत्री उत्तरा को नृत्य का प्रशिक्षण देने हेतु इन्द्र को अप्सरा मेनका के अभिशाप स्वरूप अर्जुन को बृहन्ला नाम धेयी नारी का रूप धारण करना पड़ा था। अपने पुरुषत्व के प्रतीक समस्त आयुधों एवं वस्त्रादि को अर्जुन ने कारी कोशी (कटिहार और सेमापुर के बीच प्रवाहित नदी) के तट पर स्थित समीवन (जिसका उल्लेख महाभारत में है तथा जिसके नाम पर आज सेमापुर है) के अन्तर्गत एक शमी वृक्ष पर अपने कटि में हार पहनकर नारी रूप धारण किया था। फलतः इस क्षेत्र एवं स्थान का नाम कटिहार पड़ा।<sup>2</sup>

डा० फ्रांसिस बुकानन एवं डा० हरदर महोदय का कथन है कि बहुत दिन पूर्व कोसी नदी कटिहार और कोटा थाने के निकट से प्रवाहित होती हुई मनिहारी के पास गंगा नदी में मिल जाती थी। कोसी नदी के कछार पर बसने के कारण कटिहार क्षेत्र का भी नाम पहले 'कोसी कछार' या 'कोसी अरार' रहा होगा जो अब भ्रष्ट होकर अथवा जन-जिह्वा

# LOCATION OF KATIHAR PRAKHAND



B




Fig 2 1

पर घिसते-घिसते कोशियार या कशियार और पुन कटिहार के रूप में परिवर्तित हो गया होगा। ऐसे कटिहार का पहले नाम शौफगज था। उस समय रेलवे स्टेशन नहीं था, जब रेलवे स्टेशन का नामकरण किया जाने लगा तो बगल में दीपी कटिहार गाँव के नाम पर कटिहार स्टेशन रखा गया।<sup>3</sup>


## 2.2 अध्ययन क्षेत्र की अवस्थिति -

कटिहार प्रखण्ड का विस्तार  $25^{\circ}28'$  -  $25^{\circ}44'$  उत्तरी अक्षांश एवं  $87^{\circ}32'$  -  $87^{\circ}43'$  पूर्वी देशान्तरों के मध्य विस्तृत है। इससे जनपद के मध्य उत्तरी भाग में प्रखण्ड का निर्माण होता है। इसके दक्षिण पूर्व में आजमनगर, उत्तर पूर्व में कढ़वा, दक्षिण में प्राणपुर, दक्षिण पश्चिम में बरारी, उत्तरी-पश्चिमी भाग में जनपद का कोठा प्रखण्ड तथा पूर्णिया जनपद स्थित है। (चित्र स0 1 एवं 2)।


कटिहार प्रखण्ड की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 26807 हेक्टेयर है। 1991 की जनगणना के अनुसार प्रखण्ड की कुल जनसंख्या 127683 थी जो जनपद में प्रथम जनसंकुल प्रखण्ड होने का श्रेय प्रदान करती है। प्रशासनिक दृष्टि से कटिहार प्रखण्ड के अन्तर्गत 20 न्याय पंचायत, (चन्देली भर्मा, जगन्नाथपुर, राजपारा, रामपुर, जवडा पहाड़पुर, विजेली, डुमरिया, महमदिया, बलुआ, राजभवाडा, दलन, बेलवा, बौरनी, द्वाशे, सौरिया, डड खोरा, रघेली, हफलागज, मधेपुरा, परतेली), एक अचल पदाधिकारी एक प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, एक क्षेत्रीय निरीक्षक, एक पंचायत पर्यवेक्षक एवं 126 ग्राम सभाओं में विभाजित किया गया है। प्रखण्ड के अन्तर्गत 20 पंचायत-सेवक, 12 जनसेवक (हल्कावार) कार्यरत है।

## 2.3 सरचना -

अध्ययन क्षेत्र कोसी और उसकी सहायक नदियों के जलोढ से निर्मित है। चटर्जी ए0 एवं राय आर0 के0 विद्वत द्वे ने अपने 1977-78 के सर्वेक्षण के आधार पर कटिहार को सरचनात्मक दृष्टि से निम्न भागों में विभाजित किया है (सारणी 2।)।



KATIHAR PRAKHAND ADMINISTRATIVE DIVISIONS



- NATIONAL BOUNDARY
- STATE BOUNDARY
- DISTRICT BOUNDARY
- PRAKHAND BOUNDARY
- NYAYA PANCHAYAT BOUNDARY
- VILLAGE BOUNDARY
- RAILWAY LINE SINGLE
- RAILWAY LINE DOUBLE
- NATIONAL HIGHWAY
- ⊙ DISTRICT H Q
- ⊙ PRAKHAND H Q
- NYAYA PANCHYA H Q

Fig 2 2

## सारणी - 2.1

<i>Geological Time</i>	<i>Land System</i>	<i>Land Form</i>
<i>Recent</i>	<i>Active meander</i>	<i>(i) Abandoned channel</i>
		<i>(ii) Aggraded/Partially aggraded channel</i>
	<i>Bet</i>	<i>(iii) Channel Bar</i>
		<i>(iv) Active Channel</i>
		<i>(v) Flood Plain</i>
<i>Recent to Holocene Older</i>	<i>Flood Plain</i>	<i>(i) Aggraded/Partially Aggraded Channel</i>
		<i>(ii) Abandoned Channel</i>
		<i>(iii) Meander cut off Or low lake</i>
		<i>(iv) Meander Scar</i>
		<i>(v) Swamp, seasonal</i>
		<i>(vi) Flood Plain</i>
<i>Holocene</i>	<i>Katihar</i>	<i>(i) Flood Plain</i>
	<i>Terrace</i>	<i>(ii) Seasonal Swamp</i>

स्रोत:-E.R.G.S.I. Cal.D.O. No. 97/78 Survey map 1977-78

संरचनात्मक दृष्टि से अध्ययन क्षेत्र में होलोसीन युग से लेकर अद्यतन जमाव हुआ है । इन तीनों ही कालों में विभिन्न तरह की भू-आकृतियों का निर्माण हुआ है । क्षेत्र का उत्तरी भाग कोशी की सहायक नदियों द्वारा अद्यतन जमाव किया गया है । सामान्यतया इस क्षेत्र के ऊपरी भागों में मुलायम संगठन तथा मध्यम एवं निम्न धरातल वाले क्षेत्रों में कठोर

# KATIHAR PRAKHAND PHYSIOGRAPHY & DRAINAGE PATTERN




Fig 2 3



संगठन देखने को मिलता है। पूर्वी भाग में पतली पट्टी के रूप में उपरवार क्षेत्र है जहाँ पर धूस और भूरी धूस प्रकार की संरचना देखने को मिलती है। इस भाग में मध्यम से लेकर कठोर संगठन की संरचना देखने को मिलती है। यह भाग की मृदा लोह एवं मैंगनीज धातुओं से सम्पन्न है।

दक्षिणी भाग की संरचना यत्र-तत्र उच्च भूमियों वाला है। इन उच्च भूमियों पर बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता है। इस भाग में भी हल्की से लेकर कठोर प्रकार की संरचना देखने को मिलती है।<sup>4</sup>

लेकिन इस प्रखण्ड का दक्षिणी भाग निम्न धरातल वाला है और प्रत्येक वर्ष बाढ़ का जल इन भागों में पहुँच जाता है। भ्वाकृतिक दृष्टि से अध्ययन क्षेत्र को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है (चित्र सं0 3)।

- (1) उपरवार क्षेत्र
- (2) निम्न क्षेत्र
- (3) नदी बेसिन

उपरवार क्षेत्र का विस्तार लगभग 45% भाग में उत्तरी एवं पश्चिमी भाग में है। निम्न संरचना का धरातल दक्षिणी तथा पूर्वी भाग में विस्तृत है। जबकि नदी बेसिन अध्ययन क्षेत्र में कोशी एवं महानदी की सभी सहायक नदियों के प्रवाह मार्गों में दोनों ही तरफ एक पतली पट्टी में विस्तृत हैं। इस भाग की नदियों ने क्षेत्र को भरपूर अपरदित किया है। ये नदियाँ अपने प्रवाह-मार्ग को इस भाग में हमेशा बदलती रहती है। यह अद्यतन जमाव का क्षेत्र है।

#### 2.4 उच्चावच :-

अध्ययन क्षेत्र नदियों द्वारा लाई गयी जलोढ़ मिट्टी द्वारा निर्मित समतल मैदान है जिसकी सागर तल से ऊँचाई लगभग 31.2 मीटर है। क्षेत्र का सामान्य ढाल उत्तर से दक्षिण

तथा उत्तर-पश्चिम से दक्षिण पुरब की ओर है । अध्ययन क्षेत्र के अधिकांश न्याय-पचायत उपरवार एव मध्यम कोटियों में है । उत्तरी भाग के पाच न्याय पचायत निम्न धरातलीय क्षेत्र वाला है । उत्तरी भाग में पुरातन जलोढ मिलता है जिसके नीचे ककड का जमाव मिलता है । जबकि दक्षिणी भाग के नये जलोढ भाग में औसत ऊँचाई लगभग 29 मीटर है जो उत्तर-पश्चिम में बढ़कर 33 मीटर हो जाती है । कारी कोसी नदी के प्रवाह मार्गों के परिवर्तन के फलस्वरूप अध्ययन क्षेत्र में अनेक छोटी नदियाँ, छाडन, झील तथा जलाशय निर्मित हो गए हैं जिनके कारण इस मैदान में कुछ हद तक व्यक्तिक्रम आ गया है । उच्चावचन ढाल प्रवणता, मृदा प्रकार, जल-प्रवाह आदि के आधार पर इस मैदान को दो भौतिक क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है जो निम्नवत् है -

(अ) बाँगर क्षेत्र

(ब) कछारी क्षेत्र

(अ) बाँगर क्षेत्र - बाँगर क्षेत्र को उच्चावच, ढाल प्रवणता के आधार पर पुन दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है ।

(1) निम्न बाँगर क्षेत्र

(2) उच्च बाँगर क्षेत्र

(1) निम्न बाँगर क्षेत्र :-

अध्ययन क्षेत्र का यह भाग उत्तरी तथा पश्चिमी भाग में पूर्णिया जनपद एव कदवा प्रखण्ड से लगा हुआ है । इसमें बलुआही मिट्टी की प्रधानता है, जो इस मैदानी भाग में अपेक्षकृत नवीनतम जमाव के फलस्वरूप निर्मित हुई है । इस जमाव का विकास 'कोरी-कोशी' द्वारा हुआ है । यह नदी प्रधान 'कोसी-नदी' की शाखा है । इसके द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से परत दर परत जमाव से निर्माण हुआ है । इस भाग में बालू का अंश अधिक है । निम्न बाढ़ों के समय यह क्षेत्र आंशिक रूप से जल प्लावित हो जाता है । इसके अन्तर्गत चन्देली

भर्ना, राजपारा, महमदीया, द्वाशे, रघेली, विजैली न्याय पचायत सम्मिलित है । नदियों के प्रवाह मार्गों के अनुसार इस क्षेत्र का सामान्य ढाल उत्तर - पश्चिम से दक्षिण-पूर्व की ओर है । इस भाग का सम्पूर्ण क्षेत्रफल 6822 हे० है जो कटिहार प्रखण्ड के कुल क्षेत्रफल का लगभग 25.44 % है । यह क्षेत्र मक्का, बाजरा एवं कुल्थी की कृषि के लिए विशेष उपयुक्त है ।

## ( 2 ) उच्च बाँगर क्षेत्र -

इसका विस्तार अध्ययन क्षेत्र के मध्यवर्ती भाग में उत्तर से दक्षिण की ओर है । यह भाग अध्ययन क्षेत्र का हृदय स्थल है, जो प्राकृतिक आपदाओं (जैसे -बाढ़-सूखा आदि) से कम प्रभावित होता है । इसका विस्तार लगभग 7495 हे० क्षेत्र पर है, जो इस प्रखण्ड के सम्पूर्ण भाग का लगभग 28% है । यह भाग प्राचीन जमाव वाली बाँगर (मटियार) मिट्टी से निर्मित हुआ है जहाँ बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता । यदि पहुँचता भी है तो बड़ी बाढ़ के समय, जिससे फसल की बर्बादी कम होती है । यह बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है, जो चावल की खेती के लिए विशेष उपयुक्त है । इसके अलावा केला, पटसन तथा रबी की फसल के लिए भी उपयुक्त है । इस क्षेत्र में जगन्नाथपुर, रामपुर, बलुआँ, राजभवाडा दलन तथा वेलवाँ न्याय पचायत को सम्मिलित किया जा सकता है । इन क्षेत्रों में दो फसली फसलों का उत्पादन बड़े पैमाने पर होती है । यह धान तथा पटसन प्रधान उपजाऊ क्षेत्र है ।

(ब) कछारी क्षेत्र - इस क्षेत्र का विस्तार अध्ययन क्षेत्र के नदी-घाटी क्षेत्र में न्याय पचायत डुमरिया, जवडा पहाड़पुर, मधेपुरा, परतेली एवं हफलागज को सम्मिलित किया जा सकता है । इस भाग में अपेक्षाकृत मन्द ढाल मिलता है । सामान्य ढाल उत्तर से दक्षिण है लेकिन दक्षिणी भाग का ढाल उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व की ओर है । यह क्षेत्र कोसी एवं उसकी सहायक नदियाँ कोसी धार, कमला, मोनाली, फरही नदियों द्वारा निर्मित नवीन जलोढ़ मिट्टी से बना है । इसको 'नवीन-खादर' का क्षेत्र भी कहा जा सकता है । यह अद्यतन जमाव का भू-भाग है । इसमें कई छोटी-छोटी नदी एवं नालें हैं । इस क्षेत्र से लगभग 40 किमी० दक्षिण-पश्चिम में कोशी एवं गंगा नदी का रागम है जो अध्ययन क्षेत्र से बाहर है । वर्षा ऋतु में यह भाग जलमग्न हो जाता है । जिससे खरीफ की फसलें 80% से अधिक नष्ट हो जाती हैं ।

## 2.5 अपवाह तन्त्र -

किसी भू-भाग के अपवाह का सीधा सम्बन्ध उसके धरातल के स्वरूप एवं सरचना होता है । यहाँ तक कि उस पर धरातल की ऊपरी सतह के व्यक्तिक्रमो और अधोभौमिक तलों की विशेषताओं का भी प्रभाव पडता है । इस सम्बन्ध में प्रो० स्टैम्प का यह कथन बहुत ही प्रामाणिक और अनुकूल प्रतीत होता है कि धरातल की सरचना और उसके स्वरूप में अत्यन्त निकट का सम्बन्ध होता है और वे धरातल के अपवाह को पूर्णत प्रभावित करते हैं धरातलीय और अधोभौमिक अपवाहों के बीच भी अन्तर है । ब्रिटेन के सम्बन्ध में लिखते हुए उन्होंने बताया है कि इस देश के अधिक भाग पर अधिक वर्षा के फलस्वरूप अच्छे धरातलीय अपवाह की आवश्यकता प्रतीत होती है, जिसे सुविधा देने के लिए गड्ढों को काटकर तेज जल-प्रवाह उत्पन्न किया जा सकता है । परिणामस्वरूप मृदा अपरदन के होने वाले भायनक खतरे को तीव्र ढालों पर घास या जंगल उगाकर रोका जा सकता है । जंगलों से विशेष लाभ भी होता है । घास स्पृज की भौति कार्य करती है । पानी जब प्रवाहित होकर नीचे आता है तो ये घास उसे अवरुद्ध करके धीरे-धीरे मुक्त करती है । इस प्रकार वे भूक्षरण को रोकने में विशेष सहायक होती है । भारत तो ब्रिटेन से भी अधिक वर्षा वाला देश है । इस देश में भी जहाँ कहीं अधिक वर्षा होती है, वहाँ स्टैम्प महोदय द्वारा वर्णित ब्रिटेन की अपवाह समस्या से भी उग्र दशाएँ मिलती हैं ।

शोध क्षेत्र के अन्तर्गत प्रवाहित होने वाली कोसी एवं उसकी सहायक नदी कारी कोसी ने धरातल के अपवाह को कई प्रकार से प्रभावित किया है। इनमें नदी मोड़ें (मियाण्डर्स) विशेष रूप से विकसित हुए हैं।

वास्तव में अध्ययन क्षेत्र के अपवाह के विकास में मृदा सरचना का विशेष प्रभाव परिलक्षित होता है । क्षेत्र की बलुअर दोमट मिट्टी घुलनशील है, जिससे इसका अपरदन सरलता से होता है । यही कारण है कि अपवाह मार्ग जितनी सरलता से बनते हैं, उतनी ही सरलता से अवरोध के कारण परिवर्तित भी होते रहते हैं । कोसी एवं महानन्दा नदियों के मार्ग परिवर्तनों का यही मुख्य कारण है इसके विपरीत चिकनी मिट्टी और मटियार मिट्टी चिपचिपी एवं कम

घुलनशील होती है जिससे अपवाह मार्ग परिवर्तन में कठिनार्द होती है । परन्तु जहाँ पर बलुआही मिट्टी मिलती है , वहाँ इसमें नदियों द्वारा अपरदन एवं मार्ग परिवर्तन अधिक होते हैं । अध्ययन क्षेत्र में बड़े-बड़े तालाबों में स्थानीय जल संचय होता रहता है जिनके उत्तरोत्तर छिछला होने के कारण वर्षा काल में स्थानीय जलप्लावन की समस्या उत्पन्न हो जाती है ।

इस क्षेत्र के अपवाह को मौसमी और स्थायी दो प्रकारों में विभक्त किया जा सकता है । क्षेत्र का सम्पूर्ण जल कोसी नदी के माध्यम से गंगा में सम्मिलित होता है । शुष्क मौसमों में प्राकृतिक अपवाह केवल बड़ी नदियों में ही दिखाई देता है जबकि छोटी नदियाँ प्रायः सूखी मिलती हैं । इसके अतिरिक्त समय-समय पर सिंचाई वाली नहरों में जल प्रवाहित होता है ।

शोध क्षेत्र का सामान्य अपवाह उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व की दिशा में पाया जाता है जो उत्तरी मैदान के सामान्य ढाल का ही अनुसरण करता है । इस क्षेत्र में निम्न नदियों द्वारा अपवाह-तन्त्र का निर्माण होता है ।

- (क) कोसी धार
- (ख) फरही नदी
- (ग) कमला नदी
- (घ) मोनाली नदी
- (ङ) गिदरी नदी

(क) **कोसी धार** :- यह कोसी नदी की सहायक है जो पश्चिमी भाग में कोदा प्रखण्ड और अध्ययन क्षेत्र के मध्य की सीमा बनाती हुई कटिहार अंचल के दलन न्याय पंचायत में प्रवेश करती है । यह नदी कोसी नदी से निकलती है और पुनः उसी में मिल जाती है । इसी कोसी धार के तट पर कटिहार नगर बसा हुआ है । वर्षा ऋतु में कोसी धार भयावह हो जाती है जो अनेक मोड़ बनाती हुई अध्ययन क्षेत्र से बाहर जाकर कटिहार जनपद के प्राणपुर अंचल में प्रवेश कर जाती है । वर्षा ऋतु समाप्त होने के पश्चात् कोसी धार में जल

की मात्रा बहुत ही कम जो जाती है जिसे आसानी से बिना नाव के पार किया जा सकता है । कोशी धार में से पानी साफ कर शहर में आवश्यकता की आपूर्ति हेतु भेजा जाता है । यह नदी शहर के पश्चिमी-दक्षिणी किनारे से होकर बहती है । बरसात में जलाधिक्य के कारण कटिहार शहर में भी जल प्रवेश कर जाता है जिससे बाढ़ की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1984-85 में बाँध का निर्माण किया गया । वर्ष 1987-88 में कोसी का बाँध टूट जाने से कोसी धार तथा अन्य छोटी नदियों में इतना अधिक जल हो गया था कि सम्पूर्ण शहर एवं अध्ययन क्षेत्र जलमग्न हो गया था ।

#### (ख) फरही नदी -

यह नदी कोसी धार नदी की सहायक है । जो कटिहार प्रखण्ड से लगे मध्य-पश्चिमी सीमान्त-प्रदेश में प्रवाहित होती है । यह नदी कटिहार प्रखण्ड के दलन गाँव में प्रवेश करती है और कटिहार शहर के समीप कोसी धार में मिल जाती है । इसकी दिशा उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व की ओर है । यह मौसमी नदी है । तीव्र वर्षा होने पर यह नदी उफान में आ जाती है अन्यथा सूखी रहती है । कटिहार प्रखण्ड में इस नदी की दूरी लगभग 25 कि० मी० के आसपास है ।

#### (ग) कमला नदी -

यह नदी हिमालय पर्वत से निकली कोसी की शाखा है जो अध्ययन क्षेत्र में महमदियाँ के पास प्रवेश करती है । यह नदी कटिहार प्रखण्ड के न्याय पचायत महमदियाँ, बलुवाँ, बोरनी, मधेपुरा से प्रवाहित होती हुई प्राणपुर प्रखण्ड और मनीहारी प्रखण्ड होती हुई गंगा में मिल जाती है । यह भी बरसाती नदी है । बरसात के दिनों में पर्याप्त मात्रा में जल मिलता है और इसके पश्चात् यह नदी शुष्क हो जाती है । यह नदी अनेक छोटे-छोटे झील, तालाब, तथा ढाल और जल्ला का निर्माण करती है । इस नदी के आस-पास के क्षेत्रों में गर्मा की फसल अच्छी होती है ।

#### (घ) मोनाली नदी -

यह नदी कटिहार जनपद के कढवा प्रखण्ड में प्रवेश करती है और इसे पार

कर कटिहार प्रखण्ड के न्याय पंचायत द्वासे के 'खण्डरपाली' गाँव के समीप प्रवेश करती है । सौरिया, डड खोरा, विजेली जबडा पहाडपुर होती हुई मधेपुरा न्याय पंचायत को पार कर प्रखण्ड प्राणपुर मनिहारी होती हुई गगा नदी में मिल जाती है । यह भी बरसाती नदी है । इस नदी के आस-पास क्षेत्रों में गरमा धान तथा मखाना की अच्छी खेती होती है ।

#### (ड) गिदरी नदी -

यह भी नदी कोसी की शाखा है जो पूर्व में महानन्दा के समानान्तर बहती हुई जनपद कटिहार के बिजेली तथा डुमरियाँ न्याय पंचायत को पार कर प्रखण्ड प्राणपुर मनिहारी होती हुई गगा नदी में मनिहारी के पास मिल जाती है । यह नदी डुमरिया न्याय पंचायत गाँव कलसर, महेशपुर, सकरेली झुनकी बस्न्ता होती हुई बहती है। इस नदी से समीपस्थ गाँव वर्षा ऋतु में जलप्लावित हो जाते हैं । इस नदी का प्रवाह दिशा उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम की ओर है । कहीं-कहीं यह नदी अपने प्रवाह क्षेत्र में नाले तथा तालाबों का भी निर्माण करती है ।

यद्यपि कोसी नदी अध्ययन क्षेत्र में प्रवाहित नहीं होती है लेकिन कोसी धार, फरही, मनाली, गिदरी, कमला आदि सभी सहायक नदियाँ इसी नदी के पुराने प्रवाह क्रम में प्रवाहित होती हैं और पुनः उसी में मिल जाती हैं । वर्षा काल में कोसी में पर्याप्त जल के कारण ये सभी सहायक नदियाँ विशेष रूप से प्रभावित होती हैं । अतः इन सहायक नदियों के साथ ही कोसी नदी का भी अध्ययन आवश्यक है जिसका प्रभाव अध्ययन क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक तन्त्र पर पड़ता है ।

#### (च) कोसी नदी -

कभी बिहार की 'शोक नदी' कहलाने वाली कोसी भारत की सबसे विचित्र नदी है । कोसी की धारा में लगातार परिवर्तन को देखते हुए कहा जाता है कि कोसी का नाम पौराणिक कथाओं में वर्णित तपस्विनी 'कोशिकी' के नाम पर रखा गया है जो अपने ब्राह्मण प्रेमी द्वारा त्याग दिये जाने के कारण एक के बाद दूसरे पुरुष की ओर भटकती रही । कोसी

नदी तिब्बत से निकलकर नेपाल और भारत में 720 कि० मी० दूरी तय कर वर्तमान में कटिहार जनपद के कुरसेला के निकट गंगा नदी में मिलती है । जर्नल आफ हाइड्रॉलिक डिवाजन में प्रकाशित अमेरिकन सोसाइटी आफ सिविल इंजीनियर्स के मार्च 1966 की कार्यवाही में ई० सी० वी० गाले एव ई० एस० वी० चिताले ने कोशी नदी पर अपने शोध पत्र में इसका विस्तृत ब्योरा दिया है ।<sup>5</sup>

कोशी - भूकम्पीय क्षेत्र में अवस्थित कम आयु के विखण्डित होते हुए चट्टानों के बीच में से गुजरने के कारण अपने तलछट को ढलवे सतह पर नीचे की ओर ढकेलता है , क्योंकि इसके प्रवाह के ऊपरी सतह पर कोई समतल घाटी नहीं है । हनुमान नगर के बाद इसकी धारा एकाएक समतल पर आ जाती है । यह अपने साथ काफी मात्रा में रेत, बालू लेकर बढती है जो अपने घाटी में जमा करती जाती है । इस क्रिया में इस नदी के मुहाने पर त्रिभुजाकार नदी वाहित बालू की भूमि द्वीप (आईलैण्ड) बनाते हुए 1773 से 1963 के बीच 110 कि० मी० पश्चिम की ओर खिसक गई है । 1731 के सर्वे के अनुसार यह पूर्णिया जिले के पश्चिमी भाग से गुजरती थी और आज यह निर्मली के पास से गुजरती है । धारा खिसकने के क्रम में इसने 7000 वर्ग कि० मी० भूमि को बर्बाद किया एवं गावों तथा शहरों को भी क्षति पहुँचाई । विश्वास किया जाता है कि कोशी प्रारम्भ में महानन्दा में मिलती होगी ।<sup>6</sup>

*O Mally* महोदय ने गजेटियर में इसके विषय में लिखा है कि इसकी सात शाखाओं के कारण इसे सप्त कोशी भी कहते हैं । इसकी सबसे प्रमुख शाखा 'सन-कोशी' है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है अन्य शाखाएँ क्रमश -

(1) भोतिया कोशी (2) टाम्बे कोशी (3) लिखू (4) दूध कोशी (5) अरूण और (6) तामूर है ।<sup>7</sup> *Barah Kshetra* के पास यह तीक्ष्ण ढाल वाले और एक श्रृंखला में फैले पर्वतों से नीचे उतरती है और *Chatra* के पास यह मैदानी भू-भाग को छूती है । सबसे पहले यह सहसा जिले के उत्तरी-पूर्वी भाग को स्पर्श करती है । जो प्रारम्भ में भागलपुर जिले में शामिल था ।



सन् 1897 ई0 मे अभियताओं द्वारा कोसी की विभीषिका से मुक्ति की एक योजना तैयार की गयी थी परन्तु इसे कार्य रूप मे नही दिया गया। कोसी की बाढ एव उसके द्वारा लाये गये बालू के कारण आजादी के पूर्व तक कृषि के सर्वथा अनुपयुक्त इम जिले के अधिकांश क्षेत्र को कृषि योग्य बनाने हेतु आजादी के पश्चात कोसी पर वराज का निर्माण, नहरों द्वारा सिचाई की व्यवस्था एव तटबन्धों के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया गया जो 1963 में पूरा हुआ । हालांकि बाढ की विभीषिका से पूर्ण त्राण इस क्षेत्र को नही मिल सका है परन्तु इन योजनाओं के पूरा होने के फलस्वरूप इस जिले मे कृषि के क्षेत्र मे नये अध्याय का सूत्रपात हुआ ।

## 2 6 जलप्लावन -

अत्यधिक वर्षा एव मन्द ढाल के फलस्वरूप अध्ययन क्षेत्र का लगभग 45% भाग प्रतिवर्ष बाढो या जल - जमाव से प्रभावित होता है । बाढ का विशेष प्रभाव इसके उत्तर मे बहने वाली कोसी एव उसके सहायक नदियों की घाटी क्षेत्रों मे परिलक्षित होता है । इस प्रखण्ड का दक्षिणी एव मध्यवर्ती भाग नीचा होने के कारण जल जमाव से विशेष रूप से प्रभावित होता रहता है । कटिहार जनपद की कटिहार अचल बाढ से प्रभावित प्रखण्ड है, जहाँ 126 गावो मे लगभग 85 गाँव बाढ से प्रभावित रहते है । 85 गाँव बरसात मे जलमग्न हो जाते है (चित्र स0 - 3) ।

राजस्व विभाग के अनुसार वर्ष 1991 मे कटिहार प्रखण्ड मे 8510 हेक्टेअर भूमि पर खरीफ की फसले बाढ एव जल जमाव के कारण नष्ट हो गयी थी । प्रतिवर्ष जलजमाव एव अधिक वर्षा के कारण फसलें नष्ट हो जाती है ।

जलप्लावित भाग को निम्न दो वर्गो मे विश्लेषित किया जा सकता है -

- (अ) सामान्य बाढ से प्रभावित क्षेत्र
- (ब) असामान्य या बडी बाढ से प्रभावित क्षेत्र

सामान्य बाढ से अध्ययन क्षेत्र का प्रतिवर्ष लगभग 25% भाग प्रभावित होता

है । इससे लगभग 4572 हे० भूमि पर खरीफ की फसलें नष्ट हो जाती है ।

कभी-कभी कुछ वर्षों के अन्तराल के उपरान्त बहुत बड़ी बाढ़ें भी आ जाती हैं जिनसे सामान्य बाढ़ों की अपेक्षा 20% अधिक क्षेत्र प्रभावित हो जाता है । फलतः बड़ी बड़ी बाढ़ों के समय 3098 हेक्टेअर अतिरिक्त क्षेत्र जलप्लावित हो जाता है । बड़ी बाढ़ों के समय कोसी नदी, महानन्दा तथा गंगा नदी जो अध्ययन क्षेत्र के उत्तरी - पूर्वी तथा दक्षिणी भाग में प्रवाहित होती हैं इनकी सहायक नदियाँ जैसे - कोसी धार, फरही, कमला, मोनाली तथा गिढरी नदियों द्वारा बहुत बड़ा क्षेत्र जलमग्न हो जाता है । ऐसी बाढ़ों से रकसा, रघेली, विजैली, डुमरिया, मधेपुरा, परतेली, हफलागज न्याय पचायत का बहुत बड़ा भाग प्रभावित हो जाता है । इसके अलावा इस प्रखण्ड का अन्य न्याय पचायत भी इस बाढ़ से अछूता नहीं रह पाते हैं । वर्ष 1987 - 88 का बाढ़ इसका ज्वलन्त प्रमाण है । इस बाढ़ से कटिहार अचल जलप्लावित हो गया था । लोग अपने तथा जानवरों को लेकर सड़कों और रेलवे लाइनों के किनारे कई दिनों तक खाना - बंदोश की तरह समय व्यतीत किये । इन बड़ी बाढ़ों से अपार धन - जन की हानि होती है ।

इस प्रखण्ड के उत्तरी और पश्चिमी भाग में नहरों का जाल फैला हुआ है जिससे जल का निकास होता है लेकिन तीव्र बाढ़ से नहरों में बालू का जमाव हो जाता है और जल के प्रवाह क्रम में अवरोध उत्पन्न हो जाता है । कटिहार अचल के चारों तरफ बाँध है लेकिन भयंकर वर्षा और कोसी के बाँध के कटाव के कारण छोटे-मोटे बाँध जल को रोकने में असमर्थ हो जाते हैं । बाँधों में दरारे पड़ जाती हैं । फलस्वरूप बाँध टूट जाते हैं । इस प्रकार बाँध टूटने के कारण चारों तरफ जल प्लावित हो जाता है और बाँध की भयंकरता और अधिक हो जाती है ।

अतः बचाव के लिए हमें निम्न बातों पर विशेष ध्यान देना जरूरी है ।

- 1- नहरों और नालों का निर्माण किया जाय ।
- 2- प्रतिवर्ष नहरों और नालों में जो जमा बालू के कण हो निकाला जाय, ताकि बाँधों में जमा पानी आसानी से निकल जाय ।

- 3- बाधो पर वृक्षारोपण किया जाय ताकि बाध टूटे नहीं ।
- 4- बाधों की देख-रेख के लिए एक निगगनी ममिति बनाई जाय ।
- 5- प्रतिवर्ष बाधों की मरम्मत वर्षाकाल के पूर्व करा दी जाय ।

उपर्युक्त बातों पर यदि ध्यान दिया जाय तो आशा है कि प्रतिवर्ष आने वाली बाढ की विभीषिका से बचा जा सकता है साथ ही नहरों की निर्माण हो जाने से एक फसली के जगह पर दो फसली तथा बहु-फसली का उत्पादन किया जा सकता है और प्रतिवर्ष बाध टूटने तथा उसकी मरम्मत पर सरकार का करोड़ों रुपये बचाया जा सकता है । बिहार के मुख्यमंत्री एव सिचाई मंत्री ने भी क्षेत्र की बाढो की रोकथाम हेतु बाँध जलाशय आदि बनाकर जल सग्रह एव उसका सिचाई हेतु सही ढंग से उपयोग का सुझाव दिया है । बाढ से गांवों की रक्षा के लिए छोट-छोटे बाधों के निर्माण की भी आवश्यकता है ।

## 2 7 भूमिगत जल -

भूमिगत जल मिट्टी की बनावट से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है । मिट्टी की विभिन्न विशेषताएँ जैसे - सरचनात्मक स्वरूप (पोरसता आदि) घुलनशीलता, शोषण शक्ति, कठोरता, मृदुलता इत्यादि जल स्तर को विशेष रूप से प्रभावित करती है ।<sup>8</sup> इस शोध क्षेत्र के अन्तर्गत धरातलीय जल प्रवाह के रूप में कोसी धार, कमला, मोनाली तथा गिढरी नदियों का विशेष प्रभाव दिखाई देता है । इस क्षेत्र के उत्तरी भाग में कृत्रिम जल प्रवाह के रूप में नहरों का प्रभाव विशेष उल्लेखनीय है । वर्षा काल में जब नदी का जल ऊपर आ जाता है तथा नहरों में भी जल भरा रहता है तो गांवों में जलाशयों, कुओं आदि में भी अधोभौमिक जल स्तर ऊपर आ जाता है । इन दिनों जलस्तर ऊपरी भाग में 0.5 से 0.8 मीटर (परियाग ढह' मध्यवर्ती भाग में 1.2 - 1.6 मीटर (खेरा) तथा दक्षिणी भागों में 1.8 से 2.5 मीटर (गोपालपुर) पाया जाता है । पूर्व से पश्चिम की ओर भी जल-तल में पर्याप्त अन्तर मिलता है । इस क्षेत्र के पश्चिमी भाग में 1.8 मीटर से 2.1 मीटर (महदेई गाँव) मध्यवर्ती भाग में 1.5 मी० से 1.8 मी० (शकरपुर) एव पूर्वी भाग में 0.9 मी० से 1.2 मी० (महेशपुर)

के नीचे जल तल पाया जाता है । इससे स्पष्ट है कि वर्षा काल में इस क्षेत्र का औसत जल तल धरातल के नीचे 1.1 से 2.2 मी० के मध्य मिलता है । परन्तु ग्रीष्म काल में यह जल स्तर अधिक नीचे चला जाता है । इस अवधि में इन सभी गावों में कुओं का जल तल 1.3 मी० से 3.4 मी० तक नीचे चला जाता है ।<sup>9</sup> इस क्षेत्र के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में यह लगभग 2.3 मी० तक दक्षिणी भाग में लगभग 3.4 मी० तक नीचे चला जाता है ।

भूमिगत जल का कृषि कार्यों पर विशेष प्रभाव पड़ता है । अक्टूबर और नवम्बर के महीनों में जब धरातलीय परतों में विशेष नमी निहित रहती है , तो उस समय खेतों में नमी अधिक होने के फलस्वरूप इन क्षेत्रों में कम सिंचाई पर भी रबी की फसलें भली-भाँति तैयार हो जाती हैं । परन्तु अप्रैल, मई व जून के महीनों में खरीफ की फसल के लिए खेतों को पहले से तैयार करने में बहुत अधिक कठिनाई उठानी पड़ती है । इस समय जल-तल के अधिक नीचे चले जाने से मिट्टी में नमी समाप्त हो जाती है । साथ ही इन महीनों में यहाँ चन्ना धान की फसलें अधिक मात्रा में उगाई जाती हैं जिससे इन्हें सिंचाई अधिक मात्रा में करनी पड़ती है । जहाँ जल स्तर अधिक नीचा नहीं होता वहाँ आसानी से बॉस बोरिंग हो जाती है जिससे किसानों को काफी सुविधा मिलती है । फिर भी अधिक सिंचाई और श्रम की आवश्यकता पड़ती है । इसीलिए इस अवधि में खरीफ की फसलों के लिए खेतों की तैयारी में सिंचाई की अधिक आवश्यकता पड़ती है ।

## 2.8 जलवायु -

भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले भौतिक कारकों में धरातल के बाद जलवायु का ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान है । इसके द्वारा कृषि के विभिन्न प्रकार एवं स्वरूप निर्धारित एवं नियन्त्रित होते हैं और उनका रह-सतुलन भी बदलता जाता है । आज के वैज्ञानिक युग में भी कृषि पर जलवायु का विशेष प्रभाव परिलक्षित होता है । इसीलिए इसे जलवायु पर आश्रित पेशा कहा जाता है । जलवायु के विभिन्न तत्व (जैसे - तापमान, वर्षा, आर्द्रता, पवन प्रवाह आदि) प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्यों पर अपना प्रभाव डालते हैं । भारतीय मौसम विभाग के अनुसार कृषि कार्यों पर 50 प्रतिशत से अधिक नियन्त्रण जलवायु

का ही होता है।<sup>10</sup> अध्ययन क्षेत्र की जलवायु आर्द्र-उपोष्ण मानसूनी जलवायु क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। इस क्षेत्र में मौसम के मुख्य तत्त्वों (चित्र - 4) का विश्लेषण निम्न प्रकार है -

(अ) तापमान -

प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र में औसत वार्षिक तापमान लगभग  $24.4^{\circ}$  से 0 एव औसत वार्षिक तापान्तर लगभग  $10.8^{\circ}$  से 0 है। इस क्षेत्र में अप्रैल, मई का महीना सर्वाधिक शुष्क होता है। जबकि अधिकतम तापमान  $36.8^{\circ}$  से 0 तक मई में पहुँच जाता है। जून माह के मध्य से ताप कम होने लगता है। इस क्षेत्र में जनवरी का महीना अधिक ठण्डा होता है इस महीने में न्यूनतम तापमान  $7.2^{\circ}$  से 0 तक हो जाता है। इस क्षेत्र में मई और जून के महीनों में औसत तापमान क्रमशः प्रायः  $30.5^{\circ}$  से 0 और  $30.3^{\circ}$  से 0 होता है। किन्तु जनवरी एव फरवरी महीनों में औसत तापमान क्रमशः प्रायः  $12.1^{\circ}$  से 0 एव  $15.8^{\circ}$  से 0 तक ही रह जाता है। सर्वाधिक औसत दैनिक तापान्तर दिसम्बर माह में पाया जाता है जो  $14.1^{\circ}$  से 0 के लगभग होता है। सारणी 2.2 से स्पष्ट है।

(ब) वायुभार -

इस क्षेत्र में शीत ऋतु का आगमन नवम्बर माह के साथ ही प्रारम्भ हो जाना है। इस महीने में वायुभार लगभग 1022.3 मिलीबार रहता है। आगे का मौसम क्रमशः अधिक ठण्डा होता जाता है। दिसम्बर महीने में सर्वाधिक वायुभार लगभग 1028.3 मिलीबार पाया जाता है। जनवरी माह में वायुभार बढ़कर लगभग 1032.4 मिलीबार हो जाता है किन्तु फरवरी माह में तापमान बढ़ने के साथ ही वायुदाब घटने लगता है। फरवरी के महीने में अधिकतम वायुभार लगभग 1030 मिलीबार मिलता है। मई माह में यह घटकर 985.5 मिलीबार तक पहुँच जाता है। जून एव जुलाई माह में औसत वायुभार घटकर क्रमशः 980.4 मिलीबार एव 980.2 मिलीबार तक आ जाता है। इस प्रकार इस क्षेत्र में जनवरी माह का वायुभार (1032.4 मिलीबार) वर्ष में अधिकतम होता है तथा जुलाई माह में न्यूनतम वायुभार (980.4 मिलीबार) मिलता है।




Fig 2 4

Table 2.2  
CLIMATE DATA OF KATIHAR METROLOGICAL  
STATION (LAT. 25<sup>0</sup>30'N LONG. 87<sup>0</sup>30')

MONTHS	MAX. TEMP. IN (°C)	MIN. TEMP IN (°C)	AVERAGE TEMP IN (°C)	RELATIVE HUMIDITY IN (%)
JANUARY	23 3	7 2	12 1	74
FEBRUARY	25.7	10 8	15.8	64
MARCH	32 6	15.1	28.9	46
APRIL	37 3	20 9	28 2	43
MAY	36 8	24 3	30.5	58
JUNE	36 7	24.0	30 3	75
JULY	34.4	25 0	29 7	84
AUGUST	32.2	24.8	28.5	85
SEPTEMBER	31.8	24.0	27 9	84
OCTOBER	31 2	21.7	26.0	76
NOVEMBER	27.9	13.8	19 6	72
DECEMBER	24 3	8 8	14 1	75

स्रोत जिला सांख्यिकीय कार्यालय कटिहार (बिहार) ।

### (स) वायु दिशा -

अध्ययन क्षेत्र के उत्तरी भाग में हिमालय पर्वत निकट स्थित होने के कारण इस क्षेत्र में लगभग 40% दिनों में हवाएँ शान्त रहती हैं। अधिकतम 'पुसुवा' हवाएँ जो पूर्व से पश्चिम को प्रवाहित होती हैं जिसकी वर्ष भर में संख्या 75 दिन से कम नहीं होती है। यह हवा विशेषकर जुलाई महीने में प्रवाहित होती है। वर्ष में पश्चिम से प्रवाहित होने वाली 'पछुवा' हवा के दिनों की संख्या लगभग 45 होती है। पश्चिम से प्रवाहित होने वाली हवा के दिनों की सर्वाधिक संख्या अप्रैल माह में होती है, जो 12 है। शान्त दिवसों की संख्या लगभग 155 है। अक्टूबर में फरवरी माह तक शान्त दिवसों की संख्याएँ क्रमशः 21, 24, 26, 23 एवं 18 होती हैं और इन महीनों में शान्त दिवसों की मासिक औसत 22.4 दिन होती है। किन्तु अप्रैल माह से जुलाई माह तक शान्त दिवसों की संख्याएँ क्रमशः प्रायः 4, 5, 3 एवं 1 हैं जिनका मासिक औसत लगभग 3.25 दिन होता है। पूर्व व पश्चिम के अतिरिक्त शेष दिशाओं से क्षेत्र में हवाएँ कम चलती हैं। इस विवेचना से यह स्पष्ट होता है कि अक्टूबर से फरवरी माह तक जब तापमान सापेक्ष रूप में कम रहता है तो हवाएँ प्रायः शान्त रहती हैं किन्तु तापमान के बढ़ने के फलस्वरूप अप्रैल से जुलाई माह तक ये हवाएँ अधिक सक्रिय होने लगती हैं।

### (1) वायुगति -

इस अध्ययन क्षेत्र में औसत वायुगति लगभग 5.48 कि० मी० प्रतिघण्टा है। नवम्बर माह में यह गति न्यूनतम (लगभग 3.0 कि० मी० प्रतिघण्टा) होती है। अक्टूबर माह से जनवरी माह तक इसकी औसत गति लगभग 3.4 कि० मी० प्रतिघण्टा होती है। मई माह में वायुगति अधिकतम हो जाती है। इसमें हवा की गति लगभग 8.1 कि० मी० प्रतिघण्टा हो जाती है। इस क्षेत्र में अप्रैल, मई, जून एवं जुलाई के महीनों में औसत वायुगति लगभग 7.6 कि० मी० प्रतिघण्टा होती है। इन महीनों में कभी-कभी धूल भरी आधियाँ भी चलती हैं। शीत ऋतु में कभी-कभी इस क्षेत्र में बहुत ठण्डी हवाएँ भी चलती हैं जिनसे शीत लहर का प्रकोप हो जाता है। शीत लहर के कारण तापमान में कमी आ जाती है।



## (द) आर्द्रता -

प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र में औसत मासिक सापेक्षिक आर्द्रता लगभग 43% से 85% के बीच है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (लगभग 83%) अगस्त माह में एवं न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (लगभग 43%) अप्रैल माह में पायी जाती है। नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी एवं फरवरी के महीनों में औसत सापेक्षिक आर्द्रता क्रमशः प्रायः 72%, 75%, 74% एवं 64% पायी जाती है। वार्षिक औसत सापेक्षिक आर्द्रता 77% (3 30 पी एम) तथा 65% (5 30 पी एम) रहता है। अध्ययन क्षेत्र में अधिकतम वार्षिक आर्द्रता लगभग 88.2% एवं न्यूनतम वार्षिक आर्द्रता लगभग 52.46% पायी जाती है। दोनों का वार्षिक औसत लगभग 70.37 प्रतिशत है।

## (य) वर्षा -

हिमालय के समीप स्थित होने के कारण अध्ययन क्षेत्र में सामान्यतया अधिक वर्षा होती है। साथ ही साथ बंगाल के खाड़ी के मानसून का प्रभाव भी इस क्षेत्र पर वर्षा की मात्रा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर क्रमशः कम होती जाती है। वर्ष 1989 में वार्षिक कुल वर्षा लगभग 1962.4 (मि०मी०) एवं सामान्य वर्ष 1357.8 (मि०मी०) होता है। वर्ष में वर्षा दिनों की कुल संख्या लगभग 56.6 दिन है। अधिकांश वर्षा मध्य जून से अक्टूबर तक होती है, यह वर्षा मानसूनी पवनों की सक्रियता पर निर्भर करती है। ये पवने कभी - कभी विलम्ब से तो कभी - कभी समय से पहले ही आता है। किसी वर्ष तो मानसूनी पवनें बहुत पहले ही अपना कार्य समाप्त कर देती है एवं कभी - कभी वे देर तक अपना कार्य जारी रखती है। कभी बरसात वर्षा ऋतु की मध्यावधि में वर्षा नहीं होती जिससे अध्ययन क्षेत्र सूखा से प्रभावित हो जाता है। अतः यह स्पष्ट है कि इस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा एवं अवधि दोनों ही अनिश्चित है। अध्ययन क्षेत्र में अधिकतम वर्षा की मात्रा (481.2 मि०मी०) एवं वर्षा के दिनों की अधिकतम संख्या 15.6 जुलाई माह में पायी जाती है। दिसम्बर एवं जनवरी के महीनों में वर्षा की मात्रा एवं वर्षा के दिनों की संख्या सबसे कम होती है। इस प्रकार क्षेत्र में वर्षा की मात्रा में मासिक वितरण एवं वर्षा के दिनों की मासिक संख्या में बहुत अधिक विषमता है। उपर्युक्त विश्लेषणों के आधार पर अध्ययन क्षेत्र के मौसम को तीन प्रकारों में

या तीन प्रमुख ऋतुओं में विभाजित किया जा सकता है ।<sup>11</sup>

(र) ऋतुएँ - अध्ययन क्षेत्र में निम्न तीन ऋतु मिलती हैं -

- (1) शीत ऋतु (नवम्बर से फरवरी तक)
- (2) ग्रीष्म ऋतु (मार्च से मध्य जून तक)
- (3) वर्षा ऋतु (मध्य जून से अक्टूबर)

मौसमों का उपर्युक्त विभाजन कृषि कार्य को ध्यान में रखकर भी किया जा सकता है । शीत ऋतु रबी की फसलों के लिए वर्षा ऋतु खरीफ के लिए तथा ग्रीष्म ऋतु जायद की फसलों के लिए विशेष उपयुक्त होती है ।

(1) शीत ऋतु :- इसके अन्तर्गत नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी एवं फरवरी के महीने सम्मिलित किए जाते हैं । इस ऋतु में अधिकांश समय तक मौसम शान्त मेघरहित, स्वच्छ एवं सुहावना रहता है । कभी-कभी मेघाच्छादन, वर्षण एवं तीव्र पवनों की क्रियाएँ भी होती हैं । कुहगुक्त प्रातः काल, दोपहर की साधारण गर्मी एवं सन्ध्याकाल की बढ़ती हुई ठण्ड इस ऋतु की कुछ अन्य विशेषताएँ हैं । नवम्बर माह में औसत मासिक अधिकतम तापमान लगभग 30<sup>0</sup> से<sup>0</sup> तथा औसत न्यूनतम तापमान लगभग 20 4<sup>0</sup> से<sup>0</sup> रहता है । जो दिसम्बर माह में घटकर 24 9<sup>0</sup>से<sup>0</sup> तथा औसत न्यूनतम तापमान लगभग 8 6<sup>0</sup>से<sup>0</sup> हो जाता है । जनवरी का महीना सबसे शीतल होता है जिसमें औसत अधिकतम तापमान लगभग 22 5<sup>0</sup> से<sup>0</sup> एवं औसत न्यूनतम तापमान लगभग 7.5<sup>0</sup>से<sup>0</sup> पाया जाता है । कभी-कभी जब इस महीने में (शीत लहर) चलती है तो तापमान 4 8<sup>0</sup>से<sup>0</sup> तक नीचे उतर जाता है । फरवरी माह से तापमान में क्रमशः वृद्धि होने लगती है । इस महीने का औसत अधिकतम तापमान 25 0<sup>0</sup>से<sup>0</sup> तक पहुँच जाता है । दिसम्बर एवं जनवरी के महीनों में औसत वायुभार क्रमशः 1008.2 मिलीबार एवं 1008.4 मिलीबार तक पाया जाता है जो फरवरी माह में कम होकर 1005.2 मिलीबार तक पहुँच जाता है ।

दिसम्बर एवं जनवरी के महीनों में क्षेत्र में कभी-कभी शीतोष्ण कटिबन्धीय चक्रवात भी देखने को मिलते हैं । इनमें न्यून वेग से (लगभग 3 कि० मी० प्रतिघण्टा) ठण्डी

पछुआ हवाएँ प्रवाहित होती है जिसकी गति तीव्र भी हो जाती है जिसमे शीत लहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है ।

वर्षा की दृष्टि से यह ऋतु शुष्क होती है । इसमे आर्द्रता एव वर्षा का प्राय अभाव होता है परन्तु दिसम्बर एव जनवरी मे कभी - कभी वर्षा हो जाती है और कहीं - कहीं पाला भी पडता है पाला अधिक ठण्डी रातों मे पडता है । यह मटर, अरहर एवं आलू की फसलों के लिए हानिकारक होता है । पाला के प्रकोप से बचने के लिए कृषकगण अपने - अपने खेतों की सिचाई कर देते है । इससे पाले का प्रभाव प्राय नहीं पडता । इस ऋतु मे वर्षा यद्यपि कम होती है तथापि वह फसलो के लिए अधिक लाभदायक होती है और यह उस समय और अधिक लाभप्रद होती है जब पौधों मे फूल आने लगते है ।<sup>12</sup>

इस सन्दर्भ मे प्राचीन कृषि विशेषज्ञ 'घाघ' की निम्न सूक्ति पूर्णत मत्स्य प्रतीत होती है -

' धन्य वह राजा धन्य वह देश,  
जहाँ बरसे अगहन शेष ।

' पूस मे दूना माघ मे सवाई  
फाल्गुन बरसे घर न जाई ।।'

तात्पर्य यह है कि जहाँ दिसम्बर (अगहन) माह मे वर्षा होती है वहाँ कृषि का भरपूर उत्पादन होता है । वर्षा होने पर जनवरी (पूस) मे उत्पादन मे दूना तथा फरवरी (माघ) मे सवागुना की वृद्धि हो जाती है । परन्तु यदि वर्षा मार्च (फाल्गुन) मे होती है तो खेत मे डाला गया बीज भी घर नहीं लौट पाता । फाल्गुन माह मे फसले पककर खेत में तैयार रहती है, कुछ काटकर खलिहान मे भी आयी रहती है । ऐसे समय पर वर्षा से फसल, खेत एव खलिहान दोनों मे नष्ट हो जाती है । उपर्युक्त सूक्ति के समानन्तर एक दूसरी सूक्ति भी इस क्षेत्र मे प्रचलित है जो निम्न प्रकार है -

' पानी बरसे आधे पूस ।  
आधा गेहूँ आधा भूस ।।'

इन् अतिशयोक्ति का तात्पर्य यह है कि पूस माह के मध्य में वर्षा लाभ कर होती है । इस ऋतु में आकाश प्रायः स्वच्छ रहता है एवं मौसम स्वास्थ्यवर्धक होता है । निम्न आर्द्रता, औसत तापमान, मन्द एवं शान्त वायु के कारण यह मौसम अनुकूल जलवायु का द्योतक है, जो मानवीय क्रिया शीलता के लिए अधिक प्रेरक प्रतीत होती है ।<sup>13</sup>

(2) ग्रीष्म ऋतु - यह ऋतु मार्च में प्रारम्भ होकर अप्रैल, मई तथा मध्य जून तक रहती है । इस ऋतु में सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्द्ध में प्रखर हो जाती हैं । अतः तापमान में क्रमशः वृद्धि होने लगती है । इन दिनों अध्ययन क्षेत्र का औसत अधिकतम तापमान  $37^{\circ}$  से  $0$  एवं औसत न्यूनतम तापमान लगभग  $24^{\circ}$  से  $0$  रहता है । इस ऋतु में औसत तापान्तर लगभग  $12^{\circ}$  से  $0$  रहता है । अध्ययन क्षेत्र के उत्तरी भाग में हिमालय की तराई होने से एवं नहरों के अधिक होने के कारण गर्मी की प्रचण्ड 'लू' का प्रभाव प्रायः नहीं पड़ता है । इसीलिए देश के कई अन्य भागों की अपेक्षा यहाँ का तापमान सामान्य रहता है । मार्च माह का उच्चतम तापमान लगभग  $32^{\circ}$  से  $0$  एवं न्यूनतम तापमान लगभग  $15^{\circ}$  से  $0$  तक पाया जाता है (चित्र स० 3) । यह उच्चतम तापमान अप्रैल और मई महीनों में बहुत अधिक बढ़ जाता है । अप्रैल माह का उच्चतम तापमान लगभग  $37^{\circ}$  से  $0$  तथा न्यूनतम तापमान लगभग  $21^{\circ}$  से  $0$  तक पाया जाता है । मुबह का मौसम अपेक्षाकृत कम उष्ण रहता है । दोपहरी में तीव्र गर्मी के कारण तेज शृष्क पवनें चलती हैं जिससे घर से बाहर मानवीय क्रिया - कलापों को सम्पन्न करने में अधिक कठिनाई हो जाती है । मार्च माह से तापक्रम के क्रमशः बढ़ते रहने के कारण वायुभार कम होने लगता है । मार्च एवं जून के महीनों का औसत वायुभार क्रमशः 1002 मिलीबार एवं 989 मिलीबार के आसपास हो जाता है ।

ग्रीष्म ऋतु में इस क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली 'पुरूवा' हवा के दिनों की मासिक औसत संख्या लगभग 10 दिन तथा पछुवा हवा के दिनों की मासिक औसत संख्या लगभग 8 दिन होती है । वायु प्रायः औसत रूप में 6 कि० मी० प्रति घण्टा की गति से प्रवाहित होती है ।

ग्रीष्म ऋतु के अन्तिम समय में पूर्वी मानसूनी पवनों से ग्रस्त जन जीवन को इस

वर्षा से कुछ अस्थायी राहत मिल जाता है । साथ ही साथ खरीफ की फसलों की बुआई का कार्य भी शीघ्र प्रारम्भ हो जाता है , किन्तु जब पुरुवा हवा का तीव्र संचालन होता है तो आम, लीची की फसल को विशेष क्षति होती है ।<sup>14</sup> इस ऋतु मे वर्षा के दिनों की संख्या 18 एवं औसत वर्षा भी मात्रा लगभग 30 से 0 मी० होती है ।

### (3) वर्षा ऋतु -

यह ऋतु मध्य जून से प्रारम्भ होकर अक्टूबर तक पायी जाती है । इस ऋतु में मौसम की मुख्य विशेषताओं मे आकाश पर बादलों का आच्छादन तीव्र वायुगति तथा मेष गर्जन एवं विद्युत की चमक के साथ ही तीव्र वर्षा विशेष उल्लेखनीय है । इस क्षेत्र मे वर्षा प्राय 15 से 20 जून के बीच आरम्भ हो जाती है । बंगाल की खाड़ी समीप होने के कारण कभी - कभी यह वर्षा मई के अन्तिम सप्ताह से ही प्रारम्भ हो जाती है जो कभी - कभी अक्टूबर के अन्त तक एवं कभी पहले ही समाप्त हो जाती है । इस ऋतु के बीच मे भी कभी - कभी लम्बे समय तक वर्षा नहीं होती । इन दिनों सापेक्षिक आर्द्रता मे तीव्र वृद्धि हो जाती है और तापमान नीचे गिर जाता है । इस प्रकार देश के उत्तरी पश्चिमी भाग मे ग्रीष्म काल मे निम्न वायु भार केन्द्र धीरे - धीरे स्थितिल पडने लगता है एवं उच्च वायु भार के केन्द्र मे बदलने लगता है । इस ऋतु मे हवाए सागर से स्थल की ओर प्रवाहित होती रहती है जिन्हें पुरुवा हवा के नाम से पुकारा जाता है । इन्ही पवनों द्वारा इस क्षेत्र की अधिकांश वर्षा प्राप्त होती है । 'घाघ' ने सत्य ही कहा है कि -

' भुइया लोटि चले पुरवाई

तब जानों वर्षा ऋतु आई ।।"

(अभिप्राय यह है कि लम्बी अवधि तक तीव्र गति से प्रवाहित 'पुरुवा' हवा से वर्षा के शीघ्र आगमन की सूचना मिलती है ।)

अधिक वर्षा के कारण तापमान क्रमशः कम होने लगता है जून तक अधिकतम तापमान जो 35<sup>0</sup> से 0 तथा औसत न्यूनतम तापमान 24<sup>0</sup> से 0 के आस पास पाया जाता है वह घटकर अक्टूबर मे क्रमशः 30<sup>0</sup> से 0 22<sup>0</sup> से 0 हो जाता है । वर्षा ऋतु के प्रारम्भ

**सारणी 2.3**  
**वर्षा का अन्तराल (1984 - 90)**  
**वर्षा (से० मी० में)**

महीना	जिला का सामान्य वर्षापात	जिला की औसत वर्षा (1984 - 90)							
		1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	
जनवरी	84	2 94	09	00	00	22	2 42	08	
फरवरी	1 91	4 19	00	10	08	96	1 17	1 30	
मार्च	1 02	65	00	00	70	1 70	31	86	
अप्रैल	3 00	2 88	1 35	2 74	4 88	8 63	00	3 38	
मई	9 21	21 34	10 54	15 88	6 58	11 35	27 56	13 71	
जून	22 15	51 91	24 34	15 70	17 76	22 37	38 66	15 68	
जुलाई	29 93	47 88	44 91	46 46	8 15	41 63	46 02	37 79	
अगस्त	30 71	18 56	17 53	19 89	70 50	48 12	18 06	19 85	
सितम्बर	26 03	19 42	26 29	37 61	29 43	17 52	55 43	26 23	
अक्टूबर	9 91	3 43	19 73	31 20	4 57	3 77	5 90	3 50	
नवम्बर	85	00	00	00	87	65	00	50	
दिसम्बर	22	21	33	1 39	33	31	71	21	
		<b>135.78</b>	<b>173.41</b>	<b>145.12</b>	<b>171.37</b>	<b>183.85</b>	<b>156.23</b>	<b>196.24</b>	<b>123.03</b>

स्रोत - जिला सांख्यिकी हस्तपुस्तिका, कटिहार, 1990, पृ० 10

Table 2.4  
STATEMENT SHOWING KATIHAR DISTRICT AVERAGE

1	Average No of Rainy day	Normal Rainfall in (C M.)
1	2	3
June	5.6	15.68
July	15.6	37.79
August	7.7	19.85
September	7.6	26.23
<hr/>		
South West Monsoon	36.1	99.55
<hr/>		
October	4.3	3.50
November	2.3	0.5
December	1.0	0.21
<hr/>		
North East Monsoon	7.6	4.21
<hr/>		
January	0.1	0.08
February	0.1	1.3
<hr/>		
Winter Rain	0.2	1.38
<hr/>		
March	0.7	0.8
April	0.6	3.38
May	11.4	13.71
<hr/>		
Hot Weather Rains	12.7	17.89
<hr/>		
<b>Total</b>	<b>56.6</b>	<b>123.03</b>

मे तापान्तर  $10^0$  से० के निकट पाया जाता है जो घटकर  $8^0$  तक हो जाता है। इम ऋतु के प्रारम्भ - मे वायु भार 990 मिलीवार के निकट रहता है परन्तु अन्त मे वह बढ़कर 1002 मिलीवार के आसपास पहुँच जाता है ।

अध्ययन क्षेत्र मे वार्षिक वर्षा का लगभग 92% भाग इमी ऋतु मे प्राप्त होती है । अधिकतम वर्षा जुलाई के महीने मे (लगभग 37 50 से०मी०) प्राप्त होती है । इन महीनों की वर्षा फसलों के लिए विशेष उपयोगी सिद्ध होती है ।<sup>15</sup> परन्तु अधिक वर्षा होने के कारण इम क्षेत्र के निम्न भागो मे जल निकास मे कठिनाई हो जाती है जिससे जल प्लावन एव बाढ की समस्या उत्पन्न हो जाती है । इन दिनों क्षेत्र के कुछ भागों मे 94से० मी० से भी अधिक प्राप्त होती है (सारणी 2.3 एवं 2 4) ।

#### (ल) मौसम एवं फसलें -

वर्षा ऋतु का मौसम खरीफ की कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होता है । इसी कारण इसे कभी - कभी फसलों का मौसम भी कहते है ।<sup>16</sup> इसी प्रकार शीत ऋतु रबी की फसलों और ग्रीष्म ऋतु जायद की फसलों के लिए अनुकूल पाई जाती है ।

वर्षा के प्रारम्भ होते ही खरीफ की फसलों की बुआई शुरू हो जाती है। इस ऋतु में अनियंत्रित वर्षा के कारण कभी - कभी फसलों के उत्पादन मे बहुत अधिक ह्रास भी हो जाता है । इसी प्रकार अनवरत वर्षा होने से इस क्षेत्र के कुछ भागों की मिट्टी आवश्यकता से अधिक नम हो जाती है एव जल-जमाव के कारण फसलों को भारी क्षति उठानी पडती है । लम्बी अवधि तक वर्षा न होने के कारण भी फसलें सूख जाती है । अध्ययन क्षेत्र मे खरीफ की फसल तो पूर्णतया मानसून पर ही आश्रित है । परन्तु वर्षा की मात्रा एव अवधि मे विशेष स्थिरता न होने से खरीफ की फसलों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पडता रहता है । सितम्बर व अक्टूबर मे तो कभी कभी अनवरत वर्षा एव तीव्र वायु के झोंकों के कारण पटसन, अरहर, बाजरा, मक्का आदि फसलें विशेष रूप से क्षतिग्रस्त हो जाती है । ये फसलें कभी -कभी जमीन पर भी गिर पडती है जिससे उत्पादकता मे कमी आ जाती है । अक्टूबर व नवम्बर मे खरीफ की कुछ फसलों की कटाई व मडाई का समय होता है । उस समय जब वर्षा होती है तो ऐसी फसलें खेतों मे या खलिहानों मे नष्ट होने लगती है । इस समय अधिक



वर्षा होने पर रबी की फसल की बुआई भी पिछड़ जाती है ।

जनवरी माह की स्वल्प वर्षा गेहूँ , जौ, चना, अहरहर, आलू एव पटसन की फसलों के लिए विशेष लाभदायक होती है । इस वर्षा से फसलों के उत्पादन में वृद्धि होती है ।<sup>17</sup> ग्रीष्म ऋतु में आगमन मार्च माह में प्रारम्भ हो जाता है । यह रबी की फसलों की परिपक्वता का समय भी होता है । इस समय उष्ण एव शुष्क वायु के प्रवाह के कारण खेत में लगी फसलें शीघ्र ही सूखने लगती है । तेजी से सूखने के कारण उत्पादन में भी कमी आ जाती है । किन्तु मार्च के अन्तिम सप्ताह में जब तीव्र गति से 'पछुआ' हवा बहने लगती है तो रबी की फसल की कटाई मड़ाई और ओसाई में विशेष सुविधा होती है । फसलों से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने में मौसम के विभिन्न कारकों का सहयोग आवश्यक होता है इसीलिए यह कहा जा सकता है कि अध्ययन क्षेत्र में कृषि उत्पादन मुख्यतः मौसम पर ही आश्रित है ।

#### (ब) जलवायु एवं मानव क्रियाएँ -

मानवीय क्रिया-कलापों पर जलवायु का गहरा प्रभाव पड़ता है अध्ययन क्षेत्र के आर्थिक एव मानवीय कार्यों पर जलवायु का प्रभाव स्पष्ट परिनिर्वाहक है । मानव का गन्तव्य एव उसकी शक्ति भी इससे प्रभावित होती रहती है जीवन - चर्चा पर भी मौसम का प्रभाव पड़ता है । शीत काल में ठण्डक से सुरक्षा पाने के लिए लोगों को ऊनी कपड़े धारण करने पड़ते हैं । इसीलिए निर्धन लोगों के लिए यह मौसम बहुत ही कष्टदायी होता है । जब रात एव सुबह में ठण्डक तीव्र हो जाती है तो गरीब लोग 'अलाव'\* द्वारा अपना बचाव करते हैं । परन्तु सामान्यतः इस मौसम में कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है । मार्च का महीना अधिक सुहावना होता है । इसमें सर्दी एव गर्मी दोनों सामान्य होती है । अप्रैल, मई महीनों में गर्मी तीव्र हो जाती है । एव दोपहरी में बाहर निकलना कठिन हो जाता है । इन दिनों लोग महीन, हल्के तथा सफेद कपड़ा पहनना पसन्द करते हैं । इस समय अधिक श्रम करना थकान दायक होता है ।

---

\* लकड़ी जलाकर ' अलाव ' तैयार किया जाता है इसका स्थानीय नाम धूर तथा कउडा है ।

जून के तीसरे सप्ताह में वर्षा प्रारम्भ हो जाती है । जब शुष्क भूमि को वर्षा का जल प्राप्त होता है तो मौसम उष्णार्द्र हो जाता है । ऐसी दशा में ऊँस बढ़ने लगती है । सावन माह में रिमझिम वर्षा का आनन्द लेने के लिए गाव की ओरतें पेड़ों एवं घरों में झूला डालती है और कजली गाती है । अधिक वर्षा से ताल तलैया जलयुक्त हो जाती है । सरिताओं में अथाह जल प्रवाहित होने लगता है । किन्तु ऐसे मौसम में जल-मग्न क्षेत्रों में मच्छरो की वृद्धि बड़ी तेजी से होती है । कटिहार-प्रखण्ड में अधिक ताल-तलैया एवं पटसन को गड्ढों, नालों में सड़ाने के कारण मलेरिया जैसी बीमारियों का विशेष प्रकोप पाया जाता है । लोग मलेरिया-बुखार से पीड़ित होने के अलावें पेचिस, (डिसेन्ट्री) इत्यादि बीमारियों से भी ग्रसित होते रहते हैं । भूमिगत जल तल के वर्षा काल में ऊपर होने के कारण पानी की शुद्धता कम हो जाती है । जिससे पेट सम्बन्धी बीमारियों की बहुतायत देखी जाती है । इस प्रकार क्षेत्र के मानव स्वास्थ्य एवं उसकी क्रियाओं पर जलवायु का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है । इसी प्रकार आर्थिक साधनों पर भी जलवायु का गहरा प्रभाव दिखाई पड़ता है ।

## 2-9 मृदा एवं मृदा वर्गीकरण --

मृदा एक आधारभूत ससाधन है जिस पर कृषि उत्पादन की क्षमता निर्भर है । यह खनिज एवं अन्य तत्व से निर्मित भू-पटल से उद्भूत होती है । इसमें खनिज तत्व, वायु एवं आर्द्रता की अतिरिक्त कार्बनिक पदार्थ भी मिले होते हैं । ये सभी पौधों के लिए पोषक शक्ति प्रदान करते हैं । मृदा चट्टानों और खनिज के दीर्घकालिक अपक्षय से बनती है ।<sup>18</sup>

मृदा की उत्पादन क्षमता उसके भौतिक एवं रासायनिक गुणों (नाइट्रोजन, पोटाश और फास्फेट पी० एच० आदि) पर निर्भर करती है (चित्र स० 5) । इन गुणों को जानकर हम मृदा की उर्वरता के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं । कृषि, सिंचाई और खाद से सम्बन्धित कार्य विधियाँ प्रमुख रूप से इन्हीं गुणों पर आधारित होती हैं । मृदा के भौतिक गुण उसके रंग, गठन और संरचना से सम्बद्ध होते हैं इसलिए भूमि उपयोग एवं विशेषकर

# KATIHAR PRAKHAND SOIL FERTILITY




Fig 25

कृषि भूमि उपयोग से सम्बन्धित शोध कार्य के लिए मिट्टी की क्षमता एवं उपयोगिता का विश्लेषण सबसे अधिक महत्वपूर्ण है । कृषक के लिए मृदा उसका वास्तविक धन श्रोत है। इसकी क्षमता के घटने पर अथवा इसके नष्ट होने पर उसे बहुत बड़ी क्षति उठानी पडती है। कृषि से प्राप्त सभी उत्पादन मृदा की क्षमता पर ही आधारित है । अतः इस शोध से सम्बन्धित क्षेत्र की कृषि पर आधारित आर्थिक दशाओं का अनुमान लगाने के लिए मृदा का अध्ययन अति आवश्यक है । मृदा को गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है और तत्सम्बन्धी विश्लेषणों द्वारा कृषि के लिए उनकी उपयुक्तता अथवा अनुपयुक्तता का ज्ञान प्राप्त किया जाता है । किन्तु फसलों के लिए, किस प्रकार की मृदा उपयुक्त होगी या उनको किस प्रकार के रसायनों द्वारा उर्वर बनाया जा सकता है , इसका भी विश्लेषण किया जाता है । इसीलिए मृदा को कृषि प्रधान देश का आर्थिक आधार बताया गया है । जिस प्रदेश की मृदा उपजाऊ नहीं होती, वहा भोजन की साधन प्राप्त करने की समस्या बनी रहती है ।

मृदा के भौतिक गुणों, रंग गठन एवं संरचना का कृषि के क्रिया-कलापों एवं फसलों के उत्पादन पर क्या प्रभाव पडता है ? इसका भी मूल्यांकन किया जा सकता है, और इन दृष्टिकोणों से मृदा का वर्गीकरण भी किया जाता है । अध्ययन क्षेत्र की मृदा को निम्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है ।

(अ) बालू के कणों की मात्रा के आधार पर, तथा

(ब) उर्वरता के आधार पर

(37) बालू के कणों के आधार पर इस क्षेत्र की मिट्टी को निम्न लिखित तीन प्रकारों में विभक्त किया जा सकता है ।

(1) बलुई मिट्टी -

यह नदियों की घाटियों में अत्यन्त जमाव वाले क्षेत्रों में पाई जाती है । इस मिट्टी में रेत, बालू की मात्रा अधिक होती है ।

(2) बलुई - दोमट मिट्टी -

यह अपेक्षाकृत कम रेतीली मिट्टी में मुख्यतः उच्च बाँगर क्षेत्रों में मिलती है। इसमें बालू और कौप की मात्रा लगभग बराबर होती है।

(3) मटियार मिट्टी -

यह चिकनी मिट्टी जो मुख्यतः निम्न भूमियों पर पाई जाती है इसमें बालू की मात्रा प्रायः नहीं होती है। यह मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है।

(ब) उर्वरा शक्ति के आधार पर इस क्षेत्र की मिट्टी को निम्नलिखित तीन प्रकारों में विभक्त किया जा सकता है - (इसी वर्गीकरण के आधार पर सरकार के राजस्व विभाग द्वारा भूमि का लगान निर्धारित किया जाता है।)

(1) गोयड मिट्टी - ऐसी मिट्टी गाँव या आबादी के निकट होती है। अधिक उर्वर होने के कारण इसमें खाद की कम आवश्यकता होती है। अधिक उपजाऊ होने के कारण यह कृषि की दृष्टि से विशेष उपयोगी होती है।

(2) मझार मिट्टी - यह गोयड मिट्टी की अपेक्षा कुछ दूरी वाले भागों में मिलती है। यह गोयड मिट्टी से कम उर्वर होती है।

(3) पालो मिट्टी - यह गाँव से अधिक दूर के भागों में मिलती है। इसकी उर्वरता अन्य दोनों मिट्टियों के अपेक्षा कम होती है।

मुदा का एक नया वर्गीकरण बिहार प्रदेश के कृषि विभाग द्वारा की प्रस्तावित किया गया है। यह वर्गीकरण उत्पादित फसलों के आधार पर किया गया है। परन्तु इस क्षेत्र में कृषकों द्वारा मुदा की मुख्य तीन किस्में मानी जाती हैं।

## 2 10 अध्ययन क्षेत्र में मृदा का वर्गीकरण -

अध्ययन क्षेत्र की मृदा को दो भागों में बाँटा जा सकता है -

- (1) बाँगर
- (2) खादर

इन्हें पुनः उप-विभाजित किया गया है -

- (1) बाँगर - इस अध्ययन क्षेत्र में पाँच भागों में बाँटा जा सकता है ।

- (क) दोमट
- (ख) मटियार दोमट
- (ग) मटियार मिट्टी
- (घ) करैल मिट्टी
- (ङ) बलुअर दोमट

- (2) खादर

- (क) कछारी

इसका संक्षिप्त वर्णन निम्नवत् है ।

ये मिट्टियाँ धरातल और अपवाह के फलस्वरूप क्षेत्रीय विभाजनों के आधार पर वर्गीकृत की गयी हैं (चित्र स० 6 ए) ।

- (1) बाँगर मिट्टी - बाँगर शब्द पुरानी कोंप मिट्टी के ऊँचे क्षेत्र को व्यक्त करता है। हमारे कृषि कार्य करने के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। बाँगर मिट्टी इस क्षेत्र के मध्यवर्ती भाग में कमला एवं मोनाली नदी के पश्चिमी भागों में मिलती है। इस प्रखण्ड के मध्यवर्ती भाग के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में भी यह मिट्टी पाई जाती है। बाँगर मिट्टी के इस विस्तृत जमाव क्षेत्र में जल-स्तर के आधार पर दोमट, मटियार और बलुई दोमट मिट्टियों का उपविभाजन किया जाता है। बाँगर मिट्टी अधिक पोर्स होती है। शीतकालीन खेती के लिए इसमें सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है। गर्मी के दिनों में तथा मानसून के समय से न आने पर इस मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। इस क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टियों में कृषि कार्य के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। आर्द्रता और कणों की मोटाई के आधार पर इस मिट्टी के निम्नलिखित उपविभाग किए जाते हैं।

(क) दोमट मिट्टी - इस प्रकार की मृदा इस क्षेत्र के अतिरिक्त भागों में मिलती है । यह मिट्टी कटिहार प्रखण्ड के पारा, महमदिया, द्रोआसे, सौरिया (उप भाग) बनूआ, रामपुर (पूर्वी भाग) तथा भौरा (उप भाग) न्याय पंचायत में मुख्य रूप से मिलता है । इस मिट्टी की ऊपरी परत पीताम जैसे रंग की होती है । इससे स्पष्ट है कि ऐसे भागों में अपवाह अधिक रहता है । खूनी हृद कण संरचना होने के कारण इस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता कम होती है । सिंचाई की सुविधाएँ प्रदान करने पर इसमें फसल उत्पादन करने की क्षमता अधिक बढ़ जाती है । यह मिट्टी गेहूँ एव आलू तथा केला की खेती के लिए विशेष लाभदायक होती है ।

(ख) मटियार - दोमट मिट्टी :- इसका विस्तार बाँगर मृदा के लगभग 12% भाग पर पाया जाता है । यह चन्देली, जगन्नाथपुर, रामपुर, दलन तथा बेलवा न्याय पंचायतों के कुछ भागों में फैली हुई है । इसका रंग भूरा होता है, किन्तु अधोभौमिक रूप में होने पर इसका रंग गाढ़ा भूरा हो जाता है । दोमट मिट्टी की तुलना में इसमें चिकनी मिट्टी के कण अधिक पाए जाते हैं और इसमें जल धारण क्षमता भी अधिक होती है । 0.5 से 0.7 मीटर गहराई पर इसमें चूना प्रधान जमाव पाया जाता है जिसके फल स्वरूप इसमें ककड, बालू भी मिलते हैं । ऊपरी सतह पर पाया जाने वाला चूना जल क्रिया से भूमिगत हो जाता है और विभिन्न गहराइयों में पहुँचकर गाँठ के रूप में संभ्रित हो जाता है जो धीरे-धीरे ककड में परिणत हो जाता है । यह ककड अधोभौमिक अपवाह में बाधा पहुँचाता है और वर्षाकाल में इसके ऊपर ही अधोगत जल का जमाव होने लगता है । यह मृदा धान की खेती के लिए विशेष अनुकूल पायी जाती है ।

(ग) मटियार (धनखर) मिट्टी - यह मिट्टी कटिहार प्रखण्ड के दलन बेलवा, मधेपुरा, परतेली, दण्ड खेरा न्याय पंचायतों के भाग पर मिलती है । बाँगर मिट्टी के लगभग 9 प्रतिशत भूमि पर यह फैली हुई है । यह मृदा भूरी तथा हल्की काली रंग की होती है । इसकी संरचना ठोस और थक्केदार होती है । जब यह भीम जाती है तो अधिक चिपकदार हो जाती है परन्तु सूखने पर यह बहुत ही कड़ी हो जाती है । खेती के लिए यह मिट्टी व्यापक

रूप से प्रयोग में लाई जाती है। रोपित धान की खेती के लिए तो यह विशेष उपयुक्त पायी जाती है।

(घ) **करेल मिट्टी** - बोरनी गोरगामा, द0 सौरिया, द0 रफैली, उ0 विजेनी और डण्डग्रोरा न्याय पंचायतो में इस मिट्टी का विस्तार है। यह अपेक्षाकृत नीची भूमि में पायी जाती है। इसका रंग गाढ़ा भूरा होता है। इस मिट्टी की संरचना चीका प्रधान होती है। भीग जाने पर यह बहुत अधिक चिपकदार हो जाती है। इसी कारण वर्षाकाल में इसमें जल धारण की क्षमता अधिक होती है तथा यह मुख्य रूप से खरीफ की फसलों के लिए उपयुक्त होती है। इसमें अगहनी फसल के कटने के उपरान्त बिना जुताई किए ही तीसी (अलसी) लटरी आदि कम महत्व वाली रबी की फसलों का छिटकाव कर दिया जाता है क्योंकि बाद में इस मिट्टी के सूख जाने पर उसमें दरारे पड़ जाती हैं जिससे उसकी जुताई असम्भव हो जाती है।

(ङ.) **बलुआर दोमट मिट्टी** - इसका विस्तार बाँगर मृदा के अन्तर्गत सबसे अधिक क्षेत्रफल अर्थात् 25 प्रतिशत भाग पर पाया जाता है। इसमें बालू के कणों की अधिकता होती है इसका विस्तार विशेषकर मधेपुरा, परतेली, हफलागज, पहाड़पुर एवं दुमरिया आदि न्याय पंचायतों में पाया जाता है। इस पर ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, केला, पटसन, गेहूँ, धान गरमा धान, मुख्य रूप से उगाई जाती है। इसमें जल धारण करने की क्षमता अपेक्षाकृत कम होती है लेकिन कहीं - कहीं नीची जमीन होने से जल की मात्रा अधिक होती है। यदि मित्राई के साधनों की सुविधा प्रदान की जाय तो इसमें शीघ्र तैयार होने वाले धान की उन्नतिशील किस्में उत्पन्न की जा सकती हैं।

बाँगर मृदा को 4 प्रतिशत क्षेत्रफल पर ऊसर का विस्तार पाया जाता है। यह मिट्टी मुख्यतः एक फसली मिट्टी है। इसमें खरीफ में केवल निम्न कोटि के धान की फसल तथा पटसन की फसलें उगाई जाती हैं। जब कभी खरीफ में वर्षा का लम्बा अन्तराल पड़ जाता है तो इस मिट्टी की सभी फसलें नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि इसमें पहले से जल धारण करने की क्षमता बहुत कम होती है।



(च) **कछारी मिट्टी** :- इस प्रकार की मृदा फरही, कमला, चोनाली तथा गिदरी नदी घाटी क्षेत्र में लगभग 08 प्रतिशत भाग पर फैली हुई है। सामान्यतः 'कछार' शब्द का प्रयोग नदी घाटी की निचली भूमि के लिए किया जाता है। इस क्षेत्र की मिट्टी जो नीची भूमि में निर्मित हुई है या होती जा रही है, सामान्यतः नवीन होती है। यह मिट्टी मुख्यतः उर्वर बलुई मिट्टी होती है। इसमें यत्र-तत्र चिकनी मिट्टी के जमाव भी मिलते हैं। यदि नदी अपना मार्ग नहीं बदलती है, तो नदी घाटी में रेत की परतों पर निरन्तर निक्षेपण होता रहता है और कालान्तर में यही जमाव उर्वर मिट्टी के रूप में बदल जाती है। ऐसी मिट्टी ग्वी की फसल के लिए अधिक उपयुक्त होती है।

कछारी मिट्टी का विस्तृत निक्षेपण कमला तथा मोनाली नदियों द्वारा हुआ है, जो कोसी की शाखा है। फरही नदी का कछारी भाग विशेष महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि उसमें निक्षेपित रेत ककड़ मोटे होते हैं और उनका अधिक उपयोग आवासों के निर्माण हेतु ही होता है। परन्तु जहाँ कहीं इसके ऊपर महीन रेत के कण पाये जाते हैं, वहाँ इस मिट्टी में काकर, खरबूजा तथा सब्जियों में परवल, लोकी तथा करेला आदि की खेती विशेष रूप से की जाती है।

मध्यवर्ती एवं उत्तरी पूर्वी भाग में यत्र-तत्र नाले हैं। ये अपने नितल में कीचड़ का जमाव करते रहते हैं, जिस पर ग्रीष्म काल में गरमा धान की खेती होती है। कोसी धार का कछारी क्षेत्र विस्तृत भू-भाग पर विस्तृत है। यह नदी अपना मार्ग भी परिवर्तित करती रहती है। इसीलिए इसकी घाटी में स्थित कछारी मिट्टी में प्रोढ़ता कम पाई जाती है।

इस मिट्टी की जलोढ़ परतों का जमाव इस क्षेत्र की नदी प्रणाली में विशेष रूप से सम्बन्धित प्रतीत होती है। कमला एवं मोनाली नदी घाटी में महीन जमाव अधिक पाया जाता है। इस प्रकार की मिट्टी रबी की फसलों के लिए अधिक उपयोगी होती है। यद्यपि इस सम्पूर्ण क्षेत्र की मिट्टी विशेष उत्पादक है, परन्तु इसमें अधिक वर्षा एवं बाढ़ के कारण खरीफ की फसलें प्रायः नष्ट हो जाती हैं, किन्तु जहाँ ऐसी समस्या नहीं है, वहाँ इस मिट्टी में सुगमता पूर्वक वर्ष में दो फसलें उगाई जाती हैं।

KATI HAR PRAKHAND

LAND CAPABILITY CLASSIFICATION

SOIL CLASSIFICATION

N +




Fig 2 6

## 2 II भूमि उपयोग क्षमता का वर्गीकरण -

भूमि की व्यवहारिक एवं भौतिक विशेषताएँ समान रूप से भूमि उपयोग क्षमता एवं उसके वर्गीकरण को प्रभावित करती है। भूमि उपयोग के वर्गीकरण का प्रथम उल्लेखनीय प्रयास संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था, जिसके अन्तर्गत राष्ट्रीय मृदा संरक्षण सेवा एवं कृषि विभाग ने कुछ उद्देश्यों को ध्यान में रखकर भूमि की सक्षमता को निर्धारित करने का कार्य किया था जिनमें प्रत्येक एकड़ भूमि के वांछित प्रयोग का राष्ट्रीय आवश्यकताओं के सन्दर्भ में अध्ययन करना मुख्य उद्देश्य था।<sup>19</sup> ग्रेट ब्रिटेन में सन् 1930-31 में बड़े पैमाने पर भूमि उपयोग के वर्गीकरण का कार्य प्रारम्भ किया गया।<sup>20</sup> तत्पश्चात् उत्तरी आयरलैण्ड में खेतों के बिखराव के कारण तथा उनके प्रबन्ध में भिन्नता के कारण भूमि उपयोग पर पड़े हुए प्रभावों का अध्ययन करने के लिए तथा भूमि की क्षमता का वर्गीकरण करने के लिए उसके क्षेत्रों में भूमि की माध्यम विशेषताओं का विश्लेषण किया गया।<sup>21</sup> ईराक में किया गया भूमि उपयोग क्षमता का वर्गीकरण मुख्यतः मृदा पर ही आधारित था। यहाँ डब्लू०एल० पावर्स ने मिट्टी की विशेषताओं, अपवाह दशाओं और प्राकृतिक वनस्पतियों को दृष्टि में रखकर ईराक को कई मृदा श्रेणियों में विभाजित किया था। भविष्य की भूमि विकास योजनाओं के सन्दर्भ में सिचन सुविधा तथा उसकी उपयोगिता की दृष्टि से मृदा के पाँच मुख्य वर्ग बनाए गये थे।<sup>22</sup> संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग के मृदा संरक्षण सेवा द्वारा निर्धारित भूमि क्षमता के वर्गीकरण से इस देश के बहुत से शोधकर्ता एवं कृषक भी परिचित हो चुके हैं। यहाँ भूमि क्षमता के आठ वर्ग और चार उपवर्ग प्रचलित हैं।<sup>23</sup> सोवियत संघ में प्रो० वी० वी० डाकूचायेब और उनके शिष्यों ने वैज्ञानिक ढंगों के आधार पर कृषि भूमि का परिमाणात्मक मूल्यांकन किया है और इसी आकलन पर उन्होंने उस देश में कृषि भूमि का वर्गीकरण भी किया है।<sup>24</sup>

उपर्युक्त प्रतिनिधि भूमि वर्गीकरणों के अतिरिक्त अनेक अन्य विद्वानों और संस्थाओं ने भी इस सन्दर्भ में कार्य किए हैं और उन्होंने अपने-अपने वर्गीकरण प्रस्तुत किए हैं। भारत में यह कार्य सरकारी प्रयासों एवं शोध छात्रों दोनों ही के द्वारा किया गया है ज्ञान बिहार के कटिहार प्रखण्ड के मृदा सक्षमता वर्गीकरण हेतु निम्न आधारों को लिया है।<sup>25</sup> भूमि की संरचना, उच्चवच, अपवाह तथा वर्ष में उत्पादित फसलों के आधार पर अध्ययन क्षेत्र की भूमि

का गुणात्मक वर्गीकरण निम्न चार वर्गों के अन्तर्गत किया जा सकता है (चित्र स० - 6 ब)।

(अ) उत्तम कोटि की भूमि - इस प्रकार की भूमि गहन कृषि के लिए, मक्षम होती है। अधिकांश भाग पर दोमट मिट्टी का विस्तार है। इस भाग में यत्र-तत्र बलुअर दोमट मटियार दोमट भी मिलती है। यह मृदा अध्ययन क्षेत्र के पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी भाग में मिलती है। इसके अन्तर्गत - दलन, रामपुर, भौरा, मधेपुरा और दोआसे में पायी जाती है। इसका उपयोग वर्ष में दो या तीन फसलों के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। यह भूमि उत्तर पूर्व में न्याय पचायत पारा, महमदिया, दोआसे से लेकर पश्चिम में बाँगर भूमि के मध्य क्षेत्र तक फैली हुई है। जिसमें दलन, भौरा, रामपुर तथा दोआसे न्याय पचायत के क्षेत्र सम्मिलित है। अन्य न्याय पचायतों में यह छिट-पुट रूप में मिलती है। जिन क्षेत्रों में धरातल समतल है और जहाँ बाढ़ का प्रभाव बहुत कम पडता है, वहीं इस मिट्टी का प्रसार है। ऐसे क्षेत्रों में तीव्र अपवाह की समस्याएँ नहीं होती जिससे मृदा का अपरदन कम होता है। कटिहार प्रखण्ड के उक्त न्याय पचायतों में उर्वर दोमट मिट्टी, मटियार-दोमट तथा बलुअर-दोमट प्रकार की मृदा खरीफ और रबी की अच्छी फसलें उगाई जाती है। इस क्षेत्र की कृषिगत भूमि का लगभग 50 से 70 प्रतिशत भाग पर दो फसली कृषि के अन्तर्गत है। दो फसली कृषि क्षेत्रफल के अधिक होने से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि यह भूमि उत्तम कोटि की है। वेलवा, दलन तथा दोआसे न्याय पचायत की भूमि तो निश्चय ही सर्वोत्तम कोटि की है। इसके दक्षिणी भाग में बलुअर दोमट मिट्टी तथा इसके उत्तरी भाग में दोमट एव मटियार दोमट मिट्टी एव उच्च कोटि की उर्वर दोमट प्रकार की मृदा का बाहुल्य मिलता है। वेलवा, मधेपुरा न्याय पचायत में भी उर्वर दोमट मिट्टियाँ मिलती हैं जो कृषि के लिए उत्तम मानी जाती हैं। इस प्रखण्ड में उत्तम कोटि के अन्तर्गत 60% भूमि आती है जिस पर वर्ष में सुगमता पूर्वक दो या अधिक फसलें उत्पन्न की जाती हैं।

(ब) उत्तम प्रकार की भूमि - इस कोटि के अन्तर्गत मृदा सर्तुग्नित प्रकार से लेकर कठोर गठन वाली होती है मिट्टी भुरभुरी प्रकार की है। मृदा में नमी की पर्याप्तता बनी रहती है। गहन उपयोग हेतु सक्षम है। पी० एच० मूल्य की दृष्टि से तटस्थ से सामान्य हल्की अम्लीय मृदा है।

इस प्रकार की भूमि में दोमट, बलुआ दोमट, मटियार दोमट और मटियार प्रकार की मृदा देखने को मिलती है। उर्वरता एवं उत्पादकता की दृष्टि से यह उत्तम प्रकार की मृदा है। इस प्रकार की भूमियों पर अधिकांश क्षेत्र दो फसली वाला है। इस प्रकार की भूमि भी सीमित क्षेत्र पर बाढ़ से प्रभावित होता है। इस कोटि में दोआसे, रघेली के दक्षिणी तटीय क्षेत्र को जिसमें विजैली, डुमरिया और पहाड़पुर न्याय पचायत सम्मिलित किए जा सकते हैं।

(स) मध्यम कोटि की भूमि - इस प्रकार की भूमि इस शोध अध्ययन क्षेत्र के बड़े भू-भाग पर फैली हुई है। इस प्रकार की भूमि मध्यवर्ती भाग में उत्तर में चन्देली से लेकर दक्षिणी महेशपुर तक मिलती है। वेलवा, गोरमामा, सौरिया, बलुआ, बुधेली, में भी मिलती है। इस भाग की मृदा मध्यम से लेकर कठोर सगठन वाली है। इस मृदा में 1/2 मात्रा में अति अम्लीयता से लेकर तटस्थ पी०एच० मूल्य की मृदा है। यह मध्यम प्रकार की उर्वरता वाली है। मृदा बलुआ-दोमट प्रकार की है, विशेष प्रबन्ध करने पर बढ़िया उत्पादन मिलता है। इस भाग में अधिक उत्पादकता हेतु सिंचाई आवश्यक है। इन न्याय पचायतों में भूमि अपेक्षाकृत नीची है और इरीरिंग अपवाह भी धीमा है। वर्षाकाल में ऐसी भूमि जल जमाव से विशेष रूप से प्रभावित हो जाती है। इन न्याय पचायतों में ऊँचे धरातलों पर उर्वर दोमट मिट्टी तथा निचली भूमि में मटियार मिट्टी पायी जाती है।

सामान्यतः इस क्षेत्र की उर्वर मृदा उत्तम प्रबन्ध होने पर वर्ष में दो फसलें पैदा करने में पूर्णतः सक्षम है, परन्तु धीमा अपवाह एवं जल जमाव के कारण निम्न भूमि वाले क्षेत्रों में दो फसली कृषिगत भूमि का प्रतिशत उनके सम्पूर्ण क्षेत्रफल का केवल 40% से 50% तक ही रह जाता है। इस प्रखण्ड में मध्यम कोटि की कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल लगभग 25 प्रतिशत है। इस प्रकार की मृदा का सर्वाधिक दो फसली क्षेत्र दलन, वेलवा, मधेपुरा, पारा आदि न्याय पचायतों में पाया जाता है। चन्देली भर्सा, पारा, जगन्नाथपुर न्याय पचायत में दोषपूर्ण उच्चावच के कारण ही दो फसली भूमि का प्रतिशत कम है।

(द) निम्न कोटि की भूमि - इस प्रकार की भूमि अध्ययन क्षेत्र के उत्तरी सीमान्त प्रदेशों में मिलती है। इसमें महमदिया पारा और भौरा न्याय पचायत आता है। इस कोटि में मृदा

हल्की से लेकर मध्यम प्रकार की गठन वाली मिलती है । इस कोटि की भूमि में कमला, कोसी धार, मोनाली नदियों के ऊपरी और निम्न कछारी भू-भाग सम्मिलित किया जाता है । इस क्षेत्र में बलुअर दोमट एव बलुअर, मिट्टियों की प्रधानता है जो रबी की कुछ फसलों के लिए विशेष उपयोगी है परन्तु बाढ़ तथा मिट्टी भी रेतीली प्रकृति होने के कारण ये खरीफ की फसलों के लिए अनुपयुक्त पायी जाती है । इसीलिए इन क्षेत्रों में बाढ़ समाप्त होने पर केवल रबी की फसल ही उगाई जाती है । बाढ़ तथा रेतीली भूमि की समस्या के अतिरिक्त इस क्षेत्र के कुछ भागों में खरीफ मिट्टी की समस्या भी है । जिसके कारण लगभग 10% भूमि ऊसर बन गयी है ।

**2.12 मृदा अपरदन** - मृदा अपरदन एक ऐसी प्रक्रिया है, जिससे किसी क्षेत्र की मृदा वायु या बहते जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानान्तरित हो जाती है।<sup>26</sup> वर्षा की बूंदों की आघात से मृदा के कण पृथक हो जाते हैं और मृदा पकिल एव ढीली हो जाती है । जल प्रवाह इस प्रकार की मृदा को सरलता से वहा ले जाता है और उसकी उपजाऊ ऊपरी सतह नष्ट हो जाती है । इस शोध अध्ययन क्षेत्र में मृदा अपरदन के दो प्रकार पाये जाते हैं जो निम्नवत् है

- (1) परत अपरदन
- (2) अवनलिका अपरदन

यह परत अपरदन से होने वाली हानि क्रमिक रूप में धीरे - धीरे होती है । इस प्रकार का अपरदन मुलायम मिट्टी, ढीली मिट्टी, मन्द ढाल वाली भूमि तथा वनस्पति रहित भूमि में अधिक होता है । इस अपरदन की क्रियाशीलता बन्द होने से उसकी मात्रा का अनुमान जीघ्र नहीं लग पाता, परन्तु कुछ समय बाद मिट्टी की उपजाऊ सतह लुप्त होने लगती है तथा नीचे की कडी और चट्टानी सतह ऊपर आ जाती है । जिससे अपरदन का स्पष्ट आभास हो जाता है । इससे भूमि उपजाऊ हो जाती है ।

अवनलिका अपरदन को नालीदार अपरदन भी कहते हैं । इस प्रकार का अपरदन अत्यधिक वर्षा के कारण मुख्यतः वनस्पतिहीन भूमि पर पतली - पतली नालियों द्वारा होता है । ये नालियाँ निरन्तर गहरी होती जाती हैं ।

ऐसे दोनों प्रकार के अपरदन इस क्षेत्र में नदी घाटियों में विशेष रूप से मिलते हैं । इनका विशेष प्रभाव कमला, मोनाली तथा कोशी धार नदियों के तटवर्ती भागों में देखा जाता है । किन्तु सर्वाधिक प्रभाव कोसी धार के अपवाह क्षेत्र में ही परिलक्षित होता है, क्योंकि आक्स्मिक बाढ़ों के समय इस नदी में पानी की बड़ी मात्रा तीव्र गति से बहती है जिससे उसके किनारे के कुछ भाग शीघ्र ही कट जाते हैं । तीव्र ढंग से बहने वाला पानी नदी के तल को भी काट देता है । जहाँ कहीं नदी में मोड़ होता है वहाँ जल प्रवाह में भी वक्र गति आ जाती है, जिससे नदी के तट अन्दर की ओर कट जाते है जब जल का वेग कम हो जाता है तो इस प्रकार से अपरदित मृदा नदी घाटी में प्रक्षेपित हो जाती है । बड़ी बाढ़ों के समय नदियाँ अपनी दिशाएं भी बदल देती है । इस शोध अध्ययन क्षेत्र में मृदा अपरदन प्रमुख रूप से वर्षा की तीव्रता, भूमि के ढाल एवं मिट्टी की प्रकृति से प्रभावित होता है ।

उपर्युक्त कारणों के अतिरिक्त क्षेत्रीय भूमि का अवैज्ञानिक प्रयोग तथा अपरदन के प्रति असावधानी आदि में अपरदन में सहायक सिद्ध होते हैं । अध्ययन क्षेत्र में चारागाहों पर अधिक चराई तथा वृक्षों की अनवरत कटाई तथा गहरी जुताई आदि के कारण अपरदन तीव्र होता जा रहा है और भूमि उत्तरोत्तर अनुपजाऊ होती जा रही है । जनसंख्या के निरन्तर वृद्धि आर्थिक विकास और कृषि योग्य भूमि की कमी को ध्यान में रखकर इसको रोकना अति आवश्यक है ।

### 2.13 मृदा संरक्षण :-

मृदा के संरक्षण हेतु किसी क्षेत्र की मिट्टी के अपरदन के घटकों, कृषकों की सूझ-बूझ, फसलों की किस्मों, वर्षा की मात्रा और वायु की गति आदि स्थानीय तत्वों का अध्ययन आवश्यक हो जाता है । बिना इसके समुचित ज्ञान के मृदा संरक्षण की योजना सफल नहीं हो सकती । अध्ययन क्षेत्र में मृदा संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं जिससे मृदा की उत्पादकता भी बनी रह सकती है और इसका अपरदन भी कम किया जा सकता है :-

1. तीव्र ढाल वाले भागों में वृक्षा रोपण ।

- 2 पानी के निकास की (वर्षा जल एवं जल जमाव के निकास की ) उचित व्यवस्था ।
- 3 बाढ़ नियन्त्रण ।
- 4 बाँध निर्माण ।
- 5 समुचित फसल चक्र ।
- 6 मोडे तथा हेज ( *Hedge* ) का निर्माण अधिक ढाल वाले क्षेत्रों में मृदा संरक्षण के लिए वृक्षरोपण आवश्यक है क्योंकि इसके द्वारा मिट्टी का टीलापन कम हो जाता है, साथ ही पेड़ की जड़ें अधिक गहराई तक जाकर मिट्टी को बाँध लेती हैं । इससे जल का वेग कम हो जाता है और वह मिट्टी को बहाने में सक्रिय नहीं होता है । भूमि पर मूसला धार वर्षा का प्रभाव भी कम हो जाता है । इस प्रकार मृदा संरक्षण हेतु वृक्ष रोपण विशेष लाभदायक है ।

मृदा संरक्षण के लिए पानी के निकास की उचित व्यवस्था होना भी अति आवश्यक है । पानी निकास के लिए यदि नहरें बनायीं जायें और इन्हें नदियों से जोड़ दिया जाय तो जल निकास तीव्र हो सकता है । बाढ़ नियन्त्रण के लिए नदी घाटी में जल की मात्रा को संतुलित रखना भी अति आवश्यक है, इसके लिए ऐसे क्षेत्रों में फीडर नहरें बनायीं जा सकती हैं । यदि खेतों में थोड़ी दूरी पर ऐसे मेडे बनाईं जायें जिससे जल प्रवाह का वेग कम हो जाय तो इससे उपजाऊ मिट्टी बह कर जाने से रूक जायेगी । अध्ययन क्षेत्र में कोसी धार से एक कमला नदी से निकाली गई नहरों की भाँति ही अन्य नदियों में भी नहरें निकालना आवश्यक है । इससे बाढ़ को नियंत्रित भी किया जा सकता है और साथ ही साथ सिंचाई का कार्य सम्पन्न किया जा सकता है ।

इस क्षेत्र में मृदा की सुरक्षा के लिए बहते हुए जल के वेग को रोकना अति आवश्यक है । इसके लिए खेतों की मेड बन्दी की जाय, ढालदार भूमि पर छोटे-छोटे सीढ़ीदार खेत बनाये जाय तथा थोड़ी - थोड़ी दूर पर हेज लगाये जाय और कुछ भागों में वनों का रोपण किया जाय तो जल का बहना धीमा हो सकता है और उपजाऊ मिट्टी बहने से बच सकती है बाढ़ का पानी सर्वत्र न फैल सके, इसके लिए उचित स्थानों पर बाँध बनाना भी आवश्यक है ।



उपर्युक्त उपायों के अतिरिक्त मृदा संरक्षण के लिए उचित फसल चक्र का होना भी लाभदायक है । ऐसे फसल चक्र से मृदा की उर्वरता में सुधार होता है तथा इसमें अधिक उत्पादन प्राप्त करने में सहायता मिलती है । इसमें फलीदार फसलों और दलहन फसलों का प्रयोग भी किया जाता है जिन्हें धान अथवा अन्य फसलों के साथ या मृदा दायिनी फसलों के साथ चक्रीय रूप में बोया जाता है । मृदा उर्वरता की दृष्टि से फसल चक्र से निम्नलिखित लाभ हैं -

- 1 इससे भूमि पर फसलों की झाकड़ीदार तथा मूसलादार जड़े बदलती रहती हैं जिससे उर्वरता बनी रहती है ।
- 2 इससे फसलों की जड़े की पोषण शक्ति बनी रहती है ।
- 3 यह मृदा को उचित रूप में नाइट्रोजन एवं कार्बनिक पदार्थ प्रदान करता रहता है ।
- 4 यह मृदा की भौतिक दशा को भी विकसित करता है ।

बोयी गई फसल की प्रकृति पर विचार किए बिना उसी क्षेत्र में लगातार एक ही फसल बोते रहने से मृदा की संरचना में विघटन होने लगता है और फसल से पैदावार भी कम हो जाती है । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग द्वारा मृदा संरक्षण के सम्बन्ध में निम्न सुझाव प्रस्तावित किया गया था -

*"Soil Conservation measures such as contour cultivation, strip, cropping, mulch forming, bunding terracing, gully, plugging and check damming can do much to arrest the deterioration of land. 27*

अध्ययन क्षेत्र में मृदा संरक्षण हेतु इन विधियों का प्रयोग लाभप्रद होगा ।

## 2.14 प्राकृतिक वनस्पति :-

कोसी तथा सहायक नदियों - कोरी कोसी, कोसी धार, कमला, मोनाली, तथा गिदगी नदियों के तटों पर कालान्तर में घने जंगल थे।<sup>28</sup> मध्यम वर्षा एवं उपजाऊ भूमि होने के कारण वृक्षों की अधिकता थी। साल और शीशम के वृक्ष बहुतायत से पाये जाते थे। बाद में कृषि भूमि को बढ़ाने के लिए वनों को निर्दयता-पूर्वक विदोहन किया गया। आजकल डम अध्ययन क्षेत्र में वनों की पेटियाँ समाप्त हो गयी हैं। केवल कुछ विखरे पेड़ तथा छोटी वनस्पतियाँ पायी जाती हैं। इस क्षेत्र में शीशम वृक्ष भी बहुतायत में हैं। मध्यवर्ती उच्च भूमि में नदियों के किनारे तटबन्धों पर स्थित 'उच्च' क्षेत्रों पर आम, जामुन, महुआ, सेमल आदि के वृक्ष मिलते हैं। दक्षिण में कमला एवं मोनाली नदियों के अचल में बेर एवं बबूल तथा बाँम के वृक्षों की अधिकता है।

इस अध्ययन क्षेत्र में 1027 हे० बाग-बगीचे पाये जाते हैं<sup>29</sup> ये मनुष्यों द्वारा रोपित हैं। इसका सर्वाधिक क्षेत्रफल चन्देली न्याय पचायत में 150 हे० तथा कम से कम क्षेत्रफल डुमरिया तथा विजैली न्याय पचायत में लगभग 11 हे० भूमि पर पाया जाता है। दोआसे रघेली तथा सौरिया में बाग-बगीचों की संख्या नगण्य है। इसके अलावा अन्य न्याय पचायतों में क्रमशः जगन्नाथपुर 90 हे० राजपारा में 100 हे०, रामपुर में 126 हे०, जवड़ा पहाड़पुर में 42 हे०, महमदिया में 102 हे०, बलुआ में 21 हे०, राजभावड़ा में 142 हे०, दलन में 60 हे०, वेलवा में 49 हे०, वोसी गोरगामा में 21 हे०, दण्ड खेरा में 46 हे०, हफला गज में 26 हे०, मधेपुरा में 16 हे० तथा परतेली में 14 हे० भूमि पर बाग-बगीचे पाए जाते हैं। ये सब निजी प्रयोग से लगाए गए हैं। इस सरकारी तन्त्र का ध्यान अब उन्मुख हुआ है। सड़कों एवं रेल मार्गों, नहरों के किनारे तथा अन्य बेकार खाली जमीन पर वृक्षों के रोपण तीव्र गति से किया जा रहा है।

उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि इस अध्ययन क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पतियों का क्षेत्रफल बहुत ही कम है। अब इनके क्षेत्रफल का विस्तार अति आवश्यक प्रतीत होता है। इस अध्ययन क्षेत्र के डुमरिया, विजैली न्याय पचायत में ही सबसे कम भूमि पर प्राकृतिक वनस्पति मिलती है जबकि तीन न्याय पचायतों में दोआसे, रघेली तथा सौरिया में बाग-बगीचों का क्षेत्रफल नगण्य है। इन न्याय पचायतों में वृक्षा रोपण करके बाद को नियन्त्रित किया जा सकता है।

इस अध्ययन क्षेत्र के अधिकांश गावों में पड़ी हुई बेकार भूमि के जीशम , पीपल, बरगद, नीम, महुआ, अर्जुन के वृक्ष तथा मृज, कृस, बास दलदली स्थानों पर नारियल नकरट आदि वनस्पतिया अब भी प्राकृतिक रूप में उग आती हैं । कृषकों के दृष्टिकोण में इस भाग में आम, जामुन, अमरूद, महुआ एव नींबू, नारियल आदि के वृक्ष विशेष उल्लेखनीय हैं इनसे कृषकों को पर्याप्त लाभ भी होता है ।

XXXXXXXX

सन्दर्भ - सूचिका (REFERENCES)

1. जिला माण्डियकी हस्तपुस्तिका का कटिहार, 1990, भूमि प्रबन्ध सस्करण
2. उपर्युक्त
3. उपर्युक्त
4. *Jha, Manoj Kumar Land use in Katihar Anchal, Bihar, A study in problems, Development and Planning, Unpublished Ph D Thesis, Bhagalpur University, 1990, p. 18*
5. कटिहार जिला का संक्षिप्त प्रतिवेदन अखिल भारतीय पंचम शिक्षा सर्वेक्षण, 1986 - 87, मानव ससाधन विकास विभाग, बिहार, वर्ष 1987, पृ0 5
6. उपर्युक्त
7. गजेटियर आफ पूर्णिया जनपद (बिहार भारत) 1663 पृ0 47
8. *Salter, C.S.: The Flow of water trough soil, Agr, Eng, Vol 31, 1950 pp. 119 - 224.*
9. स्वयं शोधकर्ता के सर्वेक्षण पर आधारित
10. *Govt. of India, : Indian Meteorological Deptt. Wealter and the Indian Farmer, Poona, 1969, p 4.*
11. *Spate, O.H.K. . India and Pakistan 1954, p.41.*
12. *Bhardwaj O.P. : Climate and Human Activity climate of the Bist &Jullunder Doab (Punjab) with reference to Variability of Rainfall N G.J. India 1960, Val VI Pt.11, pp. 91 - 92.*
13. *Ibid p 83*
14. *Shafi M. : Land Vtilization in Eastern Uttar Pradesh, 1960, p. 25.*
15. *Bharadwaj, O.P. . Climate and Human Activity, 1960, p 25.*

16. Spate O.H.K. : *India and Pakistan*, Landon 1963, O.P. Cit, p. 43.
17. Singh V.R : *Land use pattern in Mirzapur and Envirans*, Ph D. Thesis, B H U. 1970, p 24.
18. बसु जे के वैद्य, डी सी रामाराव, एम एस वी भारत में सरक्षण, उ० प्र० हिन्दी अकादमी (लखनऊ) 1973, हिन्दी सस्करण - 1
19. Donahue, R.L., : *Our Soel and their Management*, Indian Edition Asia Publishing House, Bombay, 1963, p. 82
20. Stamp, L.D. : *The Land of Britain, Its use and Missuese*, longmeans, London, 1962, p 352.
21. Symons Iis lie : *Agricultural Geogrpahy* G. Bell & Sons Ltd London 1968, pp 244-246.
22. Powers, W.L. *Soil and land capabiliteis in garg*, *Geographical Review* , 1954, XXXIV No. 2, pp. 373-380.
23. *A Mannual on conservation of soil and water*, 1963, pp. 27-29
24. As Quoted by Acedemician Geraismow 9.P, *The Geographical Study of Agricultural land use*, *Geographical Journal* 1958, Vol 124, p. 458.
25. Jha, M.K. : *Land use in the Katihar Anchal, Bihar A study in problems Development and Planning* 1990, p. 49.
26. बसु जे के वैद्य, डी सी, रामाराव एम एस वी भारत मे मृदा सर्वेक्षण उ० प्र० हिन्दी अकादमी (लखनऊ) 1973 पृ० 124
27. *Second Five Year Plan*, 1956, p. 1307.

28. *Singh, R.L. : India A Regional Geography 1971, p. 204*
29. राजस्व विभाग से प्राप्त आकड़ों पर आधारित ।

XXXXXXXXXXXX

XXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

अध्याय - तृतीय  
भू-आर्थिक ससाधन

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXX

## अध्याय - तृतीय भू- आर्थिक ससाधन

### 3.1 जनसख्या

कभी अग और मगधराज के अधिकार क्षेत्र मे रहा यह विराट की नगरी पाण्डवों की शरण-स्थली रही है । अपनी शान्ति-प्रियता, प्राकृतिक सुन्दरता एव धार्मिक सहिष्णुता के लिए विख्यात आर्थिक - सामाजिक रूप से आज बदहाली की जिन्दगी गुजार रहा है एक वस्त्र मे लिपटे हुए तन नगे, बदन जर्जर और क्षीणकाय शारीरिक स्वरूप यहाँ के आर्थिक स्तर के ज्वलन्त और चुनौती पूर्ण परिवेश का द्योतक है ।

भूमि उपयोग मे मानव एक महत्वपूर्ण कारक है । अत भूमि उपयोग के परिप्रेक्ष्य मे जनसख्या का अध्ययन अति आवश्यक है, क्योंकि इसी आधार पर वर्तमान आर्थिक क्रियाओं की योजना का निर्धारण एव क्रियान्वयन तथा विकसित स्तर का निरूपण एवं मापन किया जा सकता है । जनसख्या के समुचित अध्ययन हेतु उसके विभिन्न पक्षों का ज्ञान आवश्यक है । उदाहरणार्थ, जनसख्या की वृद्धि एव विकास दर विभिन्न घनत्व वर्गों का क्षेत्रतीय विवरण यौन-अनुपात, साक्षरता, क्रियाशीलता एव व्यवसायिक संरचना आदि जनसख्या अध्ययन के मुख्य घटक है । शोध अध्ययन क्षेत्र के परिपेक्ष्य मे इन घटकों का विवरण नीचे दिया जा रहा है ।

#### (अ) जनसख्या वृद्धि

कटिहार प्रखण्ड बिहार राज्य का एक जनसकुल क्षेत्र है । जनसंख्या की बहुलता की दृष्टि से इसे जनपद मे प्रथम स्थान प्राप्त है ।<sup>1</sup> प्रस्तुत तालिका (3 1) मे अध्ययन क्षेत्र की पिछले पाँच दशकों की जनसख्या वृद्धि को प्रदर्शित किया गया है ।

तालिका (3 1) से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्र मे वर्ष 1941 से 51 की अवधि मे 24 2% की वृद्धि हुई है जबकि शहरी क्षेत्र मे 1941 से 1951 की अवधि मे 60 9% की वृद्धि हुई है । 1951 से 61 की अवधि मे ग्रामीण और शहरी क्षेत्र मे क्रमश 21 10%



तथा 44.32% की वृद्धि हुई है। वर्ष 1961 और 1971 के बीच ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्रमशः 22.55% तथा 30.60% तथा 1971 - 81 के बीच ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्रमशः 13.18%, 52.27% और वर्ष 1981 - 91 के बीच ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्रमशः 30.73%, 26.30% की वृद्धि हुई है। ग्रामीण और शहरी दोनों का औसत वृद्धि वर्ष 1941 से लेकर 1991 के बीच क्रमशः 37.56%, 31.09%, 26.30%, 32.00% तथा 28.28% की वृद्धि हुई है अर्थात् 1941 से 1991 की अवधि में प्रखण्ड के अन्तर्गत कुल वृद्धि 285.69% की हुई है।

### सारणी 3।

#### कटिहार प्रखण्ड में जनसंख्या वृद्धि (1941 - 91)

अध्ययन क्षेत्र	जनगणना वर्ष					
	1941	1951	1961	1971	1981	1991
ग्रामीण क्षेत्र	46732	58135	70405	86283	97656	127683
प्रतिशत		24.2%	21.1%	22.55%	13.18%	30.74%
शहरी क्षेत्र कटिहार	26326	42365	41344	80121	122005	154101
प्रतिशत		60.9%	44.32%	30.60%	52.27%	26.30%
कुल योग (ग्रामीण + शहरी)	73058	100500	131749	166404	219661	281784
प्रतिशत		37.56%	31.09%	26.30%	32.00%	28.28%

स्रोत - जिला सांख्यिकीय कार्यालय कटिहार (बिहार)।

तालिका 3। एव मानचित्र 3। एव 3.2 से यह स्पष्ट है कि वर्ष 1941 से 1951 तथा 1971 से 1981 की अवधि में जनसंख्या तेजी से बढ़ी है। इसका प्रमुख

# KATI HAR PRAKHAND GROWTH OF POPULATION 1951-1991




Fig 31

कारण यह है कि आजादी के समय एक लम्बी जनसंख्या बगाल से बिहार को आयी तथा 1973 के कटिहार जनपद के निर्माण के फलस्वरूप अनेक सरकारी (केन्द्रीय एवं प्रादेशिक) कार्यालय स्थापित हुए जिसके फलस्वरूप जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई जबकि 1981-91 के बीच जनसंख्या वृद्धि की दर सामान्य है। गाँव स्तर पर भी 1951 से 1991 की अवधि में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई। विशेषकर यह वृद्धि जगन्नाथपुर (3652 63%), अनखोर (3281 81%), तरङ्गना (1218 18%), राजभवारा (807 78%), परतेली (728 48%), भवानीपुर (693%), बोरनी गोरगामा (604 09%), रामपुर (540 78%) तथा महदेई (470 68%), में दृष्टव्य है। यही नहीं कुछ गाँवों की जनसंख्या में तेजी से ह्रास भी हुआ है जो निम्न है - घुसमर बेलवा (-99 05%), पकडिया (- 89 2%), मिरचाई (- 78 9%), पुपरी (- 75 29%), टियर पाडा (- 73 15%), बौरा (-68 55%), गोपालपुर (- 68 51%), एराजी महकोल (- 67 90%), टेढवा (- 64 42%) तथा पहाडपुर में (- 32 80%), 1951 से 1991 की अवधि में जनसंख्या में ह्रास हुआ है। अध्ययन क्षेत्र में 1951 से 91 की अवधि में पिपरी, फरही, सपनी, गोरफर, कलसर, बेलगाछी, बलुआ, रतनपुरा बुधेली, मझुआ, रधेली, खैरा, बठेली, तथा पिपरा आदि गाँव आबाद हुए हैं। इसके विपरीत कुछ आबाद गाँव गैर आबाद भी हो गए हैं जो निम्न हैं - मझौली, शकरपुर, भेलाही एराजी, मझुआ, खैरा आदि।

न्याय पंचायत स्तर पर जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि न्याय पंचायत जगन्नाथपुर (1100%), में हुई है। न्याय पंचायत जगन्नाथपुर में तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या के मुख्य कारण सुविधाओं पर आधारित कृषि कार्य तथा यातायात एवं अन्य सांस्कृतिक सेवाओं की सहज उपलब्धता से सम्बद्ध प्रतीत होती है। सबसे कम वृद्धि न्याय पंचायत दलन में (33 85%) है। न्याय पंचायत राजपारा में इन सुविधाओं की कमी तथा प्रति वर्ष बाढ़ की विभीषिका के कारण जनसंख्या में ह्रास (- 21.36%) की हुई है (तालिका 3.2)।

शहरी क्षेत्र (कटिहार) पर प्रकाश डालने पर स्पष्ट होता है कि वर्ष 1941 और 1991 के बीच जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई है। 1941 में शहरी क्षेत्र (कटिहार) की जनसंख्या 26326 थी जो 1991 में 154101 हो गई। यह वृद्धि 50 वर्षों में

485 35% हुई (मानचित्र 3 2) ।


सारणी 3-2

कटिहार प्रखण्ड : न्याय पंचायत स्तर पर जनसंख्या वृद्धि (1951 - 91)

क्र०स०	न्याय पंचायत	जनसंख्या		वृद्धि	वृद्धि दर %
		1951	1991		
1	चन्देली भर्षा	1841	5457	3616	196.41
2	जगन्नाथपुर	535	6425	5890	1100.00
3	राजपारा	7431	5843	- 1588	- 21.36
4	रामपुर	1179	5913	4735	401.52
5	जबडा-पहाडपुर	2991	4460	1469	49.11
6	बिजेली	2340	5666	3326	142.13
7	डुमरिया	2620	5452	2832	108.09
8	महमदिया	2068	4023	1955	94.53
9	बलुआ	1477	4817	3340	226.13
10	राजभवाडा	1317	6456	5139	390.20
11	दलन	8566	11466	2900	33.85
12	बेलवा	4313	6911	2598	60.23
13	बोरनी	1210	3977	2769	228.67
14	दोआसे	3040	6441	3401	111.87
15	सौरिया	2072	5522	3450	166.50
16	डण्डखोरा	2784	6272	3488	125.28
17	रषेली	1720	4104	2384	138.60
18	हफलागज	5159	11499	6340	122.89
19	मधेपुरा	1749	4984	3235	184.96
20	परतेली	3723	11995	8272	222.18
<b>योग</b>		<b>58135</b>	<b>127683</b>	<b>69548</b>	<b>119.63</b>
<b>शहरी क्षेत्र</b>		<b>42366</b>	<b>154101</b>	<b>1,11736</b>	<b>263.75</b>
<b>कुल योग</b>		<b>100501</b>	<b>281784</b>	<b>1,81284</b>	<b>180.38</b>

# DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS

## POPULATION GROWTH



## DECADE VARIATION




Fig 3 2

अध्ययन क्षेत्र में वृद्धि को निम्न पाँच भागों में विभाजित किया जा सकता है।

(तालिका 3.3) जिसका संक्षेप में विवरण निम्न है -

(1) **अतिनिम्न** - अध्ययन क्षेत्र में इस वर्ग के अन्तर्गत 1951 में 34 गाँव थे जो 1991 में घटकर 18 हो गए हैं अर्थात् वर्तमान में इस कोटि में 14.28% गाँव सम्मिलित हैं। न्याय पंचायत स्तर पर बलुआ में 3, सौरिया, मधेपुरा, डुमरिया में 2 तथा जगन्नाथपुर, बेलवा, चन्देली, राजपारा - पहाडपुर, बोरनी, रघेली, हफलागज तथा महमदिया में 1 गाँव इस कोटि में है।

(2) **निम्न** - अध्ययन क्षेत्र में इस कोटि में 32.54% गाँव पाये जाते हैं। न्याय पंचायत स्तर पर बलुआ में सर्वाधिक 4 गाँव सम्मिलित हैं। पहाडपुर, बिजेली, बोरनी के 3 गाँव, परतेली, रघेली, द्रासे, बेलवा, महमदिया, राजपारा तथा चन्देली में दो-दो गाँव इस कोटि में आते हैं। भवाडा तथा मधेपुरा के एक-एक गाँव हैं।

### सारणी 3.3

कटिहार प्रखण्ड जनसंख्या घनत्व का श्रेणीगत वितरण (1951 - 1991)

श्रेणीयन	घनत्व (व्यक्ति/हे०)	गाँवों की संख्या		गाँवों का प्रतिशत	
		1951	1991	1951	1991
जनविहीन	00	20	13	15.87	10.32
अतिनिम्न	< 2	34	18	26.98	14.28
निम्न	2 - 4	46	41	37.51	32.54
मध्यम	4 - 6	13	26	10.32	20.63
उच्च	4 - 8	8	18	6.35	14.29
अति उच्च	> 8	5	10	3.97	7.74
		<b>126</b>	<b>126</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

# KATIHAR PRAKHAND POPULATION DISTRIBUTION 1991





Fig.3-3

(3) **माध्यम** :- इसके अन्तर्गत 20 63% गाँव सम्मिलित है । न्याय पंचायत स्तर पर हफलागज 4, डुमरिया, महमदिया, भवाडा में तीन - तीन गाँव, राजपारा, बोरनी, द्वासे तथा जगन्नाथपुर में दो तथा शेष न्याय पंचायतों के अन्तर्गत । गाँव इस क्रम में मिलते हैं ।

(4) **उच्च** .- इस वर्ग में 14 29% गाँव सम्मिलित हैं । सर्वाधिक 4 गाँव न्याय पंचायत परतेली में प्राप्त हैं । न्याय पंचायत बेलवा एवं सौरिया में दो - दो गाँव , और दोआसे में 1 गाँव है ।

(5) **अतिउच्च** :- इसके अन्तर्गत 10 गाँव सम्मिलित हैं । सर्वाधिक न्याय पंचायत परतेली में 3 तथा बोरनी डण्डखेरा एवं हफलागंज में एक - एक गाँव पाये जाते हैं ।

#### (ब) जनसंख्या वितरण -



जनसंख्या वितरण के अध्ययन से किसी क्षेत्र में जन संकुलता का बोध होता है जिसमें ग्राम बिन्दु के माध्यम से ग्राम स्तर पर जनसंख्या के वितरण को भली - भाँति व्याख्या प्रस्तुत करता है (चित्र 3 3) । जनसंख्या के वितरण को विभिन्न प्रकार के घनत्वों के माध्यम से अच्छी तरह वर्णित किया जा सकता है ।

(1) **सामान्य घनत्व** - किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या में कुल क्षेत्रफल के अनुपात को सामान्य घनत्व कहा जाता है । अध्ययन क्षेत्र में ग्राम स्तर पर जनसंख्या एवं उसके सामान्य घनत्व में पर्याप्त असमानता है (चित्र 3 4 एवं 3 5) । सम्बन्धित तालिका में न्याय पंचायत स्तर पर सकलित कर प्रदर्शित किया गया है (तालिका 3 4) ।

जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व कटिहार प्रखण्ड के हफलागज में (1116 व्यक्ति प्रति वर्ग कि०मी०) है । दूसरे स्थान पर न्याय पंचायत जगन्नाथपुर (662 व्यक्ति प्रति वर्ग कि० मी० ) है । न्याय पंचायत डुमरिया, दोआसे, राजपारा एवं रामपुर का जन घनत्व (564 से 530 व्यक्ति /कि० मी०<sup>2</sup>) है । सबसे कम जनघनत्व न्याय पंचायत बेलवा का



# KATI HAR PRAKHAND GENERAL DENSITY 1951



PERSONS PER HECTARE




Fig 3-4

## सारणी 3-4

कटिहार प्रखण्ड न्याय पंचायत स्तर पर जनघनत्व (1991)

क्र०स०	न्याय पंचायत	कुल जनसंख्या (1991)	क्षेत्रफल (किमी <sup>2</sup> )	घनत्व/किमी <sup>2</sup>	श्रेणीयन
1	चन्देली भर्मा	5457	13 51	404	16
2	जगन्नाथपुर	6425	9 70	662	2
3	राजपारा	5843	10 83	540	5
4	रामपुर	5913	11 20	530	6
5	जबडा पहाडपुर	4460	10 21	437	14
6	बिजेली	5666	12 49	454	13
7	डुमरिया	5452	9 67	564	3
8	महमदिया	4023	11 63	346	18
9	बलुआ	4817	13 33	361	17
10	राजभवाडा	6456	13 90	464	11
11	दलन	11466	23 97	478	10
12	बेलवा	6911	25 86	267	20
13	बोरनी	3977	10 38	343	19
14	दोआसे	6441	11 54	558	4
15	सौरिया	5522	12 02	459	12
16	डण्डखोरा	6272	13 02	482	9
17	रघेली	4104	8 23	499	7
18	हफलागज	11499	10 30	1116	1
19	मधेपुरा	4984	12 22	408	15
20	परतेली	11995	24 06	498	8
<b>योग</b>		<b>127683</b>	<b>268.07</b>	<b>476</b>	
<b>ग्रहरी क्षेत्र (कटिहार)</b>		<b>154101</b>	<b>36.00</b>	<b>4281</b>	
<b>कुल योग (अध्ययन क्षेत्र)</b>		<b>281784</b>	<b>304.07</b>	<b>927</b>	

# KATI HAR PRAKHAND GENERAL DENSITY

19 91




Fig 3 5

(267 व्यक्ति/कि०मी०<sup>2</sup>) है । शहरी क्षेत्र कटिहार का जनघनत्व 4281 व्यक्ति/कि०मी० है । ग्रामीण एव शहरी क्षेत्र का औसत जन घनत्व 927 व्यक्ति मिलता है । तुलनात्मक दृष्टि से 1991 में बिहार प्रदेश 497 व्यक्ति/कि० मी०<sup>2</sup> तथा सम्पूर्ण भारत 274 व्यक्ति/कि० मी०<sup>2</sup>)<sup>2</sup> से अध्ययन क्षेत्र का जनघनत्व प्रति/कि०मी० अधिक है ।

इसी प्रकार ग्राम स्तर पर भी जनघनत्व में पर्याप्त भिन्नता मिलती है (चित्र 3 4, चित्र 3 5 एवं सारणी 3 3) 1991 के जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक जनघनत्व अध्ययन क्षेत्र के ग्राम बोरनी गोरगामा (48 व्यक्ति/एकड़) में प्राप्त है जबकि न्यूनतम ग्राम कवेया (1 89 व्यक्ति/एकड़) न्याय पंचायत चन्देली में पाया गया है ।

जनसंख्या घनत्व के आधार पर अध्ययन क्षेत्र के गाँवों को छ श्रेणियों में बाँटा गया है जिसमें अति निम्न में 18, निम्न में 41, मध्यम में 26, उच्च में 18 तथा अति उच्च के अन्तर्गत 10 गाँव आते हैं । उच्च तथा अति उच्च गाँव अध्ययन क्षेत्र के उस भाग में स्थित हैं जहाँ अधिक उपज देने वाली द्वि-फसली भूमि, सिंचाई, उन्नतशील बीज, उर्वरक नवीन कृषि पद्धति, परिवहन एवं सेवा केन्द्रों आदि की सुविधाएँ प्राप्त हैं ।

(2) **कायिक घनत्व** :- किसी क्षेत्र की कुल कृषित भूमि एवं उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या के अनुपात को कायिक घनत्व कहा जाता है । इस अध्ययन क्षेत्र का औसत कायिक घनत्व लगभग 6 3 व्यक्ति प्रति हे० है । विकास खण्ड स्तर पर इस घनत्व में पर्याप्त भिन्नता मिलती है (चित्र 3 6 एवं सारणी 3 5) सर्वाधिक कायिक घनत्व (14 61 व्यक्ति/हे०) न्याय पंचायत हफलागज में मिलता तथा न्यूनतम कायिक घनत्व (3 71 व्यक्ति/हे०) न्याय पंचायत बेलवा में पाया जाता है । शेष सभी न्याय पंचायतों में कायिक घनत्व इसके बीच में स्थित है ।

(3) **कृषि घनत्व** - किसी क्षेत्र कृषित भूमि तथा कृषि कार्य में लगी हुई जनसंख्या के अनुपात को कृषि घनत्व कहा जाता है । इससे कृषि भूमि पर जनसंख्या के दबाव का आभास मिलता है जिससे ग्रामीण विकास अथवा नियोजन में सहायता मिलती है । अध्ययन क्षेत्र के अन्तर्गत लगभग 20255 हे० भू-भाग पर कृषि की जाती है तथा इसकी 45804 जनसंख्या

# KATI HAR PRAKHAND PHYSIOLOGICAL DENSITY 1991




Fig 3.6

## सारणी 3 5


## कटिहार प्रखण्ड · विभिन्न घनत्वों का विवरण प्रतिरूप

क्रम सं०	न्याय पंचायत	कृषित भूमि (हे०में)	जनसंख्या	कृषिक घनत्व (व्यक्ति/हे०)	कृषि में संलग्न जनसंख्या	कृषि घनत्व व्यक्ति/हे०
1	चन्देली भर्मा	5457	1088	5 01	2390	2 19
2	जगन्नाथपुर	6425	694	9 25	2645	3 81
3	राजपारा	5843	868	6 73	2085	2 40
4	रामपुर	5913	688	8 59	2825	4 10
5	जबडा पहाडपुर	4460	824	5 41	2119	2 57
6	बिजेली	5666	1108	5 11	2470	2 22
7	डुमरिया	5452	864	6 31	2775	3 21
8	महमदिया	4023	665	6 04	1395	2.09
9	बलुआ	4817	934	5 15	2250	2.40
10	राजमवाडा	6456	917	7 04	2115	2 30
11	दलन	11466	1978	5 79	3470	1 75
12	बेलवा	6911	1861	3 71	2708	1 29
13	बोरनी	3977	920	4 32	1825	1.98
14	दोआरो	6441	1076	5 98	2952	2 74
15	सौरिया	5522	784	7 04	2072	2 64
16	डण्डखोरा	6272	914	6 86	1910	2 08
17	रघेली	4104	768	5 34	1285	1.67
18	हफलागज	11499	787	14 61	3895	4 94
19	मधेपुरा	4984	1048	4 75	1857	1.77
20	परतेली	11995	1469	8 16	2956	2.01
		<b>127683</b>	<b>20255</b>	<b>6.3</b>	<b>45804</b>	<b>2.26</b>

स्रोत - जिला सांख्यिकी कार्यालय कटिहार (बिहार)

# KATI HAR PRAKHAND AGRICULTURAL DENSITY 1991

N



2 0 2 4 6  
Km

PERSONS PER HECTARE




Fig 3.7

कृषि कार्यों पर आश्रित है । प्रखण्ड का औसत कृषि घनत्व 2 26 व्यक्ति प्रति हेक्टेअर अथवा 226 व्यक्ति प्रति वर्ग कि० मी० मिलता है । इसका विवरण (चित्र 3 7 एवं सारणी 3 5) प्रदर्शित किया गया है ।

सर्वाधिक कृषि घनत्व (4 94 व्यक्ति/हे०) न्याय पचायत हफलागज में मिलता है तथा न्यूनतम घनत्व (2 19 व्यक्ति/हे०) न्याय पचायत चन्देली में मिलता है ।

### (स) विभिन्न घनत्वों का तुलनात्मक विवेचन

सामान्य घनत्व, कृषिक घनत्व एवं कृषि घनत्व के क्षेत्रीय वितरण तथा इन पर प्रभाव डालने वाले तत्वों के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि इन घनत्वों के क्षेत्रीय प्रतिरूपों में अन्तर्सम्बन्ध है । इनके समायोजन से (सारणी 3 6) अध्ययन क्षेत्र को तीन घनत्व कोटियों के अन्तर्गत विभाजित किया जा सकता है ।

(1) उच्च घनत्व :- इसके अन्तर्गत न्याय पचायत हफलागज, जगन्नाथपुर, रामपुर, डुमरिया, तथा दोआसे सम्मिलित है । ये अधिकतम जनसंख्या के घनत्व के सर्वाधिक पोषक है । इसमें उपजाऊ बहुशस्यीय भूमि तथा मुद्रादायिनी पटसन, केला के क्षेत्रों की बहुलता है सिंचाई के साधनों की सुगमता नवीन कृषि पद्धतियों के प्रयोग एवं यातायात के साधनों के विकास के कारण इन न्याय पचायतों में अधिक जनसंख्या पाई जाती है ।

(2) मध्यम घनत्व :- इसके अन्तर्गत न्याय पचायत राजपारा, सौरिया, राजभवाडा , परतेली डण्डखोरा, जबडा-पहाडपुर, बिजौली, महमदियाँ, दलन तथा चन्देली को सम्मिलित किया जा सकता है । इनमें कृषि सम्बन्धी लगभग सभी सुविधाएँ सुलभ है परन्तु वर्षा काल में जल जमाव होने के कारण खरीफ की फसलें नष्ट हो जाती है । साथ ही सिंचाई एवं यातायात के साधनों का समुचित विकास न होने के कारण जनसंख्या का घनत्व मध्यम श्रेणी का पाया जाता है ।

(3) न्यून घनत्व - इसके अन्तर्गत न्याय पचायत बलुआ, रघेली, मधेपुरा, बोरनी तथा बेलवा



## सारणी 36

## कटिहार प्रखण्ड विभिन्न घनत्वों का तुलनात्मक अध्ययन (1991)

क्र०स०	न्याय पचायत	सामान्य घनत्व	श्रेणीयन	कार्यिक घनत्व	श्रेणीयन	कृषि घनत्व	श्रेणीयन	स्तरीय मानों का योग	औसत	
1	चन्देली भर्मा	स्तरीयमान	404	16	501	17	219	12	45	15
2	जगन्नाथपुर	"	662	2	925	2	381	3	7	2 23
3	राजपारा	"	540	5	673	8	240	8	21	7
4	रामपुर	"	530	6	859	3	410	2	11	3.66
5	जबडा पहाडपुर	"	437	14	541	13	257	7	34	11 33
6	बिजेली	"	454	13	511	16	222	11	40	13 33
7	डुमरिया	"	564	3	631	9	321	4	16	5 33
8	महमदिया	"	346	18	604	10	209	12	40	13.33
9	बलुआ	"	361	17	515	15	240	9	41	13.66
10	राजमाडा	"	464	11	704	5	230	10	26	8.66
11	दलन	"	478	10	579	12	175	18	40	13 33
12	बेलवा	"	267	20	371	20	129	20	60	20
13	बोसी	"	343	19	432	19	198	16	54	18
14	दोआसे	"	558	4	598	11	274	5	20	6.66
15	सौरिया	"	459	12	704	6	264	6	27	8
16	डण्डखोरा	"	482	9	686	7	208	14	30	10
17	रघेली	"	499	7	534	15	167	19	41	13 66
18	हफलागज	"	1116	1	1161	1	498	1	3	1
19	मधेपुरा	"	408	15	475	18	177	17	50	16 66
20	परतेली	"	498	8	816	4	201	15	27	9

का भू भाग आता है । यह क्षेत्र प्रति वर्ष वर्षाकाल में बाढ़ की गहन चपेट में आ जाता है । अतः खरीफ की लगभग 75% फसलें नष्ट हो जाती हैं । यह मुख्यतया एक फसली क्षेत्र है । यहाँ प्रति वर्ष बाढ़ का प्रभाव पड़ जाता है । यहाँ सिंचाई एवं यातायात के साधनों का भी अभाव है । अन्य आर्थिक साधन कम विकसित हैं इसलिए इन न्याय पंचायतों में जनसंख्या का घनत्व बहुत न्यून मिलता है ।

#### (द) यौन अनुपात

अध्ययन क्षेत्र में जाति संरचना, कृषि भूमि की उपलब्धता, साक्षरता एवं विभिन्न सेवाओं की उपलब्धता आदि जैसे स्थानीय कारकों से यौन -अनुपात विशेष रूप से प्रभावित हुआ है । कटिहार प्रखण्ड के सभी 20 न्याय पंचायतों में औरतों की संख्या पुरुषों में कम है । और सबसे कम न्याय पंचायत रघेली की (563) है ।

किसी देश के सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे को तथा उससे सम्बन्धित तत्वों को प्रभावित करने में यौन-अनुपात एक आधारभूत कारक है । इससे कृषि कार्य एवं अन्य कार्य हेतु उपलब्ध श्रमिकों की संख्या का पता चलता है जिसका आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है । अध्ययन क्षेत्र में भी भारत के अन्य भागों की भाँति उच्च वर्गीय परिवारों की महिलाएँ कृषि कार्य में योगदान नहीं देती किन्तु निम्नवर्गीय परिवारों की महिलाएँ कृषि से सम्बन्धित अधिकांश कार्यों (जैसे बुआई, निराई, सिंचाई, कटाई, मड़ाई, ओसाई आदि) में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं ।

इस क्षेत्र में यौन-अनुपात में परिवर्तन का विवरण निम्नवत् है ।

विगत वर्षों में जनसंख्या के गणनानुसार पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या वर्ष 1951 और 1971 के बीच क्रमशः बढ़ी है । तथा 1981 और 1991 की बीच क्रमशः घटी है । सारिणी (3 7) । वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की संख्या 923 प्रति हजार पुरुष है । इसका प्रमुख कारण , अशिक्षा, गरीबी, स्त्रियों का शोषण एवं संघर्षशील जीवन है । अध्ययन क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है । स्त्रियाँ भी पुरुषों की तरह कार्य करती हैं । यहाँ तक अपने भरण-पोषण के लिए बाहर भी चली जाती हैं

सारणी 37

यौन - अनुपात में परिवर्तन (1951-1991)

वर्ष	महिलाओं की संख्या ( प्रति हजार पुरुष )			अनुपात स्त्री का
	जनसंख्या	पुरुष	स्त्री	
1951	58135	25623	23512	917
1961	70405	36375	34030	935
1971	86283	44139	42144	954
1981	97656	50121	47535	948
1991	127683	66398	61285	923

स्रोत जिला सांख्यिकी कार्यालय कटिहार (बिहार) ।

और दैनिक मजदूरी पर जीवन यापन भी करती है । न्याय पंचायत स्तर पर यौन, अनुपात में अधिक भिन्नता दृष्टिगोचर होती है जो आगे की तालिका 38 से स्पष्ट है ।

(य) नगरीकरण -

किसी क्षेत्र में नगरीकरण का विकास उस क्षेत्र की आर्थिक प्रगति का द्योतक है । ऐसा समझा जाता है कि जिस क्षेत्र में नगरीकरण जितना अधिक होगा, वह क्षेत्र उतना ही अधिक विकसित होगा । इस अध्ययन क्षेत्र में एक नगरपालिका (कटिहार) एवं 20 न्याय पंचायत है । वर्ष 1991 में अध्ययन क्षेत्र में नगरीय जनसंख्या 1,54,101 है जो कुल जनसंख्या का 54.68% है<sup>3</sup> अर्थात् अध्ययन क्षेत्र के अन्तर्गत केवल जनपद कार्यालय कटिहार (शहरी क्षेत्र) के अन्तर्गत ही आधी से अधिक जनसंख्या निवास करती है । अध्ययन क्षेत्र में नगरीय जनसंख्या अधिक होने का प्रमुख कारण इसलिए है कि वहाँ पर दो जूट उद्योग, कागज उद्योग, दो फ्लावर फैक्ट्री तथा एन0एफ0 रेलवे का प्रधान कार्यालय

## सारणी 38

## कटिहार प्रखण्ड : यौन अनुपात (1991)

क्र० सं०	न्याय पचायत	पुरुषों की संख्या	स्त्रियों की संख्या	कुल जन- संख्या	महिलाओं की संख्या प्रति हजार पुरुष	श्रेणीयन
1	चन्देली भर्ता	2804	2653	5457	946	7
2	जगन्नाथपुर	3259	3166	6425	971	4
3	राजपारा	2962	2881	5843	973	2
4	रामपुर	3043	2870	5913	943	8
5	जबडा पहाडपुर	2315	2145	4460	926	10
6	बिजैली	3026	2640	5666	872	3
7	डुगरिया	2862	2590	5452	905	17
8	महमदिया	2091	1932	4023	924	11
9	बलुआ	2466	2351	4817	953	5
10	राजभवाडा	3358	3098	6456	923	12
11	दलन	5993	5473	11466	913	15
12	बेलवा	3587	3324	6911	927	9
13.	बोगनी	2042	1935	3977	948	6
14	दोआसे	3354	3087	6441	920	14
15	सौरिया	2791	2731	5522	978	1
16	डण्डखोरा	3309	2963	6272	895	18
17	रघेली	2178	1226	4104	563	20
18	हफलागज	6023	5476	11499	909	16
19	मधेपुरा	2593	2391	4984	922	13
20	परतेली	6342	5653	11995	891	19
<b>योग</b>		<b>66398</b>	<b>61285</b>	<b>127683</b>	<b>923</b>	

एव अनेक छोटे, लघु उद्योग स्थापित है । इसके अलावे नगरों की ओर प्रवास, नगरों में रोजगार का सुअवसर, चिकित्सा सुविधा, शिक्षा, आदि सुविधाओं का विकास आदि के कारण भी अधिकांश जनसंख्या उन्मुख हुई है । अध्ययन क्षेत्र का ग्रामीण अंचल काफी पिछड़ा हुआ है जिसके चलते रोजमर्रा की आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति एव जीवन यापन से सम्बन्धित संसाधनों की पूर्ति हेतु प्रतिदिन स्त्री, पुरुष नगरीय क्षेत्र में जाते है और धीरे - धीरे कहीं बस जाते है जिसके चलते आज ग्रामीण क्षेत्रों से तीव्र गति से जनसंख्या नगरीय क्षेत्र की ओर पलायन कर रही है ।

#### (र) साक्षरता -

भूमि उपयोग द्वारा आर्थिक सम्पन्नता में वृद्धि का साक्षरता पर गहरा प्रभाव प्रतीत होता है । इसी प्रकार साक्षरता का भी क्षेत्र के आर्थिक सामाजिक विकास में प्रमुख योगदान है जिसे सारिणी (3 9) द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है ।

अध्ययन क्षेत्र में साक्षरता 18.74% है जो जनपद प्रदेश एव देश की तुलना में अपेक्षाकृत बहुत ही कम है । यहाँ सर्वाधिक साक्षरता (26.75%), रघेली न्याय पंचायत में मिलती है । दूसरे स्थान पर द्वाशे न्याय पंचायत (25.57%), है । न्यूनतम साक्षरता दलन न्याय पंचायत का (10.71%), के अलावा डण्डखोरा (26.65%), हफलागज (24.14%), बलुआ (23.91%), बौरनी (21.05%) न्याय पंचायत का है । शेष न्याय पंचायतों की साक्षरता अन्य न्याय पंचायतों की अपेक्षा सामान्य पाया जाता है । पुरुषों की अधिकतम साक्षरता (20.37%) रघेली न्याय पंचायत में है एव न्यूनतम साक्षरता (10.71%) दलन न्याय पंचायत में पाई जाती है । स्त्रियों की अधिक साक्षरता (7.11%), द्वाशे न्याय पंचायत में एव न्यूनतम साक्षरता (2.23%), दलन न्याय पंचायत में है । स्त्रियों की साक्षरता की दृष्टि से न्याय पंचायत हफलागज (7.00%) का द्वितीय स्थान है ।

बेलवा का (19.85%), राजभवाडा का (19.30%), सौरिया (18.84%), जगन्नाथपुर (17.45%), रामपुर (17.03%), मधेपुरा (16.31%), परतेली (15.98%), जबडा पहाडपुर

क्रम सं०	न्याय पंचायत	कुल जनसंख्या	शिक्षित जनसंख्या	शिक्षित प्रतिशत	श्रेणीयन	पुरुष जन- संख्या	प्रतिशत	शिक्षित जनसंख्या में श्रेणीयन	पुरुष एवं स्त्री जनसंख्या	प्रतिशत	श्रेणीयन
1	चन्देरी भर्त	5457	754	13.82	19	580	10.63	19	174	3.19	17
2	जगन्नाथपुर	6425	1121	17.45	11	845	13.15	14	276	4.30	10
3	राजपारा	5843	855	14.63	17	648	11.09	18	207	3.54	14
4	रामपुर	5913	1007	17.03	12	783	13.24	13	224	3.79	11
5	जबडा पहचपुर	4460	710	15.92	15	606	13.59	12	104	2.33	18
6	बिजौली	5660	818	14.45	18	690	12.19	15	128	2.26	19
7	डुमरिया	5452	1369	25.11	3	996	18.27	5	373	6.84	3
8	महमदिया	4023	625	15.53	16	489	12.15	17	136	3.08	15
9	बलुआ	4817	1152	23.91	6	919	19.08	2	233	4.83	6
10	राजभवाडा	6456	1246	19.30	9	963	14.92	5	283	4.38	8
11	दलन	11466	1229	10.71	20	973	8.48	20	256	2.23	20
12	बेलवा	6911	1372	19.85	8	1054	15.25	8	318	4.60	7
13	बोरनी	3977	837	21.05	7	696	17.50	6	141	3.55	13

14	दोआसे	6441	1649	25 57	2	1191	18 49	4	458	7 11	1
15	सोरिया	5522	1040	18 84	10	800	14 49	10	240	4 35	9
16	इण्डखोरा	6272	1546	24 65	4	1169	18 64	3	377	6 01	5
17	रखेली	4104	1098	26 75	1	836	20 37	1	262	6 38	4
18	हफलागंज	11499	2776	24 14	5	1971	17 14	7	805	7 00	2
19	मधेपुरा	4984	813	16 31	13	630	12 64	15	183	3 67	12
20	परतेली	11995	1917	15 98	14	1526	12 72	14	391	3 26	16
-----											
	योग	127683	23934	18 74		18365	14-38		5569	4-36	
-----											

स्रोत जिला सांख्यिकीय कार्यालय कटिहार (बिहार)।

(15.92%), महमदिया (15.53%), राजपारा (14.63%), बिजैली (14.45%) एवं चन्देली भर्मा (13.82%) है।

**(ल) व्यावसायिक संरचना -**

कुल जनसंख्या का कितना भाग विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में और किन अनुपातों में लगा हुआ है, इस विवेचना को व्यवसायिक संरचना का विश्लेषण कहा जाता है। इसके द्वारा किसी क्षेत्र में विकास के प्रारूप एवं स्तर का ज्ञान होता है। इससे मृदा एवं अन्य संसाधनों पर जनसंख्या के दबाव का भी अनुमान लगाया जा सकता है। यह अध्ययन क्षेत्र खनिज-संसाधनों से पूर्णतया विहीन है। यह सघन जनसंख्या युक्त एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। उपजाऊ मृदा ही इसका मुख्य साधन है, जिससे इस क्षेत्र की जनसंख्या का भरण पोषण होता है। यही कारण है कि व्यवसायगत जनसंख्या का 95.74% भाग प्राथमिक वर्ग के उत्पादनों में लगा हुआ है जिसमें कृषक 39.90%, खेतिहार मजदूर 55.49%, एवं पशुपालन 0.35% है। शेष व्यवसायगत जनसंख्या द्वितीय वर्ग (1.08%) एवं तृतीय वर्ग (3.17%) उत्पादनों में लगी हुई है।

इस क्षेत्र में व्यवसायिक जनसंख्या कुल जनसंख्या का 45.11% है। व्यावसायिक जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत 70.07% एवं स्त्रियों का प्रतिशत 29.13% है। इस क्षेत्र में काम न करने वालों में पुरुष 36.49% है। एवं स्त्रियों 63.51% है। वर्ष 1991 में कटिहार प्रखण्ड में व्यवसायिक संरचना का विवरण है सारणी 3.10 में दिया गया है।

**(व) न्याय पंचायत स्तर पर व्यवसायिक संरचना -**

चित्र 3.8 सारणी 3.11 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र की 45.11% जनसंख्या कार्यरत है। किन्तु न्याय पंचायत स्तर पर इसमें पर्याप्त अंतर मिलता है। कार्यरत जनसंख्या कृषकों का अधिकतम प्रतिशत 48.26% राजपारा न्याय पंचायत में पाया जाता है परन्तु इसका न्यूनतम प्रतिशत (36.52%), बलुआ न्याय पंचायत में मिलता है। अन्य न्याय पंचायतों में इसका प्रतिशत मध्यवर्ती रूप में सारणी 3.11 में मिलता है।



## सारणी 3-10

कटिहार प्रखण्ड व्यवसायिक संरचना 1991

क्र०स०	वर्ग	पुरुषों की संख्या	स्त्रियों की संख्या	कुलयोग	कार्यरत जन- संख्या के आधार पर प्रतिशत	कुल जनसंख्या के आधार पर प्रतिशत
1	कृषक प्रतिशत	17298 30 02%	5685 9 88%	22983	39 90	18 00
2	खेतिहर मजदूर प्रतिशत	21280 36 95%	10679 18 54%	31959	55 49	25 03
3	पशुपालक प्रतिशत	169 0 29%	35 0 06%	204	0 35	0 16
4	घरेलू उद्योग प्रतिशत	144 0 25%	48 0 08%	192	0 33	0 15
5	लघु एवं बड़े उद्योग प्रतिशत	375 0 65%	59 0 10%	431	0 75	0 34
6	व्यापार एव वाणिज्य प्रतिशत	135 0 23%	32 0 06%	166	0 29	0 13
7	परिवहन एव संचार प्रतिशत	73 0 12%	4 0 01%	77	0 13	0 06
8.	अन्य सेवाएँ प्रतिशत	1348 2 34%	235 0 41%	1583	2 75	1 24
	कुल कार्यरत जनसंख्या प्रतिशत	40821 70 87	16777 29 13	57598	100.00	45 11
	काम न करने वाली का प्रतिशत	25577 36 49	44508 63 51	70085 100 00		54 89

N

# KATIHAR PRAKHAND RURAL OCCUPATIONAL STRUCTURE

1991




Fig 3 8

## सारणी 3 II

## न्याय पंचायत स्तर पर जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना 1991

क्र०स०	न्याय पंचायत	कृषक	खेतिहर मजदूर	पशुपालन	व्यापार वाणिज्य	अन्यान्य	कुल जनसंख्या में कार्यरत जन- संख्या का प्रतिशत
1	चन्देली भर्षा	41 26	55 78	0 38	0 56	2 02	100 00
2	जगन्नाथपुर	40 80	55 60	0 37	0 67	2 56	100 00
3	राजपारा	48 26	46 78	0 51	0 54	3 91	100-00
4	रामपुर	42 20	53 43	0 37	0 57	3 43	100 00
5	जबडा पहाडपुर	40 78	56 20	0 41	0 61	2 00	100 00
6	बिजैली	40 12	57 12	0 43	0 49	2 14	100 00
7	डुमरिया	37 32	52 87	0 36	1 86	6 59	100 00
8	महमदिया	41 72	55 43	0 39	0 59	1 87	100 00
9	बलुआ	36 52	54 63	0 40	1 23	6 72	100 00
10	राजभवाडा	38 98	54 49	0 39	0 89	4 25	100 00
11	दलन	36 87	59 31	0 15	0 55	3 12	100 00
12	बेलवा	38 11	53 87	0 32	1 25	6 45	100 00
13	बौरनी	38 32	54 11	0 38	0 97	6 22	100 00
14	दोआसे	43 32	47 87	0 36	1 88	6 57	100 00
15	सौरिया	40 80	56 60	0 37	0 43	1 80	100 00
16	डण्डखोरा	37 11	52 87	0 39	2 12	7 51	100 00
17	रघैली	37 11	50 37	0 21	2.75	9 61	100 00
18	हफलागज	37 80	53 28	0 31	1 71	6 90	100 00
19	मधेपुरा	41 23	55 37	0 39	0 57	2 44	100 00
20.	परतेली	42 28	54 43	0 36	0 51	2 42	100-00

स्रोत - जिला सांख्यिकीय कार्यालय कटिहार ।

खेतिहर मजदूरों का अधिकतम प्रतिशत (59.31%), दलन न्याय पंचायत में पाई जाती है जब कि इसका न्यूनतम 47.87% द्वाशे न्याय पंचायत में प्राप्त है। दलन न्याय पंचायत में खेतिहर मजदूरों की अधिकतम संख्या अधिक होने का प्रधान कारण यह है कि यहाँ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा निरक्षरों की संख्या अधिक है। गरीबी एवं बंदहाली की जिन्दगी व्यतीत करते हैं जिसके चलते इनका जीवन मजदूरी पर ही निर्भर करता है जबकि द्वाशे न्याय पंचायत में साक्षरता तथा अन्य छोटे उद्योग धंधे के कारण खेतिहर, मजदूरों की संख्या कम है। इस अध्ययन क्षेत्र में पशुपालन का प्रतिशत बहुत ही कम है। इसका प्रतिशत (0.43%) बिजौली न्याय पंचायत में एवं न्यूनतम प्रतिशत (0.21%) दलन न्याय पंचायत में है। उद्योग धंधों में सर्वाधिक (1.50%), डुमरिया न्याय पंचायत में एवं न्यूनतम (0.12%), चन्देली भर्मा में है व्यापार और वाणिज्य की दृष्टि से सर्वाधिक (2.75%), रघेली न्याय पंचायत में एवं न्यूनतम (0.49%) बिजौली न्याय पंचायत में पाई जाती है। परिवहन एवं संचार की दृष्टि से सर्वाधिक (0.87%), रघेली तथा न्यूनतम (0.12%), राजपारा न्याय पंचायत में है। इस क्षेत्र में अन्य सेवा में सलग्न जनसंख्या का अधिकतम प्रतिशत (0.87%), रघेली में एवं न्यूनतम (0.04%), जबड़ा पहाड़पुर न्याय पंचायत में मिलता है। वर्ष 1991 में न्याय पंचायत स्तर पर जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना का विवरण सारणी 3.11 में किया गया है।

### (श) चयनकृत गाँवों में व्यावसायिक संरचना -

चयनकृत गाँवों में जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना में पर्याप्त वैषम्य मिलता है। यहाँ पर प्रमाण्ड के न्यायपंचायत / गाँवों के आधार पर व्यावसायिक संरचना को स्पष्ट किया गया है (सारणी 3.12)।

(क) कृषक जनसंख्या में पर्याप्त भिन्नता को देखते हुए चयनकृत गाँवों की संख्या को तीन कोटियों में विभाजित किया जा सकता है।

(1) उच्च प्रतिशत कोटि - इसके अन्तर्गत बौरा गाँव को रखा गया है, जहाँ कार्यरत जनसंख्या का 51.6% कृषक है। इस गाँव की मिट्टी काफी उपजाऊ है। उच्च प्रतिशत के अन्तर्गत एक मात्र पुरुष वर्ग ही है जो कृषि कार्य करते हैं (सारणी 3.12)।

## सारणी 3.12

## चयन कृत गाँवों में व्यक्त्यायिक संरचना 1991

क्र०सं०	चयनकृत गाँवों का नाम	कृषक प्रतिशत	कृषक मजदूर प्रतिशत	पारिवारिक प्रतिशत	अन्य प्रतिशत	कुल योग				
1.	परियाग दह	55	33	99	61	2	1.23	7	4.3	163
2.	फरही	30	17	134	45	-	-	13	7.34	177
3.	कजरी	46	29	93	59	-	-	19	12.00	158
4.	खेरा	92	30.26	183	60.2	-	-	29	9.5	304
5.	गोपालपुर	143	36.67	153	39.2	4	1	76	19.49	390
6.	रक्सा	31	18	123	72	-	-	16	9.3	172
7.	बौरा	32	51.6	19	31	3	5	8	13.00	62

स्रोत : जिला सांख्यिकीय कार्यालय कटिहार (बिहार) ।

(2) मध्यम प्रतिशत कोटि :- इसके अन्तर्गत गोपालपुर, परियागदह और खेरा गाँवों को रखा गया है । जहाँ कार्यरत जनसंख्या का क्रमशः 36.6%, 33% एवं 30.26% जनसंख्या कृषक हैं ।

(3) न्यून प्रतिशत कोटि :- इसके अन्तर्गत रक्सा और फरही गाँवों को रखा गया है यहाँ कार्यरत जनसंख्या का क्रमशः 18% एवं 17% जनसंख्या कृषक के रूप में कार्य करती है ।

(ख) खेतिहर मजदूर :- इन गाँवों में कृषक मजदूरों के प्रतिशतों में भी पर्याप्त भिन्नता मिलती है । जिन गाँवों में कृषकों का प्रतिशत अधिक है, वहाँ खेतिहर मजदूरों का प्रतिशत प्रायः कम है । इसके विपरीत जो बड़े कृषक है, वहाँ अन्य गाँवों से कृषक मजदूर कार्य

करने आते हैं। इसके साथ ही जहाँ पर कृषकों का प्रतिशत अधिक है। इसके अन्तर्गत उन गाँवों में भी कृषक मजदूर बाहर से कार्य करने आते हैं।

कृषक मजदूरों का सर्वाधिक 76% ग्राम फरही में विद्यमान है। इसके बाद रक्सा (72%), परियागदह (61%), खेरा (60%), कजरी (59%), गोपालपुर (39.2%) तथा न्यूनतम प्रतिशत बौरा में 31% है। इस प्रकार कृषक मजदूरों में गाँव स्तर पर भी विभिन्नता मिलती है। अध्ययन क्षेत्र में यह देखने को मिला है कि जिन गाँवों में भूमिहीनों की संख्या अधिक है, अधिकांश अपना जीवन यापन कृषक मजदूर के रूप में व्यतीत करते हैं। जीवन स्तर निम्न प्रकार का है और उनके जीवन निर्वाह का मुख्य साधन कृषक मजदूर के रूप में ही प्रमुख है।

### 3.2 पशु ससाधन -

ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में पशु धन का महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय कृषि अतीत काल से ही पशु श्रम पर आधारित रही है। आज भी कृषि कार्यों में अभिनव परिवर्तनों के बावजूद पशु धन श्रम को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। जब कभी इनकी संख्या में हास हुआ है। कृषिगत अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। अध्ययन क्षेत्र में भी कृषि कार्य हेतु पशु श्रम का विशेष महत्व है। इन्हीं पशुओं से दूध, माँस, खाद, अण्डे आदि सुलभ होते हैं। चयनकृत गाँवों के सर्वेक्षण से यह विदित हुआ है कि ट्रैक्टर रखने वाले बड़े प्रगतिशील कृषक बैल एवं अन्य पशुओं को पालते हैं। कृषकों की सम्पन्नता के यापन में पशुधन आधार माना जाता है। पशुओं से प्राप्त होने वाला खाद खेत के लिए काफी लाभकारी होता है। गोबर से किसान कम्पोस्ट खाद तैयार कर फसलों के उत्पादन में वृद्धि करते हैं। न्याय पचायत स्तर पर सबसे अधिक पशुओं की कुल संख्या (10552) न्याय पचायत दलन में है। यहाँ गाय और भैसों की संख्या सर्वाधिक है तथा सबसे कम पशु न्याय पचायत रघैली में (6913) है।<sup>4</sup>

तालिका 3.13 के अवलोकन से अध्ययन क्षेत्र में गाय, भैस तथा कुक्कुट की प्रधानता का आभास मिलता है। क्षेत्र में लगभग 45% जनसंख्या ऐसी है जिसके पास गाय

## कटिहार प्रखण्ड पशुओं का वितरण (1990 - 91)

क्र०स०	न्याय पचायत	जाति										कुल योग	प्रतिशत
		गो	भैंस	भैंड	बकरी	घोडा,श्या	सुअर	कुक्कुट	ऋतख	कुल योग	प्रतिशत		
1	चन्देरी भर्षा	2152	430	25	2000	15	80	3772	470	8944	5	50	
	प्रतिशत	24 06	4 80	0 27	23 36	0 16	0 89	42 17	5 25				
2	जगन्नाथपुर	1975	391	0	1921	16	77	3542	467	8389	5	16	
	प्रतिशत	23 54	4 66		22 90	0 19	0 92	42 22	5 57				
3	राजपारा	2018	410	0	1975	10	90	3596	490	8589	5	28	
	प्रतिशत	2349	4 77		22 99	0 12	1 05	41 87	5 70				
4	रामपुर	1970	393	0	1911	11	67	3471	451	8274	5	09	
	प्रतिशत	23 81	4 75		23 10	0 13	0 81	41 95	5 95				
5	जबडा पहाडपुर	2072	399	0	1953	14	77	3511	481	8507	5	23	
	प्रतिशत	24 36	4 69		22 96	0 16	0 91	41 27	5 65				
6	बिजेरी	2077	408	50	1961	10	78	3584	502	8670	5	33	
	प्रतिशत	23 96	4 71	0 58	22 62	0 12	0 90	41 34	5 79				
7	डुमरिया	1761	363	0	1687	27	42	2996	398	7274	4	47	
	प्रतिशत	24 21	4 99		23 19	0 36	0 58	41 19	5 47				
8	महमदिया	2013	403	0	1993	18	74	4111	482	9094	5	59	
	प्रतिशत	22 14	4 43		21 93	0 20	0 81	45 20	5 30				

10	बलुआ प्रतिशत	1863	368	0	1752	28	44	3123	399	7577	4 66
	राजभवाडा प्रतिशत	24 59	4 86		23 12	0 37	0 58	41 21	5 27		
11	दलन प्रतिशत	1970	386	0	1821	17	55	3337	409	7995	4 92
	बेलवा प्रतिशत	24 64	4 83	60	22 78	0 21	0 69	41 74	5 11	10552	6 49
12	बोरनी प्रतिशत	2200	437	0	2112	0 08	1 04	51 12	512	8168	5 02
	दोआसे प्रतिशत	20 85	4 15	0	20 02	0 26	0 70	43 71	4 86	7463	4 59
13	सौरिया प्रतिशत	1890	381	0	1852	21	57	3570	397	7146	4 39
	रघेली प्रतिशत	23 13	4 46	0	22 67	0 41	0 57	40 13	5 27	8417	5 17
14	इण्डवोरा प्रतिशत	1830	374	0	1813	8	70	3778	474	7468	4 59
	हफलागज प्रतिशत	24 52	5 01	0	24 29	0 36	0 58	42 12	5 24	6913	4 25
15	मधेपुरा प्रतिशत	1760	368	0	1703	37	29	2789	305	7666	4 71
	परतेली प्रतिशत	24 63	5 15	0	23 83	0 54	0 42	40 34	4 41	8622	5 30
16	कुल योग	1810	384	0	1883	19	37	3143	410	7666	4 71
	कुल योग	21 50	4 56	0	22 37	0 21	0 83	44 88	5 63	8622	5 30
17	कुल योग	1791	361	0	1709	27	43	3146	391	7468	4 59
	कुल योग	23 98	4 83	0	22 88	0 36	0 58	42 12	5 24	6913	4 25
18	कुल योग	1752	353	0	1648	37	29	2789	305	7666	4 71
	कुल योग	25 34	5 11	0	23 84	0 54	0 42	40 34	4 41	8622	5 30
19	कुल योग	1788	364	0	1905	19	37	3143	410	7666	4 71
	कुल योग	23 32	4 75	0	24 85	0 25	0 48	41 00	5 35	8622	5 30
20	कुल योग	1982	393	0	1884	16	70	3785	492	8622	5 30
	कुल योग	22 99	4 46	0	21 85	0 19	0 81	43 90	5 70	8921	5 48
	कुल योग	2078	398	0	1893	14	73	3978	487	8921	5 48
	कुल योग	23 29	4 46	0	21 22	0 16	0 82	44 59	5 46		
<b>कुल योग</b>		<b>36675</b>	<b>7768</b>	<b>135</b>	<b>37376</b>	<b>377</b>	<b>1265</b>	<b>70123</b>	<b>8777</b>	<b>162496</b>	
<b>कुल योग</b>		<b>22 56</b>	<b>4 78</b>	<b>0.08</b>	<b>23.00</b>	<b>0.23</b>	<b>0.77</b>	<b>43.15</b>	<b>5 40</b>		

स्रोत : जिला सांख्यिकीय कार्यालय कटिहार (बिहार) ।



या भैंस पालने की क्षमता या सुविधा नहीं है। वे लोग बकरियाँ पालकर अपनी आर्थिक तथा दूध आदि आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अब धीरे - धीरे व्यापारिक दृष्टिकोण से पशुपालन का महत्व बढ़ता जा रहा है। अध्ययन क्षेत्र से लगे खेडिया गाँव में प्रत्येक सप्ताह वृहस्पतिवार के दिन पशुओं का विशाल मेला लगता है। जहाँ कटिहार जनपद के एभी प्रखण्डों तथा अन्य जनपदों से लोग विभिन्न प्रकार के पशुओं को लेकर पहुँचते हैं और खरीद बिक्री करते हैं।

(अ) गो पशु - इस प्रखण्ड में गो - पशुओं की संख्या कुल पशुओं की संख्या का 22.56% है। न्याय पंचायत स्तर पर गो - पशुओं की सबसे अधिक संख्या (2200) दलन में पाई जाती है जो प्रखण्ड की कुल संख्या का 5.99% है। सबसे कम गो - पशुओं की संख्या (1760) द्वासे में पाई जाती है जो प्रखण्ड की कुल संख्या का 1.08% है।

(ब) भैंस - इस क्षेत्र में भैंसों की संख्या कुल पशुओं की संख्या का लगभग 4.78% है। इनका सबसे अधिक प्रतिशत (5.62%) न्याय पंचायत दलन में पाया जाता है। भैंसों का सबसे कम प्रतिशत (4.54%) न्याय पंचायत रघेली में मिलता है। इस प्रखण्ड में गो-पशु एवं भैंसों की सम्मिलित संख्या 44,443 है तथा उनका प्रतिशत 27.35 है।

(स) भेड़ - इस क्षेत्र में भेड़ों की कुल संख्या 135 है जो कुल पशुओं की संख्या का 0.08% है। इनका सबसे अधिक प्रतिशत (44.44%) न्याय पंचायत दलन में पाया जाता है। भेड़ों का सबसे कम प्रतिशत (18.51%) न्याय पंचायत चन्देली में मिलता है।

(द) बकरी - बकरियाँ सामान्यतः निर्धन एवं जोत विहीन लोगों का मुख्य पशु है, जिन्हें पालकर वे दूध या माँस प्राप्त करते हैं। इनके वितरण में न्याय पंचायत स्तर पर अपेक्षाकृत कम विषमता पायी जाती है। इनका सबसे अधिक सान्द्रण (3.67%) दलन न्याय पंचायत में मिलता है तथा सबसे कम प्रतिशत (0.04%) रघेली न्याय पंचायत में मिलता है।

(य) घोडा - गधा - खच्चर - इम क्षेत्र में इनकी संख्या बहुत ही कम है जो पशुओं की कुल संख्या का (0 23%) ही है । न्याय पचायत स्तर पर इनकी सबसे अधिक संख्या (37) रघैली में है और सबसे कम संख्या (09) दलन में (2 38%) मिलती है ।

(र) सूअर - इस क्षेत्र में सूअरों की संख्या कुल पशुओं की संख्या का केवल (0 77%) है । न्याय पचायत स्तर पर इनका विवरण अधिक असमान है । सूअरों का अधिकतम प्रतिशत (8 69%) दलन में तथा सबसे कम प्रतिशत (2 29) रघैली में मिलता है । सूअर अधिक मात्रा में डोम, चमार जाति के लोग पालते हैं तथा मांस खाते हैं ।

(ल) कुक्कुट - इस क्षेत्र में कुक्कुटों की संख्या कुल पशुओं की संख्या का 43 15% है जो सर्वाधिक है अध्ययन क्षेत्र में जगह - जगह कुक्कुट पालन उद्योग खुला है । सरकार कुक्कुट पालन पर जोर भी दे रही है । इसका मांस और अण्डा खाने के काम आता है न्याय पचायत स्तर पर सबसे अधिक (50 49%) न्याय पचायत दलन में तथा सबसे कम (26 67%) न्याय पचायत रघैली में पाया जाता है ।

(व) बत्तख - इस क्षेत्र में बत्तखों की संख्या कुल पशुओं की संख्या का 5 40% है । न्याय पचायत स्तर पर इनकी सर्वाधिक प्रतिशत (5 83) न्याय पचायत दलन में तथा सबसे कम (3 47) प्रतिशत रघैली में पाया जाता है । इसका मांस खाने के काम में आता है ।

उपर्युक्त विवेचनों से विदित है कि अध्ययन क्षेत्र में पशुओं के वितरण में बहुत असमानता मिलती है तथा इनका पालन अभी भी व्यापारिक दृष्टि से शुरू नहीं हुआ है ।

**3.3 डेयरी उद्योग** - इस क्षेत्र में दुग्ध - उत्पादन उद्योग का विकास आधुनिक पद्धति पर अभी तक नहीं सम्भव हो सका है । न्यूजीलैण्ड, डेनमार्क, आस्ट्रेलिया तथा कई न्य देशों की तुलना में भारत में यह उद्योग बहुत ही पिछड़ा हुआ है । इस क्षेत्र में गाय एवं भैंसों का औसत दुग्ध उत्पादन क्रमशः 3 लीटर एवं 5 लीटर प्रतिदिन है जबकि न्यूजीलैण्ड और आस्ट्रेलिया में गायों का प्रतिदिन का औसत दुग्ध उत्पादन लगभग 30 से 40 लीटर

तक है । इसीलिए भारत में दुग्ध, उत्पादक गायों को कभी - कभी 'टी-कप-काउन' भी कहा जाता है । क्षेत्र में पशुचारा भूमि पर पशुओं का भार बहुत अधिक है । जनसंख्या के अधिक भार के विस्तृत या गहन कृषि से बची हुई निष्कृष्ट भूमि ही पशुचारा उत्पन्न करने के लिए प्रयोग में लायी जाती है जिससे उचित चारे का प्रबन्ध नहीं हो पाता है । इसी कारण पशुओं की शक्ति एवं नस्ल में हास होता जा रहा है । पशुपालन करने वाले कृषक प्रायः निर्धन एवं अशिक्षित हैं । उन्हें पशुपालन के वैज्ञानिक ढंगों का कुछ भी ज्ञान नहीं है । किस प्रकार पशुओं की नस्ल को सुधारा जाय इसके भी उन्हें बहुत कम ज्ञान है ।

अध्ययन क्षेत्र में नर - भैंसे और सॉड भी घटिया किस्म के मिलते हैं इसलिए उनकी सतति भी निकृष्ट श्रेणी की ही होती है । यद्यपि पशुओं की बिगड़ती जा रही नस्ल को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है परन्तु अभी तक बहुत कम सफलता मिली है । इस क्षेत्र में कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों का भी अभाव है ।

गाय और भैंस गन्दा जल पीने, सड़ी-गली वस्तुओं को खाने और गन्दे बाड़ों में रहने के कारण अनेक रोगों का शिकार होती रहती है । वर्षाकाल में तो कुछ दुग्धरू पशुओं के मुँह एवं पैर में कई प्रकार की बीमारियाँ हो जाती हैं । जिससे उनका स्वास्थ्य गिर जाता है और दुग्धोत्पादन क्षमता भी कम हो जाती है ।

पशुपालक लोग दूध को विक्रय करने हेतु अपने सन्निकट के सेवा - केन्द्रों को ले जाते हैं । अभी इस उद्योग को समुचित प्रोत्साहन नहीं मिला है । व्यक्तिगत स्तर पर कुछ प्रगतिशील कृषक अच्छी नस्ल की दुग्धरू गायों या भैंसों को पालते हैं । ऐसे कृषक मुख्यतः नगरीय क्षेत्रों के पड़ोस के गावों में मिलते हैं और सुविधा पूर्वक दूध को सेवा केन्द्रों तक पहुँचाते हैं और सम्बन्धित व्यापारियों की मांग पूर्ति करते हैं । कुछ पशुपालक जातियाँ जिनमें अहीर वर्ग प्रमुख है, गायों की अपेक्षा भैंसों को पालने में विशेष रुचि लेते हैं । कुछ लोग निकटवर्ती क्षेत्रों से दूध का संग्रह करते हैं और उसे सेवा - केन्द्रों तक पहुँचाते हैं

इस क्षेत्र में दुग्ध उद्योग को विकसित किया जा सकता है । इस कार्य हेतु कोषी क्षेत्रीय विकास परियोजना के अन्तर्गत सहकारी समितियों द्वारा दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध का उचित मूल्य देकर दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए उन्हें सभी आवश्यक सुविधाएँ (जैसे - पशुआहार एवं चिकित्सा आदि) सुलभ कराने की व्यवस्था की जा रही है और ऋण भी प्राप्त किया जा रहा है । इस प्रकार सहकारिता के माध्यम से इस उद्योग को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है । दुग्ध - उत्पादन में वृद्धि हेतु ग्राम स्तर, न्याय पंचायत स्तर, प्रखण्ड स्तर पर दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों एवं सघों को निर्मित करने का सुझाव प्रस्तावित किया गया है । इन दुग्ध उत्पादक समितियों के प्रमुख कार्य व उद्देश्य निम्न प्रकार होंगे ।

- 1- प्रस्तावित दुग्ध उत्पादक समितियों दुग्ध उत्पादक सदस्यों के लिए ऐसे साधन उपलब्ध करायेगी, जिनसे दूध के उत्पादन में वृद्धि हो जैसे - दुधारू पशुओं के क्रय हेतु ऋण की व्यवस्था तथा कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था करना आदि ।
- 2- पौष्टिक चारा, दाना व हरे चारे के लिए अल्पकालीन ऋण की व्यवस्था करना ।
- 3- हरे चारे पर्याप्त उत्पादन के लिए शिचार्ड की गतिष्ठा उपलब्ध करना ।
- 4- पशुओं के लिए संतुलित आहार की व्यवस्था करना ।
- 5- पशुओं की अच्छी विरमों के लिए प्रजनन की सुविधाएँ उपलब्ध करना ।
- 6- दुग्ध उत्पादन को भी सहायता के लिए पशु-चिकित्सा हेतु उचित सुविधा उपलब्ध करना ।
- 7- दूध के गुणात्मक परीक्षण हेतु समुचित व्यवस्था करना ।
- 8- उत्पादित दूध के क्रय-विक्रय हेतु उचित व्यवस्था करना ।
- 9- चारागाहों तथा हरे चारे के विकास हेतु उचित व्यवस्था करना ।

किसी भी क्षेत्र में दुग्ध-उद्योग के विकास के लिए उपर्युक्त सभी सुविधाओं

का सुलभ होना अति आवश्यक है और तभी इस उद्योग का भविष्य उज्ज्वल हो सकता है । इन सुविधाओं के सुलभ होने पर इस क्षेत्र में बिजेली, जगन्नाथपुर, राजपारा, बेलवा, द्वाशे, हफलागज तथा परतेली न्याय पंचायतों में कुछ स्थानों पर दुग्ध उत्पादन उद्योग का पर्याप्त विकास किया जा सकता है और बड़ी मात्रा में दूध, दही, घी तथा मक्खन का उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है । इनसे इस क्षेत्र के लोगों को शारीरिक एवं आर्थिक विकास में विशेष प्रगति हो सकती है ।

### 3.4 खनिज

खनिज सम्पदा की दृष्टि से यह अध्ययन क्षेत्र नगण्य है क्योंकि यह मैदानी भाग है जिसका निर्माण नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी के जमाव के फलस्वरूप हुआ है । खनिज के रूप में इस क्षेत्र में बालू, ककड एवं यत्र-तत्र रेह भी प्रधानता पाई जाती है । बालू का प्रयोग मुख्यतः मकानों के निर्माण में किया जाता है । इसका विस्तृत क्षेत्र कोसी धार एवं कमला नदी के तटवर्ती भागों में पाई जाती है । बालू की मात्रा में मिट्टी का भी अंश मिलता है जिसके कारण मकान के कार्यों में सही ढंग से उपयोग नहीं हो पाता है ।

अध्ययन क्षेत्र के दक्षिणी-पश्चिमी भाग में कोशी नदी स्थित है जिसके बालू का प्रयोग हम मकानों के कार्यों में सही ढंग से करते हैं । कोसी धार तथा कमला नदी का बालू खासतौर पर घरेलू उपयोगों में करते हैं ।

अध्ययन क्षेत्र में ककड का जमाव द्वाशे जगन्नाथपुर एवं दलन न्याय पंचायत में यत्र-तत्र पाया जाता है । व्यावसायिक दृष्टिकोण से इसका विशेष महत्व है क्योंकि इसका वृहद उपयोग सड़कों के निर्माण में किया जाता है । वाहनों के आने जाने तथा सड़कों के अभाव में अध्ययन क्षेत्र के ककड का सही उपयोग नहीं हो पाता है ।

रेह एक क्षारीय पदार्थ है । इसका प्रयोग धोबी लोग कपड़ों की सफाई के लिए करते हैं । इसका जमाव विशेषकर नदियों के आस-पास वाले इलाकों के ऊँची भूमि

मे पाई जाती है । इसके अन्तर्गत न्याय पचायत बलुआ, डुमरिया एव बेलवा के कुछ गाँव सम्मिलित है । अध्ययन क्षेत्र का सूक्ष्म अध्ययन करने के बाद यह पता चलता है कि इस क्षेत्र में तेल की प्रधानता है क्योंकि अक्सर पानी को एक या आधा घण्टा रख देने के बाद उस पर तेल की पतली परत बन जाती है और यह स्थिति अध्ययन क्षेत्र के लगभग सभी न्याय पचायतों में पाई जाती है । यदि सरकार इस पर ध्यान दे तो निश्चय ही तेल की पर्याप्त मात्रा अध्ययन क्षेत्र में मिलेगी जो उपर्युक्त खनिजों से ज्यादा लाभप्रद होगा । आर्थिक दृष्टि से अन्य खनिजों की अपेक्षा बालू, ककड एव रेह का महत्व बहुत कम है फिर भी किसी क्षेत्र के विकास में इसका विशेष उपयोग पाया जाता है और इस प्रकार ये भी उल्लेखनीय खनिज कहे जा सकते हैं ।

### 3 5 परिवहन

किसी भी क्षेत्र में परिवहन साधनों का वैसा ही महत्व है जैसा कि मानव शरीर में रक्त वाहिनी धमनियों का होता है । कोनार महोदय के अनुसार परिवहन के अतिरिक्त कोई दूसरा ऐसा महत्वपूर्ण साधन नहीं है जो किसी भी अविकसित क्षेत्र के आर्थिक सामाजिक एव सांस्कृतिक प्रगति में तीव्र विकास ला सके ।<sup>5</sup> किसी भी क्षेत्रीय विकास के विभिन्न स्तरों में एव परिवहन साधनों के विकास में प्रायः गहन अन्तर्सम्बन्ध मिलता है । ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास में तो परिवहन तन्त्रों का विशेष प्रभाव परिलक्षित होता है ।

इस अध्ययन क्षेत्र में आधुनिक परिवहन साधनों (मुद्ध्यत सड़कों एवं रेलों) का विकास अंग्रेजी शासन काल में प्रारम्भ हुआ था । इससे पूर्व इस क्षेत्र के समीपवर्ती इलाकों में जल परिवहन अधिक महत्वपूर्ण था जिससे यह क्षेत्र भी प्रभावित होता था । जल परिवहन का केन्द्र मनिहारी और कुर्शला था जो गंगा नदी और कोसी नदी के किनारे बसे हुए हैं किन्तु रेल परिवहन के विकास में तथा सड़कों के निर्माण के कारण जल परिवहन का महत्व धीरे - धीरे कम होने लगा और अब तो यह लगभग समाप्त प्रायः सा हो गया है ।

#### (अ) सड़क परिवहन -

अध्ययन क्षेत्र में सड़क परिवहन की दृष्टि से निम्न सड़के विशेष उल्लेखनीय

है ।

- (1) कटिहार - पूर्णिया मार्ग
- (2) कटिहार - मनिहारी मार्ग
- (3) कटिहार - प्राणपुर मार्ग
- (4) कटिहार - मन्साही मार्ग
- (5) कटिहार - गेडाबाडी मार्ग

कटिहार - पूर्णिया मार्ग इस प्रखण्ड में सबसे अधिक महत्वपूर्ण मार्ग है जिनकी कुल लम्बाई लगभग 28 कि० मी० है । यह दो प्रमुख नगरों कटिहार और पूर्णिया को जोड़ता है । यह मार्ग आगे बढ़कर फारविसगंज अररिया और किशनगंज को जोड़ता है ।

कटिहार - मनिहारी मार्ग बहुत पहले काफी व्यस्त मार्ग था क्योंकि मनिहारी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है । यहाँ से स्टीमर द्वारा लोग साहेबगंज, भागलपुर जाया करते थे लेकिन सड़को और रेलवे की सुविधा के कारण इस मार्ग का महत्व पहले से घट गया है । लेकिन साहेबगंज जाने के लिए यहाँ से स्टीमर पकड़ना पड़ता है जिसके चलते अभी भी इस मार्ग की प्रधानता है । कटिहार से मनिहारी की दूरी लगभग 26 कि० मी० है ।

कटिहार - प्राणपुर मार्ग अध्ययन क्षेत्र के पूर्वी भाग में है । यह मार्ग ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ता है । बस, जीप की मात्रा कम और रिक्सा तथा टम-टम अधिक मात्रा में चलता है । यह मार्ग आगे बढ़कर सोनौली तथा बारसोई की ओर चली जाती है ।

कटिहार - मन्साही मार्ग हफलागंज होते हुए मनिहारी तक चली जाती है इस मार्ग पर मन्साही हाट काफी प्रसिद्ध है, जहाँ ग्रामीण क्षेत्र के लोग अधिकांश मात्रा में इकट्ठे होते हैं और यहाँ पशुओं का भी मेला लगता है । इस मार्ग पर वाहनों की संख्या बहुत कम है । रिक्सा, टमटम, बैलगाड़ी का प्रयोग अधिक मात्रा में होता है ।

कटिहार - गेडावाडी मार्ग अध्ययन क्षेत्र के पश्चिमी भाग में होकर गुजरता है। यह मार्ग काफी व्यस्त मार्ग है क्योंकि यह 31 राष्ट्रीय राजमार्ग में जाकर मिल जाती है। यह मार्ग अध्ययन क्षेत्र के बेलवा, दलन, न्याय प्रचायत से होकर जाती है। इस मार्ग पर जीप, बस टैक्सी, की अधिकता है। पूर्णिया के बाद इस मार्ग का स्थान दूसरा है।

उपर्युक्त मार्गों के अतिरिक्त राष्ट्रीय मार्ग संख्या 31 इस प्रखण्ड के मध्यवर्ती भाग से गुजरता है जो आसाम और दिल्ली को जोड़ता है। अध्ययन क्षेत्र के तीन भागों पर बिहार प्रदेश की परिवहन निगम की बसें चलती हैं जो मुख्य रूप से पूर्णिया, मनिहारी और गेडावाडी जाती हैं। बसें इन मार्गों पर बिहार परिवहन निगम के अतिरिक्त व्यक्तिगत बसों का सान्द्रण मिलता है। अध्ययन क्षेत्र में परिवहन के अन्तर्गत विशेषकर व्यक्तिगत वाहनों का ही बर्चस्व है।

## (ब) रेल परिवहन

कटिहार जनपद के विकास में योगदान देने वाली रेल की पट्टी विछाने का कार्य सर्वप्रथम 1883 ई0 में प्रारम्भ हुआ और मनिहारी से पूर्णिया होकर दरभंगा तक रेल लाइन बिछाई गई। तत्पश्चात् 1904 में कटिहार, बरौनी रेल लाइन तैयार हुई। 1913 ई0 में कटिहार से काढा गोला घाट एवम् अमनूरा (वर्तमान में बगला देश में) तक रेल लाइन बनी।

आजादी के बाद रेलों के पुनर्गठन के फलस्वरूप पूर्व की ओर टी0 रेल एवम् आसाम रेल को मिलाकर 14.4.1952 को पूर्वोत्तर रेलवे बना जिसमें कटिहार जिले की सम्पूर्ण रेल लाइनें आ गयीं। पन इस पूर्वोत्तर रेलवे को 15.1.58 को दो भागों में विभक्त किया गया जो पूर्वोत्तर रेलवे तथा पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे कहलाया। 1.6.69 से प्रमंडलीय योजना लागू होने पर 1970 से कटिहार को पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे का प्रमंडलीय मुख्यालय बनाया गया। 1984 में कटिहार - बरौनी रेल लाइन को बड़ी लाइन (ब्राडगेज) में परिवर्तित करने के फलस्वरूप देश के प्रायः सभी महानगरों से रेल द्वारा सीधा सम्पर्क हो गया। इस



जिले के क्षेत्र में 220 कि० मी० लम्बी रेल लाइनें तथा 23 रेलवे स्टेशन हैं।<sup>6</sup>

अध्ययन क्षेत्र में रेल परिवहन की दृष्टि से निम्नलिखित रेल परिवहन विशेष उल्लेखनीय है।

- (1) कटिहार - गोहाटी रेल मार्ग (ब्राडगेज)
- (2) कटिहार - दिल्ली रेलमार्ग (ब्राडगेज)
- (3) कटिहार - सिलीगुडी रेलमार्ग (मीटर गेज)
- (4) कटिहार - पूर्णिया रेलमार्ग (मीटर गेज)
- (5) कटिहार - गनिहारी रेलमार्ग (मीटर गेज)

### 3.6 सिंचाई के साधन

कृषिगत भूमि उपयोग को प्रभावी बनाने में सिंचाई एक प्रमुख कारक है। किसी भी क्षेत्र में इनके साधनों की प्रचुरता से उस क्षेत्र में उत्तम भूमि उपयोग का आभास मिलता है। आधुनिक कृषि में तो सिंचाई के साधनों का विशेष योगदान है। हरित क्रान्ति की सफलता हेतु उन्नत बीजों एवं रासायनिक उर्वरकों के उपयोग के साथ ही साथ सिंचाई के साधनों के विकास को भी प्रमुखता दी जा रही है। भारत सरकार ने सिंचाई की सुविधा के विस्तार के लिए छोटे एवं बड़े पैमाने पर नहरों, नलकूपों आदि के निर्माण हेतु अनेक योजनाएँ कार्यान्वित किया है। इस अध्ययन क्षेत्र में भी सरकारी प्रयास द्वारा नहरों एवं नलकूपों के विकास का उल्लेखनीय कार्य किया गया है। नलकूपों के विकास के लिए सरकार ने कृषकों को बैंकों के माध्यम से ऋण प्रदान करने की भी व्यवस्था की है। अध्ययन क्षेत्र में सिंचाई, जल जमाव एवं बाढ़ से सम्बन्धित कई कार्य व्यापक स्तर पर चलाये जा रहे हैं।

न्याय प्रचायत राजपारा में विस्तृत जल जमाव एवं बाढ़ आदि प्राकृतिक विपदाओं के कारण सिंचाई के साधनों का अधिक विकास नहीं हो सका है। परन्तु इस अध्ययन

क्षेत्र के अन्य न्याय पंचायतों में सिंचाई के साधनों में पर्याप्त प्रगति हुई है । इससे कृषिगत भूमि उपयोग के सभी पक्षों में जैसे शस्य गहनता, संयोजन एवं प्रति एकड़ उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है । अध्ययन क्षेत्र में नहरों के अतिरिक्त तालाब, नलकूप पम्पिंग सेट, कुएँ एवं अन्य स्रोत हैं । सारिणी 3 14 में इनका विवरण किया गया है ।

(अ) नहरे - अध्ययन क्षेत्र के अधिकांश न्याय पंचायतों में नहरों का विस्तार पाया जाता है । सिंचाई के साधनों में ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं । राजभवाडा न्याय पंचायत का लगभग 553 70 हे० भूमि की सिंचाई नहरों से होती है <sup>7</sup> जो सर्वाधिक है । सबसे कम नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र न्याय पंचायत डण्डखोरा में 44 51 हे० भूमि है । गजपुरा, जबडा, पहाड़पुर, डुमरिया, महमदिया, द्वाशे सौरिया, रघेली, मधेपुरा, न्याय पंचायतों में नहरे नहीं हैं । नहरों के विकास के फलस्वरूप जहाँ फसले नहीं उगाई जाती थी । आज वहाँ भी नहरों से प्राप्त जल, अच्छे बीजों, एवं उर्वरकों आदि के प्रयोग से बड़ी मात्रा में कृषि उत्पादन प्राप्त किया जा रहा है । अतः यह कहा जा सकता है कि प्रखण्ड कुछ भागों के लिए नहरें वरदान स्वरूप हैं ।

(ब) तालाब - तालाब सिंचाई का प्राचीनतम साधन है । इस अध्ययन क्षेत्र में तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई न्याय पंचायत मधेपुरा के 144 60 हे० भूमि पर होती है ।<sup>8</sup> क्योंकि इस न्याय पंचायत में नहर कुओं तथा अन्य स्रोतों का अभाव है । गन्गे कम तालाब द्वारा सिंचाई न्याय पंचायत बौरनी के 4 05 हे० भूमि पर होती है क्योंकि यहाँ ट्यूबेल तथा नदी द्वारा अधिक सिंचाई होती है ।

(स) ट्यूबेल - सिंचाई के आधुनिक साधनों में ट्यूबेल का विशेष स्थान है । अध्ययन क्षेत्र में बाँस - बोरिंग का विशेष प्रचलन है । इसमें अपेक्षाकृत बहुत ही कम आर्थिक व्यय होता है । इस बोरिंग की अधिकता यहाँ है जहाँ जल स्तर ऊपर है । सिंचाई कार्य में इसका सर्वाधिक उपयोग होता है । इस अध्ययन क्षेत्र के परतेली न्याय पंचायत की 344.99 हे० भूमि पर सिंचाई ट्यूबेल के द्वारा होती है, जो सर्वाधिक है । सबसे कम न्याय पंचायत

## कटिहार प्रखण्ड सिंचाई के प्रमुख साधनों का विवरण (1991)

क्र०स०	न्याय पचायत	नहर	तालाब	ट्यूबल	नदी	कुआ			( क्षेत्रफल हेक्टर में )		
						कुआ	अन्य स्रोत	कुल सिंचित क्षेत्र	अन्य स्रोत	कुल सिंचित क्षेत्र	प्रतिशत
1	चन्देरी भर्षा	169 16	21 47	280 05	84 99	6 47	13 35	575 49	45 00		
2	जगन्नाथपुर	60 70	-	12 54	-	52 61	47 29	173 14	14 64		
3	राजपारा	-	-	36 87	-	-	46 54	83 35	6 95		
4	रामपुर	486 08	-	5 95	-	-	-	486 3	44 82		
5	जबडा पहाडपुर	-	8 10	91 05	74 88	-	52 61	226 64	21 86		
6	बिजौली	120 00	-	292 46	79 48	-	34 40	326 34	31 54		
7	डुमरिया	-	-	161 05	20 23	-	76 07	257 35	25 3		
8	महमदिया	-	-	87 05	5 03	-	143 66	235 77	21 35		
9	बलुआ	142 30	-	111 91	-	-	2 08	256 25	18 79		
10	राजभाडा	553 70	-	150 3	-	-	10 12	742 51	51 31		
11	दलन	511 96	-	12 32	30 41	-	46 68	747 34	39 44		
12	बेलवा	160 26	12 14	339 90	157 83	2 02	5 07	695 26	38 72		
13	बोरनी	-	4 05	133 54	89 03	-	149 93	466 55	40 05		
14	दोआसे	-	-	167 63	25 01	-	-	188 64	14 96		
15	सौरिया	-	54 42	224 56	-	-	-	278 98	23 10		
16	इण्डखोरा	44 51	20 23	-	20 40	-	121 40	213 67	18 85		
17	रखेली	-	10 12	62 72	105 09	-	-	177 93	18 85		
18	हफलागज	111 59	2 02	192 38	157 70	6 07	88 68	658 44	62 94		
19	मधेपुरा	-	144 60	244 83	79 02	-	-	368 45	28 60		
20	परतौली	144 47	-	344 99	24 68	-	-	530 33	40 32		

स्रोत जिला सांख्यिकीय कार्यालय कटिहार (बिहार)।

रामपुर की 5 95 हे० भूमि पर सिंचाई होती है । न्याय पंचायत उण्डखोरा में ट्यूबेल की संख्या नगण्य है ।

इसका महत्व वहाँ अत्यधिक बढ़ जाना है जहाँ वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है तथा कुएँ, नहर तालाब, इत्यादि का अभाव होता है ।

(द) नदी - भारत के सांस्कृतिक विकास में नदियों का योगदान आदि काल से ही बहुत महत्वपूर्ण रहा है । प्राचीन सभ्यता नदियों के किनारे ही विकसित हुई है । नदियों द्वारा हमें सिंचाई की सुविधा के साथ - साथ उपजाऊ भूमि की भी प्राप्ति होती है । इस अध्ययन क्षेत्र में नदियों द्वारा सर्वाधिक सिंचित भूमि न्याय पंचायत हफलागज में पायी जाती है जो कि 257 70 हे० है । इसका कारण कमला नदी का इस न्याय पंचायत से प्रवाहित होना है ।

(स) कुओं - इस अध्ययन क्षेत्र में लगभग 28 वर्ष पूर्व सिंचाई के लिए कुओं का ही विशेष महत्व था किन्तु अब आधुनिक साधनों के विकास के कारण इनका महत्व घट गया है । परन्तु अब भी जहाँ नलकूप या नहरे नहीं हैं, वहाँ इनका उपयोग किया जाता है कुछ विशेष आवश्यकता वाले क्षेत्रों में भी (जैसे ग्रीष्मकालीन तरकारी के उत्पादन वाले भागों में) जहाँ आधुनिक सिंचाई के साधनों का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं सिद्ध होता, वहाँ इनका प्रयोग किया जाता है । छोटे क्षेत्रों की सिंचाई हेतु कृषक कच्चे कुएँ खोदकर या पक्के कुएँ बनाकर अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर लेते हैं अब बहुतेरे कृषक इन्हीं कुओं में बोरिंग करके, पम्पिंग सेटों द्वारा सिंचाई कार्य कर रहे हैं । अध्ययन क्षेत्र का न्याय पंचायत जगन्नाथपुर की 52 61 हे० भूमि कुओं द्वारा सिंचाई होती है । अन्य न्याय पंचायत में सबसे नगण्य सिंचाई होती है ।

अन्य स्रोत :- सिंचाई के अन्य स्रोत, नहर, ढेकुल आदि हैं । जो अध्ययन क्षेत्र के अनेक न्याय पंचायतों में होती हैं । सबसे अधिक अन्य स्रोतों से सिंचाई बौरनी न्याय पंचायत में 149 93 हे० भूमि पर होती है । इस न्याय पंचायत में कृषक अपनी सुविधानुसार बॉस-

बोरिंग किए हुए है । इसमें कृषक को लागत कम पडती है । यह लगभग पाँच वर्ष तक कार्य करता है । अध्ययन क्षेत्र में जल स्तर अधिक ऊपर होने के कारण आसानी से बाँस बोरिंग हो जाती है जिसमें कृषक को सिंचाई करने में सुविधा होती है । इस तरह अध्ययन क्षेत्र का न्याय पचायत उपर्युक्त सिंचाई के साधनों से काफी लाभान्वित हुआ है तथा फसलोत्पादन में काफी विकास किया है ।

**3.7 विद्युतीकरण** - किसी क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए विद्युत एक आवश्यक कारण बन गया है । विद्युतीकरण द्वारा कृषि यंत्रीकरण को विशेष प्रोत्साहन मिला है । साथ ही इससे किसी क्षेत्र के कृष्येत्तर धन्यों के विकास में भी सहायता मिलती है । इसकी सुलभता से दलन डण्डखोरा, हफलागज, मधेपुरा, परतेली डुमरिया आदि सेवा केन्द्रों में उद्योगों एवं कृष्येत्तर धन्यों के विकास में विशेष प्रगति हुई है तथा राजपरा, बिजेली, रामपुर डुमरिया सेवा केन्द्रों में कृष्येत्तर धन्यों में वृद्धि हुई है । सारणी 3 15 में कटिहार प्रखण्ड में विद्युतीकरण का वितरण दर्शाया गया है ।

तालिका 3 15 से स्पष्ट होता है कि न्याय पचायत दलन, डण्डखोरा के सभी गाँवों में विद्युतीकरण हुआ है क्योंकि इन गाँवों में हरिजन आदिवासी की संख्या अधिक है । सरकारी कार्यक्रम के अन्तर्गत इन गाँवों को विद्युतीकरण की पर्याप्त सुविधा मिली है ।

परन्तु सबसे कम बलुआ, राजभवाडा न्याय पचायत के 50% गाँवों में ही विद्युत करण हो सका है । विद्युतीकरण से कई सेवा - केन्द्रों में कृषि पर आधारित बड़े एवं लघु उद्योग तथा कृष्येत्तर कार्यों के विकास का सुअक्सर मिला है । अध्ययन क्षेत्र में विद्युतीकरण का औसत प्रतिशत 64 28 है । न्याय पचायत दलन और हफलागज में यह प्रतिशत है । विद्युतीकरण गाँवों के दृष्टिकोण से न्याय पचायत डुमरिया, बेलवा, बोरनी दूसरे स्थान पर आता है । इसका प्रतिशत 71 42 है । इसमें विद्युतीकृत गाँवों की संख्या क्रमशः 5,5,51 है । अध्ययन क्षेत्र का मधेपुरा और परतेली न्याय पचायत तीसरे स्थान पर है । यहाँ का प्रतिशत 70 00 है । विद्युतकृत गाँवों की संख्या 10,10 में से 7,7 है । चौथा स्थान सौरिया न्याय पचायत है, जिसका प्रतिशत 66 66 है । इस प्रकार अध्ययन क्षेत्र के लगभग सभी न्याय पचायतों के अधिकांश गाँवों में विद्युत की आपूर्ति हो गयी है ।<sup>9</sup> लेकिन विद्युत की उपलब्धता

## सारणी 3-15

## कटिहार प्रखण्ड विद्युतीकरण (1990 - 91)

क्र०स०	न्याय पचायत	कुल गावों की संख्या	विद्युतीकरण गावों की संख्या	विद्युतीकरण गावों का प्रतिशत
1	चन्देली भर्मा	9	5	55.55
2	जगन्नाथपुर	4	2	50.00
3	राजपारा	10	6	60.00
4	रामपुर	3	2	66.66
5	जबडा पहाडपुर	7	4	57.14
6	बिजेली	5	3	60.00
7	डुमरिया	7	5	71.42
8.	महमदिया	7	4	57.14
9	बलुआ	8	4	50.00
10	राजभवाडा	4	2	50.00
11	दलन	2	2	100.00
12	बेलवा	7	5	71.42
13	बौरनी	7	5	71.42
14	दोआसे	5	3	60.00
15	सौरिया	6	4	66.66
16	डण्डखोरा	2	2	100.00
17	रघेली	11	7	63.63
18	हफलागज	2	2	100.00
19	मधेपुरा	10	7	70.00
20	परतेली	10	7	70.00
<b>योग</b>		<b>126</b>	<b>81</b>	<b>64.28</b>

स्रोत - विद्युत कार्यालय कटिहार ।

नहीं वे, बराबर होती है जिसके चलते जिस ढंग से विकास होना चाहिए नहीं हो पाता है। क्योंकि कोई भी उद्योग धन्या चलाने के लिए विद्युत की आपूर्ति अधिक मात्रा में होनी चाहिए लेकिन यदि उसकी आपूर्ति नहीं हो सकेगी तो कोई भी उद्योग धन्या ढंग से नहीं चल सकेगा ठीक यही स्थिति अध्ययन क्षेत्र में है। जो न्याय पचायत कटिहार शहर के समीप है वहाँ तो विद्युत की आपूर्ति हो जाती है लेकिन दूरस्थ इलाकों में मात्र पोल दिखाई देता है, पर बिजली नदारद रहती है। अध्ययन क्षेत्र के उन इलाकों में विद्युत की आपूर्ति नहीं हो पाई है, जहाँ प्रति वर्ष कोसी की सहायक नदियों (कोसी धार, कमला, गिदरी) से इलाका जलप्लावित हो जाता है।

इन कठिनाइयों के होते हुए भी सरकार ग्रामीण विद्युतीकरण को क्रियान्वित करने के लिए निरन्तर प्रयत्न कर रही है। इससे ग्रामीण जन जीवन कई प्रकार से लाभान्वित हो रहा है परन्तु विद्युत आपूर्ति की अनिश्चयता से तथा विद्युतीकरण के कमी के कारण ग्रामवासियों में काफी आक्रोश व्याप्त है फिर भी उनके विकास के लिए, ग्रामीण विद्युतीकरण में अभिवृद्धि आवश्यक है।

### 3 8 यन्त्रीकरण

किसी भी क्षेत्र में भूमि उपयोग की सफलता उस क्षेत्र में प्रयोग होने वाले उपकरणों पर आधारित है। इसीलिए केवल जीवन निर्वाहक कृषि निम्न स्तरीय तकनीकी विकास पर आधारित होती है। परन्तु कृषि में व्यापारिक दृष्टिकोण, आधुनिक यंत्रों के प्रयोग से अधिक सम्भव हो सका है। इसके अन्तर्गत उन्नतिशील बीजों, रासायनिक उर्वरकों एवं सिंचाई की सुविधा का विशेष महत्व है। व्यापारिक कृषि के लिए यन्त्रीकरण एवं परिवहन के साधनों में विकास तथा तैयार मालों के भण्डारण की सुविधाएँ अति आवश्यक है।<sup>10</sup>

अध्ययन क्षेत्र की कृषि में प्रयुक्त तकनीकी सुविधाओं का वितरण अधोलिखित तालिका में (सारिणी 3 10) में दिया गया है।

## सारणी 3 16

## कटिहार प्रखण्ड कृषि यन्त्र (1990 - 91)

क्र०स०	विकासखण्ड	देशी हल	लोहे का हल	ब्लेड ट्रेयों का	ट्रैक्टर	सीड डीलर	प्लेन थ्रेसर	पख ड्रेसर	दवा छिडकने वाली
1	चन्देन्दी भर्ग	935	811	0	1	0	14	105	9
2	जगन्नाथपुर	830	613	1	2	2	13	98	6
3	राजपारा	965	813	2	4	0	45	85	20
4	रामपुर	936	835	0	2	1	15	75	8
5	जबडा पहाडपुर	813	724	1	2	1	12	74	6
6	बिजैली	615	624	0	3	0	8	65	5
7	डुमारिया	411	345	0	1	0	6	85	2
8	महमदिया	816	725	0	0	0	4	45	2
9	बलुआ	603	518	1	0	0	3	35	1
10	राजभवाडा	526	435	1	0	0	2	42	2
11	दलन	536	415	1	2	0	2	88	1
12	बेलवा	432	313	0	4	1	6	67	3
13	बौरनी	199	84	0	2	0	3	52	2
14	द्वार	845	756	4	2	1	2	42	14
15	सौरिया	514	488	3	2	0	1	37	7
16	डण्डखोरा	555	315	0	1	0	3	40	6
17	रसैली	390	285	0	2	0	2	63	3
18	हफलागज	418	226	0	0	0	1	28	2
19	गणेशपुरा	535	435	0	1	1	2	26	1
20	परतेली	735	613	1	2	0	8	48	4
<b>कुल योग</b>		<b>12509</b>	<b>10373</b>	<b>15</b>	<b>33</b>	<b>07</b>	<b>152</b>	<b>1200</b>	<b>74</b>
		<b>54.66%</b>							

स्रोत - प्रखण्ड कार्यालय कटिहार ।



कृषि यंत्रों, सिंचाई के साधनों एवं उत्पादन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अध्ययन क्षेत्र में कृषि अभी परम्परागत यंत्रों एवं कृषि कार्य मानव श्रम पर आधारित है। इस क्षेत्र में ट्रैक्टर एवं नए कृषि यंत्रों का प्रयोग विगत दो दशकों से हुआ है।

अध्ययन क्षेत्र में चकबन्दी नहीं होने से खेतों के आकार छोटे-छोटे हैं। साथ ही एक ही व्यक्ति के खेत यत्र-तत्र बिखरे हुए हैं। कृषि में व्यापारिक दृष्टिकोण का नितान्त अभाव देख पड़ता है।

सारणी (3 16) के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि अध्ययन क्षेत्र में हलों की कुल संख्या 22882 है जिसमें 54.66% देशी हल है। ट्रैक्टर, सीडड्रिल, ड्रेसर तथा दवा छिड़कने वाली मशीनें नवीन कृषि यंत्रीकरण के मुख्य साधन हैं। इनकी संख्या अभी बहुत ही कम है। ट्रैक्टर तो प्रायः अधिक भूस्वामित्व वाले कृषकों को ही सुलभ हो सका है बाढ़ से विशेष प्रभावित इलाकों में इनकी संख्या कम है। सबसे अधिक संख्या न्याय पंचायत बेलवा, राजपारा में है। इस अध्ययन क्षेत्र में एक ट्रैक्टर औसतन 150 हे० भूमि की जुताई करता है जो बहुत ही अधिक है। सामान्यतः 80 से 100 हे० भूमि पर एक ट्रैक्टर का होना आवश्यक समझा जाता है। 1980 के पश्चात् ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण होने के फलस्वरूप कृषि यंत्रीकरण में विशेष प्रगति हुई है। हाल के वर्षों में सरकार द्वारा कम व्याज पर कृषि यंत्रीकरण के लिए वित्तीय सहायता, सड़क परिवहन का विकास, श्रमिकों की कमी एवं मजदूरी की दरों में वृद्धि आदि ने यंत्रीकरण को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया है।

### 3.9 खाद एवं उर्वरक

कृषि उत्पादकता को बढ़ाने में खाद एवं उर्वरकों का विशेष स्थान है। चेस्टर बोल्स का कथन है कि समुचित खाद के यथेष्ट प्रयोग से कृषि उत्पादन की मात्रा तिगुनी की जा सकती है। अध्ययन क्षेत्र में कृषि भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए पहले परती (उखाँव, पल्लहर) रखने की प्रथा थी जो जनसंख्या वृद्धि के कारण अब लगभग

समाप्त हो चुकी है। सन् 1976 के पश्चात रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग तीव्र गति से बढ़ा है। न्याय पंचायत दलन, जगन्नाथपुर, दोआसे तथा डण्डग्वोरा में प्रति हेक्टेयर एक कुन्तल से भी अधिक रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जा रहा है, परन्तु हफलागंज, डुमगिया, गौली, बिजौली, एवं गहगादिगा में प्रति हेक्टेयर 50 से 75 कि० ग्राम तक इस खाद का प्रयोग हो रहा है। सबसे कम रासायनिक उर्वरक का प्रयोग न्याय पंचायत जबड़ा पहाड़पुर, चन्देली भर्मा, राजपारा में किया जा रहा है। यहाँ प्रति हेक्टेयर 35 कि० ग्राम से भी कम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जा रहा है। इन उर्वरकों के वितरण का मुख्य रूप से लघु कृषकों की आर्थिक विपन्नता एवं सेवा-केन्द्रों से गावों की दूरियाँ प्रभावित करती है।

इस क्षेत्र में रासायनिक खादों का विक्रय अब सहकारी समितियों के माध्यम से होने लगा है। ये कृषकों को उर्वरकों के क्रय हेतु ऋण की सुविधा भी प्रदान करती है। ये समितियाँ ऋण देकर खादे सुलभ करती हैं परन्तु इनकी संख्या कम है। रासायनिक खाद के रूप में इस क्षेत्र में यूरिया, एन०पी०के० कैल्शियम सुपर फॉस्फेट अमोनियम सल्फेट एवं पोटेशियम का ही अधिक प्रयोग किया जाता है।

इस क्षेत्र में प्रगतिशील कृषक अपने खेत में हरी खाद के रूप में भूँग का प्रयोग करते हैं लेकिन ऐसे कृषकों की संख्या बहुत ही कम है। कुछ कृषक अधिक उत्पादन हेतु पटसन आलू तथा केला की खेती में हड़डी की खाद का भी प्रयोग करते हैं।

इस क्षेत्र में गोबर गैस प्लाण्टों की कुल संख्या 25 है। इनके प्रयोग से बिजली प्राप्त होती है। साथ ही इससे जो खाद तैयार होती है, उसकी क्षमता गोबर से बने कम्पोस्ट खाद की क्षमता से अधिक होती है। यह खाद बहुत ही कम समय में प्रयोग हेतु तैयार हो जाती है। गोबर गैस प्लाण्ट से प्राप्त गैस का उपयोग प्रकाश हेतु एवं ईंधन के रूप में किया जाता है। इससे ईंधन की समस्या का भी समाधान हो जाता है।

भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाये रखने के लिए गोबर की खाद के साथ ही साथ रासायनिक खादों का प्रयोग भी आवश्यक है। इन दोनों प्रकार की खादों के अनिश्चित समय - समय पर हरी खादों का प्रयोग भी लाभदायक होता है। तीनों प्रकार की खादों (गोबर की खाद, रासायनिक उर्वरक एवं हरी खाद) का सम्यक उपयोग किया जाय तो भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी और अधिक-धिक मात्रा में कृषि उत्पादन प्राप्त किया जा सके।

### 3.10 उद्योग

किसी भी क्षेत्र के आर्थिक विकास में उद्योगों का महत्वपूर्ण योगदान होता है उद्योगों से ही क्षेत्र के विकास का आभास मिलता है। जिन क्षेत्रों में उद्योगों का अभाव होता है, वह क्षेत्र यातायात, शिक्षा तथा अन्य सांस्कृतिक क्षेत्रों में पिछड़ जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि उद्योग वह कड़ी है जिसके द्वारा हम विकास का मार्ग अपना सकते हैं और सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं।

अध्ययन क्षेत्र में खनिज ससाधनों का नितानत अभाव है। जिसके चलते उद्योग के मामले में काफी पिछड़ा हुआ है। अध्ययन क्षेत्र कटिहार शहरी क्षेत्र के समीप है जिसके चलते छोटे छोटे कुटीर एवं लघु उद्योग यत्र-तत्र विकसित हैं। इनमें से अधिकांश उद्योग एगो इण्डस्ट्रीज से सम्बन्धित है। अधिकांश उद्योगों की बहुलता कटिहार जनपद के शहरी क्षेत्र में विद्यमान है। उसमें प्रमुख निम्न है -

(क) **जूट उद्योग** - जूट यहाँ के प्रमुख उद्योगों में से एक है। इसकी फैक्ट्री की संख्या दो है। वर्तमान में एक जूट उद्योग बन्द है। कटिहार जूट मिल और आर० बी० एच० एम० जूट मिल दोनों एक साथ 1935 में स्थापित हुए। लेकिन राजनीतिक दौड़-पेच तथा अन्य कई कारणों से कटिहार जूट मिल बन्द हो गया। आर० बी० एच० एम० जूट मिल भी 1976 - 78 के बीच श्रमिकों की हड़ताल के कारण 2- $\frac{1}{2}$  वर्ष तक बन्द रहा। बाद में बिहार सरकार ने सन् 1980 में इसे अपने अधीन ले लिया। वर्तमान में इसके श्रमिकों की संख्या लगभग 3500 है। इसमें पहले पटसन की साड़ी, बैग, बोरा, पाल, आदि का निर्माण

# KATIHAR PRAKHAND INDUSTRIAL PATTERN 1991




Fig. 3-9

होता था लेकिन अब केवल बड़े और छोटे बोरे का निर्माण होता है । यहाँ प्रतिदिन 30 टन कच्चा माल की खपत होती है ।<sup>10</sup> चीनी का बोरा यहाँ अधिक मात्रा में तैयार होता है । अध्ययन क्षेत्र में पटसन का अधिक उत्पादन के कारण यह उद्योग विकसित है । बिहार के जूट उद्योग में कटिहार का प्रथम स्थान है ।

(ख) फ्लावर मिल्स - कटिहार में दो फ्लावर मिल जमुना फ्लावर मिल तथा कटिहार फ्लावर मिल कार्यरत है । जमुना फ्लावर मिल कटिहार काली बाड़ी मन्दिर के समीप हैं कटिहार फ्लावर मिल आर० बी० एच० एम० जूट मिल के समीप है । कटिहार फ्लावर मिल में दो यूनिट है । इसकी पहली यूनिट 1934 में तथा दूसरी यूनिट 1992 में स्थापित हुई है । इसकी क्षमता इस प्रकार है -

उत्पादित माल	संख्या (प्रति घण्टा)
आटा (गेहूँ)	- 10 + 25 = 35 बोरा
मैदा	- 2 + 6 = 8 बोरा
सूजी	- 2 बोरा
रावा	- 3 बोरा
अरती आटा	- 2 बोरा
द्वीव मिल आटा	- 3 बोरा
चोकर	- 28 बोरा

कुल श्रमिक की संख्या मात्र 40 है । नई यूनिट में मशीन विदेशी है जो स्वीटजरलैण्ड तथा जापान से मँगई गई है । इस मिल का बिहार में अपना विशेष स्थान है ।

(ग) राइस मिल्स :- कटिहार में दो राइस मिल है, जहाँ बड़े पैमाने पर धान की कुटाई होती है । यहाँ से चावल तैयार कर सीलीगुडी तथा असम को भेजी जाती है ।

## सारणी 3-16

## कटिहार प्रम्वण्ड उद्योगों का प्रतिरूप

क्र०स०	उद्योगों का नाम	कटिहार जनपद मे	अध्ययन क्षेत्र मे
1	वृहद उद्योग	9	0
2	लघु उद्योग	400	15
3	कुटीर उद्योग	4150	341
4	हैण्डलूम उद्योग	359	18
5	खादी उद्योग	4	0
6	ग्रामीण तेल पानी	199	16
7	जूता उद्योग	50	8
8	अन्य चर्म उद्योग	273	28
9	बढई उद्योग	507	85
10	लोहार गिरी	372	65
11	स्वर्णकार	160	15
12	ऊन उद्योग	175	17
13	बाँस बेंत उद्योग	369	31
14	धातु उद्योग	67	7
15	रस्सी उद्योग	10	2
16	गुड उद्योग	22	3
17	पोलट्री उद्योग	709	67
18	खिलौना उद्योग	47	3
19	होस होण्ड	550	32
20	हैण्डी क्राफ्ट	4	0
21	अन्य उद्योग	287	21

स्रोत - कटिहार जिला एक डालक, जिला सांख्यिकी पुस्तिका प्रष्ठ स० 30-1

(घ) नार्थ बिहार सिलकेट इण्डस्ट्री - इसकी संख्या दो है । जिसमें क्रमश 80, 45 श्रमिक काम करते हैं । इसमें 8 टन सीसा प्रतिदिन तैयार होता है जिसका निमाण सिल्का तथा सोडा मिलाकर किया जाता है । उपर्युक्त उद्योगों के अलावा कुटीर उद्योग के रूप में हैण्डलूम, खादी, जूता, चमड़ा, बढईगिरी, लोहार गिरी , स्वर्णकार, ऊँन, बाँस, धातु, स्स्सी, गुड, पोल्टी, खिलौना, हैण्डिक्रेफ्ट तथा अन्य उद्योगों में ईट, टाली, तथा मूर्ति उद्योग का विकास हो रहा है । कटिहार जनपद तथा अध्ययन क्षेत्र के उद्योगों की रूपरेखा सारणी 3 16 चित्र 3 9 स्पष्ट है ।

शहरी क्षेत्र कटिहार में बड़े उद्योगों - जूट उद्योग चावल - दाल, नेल, आटा मिल , लोकोमोटिव, टेक्सटाइल, चमड़ा, इलेक्ट्रानिक्स, विविध प्रकार के वर्कशाप, आइसक्रीम, छपाई, रगाई, दुग्ध पशुपालन उद्यम, मुर्गीपालन, आदि मुख्य उपाय हैं । इन बड़े उद्योगों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर एवं लघु उद्योगों का विकास हुआ है । चित्र 3 8 में कुटीर एवं लघु उद्योग अधिकांशत एग्री-इण्डस्ट्रीज से सम्बन्धित है । अध्ययन क्षेत्र में उक्त प्रकार के उद्योग ग्रामीण क्षेत्र में भिन्नता लिए हुए हैं (चित्र 3 9) । मुख्य कुटीर एवं लघु उद्योगों केन्द्रों में बेलवा, बलुआ, महमदिया, भेलही, बिजौली, दलन, डण्डखोरा, द्वासे, जमन्नाथपुर, झुन्की बसन्ता, महेशपुर, नोहरी एवं सिरनिया है, जहाँ पर चावल, आटा, दाल, तेल, मिठाई, मसालें, टेक्सटाइल गारमेण्ट, बाँस-बेंत के सामान लकड़ी के एवं लोहे के विविध प्रकार के सामान, घी, मक्खन, धातु के सामान, गुड, अनेक प्रकार के कृषि यंत्र एवं उनके वर्कशाप चमड़े से सम्बन्धित काम, लकड़ी चीरने की मशीनें, तथा अनेक प्रकार के लकड़ी के सामान कुटीर एवं लघु स्तर पर बनाकर स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं । इन उपकरणों एवं उत्पादों का विशेष स्थानीय महत्त्व है । उक्त उत्पादों को तैयार कर स्थानीय हाट एवं मेलों में विक्रय हेतु ले जाते हैं । इस प्रकार इनकी महत्ता को देखते हुए क्षेत्रीय स्तर पर इनका अध्ययन भी आवश्यक है ।

3.11 अन्य विशेषताएँ :- अध्ययन क्षेत्र के उपर्युक्त विवरणों के अतिरिक्त कुछ और तथ्य हैं जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कृषि को प्रभावित करते हैं । इनमें शिक्षा - संस्थाएँ,

चिकित्सालय (मानव एव पशु से सम्बन्धित) मण्डी बाजार, मेला, पोस्ट-आफिस, एवं बैंक आदि सम्मिलित है ।

यादृच्छिक प्रतिदर्शी चयनित गावों के सर्वेक्षणों से उनके सुविधाओं के विवरण में पर्याप्त असमानता पाई गई है । लगभग 25% कृषक ही कृषि सम्बन्धित उच्चतम सुविधाओं (जैसे उन्नतिशील बीज, उर्वरक, सिंचाई के आधुनिक साधन, नवीन कृषि पद्धति के लिए ट्रैक्टर, मर्दाई एव ओसाई मशीन आदि) का उपयोग करते हैं । ये सुविधाएँ प्रायः उन्हीं कृषकों को सुलभ हैं जो सम्पन्न, साक्षर एव अपेक्षाकृत बड़ी जोत वाले हैं । ये कृषक नवीन कृषि पद्धति के प्रति विशेष जागरूक भी हैं एव उन्हें अपनाने में अभिरूचि भी रखते हैं । शेष कृषक आर्थिक कठिनाइयों, न्याय प्रणाली के मुख्यालयों से अधिक दूरी एव निरक्षरता के कारण इनमें लाभान्वित नहीं हो पाते हैं ।

अध्ययन क्षेत्र की कृषि पर सहकारी समितियों का विशेष प्रभाव परिलक्षित होता है जिनसे कृषकगण प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होते हैं । ये सहकारी समितियाँ कृषकों को अनेक सुविधाएँ (जैसे कृषि सम्बन्धी यंत्र, रासायनिक खाद, उन्नतिशील बीज, एव कीटनाशक दवाइयाँ आदि) सुलभ कराती हैं । इनके अतिरिक्त क्षेत्रीय सहकारी समितियाँ अल्पजोत वाले कृषकों को दुधारू पशु (गाय और भैंस) बैल तथा बैलगाड़ी आदि के क्रय हेतु भी ऋण प्रदान करती हैं । क्षेत्र की सहकारी समितियों से लगभग 32% कृषक लाभान्वित होते हैं ।

अध्ययन क्षेत्र में बैंकों का योगदान भी महत्वपूर्ण है यहाँ मुख्य रूप से कोओपरेटिव बैंक, ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक, इलाहाबाद बैंक की शाखाएँ कार्यरत हैं । कोओपरेटिव (सहकारी) ग्रामीण एव स्टेट बैंक कृषकों को कम ब्याज पर ऋण प्रदान करती हैं । ग्रामीण बैंक पूर्णिया की शाखा इस क्षेत्र के प्रखण्डों के मुख्यालयों पर सुलभ है । यह बैंक क्षेत्रीय कृषकों को कृषि के विकास के लिए कम ब्याज पर ऋण प्रदान करती है ।

अध्ययन क्षेत्र में दो स्वास्थ्य केन्द्र एव एक पशु चिकित्सालय हैं । चार अस्पताल, तीन औषधि वितरण केन्द्र, एक जच्चा-बच्चा कल्याण केन्द्र, परिवार-नियोजन



केन्द्र तथा दो म्वास्थ्य केन्द्र है । पाँच बेमिक उपम्वास्थ्य केन्द्र एवं एक बेमिक म्वास्थ्य केन्द्र विद्यमान है ।

शैक्षणिक सस्थाओं की दृष्टि से यह अध्ययन क्षेत्र पिछड़ा हुआ है । इस क्षेत्र में बेमिक स्कूल 103 है, जिसमें वर्ग चार तक के छात्र पढ़ते हैं । जूनियर हाईस्कूल 17 है, जिसमें वर्ग आठ तक के छात्र पढ़ते हैं । हाईस्कूल 4 जिसमें वर्ग दस तक के छात्र पढ़ते हैं । महाविद्यालय दो हैं जिसमें स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर तक की पढ़ाई होती है । अन्य शैक्षिक सस्थान चार हैं जिसमें उर्दू, फारसी की पढ़ाई भी होती है ।

डाकघर ग्यारह, टेलीफोन आफिस एक, बस स्टेशन तीन, रेलवे स्टेशन चार, एवं बाजार नौ हैं । इस तरह अध्ययन क्षेत्र में उपर्युक्त सुविधाएँ विद्यमान हैं जिसके चलते आज विकास की ओर अग्रसर हो रहा है । आज से दो दशक पूर्व इन सभी सुविधाओं का प्रायः अभाव था । फिर भी बढ़ती हुई जनसंख्या के आधार पर उपर्युक्त सभी सुविधाएँ कम हैं, जो सुविधाएँ उपलब्ध हैं, वहाँ भी कुछ न कुछ समस्याएँ होने के कारण सही ढंग से काम नहीं हो पाता है जिससे जनता को काफी परेशानी होती है ।

### 3.12 कटिहार ऐतिहासिक, धार्मिक एवं दर्शनीय स्थल .-

यहाँ कटिहार जनपद के कुछ प्रमुख ऐतिहासिक, धार्मिक एवं दर्शनीय स्थलों की चर्चा की जा रही है । यद्यपि ये स्थल अध्ययन क्षेत्र से बाहर हैं लेकिन प्रखण्ड के सामाजिक - सांस्कृतिक गतिविधियों पर इनका प्रभाव प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से पड़ता है अतः इनका अध्ययन सक्षिप्त में आवश्यक है ।

#### (1) कटिहार जनपद के दर्शनीय स्थल -

##### (क) बलदिया बाड़ी -

गंगा नदी के किनारे मनिहारी से करीब 25 किमी० की दूरी पर बसा यह गाँव मुर्शिदाबाद के नवाब सिराजुद्दौला और पूर्णिया के गवर्नर शौकत जग के बीच की हुई लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है । ऐतिहासिक दृष्टि से इसका विशेष महत्त्व है ।

## (ख) बेलवा :-

बारसोई प्रखण्ड मुख्यालय से लगभग 8 किमी० दक्षिण में बना यह छोटा सा गाँव है । यहाँ प्राचीन कालीन भवन एवं भगवान शिव एवं देवी सरस्वती की प्राचीन मूर्ति है । यहाँ बसन्त पंचमी के अवसर पर वार्षिक मेला लगता है । इस प्रकार यह एक धार्मिक एवं सांस्कृतिक तीर्थ स्थल है ।

## (ग) दूवी-सुभी :-

बारसोई प्रखण्ड के अन्तर्गत बसे इस छोटे से गाँव का अपना धार्मिक महत्व है । कहा जाता है कि आज से लगभग 80 वर्ष पूर्व एक युवक ने कुश के सहारे अपना गर्दन काटकर स्वयं को बलिदान किया था ।

## (घ) गोरखपुर :-

आजम नगर प्रखण्ड के अन्तर्गत मुकुरिया स्टेशन से 3 किमी० की दूरी पर बसे इस गाँव में प्राचीन "गोरखनाथ" मन्दिर है । यहाँ देवघर की तरफ श्रावण मास में लोग मनिहारी से गंगा जल लेकर पैदल चलकर बोल-बम का नारा देते हुए भगवान शिव पर जल अर्पित करते हैं ।

## (ड.) कल्याणी झील -

कदवा प्रखण्ड के अन्तर्गत शोवा रेलवे स्टेशन से 5 किमी० उत्तर में स्थित स्थल पर प्रत्येक वर्ष माघी पूर्णिमा के अवसर पर मेला लगता है । बहुत से लोग इस झील के पवित्र जल में स्नान करते हैं और बकरे की बलि चढ़ाते हैं ।

## (च) मनिहारी -

इस स्थान के नामकरण के पीछे एक किंवदन्ती है कि भगवान कृष्ण जब इस स्थल से गुजर रहे थे तो उनका कमरधनि से मणि गिर पड़ी थी । चूँकि उनकी मणि यहीं पर खोई थी , इसलिए इस स्थल का नाम मनिहारी पड़ा । माघी पूर्णिमा के अवसर

पर यहाँ मेला लगता है ।

(छ) पीर पहाड -

मनिहारी स्टेशन के बगल में सन्तर फीट ऊँची पहाड़ी पर एक मजार है जिसे लोग पीर बाबा का मजार कहते हैं । इस पहाड़ी पर चढ़ने के लिए 55 मीटर है । यह दर्शनीय स्थल है ।

(ज) घोघ जलकर -

अमदाबाद प्रखण्ड में एक पक्षी विहार है । यहाँ प्रवासी पक्षी बहुतायत में आकर रहते हैं । मनिहारी से लगभग 10 किमी० की दूरी पर स्थित इस स्थान तक आने के लिए गड़गड़ मार्ग है ।

(झ) मकदमपुर -

कोढा प्रखण्ड के अन्तर्गत राष्ट्रीय उच्च मार्ग 31 के बगल में बसा यह छोटा गाँव है । यहाँ पाचन शिव मन्दिर है । शिव शक्ति के अंग पर यहाँ मेला लगता है ।

(2) कटिहार शहर के दर्शनीय स्थल

जिला मुख्यालय का प्रमुख शहर एवं महत्वपूर्ण व्यावसायिक केन्द्र है। यह जूट मिल के लिए प्रसिद्ध है । यहाँ दो धार्मिक स्थल हैं ।<sup>12</sup>

(क) दुर्गा मन्दिर -

कटिहार स्टेशन से लगभग दो किमी० की दूरी पर कालोनी न० 1 के पास है । आश्विनी मास के दुर्गा पूजा के अवसर पर यहाँ मेला लगता है ।

(ख) काली बाडी -

कटिहार बस स्टेशन से एक फर्लांग की दूरी पर यमुना आटा मिल्म के पास है । यहाँ प्रत्येक सप्ताह मंगलवार व शनिवार को विशेष रूप से लोग मा काली की पूजा अर्चना करने आते है । काली पूजा के अवसर पर यहाँ बहुत बडा मेला लगता है । यहाँ मण्डलीय उत्तर - पूर्वी सीमान्त रेलवे का मुख्यालय भी है ।

xxxxxxxxxxxxxxxx

सन्दर्भ - सूचिका (REFERENCES)

1. जिला सांख्यिकी अधिकारी द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर ।
2. सांख्यिकीय कार्यालय बिहार, पटना द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर ।
3. 1991 की जनगणना के अनुसार, सांख्यिकी विभाग, जनपद कटिहार, बिहार ।
4. प्रखण्ड पशुपालन पदाधिकारी कटिहार द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर ।
5. *Canon, A.M.a : New Railway Construction and the Pattern of Economic Development of East Africa, Transactions, 9 B.G. No.36. June 1965, p.21.*
6. अखिल भारतीय पंचम शिक्षा सर्वेक्षण 1986/87 कटिहार जिला का संक्षिप्त प्रतिवेदन, मानव ससाधन विकास विभाग, बिहार, पृ0 6
7. प्रखण्ड कार्यालय कटिहार द्वारा प्राप्त आँकड़ों के आधार पर ।
8. उपर्युक्त ।
9. जिला विद्युत कार्यालय कटिहार ।
10. *Mamoria C.B : Agricultural Problem in India (Kitab Mohal Allahabad 1960, 3rd Ed p 138.*
11. *R B.H M* जूट मेल कटिहार कार्यालय द्वारा प्राप्त आंकड़ों के आधार पर ।
12. जिला सांख्यिकी हस्तपुस्तिका कटिहार, जिला सांख्यिकी कार्यालय कटिहार, पृ0 67.

XXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

अध्याय - चतुर्थ

भूमि उपयोग सिद्धान्त

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXX

## अध्याय - चतुर्थ

### भूमि उपयोग सिद्धान्त

#### 4 । (अ) सामान्य सन्दर्भ -

मानवीय अर्थव्यवस्थाओं में कृषि का विशेष महत्व है । जीविका-अर्जन की प्रक्रिया में आखेट, पशुपालन एवं वन मसाधनों को एकत्रित करने पर दीर्घकाल तक निर्भरता के उपरान्त मनुष्य धीरे-धीरे कृषि विधियों को अपनाने लगा और कालान्तर में वह इन्हीं के द्वारा जीविकापार्जन करने लगा, अब मानव के भरण-पोषण में कृषि का सबसे अधिक योगदान है । इसी पर आधारित अन्य व्यवसाय भी मानवीय क्रियाओं से जुड़कर उसकी आधुनिक सभ्यता के प्रतीक बन गए हैं ।

कृषि के प्रचलन ने मनुष्य की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति की । कृषि कार्य के लिए उसे अब सुनिश्चित होकर एक स्थान पर रहना पड़ा और इसी कारण उसे गृह निर्माण करना पड़ा तथा पशुपालन का भी सहारा लेना पड़ा, क्योंकि कृषि का अधिकांश कार्य पशुओं पर निर्भर था । उसे पशुओं से विभिन्न उपयोगी वस्तुएँ (जैसे दूध, घी, मक्खन, चमड़ा हड्डी आदि) प्राप्त हुई इसलिए धीरे-धीरे सभ्यता का विकास हुआ एवं मनुष्य पशुचारण युग से वर्तमान अतरिक्ष युग में प्रवेश किया ।

#### (ब) ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य -

कृषि का श्रीगणेश भी मानव सभ्यता की भोंति ही अति प्राचीन प्रतीत होता है । यद्यपि यह कहना कठिन है कि कृषि का सुव्यवस्थित कार्य कब प्रारम्भ हुआ, किन्तु इतना तो सम्भाव्य है कि आखेट, वन क्रिया-कलाप एवं पशुपालन के उपरान्त ही कृषि कार्य प्रारम्भ हुआ होगा पहले अव्यवस्थित रूप में और तत्पश्चात् धीरे-धीरे सुव्यवस्थित रूप में ।

कुछ विद्वानों के अनुसार पौधों एवं पशुओं के उगाने और पालने का कार्य कम से कम आठ हजार ई० पू० से पहले प्रारम्भ हुआ । इससे पहले मानव आखेट युग में था। पशुचारण और कृषि-कार्य दीर्घकालीन तक साथ-साथ किन्तु अव्यवस्थित रूप में चलते रहे

और यह क्रम लम्बे काल तक चला । पहले पशुचारण प्रधान रहा किन्तु धीरे-धीरे कृषि कार्य प्रधान हो गया । कृषि का प्राथमिक रूप बदलता रहा है और बदलता रहेगा । आज कृषि अपने पूर्ण आधुनिक विकसित एवं व्यापारिक रूप में दिखायी देती है ।

निरन्तर बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण मनुष्य ने जंगलों को साफ किया और कृषि क्षेत्रों में परिवर्तित कर दिया । धीरे-धीरे नदी-घाटियों के अतिरिक्त पठारों, पर्वतों एवं मरुभूमियों में भी कृषि कार्य फैलता गया । गाँवों और नगरों का जाल सा बिछ गया और भूमि एक निश्चित क्षेत्र में अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने का प्रयास किया जाने लगा । इस प्रकार कृषि का विस्तृत स्वल्प उभरा । इसके पश्चात् भूमि में अधिकधिक कृषि उत्पादन प्राप्त करने के लिए शोधों और अध्ययनों की शुरुआत हुई जिससे कृषि भूमि-उपयोग में सैद्धान्तिक पक्ष का प्रतिपादन हुआ । सैद्धान्तिक उपगमन के अनेक दृष्टिकोण अपनाए गए जो भिन्न-भिन्न आधारों पर अवबोधित थे ।

### (स) सिद्धान्त सन्दर्भ -

भूमि उपयोग के सिद्धान्त इस सन्दर्भ पर निर्भर है कि भूमि के निश्चित क्षेत्र से किन प्रविधियों एवं तन्त्रों द्वारा अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाय और कृषि कार्य में प्रयुक्त लागत अपेक्षाकृत निम्नतम हो जिससे उत्पादन में अधिकतम लाभ सुलभ हो सके । ऐसा सम्भव होने के लिए निम्न पक्षों में से एक या अधिक का होना आवश्यक है -

- (1) निश्चित क्षेत्र में सिंचाई की उपलब्धता बढ़ाकर, सुधरे बीजों का प्रयोग बढ़ाकर, खादों का उचित एवं स्तुलित प्रयोग कर, कृषि औजारों की कुशलता बढ़ाकर तथा फसलों की उचित अनुकूलता को निर्धारित कर अधिकतम कृषि उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है ।
- (2) उस निश्चित क्षेत्र में फसलों के उचित हेर-फेर द्वारा, उनके उचित संयोजन एवं साहचर्य द्वारा उनकी स्तुलित मिश्रित प्रक्रिया द्वारा तथा दो फसली क्षेत्र की वृद्धि द्वारा अधिकतम कृषि उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है ।



- (3) उस निश्चित क्षेत्र में फसलों के चयन में प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन देने वाली साथ ही अधिक मूल्य देने वाली फसलों के चयन में भी अधिकतम कृषि उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है ।
- (4) उम निश्चित क्षेत्र में लागत मूल्य घटाकर भी कृषि उत्पादन में अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सकता है ।
- (5) उस निश्चित क्षेत्र में आवासों से दूर कृषि कार्य में परिवहन लागत घटाकर तथा कृषि उत्पादन संग्रहित करने में परिवहन व्यय कम कर कृषि उत्पादन से अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सकता है, तथा
- (6) उस निश्चित क्षेत्र में भूमि के प्रकार, परिवहन प्रणाली, श्रमिक-ससाधन एवं बाजार-प्रक्रिया के विश्लेषणों द्वारा भी कृषि उत्पादन में अधिकतम लाभ का पक्ष एवं उसकी दिशा निर्धारित की जा सकती है ।
- (7) निरन्तर अधिक उत्पादन हेतु शस्य काल (*Cropping Time*) को घटाकर मृदा की उर्वरता को बनाये रखा जा सकता है मृदा संरक्षण एवं पर्यावरणीय दृष्टि से यह आवश्यक पक्ष है । उपयुक्त सभी सन्दर्भों एवं पक्षों को ध्यान में रखकर विद्वानों ने भूमि उपयोग से सम्बन्धित के कुछ सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है जिनका विवरण निम्न प्रकार है ।

#### (द) सिद्धान्त निरूपण -

उपर्युक्त सन्दर्भों का आधार मानते हुए अनेक विद्वानों ने 19वीं शताब्दी में ही कृषि भूमि उपयोग के सिद्धान्तों का विवेचन प्रारम्भ किया था जिनमें जे० एच० वान थ्यूनेन महोदय (1783-1850) का योगदान विशेष उल्लेखनीय है । ये एक जर्मन विद्वान थे जो मैक्लेन-वर्ग में एक फार्म (कृषि क्षेत्र) के मैनेजर (व्यवस्थापक) भी थे । उन्होंने अपने दीर्घकाल के अनुभवों तथा आर्थिक विवेचनों के आधार पर 1825 में भूमि उपयोग के एक सिद्धान्त का प्रतिपादन किया जो 'वान थ्यूनेन सिद्धान्त' के नाम से प्रचलित है । वे एक सुयोग्य अर्थशास्त्री

एक अनुभवी कृषि अर्थशास्त्री थे इसीलिए उन्होंने अपने सिद्धान्त में इन दोनों पक्षों का समावेश किया है। इस सिद्धान्त की प्रमुख विशेषताएँ निम्नवत् हैं -

(1) वान थ्यूनेन का सिद्धान्त<sup>1</sup> - वान थ्यूनेन के सिद्धान्त को भली-भाँति समझने के लिए यह आवश्यक है कि उनके द्वारा कुछ मान्य दशाओं का ज्ञान सबसे पहले प्राप्त कर लिया जाय। इन दशाओं का स्पष्टीकरण निम्न प्रकार किया जा सकता है -

(अ) उन्होंने एक ऐसे प्रशस्त कृषि क्षेत्र की कल्पना की है जो प्रथम प्रदेश के रूप में पाया जाता है और जिस क्षेत्र में एक ही नगर स्थित हो। यद्यपि ऐसी दशाएँ वास्तविकता से परे हैं तथापि अपने सिद्धान्त को सुस्पष्ट करने के लिए उन्हें इस वास्तविकता को चयन करना पड़ा। भौगोलिक दृष्टिकोण से यह काल्पनिक स्थिति मात्र ही है।


(ब) उन्होंने उसी एक नगर को उत्पादन तथा उपयोग स्रोत दोनों ही मानने की कल्पना की। मृदा-उर्वरता, फसलों की उपज क्षमता, लागत व्यय की स्वरूपता तथा सर्व समतल धरातल और समान यातायात की सुविधाएँ भी मानी गयीं जो वास्तविकता के परिदोतक नहीं हैं। सम्यक उत्पादन क्षमता तथा समान यातायात की कल्पना भौगोलिक दृष्टिकोण से असहज प्रतीत होती है। किन्तु वान थ्यूनेन महोदय ने अपनी वैचारिक अनुशीलता को सहज एवं सरल बनाने के लिए ऐसे वास्तविक सन्दर्भों का भी परित्याग किया है।

(स) उन्होंने माना है कि दूरी तथा भार के अनुपात में ही परिवहन व्यय बढ़ता है, जो कुछ विशेष सन्दर्भों में ही सही प्रतीत होता है।

(द) उनके अनुसार उस एक नगर के अतिरिक्त उस कृषि क्षेत्र में ग्रामीण बस्तियाँ फैली होंगी। कृषक अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए इच्छुक होंगे और नगर में स्थित बाजार की माँग के अनुसार अपने कृषि क्षेत्र में फसल उगाने में सक्षम होंगे।

उपर्युक्त मान्यताओं के अनुसार बाजार क्षेत्र के चारों ओर बढ़ती हुई दूरी के अनुसार फसलों के उत्पादन क्षेत्र का लाभ अनवरत घटता जायेगा। यदि शहर से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार विभिन्न उद्योगों का सहज महत्व ध्यान में रखा जाय तो उस आधार पर

# वान-थ्यूनेन का स्थानीकरण साँडल



- 1- केन्द्रीय नगर
- 2- आगवानी कृषि तथा दुग्धोत्पादन
- 3- जलाशय लकड़ी के वन
- 4- परती रहित गहन कृषि

- 5- नाव्य नदी
- 6- चारागाह-परती सहित
- 7- तीन खेत विधि
- 8 - पशुपालन

FIG. 4.1

भी अधिक महत्व के उद्यम नगर के निकट और कम महत्व के उद्यम नगर से दूर क्रियान्वित पाए जायेंगे ।

इस सिद्धान्त के अनुसार किसी भी कृषक का लाभ तीन विचलकों पर आधारित होता है जो निम्न सूत्र द्वारा परिबोधित किए जा सकते हैं -

$$P = V - (E + T)$$

जहाँ  $P$  = कृषक का लाभ  
 $V$  = वस्तु का विक्रय मूल्य  
 $E$  = उत्पादन की लागत और  
 $T$  = परिवहन की लागत के द्योतक हैं ।

उक्त सूत्र के अनुसार भूमि उपयोग सम्बन्धी कृषि पेट्टी की बाहरी सीमा परिवहन लागत के बढ़ते जाने के कारण घटते हुए लाभ का द्योतक होगी और जहाँ कहीं ऐसा लाभ समाप्त प्राय होगा वही यह बाहरी सीमा निर्धारित हो जायेगी । कृषि पेट्टी में आन्तरिक उपपेट्टियों की सीमाएँ आर्थिक लाभ तथा कम लाभ देने वाली फसलों एवं बाजार से बढ़ती हुई दूरी दोनों ही विकल्पों पर आधारित होगी, जिनमें परिवर्तनों का प्रभाव इन उपपेट्टियों पर निरन्तर पड़ता रहेगा । वान थ्यूनेन महोदय ने केन्द्रीय नगर के चारों ओर विकसित होने वाली सात पेट्टियों का उल्लेख किया है (जो चित्र सख्या -4-1) में दिखाई गयी है -

- (1) केन्द्रीय नगर की स्थिति ।
- (2) नगर के निकटस्थ भूमि उपयोग की पहली पेट्टी गहन कृषि की पेट्टी होगी जिनमें तरकारियाँ, पुष्पोत्पादन, दुग्ध व्यवसाय आदि जैसे कार्य सम्पन्न होंगे । ये शीघ्र नाशवान पदार्थ हैं जो मानव जीवन में प्राथमिकता के निरन्तर प्रयुक्त होते हैं ।
- (3) तत्कालीन अर्थ-व्यवस्था के अनुसार जलाने की लकड़ी का अधिक महत्व था। अतः उन्होंने भूमि उपयोग की दूसरी पेट्टी को ईंधन की लकड़ी -उत्पादन पेट्टी के रूप में बताया । आधुनिक सन्दर्भ में जब ईंधन के रूप में कोयले या गैस, सौर्य-प्रकाश का प्रयोग

होने लगा है । अतः वर्तमान के मन्दर्भ में इस प्रकार की पेटी की कल्पना असहज सी प्रतीत होती है ।

(4) तीसरी पेटी में भूमि उपयोग की वह कृषि क्रिया मानी गयी है जिसमें अन्नोत्पादन का सक्रिय कार्य होने के कारण परती भूमि नहीं छोड़ी जा सकती । इस पेटी की सलगनता में उन्होंने प्रवाहित नदी का होना भी मान लिया है क्योंकि परती न छोड़ते हुए कृषि भूमि उपयोग के लिए सिंचाई की अति आवश्यकता होगी जिसके लिए नदी जल का होना तत्कालीन मन्दर्भ में आवश्यक था । आधुनिक ससाधनों के अनुसार वह कार्य नदी के अतिशक्त नलकूपों नहरों द्वारा भी सम्पादित किया जा सकता है ।

(5) नाव्य नदी का प्रवाह मार्ग ।

(6) भूमि उपयोग की चौथी पेटी अन्नोत्पादन की वह पेटी मानी गयी है जिसमें परती तथा चारण भूमि दोनों ही निहित है । इस पेटी में सिंचाई की कम आवश्यकता पडती है । वान थ्यूनेन के अनुसार कृषक चौथी पेटी में ऐसी फसलों को अपनाता है जो बिना सिंचाई के ही उत्पन्न हो जाय ।

(7) पाँचवी पेटी भूमि उपयोग की तीन खेत प्रणाली पर आधारित होगी जिसके लगभग एक तिहाई भाग पर विस्तृत खेती, एक तिहाई भाग में परती - क्षेत्र और शेष एक तिहाई भाग पर पशुचारण क्षेत्र होगा । पेटी के दूरस्थ वाले भागों में चारागाह क्षेत्र की अधिकता होगी । जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप परती भूमि को भविष्य में कृषि भूमि में बदला जा सकता है ।

(8) भूमि उपयोग की छठी पेटी पशुपालन उद्योग की विशेष पेटी होगी । इसमें विस्तृत पशुपालन क्रिया सम्पन्न होगी । आवश्यकता के अनुसार ही पशुपालन उद्योग की पेटी नगर के दूरस्थ भागों में मानी गयी है ।

नगर से दूर भूमि उपयोग की साँतवी पेटी बजर भूमि से आच्छादित हो सकती है जिसमें न तो कृषि कार्य और न तो पशुचारण कार्य हैं, सम्भव होगा ।

वान थ्यूनेन महोदय की भूमि उपयोग की पेटियों को चित्र सख्या 4 । दर्शाया गया है । उक्त चित्र से स्पष्ट है कि ये पेटियाँ केन्द्रिय नगर एव सलग्न नदी से दोनों ओर लगभग वृत्तकार रूप में फैली हुई है ।

वान थ्यूनेन महोदय का सिद्धान्त यद्यपि विचार परक है तथापि वह आवश्यक मान्यताओं और अवास्तविकताओं से भरपूर है । इसलिए आधुनिक विकसित अर्थव्यवस्था के सन्दर्भ में तथ्यहीन सा प्रतीत होता है । उनके द्वारा परिलक्षित कृषि उत्पादन तथा अन्य पेटियों का सम्बन्ध तथा स्वरूप अब कहीं भी परिलक्षित नहीं होता । परिवहन साधन तथा अन्य साधनों के परिवर्तनों के कारण उनकी मान्यताएँ तथा उन आधारों पर निर्धारित पेटियों का प्रारूप भी असम्भव हो जायेगा । कृषि में यन्त्रीकरण फसल संयोजन, शस्य साहचर्य तथा फसल सतुलन आदि कारकों के कारण वान थ्यूनेन के समय से अब तक दशकों में महान परिवर्तन हो गया है । भारत जैसे घने आबाद देश में गहन कृषि का विशेष महत्व होने के कारण वान थ्यूनेन की कृष्येतर पेटियाँ सन्दर्भहीन हो गयी है । अब दुग्ध-व्यवसाय और पशुचारण क्रिया गहन कृषि से सलग्न उद्यम के रूप में परिचालित है । वान थ्यूनेन ने मृदा उर्वरता की समानता, भूमि की सम्यक् समतलता, प्राकृतिक वातावरण की समता तकनीकी एव आर्थिक कारकों की समानता, श्रम कुशलता एव परिवहन लागत की समानता तथा लागत मूल्य की समरूपता, एक ही केन्द्रीय नगर एवं एक ही बाजार की सुविधा की कल्पना और विश्व के सभी भागों में मैकलेन - वर्ग में स्थित कार्य (कृषि क्षेत्र) का समरूपता मानकर जिस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है, वह अब ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि के रूप में अवशेष रह गया है । इस सिद्धान्त को पुनर्विश्लेषित कर तथा नवीन विचारों द्वारा पुनर्स्थापित कर डन<sup>2</sup> (1945), हुबर<sup>3</sup> (1948), लॉश<sup>4</sup> (1954), इजाई<sup>5</sup> (1955), एलोन्जे<sup>6</sup> (1944), गैरिसन एवं भार्डुल<sup>7</sup> (1957) और होरवथ<sup>8</sup> (1969) आदि विद्वानों ने पुन प्रतिपादित करने का प्रयास किया है, किन्तु इन प्रयासों से वान थ्यूनेन के मूल सिद्धान्त का स्वरूप और उद्बोधन ही लगभग पूर्णरूपेण परिवर्तित हो गया है ।

डन तथा लॉश महोदयों ने वानथ्यूनेन के सिद्धान्त की कुछ आलोचना की है उनके अनुसार वान-थ्यूनेन द्वारा प्रतिपादित भूमि उपयोग का आर्वतन कुछ सीमित एवं निश्चित


परिस्थितियों में ही सम्भव हो सकता है। इन के अनुसार शहर से दूर कृषि की क्षमता में सदा हास होता है, यह काल्पनिक है। चिशोम एव हाल के अनुसार कुछ हल्के पदार्थों का उत्पादन बाजार से दूर भी लाभप्रद ढंग से किया जा सकता है। यातायात की सुविधा होने पर उन्हें कम व्यय में व्यापारिक केन्द्रों तक पहुँचाया जा सकता है।

अनेक विद्वानों ने भी वानथ्यूनेन के सिद्धान्त की आलोचनाएँ की हैं और उसके भग्नावशेषों पर अपना सिद्धान्त प्रतिपादित करने का प्रयास किया है। इनमें लॉश एवं इजार्ड महोदयों के योगदान उल्लेखनीय है।

(2) ओलाफे जोनासन का सिद्धान्त<sup>9</sup> - जोनासन महोदय स्वीडेन के निवासी थे। वे अर्थशास्त्र एव भूगोल दोनों ही विषयों में रुचि रखते थे। उन्होंने 1925 के आस-पास वान थ्यूनेन के सिद्धान्त को विकसित करने का प्रयास किया। उनके अनुसार नगर या गाँव के निकट का पहला क्षेत्र सघन सब्जी, फल तथा पुष्पोत्पादन का क्षेत्र होता है। दूसरी पेट्टी में कम नाशवान शाक-भाजी (जैसे- आलू) तथा कुछ मुद्रादायिनी फसलें (जैसे - तम्बाकू) अथवा कुछ चारे की फसलें उगायी जाती हैं। इस पेट्टी से बाहरी क्षेत्रों में सघन कृषि एवं महन डेयरी कार्य सम्पन्न किया जाता है। यह तीसरी पेट्टी का रूप धारण कर लेता है। चौथी पेट्टी में सामान्य कृषि, सूखी घास का उत्पादन एवं कम सघन पशुधन से सम्बन्धित कार्य किया जाता है। पाँचवी पेट्टी में मोटे खाद्यान्नों एवं वनस्पति तेलों आदि की फसलें उगाई जाती हैं। छठी पेट्टी मुख्यतः चारागाह की पेट्टी होती है जिसमें मुख्यतः माँस, चर्बी एवं चमड़े आदि का कार्य किया जाता है। सातवी पेट्टी वन्य कृषि पेट्टी होती है, यहाँ कृषि कार्य छिटपुट रूप में ही होती है। इस पेट्टी की बाहरी परिधि वन क्षेत्रों से परिपूर्ण होती है जोनासन महोदय ने उपर्युक्त पेट्टियों की कल्पना यूरोप के कृषि क्षेत्रों के सन्दर्भ में किया है। भारत जैसे देश के सन्दर्भ में इसकी उपयोगिता कही सिद्ध नहीं हो पाती है।


वान थ्यूनेन की भाँति ही जोनासन की पेट्टियाँ भी नगर क्षेत्र के दूरी को ध्यान में रखकर सकल्पित की गयी हैं। आधुनिक युग में यातायात के सहज साधन सुलभ होने

# ओलोफ जोनासन का कृषि स्थानीकरण-मॉडल



(A)

## जोनासन द्वारा एडवर्ड्स पठार का मण्डलन



(B)

Fig. 4. 2



से तथा शाक-भाँजी आदि नाशवान सब्जियों, फलों को तथा मॉस युक्त पदार्थों को शीतालयों में रखकर दीर्घकाल तक उपयोगी रखा जा सकता है तथा दूर क्षेत्रों को भी भेजा जा सकता है । इस प्रकार इन पेटियों का आधुनिक महत्व अधिक क्षीण प्रायः सा हो गया है । जोनासन महोदय ने टेक्सास प्रदेश में गडवर्म पटार पर जिन आदर्श क्रमिक मण्डलों (चित्र मन्त्र्या 4.2) का विवरण किया है, वह यद्यपि उनकी अवधारणा से मिलता जुलता है तथापि आधुनिक परिप्रेक्ष्य में अधिक हद तक तथ्यहीन सा प्रतीत होता है । इस प्रकार अनेक कृषि अर्थशास्त्रियों ने जोनासन के सिद्धान्त की आलोचना की है ।

(3) ओ० ई० बेकर का सिद्धान्त<sup>10</sup> - बेकर महोदय संयुक्त राज्य अमेरिका में कृषि-अर्थशास्त्र के विद्वान थे । उन्होंने शस्य वितरण सम्बन्धी अपना सिद्धान्त निम्न प्रकार प्रस्तुत किया है -

उनके अनुसार प्रमुख कार्य कृषि क्षेत्रों की स्थिति का निर्धारण करना है । कृषि प्रतिरूपों को ध्यान में रखना भी आवश्यक है जिनके आधार पर कभी - कभी क्षेत्रीय नामकरण भी हो जाता है । जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में कपास की पेटी, मक्के की पेटी आदि के क्षेत्र । उन्होंने शस्य की प्रधानता को ध्यान में रखकर कृषि मण्डलों का निर्धारण करने का प्रयास किया । बेकर द्वारा किए गये शस्य प्रधानता के विश्लेषणों को ध्यान में रखकर 1930 के लगभग संयुक्त राज्य अमेरिका में कृषि क्षेत्रों (कार्यों) को बारह प्रकारों में विभक्त किया गया है । कालान्तर में पुनः शोधनों के आधार पर 812 कृषि प्रक्षेत्र निर्मित किए गये हैं । बेकर ने कृषि मण्डलों या कृषि पेटियों के स्थान पर शस्य स्वरूपों की प्रधानता अथवा भागों के आधार पर श्रेणीयन करने का प्रयास किया गया है । ये श्रेणियाँ क्रमबद्ध रूप में पेटियों की भाँति नहीं प्रस्तुत की जा सकती । बेकर के श्रेणीयन की प्राथमिकता निम्न प्रकार है -

(1) वह शस्य या कृषि उपज जिसकी किसी अधिवास के सन्दर्भ में पर्याप्त माँग होती है, भूमि की सक्षमता को ध्यान में रखकर, सर्वप्रथम उगाने का प्रयास किया जाता है । यद्यपि इसका उत्पादन जलवायु तथा भौतिक दशाओं पर निर्भर होता है तथापि अन्य शस्यों की तुलना में इस पर माँग का भी प्रभाव पड़ता

है । ऐसे शस्य प्रथम श्रेणीयन में आने है ।

- (2) इस श्रेणीयन में ऐसी फसलें उगाई जाती हैं जिनमें प्रति इकाई मूल्य पर उत्पादन का वजन कम होता है । इसके लिए परिवहन व्यय को भी ध्यान में रखना अपेक्षित होता है, जो भारी फसलें अधिक परिवहन व्यय नहीं सहन कर सकती उन्हें केवल स्थानिक माँग की पूर्ति के लिए ही उगाया जाता है ।
- (3) तीसरी श्रेणीयन में श्रमिक माँग को ध्यान में रखकर कृषि कार्य किया जाता है । कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो मौसमी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं और उनमें मजदूरों की माँग भी तत्कालीन होती है । गेहूँ फसलें तृतीय श्रेणीयन में आँकी जा सकती हैं । इनका उत्पादन अन्य कारकों की अपेक्षा श्रमिक माँग की पूर्ति पर अधिक निर्भर है ।
- (4) चौथी श्रेणीयन में शस्य संयोजन का विशेष महत्त्व होगा क्योंकि जलवायु, मिट्टी की उर्वरता, मौसमी माँग आदि तथ्यों को ध्यान में रखकर ही कुछ फसलों का इस प्रकार संयोजन, प्रस्तुत किया जा सकता है । जिसमें उत्पादन अधिक हो, अधिकाधिक माँग की पूर्ति हो और श्रम तथा लागत अपेक्षाकृत कम लगे ।
- (5) अधिवासों की जनसंख्या वृद्धि ध्यान में रखकर तथा भूमि की सापेक्ष कम को दृष्टिगत करते हुए विविध प्रकार की फसलों के उत्पादन का प्रवृत्ति अपनायी जा सकती है । अधिवासों के दूर के भागों में अथवा अधिक व्यय साध्य भूमि में या अधिक श्रमिकों के आधार पर लाभप्रद फसलों का उत्पादन सम्भव हो सकता है जो बहुधा सामान्य परिस्थितियों में त्याज्य होता है ।
- (6) कृषि कार्य में दक्षता एवं अनुभव तथा यांत्रिक एवं सिंचन साधनों के आधार पर अधिवासों से कुछ दूर बड़े फार्मों की खेती की जा सकती है । इसका मुख्य उद्देश्य भरण-पोषण नहीं बल्कि व्यापारिक लाभ का दृष्टिकोण होगा ।

बेकर महोदय के उपर्युक्त विवरणों से स्पष्ट है कि उन्होंने अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से श्रेणीयन का विश्लेषण किया है । भौगोलिक सन्दर्भ में मृदा-विश्लेषण फसल-सन्तुलन,

फसल-संयोजन तथा फसल-उत्पादन-क्षमता एवं कृषि कुशलता को भी ध्यान में रखना अति आवश्यक है ।


#### (4) लॉश का सिद्धान्त :-

आगस्ट लॉश की एक जर्मन अर्थशास्त्री थे । इन्होंने क्रिस्टालर<sup>11</sup> के षटकोणीय प्रतिरूप से सहमति व्यक्त करते हुए, सेवा-केन्द्रों तथा बाजार क्षेत्रों के अनुकूलनम होने का त्रिभुजीय-षटकोणीय प्रतिरूप प्रस्तुत किया । इस सिद्धान्त में आधार-भूत प्रतिरूप को षटकोणों के समुच्चयों द्वारा तथा उनके अन्तर्गत त्रिभुजीय प्रतिरूप में 18 गँवों की बिन्दुओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है । मध्य में वह केन्द्रीय गँव स्थित माना जाता है जहाँ बाहरी सभी गँव के बाजार केन्द्र है (चित्र संख्या 4.3) द्वारा लॉश के षटकोणीय-त्रिभुजीय विधि का प्रदर्शन किया गया है ।

क्रिस्टालर तथा लॉश की विधियों में मूलतः कई अन्तर हैं । क्रिस्टालर ने बस्तियों के पदानुक्रम में सबसे पहले महानगर को और तत्पश्चात् छोटे नगर और छोटी बस्तियों को माना है । किन्तु लॉश ने अपने पदानुक्रम में निम्न बस्तियों से प्रारम्भ कर उच्चतर बस्तियों की ओर अग्रसरण किया है । क्रिस्टालर के अनुसार सभी निम्न स्तरीय केन्द्र सीधे बड़े केन्द्र में समाहित होंगे । किन्तु लॉश के अनुसार कई विभिन्न अनुकूलतम स्थितियों को ध्यानगत रखते हुए सभी अवस्थितियों के समग्र प्रतिरूप का एकत्रित (सम्मेलित) स्वरूप ही उचित होगा । बाजारों में वस्तुओं के महत्त्व के क्रम को ध्यान में रखकर क्रिस्टालर ने सबसे अधिक महत्त्व की वस्तु को (जो प्रायः महानगर में ही उपलब्ध है) सबसे ऊँचे पदानुक्रम में रखा । किन्तु लॉश का पदानुक्रम निम्नक्रम से अर्थात् स्थानीय अधिक महत्त्व की वस्तु से प्रारम्भ होता है । क्रिस्टालर के केन्द्रीय स्थानों के पदानुक्रम में केन्द्रों के स्तरों के अतिरिक्त कार्य के वर्गों का भी समायोजन किया गया है । किन्तु लॉश ने केन्द्रों के विशेषीकरण को ध्यान में रखकर अनेक कार्यों से परिपूर्ण आर्थिक भूदृश्य की संकल्पना की है । क्रिस्टालर का सिद्धान्त फुटकर व्यवसाय कार्य की अवस्थितियों को प्रस्तुत करने में उपयुक्त प्रतीत होता है, किन्तु लॉश के सिद्धान्त प्रतिपादन द्वारा बाजार पर आधारित

# Christaller Hypothesis

A



# Loschian Landscape

B




Fig. 4.3

निर्माण उद्योगों के उपस्थिति प्रतिरूप के विश्लेषण को समझना सरल प्रतीत होता है ।

दोनों ने ही समान जनसंख्या घनत्व वाले समतल मैदानी क्षेत्र में जहाँ सभी दिशाओं में आवागमन एवं परिवहन की समान सुविधाएँ ही, यह माना है कि उस क्षेत्र में किसी एक वस्तु के उत्पादन एवं फुटकर विक्रय केन्द्रों को अवस्थितियों के प्रतिरूप त्रिभुजकार होंगे किन्तु बाजार क्षेत्र की अवस्थितियों के प्रतिरूप षटकोणीय होंगे । किन्तु लॉश ने विशेष स्पष्टीकरण के लिए प्रमाण भी दिए हैं । क्रिस्टालर का प्रतिरूप विरल बस्तियों के क्षेत्रों में एकाकी नगरों के महत्व का उद्बोधक है, किन्तु लॉश का प्रतिरूप मध्यन बस्तियों में सबसे कम विशेषीकरण की बस्ती के महत्व को भी समझाने का प्रयास करता है । भौगोलिक दृष्टिकोण से उपर्युक्त दोनों ही प्रयास अनुपयुक्त प्रतीत होते हैं, क्योंकि प्रशस्त समतल मैदान समान परिवहन सुविधा, समान क्षेत्र उर्वरता आदि के बिना उक्त सिद्धान्तों का क्रियान्वयन सम्भव नहीं है क्योंकि ये भौगोलिक आधार सर्वत्र एवं सदा सुलभ नहीं हो सकते ।

#### क्रिस्टालर एवं लॉश के विचारों का तुलनात्मक अध्ययन -

- 1 क्रिस्टालर का अध्ययन का प्रदेश 40 50 जर्मनी का बबेरिया प्रान्त था जहाँ उसने 1933 में अध्ययन किया था, जबकि लॉश का अध्ययन यू0 एस0 ए0 का आयोवा प्रान्त था जहाँ 1945 में अध्ययन किया ।
- 2 क्रिस्टालर ने बस्तियों के पदानुक्रम को सबसे ऊँचे स्तर पर नगरों से प्रारम्भ किया जब कि लॉश ने ग्रामीण स्तर पर बस्तियों से ऊपर की ओर क्रम बढ़ाया ।
- 3 क्रिस्टालर का सिद्धान्त फुटकर व्यवसाय एवं थोक-व्यवसाय तथा सेवा व्यवसाय की दृष्टि से स्थिति को समझने में सहायक है, जबकि लॉश के अनुसार बाजार पर आधारित निर्माण उद्योगों की स्थानिक वितरण को समझने में सहायता प्रदान करता है ।
- 4 क्रिस्टालर के अनुसार सभी उच्च स्तर के केन्द्र निम्न स्तर के केन्द्रों के कार्य भी करते हैं जबकि लॉश के अनुसार ऐसा कार्य नहीं है ।

- 5 क्रिस्टालर के अनुसार एक स्तर के सभी केन्द्र एक समान आकार व समान कार्य वाले होते है लेकिन लॉश के अनुसार समान आकार के केन्द्रों पर समान कार्य होंगे, आवश्यक नहीं है ।
- 6 क्रिस्टालर के अनुसार अलग - अलग पदानुक्रम के केन्द्र अलग -अलग प्रकार के माल की पूर्ति करते है जबकि लॉश के अनुसार एक ही स्थान अनेक प्रकार के माल की पूर्ति का केन्द्र हो सकता है ।
- 7 क्रिस्टालर के अनुसार जब मूल्य एक बार स्थापित हो जाने है फिर सम्पूर्ण पदानुक्रम मे स्थायी रहते है, लेकिन लॉश के अनुसार ऐसा आवश्यक नहीं है ।
- 8 क्रिस्टालर के अनुसार निम्न स्तर के केन्द्रों की स्थिति का विचार बड़े केन्द्रों की स्थिति के सापेक्ष होना चाहिए, जबकि लॉश के अनुसार विभिन्न अनुकूलतम स्थितियों को समग्र रूप मे देखना चाहिए ।
- 9 क्रिस्टालर की व्यवस्था विरल जनसख्या के प्रदेशो मे नगरों के प्रतिरूप को समझने मे सहायक है जबकि लॉश की व्यवस्था सबसे छोटी व कम विशिष्टता वाली बस्ती से प्रारम्भ होती है और सघन आबादी की बस्तियों के क्षेत्र मे आर्थिक परिवर्तनों को समझने मे सहायक है ।
- 10 क्रिस्टालर की व्यवस्था सैद्धान्तिक अधिक है, जबकि लॉश की व्यवस्था वास्तविक ससार के निकट है ।

**आलोचना :-** क्रिस्टालर एव लॉश दोनों द्वारा प्रस्तुत सिद्धान्त की आलोचना निम्न प्रकार की जाती है -

- (अ) विद्वत द्वे द्वारा प्रतिपादित मॉडल स्थित प्रकृति के है इन दोनों ने ही यह नहीं बताया है कि समय परिवर्तन के साथ इनमे किस प्रकार का परिवर्तन आ सकता है । इस प्रकार की स्थिति काल्पनिक है जबकि परिवर्तन एक वास्तविकता है ।

- (ब) लॉश की व्यवस्था पूर्णतः बन्द व्यवस्था है जिसमें कृषि क्षेत्र में उत्पादित माल का उपयोग केन्द्र स्थान की फार्म व उद्योग करने है और केन्द्र स्थान में उपलब्ध सेवाओं का उपयोग कृषि क्षेत्र करता है ।
- (स) लॉश ने समूहन के प्रभाव को भी पूर्णतः अस्वीकार किया है जो कि एक महत्वपूर्ण स्थिति निर्धारक तत्व है क्योंकि नगरीकरण में वाह्य बचने प्राप्त होती है जिससे समूहन की प्रवृत्ति बढ़ती है ।
- (द) लॉश के अनुसार ग्राहकों पर परिवहन खर्च का प्रभाव पड़ता है, विशेषकर जब केन्द्र पर एक ही प्रकार का कार्य होता हो लेकिन सभी केन्द्र एक में अधिक कार्यों वाले होते हैं और ग्राहक बहुउद्देशीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए यात्रा करते हैं । अतः यह खर्च दो या दो से अधिक कर्मों पर विभाजित हो जायेगा ।
- (य) इजार्ड ने लॉश के अर्थतन्त्र की सुडौल आकृति पर भी आपत्ति की है और बताया है कि यह वास्तविक नहीं है । लॉश के मॉडल में पूर्ति के केन्द्र पर अधिक नियोजन की सुविधाओं के कारण अधिक जनसंख्या होगी जैसे-जैसे दूरी बढ़ती जायेगी कृषि उत्पादन कम गहन होता जायेगा और जनसंख्या भी दूरी बढ़ने के अनुसार कम होती जायेगी । अतः लाभ के लिए उपयुक्त बाजार का क्षेत्र केन्द्र के पास छोटा होगा और दूरी पर अपेक्षाकृत बड़ा होगा । अतः अर्थतन्त्र सुडौल आकृति का नहीं होगा ।

इस प्रकार लॉश के सिद्धान्त में कुछ कमियाँ हैं लेकिन फिर भी लॉश की व्यवस्था ससार की कई घटनाओं की दृष्टि से प्रतिकृति देखी जा सकती है । उदाहरणार्थ एक छोटा केन्द्र बड़े केन्द्र को माल या सेवा की आपूर्ति कर सकता है । इस प्रकार यह व्यवस्था अन्तर महानगरीय खुदरा और सेवाओं सम्बन्धी गतिविधियों की स्थिति को समझने के लिए अधिक उपयोगी है ।

(5) **वाल्टर इजार्ड का सिद्धान्त :-** इजार्ड की प्रमुख पुस्तकों में 'अवस्थित एव प्रक्षेत्र अर्थव्यवस्था' तथा 'प्रादेशिक विश्लेषण की विधि क्रिया' विशेष उल्लेखनीय है । यद्यपि इजार्ड का प्रमुख प्रयास विनिर्माण क्रियाओं के सन्दर्भ में है तथापि विश्लेषण किया है । उन्होंने प्रक्षेप अर्थ-व्यवस्था के अन्य पक्षों का भी विश्लेषण किया है । उन्होंने वानथ्यूनेन, लॉश एव बेवर के प्रारूपों को समाहित कर नया सिद्धान्त बनाने का प्रयास किया है । उन्होंने अपने सिद्धान्त में 'प्रतिस्थानिक सिद्धान्त' के योगदान को विशेष महत्त्व दिया है । उनके अनुसार विनिर्माण के अतिरिक्त कृषि उत्पादन क्षेत्रों में भी प्रतिस्थानिक सिद्धान्त के आधार पर विवेचन किया जा सकता है । बेवर की ही भाँति इजार्ड ने भी परिवहन लागत एव श्रम लागत का विश्लेषण किया है और हुबर की भाँति बाजार एव पूर्ति क्षेत्रों का भी विवेचन किया है । इजार्ड ने लॉश के बाजार क्षेत्र विश्लेषण तथा वान-थ्यूनेन के कृषि कार्य अवस्थित सिद्धान्त को भी समाहित कर परिपूर्ण प्रतिस्थानिक अर्थ व्यवस्था सिद्धान्त प्रतिपादित करने का प्रयास किया है । उन्होंने स्तुलन की दशाओं को सविधि रूप से प्रतिस्थानिक मर्दों में प्रतिरूपित करने का विशेष प्रयास किया है । इजार्ड के औद्योगिक अवस्थित विश्लेषणों को लॉश की भाँति ही बाजार क्षेत्रों के लिए तथा वानथ्यूनेन की भाँति ही कृषि भूमि उपयोग के मन्दर्भ में सकेन्द्रीय मण्डलों के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है ।

आधुनिक कृषि कार्य विशेष सन्दर्भों में विनिर्माण उद्योगों की परिप्रेक्षता प्राप्त करने लगा है और इसीलिए औद्योगिक अवस्थिति सिद्धान्त के विवेचनों से समाहित होने लगा है । वस्तुतः आधुनिक कृषि भी उद्योग समप्राय ही है । कृषि में भी सस्ते श्रम और सस्ते परिवहन लागत का वैसा ही प्रभाव पड़ता है जैसा कि विनिर्माण उद्योग में परिलक्षित होता है । इजार्ड के 'क्षेत्रीय विश्लेषण विधियों' में सन्दर्भित विश्लेषणों का कृषि उत्पादन क्षेत्र में भी वैसा ही प्रयोग सम्भव है जैसा कि अन्य औद्योगिक प्रक्रियाओं में उपयोग समझा जाता है । इजार्ड ने भूमि उपयोगों में औद्योगिक एव कृषि रूपों को मिलाने का अच्छा प्रयास किया है । इजार्ड ने जनसंख्या का वितरण, ग्रामीण एव शहरी भूमि उपयोग के प्रतिरूप तथा माल के प्रभाव के द्वारा केन्द्रीय स्थानों की स्थिति का अधिक वास्तविक चित्र प्रस्तुत किया जो केन्द्रीय स्थानों की संरचना एव कार्यों को निश्चित करता है तथा पृष्ठ प्रदेश की जनसंख्या की आय, ससाधन श्रमिकों की उत्पादकता, कुल उत्पादन एव जीवन स्तर के आधार पर केन्द्रीय



स्थानों की फर्मों की स्थिति का निर्धारण करने में सहायक है ।

(6) मण्डल द्वारा प्रतिपादित भूमि उपयोग से सम्बन्धित ध्रुवीय, प्रतिध्रुवीय विचार धाराएँ :-

**ध्रुवीय विचारधारा :-** मण्डल द्वारा प्रतिपादित ध्रुवीय विचारधारा के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में भूमि का उपयोग (चित्र संख्या 4.4) वहाँ की (1) जलवायु (2) भू-आकार व ढाल (3) मिट्टी की प्रकृति (4) तथा जनसंख्या के घनत्व से प्रभावित होता है।

मण्डल के अनुसार पहला क्षेत्र - ध्रुवीय क्षेत्र अत्यधिक ठंड के कारण नकारात्मक क्षेत्र है। इस क्षेत्र में मिट्टी अधिक आर्द्रता के कारण बर्फीली व अनुपयोगी होता है। अतः कृषि उत्पादन नहीं हो सकता है। यह पहला क्षेत्र है।

दूसरा क्षेत्र - यह क्षेत्र भी अपेक्षाकृत उपयोगी है। यहाँ यद्यपि ध्रुवीय क्षेत्र का अपेक्षा दशाएँ अच्छी है लेकिन यहाँ मानव कम निवास करते हैं। अतः घुमक्कड़ जीवन यापन करते हैं तथा पशुओं व मछलियों पर निर्भर करते हैं।

तीसरा क्षेत्र - यह क्षेत्र मध्यम भूमि उपयोग का है। यहाँ ठंड अपेक्षाकृत कम हानी है यहाँ कृषि करने के लिए मानव बसाव के लिये अधिक उपयोग दशाएँ है। अतः यहाँ के लोग पर्यावरण की प्रतिकूल दशाओं से बराबर संघर्ष करते रहते हैं। अतः यहाँ लोग के अधिक मेहनती होते हैं। यहाँ के लोग सामान्य भौगोलिक दशाएँ होने के कारण ही फसल उगाते हैं।


चौथा क्षेत्र - यह क्षेत्र अधिक भूमि उपयोग का है। यहाँ समय पर वर्षा होने से व मिट्टी की उपयुक्त दशाओं के कारण, तथा उपयुक्त तापमान से, दोहरी फसलें उगाई जाती हैं। इस शीतोष्ण भाग के निवासियों ने मानव सभ्यता के विकास के लिए बहुत आश्चर्यजनक कार्य किये हैं।

पाँचवा क्षेत्र - यह अत्यधिक उपयोगी क्षेत्र है। यहाँ भौगोलिक दशाएँ उपर्युक्त सभी की तुलना में अनुकूल हैं। अतः परिणामस्वरूप यहाँ कई प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। यहाँ उपजाऊ मिट्टी, अच्छी वर्षा,  $20^{\circ}\text{C}$ . से  $38^{\circ}\text{C}$ . तापमान व मानव जीवन के लिए अधिक उपयुक्त दशाएँ उपलब्ध हैं। यहाँ तीन फसलें ली जा सकती हैं।

# मण्डल का भूमि-उपयोग सम्बंधी मॉडल

## प्रभावकतत्व

1. तापमान
2. धरातल व ढाल
3. जनसंख्या
4. मिट्टी
5. आर्द्रता




## भूमि उपयोग की गहनता

- नकारात्मक  
सघन  
अर्ध सघन  
अर्ध विस्तृत  
विस्तृत  
नकारात्मक क्षेत्र

ध्रुव

(चित्र सं. 4.4A)

- भूमि उपयोग प्रतिरूप  
बसाव क्षेत्र  
तीन फसली भूमि  
दो फसली भूमि  
एक फसली भूमि  
बाग-बगीचे  
चारागाह क्षेत्र  
कृषि अयोग्य भूमि  
जलाशय



सघन

अर्ध विस्तृत

विस्तृत

- 1 भूमि का मूल्य
- 2 धरातल ढाल
- 3 उपज की दर
- 4 मिट्टी की उपजाऊ
- 5 फसल-सुरक्षा
- 6-पानी की उपलब्धता
- 7 कृषक की प्रेरणा
8. पहुँचने की सुविधा

भूमध्य रेखा (प्रति ध्रुव)

चित्र संख्या-4.4B

अन्तिम क्षेत्र अधिवारों से युक्त है जो कि भूमि उपयोग को नियंत्रित करता है जो भूमध्य रेखीय नकारात्मक क्षेत्र से ध्रुवीय प्रदेशों तक उनकी पहुँच के अनुसार तथा मानव जीवन एवं फसलों की सुरक्षा के अनुसार नियंत्रित होता है। इस प्रकार यह विचार ध्रुवीय भूमि उपयोग का विचार कहलाता है। इस विचार की मुख्य कमी भौतिक बाधाएँ हैं, क्योंकि इस प्रकार की धरातलीय दशाएँ भूमि उपयोग के प्रतिरूप को भंग कर सकती हैं। मण्डल द्वारा प्रतिपादित ध्रुवीय विचार धारा भूमि उपयोग की दृष्टि से बहुत ही सरलता लिए हुए है जबकि विश्व में भूमि उपयोग में बहुत जटिलता मिलती है। अतः इनके द्वारा वर्णित उपयोग प्रतिरूप कम मिलना असंभव है।

(ब) प्रति ध्रुवीय विचार धारा - उपर्युक्त ध्रुवीय विचारधारा के अनुसार एक ग्राम को ध्रुव मानना समीचीन नहीं है क्योंकि ग्राम और उनके आस-पास की दशाएँ ध्रुवीय न होकर प्रति ध्रुवीय हैं। इनको आठ तत्व प्रभावित करते हैं जो निम्न हैं -

- (1) भूमि का मूल्य (2) फसल की सुरक्षा (3) पहुँचने की सुविधा (4) भूमि का ढाल
- (5) सिंचाई की सुविधा (6) भूमि की उर्वरता (7) उपज की दर (8) कृषक की प्रेरणा।

इस विचारधारा के अनुसार इन विभिन्न तत्वों की गहनता ग्राम के पास अधिकतम होती है तथा जैसे-जैसे दूरी बढ़ती जाती है, यह बाहर की ओर अधिक, मध्यम, कम व नकारात्मक होती जाती है। अर्थात् सामान्य रूप से भूमि उपयोग की गहनता ग्रामीण केन्द्र से बाहर की ओर कम होती जाती है जो सकेन्द्रीय वलय के रूप में है। यह विचार वान थ्यूनेन के विचारधारा से थोड़ी समानता रखता है। मंडल ने बिहार राज्य के सारन जिले के भालुआ ग्राम का अध्ययन किया और पाया कि इस ग्राम में बसाव क्षेत्र व तीन फसली क्षेत्र को उच्च भूमि उपयोग, दो फसली व एक फसली क्षेत्र को मध्यम भूमि उपयोग, बगीचे व पानी का क्षेत्र, कम भूमि उपयोग के क्षेत्र व अन्य बहुत कम उपयोगी क्षेत्र के रूप में पाया जो कि ग्राम के केन्द्र से बाहरी सीमा तक फैले थे जिसे चित्र संख्या 4.5 में स्पष्ट किया गया है। यद्यपि आधुनिक वैज्ञानिक कृषि के ढंग के कारण सीमावर्ती क्षेत्रों में यह विचारधारा अपनी उपयोगिता खो रहा है लेकिन यह इस बात को सिद्ध करता है कि पहले इस प्रकार का प्रति ध्रुवीय भूमि उपयोग होता था तथा भारत के कई ग्रामों में यह अब भी हो रहा है।

यहाँ पर स्पष्ट कर देना आवश्यक प्रतीत होता है कि मण्डल महोदय द्वारा भूमि उपयोग सम्बन्धित जो पोटियो निर्धारित की गयी है, वे आज के सन्दर्भ में विशेषकर मध्यमगा मैदान में कल्पना मात्र ही है आज कृषक अपने कृषि भूमियों पर मिचई की सुविधा को बढ़ाकर तथा सड़कों की सुविधा से यातायात की सुलभता के कारण गहन कृषि करने में सक्षम है और यह प्रारूप सर्वत्र देखने को भी मिलता है । अतः इनके द्वारा प्रस्तावित पोटियो वर्तमान में लागू नहीं हो सकती ।

वान थ्यूनेन के सिद्धान्त के सन्दर्भ में भी यह कहा जाता है कि वह पुराना हो गया है और आज के सन्दर्भ में लागू नहीं किया जा सकता लेकिन वास्तव में आज के सन्दर्भ में कृषकों के फसलें उगाने के निर्णयों को जो लागत तत्त्व प्रभावित करते थे, उनमें परिवर्तन हो गया है । आज नगरो की समीपता उतनी महत्वपूर्ण नहीं रह गई है । इससे अधिक महत्वपूर्ण बाजार तक जल्दी पहुँचने की हो गई है । अतः बाजार तक की पहुँच को नकारा नहीं जा सकता है । संक्षेप में हम कह सकते हैं कि भूमि की भौतिक स्थिति निश्चित होती है । समय के अनुसार इसकी सामाजिक व आर्थिक स्थिति बदलती रहती है, इससे हमें वह बदले हुए रूप में दृष्टिगोचर होती है ।

इसी प्रकार फसलों के सयुक्तीकरण को लिया जा सकता है । चित्र 4 5 डी के अनुसार अ ब स एक लगान रेखा एव अ ब द से दूसरी लगान रेखा बनती है । अ और ब दो ऐसी फसलें हैं जो सम्पूर्ण क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसलें हैं लेकिन बाजार से प तक स के साथ एव प से बाहर द के साथ उगाना उपयुक्त या लाभप्रद रहता है । इस प्रकार सयुक्त फसलों के अनुसार भी कृत भी बढ़ते जायेंगे जो माँग पर निर्भर करते हैं । यह तो एक ही नगर के साथ का स्वरूप है लेकिन अगर इसी प्रकार दो केन्द्र हो तो संकेन्द्रीय कृतों का निर्माण होगा और अब बाहरी कटिबन्ध अण्डाकार हो जायेगा । कटी हुई रेखा दोनों पुष्ट प्रदेशों (पूर्ति क्षेत्रों) के मध्य की सीमा रेखा बन जायेगी । दो से अधिक बाजारी केन्द्रों के होने पर अधिक जटिल चित्र बन जायेगा । चित्र 4 5 ए को देखने से स्पष्ट होता है कि अन्तरिक कृतों का झुकाव अलग-अलग शहर की ओर होगा जबकि बाहर के कृतों का झुकाव सम्पूर्ण क्षेत्र के केन्द्रों की ओर होता है । यह बहुत सरलीकृत स्वरूप है । अगर इसमें और कई बाजारी केन्द्रों को रखा जाय तो यह अधिक जटिल हो जायेगा लेकिन मूल







FIG. 4.5

व्यवस्था में किसी प्रकार का अन्तर नहीं आयेगा । इस प्रकार उक्त दोनों स्थितियों एक दूसरे से काफी भिन्न है लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं जो मिलकर (केन्द्रीय म्यान व्यवस्था एवं कृषि भूमि की सकेन्द्रीय व्यवस्था) एक आर्थिक भू-दृश्य को पूर्णता प्रदान करती है। एक का उत्पादन दूसरे का लागत तत्व (इनपुट) व दूसरे का उत्पादन (आउटपुट) पहले का लागत तत्व (इनपुट) बनता है । इस प्रकार कृषि क्षेत्र और नगरों के मध्य चक्रीय व्यवस्था स्थापित हो जाती है । वान-थ्यूनेन ने यह अनुभव किया कि परिवहन रेखाओं के स्थापित हो जाने पर दूरी का प्रभाव कम होने लगता है क्योंकि सड़कों के सहारे माल व मनुष्यों की गतिशीलता या संचलन सरल हो जाता है, तब बाजार का क्षेत्र इन यातायात रेखाओं के सहारे लम्बा हो जाता है और उनका षटकोणीय आकार बदलने लगता है । इसी प्रकार सकेन्द्रीय वलय का प्रारूप भी बदलने लगता है, तब ये सकेन्द्रीय वृत या वलय सड़कों के सहारे लगभग समानान्तर हो जाते हैं जिसे चित्र 4 5 सी के द्वारा स्पष्ट किया गया है ।

7. भूमि उपयोग सम्बन्धित नवीनतम सिद्धान्त - कृषि अवस्थिति के आधुनिक सिद्धान्तों के अन्तर्गत प्राकृतिक वातावरण एवं भूमि की ससाधन की प्रादेशिक विभिन्नताओं को विशेष महत्व दिया गया है । इन सिद्धान्तों में विभिन्न कृषि उत्पादों की अवस्थितियों को समझने के लिए उन अनुकूलतम भौतिक एवं आर्थिक क्षेत्रों को सीमांकित करने का प्रयास किया जाता है जिनमें विभिन्न फसलों का उत्पादन सम्भव है । इस प्रकार फसल के लिए अनुकूलतम प्राकृतिक एवं आर्थिक लक्षणों वाले प्रदेशों का सीमांकन करके कम लागत पर प्रति एकड़ अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाता है । इससे सम्बन्धित निम्न सिद्धान्त दिये गये हैं -

(अ) अनुकूलतम भौतिक दशाओं एवं सीमाओं का सिद्धान्त -

प्रत्येक फसल उत्पादन के लिये कुछ विशेष प्राकृतिक दशाओं अर्थात् विशेष न्यूनतम तापक्रम, वर्षा, आर्द्रता मिट्टी में पोषक तत्वों तथा अन्य आवश्यक तत्वों का होना अनिवार्य है । किसी फसल उत्पादन के लिये ये दशाएँ धरातल पर सभी जगह उपलब्ध नहीं होती हैं । अतः इन आवश्यक दशाओं की उपलब्धता के आधार पर किसी फसल के लिए क्षेत्र विशेष का सीमांकन किया जाता है । इस सीमांकित क्षेत्र में एक छोटा क्षेत्र ऐसा होता है जहाँ फसल विशेष के अधिकतम उत्पादन के लिए अनुकूलतम दशाओं की पूर्ति होती

है अर्थात् आवश्यक भौतिक दशाओं का अनुकूलतम सम्मिश्रण पाया जाता है (चित्र 4 6 ए) । यह क्षेत्र अनुकूलतम प्राकृतिक दशाओं का क्षेत्र कहलाता है । विभिन्न फसलों के उत्पादन के लिये निर्धारित अनुकूलतम क्षेत्रों की सीमाये मदैव म्थायी नहीं होती है । ये सीमाये तकनीकी विकास के कारण बदलती रहती है और भविष्य में भी बदलती रहेगी । तकनीकी या प्राविधिक विकास से भूमि की ससाधनता तथा मिट्टी की उत्पादन क्षमता एवं मम्बन्धित लागत तन्वों की स्थिति में परिवर्तन होता रहता है जिससे विभिन्न फसलों के लिये सीमाकित क्षेत्रों की सीमाओं में भी परिवर्तन होता रहता है और होता रहेगा ।

प्राकृतिक अनुकूलतम दशाओं एवं सीमाओं के सिद्धान्त का एक महत्वपूर्ण उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका में कपास की पेटी की अवस्थिति का है । कपास उत्पादन के लिये प्राकृतिक सीमाये वर्षा की मात्रा एवं उत्पादन की अवधि के आधार पर निर्धारित हुई है । इन प्राकृतिक सीमाओं के आधार पर कपास उत्पादन के लिये एक वृहत क्षेत्र का सीमाकन किया गया है, परन्तु इस हृदय क्षेत्र में अनुकूलतम दशाये कुछ ही स्थानों पर उपलब्ध है । अतः संयुक्त राज्य में कपास की कृषि भी इसी प्राकृतिक सीमाओं वाले क्षेत्र में, विशेषतः उसके अन्तर्गत अनुकूलतम दशाओं वाले क्षेत्र में अवस्थिति हो गई है ।

#### (ब) अनुकूलतम आर्थिक दशाओं एवं सीमाओं का सिद्धान्त -

भौतिक दशाओं के आधार पर किसी फसल विशेष के उत्पादन के लिये कुछ ही क्षेत्र अनुकूल होता है, परन्तु इनमें आर्थिक दशाओं का विचार करना भी आवश्यक है अनुकूल आर्थिक दशाओं के क्षेत्र वे होते हैं जहाँ किसी फसल विशेष के उत्पादन से लाभ प्राप्त हो । लाभ का आकलन उत्पादन की बाजार कीमत से होता है । अतः किसी क्षेत्र में किसी फसल का उत्पादन प्राकृतिक तत्त्वों एवं प्राविधिक विकास के अतिरिक्त उत्पादन लागत की तुलना में बाजार में मिलने वाली उत्पादन कीमत से भी सीमित तथा अवस्थिति होता है । यदि उत्पादन लागत की अपेक्षा बाजार में मिलने वाली उत्पादन कीमत से भी सीमित तथा अवस्थिति होता है । यदि उत्पादन लागत की अपेक्षा बाजार में उत्पादन की कीमत

अधिक प्राप्त होती है तो वह अनुकूल आर्थिक दशाओं की द्योतक है (चित्र 4 6 बी) । इन दशाओं की सीमा का निर्धारण उस रेखा में किया जाता है जो ऐसे विन्दुओं (स्थानों) को मिलाते हुए खींची जाती है जहाँ प्रति इकाई कुल उत्पादन लागत और बाजार में प्रति इकाई उत्पादन कीमत, दोनों बराबर होते हैं । इस सीमा-रेखा को निर्धारित करना कठिन होता है क्योंकि इसके लिए विभिन्न स्थानों पर उत्पादन लागत की विभिन्नता, लागत तथा परिवहन आदि तत्वों में परस्पर प्रतिस्थापन की मात्रा तथा भविष्य में बराबर में उत्पादन कीमत, सभी का सही-सही अकलन करना होता है । यह रेखा उन स्थानों को बताती है जहाँ लाभ की मात्रा शून्य होती है । इन रेखा द्वारा सीमांकित क्षेत्र से बाहर फसल का उत्पादन करने पर हानि होगी । इस रेखा के सीमा के अन्दर प्रत्येक दिशा में प्रति इकाई उत्पादन लागत कम होती जाती है जिसमें लाभ (लगान) की मात्रा बढ़ती जाती है । जहाँ यह लाभ अधिकतम हो जाता है अर्थात् जहाँ बाजार में प्रति इकाई मूल्य एवं कुल उत्पादन में अधिकतम अन्तर होता है, वहाँ अनुकूलतम आर्थिक दशाएँ मिलती हैं और वह क्षेत्र फसल विशेष के उत्पादन के लिये अनुकूलतम आर्थिक दशाओं का क्षेत्र कहलाता है । इस क्षेत्र से दूर होने पर आर्थिक कारकों की अनुकूल दशाएँ क्रमशः कम होती जाती हैं । इस प्रकार कई भेद्युक्तियाँ बन जाती हैं । जिनमें आर्थिक दशाओं की अनुकूलता क्रमशः कम पायी जाती है ।

### (स) अनुकूलतम क्षेत्र के फसलों में प्रतियोगिता -

किसी फसल विशेष के लिए सीमांकित अनुकूलतम क्षेत्र में अन्य कृषि फसलों भी पैदा की जा सकती है इससे उस क्षेत्र में फसलों के उत्पादन के लिये परस्पर प्रतियोगिता रहती है । सभी सम्भावित फसलों के उत्पादन से होने वाली लाभ हानि की तुलना निम्न सूत्र से करके जिस फसल से सबसे अधिक लाभ या आर्थिक लगान प्राप्त होता है, उमी फसल का उत्पादन अनुकूलतम क्षेत्र में किया जाता है ।

$$R = P (M_p - P_c) - PTD$$

$R$ = आर्थिक लगान	$P$ = प्रति इकाई क्षेत्र उत्पादन
$M_p$ = प्रति इकाई बाजार मूल्य	$P_c$ = प्रति इकाई उत्पादन लागत
$T$ = परिवहन व्यय की दर	$D$ = बाजार से दूरी




बाजार में मधुन जनसंख्या की माँग की पूर्ति के लिए कई फसलों एक ही क्षेत्र में उगाई जाती है। सामान्यतया कई फसलों के उत्पादन में एक से लागत तत्वों के कारण उनके लिए अनुकूलतम दशाओं का क्षेत्र एक ही होता है जिसमें उनके अवस्थितिकरण के लिए प्रतियोगिता पाई जाती है। उदाहरणार्थ यदि तरकारियों दुग्ध उत्पादन तथा गेहूँ, गन्ना, आदि के उत्पादन के लिए ही क्षेत्र में अनुकूलतम दशाएँ मिलती हैं तो इन परिस्थितियों में उस अनुकूलतम क्षेत्र में सबसे अधिक आर्थिक लगान प्राप्त करने वाली फसल के उत्पादन को ही प्रमुखता दी जायेगी। कुछ फसलों बाजार की समीपता एवं परिवहन की विशेषताओं के कारण भी अनुकूलतम दशाओं वाले क्षेत्र में उगाई जाती है, भले ही प्रकृतिक दशाएँ उनके उत्पादन के लिए साधारण महत्त्व की हों।

इस अनुकूलतम आर्थिक दशाओं की सीमा कहाँ तक और कैसे निर्धारित होगी? इससे सम्बन्धित अध्ययन सर्वप्रथम मैकार्टो एवं लिण्डवर्ग ने किया तथा 'अनुकूलतम आर्थिक दशाओं एवं सीमाओं का नियम' प्रस्तुत किया। इनके सिद्धान्त का आधार डेविड रिकार्डो के 'आर्थिक लगान का सिद्धान्त' है। रिकार्डो के अनुसार 'आर्थिक लगान' भूमि की सीमान्त उत्पादकता से अधिक उत्पादन से है।

मैकार्टो एवं लिण्डवर्ग ने अपने सिद्धान्त की व्यय का दुग्ध कृषकों की उत्पादन लागत और भूमि लगान से किया। यदि अन्य भौतिक दशाएँ समान हों तो परिवहन लागत द्वारा ही निर्धारित होगा कि बाजार में दूध की पूर्ति कृषक सीधे दूध के रूप में करे या उसे रूपान्तरित कर मक्खन, पनीर, घी, आदि के रूप में। इसके लिए उन्होंने बाजार से दूरी के साथ क्रमशः  $A B C$  एवं  $D$  मेखलाओं में बाँटा। उनके अनुसार  $A B$  में दूध की पूर्ति कृषक सीधे दूध के रूप में करेगा तथा  $D$  में दूध से निर्मित वस्तुओं (मक्खन, पनीर, आइसक्रीम आदि) के रूप में करेगा तथा भाग  $C$  का कृषक किसी भी रूप में दूध की पूर्ति कर सकता है।


कोई भी सिद्धान्त जितनी ही कम शर्तों पर आधारित होता है, वह उतना ही सत्य के करीब होता है क्योंकि वही व्यावहारिक दृष्टि से उपयुक्त होता है। इस परिप्रेक्ष्य में मैकार्टो एवं लिण्डवर्ग के सिद्धान्त पर दृष्टिपात करने पर यह समस्त आर्थिक कारकों

Optimum physical conditions and limits)



(A)

optimum economic conditions and limits



(B)

Fig. 4.6

से उत्पन्न दशाओं से कम, बल्कि उसके एक अवयव - परिवहन के मधन को आधार मानकर ही प्रतिपादित किया गया है । आज तकनीकी विकास के इस युग में मात्र परिवहन व्यवस्था ही कृषि के इस प्रकार के प्रतिरूप को जन्म देगा , इसकी बहुत कम सम्भावना है ।

अतः इस सिद्धान्त की पुष्टि के लिए एक ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता है जिसमें समस्त आर्थिक कारकों की साझेदारी अनुकूलतम आर्थिक दशाओं के सीमांकन में अधिक से अधिक हो । इसके लिए पूर्वी - उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में गन्ने के उत्पादन के सन्दर्भ में उदाहरण सबसे अधिक उचित होगा, जहाँ अनुकूल भौतिक एवं आर्थिक दशाओं के कारण देश की सर्वाधिक चीनी मिलें सकेन्द्रित हैं । सिंह, बी० एन० ने अपने शोध के आधार पर वहाँ पर गन्ने के सदर्भ में आर्थिक दशाओं की अनुकूलता से सम्बद्ध मेखलाओं का जो अवरोही क्रम पाया गया जिसे निम्न रेखा चित्रों के माध्यम से समझा जा सकता है (चित्र स० - 4 5 बी) ।

(अ) मेखला के केन्द्र में चीनी मिलें अवस्थित हैं । इसके चारों ओर 40-50% भू-भाग पर गन्ने का उत्पादन होता है । चीनी मिल के निकट का क्षेत्र होने के कारण अल्प परिवहन व्यय अन्य आर्थिक कारकों में परिवहन को अप्रभावी बना देता है । जिस कारण गन्ने की उत्पादकता उस क्षेत्र में सर्वाधिक होती है ।

(ब) एक ऐसी मेखला है जो परिवहन मार्गों के साथ-साथ विकसित हुई है । ज्ञातव्य है कि जैसा लिण्डवर्ग एवं मैकार्टी ने अपने सिद्धान्त में कहा है कि दूरी बढ़ने के साथ दूध से निर्मित वस्तुओं का स्वरूप बदलता जायेगा, साथ ही लागत बढ़ती जायेगी । पर बी मेखला में रेल तथा सड़क परिवहन की सुविधा ने इस क्षेत्र को 40-50% भू-भाग पर गन्ने के उत्पादन को प्रोत्साहित किया है । इससे स्पष्ट है कि परिवहन सुविधा के कारण यहाँ दूरी कोई बड़ा कारण नहीं रह गयी है ।

(स) क्षेत्र की उत्पादकता सबसे अधिक सरकारी नीति एवं गन्ने के मूल में परिवर्तन के साथ प्रभावित होती है यहाँ चीनी मिल से दूरी भी अपेक्षाकृत अधिक होती है । इस क्षेत्र

के किसान गन्ना के मूल्य में गत वृद्धि के फलस्वरूप गन्ना उत्पादन क्षेत्र में भी परिवर्तन करते रहते हैं। सरकार द्वारा गन्ने की कीमत कम कर देने पर किसान गन्ना को चीनी मिल पर न भेजकर स्वयं गुड़ या शीरा तैयार करने हैं। चूंकि चीनी मिलों से इनकी दूरी भी अधिक होती है। अतः इस क्षेत्र की उत्पादकता अधिकांशतः गन्ने के मूल्य से ही प्रभावित होती है। मूल्य बढ़ने पर 25% से अधिक भू-भाग पर गन्ने की कृषि होती है तथा कम होने पर उत्पादन क्षेत्र 15% से कम हो जाता है। इस प्रकार इस क्षेत्र की प्रत्येक मेखला ए एच बी सी की सीमा आर्थिक अनुकूलता द्वारा निर्धारित होती है। ए इस दृष्टि से सर्वाधिक अनुकूल क्षेत्र है तथा उसके बाद बी तथा सी जो विभिन्न आर्थिक कारकों द्वारा निर्धारित होता है। आर्थिक कारकों के परिवर्तनशील स्वभाव के कारण इसकी सीमाओं में भी परिवर्तन देखने को मिलता है।

(8) अन्य व्याख्याताओं के योगदान - अन्य व्याख्याताओं में आर० ओ० बुचानन<sup>12</sup>, हार्ट सोन, एच डिकेन<sup>13</sup>, चिशोम<sup>14</sup>, ग्रेटवालड<sup>15</sup>, व्हीटलसी<sup>16</sup> तथा डडले-स्टाम्प<sup>17</sup> के योगदान विशेष उल्लेखनीय हैं। बुचानन एक आर्थिक भूगोल वेत्ता थे जिन्होंने कृषि कार्यों में सघनता और विगलता को भौगोलिक कारकों और सन्दर्भों के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषित किया है। डिकेन ने कृषि क्षेत्रों के सीमांकन में कुछ निर्धारिकों के महत्व का विवेचन किया है। उनके अनुसार फसल मूल्य पर आधारित अनुपात की अपेक्षा क्षेत्रफल पर आधारित अनुपात भौगोलिक दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि भूगोल में क्षेत्र की प्रधानता अधिक उल्लेखनीय है। चिशोम भी एक गणमान्य भूगोल वेत्ता हैं। उन्होंने शस्य उत्पादन के उद्देश्यों के महत्व के अनुसार क्षेत्रों में अन्तर करने की योजना को अधिक उपयोगी माना है। ऐसी फसलों में चारा फसलें भी सम्मिलित की जा सकती हैं।

ग्रेट वाल्ड के अनुसार जब तथ्यों का यथार्थ पर्यवेक्षण किया जाता है, तभी उनमें व्यापक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। सिद्धांतों की अपेक्षा तथ्यों का विश्लेषण पर उन्होंने विशेष बल दिया है। वे प्रतिपादित साक्ष्यों की अपेक्षा यथार्थता निरूपण को अधिक सगत मानते हैं।

हवीटलसी ने कृषि प्रदेशों की सीमाओं के निर्धारण में तथा कृषि के प्रकारों को व्यवस्थित करने में कुछ कसौटियों का प्रयोग किया जो निम्न सारणी में प्रस्तुत की गयी है<sup>18</sup> -

### सारणी - 1

#### कृषि के प्रकारों की कसौटी

	मुख्य शस्य	गौण शस्य	सीमाएं
कृषि के सभी प्रकार	-	-	शस्य तथा चारागाह 10% सम्पूर्ण क्षेत्र
1 भूमध्य सागरीय	गेहूँ	जौ, अंगूर, फल	अंगूर और उपउष्ण कटिबन्धीय फसले 15% शस्य भूमि
2 मक्का- गेहूँ - पशुधन	मक्का	गेहूँ, जई, सूखी घास	कपास 1/2 मक्का का क्षेत्रफल सेकड़ों में तम्बाके 20% शस्य भूमि मक्का तथा गेहूँ 30% मक्का मात्रा कम से कम 20% शस्य भूमि
3 लघु दाना-पशुधन	गेहूँ	राई, जई, जौ, आलू, सूखी घास	जोती गई फसलें सूखी घास तथा चारागाह । गेहूँ और राई 10% शस्य और चारागाह भूमि ।
4 सूखी घास- चारागाह - पशुधन	सूखी घास	जई, जौ, आलू, साइलेस, मक्का	सूखी घास तथा चारागाह जोती गई फसलें गेहूँ तथा राई । 10% शस्य तथा चारागाह भूमि ।
5 विस्तृत व्यावसायिक अनाज	गेहूँ	राई, मक्का, जौ, जई	पशुधन 20 इकड़ या प्रति 100 एकड़ शस्य भूमि। विशाल फार्म निम्न पैदावार शस्य भूमि 20% सम्पूर्ण क्षेत्र ।
6. व्यावसायिक फलोद्यान तथा साग-भाजी			फलोद्यान तथा साग-भाजी 20% शस्य भूमि ।

उक्त मारणी में स्पष्ट है कि हवीटलसी ने मुख्य शस्य और अन्य शस्यों में भेद के आधार पर कृषि के प्रकारों का विश्लेषण किया है। यह मुख्यतः यूरोप के कुछ भागों को ध्यान में रखकर विवेचित किया गया है। भारत के सन्दर्भ में पर्याप्त भिन्नताएँ हैं। अतः उपर्युक्त कृषि प्रकारों की कसौटी एवं सीमाएँ सम्भव नहीं हैं। आधुनिक भूगोल वेत्ताओं में भूमि उपयोग के सन्दर्भ में डडले स्टैम्प महोदय का योगदान विशेष सराहनीय है। उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन में भूमि के सदुपयोग एवं दुरुपयोग का जो विश्लेषण प्रस्तुत किया था, वह अन्य शोधकर्ताओं के लिए आधार शिला बन गया है। उन्होंने अपने प्रयासों द्वारा ब्रिटेन में भूमि उपयोग सर्वेक्षण का कार्य सम्पन्न कराया, जिगमे विश्वमनीय आकड़े मुद्रित हुए। इन आधारों पर किया गया विवेचन यथार्थता के अधिक निकट पाया गया। अन्य देशों के विद्वानों ने उनके योगदानों को आधार मानकर भूमि उपयोग सर्वेक्षण, कृषि भूमि उपयोग सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन के सन्दर्भ में सगहनीय कार्य किया है। भारत भी ऐसे ही देशों में से एक देश है जहाँ उक्त सन्दर्भ में कई प्रकार के कार्य किए गये हैं।

**4.2 भौगोलिक विश्लेषण** - कृषि भूगोल में भूमि उपयोग के विवेचन में भौगोलिक कारकों को ध्यान में रखना अधिक उपयुक्त है। केवल आर्थिक दृष्टिकोण में किया गया विवेचन अधूरा सा प्रतीत होता है। भौतिक उपादानों (विशेषकर स्थलाकृतियों) पर बहुत हद तक कृषि में अन्तर पाया जाता है। क्षेत्रीय विषमताएँ एवं मृदा की भिन्नताएँ कृषि के स्वरूप और फसल के प्रकारों को निर्धारित करने में अधिक सक्षम पाई जाती हैं। आधुनिक कृषि में सकेन्द्रीय पैटर्न का पाया जाना प्रायः सुन्नत या दीर्घता है। किन्ती भी क्षेत्र में कृषि भूमि उपयोग के सन्दर्भ में मृदा उर्वरता, स्थलाकृति स्वरूप, जलवायु का प्रभाव, फसल के प्रकार की उपयोगिता, आवश्यकतानुसार और स्थानिक तथा वाह्य माँग को ध्यान में रखकर फसल संयोजन, फसल, सम्मिश्रण एवं फसल सन्तुलन आदि तत्वों का विवेचन अति आवश्यक है। परिवर्तित परिस्थितियों में उपर्युक्त तथ्यों में अन्तर आने के कारण कृषि भूमि-उपयोग सहज ही बदल सकता है। यही कारण कि कृषि भूमि उपयोग का आधार भौगोलिक तथ्यों और कारकों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और लागत एवं श्रम की दशाएँ तत्कालिक अर्थशास्त्र व्यवस्था द्वारा निर्धारित होती हैं। स्पष्ट है कि सोवियत संघ एवं चीन की खेती के सन्दर्भ में भूमि उपयोग का विश्लेषण संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारत के सन्दर्भ से सर्वथा भिन्न है। आधुनिक अर्थव्यवस्था तो बहुत हद तक राजनीतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्धारित की जाती है। आर्थिक

क्रियाएँ पूर्णरूपेण स्वतंत्र रूप में कार्य नहीं कर पाती । गर्मी दशा में यान-थ्रूनेन जैसा मिश्रण सराहनीय सा प्रतीत होता है ।

जिन भौगोलिक कारकों या तथ्यों के ऊपर संकेत किया गया है, वे कृषि भूमि उपयोग के विभिन्न यंत्रों के परिचायक हैं । इनका संक्षिप्त विवेचन निम्नवत् किया जा सकता है -

(अ) **स्थलाकृति स्वरूप** - कृषि उपयोग में स्थलाकृतियों के स्वरूपों का विशेष महत्त्व है इसीलिए, पर्वतीय, पठारी एवं मैदानी स्थलाकृतियों का भिन्न-भिन्न प्रभाव पाया जाता है । पर्वतीय क्षेत्रों में ढाल की प्रधानता होने के कारण तथा ऊँची-नीची भूमि का मिला-जुला वितरण होने के कारण कृषि भूमि-उपयोग में तारतम्य बढ्यता या मैदानी भागों जैसे प्रशस्त नहीं पाई जा सकती है । इसीलिए वहाँ सीढ़ीदार छोटे-छोटे खेत तथा उनके उपयुक्त कृषि कार्य सम्पन्न किया जाता है । ऐसे खेतों का विवरण फुटकर रूप में बिखरा हुआ पाया जाता है ऐसी खेती में यंत्रीकरण और बड़े फार्मों में कृषि कार्य का लाभ नहीं प्राप्त किया जा सकता।

पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा की बहुलता और ढाल की तीव्रता के कारण छोटे सीढ़ीदार खेतों में भी मृदा अपरदन एक बड़ी समस्या है । प्रति वर्ष ऐसे खेतों के बहुत से भाग जल क्रियाओं द्वारा कटकर पृथक हो जाते हैं , या उनकी मृदा क्षीण होकर कृषि योग्य नहीं रह जाती । अतः खेतों को उपयोगी बनाये रखने के लिए किसानों को निरन्तर कार्यशील रहना पड़ता है ।

पठारी भागों में भी कृषि के प्रकारों में पर्वतों अथवा मैदानों की अपेक्षा अन्तर पाया जाता है । पठारों पर प्रायः मिट्टी के कम मोटे एवं बालू मिश्रित पाए जाते हैं जिनमें जल धारण की शक्ति कम होती है और वायु धारण की शक्ति अधिक होती है । वृहद स्थलाकृति - स्वरूप की उपयोगिता के आधार पर मैदानी भाग ही कृषि कार्य हेतु अधिक उपयोगी पाये गये हैं । मैदानों में चौरस भूमि अधिक होने से कृषि कार्य में सरलता होती है । इसीलिए यहाँ कृषि कार्य में यंत्रीकरण की सहज है । सिंचन कार्य, फार्मिंग कार्य एवं

परिवहन कार्य भी सगमता से सम्पन्न किया जा सकता है । मिट्टी के जमावों की सतहें मोटी होने से तथा मिट्टी के कणों के अपक्षकृत महीन हान से कृषि कार्य अधिक सुचारु रूप से किया जाता है ।

अतः यह स्पष्ट है कि भौतिक स्थलाकृतियों का कृषि कार्य के क्षेत्रों के निर्धारण में विशेष महत्त्व है ।

(ब) **मृदा-विश्लेषण** - कृषि भूमि उपयोग में मृदा-विश्लेषण मुख्य आधार है । मृदा विश्लेषण से मिट्टी में आवश्यक तत्वों की क्षीणता या बहुलता का पता लगता है । अतः बोई जाने वाली फसल के अनुसार खाद देकर मिट्टी की उपादेयता विकसित की जा सकती है । उपयोगी खाद न देने से मिट्टी की उर्वरता निर्बल हो जाती है । और वांछित फसलें पूर्ण मात्रा में नहीं उगाई जा सकती । जिस मिट्टी में सोडियम तत्व की क्षीणता होती है, उसमें उत्पादित फसल की पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं तथा बीमारियों या कीटों का प्रकोप हो जाता है । इससे स्पष्ट है कि कृषि-भूमि उपयोग में मृदा विश्लेषण एक आवश्यक पक्ष है जिसे उपेक्षित नहीं किया जा सकता है ।

मृदा की उपयोगिता के निर्धारण में कई प्रकार के उपादानों का योगदान पाया जाता है । वे निम्नवत् हैं -

(1) **वानस्पतिक तत्व** - मृदा में वानस्पतिक अणु का अधिक होना कृषि भूमि-उपयोग की सक्रियता विकसित करता है । जहाँ कहीं इसकी क्षीणता पाई जाती है, वहाँ कृत्रिम ढग से इसकी पूर्ति की जाती है ।

(2) **खनिज तत्व** - मृदा में विशेष प्रकार के खनिज तत्व उसके विशेष गुण का निर्धारण करते हैं । चूनाश, लोहाश, पोटश, तथा ऐसे अन्य मृदा-तत्व विशेष खनिजों की ही देन हैं इनमें मिश्रण और कणों की बारीकियों पर मृदा में विशेष प्रकार की फसल उत्पादन की क्षमता अवलंबित होती है ।



(3) **मृदा-आर्द्रता एवं ताप** - मृदा में सामान्य आर्द्रता वाष्प के रूप में पाई जाती है। वाष्पीय आर्द्रता फसलों में पौधे तत्व प्रदान करने में सहायक होती है। जहाँ कहीं मृदा में अधिक जल का प्रभाव होता है, वहाँ मिट्टी गीली हो जाती है और कुछ फसलों की जड़े सड़ने लगती हैं।

इसके अतिरिक्त, मृदा-वायु, मृदा-फसल एवं कीड़े भी इसी प्रकार के कुछ कार्यों द्वारा मिट्टी को प्रभावित करते हैं उनमें बैक्टीरिया तथा दीमक विशेष उल्लेखनीय हैं।

(4) **जलवायु विवेचन** :- कृषि भूमि उपयोग में जलवायु के तत्वों का ज्ञान और उनका विश्लेषण अति आवश्यक है। वर्षा, तापमान, वाष्पक्रिया एवं तुषार आदि भौगोलिक तत्व कृषि के प्रकार एवं सक्षमता को निर्धारित करते हैं अधिक सक्रिय पाए जाते हैं।

कृषि कार्य में तापमान का महत्व भी बहुत अधिक है। ठण्डे प्रदेशों में फसलों के पकने का समय तापक्रम का कम होना है जिसके कारण वर्ष में प्रायः एक ही फसल उगाई जा सकती है।

कृषि भूमि उपयोग में प्रचण्ड वायु, हिमपात दीर्घकाल तक मेषाच्छादन तथा अन्य ऐसे कारकों द्वारा व्यवधान प्रस्तुत होता है। मुख्यतः बागाती कृषि तथा बागवानी में ऐसे कारकों का विशेष प्रभाव पड़ता है। अर्द्धशुष्क एवं शुष्क प्रदेशों में प्रचण्ड वायु का प्रकोप तथा शीत क्षेत्रों में हिमपात और कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में दीर्घकाल तक मेषाच्छादन कृषि भूमि उपयोग में बाधक सिद्ध होते हैं। अतः कृषि कार्य के किसी भी नियमन में इन कारकों का विवेचन भी आवश्यक प्रतीत होता है।

जलवायु की क्रियाओं द्वारा मृदा का विकास और मृदा का प्रसार भी निर्धारित होता है। जलोढ़ मिट्टी में बाँगर तथा खादर मिट्टियों के प्रकार इसी आधार पर कुछ हद तक निर्भर पाए जाते हैं। पर्वतीय मिट्टियों में ऊँचाई के अनुसार प्रकार विभाजन भी जलवायु

का महत्व अधिक स्पष्ट दिखाई देना है ।

(5) **फसल-प्रकार एवं फसल-प्रतिरूप** - कृषि भूमि उपयोग में फसलों के प्रकार एवं फसलों के प्रतिरूप उल्लेखनीय तथ्य है । फसलों के प्रकार बहुत कुछ स्थलाकृतियों, मृदा प्रकार एवं जलवायु आदि पर निर्भर होते हैं । स्थलाकृति की भिन्नता के कारण पर्वतीय कृषि, मैदानी कृषि की गहनता एवं प्रति हेक्टेयर उत्पादन पर निर्भर होती है । अतः किसी भी किसी भी कृषि भूमि उपयोग के विवेचन में फसल - प्रकारों का विप्लेखण अति आवश्यक है ।

फसल प्रतिरूप मुख्य रूप से मृदा की उर्वरता तत्त्व, सिंचाई साधनों की सुलभता तथा व्यापारिक दृष्टिकोण एवं परिवहन की उपादेयता आदि पर निर्भर होता है ।

समय परिवर्तन के साथ-साथ किसी क्षेत्र विशेष में फसलों के प्रकार एवं उनके प्रतिरूप में भी परिवर्तन देखा जाता है । यद्यपि इनके लिए भौगोलिक कारक ही मुख्य होते हैं । इस प्रकार आधुनिक कृषि में भूमि उपयोग के अध्ययन करने में इन सभी तथ्यों को भी दृष्टिगत करना आवश्यक हो जाता है ।

(6) **फसल - सम्मिश्रण** :- कृषि भूमि उपयोग में कुछ फसलों के आकस्मिक (यदा-कदा) या प्रायः नष्ट होने की आशंका से अथवा मृदा एवं सिंचन की अवक्षीणता से कम उत्पादन की आशंका से कुछ क्षेत्रों में दो या तीन फसलों को मिलाकर बोनो की प्रथा है । इसीलिए कुछ भागों में गेहूँ, जौ, कुछ भागों में गेहूँ-चना तथा कुछ भागों में मक्का-अरहर मिलाकर बोनो की प्रथा प्रचलित है । जहाँ कहीं मृदादायिनी फसल उगाई जाती है, वहाँ मिश्रित फसल की प्रथा धीरे-धीरे शिथिल सी पड़ती जा रही है । भारत जैसे देश में जहाँ अधिकतर किसान जीवन-निर्वाह के लिए खेती करते हैं, वहाँ मिश्रित फसल की प्रथा अवश्य ही लाभदायक है ।

(7) **फसल - सन्तुलन** :- किसी भी किसान को भिन्न-भिन्न फसलों में उपयोगिता के

अनुसार अथवा क्षेत्रीय महत्त्व के अनुसार या व्यापारिक अनुदेश के अनुसार फसलों का सन्तुलन स्थापित करना आवश्यक है, अन्यथा अधिक उत्पादन के उपरान्त भी उसे अधिक लाभ का श्रेय नहीं मिल पाता है । इसीलिए आलू, गेहूँ, गन्ना, धान, मक्का, केला, आदि फसलों को कितने-कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि में बोया जाय, यह भौगोलिक कारकों के अनिश्चित आर्थिक एवं व्यापारिक दृष्टिकोणों पर भी निर्भर है । आधुनिक खेती में मुद्रार्जन की प्रवृत्ति बढ़ जाने से फसल सन्तुलन कृषि-भूमि उपयोग का एक आवश्यक अंग बन गया है ।

(8) फसल - संयोजन - एक ही क्षेत्र में जहाँ कहीं वर्ष में कई फसलें उगाने की प्रथा है, वहाँ फसल चक्र का संयोजन आवश्यक होता है, अन्यथा मृदा की उर्वरता के क्षीण होने तथा फसल उत्पादन में हानि की आशंका बढ़ जाती है । पहली फसल जिन खेतों में छोटी जड़े वाली उगाई जाती है, दूसरी फसल उनमें लम्बी जड़ों वाली उगाना लाभदायक होता है क्योंकि पहली फसल मृदा की ऊपरी सतहों की उर्वरता से लाभ उठाती है जबकि दूसरी फसल मृदा की निचली सतहों से भरण-पोषण के तत्व ग्रहण करती है ।

वर्तमान समय में जब फसलों के बीजों तथा पौधों के प्रकारों में विशेष विकास के फलस्वरूप जलवायु तथा मुद्रा की प्रतिक्रियाओं का प्रभाव कम हो गया है तो फसलों के संयोजन का महत्त्व भी घट गया है । इसलिए अब सकर मक्का ग्रीष्म काल में उत्पादित किया जाता है जबकि सामान्य मक्का वर्षाकाल में उत्पादित होता था ।

(9) कृषि भूमि - उपयोग सक्षमता - किसी कृषि क्षेत्र में फसल का उत्पादन मात्र ही उपयोगी नहीं है, बल्कि कृषि भूमि सक्षमता को ध्यान में रखकर उचित फसल का पर्याप्त उत्पादन भी आवश्यक है । उचित फसल का निर्धारण करने हेतु यह आवश्यक है कि कृषि भूमि और फसल में सुलभ समाधानों को ध्यान में रखते हुए अधिकधिक सामंजस्य स्थापित किया जा सके ।

कुछ विद्वानों ने 'आदर्श भूमि उपयोग की संकल्पना' प्रस्तुत की है । उनके अनुसार भूमि का उपयोग कुछ विशेष सन्दर्भों में आदर्श कहा जा सकता है । एक ही भू-

खण्ड का उपयोग कई भिन्न-भिन्न कार्य के लिए किया जा सकता है । उदाहरण के लिए यदि कृषि-क्षेत्र का एक भाग नहरों या नलकूपों के निर्माण में अथवा सम्पर्क मार्गों के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है, तो उससे निश्चय ही कृषि कार्य की सक्षमता में वृद्धि होती है।

भारत जैसे देश में कृषि सक्षमता बढ़ाने में कुछ प्रकार के पशुओं का भी विशेष योगदान रहा है । इसलिए, उनकी नस्लों में सुधार तथा उनकी नवीन और आर्थिक क्रियाशील प्रयोगों को लगाकर कृषि भूमि की सक्षमता में वृद्धि की जा सकती है ।

(10) **भूमि की सर्वाधिक उत्पादन परिकल्पना** - कृषि की उत्पादेयता में कुछ विद्वानों ने 'सर्वाधिक उत्पादन परिकल्पना' को विशेष श्रेय दिया है । किन्तु भारत जैसे कृषि बहुल देश में जहाँ जनसंख्या की अधिकता से निर्वाहण कृषि का दृष्टिकोण अधिक महत्त्वपूर्ण है और जहाँ व्यापारिक दृष्टिकोण अधिक व्यापक नहीं हो पाया है, उक्त परिकल्पना सार्थक नहीं कही जा सकती ।

सर्वाधिक उत्पादन प्राप्ति करने हेतु फसलों का उपयुक्त चयन, विभिन्न मुद्राओं के गुण-दोषों का ज्ञान, उर्वरकों के समुचित प्रयोग का ज्ञान सुधारे गये कृषि बीजों या पौधों का ज्ञान अति आवश्यक है ।

(11) **कृषि भूमि - उपयोग आयोजन** - कृषि भूमि उपयोग में सम्बन्धित गिन्दान्तों एवं प्रयोगों को सुव्यवस्थित रूप में व्यवहृत करने के लिए कृषि भूमि-उपयोग का आयोजन अति आवश्यक है । इनके अन्तर्गत भौतिक-विपदाओं का नियंत्रण सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अधिक विकास योजना तथा कृषि से सम्बन्धित समस्याओं में उचित सुधार की योजना सम्मिलित की जा सकती है ।

आधुनिक कृषि कई अर्थों में लघु उद्योगों से समायोजित हो गयी है । इसीलिए कुछ विद्वानों को भी औद्योगिक प्रक्रम के रूप में मानते हैं । कृषि भूमि उपयोग आयोजन के सन्दर्भ में तथ्यों को वर्गीकृत रूप में सारणीयन विधि द्वारा डा० ब्रजभूषण<sup>1</sup> सिंह ने प्रस्तुत किया है जो

(क)

भौतिक विपदाओं का नियन्त्रण

क-1 क-2 क-3  
जल प्रवाह सुधार भूमि उत्पादन नियंत्रण बाढ़ नियंत्रण

क-2 1 द-2 2 क-3 1  
भूमि उपयोग विधियों में, वैज्ञानिक नियंत्रण बाँध निर्माण सुधार

क-3 2  
स्थानीय बाघ नियंत्रण

क-3 3  
जल भण्डार निर्माण

ख-1 6

भूमि उपयोग पुनर्स्थापना

ख-1 5 1 ख-1 5 2 ख-1 5 3 ख-1 5 4 ख-1 5 5 ख-1 5 6 ख-1 5 7  
उपज वृद्धि शस्य स्वरूप पुनर्स्थापन दोहरी खेती योजना वैज्ञानिक फसल-चक्र योजना खेतों का प्रबन्ध खेतों का प्रबन्ध खेतों का प्रबन्ध खेतों का प्रबन्ध खेतों का प्रबन्ध खेतों का प्रबन्ध

(ख)

समाजिक आर्थिक आयोजना

ख-1 ख-2 ख-3  
भूमि उपयोग गहनता सुधार सरचनात्मक कृषि सुधार कृषि उद्योग

ख-1 1 ख-2 1 ख-3 1  
मुगीपालन ऊर्जा उपयोगीकरण उद्योग

ख-1 2 ख-2 2 ख-3 2  
उद्यान एवं बागवानी बाजार सम्पर्क उद्योग

ख-1 3 ख-2 3 ख-3 3  
दुधारू पशुपालन शिक्षा सहायक उद्योग

ख-2 4

मिश्रित एवं बहुउपयोग यन्त्रायात

ख-2 5 1 ख-2 5 2 ख-2 5 3  
भूमि उपयोग पुनर्स्थापना पूर्णता का निर्माण पूर्णता का निर्माण पूर्णता का निर्माण

(ग)

संस्थान सुधार की आयोजना

ग-1 ग-2 ग-3  
कृषि स्वास्थ्य संस्थान कृषि शिक्षा प्रबन्ध पशु स्वास्थ्य संस्थान

ग-2 1  
कृषक प्रशिक्षण केंद्र

ग-2 2  
फसल शोध संस्थान

ग-2 3  
भूमि उपयोग संस्थान

विचार परक प्रतीत होता है । उसका उदाहरण सारणी 4 2 से स्पष्ट है ।

सारणी से स्पष्ट है कि भौतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सभ्यागत क्रियाओं का भूमि-उपयोग तथा कृषि भूमि उपयोग तथा उसकी आयोजन विधि पर विशेष प्रभाव पड़ता है ।

इस अध्याय में विवेचित सैद्धान्तिक पक्षों को ध्यान में रखकर ऐसा कहा जा सकता है कि भूमि उपयोग या कृषि भूमि उपयोग के सन्दर्भ में कोई सर्वमान्य एवं सर्वव्यापी विधि तन्त्र नहीं प्रस्तुत किया जा सकता । भूमि-उपयोग भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, एवं अन्य कई घटकों एवं विचलकों पर आधारित है, अतएव इन सभी पक्षों को ध्यान में रखकर ही कोई उपयोगी परिकल्पना प्रतिपादित की जा सकती है । परन्तु समय के परिवर्तन के साथ उक्त विचलकों में परिवर्तन के फलस्वरूप ऐसी परिकल्पना का सामयिक मञ्जोधन भी आवश्यक है ।

कृषि भूमि उपयोग में प्रायोगिक पक्ष सैद्धान्तिक पक्ष से भी अधिक महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए हमें प्रायोगिक पक्ष के विकास के द्वारा ही कृषि भूमि उपयोग की समस्याओं का समाधान तथा सम्भावनाओं का प्रारूप नियोजित करना चाहिए ।

XXXXXXXXXX

## सन्दर्भ - सूचिका (REFERENCES)

1. Thunen, J.H. Van : Der Isolierts state in Bexiehung out land wirts chaft Vnd National Okonomic, Hambure, 1857.
2. Dunn, E.S. The location of Agricultural Production, Gainsville, Uni, of Florida Press, 1954.
3. Hoover, E.M. The Location of Economic Activity New York, Mac - Graw Hill, 1948.
5. Isard, W. : In "Industrial Location" By David M. Smith, 1977, pp. 148-155.
6. Alonso, W.. Location and Land use, Toward a general Theory of Landrent, Combridge, Mass, Harvard Uni. Press.
7. Garrison, W.L. and D.F. Marble, : The Spatial structure of Agricultural Activaties Annals, of Assn, of Amer. Geogras. 1957, Vol 47, pp. 137-144.
8. Harvarth R.J. Van Thunen's Isolated state and the ground Addis-Ababa, Fthopia, Annals, of the Assn. Of Amer. Geogras. 1969, Vol 59, pp 308-323.
9. Jonasson, O. . Agricultural Regions of Europe, Economic Geography, 1925, Pt 1, pp. 277-344.
10. Baker, O.E. Agricultural Regions of North America, Economic Geography, 1926, Pt. 2, pp 459-493.
11. Christaller, Walter : Die zentralen orte in Suddentsch land Fischer Jena, 1933, translated as 'Central Places in Southern Germany' by Carlisle W, Baskin, Prentice Hall, N.J. 1966.
12. Buchanan, R.O. : Some, Reflection on Agricultural Geography, 1956, Pt, 44 pp. 1-13.

13. Hartshorn R. and S.N. Dicken · A Classification of the Agricultural Regions of Europe and North America on a Uniform statistical Basis, Annals. Asso Amer. Geogras. Vol 25, 1935. pp 99-120
14. Chischolm, M. : Problem in the Classification and use of Farming, Type Regions, Inst. of British Geographers, transactions and papers, 1964, Vol 35, pp. 91-103.
15. Grotewald, A. "Van Thunen in Retxopt" Economic Geography, Vol 35, 1959, pp 346-355.
16. Whittlesey, D. Major Agricultural Regions of the Earth, Annals Asso Amer. Geogrs. Vol. 26, 1936, pp. 199-240.
17. Stamp, L.D. The lant of Britains its use and Misuse, London, IIIrd Ed. 1962
18. सायमन्स, एल० कृषि भूगोल (अनुवादक श्याम सुन्दर कटारे) हिन्दी ग्रन्थ, 1980, पृ० 244 मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी (भोपाल)
19. सिंह, ब्रजभूषण 'कृषि भूगोल' प्रथम संस्करण 1979, पृ० 181

xxxxxx



XXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

अध्याय - पंचम

भूमि उपयोग का परिवर्तनशील वितरण-प्रतिरूप

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXX

## अध्याय - पंचम

### भूमि-उपयोग का परिवर्तनशील वितरण प्रतिरूप

#### 5 । भूमि-उपयोग

आखेरीय व्यवस्था के उगमन सभ्यता के विकास के प्रथम मोमान मे लेकर वर्तमान तक अनेकानेक वैज्ञानिक उपलब्धियों एवं तकनीकी सुविधाओं से सम्पन्न मानव सभ्यता के मूल मे भूमि का महत्वपूर्ण स्थान है । मानव प्राकृतिक एवं मानवीय परिवेश मे सामंजस्य स्थापित करते हुए भूमि-ससाधन का अधिकारिक उपयोग करने का प्रयास करता है । यही कारण है कि किसी स्थान विशेष के भूमि उपयोग की विभिन्न अवस्थाये उम क्षेत्र विशेष की सामाजिक, आर्थिक एवं साम्कृतिक व्यवस्था की धोतक होती है ।

आधुनिक वैज्ञानिक युग मे सभी उपलब्ध ससाधनों के अनुकूलतम उपयोग को ध्यान मे रखते हुए सतत् नवीन तकनीकी ज्ञान एवं सयत्रों का अनुसधान एवं विकास किया जा रहा है । भूमि-उपयोग भी इस वैज्ञानिक युग की उपलब्धियों से पूर्णतया प्रभावित है। वेनेजेटी<sup>1</sup> के अनुसार भूमि-उपयोग प्राकृतिक तथा साम्कृतिक उपादानों के सयोग का प्रतिफल है । जब तक किसी क्षेत्र विशेष मे भूमि उपयोग प्रकृति-प्रदत्त विशेषताओं के अनुरूप रहता है, अर्थात् मानवीय क्रिया-कलाप प्राकृतिक कारकों द्वारा निर्धारित होते है, तब तक भूमि का आर्थिक महत्व अपेक्षाकृत बहुत ही कम एवं जन-जीवन का स्तर निम्नतम होता है । काल-क्रम मे जब भूमि-उपयोग प्रारूप के निर्धारण मे मानवीय भूमिका निर्णायक हा जाती है, तब भूमि-उपयोग मे आर्थिक ससाधनों का विनियोजन अधिक होने लगता है, उम अवस्था में भूमि का ससाधनता मे वृद्धि हो जाती है और जन-जीवन का आर्थिक स्तर अपेक्षाकृत उच्च से उच्चतर हो जाता है ।

अध्ययन क्षेत्र कटिहार प्रखण्ड की आर्थिक व्यवस्था कृष्येत्तर संसाधनों के अभाव में मात्र कृषि-ससाधनों पर आधारित है । फलत इस क्षेत्र के भौगोलिक अध्ययन मे कृषि-भूमि-उपयोग सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय हो जाता है । क्षेत्र विशेष मे भूमि-उपयोग की गहनता और उसमे कालिक परिवर्तन के विश्लेषण द्वारा उसके विगत एवं वर्तमान विकास-स्तर का ज्ञान हो सकता है । साथ ही भावी विकास-क्षमता का आकलन भी किया जा सकता है । भूमि-उपयोग को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक तथा मानवीय पर्यावरण के समन्वित प्रभाव को अडगीकार करते हुए एनुचीन<sup>2</sup> महोदय ने 'सामाजिक भौगोलिक वातावरण' शब्दावली का प्रयोग

किया है ।

भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारकों में भौतिक कारक जैसे उच्चावच, जलवायु, मिट्टी आदि का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है । उपर्युक्त कारकों की विभिन्न दशाओं से प्रभावित भूमि पर मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न प्राविधिकीय ज्ञानों, नवीन अनुसन्धानों, वैज्ञानिक उपकरणों द्वारा सांस्कृतिक भू-दृश्यावली (कृषि-भूमि परिवर्तन, मार्ग, आवाम, सिंचाई के साधन एवं विभिन्न सुविधाओं) का विकास करता है और उसे परिशोधित एवं परिमार्जित करता है और भविष्य में भी आवश्यकताओं की पूर्ति परिवर्तन करता रहेगा।

वस्तु-आत्मक भूमि-उपयोग की गत्यात्मकता बाजारीय अर्थ-व्यवस्था में निर्देशित होती है । रोनाल्ड के अनुसार 'वास्तव में आर्थिक शक्तियों जैसे माँग और पूर्ति के अन्तर्सम्बन्धों के सन्दर्भ में स्वतः दूसरी वस्तुएँ सामान्य भूमि-उपयोग के लिए कारक रूप में प्रतिस्थापित हो जाती हैं<sup>3</sup> ।

प्रायः सभी सस्थागत कारक-संस्कृति रीति-रिवाज, सामाजिक संरचना, मनोवैज्ञानिक एवं आदर्शजन्य वैचारिक भावना, सांस्कृतिक क्रिया-कलाप, भूमि स्वामित्व, भूमि-उपयोग प्रारूप को एक विशेष सीमा तक प्रभावित करते हैं । इसके अतिरिक्त आर्थिक उपयोग में भूमि-ससाधन की उपलब्धता, वहाँ के वर्तमान प्राविधिकीय विकास-स्तर का परिचायक है, जो वास्तव में माँग और आपूर्ति प्रारूप के तीव्रतम प्रभाव का द्योतक भी है । बारनो के शब्दों में ' इस प्रकार यह माँग और आपूर्ति तत्त्वों का अन्तर्सम्बन्ध ही है जो किसी भी स्थान के भूमि उपयोग में भौतिक तथा जैविक ढाँचे द्वारा मुखरित होता है<sup>4</sup> ।

अध्ययन क्षेत्र का भूमि उपयोग प्रारूप वस्तुतः निर्वाहक मूलक अवस्था में रहने निर्वाहमूलक अवस्था की ओर अग्रसर है । इसका स्पष्टीकरण सिंह द्वारा निर्मित भूमि-उपयोग अवस्था एवं सामाजिक, आर्थिक व्यवस्थाओं के उपकल्पित प्रतिमान से हो जाता है<sup>5</sup> ।

उपलब्ध आँकड़ों से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र के अधिकांश गावों में भूमि उपयोग अपनी सभाव्य-क्षमता तक पहुँच चुका है । अंग्रेजी शासनकाल में विदेशी शासकों की पैनी

दृष्टि विस्तृत वनाच्छादित क्षेत्र पर पड़ी और उन्होंने नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से भूमि का आवंटन कर वनों को साफकर कृषि-क्षेत्र का विस्तार किया। इस दीर्घ अवधि में जनसंख्या में प्रजनन जन्म एवं स्वाभाविक वृद्धि के फलस्वरूप भूमि-उपयोग की वर्तमान अवस्था का विकास हुआ।

5.2 भूमि उपयोग का प्रारूप एवं श्रेणीयन - भूमि-उपयोग प्रारूप मुख्य रूप से प्राकृतिक वातावरण से प्रभावित होता है। परन्तु इस पर सामाजिक एवं आर्थिक कारकों का प्रभाव भी भलीभाँति परिलक्षित होता है। जो सारणी (5.1) में है।

#### सारणी 5.1



#### कटिहार प्रखण्ड - भूमि उपयोग प्रतिरूप (1991)

भूमि उपयोग	क्षेत्रफल (हे०)	प्रतिशत
शुद्ध कृषित भूमि	20255	75.56
अप्राप्य भूमि	3951	14.74
कृष्य बजर भूमि	1462	5.45
बाग, बगीचों	1139	4.25
<b>कुल क्षेत्रफल</b>	<b>26807</b>	<b>100.00</b>

स्रोत कटिहार कार्यालय से प्राप्त ऑकड़ों से संगणित।

उपर्युक्त सारणी 5.1 से स्पष्ट है कि कटिहार प्रखण्ड में भौगोलिक क्षेत्र का 75.56% क्षेत्र कृषि कार्यों में सम्मिलित है और 5.45% क्षेत्र कृष्य बजर भूमि के रूप में मिलता है, जिसे सक्रिय प्रयासों द्वारा कृषित क्षेत्र के अन्तर्गत लाया जा सकता है। इसी भाँति बाग-बगीचों एवं अप्राप्य भूमि का विस्तार क्रमशः 4.25% एवं 14.74% क्षेत्र पर पाया जाता है।

# KATIHAR PRAKHAND GENERAL LANDUSE PATTERN 1991







-  CULTIVATED LAND
-  NON-CULTIVABLE LAND
-  CULTIVABLE WASTE LAND
-  TREES AND ORCHARDS

Fig 5 1

भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक एवं मानवीय कारकों की क्षेत्रीय विषमता के परिणाम स्वरूप न्याय पंचायत स्तर पर भूमि उपयोग में प्रत्यक्ष विभिन्नता मिलती है जो सारणी (5 2) से स्पष्ट है ।

उपर्युक्त आकड़ों से स्पष्ट होता है कि शुद्ध कृषित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रसार न्याय पंचायत रघैली 93.31% तथा न्यूनतम न्याय पंचायत महमदिया 57.17% है । कृषि अप्राप्य भूमि के अन्तर्गत सर्वाधिक क्षेत्र न्याय पंचायत महमदिया का 28.37% है जबकि न्यूनतम न्याय पंचायत रघैली में 2.43% है । कृषि बजर भूमि के अन्तर्गत सर्वाधिक क्षेत्र न्याय पंचायत राजभवाडा 10.07% तथा न्यूनतम न्याय पंचायत डुमरिया 1.22% एवं बाग-बगीचों के अन्तर्गत सर्वाधिक भू-भाग न्याय पंचायत रामपुर 10.10% तथा न्यूनतम डुमरिया 0.71% है । इसी प्रकार दो-फसली क्षेत्र का सर्वाधिक क्षेत्र विस्तार न्याय पंचायत हफलागज 85.13% तथा न्यूनतम न्याय पंचायत दलन 11.37% भाग सम्मिलित है । सिंचित क्षेत्र के अन्तर्गत सर्वाधिक क्षेत्र न्याय पंचायत हफलागज 83.86% तथा न्यूनतम क्षेत्र न्याय पंचायत राजपारा 9.79% भाग में है । इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि न्याय-पंचायत स्तर पर भूमि उपयोग परिवर्तन में विभिन्नता मिलती है । भूमिगत के माध्यम से भूमि उपयोग प्रतिरूप को और स्पष्ट किया जा सकता है । अध्ययन क्षेत्र में न्याय पंचायत स्तर पर शुद्ध कृषित क्षेत्र, कृषि अप्राप्य, बाग-बगीचे तथा कृष्य बजर के अन्तर्गत भू-भाग अनुक्रमणन अवस्था तक पहुँच गया है (सारणी 5 3 एवं मानचित्र 5 1)।

भूमि उपयोग के सम्बन्धित घटकों का विश्लेषण मुख्यरूप से कृषि अप्राप्य भूमि, कृष्य बजर, बाग-बगीचों, शुद्ध कृषित क्षेत्र दो फसली तथा सिंचित क्षेत्रों में बाँटकर किया गया है ।

(अ) कृषि अप्राप्य भूमि का वितरण प्रतिरूप - वर्तमान सन्दर्भ में कृषि अप्राप्य भूमि का तात्पर्य उस भूमि से है, जिसे वैज्ञानिक अनुसन्धानों, नवीन कृषि यन्त्रों, सिंचाई के साधनों अभिनव तकनीकी ज्ञानों एवं अन्य सुविधाओं के उपरान्त भी आर्थिक दृष्टि से शुद्ध लाभप्रदायी कृषिगत क्षेत्र के अन्तर्गत लाया न जा सके । भूमि उपयोग का यह एक महत्वपूर्ण पक्ष

सारणी 5-2

भूमि उपयोग प्रतिकरूप (1991)

कटिहार प्रखण्ड . न्याय पंचायत स्तर पर भूमि उपयोग प्रतिकरूप (क्षेत्रफल हे० मे)

क्र०स०	न्याय पंचायत	क्षेत्रफल हे० मे	शुद्ध कृषि भूमि	प्रतिशत	वृक्षि अप्राप्य भूमि	प्रतिशत	कृष्य बजर भूमि	प्रतिशत	बाग-बगीचा	प्रतिशत	द्विफसली	प्रतिशत	सिंचित	प्रतिशत
1	चन्देरी भरी	1351	1088	80 53	145	10 73	65	4 81	53	3 12	348	31 98	576	52 94
2	जगन्नाथपुर	970	694	71 54	140	14 53	76	7 83	60	6 18	331	47 69	175	25 21
3	राजपारा	1083	868	80 14	116	10 71	67	6 18	32	2 95	661	76 15	85	9 79
4	रामपुर	1120	688	61 42	215	19 19	105	9 37	112	10 10	275	39 97	487	70 78
5	जबडा-पहाडपुर	1021	824	80 70	115	11 26	45	4 40	37	3 62	306	37 13	227	27 54
6	बिजेली	1249	1104	88 71	107	8 56	20	1 60	18	1 63	348	31 40	328	29 60
7	डुमरिया	967	864	89 34	84	8 60	12	1 22	07	0 71	325	37 61	257	29 74
8	महमदिया	1163	665	57 17	330	28 37	85	7 30	83	7 13	441	66 31	235	35 33
9	बलुआ	1333	934	70 06	235	17 62	86	6 46	78	5 85	305	32 65	258	27 62
10	राजभवाडा	1390	917	65 97	290	20 86	140	10 07	43	3 09	223	24 31	743	81 02
11	दलन	2397	1978	82 51	295	12 30	69	2 87	55	2 29	225	11 37	748	37 81
12	बेलावा	2586	1861	71 96	424	16 39	185	7 15	116	4 48	312	16 76	695	37 34

क्रमश

13	बोरनी	1038	920	88 63	73	7 03	30	2 89	15	1 44	395	42 93	467	50 76
14	दोआसे	1154	1076	93 24	45	3 89	15	1 29	18	1 55	587	54 55	189	17 56
15	सौरिया	1202	784	65 22	246	20 46	66	5 49	106	8 81	185	23 59	279	35 58
16	उण्डखोरा	1302	914	70 19	216	16 58	91	6 98	81	6 22	189	20 67	214	33 41
17	रधेली	823	768	93 31	20	2 43	15	1 82	20	2 43	756	78 43	178	23 17
18	हफलागज	1030	787	76 40	155	15 04	45	4 36	43	4 17	670	85 13	660	83 81
19	मधेपुरा	1222	1048	85 76	85	6 95	57	4 66	32	2 61	330	31 48	369	35 20
20	परतेली	2406	1469	61 05	615	25 56	188	7 81	134	5 56	1224	83 32	530	36 07
-----														
	कुल योग	26,807	20,255	75.56	3951	14 74	1462	5.45	1139	4 25	8436	41.65	7700	38 01
-----														

स्रोत जिला सांख्यिकी कार्यालय कटिहार, (बिहार) ।



# TRENDS OF LAND UTILIZATION OF KATI HAR PRAKHAND

1991




Fig 5.2

## सारणी 5.3

## कटिहार प्रखण्ड न्याय पचायत स्तर पर भूमि उपयोग का श्रेणीयन (1991)

श्रेणी क्रम	कृषित			अकृष्य			कृष्य बजर		
	कृषित भूमि का प्रतिशत	न्याय पचायतों की संख्या	प्रतिशत कुल न्याय पचायतों की संख्या के आधार पर	अकृष्य भूमि का प्रतिशत	न्याय पचायतों की संख्या	प्रतिशत कुल न्याय पचायतों की संख्या के आधार पर	कृष्य बजर भूमि का प्रतिशत	न्याय पचायतों की संख्या	प्रतिशत कुल न्याय पचायतों की संख्या के आधार पर
1	>80	10	50	>15	9	45	>15	0	00
2	60-80	9	45	10-15	5	15	10-15	1	05
3	40-60	1	05	5-10	4	20	5-15	9	45
4	<40	0	00	<5	2	10	<5	10	50

श्रेणी क्रम	बाग-बगीचा			दो फसली			सिंचित		
	बाग-बगीचों के भूमि का प्रतिशत	न्याय पचायतों की संख्या	प्रतिशत कुल न्याय पचायतों की संख्या के आधार पर	दो-फसली भूमि का प्रतिशत	न्याय पचायतों की संख्या	प्रतिशत कुल न्याय पचायतों की संख्या के आधार पर	सिंचित भूमि का प्रतिशत	न्याय पचायतों की संख्या	प्रतिशत कुल न्याय पचायतों की संख्या के आधार पर
1	>15	0	00	>80	2	10	>80	2	10
2	10-15	1	05	60-80	3	15	60-80	1	05
3	5-10	6	30	40-60	3	15	40-60	2	10
4	<5	13	65	<40	12	60	<40	15	75

स्रोत जिला सांख्यिकी कटिहार द्वारा प्राप्त आकड़ों के आधार पर ।

है, जिसमें आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक भू-दृश्यावलियाँ, निवास-स्थान, परिवहन साधन, उद्योग, बाजार एवं सांस्कृतिक संस्थान आदि विकसित करनी हैं।

कृषि अप्राप्य क्षेत्र के आधार पर अध्ययन क्षेत्र के न्याय पचायतों को चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है जो सारणी (5.3) में स्पष्ट है। प्रथम श्रेणी के अन्तर्गत 15% से अधिक कृषि अप्राप्य क्षेत्र वाले न्याय पचायतों को सम्मिलित किया गया है जिसमें 9 न्याय पचायत हैं जो क्रमशः महमदिया (28.37%), परतेली (25.56%), राजभवाडा (20.86%), सौरिया (20.46%), रामपुर (19.19%), बलुआ (17.62%), डण्डखोरा (16.58%), बेलवा (16.39%) तथा हफनागज (15.04%) हैं, द्वितीय श्रेणी के अन्तर्गत 10-15% कृषि-अप्राप्य वाले न्याय पचायतों को सम्मिलित किया गया है जिसकी संख्या 5 है जिसके अन्तर्गत न्याय पचायत जम्नाथपुर (14.43%), दलन (12.30%), पहाडपुर (11.26%), चन्देनी भर्ग (10.73%), राजपारा (10.71%), न्याय पचायत सम्मिलित है। तृतीय श्रेणी के अन्तर्गत 5-10% वाले क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है। जो कुल न्याय पचायत का 20% (4 न्याय पचायत) है। उम वर्ग में न्याय-पचायत डुमरिया (8.60%), बिजेली (8.56%), बोरनी गोरगला (7.03%), एच मधेपुरा (6.95%) आते हैं। चतुर्थ श्रेणी के अन्तर्गत (5% से कम भू-भाग को रखा गया है। जिसके अन्तर्गत कुल न्याय पचायतों का 10% है। इस वर्ग में अध्ययन क्षेत्र के 2 न्याय पचायत हैं जिसमें दोआसे (3.89%) एवं रघ्वनी (2.43%), सम्मिलित है। इसी प्रकार प्रतिदर्श चयनित नौ गाँवों का सूक्ष्म अध्ययन के फलस्वरूप सर्वाधिक प्रतिशत ग्राम रकसा (28.86%) का है। इसके बाद क्रमशः सहसिया (28.55%), फरही (27.15%), खैरा (25.97%), कजरी (24.67%), गोपालपुर (20.81%), परियागदह (12.58%), झकरपुर (7.53%) और बौरा (4.86%) प्राप्त है। कृषि अप्राप्य-भूमि का अपेक्षकृत उच्च प्रतिशत मुख्यतः 2 कारकों से सम्बन्धित है।

(1) मानवीय कारक - ग्रामीण विकास से सम्बन्धित विभिन्न निर्माण कार्य (उदाहरणार्थ मानव अधिवास परिवहन एवं सिंचाई के साधन, बाजार, विद्यालय, पचायतघर तथा अन्य सांस्कृतिक संस्थान) तथा -

(2) **प्राकृतिक कारक** - जल जमाव युक्त, बाढग्रसित क्षेत्र, नदी मार्ग परिवर्तन से निर्मित छाडन झील आदि प्रतिदर्श स्वरूप चयन किये गये 9 गाँवों के अध्ययन से स्पष्ट है कि मानव अधिवास, परिवहन एव सिचाई के साधनों से सम्बन्धित भूमि के क्षेत्रफल में विगत 50 वर्षों में काफी परिवर्तन हुआ है । इनमें ग्राम स्तर पर 79 64% (फरही), 74 67% (सहसिया), एव 72 68% (परियाग दह) की हुई है । इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक, सामाजिक विकास हेतु विभिन्न निर्माण योजनाओं के कार्यान्वयन की दृष्टि होती है । ग्राम बौरा में (74 49%) का हास हुआ है । जल मग्न क्षेत्र में विकास चार दशकों (1951-91) के अन्तर रकसा में 52 97% की वृद्धि एव बौरा में 93 77% का हास हुआ है । वर्ष 1951 में जो जलमग्न भूमि थी, वह पूर्णतया कृषि के अयोग्य समझी जाती थी । उसका अधिकांश भाग जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप धान की नवीन किस्मों एव नवीन कृषि-पद्धति के विकास द्वारा वर्तमान में धान की खेती (एक फसली कृषि क्षेत्र) के अन्तर्गत परिवर्तित कर दिया गया है । गाँव बौरा में कब्रिस्तान एव मरघट क्षेत्र में 73 17% का हास हुआ है । बढ़ती जनसंख्या के फलस्वरूप आज यहाँ कृषि एव अन्य कार्य हो रहा है जबकि गाँव फरही में इसके क्षेत्र में 65 57% की वृद्धि हुई है । गाँव कजरी में पहले कब्रिस्तान और मरघट नहीं था परन्तु आज इसमें काफी क्षेत्र छोड़ा गया है । अन्य कृषि-अयोग्य क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि गाँव फरही में 82 26% की हुई है जबकि हास गाँव बौरा का 94 52% हुआ है इस तरह कुल नौ चयनित गाँवों में कुल कृषि अप्राप्य क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि फरही (69 55%) में हुआ है जबकि हास गाँव बौरा में (82 44%) का हुआ है । इस तरह उपयुक्त व्याख्या से यह स्पष्ट हो जाता है कि चयनित गाँवों की स्थिति में विगत 5 दशकों के दौरान तीव्र परिवर्तन हुआ है ।

(ब) **कृष्य बंजर भूमि का वितरण प्रतिरूप** :- कटिहार प्रखण्ड के 5 45% (1462 हे०) क्षेत्र पर कृष्य बजर का विस्तार पाया जाता है । कृष्य बजर के अन्तर्गत पुरानी परती, नई परती, उखाँव, पलिहर, एव खरपतवार वाले सभी क्षेत्र सम्मिलित किए जाते हैं । ये क्षेत्र प्रतिकूल दशाओं के कारण कृषित क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आ सके हैं परन्तु भविष्य में जनसंख्या की वृद्धि के साथ ही एव उचित साधनों के सुलभ होने पर और भूमि सुधार द्वारा इन्हें कृषि के लिए उपयोग में लाया जा सकता है<sup>6</sup> ।

कृष्य-बजर क्षेत्र के आधार पर अध्ययन क्षेत्र के न्याय पंचायतों को भी चार श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है । प्रथम श्रेणी के अन्तर्गत 10-15% वाले क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है जिसकी संख्या 1 है जो कुल न्याय पंचायत का 5% है जिसमें न्याय पंचायत राजभवाडा (10.07%) है । द्वितीय श्रेणी के अन्तर्गत 5-10% वाले क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है । इस वर्ग में 9 न्याय पंचायत है जो कुल कृष्य बजर क्षेत्र का 45% क्षेत्र विस्तृत है । जिसके अन्तर्गत न्याय पंचायत रामपुर (93.77%), जगन्नाथपुर (7.83%), परतेली (7.81%), महमदिया (7.30%), डण्डखोरा (6.98%), बेलवा (7.15%), बलुआ (6.46%), राजपारा (6.18%), एव सौरिया (5.49%), सम्मिलित है । तृतीय श्रेणी के अन्तर्गत 5% से कम कृष्य बजर वाले भू-भाग को सम्मिलित किया गया है जिसकी संख्या 10 है जो कुल न्याय पंचायत का 50% है जिसमें न्याय पंचायत चन्देली भर्मा (4.81%), मधेपुरा (4.66%), जबडा पहाडपुर (4.40%), हफलागज (4.36%), बोरनी गोरगाना (2.89%), दलन (2.87%), रघेली (1.82%), बिजैली (1.60%), दोआसे (1.29%), एव डुमरिया (1.22%) आते हैं ।

(स) बाग-बगीचों का वितरण प्रतिरूप - इसके अन्तर्गत समस्त भूमि का 4.25% (1139 हे०) भू-भाग सम्मिलित है । इन बाग-बगीचों में मुख्यतः आम, महुआ, अमरूद, सेमल, अर्जुन, ताड एव नारियल के वृक्ष पाए जाते हैं जो प्रायः आबादी के आस-पास वाले क्षेत्रों में स्थित हैं । नदियों के तटों पर ऊँची भूमियों पर भी जिसे 'धूस'\* कहते हैं, ये बाग-बगीचें प्रायः पाये जाते हैं । नारियल और ताड के वृक्ष नदी के स्थानों पर विशेषकर नदियों के तटवर्ती क्षेत्रों में पाये जाते हैं । इस क्षेत्र में स्थित बाग मुख्य रूप से मिट्टियों के वितरण पर निर्भर करते हैं । अध्ययन क्षेत्र के उत्तरी भाग में शीशम, आम के वृक्षों की अधिकता है जबकि नारियल, ताड खास कर अध्ययन क्षेत्र के मध्यवर्ती भाग फरही, कमला, गिदरी और मोनाली नदियों के तटवर्ती क्षेत्रों में पाये जाते हैं । इसके अलावा इस भाग में बाँस भी पर्याप्त पाए जाते हैं जिनका प्रयोग घरेलू सामानों तथा घर बनाने के लिए किया जाता है । अध्ययन क्षेत्र के पश्चिमी-दक्षिणी भागों में महुआ, जामुन तथा रोमल के वृक्षों की अधिकता है । कछरी क्षेत्रों (कमला अंचल में) बबूल के वृक्ष भी बहुतायत मात्रा में पाये जाते हैं । बाग-बगीचों के भूमि वितरण के आधार पर अध्ययन क्षेत्र के न्याय पंचायतों को श्रेणीयन के आधार पर चार वर्गों में विभाजित किया गया है ।

\* बलुआर ऊँची जमीन को धूस के नाम से जाना जाता है ।

**प्रथम श्रेणी** - इसके अन्तर्गत 10-15% वाले भू-भाग को सम्मिलित किया गया है । इसके अन्तर्गत अध्ययन क्षेत्र का । न्याय पचायत आता है जो कुल न्याय पचायतों का 50% है इस वर्ग में न्याय पचायत रामपुर (10 10%) सम्मिलित है । यह अध्ययन क्षेत्र के पश्चिमी भाग में स्थित है ।

**द्वितीय श्रेणी :-** इसके अन्तर्गत 5-10% भू-भाग वाले बाग-बगीचों का क्षेत्र आता है जो कुल न्याय पचायत का 30% है जिसके न्याय पचायत सौरिया (8 81%), महमदिया (7.13%), डण्डखोरा (6 22%), जगन्नाथपुर (6 18%), बलुआ (5 85%) एवं परतेली (5 56%) आते हैं । ये न्याय पचायत अध्ययन क्षेत्र के दक्षिणी-पूर्वी एवं मध्यवर्ती भागों में विस्तृत हैं ।

**तृतीय श्रेणी** - इसके अन्तर्गत 5% से कम प्रतिशत वाले बाग-बगीचों का भू-भाग आता है जिसमें 65% भाग है जिसमें 13 न्याय पचायत बेलवा (4 48%), हफलागज (4 17%), चन्देली भर्मा (3 12%), जबडा पहाडपुर (3 62%), राजभवाडा (3 09%), राजपारा (2 95%), मधेपुरा (2 61%), रघेली (2 43%), दलन (2 29%), दोआसे (1 55%), बोरनी गोरगामा (1 44%), बिजेली (1 12%), एवं डुमरिया (0 71%) आते हैं । इसी प्रकार प्रतिदर्श चयनित नौ गाँवों का सूक्ष्म अध्ययन के फलस्वरूप बाग-बगीचों के अन्तर्गत 2 गाँव आते हैं जिसमें शकरपुर (4 66%) एवं बौरा (1 46%) हैं । ये दोनों गाँव न्याय पचायत बोरनी तथा डुमरिया के अन्तर्गत आते हैं जो अध्ययन क्षेत्र के मध्यवर्ती तथा दक्षिणी-पूर्वी भाग में स्थित हैं । इन गाँवों का अध्ययन करने के फलस्वरूप पाया गया कि बौरा में आदिवासी लोग महुआ-चावल को सड़ाकर शराब तैयार करते हैं और सपरिवार इसका सेवन करते हैं । साथ ही ताड़ वृक्ष की अधिकता है जहाँ पर ताड़ी तैयार करते हैं जिसे स्थानीय बाजार में बेच कर जीवकोपार्जन की व्यवस्था करते हैं यत्र-तत्र कटीली झाड़ियाँ बाँस देखने को मिलते हैं । डोम जाति के लोग बाँस से अनेक सामान तैयार करते हैं जैसे खाँची, सूट चरौली तथा अन्य घरेलू आवश्यक सामग्री को बनाकर हाट में बेचते हैं ।

(द) **शुद्ध कृषिगत क्षेत्र का वितरण प्रतिरूप** - शुद्ध कृषिगत क्षेत्र का सर्वोच्च प्रतिशत न्याय पचायत रघेली में तथा निम्नतम न्याय पचायत महमदिया में क्रमशः 93.31% तथा

57 17% पाया जाता है, जो सारणी (5 2) से स्पष्ट है । शुद्ध कृषिगत क्षेत्र के आधार पर अध्ययन क्षेत्र के न्याय-पंचायतों को चार वर्गों में विभाजित किया गया है । प्रथम श्रेणी के अन्तर्गत 80% से अधिक शुद्ध कृषित क्षेत्र वाले न्याय पंचायतों को सम्मिलित किया गया है । इस वर्ग के अन्तर्गत प्रखण्ड के 10 न्याय पंचायत सम्मिलित है अर्थात् क्रमानुसार इस श्रेणी में रघेली (93 31%), दोआसे (93 24%), डुमरिया (89 34%), बोरनी (88 63%), मधेपुरा (85 76%), दलन (82 51%), बिजौली (80 71), जबडा-पहाडपुर (80 70%), चन्देली भर्मा (80 53%) तथा राजपारा (80 14%) सम्मिलित है । द्वितीय श्रेणी के अन्तर्गत 60-80 प्रतिशत वाले शुद्ध कृषित क्षेत्र वाले न्याय पंचायत को सम्मिलित किया गया है । जिसके अन्तर्गत प्रखण्ड के 9 न्याय पंचायत आते है जिसका क्रमशः वितरण हफलागज (76 40%), बेलवा (71 96%), जगन्नाथपुर (71 54%), डण्डखोरा (70 19%), बलुआ (70 06%), राजभवाडा (65 97%), सौरिया (65 22%), रामपुर (61 42%) तथा परतेली में (61 05%) सम्मिलित है । तृतीय श्रेणी के अन्तर्गत 40-60 प्रतिशत वाले शुद्ध कृषित क्षेत्र वाले न्याय पंचायत को सम्मिलित किया गया है जिसमें मात्र 1 न्याय पंचायत महमदिया (57 17%) है । इसी प्रकार प्रतिदर्श चयनित नौ गाँवों का सूक्ष्म अध्ययन करने के फलस्वरूप सर्वाधिक प्रतिशत शुद्ध कृषित क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम बौरा (93 68%) है । इसके बाद क्रमशः परियाग दह (83 12%), शकरपुर (78 27%), कजरी (75 35%), खैरा (74 03%), सहसिया (71 44%) रक्सा (71 13%), गोपालपुर (58 54%), फरही (54 49%) है । सहसिया गाँव गैर -आबाद गाँव के अन्तर्गत आता है । लेकिन इसका अध्ययन अधिकांश, परिवहन एवं सिंचाई के साधनों के अन्तर्गत किया गया है ।

(य) दो फसली क्षेत्र का वितरण प्रतिरूप .- क्षेत्र विशेष में दो फसली क्षेत्र का उच्च प्रतिशत उसकी भूमि उपयोग गहनता का द्योतक है । सिंचित एवं दो - फसली क्षेत्र परस्पर अन्तर्सम्बन्धित है । अध्ययन क्षेत्र में दो -फसली क्षेत्र का उच्च प्रतिशत (85 13%), न्याय पंचायत हफलागज में पाया जाता है । जिसके दो -तिहाई से भी अधिक (670 हे०) क्षेत्र पर वर्ष में दो - फसली या दो बाद से अधिक फसले उगाई जाती है । सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र का अध्ययन करने के फलस्वरूप प्रखण्ड के दक्षिणी, उत्तरी भाग में जहाँ उत्तम बलुई दोमट मिट्टी उपलब्ध है एवं नहरों द्वारा सिंचाई की उत्तम व्यवस्था है, द्विफसली क्षेत्र का घनत्व अधिक पाया जाता है । इसके विपरीत सुदूर पश्चिमी एवं पूर्वी भागों में अपरदन (फरही, कमला,

गिदरी, सौरा नदियों), जलप्लावन से ग्रस्त है एवं नहरों का अभाव है, द्विफसली क्षेत्र की कमी पाई जाती है । इस तरह दो फसली क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए अध्ययन क्षेत्र के न्याय पंचायतों को चार श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है जो सारणी (5 3) द्वारा स्पष्ट है ।

**प्रथम श्रेणी** - इसके अन्तर्गत 80% से अधिक वाले क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है जिसमें अध्ययन क्षेत्र का 2 न्याय पंचायत जो कुल न्याय पंचायतों का 10% है । इसमें क्रमशः न्याय पंचायत हफलागज (85 13%) एवं परतेली (83 32%) आते हैं ये दोनों न्याय पंचायतों में सिचाई की सुविधा एवं अच्छी मिट्टी के कारण वर्ष में दो बार से अधिक फसलों का उत्पादन होता है । इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से धान, गेहूँ, मक्का, पटसन, तथा यत्र-तत्र केले की खेती होती है ।

**द्वितीय श्रेणी** - के अन्तर्गत 60-80% वाले क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है जिसमें अध्ययन क्षेत्र के तीन न्याय पंचायत जो कुल न्याय पंचायतों के संख्या के आधार पर 15% है । इस वर्ग में न्याय पंचायत रघेली (78 43%), राजपारा (76 15%) तथा महमदिया (66 31%) आते हैं जो अध्ययन क्षेत्र के उत्तरी-पूर्वी भाग में स्थित हैं । इनके अन्तर्गत उत्पादित फसलों में धान, गेहूँ, मक्का, पटसन की खेती होती है ।

**तृतीय श्रेणी** के अन्तर्गत 40-60% वाले क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है जिसमें अध्ययन क्षेत्र के तीन न्याय पंचायत जो कुल न्याय पंचायतों का 15% है । इसमें न्याय पंचायत दोआसे (54 55%), जगन्नाथपुर (47 69%), एवं बोरनी (42 93%), आते हैं जो अध्ययन क्षेत्र के पूर्वी, पश्चिमी भाग में स्थित हैं । इन क्षेत्रों में कोसी की सहायक नदियों से प्रतिवर्ष बलुई दोमट मिट्टी का जमाना होता है जिससे पैदावार अच्छी होती है ।

**चतुर्थ श्रेणी** के अन्तर्गत 40% से कम वाले क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है जिसमें अध्ययन क्षेत्र का 12 न्याय पंचायत जो कुल न्याय पंचायतों की संख्या के आधार पर 60% है, इसमें क्रमशः न्याय पंचायत रामपुर (39 97%), डुमरिया (37 61%), जबडा-पहाडपुर (37 13%), बलुआ (32 65%), चन्देली भर्मा (31 96%), मधेपुरा (31 48%), बिजेली (31 40%), राजभवाडा (24 31%), सौरिया (23 59%), डण्डखोरा (20.67%), बेलवा (16 76%) एवं दलन (11 37%) आते हैं । इन न्याय पंचायतों में सिचाई की अस्विधा तथा उर्वरक मिट्टी की कमी के कारण दो फसली उत्पादन अपेक्षकृत कम क्षेत्रों पर होती है । उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखकर जब दो-फसली क्षेत्र के सम्बन्ध में प्रतिदर्श चयनित गावों का विश्लेषण करते हैं तो सर्वाधिक ग्राम शकरपुर में (90 32%) क्षेत्र दो-फसली पाते हैं ।



इसके पश्चात खैरा (88.98%), सहसिया (69.73%), रक्सा (66.61%), फरही (63.38%), परियाग दह (55.37%), बोरा (50.77%), बजरी (41.17%), एव गापालपुर (32.5%) में सिंचित क्षेत्र प्राप्त है। इन गाँवों में उर्वर सिंचाई की सुविधा तथा अन्य सुविधाओं के फलस्वरूप द्वि-फसली फसलों का उत्पादन होता है। इनमें मुख्य फसलें धान, गेहूँ, मक्का पटसन, मूँग तथा जलाशयों में कहीं-कहीं मखाना की खेती भी देखने को मिलती है। साथ ही जनसंख्या की बढ़ती हुई स्थिति को देखकर लोग स्वयं दो-फसली फसलों के उत्पादन का प्रयास कर रहे हैं जो ग्राम खैरा, परियाग दह में स्पष्ट उदाहरण मिलता है। दो फसली के श्रेणीयन से यह विदित है कि 40 के अन्तर्गत 12 न्याय पंचायत सम्मिलित है अर्थात् दो-फसली क्षेत्र का प्रतिशत निम्न कोटि में अधिक है। अतः यह अध्ययन क्षेत्र में कृषि के पिछड़ेपन का द्योतक है।

(र) सिंचित क्षेत्र का वितरण प्रतिरूप -- अध्ययन क्षेत्र में भूमि-उपयोग को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारकों में सिंचाई का महत्वपूर्ण स्थान है। लगभग 125 वर्ष पूर्व सम्पूर्ण क्षेत्र वनाच्छादित था तथा क्षेत्र का अधिकांश भाग भीषण बाढ़ों की चपेट में आ जाया करता था। (जिसका प्रभाव आज भी अध्ययन क्षेत्र पर पड़ता है)। जनसंख्या विरल होने के कारण भूमि पर जन भार कम था एव कृषि जीवन-निर्वाह के लिए परम्परागत ढंग से की जाती थी। सिंचाई का महत्व नगण्य था। प्रतिवर्ष बाढ़, दुर्भिक्ष से भारी धन-जन की हानि हुआ करती थी। कालान्तर में तीव्रगति से जनसंख्या वृद्धि के परिणाम-स्वरूप कृषित क्षेत्र का विस्तार हुआ। बाढ़ को रोकने के लिए कोसी तथा उसके सहायक नदियों पर बाँध बनाया गया। इससे सम्बन्धित कई योजनाएँ भी समय-समय पर क्रियान्वित की गईं जिससे खेती के योग्य क्षेत्रों का विस्तार बढ़ा। साथ ही साथ सिंचाई के साधनों के विकास द्वारा न केवल खाद्यान्नों के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि की गयी वरन् सूखा एव दुर्भिक्ष के तीव्रता को बहुत कम कर दिया गया। योजनाओं के अन्तर्गत विकास कार्यों में कृषि को प्राथमिकता दी गई। यही कारण है कि आज 7700 हे० (38.01%), सिंचित क्षेत्र है। अध्ययन-क्षेत्र में हाल के वर्षों में विद्युत, डीजल इंजन, चालित नलकूपों, पम्पिंग सेटों एव नहरों आदि का प्रयोग सिंचाई साधनों के रूप में उल्लेखनीय योगदान है। अध्ययन क्षेत्र के लिए नहरें वरदान सिद्ध हुई हैं, फिर भी सिंचाई की सुविधाओं की अभी काफी आवश्यकता है जहाँ

पर जल- तल ऊपर है, बाँस बोरिंग करके सिचाई की आवश्यकता को कृषक पूरा कर लेते हैं । इस तरह सिंचित क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए अध्ययन क्षेत्र को उपर्युक्त की तरह चार श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है ।

**प्रथम श्रेणी** - के अन्तर्गत 80% से अधिक वाले क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है जिसमें अध्ययन क्षेत्र के 2 न्याय पंचायत जो कुल न्याय पंचायतों के 10% हैं, इसमें न्याय पंचायत हफलागज (83.86%), एव राजभवाडा (81.02%), सम्मिलित हैं । इन दोनों न्याय पंचायतों में सिचाई की पर्याप्त सुविधा एव नहरों की अधिकता है । **द्वितीय श्रेणी** - के अन्तर्गत 60-80% वाले क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है जिसमें अध्ययन क्षेत्र का एक न्याय पंचायत जो कुल न्याय पंचायतों के संख्या के आधार पर 5% है । इसके अन्तर्गत न्याय पंचायत रामपुर (70.78%) है । यह अध्ययन क्षेत्र के उत्तरी-पश्चिमी भाग में स्थित है । **तृतीय श्रेणी** - के अन्तर्गत 40-60% वाले क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है जिसमें अध्ययन क्षेत्र के 2 न्याय पंचायत जो कुल न्याय पंचायतों के संख्या के आधार पर 10% हैं । इसमें न्याय पंचायत जगन्नाथपुर (52.94%), एव बोरनी (50.76%) आते हैं जो अध्ययन क्षेत्र के उत्तरी और मध्यवर्ती भाग में स्थित हैं । इन क्षेत्रों में सिचाई की सुविधा निम्न प्रकार की है । धरातल भी समतल नहीं है । सिचाई के रूप में डेकुल, तालाबा, कुओं का सहयोग लेना पड़ता है । नहर एव ट्यूबेल का प्रायः अभाव सा है । **चतुर्थ श्रेणी** - के अन्तर्गत 40% से कम सिचाई की सुविधा वाले क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है, जो अध्ययन क्षेत्र का कुल 15 न्याय पंचायत आते हैं जो कुल न्याय पंचायतों के संख्या के आधार पर 75% हैं । इसमें क्रमशः न्याय पंचायत दलन (37.81%), बेलवा (37.34%), परतेली (36.07%), सौरिया (35.58%), महमदिया (35.33%), मधेपुरा (35.20%), डुमरिया (27.74%), बिजेली (29.60%), बलुआ (27.62%), जबडा पहाडपुर (27.54%), जगन्नाथपुर (25.21%), डण्डखोरा (23.41%), रघेली (23.17%), दोआसे (17.56%), एव राजपारा (9.79%), आते हैं । इन न्याय पंचायतों में सिचाई की पर्याप्त सुविधा है । अधिकांश खेती मानसून पर आधारित है । उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए जब प्रतिदर्श चयनित गावों का विश्लेषण करते हैं तो सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र प्रयागदह में (43.35%), प्राप्त होता है । इसके पश्चात् क्रमशः खैरा (41.61%), बौरा (40.20%), शकरपुर (36.19%), रक्सा (33.90%), गोपालपुर (28.27%), कजरी

(23.7%), एव न्यूनतम फरही (17.86%), गाँव का है। प्रयाग दह एव खैरा गाँव में नहर, ट्यूबवेल तथा बॉस-बोरिंग की सुविधा है जिससे अधिकांश क्षेत्र सिंचित है। सिंचित क्षेत्र की अधिकता उन्हीं गाँवों में पाई जाती है जहाँ सिंचाई के आधुनिक साधन (नहर, नलकूप, पम्पिंग सेट आदि) का विकास हुआ है अथवा जहाँ गेहूँ, सब्जी आदि अधिक सिंचाई वाली फसलों का उत्पादन होता है। ग्राम गोपालपुर, कजरी एव फरही नदियों के कछारी क्षेत्रों में आते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ एव जलप्लावन का प्रकोप बना रहता है। सिंचाई के क्षेत्रों की कमी पायी जाती है। इन भागों में धान, ज्वार, बाजरा, जौ आदि की फसलों का उत्पादन किया जाता है जो या तो वर्षा जल पर आधारित है अथवा बहुत कम सिंचाई चाहती है। उपर्युक्त अध्ययन से यह स्पष्ट है कि कटिहार प्रखण्ड के अन्तर्गत चतुर्थ श्रेणी के अन्तर्गत अधिकांश न्याय पचायत (15) सम्मिलित है। इस प्रकार यह कहाँ जा सकता है कि अध्ययन क्षेत्र में सिंचाई के साधनों का पूर्णतया अभाव है। सिंचाई की सुविधा को बढ़ाकर कृषि गहनता में वृद्धि की जा सकती है।

**5.3 भूमि उपयोग में परिवर्तन :-** किसी क्षेत्र विशेष की भूमि उपयोग क्षमता की व्याख्या एक ओर अकृष्य, कृष्य तथा कृषिगत क्षेत्र (बोया गया क्षेत्र) और दूसरी ओर सिंचित, बहुफसली तथा तीसरी ओर सभी उत्पादित फसलों के प्रति हेक्टेयर उपज के मध्य संयोग से की जा सकती है<sup>7</sup>। इस आशय से प्रखण्ड मुख्यालय से प्राप्त आकड़ों को 6 शीर्षकों, कृषि अप्राप्य (जलयुक्त क्षेत्र, अधिवास, परिवहन, साधन, कब्रिस्तान, मरघट, मकानों के समीप की अकृष्य भूमि) कृष्य बजर (घास एव कटीली झाड़ियाँ, पुरानी परती, नया परती, दलदली एव अन्य कृष्य - बजर से सम्बन्धित क्षेत्र) कृषिगत क्षेत्र (शुद्ध बोया गया क्षेत्र), बाग-बगीचों सिंचित क्षेत्र एव द्विफसली क्षेत्र में व्यवस्थित किया गया है। तत्पश्चात् इन आकड़ों के आधार पर भूमि उपयोग की गत्यात्मकता के अध्ययन का प्रयास किया गया जो सारणी (5.4) एव चित्र 5.3 से स्पष्ट है।

वर्ष 1991 में कृषिगत, कृषि अप्राप्य, कृष्य बजर एव बाग-बगीचों के अन्तर्गत कुल क्षेत्रफल का क्रमशः 75.56%, 14.74%, 5.45% एव 4.25% क्षेत्र सम्मिलित है। सिंचित क्षेत्र एव द्वि-फसली क्षेत्र शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का क्रमशः 38.10% एव 41.65%

# KATIHAR PRAKHAND

## CHANGING PATTERN OF LANDUSE COMPONENTS

### 1951-91




Fig. 5.3

## सारणी 5.4

## भूमि उपयोग में परिवर्तन (1951-91)

(क्षेत्रफल हेक्टेअर में)

वर्ष	कुल क्षेत्रफल	शुद्ध बोया गया क्षेत्र (कृषित)	कृषि अप्राप्य	कृष्य बजर	बाग-बगीचा	द्विफसलीय क्षेत्र	सिंचित क्षेत्र
1951	26807	13605	2866	7042	3294	2435	2136
	प्रतिशत	50 75%	10 69%	26 28%	12 28%	17 90%	15 7%
1956	26807	13969	3101	6556	3181	2814	2598
	प्रतिशत	52 11%	11 57%	24 46%	11 86%	20 15%	18 6%
1961	26807	15379	3133	5589	2706	3575	3306
	प्रतिशत	57 37%	11 69%	20 85%	10 09%	23 25%	21 5%
1966	26807	17003	3187	4383	2234	4777	4352
	प्रतिशत	63 43%	11 89%	16 35%	8 33%	28 10%	25 6%
1971	26807	18075	3224	3439	2069	5847	5332
	प्रतिशत	67 42%	12 02%	12 83%	7 72%	32 35%	29 5%
1976	26807	18998	3396	2534	1879	6699	6174
	प्रतिशत	70 87%	12 67%	9 45%	7 01%	35 26%	32 5%
1981	26807	19475	3491	2238	1603	7295	6660
	प्रतिशत	72 65%	13 02%	8 35%	5 98%	37 46%	34 2%
1986	26807	19797	3659	1917	1434	7751	7226
	प्रतिशत	73 85%	13 65%	7 15%	5 35%	39 15%	36 5%
1991	26807	20255	3951	1462	1139	8436	7700
	प्रतिशत	75 56%	14 74%	5 45%	4 25%	41 65%	38 01%

स्रोत जिला सांख्यिकीय कार्यालय कटिहार (बिहार)

है (सारणी 5 4) । उल्लेखनीय है कि बाग-बगीचों सम्बन्धी क्षेत्र का अध्ययन सामान्यतया कृष्य बजर के अन्तर्गत किया जाता है । परन्तु प्राकृतिक सम्पदा के रूप में उसके विशेष आर्थिक महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत अध्ययन में इसे एक स्वतन्त्र प्रत्यय के रूप में स्वीकार किया गया है ।

सारणी (5 4) से स्पष्ट है कि 1951-91 की अवधि में शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल में 48.8% की वृद्धि हुई । वर्ष 1951 में कुल क्षेत्रफल का मात्र 50.75% कृषिगत था जबकि वर्ष 1991 में बढ़कर 75.56% हो गया । यह शुद्ध बोये गये क्षेत्र में वृद्धि का सूचक है । सारणी (5 4) से स्पष्ट हो रहा है कि यह वृद्धि वर्ष 1951 और 1991 के बीच क्रमिक रूप से हुई है चित्र 5 3 से यह स्पष्ट है कि वर्ष 1951 में शुद्ध बोया गया क्षेत्र 50.75% था । वर्ष 1951 से 1971 तक शुद्ध कृषि क्षेत्र में तीव्र वृद्धि हुई लेकिन वर्ष 1971 से 91 तक मन्द वृद्धि देख पड़ती है । अतः यह कहा जा सकता है कि शुद्ध कृषित भूमि सम्भाव्य अवस्था तक पहुँच गयी है ।

(अ) कृषि अप्राप्य - क्षेत्र में 1951-91 की अवधि में लगभग 37.85% की वृद्धि हुई । वर्ष 1951 में कुल क्षेत्रफल का लगभग 10.69% इसके अन्तर्गत था, जो बढ़कर 1991 में लगभग 14.74% हो गया । यह वृद्धि वर्ष 1951-91 की अवधि में क्रमिक रूप से हुई है । 1951-91 की अवधि में अधिवासों, परिवहन-मार्गों एवं अन्य जन-सुविधाओं से सम्बन्धित निर्माण-कार्यों में प्रगति के परिणाम स्वरूप इसके क्षेत्रफल में निरन्तर वृद्धि की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है । चित्र 5 3 से भी यह स्पष्ट है कि कृषि अप्राप्य के अन्तर्गत निरन्तर वृद्धि हो रही है ।

(ब) कृष्य बजर - भूमि उपयोग का एक विशिष्ट पक्ष है, जिसमें कृषिगत क्षेत्र में भावी विस्तार की सम्भावनाये निहित होती है । कृष्य-बजर के अन्तर्गत वर्ष 1991 में सम्पूर्ण क्षेत्रफल का 26.28% था जो घटकर 1991 के दौरान 5-45% रह गया । जनसंख्या वृद्धि के परिणाम स्वरूप कृषिगत क्षेत्र में विस्तार के कारण 1951-91 की अवधि में कृष्य बजर क्षेत्र में 79.23% का हास हुआ (सारणी 5 4) । यह हास 1951-91 के दौरान क्रमिक रूप से हुआ है । कृष्य-बजर के अन्तर्गत 1951 से 1966 की अवधि में सामान्य हास

हुआ है लेकिन 1966 से 1976 की दशक में तीव्र हास दृष्टिगोचर होते हैं। यह हरित क्रान्ति का काल था जिसमें गहन कृषि के कारण कृष्य-बंजर का क्षेत्र तीव्रगति से कम हुआ। पुनः इसके पश्चात् सामान्य गति से कमी हुई है।

(स) बाग-बगीचों के अन्तर्गत वर्ष 1951-91 के दौरान 65.42% का हास हुआ है। इसके अन्तर्गत 1951 में 12.28% क्षेत्र सम्मिलित था लेकिन यह घटकर वर्ष 1991 में 4.25% हो गया है। इस प्रकार 1951-91 की अवधि में बाग-बगीचों के 2155 हेक्टेयर क्षेत्र को कृषकों द्वारा कृषिगत क्षेत्र में परिवर्तित कर लिया गया, परन्तु इसके पश्चात् सरकारी संरक्षण की नीति के परिणाम स्वरूप बाग-बगीचों के काटने पर रोक लगा दी गयी है। फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं देख पड़ता है। आज भी लोग अपनी आवश्यकतानुसार पेड़ों को काटे जा रहे हैं।

(द) द्विफसलीय के अन्तर्गत वर्ष 1951-91 के मध्य 71.13% की वृद्धि हुई। वर्ष 1951 में शुद्ध कृषित क्षेत्र का 17.90% क्षेत्र दो-फसली था जो 1991 में बढ़कर 41.65% हो गया है। यह वृद्धि वर्ष 1951-91 के मध्य क्रमिक रूप से हुई है। इन 40 वर्षों के बीच लगभग  $4\frac{1}{2}$  गुना से अधिक वृद्धि हुई है।

(य) सिंचित क्षेत्र में वर्ष 1951-91 के मध्य लगभग 72.25% की वृद्धि हुई है। वर्ष 1951 में शुद्ध कृषित भूमि का 15.7% भाग सिंचित था जो वर्ष 1991 में बढ़कर 38.01% हो गया है जो लगभग चार गुने से अधिक वृद्धि को स्पष्ट करती है। द्विफसली एवं सिंचित क्षेत्र अन्तर्सम्बन्धित होते हैं। सिंचित एवं द्विफसली क्षेत्र में वर्ष 1951-91 के बीच निरन्तर वृद्धि की प्रवृत्ति रही है।

भूमि उपयोग में परिवर्तन के मुख्य पक्षों (कृषिगत क्षेत्र, अकृष्य एवं कृष्य बंजर) का गत्यात्मक प्रारूप न्याय पंचायत स्तर पर उपलब्ध आँकड़ों के विश्लेषण द्वारा और अधिक स्पष्ट हो जाता है।

**5-4 शुद्ध कृषित क्षेत्र में परिवर्तन** - चित्र सख्या 5 4 ए एव 5 4 बी तथा सारणी 5 5 से स्पष्ट है कि वर्ष 1951-91 की अवधि में शुद्ध बोये गये क्षेत्र में न्याय-पचायत स्तर पर काफी परिवर्तन हुआ है । सारणी 5 5 से यह ज्ञात है कि 1951 में प्रथम श्रेणी में एक भी न्याय पचायत नहीं है जबकि 1991 में 10 न्याय पचायत इस श्रेणी के अन्तर्गत आ गए हैं । इस प्रकार इन 40 वर्षों के अन्तराल में प्रथम श्रेणी के अन्तर्गत प्रखण्ड के 10 न्याय पचायत अर्थात् कुल न्याय पचायत के 50% इस कोटि में सम्मिलित हैं । **द्वितीय श्रेणी** में 1951 में इनकी सख्या 2 थी जो वर्ष 1991 में बढ़कर 9 हो गई । **तृतीय श्रेणी** के अन्तर्गत वर्ष 1951 में 15 न्याय पचायत थे जबकि 1991 में मात्र शेष 1 बच गया है । इस प्रकार इस श्रेणी में भारी मात्र में हास हुआ । **चतुर्थ श्रेणी** के अन्तर्गत वर्ष 1951 में 3 (15%) वर्ष 1991 में वृद्धि के फलस्वरूप सभी उच्च प्रतिशत को प्राप्त हो गये हैं ।

#### सारणी 5 5

#### शुद्ध कृषित क्षेत्र का श्रेणीगत वितरण प्रतिरूप (1951-91)


क्रम सख्या	श्रेणीगत	न्याय पचायत की सख्या		प्रतिशत	
		1951	1991	1951	1991
1	>80	00	10	00	50
2	60-80	2	9	10	45
3	40-60	15	1	75	5
4	<40	3	0	15	0

उपर्युक्त वृद्धि मुख्यतः जनसख्या वृद्धि, नवीन, कृषि पद्धति, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों, सिंचाई के साधनों परिवहन की सुविधा तथा बाढ़ नियन्त्रण का परिणाम है । तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी में अधिक हास शुद्ध बोये गये क्षेत्र में उत्तरोत्तर वृद्धि का द्योतक है ।


शुद्ध कृषित क्षेत्र से सम्बन्धित वर्ष (1951-91) चित्र सख्या 5 4 ए और 5.4 बी तथा सारणी 5 5 के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि इसके अन्तर्गत अभूतपूर्ण परिवर्तन




# KATI HAR PRAKHAND CHANGES IN NET SOWN AREA




1951-91



1991



1951



हुआ है । 1951 में अध्ययन क्षेत्र के अन्तर्गत शुद्ध कृषित क्षेत्र के अन्तर्गत अधिकतम 60-70% भू-क्षेत्र पूर्वी भाग में न्याय पचायत दोआसे तथा बिजौली में विद्यमान थे जो 1991 में तकनीकी सुविधाओं तथा कृषि से सम्बन्धित आवश्यक साधनों की पर्याप्तता के परिणाम स्वरूप 1991 में 80% से अधिक शुद्ध कृषित क्षेत्र में परिवर्तन हो गये है । क्षेत्र का मध्यवर्ती भाग जहाँ 40% से कम या 40-50% के मध्य वर्ष 1951 में शुद्ध कृषित क्षेत्र के रूप में विद्यमान थे । वे बढ़कर 60-70% और अध्ययन क्षेत्र के कुछ भागों में तो 80% के अन्तर्गत शुद्ध कृषित क्षेत्र में परिवर्तित हो गये है । वर्ष 1951 में जहाँ न्याय पचायत रामपुर, महमदिया तथा मधेपुरा में शुद्ध कृषित क्षेत्र 40% से कम था, वह 1991 में बढ़कर 60-70% के मध्य परिवर्तित हो गये है ।

शुद्ध कृषित भूमि में यह परिवर्तन नवीन कृषि पद्धति, सिंचाई की सुविधा, उन्नतशील बीजों की पर्याप्त उपलब्धता के साथ ही जनसंख्या के तीव्र वृद्धि को ध्यान में रखते हुए लोगों के भरण-पोषण हेतु हुआ है । इसके साथ ही अध्ययन क्षेत्र में भौतिक आपदाओं जैसे - बाढ़, सूखा एवं जल जमाव आदि समस्याओं का समाधान करके शुद्ध कृषित क्षेत्र में वृद्धि की गई है ।

अध्ययन क्षेत्र के चयनित प्रतिदर्श 9 गाँवों से सम्बन्धित अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि विगत 40 वर्षों में दौरान काफी अन्दर हुआ है । शुद्ध बोये गये क्षेत्र के अन्तर्गत परियागदह 45-65% से बढ़कर 83.12%, बौरा 54.03% से बढ़कर 93.68%, फरही 35.42% से 56.49%, कजरी 47.35% से 75.35%, शकरपुर 48.36% से 78.27%, सहसिया 46.32% से 71.44%, रक्ता 44.67% से 71.13%, गोपालपुर 37.23% से 58.54% और खेरा का 43.83 से बढ़कर 74.03% शुद्ध कृषित क्षेत्र में परिवर्तित हो गया है । अतः 40 वर्षों के दौरान शुद्ध कृषित क्षेत्र का न्याय पचायत तथा चयनित प्रतिदर्श गाँव स्तर पर भारी मात्रा में परिवर्तन हुआ है । प्रतिदर्श गाँवों पर जनसंख्या वृद्धि, नवीन कृषि पद्धति, उन्नतशील बीजों, परिवहन की सुविधा और उर्वरकों तथा सिंचाई के साधनों का काफी प्रभाव पड़ा है । उपर्युक्त तथ्यों के अतिरिक्त कृषकों में जागरूकता भी शुद्ध कृषित क्षेत्र में वृद्धि का कारण है । सर्वाधिक वृद्धि गाँव परियाग दह के अन्तर्गत हुआ है तथा न्यूनतम वृद्धि फरही गाँव में देखने को मिलता है ।

(अ) शुद्ध कृषित भूमि में परिवर्तनशील वितरण प्रतिरूप -

कटिहार प्रखण्ड में कुल शुद्ध कृषित भूमि में 1951-91 के बीच में वितरण प्रतिरूप के अध्ययन हेतु दोनों समय की बीच परिवर्तित स्वरूपों सर्वप्रथम प्रतिशत में निकाला गया है। तत्पश्चात् उस प्रतिशत के आँकड़े के विश्लेषण हेतु प्रामाणिक विचलन (47.51%) एवं माध्य (63.46%) का सहारा लिया गया है और इस प्रकार पूरे प्रखण्ड के परिवर्तनशील वितरण प्रतिरूप को तीन वर्गों में बाँटा गया है - (1) निम्न श्रेणी, (2) उच्च श्रेणी तथा (3) अति उच्च श्रेणी (मानचित्र 5.4 सी)।

1- निम्न श्रेणी - यह परिवर्तनशील स्वरूप इस प्रखण्ड के उन न्याय पंचायतों में मिलता है जहाँ पर परिवर्तनशील स्वरूप का प्रतिशत माध्य से कम है। इस प्रखण्ड के 15 न्याय पंचायत चन्देली, पारा, दोआसे, सौरिया, रघेली, डण्डखोरा, बिजेली, बोगनी गोगगामा, बलुआ, भवाडा, बेलवा, दलन, पहाडपुर, परतेल, हफलागज सम्मिलित है। इन न्याय पंचायतों में शुद्ध कृषित भूमि में वृद्धि का प्रतिशत इस लिए कम है कि यहाँ की भूमि अपेक्षाकृत कम उपजाऊ है। दूसरा कारण यह है कि इन न्याय पंचायतों में नहरों का विकास नहीं हो पाया है। साथ ही साथ सिंचाई के अन्य साधन भी विकसित नहीं हो पाये हैं। (मानचित्र 5.4 सी) मानचित्र को देखने से यह स्पष्ट होता है कि इस प्रखण्ड के मध्य निम्न प्रतिशत देखने को मिलता है। इन क्षेत्रों में कोसी तथा उसकी सहायक नदियों के जल प्लावन के कारण शुद्ध कृषित भूमि में वृद्धि का प्रतिशत कम है।

2- उच्च श्रेणी - इसमें अध्ययन क्षेत्र के चार न्याय पंचायत सम्मिलित है जो क्रमशः जगन्नाथपुर, रामपुर, महमदिया, डुमरिया है। इनमें वृद्धि का प्रतिशत माध्य, प्रा०वि० से कम है। इसका मुख्य कारण इन विकास खण्डों में सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार है।

3- अति उच्च श्रेणी - इस प्रखण्ड का केवल एक न्याय पंचायत मधेपुरा सम्मिलित किया गया है। इसमें वृद्धि का प्रतिशत 253.79% है जो सम्पूर्ण प्रखण्ड में एक विशिष्ट स्वरूप वाला है। इस न्याय पंचायत में परिवर्तन में वृद्धि का प्रतिशत अति उच्च होने के कई कारण हैं। प्रथम यह कटिहार नगर के पास स्थित है। दूसरी बात यह है कि

समीपवर्ती क्षेत्रों से इस न्याय पचायत का धरातल उपेक्षाकृत ऊँचा है । यहाँ सिचाई की पर्याप्त सुविधाएँ हैं । उपर्युक्त कारणों से शुद्ध कृषित भूमि में वृद्धि का प्रतिशत अधिक उच्च मिलता है ।


**5.5 कृष्य बजर क्षेत्र में परिवर्तन** - सारणी (5 6) से स्पष्ट है कि 1951-91 की अवधि में कृष्य बजर क्षेत्र के अन्तर्गत तीव्र हास हुआ है । न्याय पचायत स्तर पर भी इनकी सख्या में बहुत अधिक हास हुआ है । अध्ययन क्षेत्र में 1951 में 20% से अधिक कृष्य बजर न्याय पचायतों की सख्या 18 थी । वहीं 1991 में इस श्रेणी के अन्तर्गत कोई भी न्याय पचायत सम्मिलित नहीं है । **द्वितीय श्रेणी** (15-20%) में 1951 में 2 न्याय पचायत थे जो वर्ष 1991 में सारणी 5 6 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि इस कटि में कोई न्याय पचायत सम्मिलित नहीं है । वर्ष 1991 में क्रमशः तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम श्रेणी के अन्तर्गत 19 एवं 10 न्याय पचायत मिलते हैं । अर्थात् वर्ष 1951 में जहाँ 10% से ऊपर कृष्य बजर न्याय पचायत विद्यमान थे, घटकर 1991 में 10-15% के नीचे आ गये हैं । इस प्रकार कृष्य बजर क्षेत्र में लम्बवत् हास देखने को मिलता है ।

### सारणी 5 6

#### कृष्य बजर क्षेत्र का श्रेणीगत वितरण प्रतिरूप (1951-91)

क्रम सख्या	श्रेणीयन	न्याय पचायत की सख्या		प्रतिशत	
		1951	1991	1951	1991
1	>20	18	00	90	00
2	15-20	2	00	10	00
3	10-15	00	1	00	05
4	5-10	00	9	00	45
5	<5	00	10	00	50



# KATI HAR PRAKHAND CHANGES IN CULTIVABLE WASTE LAND



1951-91

1991

1951



विगत चार दशकों अर्थात् 1951-91 से सम्बन्धित कृष्य बजर मानचित्र सङ्ख्या 55 ए एव बी के अध्ययन के उपरान्त यह ज्ञात होता है कि कृष्य बजर के अन्तर्गत 1951 से 1991 की अवधि में अभूतपूर्व हास हुआ है। वर्ष 1951 में अध्ययन क्षेत्र का अधिकांश भू-भाग (20% से अधिक कृष्य बजर के रूप में था, वह 1991 में घटकर 10% से नीचे आ गया है। अध्ययन क्षेत्र में वर्ष 1951 में केवल बेलवा न्याय पचायत में कृष्य बजर का क्षेत्र 15.27% था। इसके अतिरिक्त सभी न्याय पचायतों में कृष्य बजर का प्रतिशत उच्च था। वर्ष 1991 के चित्र के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि केवल राजभवाडा में ही कृष्य बजर का प्रतिशत 10.07% है, शेष सभी न्याय पचायतों में इसके प्रतिशत में तीव्र हास हुआ है। यहाँ तक कि अध्ययन क्षेत्र के अन्तर्गत 5% से कम कृष्य-बजर वाले न्याय पचायतों में बिजौली, डुमरिया, दोआसे, रघेली, मधेपुरा, दलन, जबडा पहाडपुर, चन्देली भर्मा आदि पहुँच गये हैं। कृष्य बजर के अन्तर्गत अल्प प्रतिशत का होना अध्ययन क्षेत्र में गहन कृषि का परिचायक है।

वर्ष 1951-91 के शुद्ध कृषित एव कृष्य बजर के चित्रों के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि जहाँ वर्ष 1951 में शुद्ध कृषित क्षेत्र के अन्तर्गत क्षेत्रफल कम था वही दूसरी तरफ कृष्य बजर में क्षेत्रफल अधिक था, वह वर्ष 1991 में घटकर कम हो गया है और शुद्ध कृषित क्षेत्र में 1951 की तुलना में वृद्धि हुई है। कहने का तात्पर्य यह है कि कृष्य बजर और शुद्ध कृषित क्षेत्र में व्युत्क्रम अनुपात है।

अध्ययन क्षेत्र के कृष्य बजर में हास का मुख्य कारण कृषकों में जागरूकता, सिंचाई के साधनों की सुलभता, उन्नतशील बीजों एवं रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशक दवाइयों की पर्याप्तता के साथ ही नवीन कृषि तकनीक और कृष्य पद्धति में परिवर्तन के फलस्वरूप कृष्य बजर क्षेत्र में हास हुआ है।

(अ) **कृष्य बजर भूमि में परिवर्तनशील वितरण प्रतिरूप** - अध्ययन क्षेत्र में 1951-91 के बीच कृष्य बजर भूमि में काफी हास हुआ है। शोधकर्ता ने 1951 और 1991 में कृष्य बजर भूमि के क्षेत्रफल का प्रतिशत लिया है इसमें दोनों समय के आधार पर क्षेत्रफल में हुए प्रतिशत वृद्धि को निकाला गया है जो ऋणात्मक आया है अर्थात् कृष्य बजर भूमि में वृद्धि न होकर

हास हुआ । इस प्रखण्ड में परिवर्तन के वितरण का स्वरूप क्या है, इसे जानने के लिए माध्य (-76.13%), एव प्रामाणिक विचलन (11.43%) का उपयोग किया गया है । उक्त दो मानों के सहारे सम्पूर्ण प्रखण्ड को चार मुख्य भागों में बाँटा गया है ।

1- **अत्यधिक हास वाले क्षेत्र** - इसमें अध्ययन क्षेत्र के 6 न्याय पंचायत सम्मिलित हैं। ये न्याय पंचायत दोआसे, रघेली, बिजेली, डुमरिया, बोरनी, गोरगामा, दलन आदि हैं । मानचित्र 5.5 सी के देखने से स्पष्ट हो जाता है कि अत्यधिक हास इस प्रखण्ड के पूर्वी भाग में हुआ है । शोधकर्ता के क्षेत्रीय अध्ययन के दौरान यह बातें ज्ञात हुई कि पहले इन न्याय पंचायतों में चारागाह इत्यादि की अधिकता थी । लोगों का शैक्षिक विकास नहीं हुआ था जनसंख्या भी कम थी, इस कारण लोग पशुपालन पर अधिक ध्यान देते थे । कृषि पर अधिक जोर नहीं देते थे । क्षेत्र में जनसंख्या की वृद्धि हुई । खाद्यान की माँग बढ़ने के कारण चारागाह आदि के नीचे पड़ी हुई भूमि को लोगों ने कृषि के लिए प्रयोग करना शुरू कर दिया जिससे कृष्य बजर भूमि में अत्यधिक हास हुआ है जो 87% से भी अधिक मापा गया है । इस प्रखण्ड के दो न्याय पंचायत और हैं जिनमें कृष्य बजर भूमि में काफी हास देखने को मिलता है । इसमें दलन एव बोरनी गोरगामा हैं । दलन कटिहार नगर के समीप स्थित है । नगर के विकास के साथ-साथ इस न्याय पंचायत की भूमि में आवासीय के अन्तर्गत भूमि की वृद्धि के कारण इसमें हास हुआ है । साथ ही साथ शहर के समीप होने के कारण इस न्याय पंचायत का काफी भाग नगर के अन्तर्गत सम्मिलित होता जा रहा है । इस कारण कृष्य बजर भूमि में हास होना आवश्यक है । ज्ञातव्य है ज्यों-ज्यों नगरों का विकास होता है, उसके समीपवर्ती प्रखण्डों में गहन कृषि होने लगती है । अतः इस प्रक्रिया के कारण भी कृष्य बजर भूमि में हास देखने को मिलता है ।

2- **अधिक हास वाले क्षेत्र (माध्य + प्रा0 वि0)** इसके अन्तर्गत इस प्रखण्ड के 12 न्याय पंचायत सम्मिलित हैं । ये न्याय पंचायत इस प्रखण्ड के धुर उत्तरी एव धुर दक्षिणी भागों में स्थित हैं । अध्ययन क्षेत्र के उत्तरी भागों में स्थित न्याय पंचायत चन्देली, पारा, जगन्नाथपुर, महमदिया, रामपुर, बलुआ, सौरिया आदि हैं तथा दक्षिण में पहाडपुर, मधेपुरा, परतेली एवं हफलागज हैं जो डण्डखोरा न्याय पंचायतों से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं । इन न्याय पंचायतों से हास की दर 64% से अधिक है जो औसत से थोड़ा कम ही है । इन न्याय पंचायतों

मे हास का दर अधिक होने के कारण बढ़ती जनसंख्या एवं सिंचाई की सुविधाओं का अधिकधिक विस्तार है जिसमें भूमि पर दबाव बढ़ता जा रहा है जिसमें लोग कृष्य बजर भूमि को भी कृष्य हेतु उपयोग करने लगे है ।

3- न्यून हास वाले क्षेत्र - (मा० + 2 प्रा० वि०) इस प्रखण्ड का केवल एक न्याय पचायत राजभवाडा सम्मिलित किया जाता है । इस न्याय पचायत में हास के निम्न होने के कारण न्याय पचायत का धरातलीय स्वरूप है । इसमें अत्यधिक भूमि पाई जाती है, जहाँ पर वर्ष के काफी समय तक जल-जमाव बना रहता है जिसके कारण इस भूमि का प्रयोग कृषि हेतु नहीं किया जा सकता और यहाँ पर जनसंख्या का बसाव भी कम पाया जाता है जिसके कारण भूमि पर दबाव भी कम पाया जाता है । अतः प्रखण्ड के अन्य न्याय-पचायतों के समान इसमें हास नहीं आया है ।

4- अति न्यून हास वाले क्षेत्र - (मा० + 3 प्रा० वि०) इसमें केवल एक न्याय-पंचायत बेलवा है जो अत्यधिक असमान धरातल वाला क्षेत्र है । जल जमाव यहाँ अधिक मिलता है जो धरातल जल प्लवित नहीं है, वह भूमि उबड़, खाबड़ होने से कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है । अतः इस क्षेत्र में भी कृष्य बजर भूमि में हास का दर निम्न है ।

प्रतिदर्श चयनित गावों के अध्ययन के फलस्वरूप निम्नलिखित गावों के प्रतिशत में हास हुआ है । परियाग दह (1951-91) के मध्य 24 48% से 4 39%, फरही 32 45% से 16 35%, शकरपुर 30 65 से 9 53%, गोपालपुर 35 84 से 20 64% घटकर हो गया है । शेष बोरा, कजरी, सहसिया, रकसा एवं खेरा गावों में कोई हास नहीं हुआ । अतः इससे स्पष्ट होता है कि परियाग दह, फरही, शकरपुर, और गोपालपुर गावों में बंजर भूमि का हास इन गावों में जनसंख्या वृद्धि, सिंचाई के साधनों एवं ऊनतशील बीज की किस्मों के विकास एवं परिवहन मार्गों की सुविधा इत्यादि का काफी प्रभाव पड़ा है ।

5.6 कृषि हेतु अप्राप्य क्षेत्र में परिवर्तन - सारणी (5 7) से स्पष्ट है कि विगत 4 दशकों (1951-91) के अनन्तर अकृष्य के प्रथम श्रेणी ( 15%) में काफी अन्तर प्राप्त है ।



जैसे वर्ष 1951 में 3 न्याय पचायत (15%) थे, बढ़कर 1991 में 9 न्याय पचायत (45%) हो गये हैं जबकि द्वितीय श्रेणी (10-15%) के अन्तर्गत वर्ष 1951 की तुलना में तथा 1991 में प्रथम श्रेणी में वृद्धि के फलस्वरूप कमी आयी है पुनः तृतीय श्रेणी (5-10%) में ह्रास की स्थिति दृष्टिगोचर होती है। चतुर्थ श्रेणी (5%) में समरूपता प्राप्त है जो सारणी से स्पष्ट हो जाता है।

### सारणी 5-7

#### कृषि हेतु अप्राप्य क्षेत्र का श्रेणीगत वितरण प्रतिरूप (1991-91)

क्रम संख्या	श्रेणीयन	न्याय पचायत की संख्या		प्रतिशत	
		1951	1991	1951	1991
1	> 15	3	9	15	45
2	10-15	8	5	40	25
3	5-10	7	4	35	20
4	< 5	2	2	10	10

विगत 4 दशकों के अनन्तर विभिन्न श्रेणियों में न्याय पचायत की संख्या में ह्रास की मन्द प्रवृत्ति कृषि अप्राप्य क्षेत्र में वृद्धि के साथ-साथ कुछ न्याय पचायतों की संख्या में ह्रास की सम्भावना की अभिव्यक्ति देती है। अकृष्य क्षेत्र में वृद्धि मुख्यतः ग्रामीण विकास से सम्बन्धित विभिन्न निर्माण कार्यों (उदाहरणार्थ मानव अधिवास, बाजार, विद्यालय, पचायत घर तथा अन्य सांस्कृतिक एवं सामाजिक संस्थान) के लिये कृषित भूमि के उपयोग से सम्बन्धित है। मानचित्र संख्या 5 6 ए ए वी के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि वर्ष 1951 में 15-20% तक कृष्य अप्राप्य क्षेत्र विद्यमान था। मध्यवर्ती क्षेत्र में अधिकांश भू-भाग 10 से 15 प्रतिशत कृष्य हेतु अप्राप्य क्षेत्र के रूप में विद्यमान था। उत्तरी एवं पूर्वी भाग में 10 प्रतिशत से कम अप्राप्य भूमि का विस्तार था लेकिन 1951 से 91 अर्थात् 4 दशकों



# CHANGES IN NON-CULTIVABLE LAND

N +

1951-91

1991

1951



मे अप्राप्य भूमि के अन्तर्गत अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है । केवल दाआम और रघनी न्याय पचायतों में परिवर्तन नहीं प्राप्त है जबकि भवाडा, सौरिया परतेली तथा बेलवा में 20 प्रतिशत से भी अधिक अप्राप्य क्षेत्र का विस्तार मिलता है चूँकि राजभवाडा, बेलवा, परतेली, नगरी क्षेत्र कटिहार के सन्निकट है अर्थात् इन पड़ोसी न्याय-पचायतों में तीव्र गति से कृषि हेतु अप्राप्य क्षेत्र के अन्तर्गत वृद्धि हुई है , उत्तरी एवं मध्यवर्ती भागों में अप्राप्य भूमि के अन्तर्गत सामान्य वृद्धि हुई है (चित्र 5 6 ए एव बी) अप्राप्य क्षेत्र एवं शुद्ध कृषित क्षेत्र में व्युत्क्रम अनुपात है जब अप्राप्य क्षेत्र बढ़ेगा तो रयाभाषिय है कि शुद्ध कृषित क्षेत्र में कमी आयेगी चित्र 5 3 से यह स्पष्ट है कि शुद्ध कृषित क्षेत्र में 1970 के पश्चात बहुत ही सूक्ष्म वृद्धि हुई है । चूँकि अकृष्य क्षेत्र का विस्तार हो रहा है । अतः इसके विस्तार के परिणाम स्वरूप यद्यपि कृष्य बजार को शुद्ध कृषित क्षेत्र में बदला जा रहा है लेकिन इसके बावजूद अप्राप्य क्षेत्र में वृद्धि के परिणाम स्वरूप शुद्ध कृषित क्षेत्र में वृद्धि सम्भव नहीं हो पा रही है । अतः इन दोनों में व्युत्क्रम सम्बन्ध है । उपयुक्त बातों को ध्यान में रखते हुए जब हम प्रतिदर्श गावों का अध्ययन करते हैं तो यह प्राप्त होता है कि 4 दशकों में काफी अन्तर आया है । परियाग दह 1951 से 1991 के दौरान 6 35% से 12 58%, बोरा 2 75% से 4 86%, फरही 8 26% से 27 15%, कजरी 7 65% से 24 67%, शकरपुर 4 55% से 7 53%, सहसिया 12 35% से 28 55%, रक्सा 12 56% से 28 86%, गोपालपुर 11 93% से 20 81%, एवं खैरा में अकृष्य के अन्तर्गत 12 36% से 25 97% की वृद्धि हुई है इस तरह ग्राम स्तर पर काफी विभिन्नता पाई जाती है ।

(अ) अप्राप्य भूमि का परिवर्तनशील वितरण प्रतिरूप :- अध्ययन क्षेत्र में 1951-91 के समयान्तराल में अप्राप्य भूमि का परिवर्तनशील स्वरूप के वितरण प्रतिरूप के अध्ययन हेतु प्रतिशत वृद्धि के आधार पर विश्लेषण किया गया है । सर्वप्रथम 1991 में हुए प्रतिशत वृद्धि के आधार पर माध्य और प्रामाणिक विचलन का परिकलन किया गया है । तत्पश्चात् माध्य और विचलन की सहायता से क्षेत्र में हुए परिवर्तन के स्वरूप को चार वर्गों में बाँटा गया है - निम्न (माध्य + 1 प्रा० वि०), मध्यम (माध्य), उच्च (माध्य + 1 प्रा० वि०), अति उच्च (माध्य + 2 प्रा० वि०) । इसके लिए माध्य का मान 38 59 है एवं प्रामाणिक विचलन 17 56 है ।

(1) **निम्न वृद्धि के क्षेत्र** - (माध्य - प्रा० वि०) इसमें इस प्रखण्ड के चार न्याय पंचायत आते हैं जो हफलागज, पहाड़पुर, बेलवा, बोरोनी गोरगामा हैं। यहाँ पर वृद्धि का प्रतिशत 21 से कम है। चकबन्दी के दौरान सड़को विद्यालयों न्याय पंचायतों एवं अन्य सांस्कृतिक क्षेत्रों के लिए छोड़े गए भूमि के कारण अप्राप्य भूमि में परिवर्तन हुआ है किन्तु आज भी इन न्याय-पंचायतों के पूर्ण विकास नहीं होने के कारण शक्तिशाली लोगों के प्रभाव के कारण ऐसी भूमि भी खेती के अन्तर्गत न रखी गयी है जिसके कारण यहाँ पर वृद्धि का स्तर अति न्यून है।

(2) **मध्यम वृद्धि के क्षेत्र :-** (माध्य से कम) - यहाँ पर वृद्धि का स्तर 38% से कम है। इसमें जगन्नाथपुर, दोआसे, बलुआ, रघेली, मधेपुरा, पाँच न्याय पंचायत हैं। यहाँ वृद्धि का स्तर माध्य के कम है। इस क्षेत्र में भी प्रथम प्रकार के क्षेत्र की ही तरह अप्राप्य भूमि पर शक्तिशाली लोगों का कब्जा बरकरार है।

(3) **उच्च वृद्धि के क्षेत्र** - (माध्य + प्रामाणिक विचलन वाले क्षेत्र) - इसमें न्याय पंचायत चन्देली पारा, महमदिया, दलन, बिजेली एवं डुमरिया, सम्मिलित हैं। यहाँ पर वृद्धि का स्तर लगभग 56% है। इन क्षेत्रों में चकबन्दी के दौरान हुए अप्राप्य भूमि में जो वृद्धि हुई, वह अब खेती के अन्तर्गत नहीं है और उन क्षेत्रों का उपयोग सांस्कृतिक कार्यों में किया जाता है।

(4) **अति उच्च वृद्धि वाले क्षेत्र** (माध्य + प्रामाणिक विचलन वाले क्षेत्र) - इस क्षेत्र में मुख्यतः न्याय पंचायत रामपुर, सौरिया, भवाडा, डण्डखोरा और परतेली सम्मिलित हैं। इन न्याय पंचायतों में आवागमन के साधन का पर्याप्त विस्तार हुआ है। स्थानीय लोगों में जागरूकता बढ़ी है। अतः अप्राप्य भूमि के अन्तर्गत लिए गये भूमि का उपयोग उस कार्य में काफी कम हुआ है। यहाँ पर वृद्धि का स्तर 74% तक है।

5.7 **बाग-बगीचों के क्षेत्र में परिवर्तन** - चित्र सख्या 5.7 ए और बी एवं सारणी 5.8 से स्पष्ट है कि 1951-91 की अवधि में बाग-बगीचों के क्षेत्र में विशेष हास हुआ है।

## सारणी 5 8

## बाग-बगीचों का श्रेणीगत वितरण (1951-91)

क्रम सख्या	श्रेणीगत	न्याय पचायतों की सख्या		प्रतिशत	
		1951	1991	1951	1991
1	>15	5	0	30	00
2	10-15	4	1	20	05
3	5-10	8	6	40	30
4	<5	2	13	10	65

प्रथम श्रेणी ( 15%) के अन्तर्गत वर्ष 1951-91 की अवधि में 6 न्याय पंचायत से 1991 में सख्या शून्य हो गई । द्वितीय श्रेणी के अन्तर्गत 4 न्याय पंचायत से 1 न्याय पंचायत, तृतीय श्रेणी (5-10%) के अन्तर्गत 8 न्याय पंचायत में 6 न्याय पंचायत तथा चतुर्थ श्रेणी ( 5%) के अन्तर्गत दो न्याय पंचायत से 1991 में 13 न्याय पंचायत सम्मिलित है अर्थात् प्रथम से तृतीय श्रेणी के अन्तर्गत तीव्रतम ह्रास और चतुर्थ श्रेणी में वृद्धि को प्रदर्शित करता है । वनों के ह्रास से स्पष्ट होता है कि वहाँ तेजी से वनों की कटाई हुई है । जनसख्या, सिंचाई, परिवहन, उत्तम किस्म के बीजों का विकास के परिणाम स्वरूप बाग-बगीचों के क्षेत्र को शुद्ध कृषिगत क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया है । प्रतिदर्श गावों के अवलोकन के फलस्वरूप 1951-91 की अवधि में काफी परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है जो सारणी (5 8) से स्पष्ट है , परियाग दह, फरही, कजरी, सहसिया, रकसा, गोपालपुर एवं खैरा में बाग-बगीचों के अन्तर्गत भू-क्षेत्र नगण्य हो गई जबकि 1951 में इस उपयोग में भू-क्षेत्र की अधिकता थी । अतः इन गावों में बाग-बगीचों की कटाई अघाधुन्ध हुई है । लोग बाग-बगीचों को शुद्ध कृषिगत क्षेत्र में परिवर्तित कर लिए हैं । बौरा, शकरपुर में इनका ह्रास धीमी गति से हुआ है । अतः इन गावों का अवलोकन के फलस्वरूप यह जाहिर हुआ है कि इन गावों में वृक्षारोपण किया जाय ताकि प्रदूषण रहित हो । अच्छे स्वास्थ्य के लिए

वृक्षारोपण अति आवश्यक है साथ ही इसमें हमारी अन्य बहुत सारी आवश्यकताओं जैसे जलावन, घरेलू सामान आदि की पूर्ति होती है ।

कटिहार प्रखण्ड के बाग-बगीचों के अन्तर्गत 1951-91 की अवधि में 65.39% का ह्रास हुआ है । मानचित्र सख्या 57 ए तथा बी के सूक्ष्म अध्ययन के उपरान्त यह विदित होता है कि बाग-बगीचों के क्षेत्र का भरपूर शोषण किया गया है । वर्ष 1991 में गन्देही बग, गहमादिगा, जगन्नाथपुर, दण्डगौरा, बेलना गाम पंचायतों में 15% से अधिक भू-क्षेत्र सम्मिलित है। 10-15% के बीच न्याय पचायत हफलागज, पारा, डुमरिया, मेथा शेष बलुआ और दोआसे (5%) से कम को छोड़कर 5-10% भू-क्षेत्र बाग-बगीचों के अन्तर्गत थे जबकि वर्ष 1991 के मानचित्र के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि वर्तमान में अध्ययन क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भी न्याय पचायत में 15% से अधिक भू-क्षेत्र पर बाग-बगीचे विद्यमान नहीं है। 10-15% के अन्तर्गत न्याय पचायत रामपुर देखने को मिल रहा है । शेष सभी न्याय पचायतों में 10% से कम भू-क्षेत्र सम्मिलित है । यही नहीं बिजैली, बोरनी गोरगामा तथा दोआसे न्याय पचायतों में 2% से भी कम भू-क्षेत्र बाग-बगीचों में सम्मिलित है । अतः यह स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र बाग-बगीचों का भरपूर शोषण किया गया है जो परिस्थितिकीय दृष्टि से उपयुक्त नहीं है । आवश्यकता यह है कि अध्ययन क्षेत्र में और भू-भागों पर पेड़-पौधों को लगाकर उससे परिस्थितिकीय तन्त्र को सुव्यवस्थित रखा जाय । साथ ही उससे आर्थिक लाभ भी प्राप्त किया जाय ।

#### (अ) बाग-बगीचों के क्षेत्र में परिवर्तनशील वितरण प्रतिरूप -

सम्पूर्ण प्रखण्ड में बाग-बगीचों के क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित भूमि में उक्त समयान्तराल में निरन्तर ह्रास हुआ है । न्याय पचायत बलुआ एवं सौरिया में वृद्धि हुई है । यहाँ पर बाग-बगीचों में ह्रास को मापने के लिए माध्य एवं प्रामाणिक विचलन का उपयोग किया गया है । इस हेतु परिकलित किए गये माध्य का मान (-56.21%) एवं प्रामाणिक विचलन का मान (38.93%) है । उक्त दो सूचकांकों के आधार पर बाग-बगीचों के अन्तर्गत स्थित भूमि के परिवर्तनशील वितरण प्रतिरूप को तीन वर्गों में बाँटा गया है (चित्र 57 सी) ।


KATI HAR PRAKHAND,  
CHANGES IN TREES AND ORCHARDS

N

1951

1991

1951-91



- (1) जहाँ पर हास माध्य से अधिक है ।
- (2) जहाँ पर हास (माध्य + प्रामाणिक विचलन) से अधिक हो और
- (3) जहाँ पर हास (माध्य + 2 प्रामाणिक विचलन) से अधिक है ।

(1) उच्च हास वाले क्षेत्र (माध्य से अधिक) - इसमें चन्देली, पारा, जगन्नाथपुर, महमदिया, रामपुर, दलन, भवाडा, डण्डखोरा, रघेली, बिजैली, डुमरिया, मधेपुरा एव हफलागज आदि न्याय पचायत सम्मिलित है । इन न्याय पचायतों में जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप बाग-बगीचों का शोषण तीव्रता से हुआ है और नये बाग-बगीचों का शोषण तीव्रता से हुआ है और नये बाग-बगीचे भी नहीं लगाये गए हैं । अतः यहाँ पर बाग-बगीचों के अन्तर्गत हास हुआ है ।

(2) निम्न हास (माध्य + 1 प्रामाणिक विचलन) वाले क्षेत्र - इसमें दोआसे, बेलवा, पहाडपुर परतेली, न्याय पचायतें सम्मिलित हैं । यहाँ हास का स्तर 17.28% से अधिक किन्तु 56.2% से कम है । इनमें भी जनसंख्या की वृद्धि के कारण बाग-बगीचों का कटाव हुआ है । जनसंख्या में वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण बगलादेशवासियों का इस प्रखण्ड में आकर बसना भी है । साथ ही लोगों का झुकाव केला तथा पटसन की खेती के तरफ होने लगा है जिससे लोग अपने बागों को काटकर प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से रुपये दो हजार से तीन हजार तक की दर से अन्य व्यक्ति को लगान पर खेती करने के लिए दे देते हैं जिससे बाग-बगीचों के क्षेत्र में हास हुआ है ।

(3) अति न्यून हास वाले क्षेत्र (माध्य + 2 प्रामाणिक विचरण) - इसमें बलुआ एव सौरिया न्याय पचायत सम्मिलित हैं जिसमें हास न होकर बाग-बगीचों के नीचे स्थिति क्षेत्रों में वृद्धि हुई है। यह वृद्धि 50% के लगभग है । बलुआ में 46.98% की वृद्धि देखी गयी है जबकि सौरिया में 58.16% है । इन क्षेत्रों में वृद्धि का मुख्य कारण लोगों का व्यापारिक दृष्टिकोण है । लोग अपने खेतों में बाँस इत्यादि की लगाते हैं क्योंकि इन्हें बेचकर एक मुस्त रुपये की प्राप्ति होती है और उन्हें इन बाँसों की उपज के लिए किसी भी प्रकार की शारीरिक श्रम नहीं करना पड़ता है और न तो प्रति वर्ष पूँजी का निवेश ही करना पड़ता है ।



5.8 दो-फसली क्षेत्र में परिवर्तन - दो-फसली क्षेत्र में वर्ष 1951-91 की अवधि में काफी अन्तर हुआ है जो चित्र सख्या 5 8 ए और बी एव सारणी (5 11) से स्पष्ट है।


### सारणी 5.9

#### दो-फसली क्षेत्र का श्रेणीगत वितरण प्रतिरूप (1951-91)


क्रम सख्या	श्रेणीयन	न्याय पचायतों की सख्या		प्रतिशत	
		1951	1991	1951	1991
1	>80	0	2	0	10
2	60-80	0	3	0	15
3	40-60	2	3	10	15
4	<40	18	12	90	60

प्रथम श्रेणी ( 80%) के अन्तर्गत वर्ष 1951 में न्याय पचायतों की सख्या दो-फसली क्षेत्र के दृष्टिकोण से एक भी नहीं थी जो वर्ष 1991 में बढ़कर 2 न्याय पंचायत सम्मिलित है। यही स्थिति द्वितीय श्रेणी (60-80%) के अन्तर्गत है जो 1951 में नगण्य थी वर्ष 1991 में बढ़कर तीन न्याय पचायत सम्मिलित है। तृतीय श्रेणी (40-60%) और चतुर्थ श्रेणी ( 40%) के अन्तर्गत इनकी सख्या और प्रतिशत में इस प्रकार परिवर्तन 1951-91 के मध्य क्रमशः 9 न्याय पचायत (10%) से तीन न्याय पचायत (15%), तथा 18 न्याय पचायत (90%) से 12 न्याय पचायत (60%) में परिवर्तित हो गया है। चतुर्थ श्रेणी के अन्तर्गत दो-फसली क्षेत्र में काफी हास हुआ है। क्षेत्र विशेष में द्विफसली क्षेत्र का उच्च प्रतिशत उसकी भूमि उपयोग गहनता का द्योतक है तथा निम्न प्रतिशत निम्न-धरातलीय जल-जमाव क्षेत्र की अधिकता एव बाढ प्रकोप जैसे प्रकृतिक कारकों का द्योतक है। इस तरह उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखकर जब हम प्रतिदर्श चयनित गावों पर प्रकाश डालते हैं तो उसमें प्रयाप्त भिन्नता देखने को मिलती है। चयनित गाँव में दो-फसली क्षेत्र में

# KATI HAR PRAKHAND CHANGES IN DOUBLE CROPPED AREA




1951



PERCENT OF NET AREA SOWN

[White box]	< 15
[Vertical lines]	15 - 30
[Horizontal lines]	30 - 45
[Diagonal lines (top-left to bottom-right)]	45 - 60


1991



PERCENT OF NET AREA SOWN


[White box]	< 15
[Vertical lines]	15 - 30
[Horizontal lines]	30 - 45
[Diagonal lines (top-left to bottom-right)]	45 - 60
[Cross-hatch]	60 - 75
[Dense cross-hatch]	> 75

1951-91



MEAN 188.08%  
S D 169.84%

[Vertical lines]	< MEAN
[Horizontal lines]	< MEAN+1 SD
[Diagonal lines (top-left to bottom-right)]	< MEAN+2 SD
[Cross-hatch]	< MEAN+3 SD



परिवर्तन 1951-91 के मध्य निम्न प्रकार है - परियाग दह 15 25% से 55 37%, बौरा 14 35% से 50 77, फरही 18 14% से 63 38%, कजरी 13 85% से 41 17%, शकरपुर 25 35% से 90 32%, सहसिया 19 38% से 69 75%, रक्सा 18 46% से 66 61%, गोपालपुर 16 15% से 32 5% तथा खेर का 23 25% से 88 98% हो गया अर्थात् प्रतिदर्श चयनित गावों के सभी क्षेत्रों में वर्ष 1951-91 के दो-फसली क्षेत्र में तीव्र परिवर्तन हुआ है । गाँवों में दो-फसली क्षेत्र का उच्च प्रतिशत सघन जनसंख्या, सिचाई, के नवीन साधनों की सुविधा, गेहूँ की उन्नत किस्मों के कारण गेहूँ क्षेत्र में विस्तार मुद्रादायिनी शस्यों जैसे केला, पटसन की कृषि में कृषकों की बढ़ती अभिरुचि आदि कारणों से प्रभावित है तथा इसके विपरीत गावों में निम्न प्रतिशत, निम्न धरातलीय जल जमाव क्षेत्र की अधिकता एवं बाढ़ प्रकोप जैसे प्राकृतिक कारणों के अतिरिक्त विरल जनसंख्या, परम्परागत पुरानी कृषि पद्धति, सिचाई के साधनों का अभाव, सड़को एवं सेवा केन्द्रों से अत्यधिक दूरी तथा सामाजिक पिछड़ेपन से प्रभावित है ।

अध्ययन क्षेत्र के अन्तर्गत विगत चार दशकों (1951-91) की अवधि में 132 68% की अभिवृद्धि हुई है। सर्वाधिक वृद्धि दो फसली क्षेत्र के अन्तर्गत दोआसे (486 08%) की हुई है । न्यूनतम वृद्धि डण्डखोरा (35 71%) में देखने को मिलता है । मानचित्र संख्या 5 8 ए और बी के अध्ययन के उपरान्त हम इस निष्कर्ष में पहुँचते हैं कि अध्ययन निष्कर्ष में पहुँचते हैं कि अध्ययन क्षेत्र में दो-फसली क्षेत्र के अन्तर्गत तीव्र वृद्धि हुई है । भौतिक भिन्नता के परिणाम स्वरूप वृद्धि में भी विभेद देखने को मिलता है । वर्ष 1951 के मानचित्र से यह स्पष्ट होता है कि दलन, बेलवा, चन्देरी, जगन्नाथपुर, डुमरिया, बिजैली आदि न्याय पचायतों के अन्तर्गत दो-फसली क्षेत्र का प्रतिशत 15 से कम था । मध्यवर्ती भाग में दो-फसली क्षेत्र का प्रतिशत 15-30 के मध्य था । पारा, महमदिया, मधेपुरा तथा हफलागंज में दो-फसली क्षेत्र का प्रतिशत 30-45 के मध्य देखने को मिल रहा है । मानचित्र संख्या 5 8 बी के अवलोकन से ज्ञात होता है कि दो-फसली क्षेत्र में तीव्र वृद्धि हुई है । न्याय पचायत हफलागंज, परतेली, रघेली, पारा में दो-फसली के अन्तर्गत 75% से अधिक भू-क्षेत्र सम्मिलित है । मध्यवर्ती भाग में भी तीव्र परिवर्तन देखने को मिलता है (चित्र संख्या 5 8 ए और बी) ।

(अ) दो-फसली भूमि में परिवर्तनशील वितरण प्रतिरूप -

जनसंख्या की वृद्धि, कृषि में नये तकनीकी साधनों का उपयोग, सिंचाई के साधनों के विकास आदि कारणों से इस प्रवण्ड में लोगों का झुकाव गहन-कृषि की ओर हुआ है फलस्वरूप दो-फसली भूमि में वृद्धि हुई है। यह वृद्धि कहीं-कहीं तो  $5\frac{1}{2}$  गुना तक हुई है। यहाँ प्रतिशत वृद्धि का माध्य 188.08% है जबकि प्रामाणिक विचलन 169.84% है। इन दो सूचकांकों के आधार पर दो-फसली भूमि में हुए वृद्धि को मुख्यतः चार वर्गों में विभाजित किया गया है (चित्र 5.8 सी)। प्रथम निम्न (माध्य से कम) दूसरा सामान्य (माध्य + 1 प्रामाणिक विचलन) और तीसरा उच्च (माध्य + 2 प्रामाणिक विचलन) तथा चौथा अति उच्च (माध्य + 3 प्रामाणिक विचलन)।

(1) निम्न वृद्धि वाले क्षेत्र (माध्य से कम) - इसके अन्तर्गत न्याय पंचायत पारा, रामपुर, महमदिया, दोआसे, बलुआ, राजभवाडा, सौरिया, बोरनी गोरगामा, बेलवा, रघेली, डण्डखोरा, मधेपुरा, पहाडपुर, हफलागज आदि सम्मिलित है। इन न्याय पंचायतों में वृद्धि का प्रतिशत माध्य (188.08%) से कम है। यहाँ पर कम वृद्धि तो है किन्तु यह वृद्धि भी लगभग दो गुना है जो अपने में विशेष महत्व रखता है। यह वृद्धि स्पष्ट करता है कि इन क्षेत्रों में वृद्धि की नई तकनीकी प्रयोग में लाई गयी है और इस बात की पुष्टि क्षेत्रीय सर्वेक्षण के दौरान भी हुई है।

(2) सामान्य वृद्धि वाले क्षेत्र (माध्य + 1 प्रामाणिक विचलन) - इसमें केवल दो न्याय पंचायत चन्देली और परतेली सम्मिलित है। यहाँ वृद्धि का प्रतिशत 357 तक है। अर्थात् इन क्षेत्रों में दो-फसली भूमि के अन्तर्गत स्थित भूमि में  $3\frac{1}{2}$  गुने से भी अधिक वृद्धि मिलती है। इन क्षेत्रों में व्यक्तिगत विशेषकर बाँस-बोरिंग का प्रचलन अधिक मिलता है जिसके कारण प्रति वर्ष दो-फसली का उत्पादन सुगमता पूर्वक प्राप्त किया जाता है।

(3) उच्च वृद्धि वाले क्षेत्र (माध्य + 2 प्रामाणिक विचलन) - इसके अन्तर्गत जगन्नाथपुर, दलन, और बिजैली न्याय पंचायत आते हैं। इन न्याय पंचायतों में वृद्धि का स्तर 527 प्रतिशत तक है। जगन्नाथपुर और बिजैली के नहर एवं सरकारी नलकूप पाई जाती है जिससे वर्ष

मे दो फसलो को उगाने मे सहायता मिलती है । जल स्तर उच्च होने के कारण व्यक्तिगत स्तर पर अधिक मात्रा मे भू-स्वामियों द्वारा बॉस-बोरिंग एव ट्यूबेल को अधिकाधिक प्रयोग हुआ है । दलन न्याय पचायत ऐसा है जो कटिहार नगर के समीप है । यहाँ पर भी सिचाई की पर्याप्त सुविधा मिलती है । साथ ही साथ जनसख्या के अत्यधिक वृद्धि के कारण लोगों ने वर्ष मे दो-फसलों को उगाने मे काफी रुचि बढी है । इस दो उक्त कारणों से दो-फसली भूमि के वृद्धि का प्रतिशत अधिक है ।

(4) अति उच्च वृद्धि वाले क्षेत्र (माध्य + 3 प्रामाणिक विचलन) - इसके अतर्गत केवल एक न्याय पचायत डुमरिया सम्मिलित है । इस न्याय पचायत मे लघु एव सीमान्त कृषकों की अधिकता है । जिसमे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछडी जाति के लोग अधिक है । सिचाई की सुविधाओं के कारण इस न्याय पचायत के लोग अन्नोत्पादन के साथ ही साथ सब्जी की खेती भी करते है जिसमे कोइरी जाति के लोग अधिक है जो गहन कृषि करते है । जनजाति मे आदिवासी है जो छोटे भू-क्षेत्रो पर खेती करते है । इनके पास भूमि की कमी है जिससे एक ही भूमि पर बार-बार कई तरह की फसलों का उत्पादन करके अपना जीविकोपार्जन करते है । इस प्रकार उपर्युक्त कारणों से दो फसली भूमि का क्षेत्र अधिक मात्रा मे पाया जाता है । इन उक्त कारणों के अतिरिक्त डुमरिया मे सिचाई के साधनों की बहुतायत है ।

**5.9 सिंचित क्षेत्र में परिवर्तन** - सिंचित क्षेत्र मे भी दो फसलीय क्षेत्र की तरह काफी परिवर्तन हुआ है चित्र सख्या 5 9 ए और बी एव सारणी (5 12) से स्पष्ट है ।

#### सारणी 5.10

#### सिंचित क्षेत्र का श्रेणीगत वितरण प्रतिरूप (1951-91)

क्रम सख्या	श्रेणीयन	न्याय पचायत की सख्या		प्रतिशत	
		1951	1991	1951	1991
1	>80	0	2	0	10
2	60-80	1	1	5	5
3	40-60	1	2	5	10
4	<40	18	15	90	75

N

# IRRIGATED AREA


KATI HAR PRAKHAND

# CHANGES IN IRRIGATED AREA

1951

1991

1951-91



A

B

C

U A

U A

U A

प्रथम श्रेणी (89% से अन्तर्गत विगत 40 वर्षों (1951-91) में सिंचित क्षेत्र परिवर्तन इस प्रकार है - 1951 में इस कोटि में कोई न्याय पंचायत नहीं थी लेकिन वर्ष 1991 में बढ़कर न्याय पंचायत की संख्या 2 हो गई है। द्वितीय श्रेणी (60-80%) में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तृतीय श्रेणी (40-60%) में 1 न्याय पंचायत (5%) से बढ़कर 2 न्याय पंचायत (10%) हो गई। चतुर्थ श्रेणी में 1951 में 18 न्याय पंचायत (90%) से घटकर 1991 में 15 न्याय पंचायत (75%) हो गई है। प्रतिदर्श चयनित गावों के सूक्ष्म अध्ययन से वहाँ पर काफी परिवर्तन देखने को मिलता है। चयनित गावों में परिवर्तन 40 वर्षों में क्रमशः इस प्रकार रहा परियाग दह 14 13% से 43 33%, बौरा 10.25% से 40 20%, फरही 12 13% से 17 86%, कजरी 12 25% से 23 7%, शकरपुर 18 32% से 36 19%, सहसिया 17 25% से 16 41%, रकसा 12 42% से 33 90%, गोपालपुर 11 25% से 28 27% एवं खेरा 18 16% से 41 61% वृद्धि लक्षित होता है। चयनित गावों में सर्वाधिक परिवर्तन बौरा गाँव में है। बौरा गाँव में गेहूँ, मक्का, धान, पटसन आदि की अच्छी खेती होती है। सिंचित क्षेत्र में वृद्धि नवीन कृषि-पद्धति के प्रति कृषकों को जागरूकता, सिंचाई के आधुनिक साधनों (नलकूप, पम्पिंग सेट, रहट, नहर आदि) के विकास एवं अनन्य सक्रिय कारकों के परिणाम-स्वरूप हुई है। जहाँ बौरा गाव में सिंचित क्षेत्र में वृद्धि हुई है, वहीं ग्राम सहसिया 17 25% से घटकर 16 41% हो गया है। इसका प्रमुख कारण यह है कि यह गैर आबाद गाँव है।

वर्ष 1951 और 1991 से सम्बन्धित सिंचित मानचित्र 5 9 ए और बी के अवलोकन से यह ज्ञात है कि सिंचित क्षेत्र में भारी परिवर्तन हुआ है वर्ष 1951 में लगभग दो तिहाई भाग (उत्तरी एवं पूर्वी) में 15% कृषि क्षेत्र या इससे कम भू-क्षेत्र सिंचित था। कटिहार नगर के समीपवर्ती प्रखण्डों में सिंचित प्रतिशत 15-30% के मध्य विद्यमान था। 1951 में राजभवाडा न्याय पंचायत के अन्तर्गत सिंचन प्रतिशत 30-45% के बीच है। सर्वाधिक सिंचन प्रतिशत हफलागज में देखने को मिलता है। जो 60 75% के मध्य है। वर्ष 1991 में 1951 की तुलना में तीव्र परिवर्तन देखने को मिलता है। तीव्र परिवर्तन रामपुर, राजभवाडा और चन्देली भर्मा में हुआ है जबकि अध्ययन क्षेत्र के शेष अन्य भागों में सामान्य परिवर्तन देखने को मिलता है।

(अ) सिंचित क्षेत्र में परिवर्तनशील वितरण प्रतिरूप -

अध्ययन क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र के अन्तर्गत वृद्धि का औसत 91.76% है तथा प्रामाणिक विचलन 249.29% है। उक्त दो सूचकांकों के सहारे अध्ययन क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र को प्रतिशत में हुए परिवर्तन को पाँच वर्गों में बाँटा गया है (चित्र संख्या 5.9 सी) में वर्ग क्रमशः निम्न, मध्य, सामान्य से उच्च एवं अति उच्च वृद्धि वाले हैं।

1. निम्न वृद्धि वाले क्षेत्र (माध्य - प्रामाणिक विचलन से कम) -

इसमें केवल दो न्याय पचायत सम्मिलित हैं। ये न्याय पचायत परतेली और हफलागज। इनमें सिंचित क्षेत्र के वृद्धि का प्रतिशत 40% से कम है। हफलागज में तो वृद्धि का प्रतिशत 30% से भी कम (29.73%) है। यहाँ पर परतेली एवं हफलागज न्याय पचायत का अधिकांश भाग कटिहार नगर के समीपवर्ती क्षेत्र के रूप में स्थित है जिसके कारण इन क्षेत्रों के भूमि का प्रयोग कृषि अपेक्षाकृत अन्य औद्योगिक कार्यों में होने लगा है। इसके कारण उक्त दोनों न्याय पचायत के सिंचित क्षेत्रफल क्रमशः कम होता जा रहा है।

2. मध्यम वृद्धि वाले क्षेत्र (माध्य से कम) -

इसमें 12 न्याय पचायत हैं। ये न्याय पचायत रामपुर, बलुहा, राजभवाडा, दलन, बेलवा, बोरनी, गोरगामा, मधेपुरा, कटिहार नगर के प्रभाव क्षेत्र में आते हैं। दूसरा क्षेत्र जो इस प्रखण्ड के पूर्वी भाग में स्थित है जिसमें महमदिया, दोआसे, रघैली, बिजौली, डुमरिया न्याय पचायत सम्मिलित हैं। इन क्षेत्रों में नहरों का विकास अपेक्षाकृत कम हुआ है। जो सिंचाई की जाती है। वह व्यक्तिगत स्तर पर की जाती है जिसमें सिंचित क्षेत्रों में अत्यधिक वृद्धि सम्भव नहीं हो सकता है। अतः यहाँ पर सिंचित क्षेत्रों के प्रतिशत में वृद्धि का स्तर मध्यम है।

3. सामान्य से अधिक वृद्धि वाले क्षेत्र (माध्य + प्रामाणिक विचलन से कम) -

इसमें केवल दो न्याय पचायत सौरिया एवं जबडा पहाड़पुर सम्मिलित हैं। इसमें वृद्धि का प्रतिशत 54.1% तक है अर्थात् इसमें 5 गुने से अधिक वृद्धि हुई है। इसका



मुख्य कारण इन क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र पर अत्यधिक दबाव के कारण क्रमशः अधिक वृद्धि हो रही है ।

(4) उच्च वृद्धि वाले क्षेत्र (माध्य + 2 प्रामाणिक विचलन) -

इसके अन्तर्गत न्याय पचायत चन्देली और जगन्नाथपुर आते हैं । इन न्याय पचायतों में वृद्धि का प्रतिशत 560% है । चन्देली और जगन्नाथपुर में वृद्धि का प्रतिशत क्रमशः 558.45% एवं 570.47% है । इन क्षेत्रों में सिंचाई के सुविधाओं का अत्यधिक विस्तार हो रहा है । क्षेत्र में नहरों का विस्तार बढ़ता जा रहा है अतः सिंचित क्षेत्रों में वृद्धि होता जा रहा है । यहाँ पर सिंचन गहनता भी अधिक मिलती है ।

5. अति उच्च वृद्धि वाले क्षेत्र (माध्य + 3 प्रामाणिक विचलन से कम) -

इसमें वृद्धि का प्रतिशत लगभग 890% तक पहुँच गया है । इस प्रखण्ड के दो न्याय पचायत राजपारा (886.22%) तथा डण्डखोरा (887.76%) इस वर्ग के अन्तर्गत सम्मिलित किए जाते हैं । इन न्याय पचायतों में सिंचाई के सुविधाओं के निरन्तर विकास होने के कारण वृद्धि का स्तर अति उच्च पाया जाता है ।

XXXXXXXXXXXX

## संदर्भ - सूचिका (References)

1. Vanzetti, C. : "Land use and National Vegetation in International Geography" Edited by W. Peter Adams and Fredrick, M Helleiner Toronto University Press, 1972, pp 1105-1106
2. Anuchin, V.A. . "Theory of Geography" in Directions in Geography, Edited by chorly, R J. Methuen London, Part 1, chapter 3, pp 52-54
3. Ronald, R. Renna, . Land Economics Principles, Problems and Poticies in Utilization of Land Resources. Harper and Brothers, New York, 1947, p. 17.
4. Barlowe, R. "Land Resources Economices . The Political Economics of Rural and Urban Land Resource Use," Prentice Hall, New York 1961, p 228.
5. Singh, B.B : " Agricultural Geography (in Hindi)." Tara Publications, Varanasi, 1979, P. 106.
- 6 Singh , R L. . India, A regional Geography, 1971, p. 204.
7. Singh, B.B. . "Agricultural Geography (in Hindi)". Tara Publications, Varanasi, 1979, p. 108

\*\*\*\*\*

XXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

अध्याय - षष्ठम

शस्य प्रतिरूप

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXX

## अध्याय - षष्ठम्

### शस्य प्रतिरूप

#### 6.1 शस्य स्वरूप -

किसी भी क्षेत्र में आर्थिक विकास के कार्यक्रम अनेकानेक सभावनाओं को जन्म देते हैं, जिनमें से अधिकांश आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था के सतुलन में व्यतिक्रम के रूप में प्रकट होते हैं। प्रायः इन्हीं व्यतिक्रमों एवं समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रीय विकास हेतु विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन होता है। उदाहरण स्वरूप वर्तमान में सुदृढ़ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था हेतु कृषि पर आधारित लघु उद्योगों के विकास के सदर्भ में अनेक परिचर्चाओं एवं परियोजनाओं की धूम मची है। औद्योगिक विकास के लिए कच्चे पदार्थों, जिनमें बहुत से कृषिजन्य हैं, के क्षेत्रीय वितरण का विशिष्ट महत्त्व है। सघन जनसंख्या एवं उसकी तीव्र वृद्धि से सम्बन्धित समस्या के समाधान के साथ ही क्षेत्रीय अर्थतन्त्र को गतिशीलता प्रदान करने के लिए कृषिगत क्षेत्र के उपयोग से सम्बन्धित विविध पक्षों का अध्ययन महत्त्वपूर्ण हो जाता है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए भूमि-उपयोग प्रतिरूप, शस्य-स्वरूप एवं उसकी क्षेत्रीय विषमता की व्याख्या करने का प्रयास प्रस्तुत अध्याय में किया गया है।

शाब्दिक अर्थ में फसलों के क्षेत्रीय वितरण से बने प्रारूप को शस्य स्वरूप की संज्ञा दी जाती है। लघु स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक अपनाये गये शस्य-स्वरूप के अनेक रूप देखने को मिलते हैं। शस्यों के वितरण सम्बन्धी अध्ययन में क्षेत्रीय तथा कालिक पक्षों के विश्लेषण का विशिष्ट महत्त्व है। कालिक अन्तर पाणिस्थितिक अनुक्रमों की देन है शस्य - वितरण में क्षेत्रीय एवं सामयिक अंतर मिलता है। इसके साथ ही साथ प्रायः शस्य-स्वरूप के क्षेत्रीय बीमा में समानता की अपेक्षा विषमता अधिक मिलती है, क्योंकि किसी क्षेत्र विशेष का शस्य-स्वरूप वहाँ के भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी तथा प्रशासनिक इत्यादि अन्यायन्य कारकों से प्रभावित होता है। लोकनाथन<sup>1</sup> द्वारा मध्य प्रदेश के शस्य-स्वरूप को निर्धारित करने वाले कारकों में मृदा, वर्षा, सिंचाई, जोत-आकार, जनशक्ति, पशु, पूँजी, यातायात तथा बाजार आदि कारकों की विशिष्टता का अध्ययन किया गया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न कृषि - अर्थव्यवस्थाओं के सदर्भ में फसल क्षेत्र में अंतर मिलता है। कृषि अर्थव्यवस्था के साथ शस्य स्वरूप एवं उनके क्षेत्र में निरन्तर परिवर्तन होता रहता है। इस प्रकार कृषि

एव आर्थिक विकास का घनिष्ठ संबंध है । उत्पादकता अभिस्थापित शस्य-स्वरूप वाले क्षेत्रों में आर्थिक विकास की गति तेज होती है । प्रस्तुत अध्ययन में शस्य स्वरूप की व्याख्या विभिन्न प्रभावी कारकों के सदर्भ में की गयी है । -

कटिहार प्रखण्ड में मौसम दशाओं के अनुरूप अर्थात् वर्षा, शरद एवं ग्रीष्म ऋतुओं में क्रमशः भदई, अगहनी, रबी एवं गरमा फसलों की खेती की जाती है । यहाँ यह स्पष्ट कर देना उपयुक्त होगा कि भदई एवं अगहनी फसलों की खेती वर्षाकाल में ही थोड़े अन्तराल के बाद की जाती है । रबी की फसल शरद तथा गरमा की फसलें ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती हैं । भदई, अगहनी और गरमा तीनों में ही धान प्रमुख फसल है जो वर्षा ऋतु एवं ग्रीष्म ऋतु में अध्ययन क्षेत्र के भिन्न-भिन्न भागों में उत्पन्न की जाती है । अतः अध्ययन क्षेत्र की मुख्य फसल धान है जो वर्ष में तीन बार बोई एवं काटी जाती है । प्रखण्ड के अन्तर्गत सकल कृषित क्षेत्र 54113.37 एकड़ है जिसमें भदई (25.74%), अगहनी (40.77%), रबी (21.02%) तथा गरमा की फसलें (12.47%) क्षेत्र में उत्पन्न की जाती हैं । सर्वाधिक क्षेत्र अगहनी के अन्तर्गत विद्यमान है जो सारणी (6.1) से स्पष्ट है -

### सारणी 6.1

#### कटिहार प्रखण्ड में शस्य-प्रतिरूप (1991)

क्रम संख्या	फसल	क्षेत्रफल(एकड़ में)	प्रतिशत
1	भदई	13926.95	25.74
2	अगहनी	22061.03	40.77
3	रबी	11376.14	21.02
4.	गरमा	6749.25	12.47
सकल कृषित क्षेत्र		54113.37	100.00

स्रोत जिला सांख्यिकीय कार्यालय, कटिहार, बिहार ।

# SPATIAL CROPPING PATTERN IN KATI HAR PRAKHAND

1991




Fig 6.1

सारणी 62 एवं चित्र संख्या 61 में प्रखण्ड के सभी न्याय पचायत स्तर पर सभी फसलों के क्षेत्रीय वितरण प्रतिरूप को प्रदर्शित किया गया है। इसके साथ ही न्याय-पचायत स्तर पर सकल कृषित क्षेत्र को भी सगणित किया गया है। न्याय पचायत स्तर पर सबसे अधिक सकल कृषित क्षेत्र का सान्द्रण न्याय पचायत दलन में देखने को मिलता है, जहाँ सम्पूर्ण सकल क्षेत्र का 82.4% क्षेत्र सलग्न है। वरीयता क्रम में दूसरे और तीसरे स्थान पर दोआसे (8.09%), परतेली (7.78%), क्षेत्र सम्मिलित किए हुए है। इसके पश्चात् डुमरिया (6.71%), मधेपुरा (6.48%), बिजेली (6.26%), चन्देली भर्मा (6.05%) और बलुआ में (6.04%) क्षेत्र प्राप्त है। न्याय पचायत सौरिया, बोरनी गोरगामा, जबड़ा पहाड़पुर और रामपुर के अन्तर्गत अध्ययन क्षेत्र का 4-5% सकल कृषित क्षेत्र प्राप्त है। न्यून सकल कृषित क्षेत्रफल वाले न्याय पचायतों में राजपाड़ा, डण्डखोरा, राजभवाड़ा, महमदिया, हफलागंज एवं जगन्नाथपुर है। सकल कृषित क्षेत्र का न्यूनतम प्रतिशत न्याय पचायत रघेली में (1.16%) है। इस प्रकार अध्ययन क्षेत्र में सकल कृषित क्षेत्र का वितरण बहुत ही असमान है। अध्ययन क्षेत्र में सकल कृषित क्षेत्र मुख्य रूप से भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी एवं अन्यान्य कारकों से संबंधित है। जहाँ उत्तम मुदा, पर्याप्त सिंचाई की सुविधा, यातायात, बाजार आदि कारकों की सुविधा है, वहाँ पर सकल कृषित क्षेत्र का उच्च प्रतिशत अध्ययन क्षेत्र में देखने को मिलता है। इस दृष्टि से उच्च कोटि के अन्तर्गत दलन, दोआसे, परतेली, डुमरिया, मधेपुरा, बिजेली और चन्देली भर्मा तथा बलुआ न्याय पचायतों में सम्मिलित है, जहाँ पर सकल कृषित क्षेत्र का प्रतिशत उँचा है।

इन न्याय पचायतों में उच्च प्रतिशत होने का प्रधान कारण भौगोलिक कारकों की अनुकूलता एवं शहरी क्षेत्र से सन्निकटता के कारण है। मध्यम वर्ग के अन्तर्गत बेलवा, सौरिया, बोरनी गोरगामा, जबड़ा पहाड़पुर, रामपुर, राजपाड़ा, डण्डखोरा, राजभवाड़ा, महमदिया न्याय पचायत सम्मिलित है, जहाँ पर उपर्युक्त न्याय पचायतों के अपेक्षाकृत कम सुविधाओं की प्राप्ति है। न्यून वर्ग के अन्तर्गत न्याय पचायत हफलागंज, जगन्नाथपुर और रघेली सम्मिलित है, जहाँ सकल कृषित क्षेत्र का प्रतिशत अपेक्षाकृत अध्ययन क्षेत्र स्तर पर कम है। इन भागों में सकल कृषित क्षेत्र की कमी का मुख्य कारण प्रतिवर्ष बड़ी बाढ़ों, जल-जमाव तथा विषम धरातल के कारण है।

कटिहार प्रखण्ड फसल प्रतिरूप (1991)

(क्षेत्रफल एच० हे०)

क्र०स०	न्याय पचायत	भदई	प्रतिशत	अगहनी	प्रतिशत	रबी	प्रतिशत	गरमा	प्रतिशत	सकल कृषित क्षेत्र	प्रतिशत
1	चन्देरी भरी	548 57	16 74	957 80	29 23	1109 35	33 86	660 85	20 17	3275 57	6 05
2	जगन्नाथपुर	395 54	28 33	401 35	28 74	436 55	31 26	162 85	11 67	1396 29	2 53
3	राजपारा	412 05	20 94	773 90	39 32	356 65	18 12	425 40	21 62	1968 00	3 64
4	रामपुर	287 50	12 36	954 84	41 04	740 88	31 84	343 65	14 76	2326 87	4 30
5	जबडा-पहाडपुर	281 54	11 93	1185 74	50 25	457 00	19 37	435 10	18 44	2359 38	4 36
6	बिजली	1099 45	32 42	1428 84	42 14	444 27	13 10	417 97	12 33	3390 53	6 26
7	डुमरिया	1297 21	35 71	1260 42	34 70	722 11	19 88	352 63	9 70	3632 37	6 71
8	महमदिया	315 80	17 94	669 90	38 05	283 25	16 09	491 55	27 92	1760 50	3 25
9	बलुआ	432 83	13 37	1901 52	58 15	719 31	21 99	216 25	6 61	3269 91	6 04
10	राजभवाडा	360 91	19 33	1058 08	56 67	434 64	23 28	13 45	0 72	1867 08	3 45
11	दलन	1124 50	25 21	1919 15	43 03	809 67	18 15	607 00	13 62	4460 32	8 24
12	बेलवा	754 95	24 03	1566 32	49 79	525 40	16 70	299 10	9 51	3145 77	5 84
13	बोरनी	817 64	32 21	676 83	26 67	803 67	31 66	239 21	9 43	2537 35	4 69



14	दोआसे	1522 99`	34 80	2137 89	48 80	495 47	11 32	219 75	5 02	4376 10	8 09
15	सौरिया	352 61'	13 42	1585 43	60 40	443 81	16 89	244 64	9 31	2626 49	4 88
16	इण्डखोरा	668 37	34 70	507 57	26 26	500 34	25 99	248 80	12 92	1925 08	3 56
17	बघेली	242 35	38 57	316 08	50.30	46 21	7 35	23 68	3 77	628 32	1 16
18	हफलागज	250.20	17 26	375 75	25 92	505 30	34 86	318 00	21 94	1449 25	2 69
19	मधेपुरा	516 55	14 74	1683 35	48 02	707 26	20 17	597 75	17 05	3504 91	6 48
20	परतेली	2245 39	53 30	700 27	16 62	835 00	19 82	431 62	10 24	4212 28	7 78
-----											
	कुल योग	13926.95	25.70	22061 03	40.70	11376.14	21.00	6749 25	12.60	54113 37	
-----											

स्रोत - जिला सांख्यिकी कार्यालय कटिहार (बिहार) ।

अध्ययन क्षेत्र के अन्तर्गत फसल प्रतिरूप के वितरण में भी भिन्नता देखने को मिलती है (सारणी 6 2) । सर्वाधिक सान्द्रण अगहनी (धान) फसल की है, जिसके अन्तर्गत 40 70% (2206। 0। एकड़) क्षेत्र सम्मिलित है । चूँकि अध्ययन क्षेत्र में अगहनी हेतु सभी भौगोलिक दशाये उपयुक्त है अर्थात् पर्याप्त वर्षा, उच्च तापमान, मटियार-डोमट मिट्टी एवं निम्न धरातल होने के कारण अध्ययन क्षेत्र में अगहनी (धान) फसल की प्रतिशत सबसे अधिक है।-

वरीयता क्रम में दूसरा स्थान भदई फसलों का है , जिसके अन्तर्गत 25 71% (13926 95 एकड़) क्षेत्र सम्मिलित है । - तृतीय क्रम में रबी फसलों का स्थान है, जिसके अन्तर्गत सकल कृषित क्षेत्र का 21% (11376 14 एकड़) क्षेत्र सम्मिलित है । भदई, अगहनी एवं रबी की फसलों के अतिरिक्त अध्ययन क्षेत्र में गरमा की फसल की ग्रीष्मकाल में जहाँ पानी की विशेष सुविधा है, वहाँ उत्पन्न की जाती है , जिसका प्रतिशत 12 6% (6749 25 एकड़) है । इस प्रकार सारणी 6 2 से यह स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में धान की तीन प्रकार की उपजें इसे क्रमशः भदई, अगहनी, गरमा कहा जाता है, उत्पन्न की जाती है और इनमें न्याय पचायत स्तर पर क्षेत्रीय विभेद देखने को मिलता है -

1951 से 1991 (चार दशकों) की अवधि में अध्ययन क्षेत्र के चारों फसलों में तीव्र वृद्धि हुई है । सर्वाधिक वृद्धि रबी फसल के अन्तर्गत (738 93%) है । वर्ष 1951 में रबी फसल 6 83% (1356 एकड़) पर उत्पन्न की गयी थी जो बढ़कर 1991 में 21 05% (11376 एकड़) में परिवर्तित हो गयी है । चार दशकों में 10026 एकड़ क्षेत्र की वृद्धि हुई है (सारणी 6 3) । रबी फसल के अन्तर्गत यह वृद्धि सिचाई की सुविधाओं, नवीन कृषि पद्धति, उन्नत तकनीक, रासायनिक उर्वरकों तथा उन्नतशील बीजों आदि की सुविधा के कारण है ।

रबी के पश्चात वृद्धि क्रम में दूसरा स्थान गरमा फसलों का है । 1951 से 1991 (चार दशकों में) 552 7% की वृद्धि पाई गयी है । वर्ष 1951 में इस फसल के अन्तर्गत 5 35% (1034 एकड़) भू-क्षेत्र सम्मिलित था जो बढ़कर 1991 में 12 49% (6749 एकड़)

हो गया है । रबी की ही भाँति सुविधाओं का प्राविधान गरमा फसलों के लिए भी था जिसके कारण अध्ययन क्षेत्र में वृद्धि हुई है । वरीयताक्रम में तीसरा स्थान भदई फसलों का है जिसके अन्तर्गत 1951 से 1991 की अवधि में 190.38% की वृद्धि हुई है । वर्ष 1951 में 24.04% (4796.00 एकड़) पर भदई फसलों में सम्मिलित था जो बढ़कर 1991 में 25.7% (13927 एकड़) में परिवर्तित हो गया है । सबसे कम वृद्धि 101.04% अगहनी फसल के अन्तर्गत है । इस फसल के अन्तर्गत वर्ष 1951 में 10973 एकड़ क्षेत्र 1991 में 2206 एकड़ क्षेत्र हो गया है । अतः इस फसल के अन्तर्गत प्रतिवर्ष 2.5% की दर से वृद्धि हो रही है । 1951 में ही इस फसल के अन्तर्गत सर्वाधिक क्षेत्र सम्मिलित था जिसके कारण तुलनात्मक दृष्टि से इसके अन्तर्गत कम वृद्धि हुई है ।

### सारणी 6.3

कटिहार प्रखण्ड में विभिन्न फसलों में वृद्धि दर (1951-1991)

(क्षेत्रफल एकड़ में)

क्र०स०	वर्ष	भदई प्रतिशत	अगहनी प्रतिशत	रबी प्रतिशत	गरमा प्रतिशत	योग सकल क्षेत्र
1	1951	24.04	63.78	6.83	5.35	18159
2	1961	25.51	54.46	14.46	5.57	29312
3	1971	26.98	44.22	17.57	11.23	38333
4	1981	26.08	42.22	20.16	11.54	44550
5	1991	25.70	40.77	21.05	12.49	54113
वृद्धि (% में)		190.38%	101.04%	738.93%	552.7%	197.99%

#### 6.2(अ) भदई फसलों का शस्य प्रतिरूप -

धान की शीघ्र पकने वाली फसल को स्थानीय कृषक (भदई) कहते हैं । इसकी बुआई जून के अन्तिम सप्ताह एव जुलाई के प्रथम सप्ताह में की जाती है । इस फसल का

कटिहार प्रखण्ड में फसलों (भदई, अगहनी, रबी, गरमा) का विवरण (1951)

(क्षेत्रफल एकड़ में)

क्र०सं०	न्याय पचायत	भदई		अगहनी		रबी		गरमा		सकल कृषित क्षेत्र	
		क्षेत्रफल	प्रतिशत	क्षेत्रफल	प्रतिशत	क्षेत्रफल	प्रतिशत	क्षेत्रफल	प्रतिशत	क्षेत्रफल	प्रतिशत
1	चन्देरी भर्सा	215 86	20 24	511 51	47 49	200 50	18 78	249 86	13 12	1068 11	5 11
2	जगन्नाथपुर	135 79	30 92	188 00	42 81	56 70	12 92	14 71	3 35	439 17	2 43
3	राजपार	123 63	17 81	413 90	60 11	44 62	6 48	107 41	15 60	688 58	3 81
4	रामपुर	65 23	9 13	464 05	69 21	95 75	14 28	45 45	6 78	670 50	3 71
5	जबडा पहाडपुर	101 97	12 16	610 90	72 85	31 45	8 37	55 51	6 62	838 58	4 64
6	बिजौली	458 36	38 78	672 94	60 14	23 49	0 10	10 96	0 98	1118 97	6 54
7	डुमरिया	437 86	34 71	780 22	61 85	10 95	0 98	31 03	2 46	1261 49	6 98
8	महमदिया	80 02	14 24	286 93	51 05	11 73	2 09	99 00	17 62	562 07	3 11
9	बलुआ	174 83	16 48	765 42	72 15	23 66	2 23	33 31	3 14	1060 88	5 87
10	राजभवाडा	120 53	19 11	419 00	66 43	69 20	12 97	3 01	0 49	630 74	3 49
11	दलन	335 62	22 87	843 81	57 50	135 01	9 2	79 68	5 43	1467 52	8 12
12	बेलवा	303 46	29 00	709 78	67 83	82 98	12 93	96 68	9 24	1046 42	5 79

क्रमश

13	बोरनी	256.23	30 23	436 10	51 45	155 29	18 32	8 47	1 00	847 62	4 69
14	दोआसे	391 64	27 5	978 08	68 63	51 08	3 58	4 13	0 29	1425 15	7 88
15	सौरिया	169 10	18 98	665 74	74 72	64 16	7 2	14 25	1 60	890 99	4 93
16	डण्डखोरा	244 74	36 6	323 11	48 32	101 10	15 12	13 24	1 98	668 70	3 70
17	रषेली	112 91	40 57	175 89	63 2	5 14	1 85	1 05	0 38	278 32	1 54
18	हफलागज	70 24	13 31	255 94	48 5	115 36	21 86	6 981	13 33	527 73	2 92
19	मधेपुरा	256 99	21 81	825 08	70 02	45 60	3 87	50 66	4 30	1178 35	6 52
20	परतेली	741 71	55 31	646 76	48 23	32 31	2 41	47 60	3 55	1341 01	7 42
-----											
	योग	4796.72	24.04	10973.16	63 78	1356.08	1033.75	5.35		18159 71	
-----											

स्रोत जिला सांख्यिकीय कार्यालय कटिहार (बिहार)

# KATIHAR PRAKHAND AREA UNDER TOTAL BHADAI CROPPING 1991




Fig 6.2

प्रतिशत 25 60% (13926 95 एकड) है । प्रखण्ड स्तर पर भदई के अन्तर्गत क्षेत्रीय विभिन्नता मिलती है । भदई के अन्तर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल न्याय पचायत परतेली (53 30%) तथा न्यून प्रतिशत न्याय पचायत जबडा पहाडपुर मे (11 93%) देखने को मिलता है । सकल कृषित क्षेत्र के आधार पर वरीयता क्रम मे न्याय पचायत रघेली (38 57%), डुमरिया (35 71%), दोआसे (34 8%), डण्डखोरा (34 7%), बिजैली (32 42%), बोरनी (32 21%), जगन्नाथपुर (28 33%), दलन (25 21%), बेलवा (24%) एव राजपारा (20 94%) है । शेष सभी न्याय पचायतों के अन्तर्गत भदई फसल 20% से कम क्षेत्र मे सम्मिलित है । वर्ष 1951 से 91 (सारणी 6 2 एव 6 4) के तुलनात्मक अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि कटिहार प्रखण्ड के अन्तर्गत चार दशकों मे 190% की वृद्धि हुई है । अध्ययन क्षेत्र के भदई फसल के वृद्धि का अध्ययन पाँच वर्गों मे बाँटकर किया गया है -

1. **निम्न वृद्धि** - इसके अन्तर्गत 125 से निम्न वृद्धि वाले न्याय पचायतों के सम्मिलित किया गया है । इस वर्ग मे वृद्धि 101% से ऊपर है । इसके अन्तर्गत न्याय पचायत सौरिया, रघेली और मधेपुरा सम्मिलित है । चूँकि यह क्षेत्र कोशी की सहायक नदियों के प्रभाव क्षेत्र मे है, अत इनमे वृद्धि का स्वरूप निम्न कोटि का है ।
2. **सामान्य वृद्धि** - इसके अन्तर्गत 125-150% वाले क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है । इसके अन्तर्गत न्याय-पचायत बिजैली, बलुआ तथा बेलवा सम्मिलित है । सामान्यतया ये क्षेत्र भी नदियों की बडी बाढों से प्रभावित होते रहते है, अत इनके अन्तर्गत सामान्य वृद्धि स्वरूप देखने को मिलता है ।
3. **मध्यम वृद्धि** :- इसके अन्तर्गत 150-175% वाले न्याय - पचायत को सम्मिलित किया गया है, जिसमे चन्देली भर्ग, और रघेली सम्मिलित है । उपर्युक्त दोनों की तुलना मे इन न्याय-पचायतों मे अनुकूल दशाएँ मिलती है । अति वृष्टि से अत्यधिक जल-जमाव के कारण फसले प्रभावित होती है । अपेक्षाकृत जल निकास की समस्या भी इस क्षेत्र में देखने को मिलती है ।

4. **उच्च वृद्धि** - इस श्रेणी के अन्तर्गत 175-200% वृद्धि वाले न्याय पंचायत को सम्मिलित किया गया है। इसके अन्तर्गत न्याय पंचायत जगन्नाथपुर, जबडा पहाडपुर, डुमरिया तथा राजभवाडा सम्मिलित है। समतल धरातल सिंचाई की पर्याप्त सुविधा के साथ ही बाँगर क्षेत्र सम्मिलित है। बड़ी बाढ़ों से अपेक्षाकृत कम प्रभावित होता है, जिसके कारण इस क्षेत्र को उच्च प्रतिशत वृद्धि प्राप्त है।

5. **उच्चतम वृद्धि** - इस श्रेणी के अन्तर्गत 200% से अधिक वृद्धि वाले न्याय पंचायतों को सम्मिलित किया गया है। इस कोटि में अध्ययन क्षेत्र के आठ न्याय-पंचायत सम्मिलित है। सर्वाधिक वृद्धि न्याय पंचायत रामपुर में 337.68 है। इसके अतिरिक्त न्याय पंचायत राजपारा, महमदिया, दलन, बोरनी गोरगामा, दोआसे, हफलागज और परतेली है।

इनमें अधिकांश न्याय पंचायत शहरी क्षेत्र कटिहार से सन्निकट है। इसके अतिरिक्त उर्वर मृदा, उच्च कृषि तकनीक के अलावे अपेक्षाकृत उच्च धरातलीय स्वरूप वाले क्षेत्र है, जहाँ नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता। साथ ही जल निकास की भी पर्याप्त सुविधा है। सभी प्रकार से कृषि के लिए यह अनुकूल क्षेत्र है। अतः इन न्याय पंचायतों में उच्चतम वृद्धि हुई है।

#### (ब) ग्राम स्तर पर भदई फसलों का क्षेत्रीय वितरण -

ग्राम स्तर पर न्यूनतम 4.08% से लेकर उच्चतम 47.95% तक क्षेत्र भदई फसलों के अन्तर्गत लगा हुआ है, (चित्र सख्या 6.2) ग्राम स्तर पर भदई फसलों के क्षेत्रीय वितरण को पाँच भागों में वर्गीकृत कर अध्ययन किया गया है (सारणी - 6.5)।

1. **उच्चतम श्रेणी** - (>40%) से अधिक वाले भदई फसल के अन्तर्गत 19 गाँव (15.2%) सम्मिलित है। इनमें सबसे अधिक सात गाँव न्याय पंचायत परतेली में सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त न्याय पंचायत रषेली में (5), डुमरिया में (2) तथा चन्देल एव महमदिया, बलुआ, बोरनी, डण्डखोरा में एक-एक गाँव प्राप्त है। इन न्याय पंचायतों के गाँवों में भदई फसल की लोकप्रियता का मुख्य कारण मटियार-दोमट मिट्टी तथा शहरी सन्निकटता है,



## सारणी 6 5

कटिहार प्रखण्ड ग्राम्य स्तर पर भदई फसलों का क्षेत्रीय वितरण (1991)

क्र० सं०	न्याय पचायत	उच्चतम >40	उच्च 30-40	मध्यम 20-30	निम्न 10-20	निम्नतम <10
1	चन्देली भर्मा	1	1	1	3	3
2	जगन्नाथपुर	-	2	2	-	-
3	राजपारा	-	-	3	6	1
4	रामपुर	-	-	-	3	-
5	जबडा पहाडपुर	-	-	-	3	4
6	बिजेली	-	4	1	-	-
7	डुमरिया	2	2	1	2	-
8	महमदिया	1	1	-	4	1
9	बलुआ	1	-	1	3	3
10	राजभवाडा	-	-	2	2	-
11	दलन	-	2	-	-	-
12	बेलवा	-	2	-	-	-
13	बोरनी	1	2	-	4	-
14	दोआसे	-	2	1	1	1
15	सौरिया	-	-	3	2	1
16	डण्डखोरा	1	-	1	-	-
17	रघेली	5	3	2	1	-
18	हफलागज	-	-	1	1	-
19	मधेपुरा	-	-	-	8	2
20	परतेली	7	1	-	1	-
<b>योग</b>		<b>19</b>	<b>22</b>	<b>21</b>	<b>46</b>	<b>17</b>
<b>प्रतिशत</b>		<b>15.2%</b>	<b>17.6%</b>	<b>16.8%</b>	<b>36.8%</b>	<b>13.6%</b>

इसके साथ ही उर्वरक मुदा एव अन्यान्य सुविधाओं के कारण प्रतिशत उच्चतम है । शहरी क्षेत्र कटिहार के पूर्वी भाग में तथा अध्ययन क्षेत्र के पूर्वी सीमान्त क्षेत्रों में उच्चतम गहनता के कृष्य क्षेत्र भदई फसल के अन्तर्गत दृष्टव्य है । मध्यवर्ती भाग में भी छिट-पुट रूप में उच्चतम प्रतिशत के क्षेत्र प्राप्त है (चित्र सख्या - 6 2) ।

2. **उच्च श्रेणी** :- (30-40%) के अन्तर्गत 17.6% (22 गाँव) सम्मिलित है । इसके अन्तर्गत सर्वाधिक सख्या न्याय पचायत बिजेली में प्राप्त है । इसके पश्चात् दूसरे स्थान पर न्याय पचायत रघेली है, जहाँ गाँवों की सख्या तीन है । न्याय पचायत दोआसे, बोरनी, बेलवा, दलन, डुमरिया तथा जगन्नाथपुर में क्रमश दो-दो गाँवों में तथा महमदिया, चन्देली एव परतेली में क्रमश एक-एक गाँव इस वर्ग में सम्मिलित है । इन उक्त सभी गाँवों में भदई के लिए अनुकूलतम दशाएँ पाई जाती है । इस वर्ग के अधिकांश गाँव शहरी क्षेत्र से लगे हुए मिलते हैं । पूर्वी सीमान्त क्षेत्रों से लगी पेटी के रूप में उच्च वर्ग के क्षेत्र विस्तृत है । मध्यवर्ती भाग में भी उच्च श्रेणी के भू-क्षेत्र यत्र-तत्र देखने को मिलते हैं - (चित्र सख्या- 6 2)

3. **मध्यम श्रेणी** :- (20-30%) के अन्तर्गत अध्ययन क्षेत्र के 16.8% (21 गाँव) सम्मिलित है । इसके अन्तर्गत सर्वाधिक तीन गाँव न्याय पचायत सौरिया एव राजपारा के गाँव सम्मिलित हैं । इसके अतिरिक्त जगन्नाथपुर, राजभवाडा, बेलवा तथा रघेली न्याय पचायतों के दो-दो गाँव इस श्रेणी में प्राप्त हैं तथा न्याय पचायत चन्देली, बिजेली, डुमरिया, बलुआ, दाआसे, डण्डखोरा तथा हफलागज के क्रमश एक-एक गाँव इस श्रेणी में प्राप्त हैं ।

4. **निम्न श्रेणी** - (10-20%) के अन्तर्गत 36.8% (46 गाँव) सम्मिलित है । इसके अन्तर्गत सर्वाधिक आठ गाँव मधेपुरा न्याय पचायत में प्राप्त हैं । दूसरा स्थान राजपारा का है, जहाँ 6 गाँव इस श्रेणी में सम्मिलित हैं । महमदिया तथा बोरनी न्याय पचायतों के चार-चार गाँव इस श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं । इस श्रेणी के अन्तर्गत अधिक गाँव आने का मुख्य कारण प्रतिवर्ष बाढ़ विभीषिका है तथा कोशी, कमला, गिदरी, सौरा आदि सहायक नदियों द्वारा धरातल ऊबड़-खाबड़ कर दिया गया है । न्याय पचायत जगन्नाथपुर, बिजेली, दलन, डण्डखोरा में इस श्रेणी के अन्तर्गत कोई गाँव नहीं है ।

5. **निम्नतम श्रेणी** - ( $<10\%$ ) इसके अन्तर्गत 17 गाँव सम्मिलित है। सर्वाधिक संख्या जबडा पहाडपुर मे 4 पाई जाती है । इसके पश्चात् न्याय पचायत बलुआ मे तीन गाँव तथा मधेपुरा, सौरिया, दोआसे, बेलवा, महमदिया, राजापारा मे केवल एक गाँव इसके अन्तर्गत मिलते है । अध्ययन क्षेत्र के ये गाँव भी कोसी एव उसकी सहायक नदियों से प्रभावित होते रहते है । इस श्रेणी का प्रसार अध्ययन क्षेत्र के उत्तरी-पश्चिमी भाग, मध्यवर्ती तथा दक्षिणी-पूर्वी क्षेत्रो मे है । इस प्रकार अध्ययन क्षेत्र के अन्तर्गत निम्न एव निम्नतम श्रेणी के अन्तर्गत लगभग 50% से अधिक गाँव (63) मिलते है । इन वर्गों मे अधिक गाँव होने के मुख्य कारण यह है कि वर्षा काल मे इन क्षेत्रो मे बार-बार बाढों से धन-जन की हानि होती है यहाँ कृषक इसी कारण भदई फसलों के अन्तर्गत बहुत कम क्षेत्र रखना चाहते है । उदाहरण के लिए भेगुआ (4 58%), हरषेली (4 08%), छोटकी रतनी (5 67%), बलुआ (4 84%), मिरचाई (6 19%), मषैली (6 64%), मथुरापुर (6 2%) आदि ऐसे गाँव है जहाँ भदई क्षेत्र के अन्तर्गत सकल बोये गये क्षेत्र के (7%) से कम भू-भाग सम्मिलित हैं । भदई के अन्तर्गत सबसे महत्वपूर्ण फसल धान है जिसका विस्तार सकल क्षेत्र का 13 35% (7224 एकड) है, जो अध्ययन क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण फसल है । इसकी कृषि सबसे अच्छी मुदा मे की जाती है । इसका विस्तार न्याय-पचायत स्तर पर सभी भागों मे मिलता है ।

इस क्षेत्र की दूसरी महत्वपूर्ण फसल मक्का है जो सकल कृषित क्षेत्र का 5 25% (2845 एकड) पर उत्पन्न किया जाता है । मक्के की फसल उन भागों मे की जाती है जहाँ मिट्टी बलुई प्रकार की मिलती है तथा जल निकास की उत्तम व्यवस्था मिलती है । इस फसल के लिए शुष्क - आर्द्र जलवायु उपयुक्त होती है । मक्के की खेती अध्ययन क्षेत्र मे तीन बार ली जाती है । पहले की अपेक्षा मक्के के क्षेत्र मे कमी आई है । इसकी उपज छिट-पुट रूप मे अध्ययन क्षेत्र के सभी न्याय पचायत मे उत्पन्न की जाती है ।

व्यावसायिक फसल के रूप मे पटसन महत्वपूर्ण उपज है । चूँकि कटिहार जूट उद्योग मे अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है इसलिए यहाँ पर इस उद्योग के लिए भरपूर पटसन उत्पन्न किया जाता है । यहाँ पर आज से लगभग 80 वर्ष पूर्व पटसन उद्योग शुरू किया गया था । इस उद्योग का प्रभाव पटसन की खेती पर भी पडा पटसन की कीमत बढ़ने के साथ ही क्षेत्र-विस्तार भी हो जाता है -

वर्ष 1991-92 में सकल कृषित क्षेत्र का 39.8% (2153 एकड़) क्षेत्र पटसन की खेती में सम्मिलित था। क्षेत्र में इस फसल की सकल खेती मटियार, दोमट प्रकार की मिट्टी में की जाती है। हरी शाक-सब्जियों की खेती 5.4% (836 एकड़) क्षेत्र पर की जाती है। गाँव के समीपस्थ उर्वक भूमियों पर तरकारी की खेती की जाती है। इसके अन्तर्गत मुख्य रूप से नेनुआ, करैला, लोकी, सतपुतिया, बोड़ा आदि उत्पन्न की जाती है -

इन उपर्युक्त उपजों के अतिरिक्त 1.08% (584 एकड़) क्षेत्र पर बाजरे की खेती हुई। प्रायः ऊँची भूमियों पर इसकी खेती अपेक्षाकृत न्यून उर्वरता वाले क्षेत्रों पर ली जाती है।

अध्ययन क्षेत्र में दलहन का प्रतिशत 0.5% (285 एकड़) है जो सबसे कम क्षेत्र में विस्तृत है (सारणी - 66)। इसकी उपज अपेक्षाकृत निम्न प्रकार की उर्वरता वाली भूमियों पर उत्पन्न की जाती है।

इन उपर्युक्त फसलों के अतिरिक्त ज्वार चरी (हरा चारा) शकरकन्द, तिल, मूँग, उरद, कुल्थी आदि फसलों को सम्मिलित किया जाता है जो कटिहार प्रखण्ड के सकल कृषित क्षेत्र के अतिन्यून भाग पर आवश्यकता के अनुरूप बोई जाती है। इन फसलों के अन्तर्गत अपेक्षाकृत कम उपजाऊ भूमि का उपयोग किया जाता है। यत्र-तत्र मक्का-अरहर, बाजरा-अरहर, तथा केले के साथ भी मक्के की खेती का प्रचलन देखने को मिलता है।

### 6-3 (अ) अगहनी फसलों का प्रस्य-प्रतिरूप :-

धान की देर से पकने वाली फसल जडइन या अगहनी की सजा दी जाती है। अध्ययन क्षेत्र में इस फसल की खेती स्थानान्तरण विधि से की जाती है। इस विधि के अन्तर्गत पहले बीज को क्यारियों में बो देते हैं, जब पौधा चार सप्ताह में तैयार हो जाता है तो उन्हें उखाड़कर पहले से तैयार किये गये खेत में तीन-चार पौधों को एक-एक साथ 20-25 सेमी0 के अन्तर पर रोप दिया जाता है। यह विधि अध्ययन क्षेत्र में विशेष लोकप्रिय सिद्ध हुई है। भदई धान की अपेक्षा प्रति एकड़ उत्पादन अधिक होती है। कटिहार प्रखण्ड में अगहनी

## सारणी 6.6

कटिहार प्रखण्ड फसलें (भदई, अगहनी, रबी, गरमा) का वितरण (1991) (क्षेत्रफल एकड़ में)

क्र०स०	फसल	भदई		अगहनी		रबी		गरमा		कुल सकल क्षेत्रफल	कुल सकल क्षेत्रफल % में
		क्षेत्रफल	सकल कृ० का प्रतिशत	क्षेत्रफल	सकल कृ०का	क्षेत्रफल	सकल कृ०का	क्षेत्रफल	सकल कृ०का		
1	धान	7224		14835				3321		25380	
	प्रतिशत	51 87	13 35	67 24	27 41			49 21	6 14		46.90
2	मक्का	2845				2134		1054		6033	
	प्रतिशत	20 43	5 25			18 76	3 94	15 62	1 95		11 15
3	बाजरा	585								585	
	प्रतिशत	4 19	1 08								1 08
4	दलहन	285		5215		1655		875		8030	
	प्रतिशत	2 05	0 50	23 64	9 64	14 55	3 06	12 96	1 62		14 84
5	तरकारी	836		2011		1528				4375	
	प्रतिशत	6 00	1 54	9 13	3 72	13 43	2 82				8.08
6	पटसन	2153								2153	
	प्रतिशत	15 46	3 98								3 98
7	तिलहन	-	-			784				784	
	प्रतिशत					6 89	1 54				1 45
8	गेहूँ	-	-			5275				5275	
	प्रतिशत					46 37	9 75				9.75
9	फल	-	-					1499		1499	
								22 21	2 77		2 77
		13927		22061		11376		6749		54113	
		100 00	25 70	100 00	40.77	100 00	21.95	100 00	12.48		100.00

स्रोत - प्रखण्ड कार्यालय कटिहार, बिहार ।

धान की खेती उन खेतों में की जाती है जहाँ हमेशा आर्द्रता बनी रहती है । इस फसल की कृषि अध्ययन क्षेत्र में विशेषकर निम्न धरातल वाली भूमियों पर मटियार मिट्टी के क्षेत्रों जहाँ आर्द्रता पर्याप्त होती है, उत्पन्न की जाती है ।

अध्ययन क्षेत्र में अगहनी धान की खेती के अन्तर्गत सकल कृषित क्षेत्र का 40.7% (22061 एकड़) क्षेत्र पर की जाती है । अध्ययन क्षेत्र में भदई धान के अपेक्षा अगहनी धान की खेती अधिक भू-भाग (15%) पर की जाती है । न्याय पंचायत स्तर पर वितरण प्रतिरूप के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि इस फसल की खेती के सान्द्रण में न्याय-पंचायत स्तर विभिन्नता परिलक्षित होती है । सर्वाधिक सान्द्रण न्याय पंचायत सौरिया में 60.4% तथा न्यूनतम न्याय पंचायत परतेली में 16.62% प्राप्त है । इसके अलावा अतिरिक्त क्रमानुसार इनका क्षेत्रीय वितरण न्याय पंचायत बलुआ (58.15%), राजभवाड़ा (56.67%), जबड़ा पहाड़पुर (50.25%), रघेली (50.3%), बेलवा (49.79%), दोआसे (48.8%), मधेपुरा (48.02%), दलन (43.03%), बिजेली (42.14%), एच रामपुर (41.04%) के भू-क्षेत्र पर अगहनी फसल की खेती की जाती है । न्याय-पंचायत राजपारा, महमदिया, डुमरिया में 30-40% के मध्य कृषि क्षेत्र पर अगहनी धान की खेती की जाती है । शेष न्याय पंचायतों में चन्देली भर्मा, जगन्नाथपुर, बोरनी, डण्डखोरा, हफलागज तथा परतेली में अगहनी धान की खेती 30% से कम भू-क्षेत्र पर की जाती है । इस प्रकार इस फसल के अन्तर्गत न्याय पंचायत -स्तर पर क्षेत्रीय भिन्नता देखने को मिलती है ।

वर्ष 1951-91 की तुलनात्मक अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि अध्ययन क्षेत्र में अगहनी धान में 101.04% की वृद्धि हुई है (सारणी 6.2 और 6.4) अधिकतम वृद्धि 152.52% न्याय पंचायत राजभवाड़ा में तथा न्यूनतम 8.27% न्याय पंचायत परतेली में देखने को मिलती है । कटिहार प्रखण्ड के अगहनी फसल को वृद्धि स्वरूप पाँच वर्गों में बाँटकर अध्ययन प्रस्तुत किया गया है ।

1. अति न्यून वृद्धि -- (<100%) इसके अन्तर्गत 9 न्याय पंचायत सम्मिलित है - जिसमें चन्देली, जगन्नाथपुर, जबड़ा पहाड़पुर, डुमरिया, बोरनी, डण्डखोरा, रघेली, हफलागज

# KATIHAR PRAKHAND AREA UNDER TOTAL AGAHANI CROPPING

1991




Fig.6.3

तथा परतेली न्याय पचायत है । चूँकि इन न्याय पचायतों में भदई धान के क्षेत्र का प्रतिशत अपेक्षाकृत अधिक है, जिसके कारण अगहनी धान के अन्तर्गत निम्न प्रतिशत मिलता है ।

**2. न्यून वृद्धि :-** (100-200%) इस प्रतिशत वृद्धि के अन्तर्गत पाँच न्याय पंचायत सम्मिलित है। इनमें न्याय पचायत जगन्नाथपुर, रामपुर, बिजैली, दोआसे एव मधेपुरा है । इन न्याय-पचायतों के अन्तर्गत अपेक्षाकृत उच्च भूमियों पर जहाँ मटियार दोमट प्रकार की मिट्टी हैं, वहाँ भदई धान की खेती लोकप्रिय है । अतः इस श्रेणी में उन भू-भागों को रखा गया है, जहाँ निम्न धरातलीय भू-भागों पर पर्याप्त आर्द्रता मिलती है और अगहनी धान की खेती की जाती है ।

**3. मध्यम वृद्धि :-** (120-140%) इसके अन्तर्गत चार न्याय पचायत सम्मिलित है जिसमें महमदिया, दलन, बेलवा और सौरिया प्रमुख है । इन न्याय-पचायतों में अपेक्षाकृत निम्न धरातलीय भू-भाग का क्षेत्र प्रतिशत अधिक है । उपजाऊ , समतल, मटियार मिट्टी का क्षेत्र विस्तृत है । आर्द्रता भी पर्याप्त मिलती है । अतः अगहनी धान की खेती की जाती है -

**4. उच्च वृद्धि -** (>140%) इसके अन्तर्गत न्याय पचायत बलुआ और राजभवाडा को सम्मिलित करते हैं । उपर्युक्त सभी क्षेत्रों की तुलना में इन न्याय पचायतों के अन्तर्गत अगहनी धान की खेती के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएँ विद्यमान हैं । बाढ़ों एवं जल जमाव से भी फसल पूर्णतया वंचित रहती है, जबकि उपर्युक्त के अन्तर्गत बाढ़ों एवं जल-जमाव से फसलें विशेष रूप से प्रभावित हो जाती हैं ।

**(ब) ग्राम्य स्तर पर अगहनी फसलों का क्षेत्रीय वितरण -**

गाँव स्तर पर भी अगहनी फसल के क्षेत्रीय वितरण में विभिन्नता मिलती है । न्याय पचायत परतेली के बेगना गाँव में इस फसल के अन्तर्गत न्यूनतम 4.23% क्षेत्र सलग्न है जबकि राजापारा न्याय पचायत के ग्राम सपनी में इस फसल के अन्तर्गत 79.55% क्षेत्र सम्मिलित है । इस प्रकार ग्राम्य स्तर पर अगहनी फसल की क्षेत्रीय वितरण को पाँच श्रेणियों में बाँटकर वितरण प्रतिरूप को प्रदर्शित किया गया है (चित्र स0 -6.3 एवं सारणी स0 -6.7) ।



## सारणी 67

कटिहार प्रखण्ड ग्राम्य स्तर पर अगहनी फसलों का क्षेत्रीय वितरण (1991)

क्र०स०	न्याय पचायत	उच्चतम >60	उच्च 45-60	मध्यम 15-45	निम्न 5-30	निम्नतम <15
1	चन्देली भर्सा	-	2	4	3	-
2	जगन्नाथपुर	-	-	3	1	-
3	राजपारा	2	1	3	3	1
4	रामपुर	1	-	2	-	-
5	जबडा पहाडपुर	-	6	1	-	-
6	बिजैली	-	1	4	-	-
7	डुमरिया	-	1	3	3	-
8	महमदिया	-	3	2	2	-
9	बलुआ	3	2	3	-	-
10	राजभवाडा	1	2	-	-	1
11	दलन	-	-	2	-	-
12	बेलवा	1	2	3	1	-
13	बोरनी	1	1	2	1	2
14	दोआसे	1	3	1	-	-
15	सोरिया	1	5	-	-	-
16	डण्डखोरा	-	-	-	2	-
17	रघेली	-	5	4	2	-
18	हफलागज	-	-	-	2	-
19	मधेपुरा	3	3	3	1	-
20	परतेली	-	-	3	2	4
<b>योग</b>		<b>14</b>	<b>37</b>	<b>43</b>	<b>23</b>	<b>8</b>
<b>प्रतिशत</b>		<b>11.2%</b>	<b>29.6%</b>	<b>34.4%</b>	<b>18.4%</b>	<b>6.4%</b>

1. **उच्चतम श्रेणी :-** (>60%) इसके अन्तर्गत 11.2% (14 गाँव) सम्मिलित हैं । इस श्रेणी के अन्तर्गत सर्वाधिक गाँव बलुआ और मधेपुरा में क्रमशः 3-3 एवं राजपारा में दो तथा रामपुर, राजभवाडा, बेलवा, बोरनी, दोआसे, सौरिया में 1-1 गाँव सम्मिलित है । शेष न्याय पंचायतों के कोई भी गाँव इस श्रेणी में सम्मिलित नहीं है । अगहनी धान के अन्तर्गत उच्चतम प्रतिशत उन भू-भागों में देखने को मिलता है, जहाँ अपेक्षाकृत धरातल निम्न है, मिट्टी मटियार प्रकार की है और जहाँ मिट्टी में पर्याप्त आर्द्रता बनी रहती है । इसके साथ ही इस प्रतिशत वाले क्षेत्र में जलाभाव की स्थिति में सिंचाई की सुविधा भी सुलभ है अतः उच्चतम प्रतिशत इस फसल के अन्तर्गत मिलती है ।

2. **उच्च श्रेणी :-** (45-60%) इसके अन्तर्गत 30% (37) गाँव सम्मिलित है । इस श्रेणी के अन्तर्गत सर्वाधिक 6 गाँव जबडा पहाडपुर, तथा 5-5 गाँव सौरिया और रघेली न्याय पंचायतों में मिलते हैं । महमदिया, दोआसे, मधेपुरा न्याय - पंचायतों के अन्तर्गत तीन गाँव इस श्रेणी में सम्मिलित है । बोरनी, डुमरिया, बिजेली तथा राजपारा की एक-एक गाँव इस कोटि में प्राप्त है । उच्च प्रतिशत क्रम उन्हीं गाँवों को प्राप्त है जहाँ इस फसल के लिए भौगोलिक दशाएँ अनुकूल हैं, अर्थात् समतल धरातल, उर्वर मटियार मिट्टी तथा पर्याप्त आर्द्रता विद्यमान हो ।

3. **मध्यम श्रेणी -** (30-45%) इसके अन्तर्गत 34.4% (43) गाँव सम्मिलित हैं । इस श्रेणी क्रम में सर्वाधिक चार गाँव चन्देली भर्मा, बिजेली, रघेली, न्याय पंचायतों में प्राप्त है जगन्नाथपुर, राजपारा, बिजेली, बलुआ, बेलवा, मधेपुरा, परतेली के तीन-तीन गाँव सम्मिलित है । बड़ी बाढ़ों से एवं जल-जमाव से फसलें नष्ट हो जाती हैं । सिंचाई की सुविधा भी पर्याप्त नहीं है । अतः इस भाग में सूखा से फसलें प्रभावित होती रहती हैं ।

4. **निम्न श्रेणी -** (15-30%) इसके अन्तर्गत 18.4% (30%) गाँव सम्मिलित है । इस वर्ग में सर्वाधिक 3-3 गाँव चन्देली भर्मा, राजपारा तथा डुमरिया न्याय पंचायत में मिलते हैं परतेली, हफलागज, रघेली, सौरिया, महमदिया न्याय पंचायतों के अन्तर्गत दो-दो गाँव सम्मिलित है । मधेपुरा, बोरनी, बेलवा तथा जगन्नाथपुर के 1-1 गाँव इस श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं ।

जल-जमाव एव नदियों की बाढ़ों से फसलें नष्ट होती रहती है । इसलिए इस श्रेणीक्रम में उक्त गाँव के अन्तर्गत अपेक्षाकृत कम प्रतिशत मिलता है ।

**5. निम्नतम श्रेणी - (<15%)** इसके अन्तर्गत 6 4% (8) गाँव दुर्गापुर, बघोर, डहेरिया, बेगना, बोरनी गोरगामा, राम बहादुर पुर, कदेपुरा आदि मिलते हैं । ये गाँव अध्ययन क्षेत्र के मध्यवर्ती पश्चिमी तथा दक्षिणी भागों में विस्तृत हैं । कोशी और उसकी सहायक नदियों की बाढ़ों से तथा अतिवृष्टि के कारण अत्यधिक जल, जमाव के कारण इस श्रेणी के अन्तर्गत अपेक्षाकृत न्यूनतम भू-क्षेत्र सम्मिलित है । धीरे-धीरे अगहनी धान के क्षेत्रों में भदई धान की उन्नतशील जातियों की खेती भी शुरू हो गयी है ।

#### **6.4 (अ) रबी फसलों का अस्य प्रतिरूप -**

रबी फसल के अन्तर्गत कई महत्वपूर्ण फसलें उगाई जाती हैं । वर्ष 1991 में सकल बोये गये क्षेत्रफल का 21% (11376 14 एकड़) क्षेत्र पर लगा हुआ है जो अध्ययन क्षेत्र के भदई एव अगहनी की अपेक्षा कम है, लेकिन रबी फसलों से कृषकों को महत्वपूर्ण खाद्यान्नों की प्राप्ति होती है ।

रबी के फसलों के अन्तर्गत गेहूँ, दलहन (चना, मटर) जौ, तिलहन, हरी सब्जियाँ एव मक्का प्रमुख हैं, जिनकी बुआई अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से लेकर नवम्बर के प्रथम सप्ताह तक की जाती है । ये फसलें मार्च अप्रैल तक पक कर तैयार हो जाती हैं ।

रबी फसल के अन्तर्गत न्याय पचायत स्तर पर पर्याप्त विभिन्नता देखने को मिलता है । (सारणी 6 2) सर्वाधिक क्षेत्र न्याय पचायत हफलागज में 34 86% प्राप्त है तथा अध्ययन क्षेत्र के अन्तर्गत न्यून क्षेत्र न्याय पचायत रषैली में 7 35% है । इसके अतिरिक्त चन्देरी भर्मा (33 86%), रामपुर (31 84%), बोरनी (31 66%), जगन्नाथपुर (3 26%) न्याय पंचायतों के क्षेत्र रबी फसलों के अन्तर्गत सम्मिलित हैं । न्याय पचायत मधेपुरा, डण्डखोरा, राजभवाडा, बलुआ के अन्तर्गत कृषित क्षेत्र 20-30% के मध्य सम्मिलित है जबकि शेष न्याय पंचायतों में रबी फसलों के अन्तर्गत 20% से कम क्षेत्र सम्मिलित है जिनमें रषैली, परतेली, दोआसे, सौरिया,

बेलवा, बिजौली, राजपारा, जबडा-पहाडपुर, डुमरिया, महमदिया एव दलन न्याय पचायत है।

रबी मे वर्ष 1951-91 (चार दशकों) के दौरान 738 89% की वृद्धि दृष्टव्य है (सारणी 6 2 और 6 4) । सबसे उच्च वृद्धि न्याय पचायत परतेली मे 2484.33% की है । जबकि न्यून वृद्धि न्याय पचायत हफलागज मे 338 02% की है । भदई एवं अगहनी की तुलना मे रबी की फसल के अन्तर्गत अत्यधिक वृद्धि हुई है । अध्ययन क्षेत्र मे प्रतिशत वृद्धि को पाँच वर्गो मे विभाजित कर वृद्धि को स्पष्ट किया गया है ।

1. सामान्य वृद्धि - (<500) के अन्तर्गत हफलागज, डण्डखोरा, बोरनी, दलन एव चन्देली भर्ना न्याय पचायत सम्मिलित है । ये असमतल धरातल के साथ ही प्रतिवर्ष नदियों की बाढ तथा अक्टूबर, नवम्बर महीने मे अतिवृष्टि तथा न्यून धरातल के कारण इन भागों मे रबी फसलों के अन्तर्गत न्यून प्रतिशत प्राप्त है । इसके साथ ही सिचाई की सुविधा भी इन न्याय पचायतों मे अपेक्षाकृत कम है ।

2. उच्च वृद्धि - (500-1000%) के अन्तर्गत रघेली, सौरिया, दोआसे, बेलवा, राजभवाडा, डुमरिया, रामपुर, राजपारा, जगन्नाथपुर न्याय पचायत सम्मिलित है । इस श्रेणी मे प्रखण्ड के लगभग 1/2 न्याय पचायत सम्मिलित है । हरित क्रांति के फलस्वरूप रबी फसल के अन्तर्गत तीव्र वृद्धि हुई है । यह वृद्धि मुख्य रूप से नदई कृषि पद्धति, नवीन कृषि यन्त्रों-उपकरणों, अत्यधिक उत्पादन देने वाले बीजों , कीटनाशक दवाओं तथा सिचाई की सुविधा के फलस्वरूप हुई है । भदई एव अगहनी की तुलना मे सरकारी तंत्र के द्वारा रबी फसलों के क्षेत्र मे वृद्धि की गई । कम ब्याज पर कृषकों को सिंचाई सुविधाओं हेतु ऋण प्रदान किया गया, जिसके फलस्वरूप रबी फसलों के अन्तर्गत तीव्र वृद्धि हुई है ।

3. उच्चतम वृद्धि - (>1000%) के अन्तर्गत परतेली, मधेपुरा, बलुआ, महमदिया, बिजौली, न्याय पचायतों को सम्मिलित करते है । यहाँ सभी प्रकार की भौगोलिक दशाएँ रबी फसल के लिए अनुकूल सिद्ध हुई । अत रबी फसलों की लोकप्रियता बढी है । कृषक इसके क्षेत्र विस्तार की ओर भी उन्मुख हुए । इसके साथ ही भदई एव अगहनी की फसलें बाढों, जल-जमाव आदि के कारण नष्ट हो जाया करती है, जो इस कमी की पूर्ति कृषक रबी की फसलों

से करते हैं। इन न्याय पंचायतों के अन्तर्गत नदियों द्वारा लाई गई कॉप मिट्टी से निर्मित समतल धरातल जिसकी उर्वरा शक्ति उच्च कोटि की है। दोमट, बलुआर-दोमट मिट्टी का विस्तार है। नहरों एवं बॉस बोरिंग (व्यक्तिगत नलकूप) की अधिकता के कारण इन न्याय पंचायतों के अन्तर्गत उच्चतम वृद्धि मिलती है। इस क्षेत्र में किसानों का विशेष झुकाव रबी के फसलों के उत्पादन के प्रति सन् 1970 के उपरन्त हुआ है। इसके पूर्व यह धान प्रधान क्षेत्र था। लोगों का मुख्य झुकाव जीविकोपार्जन हेतु धान के ही प्रति था लेकिन 1970 के दशक से उनका झुकाव रबी फसलों के प्रति भी हुआ और रबी फसलों की कृषि की ओर अग्रसारित होते रहे हैं। परिणामस्वरूप आज अध्ययन क्षेत्र की मुख्य फसल रबी भी हो गयी है।

**(ब) ग्राम्य स्तर पर रबी फसलों का वितरण प्रतिरूप :-**

ग्राम्य स्तर पर रबी फसलों के वितरण में विभिन्नता मिलती है। ग्राम स्तर पर अधिकतम प्रतिशत एराजी-महकौल में 48.64% बोरनी गोरगामा गाँव में 45.9%, देवखंड में 43.06% है। वहीं दूसरे तरफ अति न्यून सपनी (6.62%) जबड़ा (7.8%), भवानीपुर (5.9%), कजरी (7.0%), पिपरा (2.23%), खण्डपैली (1.25%), बुधैली (3.45%), महुआ (6.7%) और रवैली (4.20%), छपरा (5.87%), तरजन्ना (5.25%), दुर्गापुर (4.0%) का भू-क्षेत्र रबी फसलों के अन्तर्गत सम्मिलित है। इस प्रकार ग्राम्य स्तर पर 45% से ऊपर तथा 5% से नीचे (सकल कृषित क्षेत्र के) भू-क्षेत्र रबी फसलों के अन्तर्गत सम्मिलित है (सारणी - 6.8)। अतः इनमें ऊँची भिन्नता मिलती है। ग्राम्य - स्तर पर अध्ययन हेतु कटिहार प्रखण्ड के रबी फसल के अन्तर्गत गाँवों को चार श्रेणियों में विभाजित कर विश्लेषण किया गया है। (चित्र संख्या - 6.4)।

1. **उच्चतम श्रेणी :- (>30%)** इसके अन्तर्गत प्रखण्ड के 15.2% (19) गाँव सम्मिलित हैं। इस श्रेणी में सर्वाधिक गाँव न्याय पंचायत बोरनी गोरगामा एवं बलुआ के क्रमशः 3-3 गाँव मिलते हैं। न्याय पंचायत राजपारा, बेलवा, तथा हफलागंज के दो-दो गाँव इस कोटि में सम्मिलित हैं। न्याय पंचायत जगन्नाथपुर, महमदिया, राजभवाड़ा, डण्डखोरा और मधेपुरा के 1-1 गाँव इस कोटि में हैं। अन्य न्याय पंचायतों में एक भी गाँव इस कोटि

## सारणी 68

कटिहार प्रखण्ड ग्राम्य स्तर पर रबी फसलों का क्षेत्रीय वितरण (1991)

क्र०सं०	न्याय पचायत	उच्चतम	उच्च	मध्यम	न्यून
		>30	20-30	10-20	<10
1	चन्देली भर्षा	-	5	4	-
2	जगन्नाथपुर	1	-	2	1
3	राजपारा	2	2	4	2
4	रामपुर	2	-	1	-
5	जबडा पहाडपुर	-	3	3	1
6	बिजैली	-	-	4	1
7	डुमरिया	-	3	4	-
8	महमदिया	1	1	2	3
9	बलुआ	3	1	4	-
10	राजभवाडा	1	2	1	-
11	दलन	-	-	2	-
12	बेलवा	2	2	2	1
13	बौरनी	3	-	2	2
14	दोआसे	-	-	1	4
15	सौरिया	-	2	1	3
16	डण्डखोरा	1	-	1	-
17	रघेली	-	-	5	6
18	हफलागज	2	-	-	-
19	मधेपुरा	1	4	4	1
20	परतेली	-	2	4	3
<b>योग</b>		<b>19</b>	<b>27</b>	<b>51</b>	<b>28</b>
<b>प्रतिशत</b>		<b>15.2%</b>	<b>21.6%</b>	<b>40.8%</b>	<b>22.4%</b>

मे सम्मिलित नहीं है । मानचित्र सख्या - 64 से यह स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र के उत्तरी, पश्चिमी, मध्यवर्ती भागों में तथा नगरी क्षेत्रों के सन्निकट उच्च प्रतिशत वाले गाँव सकेन्द्रित हैं । ये वे गाँव हैं जहाँ पर उर्वर मृदा के साथ ही सिंचाई के साधनों की प्रचुरता है । इसके कारण उच्चतम प्रतिशत क्रम प्राप्त है ।

**2. उच्च श्रेणी :- (20-30%)** इसके अन्तर्गत 21.6% (27) गाँव सम्मिलित हैं । इस वर्ग में सर्वाधिक पाँच गाँव चन्देली भर्मा, मधेपुरा, न्याय पचायतो में अवस्थित हैं । न्याय पचायत जबड़ा-पहाड़पुर, डुमरिया के अन्तर्गत तीन-तीन गाँव विद्यमान हैं । राजपारा, राजभवाड़ा, बेलवा, सौरिया और परतेली में क्रमशः दो-दो गाँव मिलते हैं तथा महमदिया एवं बलुआ न्याय पचायतों के एक-एक गाँव इस कोटि में हैं । ये गाँव अध्ययन क्षेत्र के उत्तरी, मध्यवर्ती भागों में तथा शहरी क्षेत्र के सन्निकट वाले भागों में हैं । इन गाँवों में भी उपर्युक्त की भाँति सभी भौगोलिक सुविधाएँ सुलभ हैं, जिसके कारण उच्च प्रतिशत क्रम को प्राप्त है -

**3. मध्यम श्रेणी - (10-20%)** इसके अन्तर्गत 40.8% (51) गाँव सम्मिलित हैं । सर्वाधिक गाँवों की सख्या न्याय पचायत रघेली में 5 तथा न्याय पचायत परतेली, मधेपुरा, बलुआ, डुमरिया, बिजौली, राजपारा, तथा चन्देली भर्मा में 4-4 गाँव इस कोटि में मिलते हैं जबड़ा-पहाड़पुर में तीन गाँव तथा जगन्नाथपुर, महमदिया, दलन, बेलवा, बोरनी, न्याय पचायतों के अन्तर्गत 2-2 गाँव इस श्रेणी में प्राप्त हैं । न्याय पचायत रामपुर, राजभवाड़ा, दोआसे, सौरिया, डण्डखोरा में क्रमशः एक-एक गाँव इस क्रम में अवस्थित हैं । इस वर्ग के अधिकांश गाँव दक्षिणी-पूर्वी सीमान्त क्षेत्र में तथा दक्षिणी एवं उत्तरी सीमान्त क्षेत्रों में विद्यमान हैं । उपर्युक्त दोनों वर्गों की तुलना में इस श्रेणी के गाँवों में आधुनिक तकनीकी विकास न होने के कारण इनका विकास संभव न हो सका है । - साथ ही इस वर्ग के अन्तर्गत निम्न क्षेत्रफल होने का प्रमुख कारण सिंचाई के साधनों का अभाव है ।

**4. निम्न श्रेणी :- (<10%)** इसके अन्तर्गत 22.4% (28) गाँव सम्मिलित हैं । - इस वर्ग में सर्वाधिक 6 गाँव रघेली, 4 गाँव दोआसे तथा क्रमशः 3-3 गाँव महमदिया, सौरिया तथा परतेली में प्राप्त हैं । राजपारा में दो गाँव तथा जगन्नाथपुर, जबड़ा पहाड़पुर, बिजौली, बेलवा और मधेपुरा न्याय पचायतों के 1-1 गाँव इस कोटि में आते हैं । शेष न्याय पचायतों

के एक भी गाँव सम्मिलित है जहाँ पर धरातल विषम है या अत्यधिक आर्द्रता या सिंचाई की कमी तथा आधुनिक कृषि उपकरणों की कमी के कारण इस कोटि के गाँवों में रबी फसल के अन्तर्गत न्यून प्रतिशत मिलता है ।

इस प्रकार ग्राम्य स्तर पर रबी फसल के अन्तर्गत विशेष भिन्नता दृष्टिगोचर होती है । इस विभिन्नता को आधुनिक उपकरणों, सिंचाई की सुविधाओं तथा कृषि पद्धति प्रणाली व्यवस्था में परिवर्तन करके कम किया जा सकता है ।

रबी फसल के अन्तर्गत मुख्य फसल गेहूँ है जो सकल कृषित क्षेत्र के 97.5% (5275 एकड़) भू-भाग पर उत्पन्न किया जाता है । गेहूँ का क्षेत्र लगभग सभी न्याय-पचायतो में मिलता है, विशेषकर जहाँ धरातल समतल है , मिट्टी दोमट एव बलुआर-दोमट दोनों प्रकार की है । सिंचाई की पर्याप्त सुविधा है । उन भागों में गेहूँ की सफल खेती की जाती है ।

वरीयता क्रम में रबी फसल के अन्तर्गत दूसरी महत्वपूर्ण फसल मक्का है जो कटिहार प्रखण्ड में 39.4% (2134 एकड़) क्षेत्र पर उत्पन्न की जाती है । नई अनुसंधानों से सकर मक्का के बीज आ जाने से वर्ष में तीनबार मक्के की खेती की जा रही है । अध्ययन क्षेत्र में वर्षाकाल में वर्षा की अनिश्चितता, अतिवृष्टि, जल-जमाव आदि के कारणों से इस फसल को विशेष हानि होती थी । इस कमी की पूर्ति कृषकों ने रबी फसल के अन्तर्गत मक्के की बुआई करके पूरी कर ली है । रबी फसल के मक्के से पर्याप्त उत्पादन भी प्राप्त होता है जिससे सर्वाधिक लोगों के जीविकोपार्जन में सहयोग मिलता है ।

रबी की फसल के अन्तर्गत तीसरी महत्वपूर्ण फसल दलहन की है जो सकल कृषित क्षेत्र के 28.2% (1528 एकड़) पर उत्पन्न की जाती है । दलहन फसलों में चना, मटर एव मसूर प्रमुख है । इनमें लगभग 50% क्षेत्र पर चने की खेती होती है । चने की खेती विशेषकर कोसी और उसकी सहायक नदियों के कछार क्षेत्र में मिश्रित फसल के रूप में (जौ-चना इत्यादि) की जाती है ।



रबी फसल के अन्तर्गत सब्जियों में आलू की कृषि विशेष महत्वपूर्ण है जो अध्ययन क्षेत्र में लगभग सभी न्याय पंचायतों में उत्पन्न किया जाता है। सकल कृषित क्षेत्र के लगभग 2% भू-भाग पर आलू की खेती 1061 एकड़ क्षेत्र पर विस्तृत है। शेष पर गोभी, बन्डा तथा टमाटर की खेती होती है। यत्र-तत्र बोडा एवं लौकी की खेती भी देखने को मिलती है। अध्ययन क्षेत्र के अधिकांश लोग सब्जी की खेती व्यावसायिक दृष्टि से करते हैं। आलू की खेती सम्पूर्ण अनजपद में कटिहार प्रखण्ड के अन्तर्गत सर्वाधिक होती है और यहाँ से आलू पड़ोसी जनपदों को भेजा जाता है।

#### 6.5 (अ) गरमा फसलों का शस्य-प्रतिरूप -

भदई, अगहनी तथा रबी की फसल की भाँति अध्ययन क्षेत्र में गरमा के अन्तर्गत कई महत्वपूर्ण फसलें उगाई जाती हैं। वर्ष 1991 में सकल बोये गये क्षेत्रफल का 12.60% (6749.25 एकड़) क्षेत्र पर लगा हुआ है जो अध्ययन क्षेत्र के भदई, अगहनी तथा रबी के अनुपात में कम है लेकिन इस फसल से अच्छी ऊपज कृषकों को मिल जाती है। यह फसल विशेषकर उन स्थानों पर की जाती है जहाँ पर जल की पर्याप्तता एवं सिंचाई की सुविधा होती है।

गरमा फसल के अन्तर्गत धान, मक्का, दलहन तथा फलों की अच्छी खेती होती है। इस फसल की बुआई अप्रैल के अंतिम सप्ताह से लेकर मई के प्रथम सप्ताह तक की जाती है। ये फसलें जुलाई तक पककर तैयार हो जाती हैं।

गरमा फसल के अन्तर्गत न्याय पंचायत स्तर पर पर्याप्त भिन्नता देखने को मिलती है (सारणी 6 2)। इस फसल का सर्वाधिक क्षेत्रफल 27.9% (491.55 एकड़) न्याय पंचायत महमदिया में मिलता है तथा अति न्यून क्षेत्र 0.72% (13.45 एकड़) न्याय पंचायत राजभवाड़ा में मिलता है। वरीयता क्रम में न्याय पंचायत हफलागज (21.94%), राजपारा (21.62%), चन्देली भर्मा (20.17%), जबडा पहाड़पुर (18.44%), मधेपुरा (17.05%), रामपुर (14.76%), दलन (13.62%), डण्डखोरा (12.92%), बिजेली (12.33%), जगन्नाथपुर (11.67%) तथा

परतेली में (10.24%) कृषित क्षेत्र सम्मिलित है । शेष सभी न्याय पंचायतों में 10% से कम क्षेत्र लगा हुआ है -

1951-1991 (चार दशकों) में गरमा फसल के अन्तर्गत 748.82% की वृद्धि हुई है । अध्ययन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि गरमा फसल के अन्तर्गत ही प्राप्त है ।

न्याय पंचायत स्तर पर कटिहार प्रखण्ड के सभी न्याय पंचायतों में वृद्धि प्रतिरूप को चार भागों में बाँटकर व्याख्या किया जा सकता है (सारणी 6.2 एवं 6.4)।

**1. सामान्य वृद्धि** - (<500%) इसके अन्तर्गत अध्ययन क्षेत्र के 5 न्याय पंचायत चन्देली भर्मा, राजपारा, महमदिया तथा बेलवा एवं हफलागज सम्मिलित है । इन न्याय पंचायतों में सिंचाई की पर्याप्त सुविधा नहीं है इसलिए अपेक्षाकृत गरमा फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र में कम वृद्धि हुई है । साथ ही ये क्षेत्र शहरी प्रभाव क्षेत्र से भी दूर है जिसके कारण गरमा फसलों के अन्तर्गत वृद्धि प्रतिशत अल्प है ।

**2. मध्यम वृद्धि** :- (500-1000%) इस श्रेणी में न्याय पंचायत परतेली, दलन, बलुआ, जबडा-पहाडपुर, एवं रामपुर सम्मिलित है । अपेक्षाकृत इसमें वृद्धि का प्रतिशत मध्यम प्रकार का है , क्योंकि इन न्याय पंचायतों के अधिकांश भू-भाग निम्न है जहाँ अगहनी धान की खेती होती है । मृदा मटियार प्रकार की है जहाँ गरमा की खेती के लिए अत्यधिक श्रम एवं पूँजी के साथ ही सिंचाई की आवश्यकता है । जिसकी इस भाग में अल्पता मिलती है।

**3. उच्च वृद्धि** :- (1000-1500%) इसके अन्तर्गत मधेपुरा, जगन्नाथपुर और डुमरिया न्याय पंचायतों को सम्मिलित करते हैं । यहाँ गरमा फसल के लिए सभी भौगोलिक दशाएँ अनुकूल हैं । अतः इन न्याय पंचायतों में गरमा फसल के अन्तर्गत 1000% से लेकर 1500% तक वृद्धि हुई है ।

**4. उच्चतम वृद्धि** :- (>1500%) इस श्रेणी में डण्डखोरा, सौरिया, दोआसे, बोरनी, बिजैली, न्याय पंचायत आते हैं । ये न्याय -पंचायत अध्ययन क्षेत्र के मध्यवर्ती भाग में स्थित हैं जहाँ

# KATI HAR PRAKHAND AREA UNDER TOTAL GARMA CROPPING 1991




Fig 6.5

धरातल समतल है, मुदा उर्वर प्रकार की (दोमट एव बलुआर दोमट) है । यह क्षेत्र नदियों के बाढ़ से प्रभावित नहीं होता है । सिंचाई की पर्याप्त सुविधा है, जिसके कारण इन न्याय पचायतों के अंतर्गत गरमा फसल में निरन्तर क्षेत्र वृद्धि हो रही है ।

### ग्राम्य स्तर पर गरमा फसल का क्षेत्रीय वितरण प्रतिरूप -

ग्राम्य स्तर पर गरमा फसलों के वितरण प्रतिरूप में विशेष अंतर मिलता है (सारणी - 69) । गोरगामा (0.55%), देवराही (4.14%), महेशपुरा (5.11%) तथा न्याय पचायत राजभवाडा के सभी गाँवों में (राजभवाडा, कदेपुरा, महदेई, खोडवा) में 1% से कम, लोहारी तथा नोहारी में (3%), मधेली (2.5%), रघेली, बोधिया, घफ्कोल में भी लगभग 2% भू-क्षेत्र गरमा फसलों के अन्तर्गत सम्मिलित है । वहीं दूसरी ओर गरमा फसलों के अंतर्गत उच्च प्रतिशत देखने को मिलता है । थेगुआ (39%), भवानीपुर एव महमदिया क्रमशः 34% और 35%, घुम्मर बेलवा में 33% भू-भाग गरमा फसलों के अंतर्गत विद्यमान है । अतः यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि गरमा फसलों में ग्राम्य स्तर पर काफी भिन्नता है -

ग्राम्य स्तर पर गरमा फसलों के क्षेत्रीय वितरण की व्याख्या हेतु चार वर्गों में वर्गीकृत किया गया है (चित्र सख्या-65) ।

1. **न्यून श्रेणी** - (<5%) इस श्रेणी के अन्तर्गत 19.2% (24) गाँव सम्मिलित है । इस वर्ग 6 गाँव रघेली न्याय पचायत में तथा दोआसे, राजभवाडा में 4-4 गाँव सम्मिलित है । बलुआ, सौरिया, तथा परतेली न्याय पचायतों में दो-दो गाँव एव डण्डखोरा, राजपारा तथा रामपुर न्याय पचायतों के अंतर्गत 1-1 गाँव मिलते हैं । अध्ययन क्षेत्र के अन्तर्गत ये गाँव मध्यवर्ती भाग में संकेन्द्रित हैं, जहाँ सिंचाई की सुविधा पर्याप्त न होने के कारण गरमा फसलों का लगाव कम प्राप्त है । साथ ही ये भू-क्षेत्र अगहनी धान वाले हैं । -

2. **मध्यम श्रेणी** :- (5-10) इस श्रेणी के अन्तर्गत 21.6% (27) गाँव सम्मिलित हैं । इसके अन्तर्गत सर्वाधिक 5 गाँव न्याय पचायत बेलवा में तथा बोरनी और डुमरिया में क्रमशः 3-3 गाँव, परतेली, रघेली, सौरिया, बलुआ एव चन्देली भर्मा में 2-2 गाँव तथा महमदिया,

## सारणी 6.9

कटिहार प्रखण्ड ग्राम्य स्तर पर गरमा फसलों का क्षेत्रीय वितरण (1991)

क्र०स०	न्याय पचायत	उच्चतम	उच्च	मध्यम	निम्न
		>15	10-15	5-10	<5
1	चन्देली भर्सा	7	-	2	-
2	जगन्नाथपुर	1	3	-	-
3	राजपारा	8	-	1	1
4	रामपुर	2	-	-	1
5	जबडा पहाडपुर	7	-	-	-
6	बिजेली	2	1	1	1
7	डुमरिया	1	3	3	-
8	महमदिया	5	1	1	-
9	बलुआ	-	4	2	2
10	गजभवाडा	-	-	-	4
11	दलन	-	2	-	-
12	बेलवा	1	1	5	-
13	बोरनी	1	3	3	-
14	दोआसे	1	-	-	4
15	सौरिया	1	1	2	2
16	डण्डखोरा	1	-	-	1
17	रघेली	-	3	2	6
18	हफलागज	2	-	-	-
19	मधेपुरा	6	2	2	-
20	परतेली	4	-	3	2
<b>योग</b>		<b>50</b>	<b>24</b>	<b>27</b>	<b>24</b>
<b>प्रतिशत</b>		<b>40.00%</b>	<b>19.2%</b>	<b>21.6%</b>	<b>19.2%</b>

बिजैली, राजपारा न्याय पंचायतों में क्रमशः 1-1 गाँव प्राप्त है। इन न्याय पंचायतों में पर्याप्त सुविधा न होने के कारण गरमा फसलों का क्षेत्र मध्यम कोटि में है। ये भी क्षेत्र अध्ययन क्षेत्र के मध्यवर्ती भागों में ही है -

**3. उच्च श्रेणी :-** (10-15%) इस श्रेणी के अन्तर्गत 19.2% (24) गाँव सम्मिलित है। इस श्रेणी में सर्वाधिक 4 गाँव न्याय पंचायत बलुआ में मिलते हैं। इसके अलावा रघैली, बोरनी, डुमरिया, जगन्नाथपुर न्याय पंचायतों में 3-3 गाँव एवं मधेपुरा, दलन में 2-2 तथा सौरिया, बेलवा, महमदिया में क्रमशः 1-1 गाँव आते हैं। इन न्याय पंचायतों के अन्तर्गत गाँवों की भूमि समतल, उर्वर एवं सिंचाई की सुविधा होने के कारण उपर्युक्त के अपेक्षा अधिक क्षेत्रफल में खेती होती है। ये गाँव अध्ययन क्षेत्र के मध्यवर्ती भू-भाग में ही स्थित हैं। परन्तु यहाँ - बाँस-बोरिंग एवं सिंचाई की पर्याप्त सुविधा है, जिसके कारण यहाँ गरमा फसलों की खेती अच्छी होती है।

**4. उच्चतम श्रेणी -** (>15%) इस वर्ग में 40% (50) गाँव आते हैं, जिसमें सर्वाधिक 8 गाँव न्याय-पंचायत राजपारा में सम्मिलित हैं। चन्देली भर्मा एवं जबडा-पहाड़पुर में 7 मधेपुरा में 6 महमदिया, में 5, परतेली में 4 एवं बिजैली, रामपुर, हफलागज में क्रमशः 2-2 तथा शेष न्याय पंचायतों में क्रमशः 1-1 गाँव सम्मिलित हैं। इस श्रेणी के अन्तर्गत सभी गाँवों में पर्याप्त सिंचाई की सुविधा, व्यक्तिगत स्तर पर बाँस-बोरिंग, ट्यूबवेल के साथ ही नहरों की पर्याप्त सुविधा है जिसके फलस्वरूप यहाँ गरमा फसल की अच्छी खेती होती है।

इस प्रकार ग्राम्य स्तर पर गरमा फसल के अन्तर्गत विशेष भिन्नता दिखाई पड़ती है। इसका प्रमुख कारण आधुनिक सुविधाओं का प्राविधान, सिंचाई के साधन तथा कृषि पद्धति है, जिसकी व्यवस्था में परिवर्तन करके ठीक किया जा सकता है।

गरमा फसल के अन्तर्गत मुख्य फसल धान है जो सकल कृषित क्षेत्र के 6.14% (3321 एकड़) पर उत्पन्न किया जाता है। धान का क्षेत्र सभी न्याय पंचायतों में मिलता है। विशेषकर जहाँ धरातल निम्न है, मिट्टी दोमट-मटियार है तथा सिंचाई

की पर्याप्त सुलभता है, वहाँ इसकी खेती अच्छी खेती की जाती है ।

वरीयता क्रम में गरमा फसल के अन्तर्गत दूसरी महत्वपूर्ण फसल फलों की है जो अध्ययन क्षेत्र में 21.7% (1499 एकड़) क्षेत्र पर उत्पन्न की जाती है । इनमें मुख्यतः केला, लीची, आम, अमरुद, पपीता तथा नारियल की खेती देखने को मिलती है । केले की खेती के प्रति लोगों का झुकाव विशेष रूप से देखने को मिलता है । इसे नगदी फसल मानते हैं । इस अध्ययन क्षेत्र से केला अन्य जनपदों को ट्रक द्वारा भेजा जाता है । ग्राम प्रधान एवं भूस्वामियों से मिलने के फलस्वरूप अध्ययन क्षेत्र में शोधकर्ता ने यह भी देखा कि जिनके पास भूमि नहीं है, लेकिन यदि उसके पास पूँजी है, तो वे भूस्वामियों से भूमि (लीज पर) लेकर उसमें केले की खेती करते हैं । गरमा फसल के अन्तर्गत तीसरे क्रम में मक्के की खेती 19.5% (1054 एकड़) पर होती है । क्षेत्रान्तर्गत मुख्य रूप से मक्का प्रधानता है । उन्नतशील बीज तथा अन्य सुविधाओं के फलस्वरूप इसकी पैदावार में निरंतर वृद्धि हो रही है । चौथे स्थान पर दलहन की खेती 16.2% (875 एकड़) क्षेत्र पर होती है । इनमें उरद, कुल्थी, मूँग प्रधान है । अध्ययन क्षेत्र में उन स्थानों पर उत्पन्न की जाती है जहाँ समयानुसार सिंचाई की अच्छी सुविधा उपलब्ध है । जल-स्तर उँचा होने के कारण क्षेत्र में जगह-जगह बाँस -बोरिंग देखने को मिलती है, जो कम लागत में ही उपयोग में आ जाती है । इससे काफी सुलभता होती है ।

इस प्रकार उपर्युक्त तीनों फसलों (भदई, अगहनी, रबी) के अलावा गरमा फसल की अपनी अलग विशेषता है ।-

### 6.6 (अ) शस्य गहनता .-

शस्य गहनता से अभिप्राय उस फसल क्षेत्र से है जिस पर वर्ष में एक फसल के अतिरिक्त अन्य कई फसलें उगाई जाती हैं।<sup>2</sup> किसी क्षेत्र के अन्तर्गत शुद्ध बोये गये क्षेत्र की अपेक्षा सकल कृषिगत क्षेत्र का अधिक होना गहन शस्य-क्रम का परिचायक है । शस्य क्रम गहनता वह सामायिक बिन्दु है जहाँ भूमि, श्रम, पूँजी तथा प्रबन्धन का सम्मिश्रण सर्वाधिक लाभप्रद सिद्ध होता है।<sup>3</sup> शस्य क्रम गहनता के आकलन के सबंध में अनेक विद्वानों तथा भूगोलविदों ने

अपने अलग-अलग विचार व्यक्त किये है जो मुख्यत गहनता के क्षेत्रीय वितरण से सम्बन्धित है । त्यागी<sup>4</sup> ने शस्य गहनता के स्थान पर 'कृषि गहनता' शब्द का प्रयोग किया है और संबंधित गणना को तीन स्तरों के द्वारा स्पष्ट किया है ।

- (अ) कुल क्षेत्र में से भू-उपयोग के अनेक पक्षों द्वारा अधिकृत क्षेत्र का प्रतिशत ज्ञात करना, अर्थात् कुल भौगोलिक क्षेत्रफल से शुद्ध कृषित क्षेत्र की गणना,
- (ब) सम्पूर्ण फसल क्षेत्र में से प्रत्येक फसल के अन्तर्गत अधिकृत क्षेत्र का प्रतिशत ज्ञात करना अर्थात् अध्ययन क्षेत्र के सकल कृषित क्षेत्र से खरीफ, रबी एवं जायद फसलों के प्रत्येक शस्य का उत्पादन क्षेत्र ज्ञात करना तथा -
- (स) शुद्ध फसल क्षेत्र में से रबी तथा खरीफ मौसमों में बोयी गई फसलों के प्रतिशत की गणना करना ।

इन उपर्युक्त घटकों की गणना के उपरान्त क्षेत्रीय शस्य गहनता का आकलन किया । त्यागी की ही भाँति त्रिपाठी<sup>5</sup> ने भी शस्य गहनता के स्थान पर 'कृषि गहनता' शब्द को उपयुक्त बताया है । इनके अनुसार कृषि गहनता दो फसली अथवा बहुफसली कृषित क्षेत्र से संबंधित है जो भौतिक (जलवायु, मृदा) तकनीकी, प्रबन्धीय और जैवीय कारकों का योग है । इन्हीं उपर्युक्त कारकों के सहयोग के फलस्वरूप वर्ष में एक से अधिक फसलें उत्पन्न की जाती है । इन्होंने कृषि गहनता के आकलन हेतु निम्न सूत्र का प्रयोग किया है -

$$I = \frac{G}{N}$$

Where -I = Index of Agricultural Intensity

G = Gross Sown Area

N = Net Sown Area

सिंह<sup>6</sup> ने शस्य गहनता के स्थान पर 'भूमि-उपयोग क्षमता' शब्द का उपयोग करना उचित बताया है और इन्होंने इसकी गणना हेतु निम्न सूत्र का प्रयोग किया है -

$$\text{शस्य गहनता} = \frac{\text{सकल कृषित क्षेत्र}}{\text{शुद्ध बोया गया क्षेत्र}} \times 100$$



# KATIHAR PRAKHAND CROPPING INTENSITY

1991




Fig 6.6

शोधकर्ता ने भी कटिहार प्रखण्ड की 'शस्य गहनता' की गणना हेतु सिंह द्वारा प्रस्तावित विधि का प्रयोग किया है । प्रत्येक गाँवों की गहनता प्राप्त कर मानचित्र पर अंकित किया है (चित्र सख्या- 6 6) ।

वर्ष 1951 के ग्राम्य स्तर पर भूमि उपयोग से संबंधित आँकड़ों के अभाव में प्रखण्ड स्तर पर ही शस्य गहनता का आँकलन कर अंतर के आधार पर प्रतिशत वृद्धि की गणना की गयी है । प्रखण्ड स्तर पर 1951-91 की शस्य-गहनता को संगणित कर वृद्धि के आधार पर कटिहार प्रखण्ड के न्याय पचायतों को चार श्रेणियों में निर्धारित किया है जो सारणी 6 10 से स्पष्ट है । वर्ष 1951-91 की अवधि में शस्य गहनता वृद्धि में न्याय पचायत स्तर पर बहुत ही अंतर देखने को मिलता है । शस्य गहनता में सर्वाधिक वृद्धि न्याय पचायत दोआसे में 227.44% देखने को मिलता है एवं न्यूनतम शस्य गहनता में वृद्धि रघेली में 24.43% प्राप्त है । न्याय पचायत स्तर पर शस्य गहनता वृद्धि के अध्ययन हेतु 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है जो निम्न प्रकार है -

1. **निम्न वृद्धि** - (<100%) इसके अन्तर्गत न्याय पचायत मधेपुरा, हफलागज, रघेली, डण्डखोरा, बेलवा और जगन्नाथपुर है । इन न्याय पचायतों के शस्य गहनता में 4 दशकों में वृद्धि का अंतर निम्न कारणों से कम देखने को मिलता है -

मधेपुरा में पहले से ही शस्य गहनता का प्रतिशत बहुत ऊँचा है, यद्यपि वर्ष 1991 में भी सकल कृषित क्षेत्र में वृद्धि हुई है, लेकिन वृद्धि प्रतिशत कम है ।

2. **मध्यम वृद्धि** -- (100-150%) इसके अन्तर्गत निम्नलिखित न्याय पचायत सम्मिलित है - चन्देली भर्मा, राजपारा, जबडा पहाडपुर, डुमरिया, महमदिया, राजभवाडा, बेलवा, दलन तथा बोरनी गोरगागा प्रमुख है । इन न्याय पचायतों में भी वर्ष 1951 में कृषि गहनता का प्रतिशत ऊँचा है । यद्यपि इन न्याय पचायतों में वृद्धि हुई है लेकिन अपेक्षाकृत सामान्य प्रकार की । ये न्याय पचायत प्रायः बाढ़ों से प्रभावित होते रहते हैं, जिसके कारण इनमें वृद्धि अपेक्षाकृत कम है ।

3. **उच्च वृद्धि** - (150-200%) इसके अन्तर्गत न्याय पचायत परतेली, सौरिया, बलुआ, बिजैली तथा रामपुर सम्मिलित है । इन क्षेत्रों में कृषि से संबंधित सभी प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध हैं जैसे सिंचाई की पर्याप्त सुविधा, शहरी क्षेत्र से सड़कों से ग्रामीण क्षेत्रों का सम्बन्ध समतल धरातल, उपजाऊ मिट्टी के कारण इन न्याय पचायतों में प्रतिशत क्रम उँचा है ।-

4. **उच्चतम वृद्धि** - ( 200%) इस क्रम में अध्ययन क्षेत्र का एक न्याय पचायत दोआसे सम्मिलित है जिसमें वर्ष 1951 में शस्य गहनता 179.26% तथा 1991 में 406.7% पाई गई है जो अध्ययन क्षेत्र के सभी न्याय पचायतों की तुलना में अधिक है । इस प्रकार अध्ययन क्षेत्र के न्याय पचायतों के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि सभी न्याय पचायतों के अन्तर्गत वृद्धि हुई है । न्याय पचायत स्तर के वृद्धि में अन्तर भौतिक, आर्थिक एवं तकनीकी कारणों से है, जहाँ पर ये दशाएँ उच्च कोटि में हैं, वहाँ वृद्धि अपेक्षाकृत अल्प है ।

(ब) **ग्राम्य स्तर पर शस्य गहनता** -

न्याय पचायत स्तर की ही भाँति ग्राम्य स्तर पर भी शस्य गहनता में पर्याप्त अन्तर मिलता है । उदाहरणार्थ सबसे कम गहनता ग्राम कजरी में 70% है, जो अध्ययन क्षेत्र के उत्तरी-पूर्वी भाग में महमदिया, न्याय पचायत के अन्तर्गत है वहीं उच्च गहनता 229% ग्राम नीमा न्याय पचायत बोरनी गोरगामा में है । यह गाँव अध्ययन क्षेत्र के मध्यवर्ती भाग में स्थित है । विश्लेषण हेतु अध्ययन क्षेत्र की शस्य गहनता को चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है (सारणी 6.10, चित्र 50-6.6) ।

सारणी से स्पष्ट होता है कि **निम्नतम** (100% से कम) शस्य गहनता श्रेणी के अन्तर्गत 10.4% (13) गाँव पाये जाते हैं । इस श्रेणी में सर्वाधिक 4 गाँव अध्ययन क्षेत्र के उत्तरी-पूर्वी भाग में स्थित न्याय पचायत महमदिया में 3, गाँव न्याय पचायत बलुआ में तथा राजपारा, बोरनी, गोरगामा, दोआसे, सौरिया, डण्डखोरा एवं परतेली में क्रमशः 1-1 गाँव सम्मिलित हैं । इन सभी गाँवों में निम्न गहनता का मुख्य कारण यह है कि उपर्युक्त सभी गाँव कोसी की सहायक नदियों के बाढ़ के जल से प्रतिदृश प्रभावित होते रहते हैं ।

## सारणी 6-10

कटिहार प्रखण्ड ग्राम्य स्तर पर शस्य गहनता का क्षेत्रीय वितरण (1991)

क्र.सं०	न्याय पचायत	उच्चतम >160	उच्च 140-160	मध्यम 120-140	निम्न 100-120	निम्नतम <100
1	चन्देली भर्मा	5	-	1	2	-
2	जगन्नाथपुर	-	-	1	3	-
3	राजपारा	2	-	3	4	1
4	रामपुर	2	-	1	-	-
5	जबडा पहाडपुर	1	-	2	4	-
6	बिजेली	3	-	1	1	-
7	डुमरिया	5	1	1	-	-
8	महमदिया	-	-	-	3	4
9	बलुआ	3	-	1	1	3
10	राजभवाडा	1	-	1	2	-
11	दलन	-	1	-	1	-
12	बेलवा	2	-	3	2	-
13	बोरनी	2	2	1	1	1
14	दोआसे	1	2	1	-	1
15	सौरिया	1	-	2	2	1
16	डण्डखोरा	1	-	-	-	1
17	रघेली	5	2	4	-	-
18	हफलागज	-	-	-	2	-
19	मधेपुरा	5	2	1	2	-
20	परतेली	3	1	2	3	1
<b>योग</b>		<b>42</b>	<b>11</b>	<b>26</b>	<b>33</b>	<b>13</b>
<b>प्रतिशत</b>		<b>33.6%</b>	<b>8.8%</b>	<b>20.8%</b>	<b>26.4%</b>	<b>10.4%</b>

**निम्न श्रेणी** - (100-120%) के मध्य अध्ययन क्षेत्र के 26 4% (33) गाँव पाये जाते हैं जिनमें क्रमश 4-4 गाँव न्याय पचायत राजपारा और जबडा पहाडपुर में, जगन्नाथपुर, महमदिया, तथा परतेली में 3 गाँव, मधेपुरा, हफलागज, सौरिया, बेलवा, राजभवाडा तथा चन्देली भर्मा में क्रमश 2-2 गाँव एवं बिजेली, बलुआ, दलन, बोरनी में एक-एक गाँव इस श्रेणी में स्थित है। ये गाँव कृषि के दृष्टि से पिछड़े हुए हैं तथा कृषि सम्बन्धित नवीन तकनीक का अभाव भी देखने को मिलता है।

**मध्यम श्रेणी** गहनता :- (120-140%) के अन्तर्गत 20 8% (26) गाँव सम्मिलित है। मध्यम प्रकार के शस्य गहनता के अन्तर्गत सर्वाधिक 4 गाँव न्याय पचायत रघेली जो अध्ययन क्षेत्र के पूर्वी भाग में स्थित है, मिलते हैं। राजपारा, बेलवा में क्रमश 3-3 गाँव एवं परतेली, सौरिया, जबडा पहाडपुर के अन्तर्गत 2 गाँव तथा चन्देली भर्मा, जगन्नाथपुर, गमपुर, बिजेली, डुमरिया, बलुआ, राजभवाडा, बोरनी, गोरगामा, दोआसे तथा मधेपुरा के अन्तर्गत एक-एक गाँव सम्मिलित है।

**उच्च श्रेणी** गहनता :- (140-150%) के अन्तर्गत 8 8% (11) गाँव सम्मिलित है। इस कोटि में बोरनी, दोआसे, रघेली तथा मधेपुरा में क्रमश 1-1 गाँव तथा डुमरिया, दलन एवं परतेली में 1-1 गाँव आते हैं। ये गाँव मुख्यत मध्यवर्ती भाग में स्थित हैं जहाँ बाढ़ों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम है, साथ ही सिंचाई के साधनों का भी समुचित विकास नहीं हो पाया है।

**उच्चतम श्रेणी** - (>160%) के अन्तर्गत अध्ययन क्षेत्र के 33 6% (42) गाँव सम्मिलित है जो मुख्यत उत्तरी-पूर्वी सीमान्त क्षेत्र तथा मध्यवर्ती एवं कटिहार नगर के सन्निकट क्षेत्रों में स्थित हैं। इस वर्ग में अध्ययन क्षेत्र के सर्वाधिक गाँव विद्यमान हैं। इस वर्ग में चन्देली भर्मा, डुमरिया, रघेली तथा मधेपुरा न्याय पचायतों के क्रमश 5-5 गाँव सम्मिलित हैं। बिजेली, बलुआ, परतेली, न्याय पचायतों के 3-3 गाँव बेलवा, बोरनी, राजपारा तथा रामपुर के 2-2 गाँव एवं जबडा पहाडपुर, राजभवाडा, दोआसे, सौरिया तथा डण्डखोरा न्याय पचायतों के क्रमश 1-1 गाँव इस वर्ग में सम्मिलित हैं। उच्चतम वर्ग में सर्वाधिक 42 गाँव के सम्मिलित हैं।

इससे यह ज्ञात होता है कि अध्ययन क्षेत्र में गहन कृषि की जाती है । ये गाँव उन क्षेत्रों को प्रदर्शित करते हैं जहाँ सिंचाई की सुविधाओं का भरपूर प्राविधान है अथवा ये उदीयमान ग्राम कस्बा केन्द्रों की समीपता आदि के कारण कुषकों में गहन कृषि के प्रति गहनता बढी है ।

इस प्रकार शस्य गहनता सबधी अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र के लगभग 42% गाँव उच्च एवं उच्चतम कृषि गहनता वाले हैं । अध्ययन क्षेत्र के कृषि गहनता से हम इस आशय पर पहुँचते हैं कि कटिहार प्रखण्ड के अधिकांश गाँवों में बहुफसली कृषि (भदई, अगहनी, रबी एवं गरमा) के कारण शस्य गहनता का प्रतिशत उच्च एवं उच्चतम श्रेणी में आ गया है । मध्यम श्रेणी को भी नवीन कृषि तकनीक की सुविधा प्रदान कर उच्च श्रेणी में बदला जा सकता है ।

XXXXXXXXXXXX

सन्दर्भ-सूचिका (REFERENCES)

1. Loknathan, P.S. "Cropping Pattern in Madhya Pradesh" National Council of Applied Economic Research, New Delhi, 1967, pp. 6-20.
2. सिंह, ब्रजभूषण कृषि भूगोल 1979, पृ 128
3. Tendon, R.K. and Dhondyal S.P. Principles and Methods of Farm Management, 1967, p. 60.
4. Tyagi B.S. Agricultural Intensity in Chunar Tahsil, Distt. Mirzapur, U.P. N.G.J.I. Vol. XVIII Pt. I, 1972, pp. 42-48.

xxxxxxxxxxxx  
xxxxxx

XXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

अध्याय - सप्तम्

प्रतिदर्श ञ्चों में भूमि उपयोग : एक सूक्ष्म विवेचन

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXX



## अध्याय - सप्तम्

### प्रतिदर्श गाँवों में भूमि उपयोग : एक सूक्ष्म विवेचन

भूमि उपयोग सम्बन्धी अध्ययनों में शोधकर्ता को या तो सर्वव्यापी पद्धति का अनुसरण करना पड़ता है। जिसमें किसी क्षेत्र विशेष के सभी इकाइयों का सर्वेक्षण किया जाता है। इस तरह यह पद्धति अपने आप में एक विस्तृत और जटिल कार्य है। मुद्रिया की दृष्टि से शोधकर्ता भूमि उपयोग या किसी भी सामाजिक विज्ञान सबधी अध्ययनों में प्रतिदर्श पद्धति को अपनाकर क्षेत्र विशेष के कुछ प्रतिनिधि इकाइयों के चयन के आधार पर सर्वेक्षण कार्य पूरा करता है और उन्हीं के आधार पर वह अपनी व्याख्या प्रस्तुत करता है। इन्हीं चयनित गाँवों के आधार पर प्राप्त परिणामों को सम्पूर्ण क्षेत्र के लिए सही और सन्तोषप्रद मान लिया जाता है। मुख्य रूप से यह प्रतिनिधित्व विधि है जिसमें प्रतिदर्श भाग किसी सम्पूर्ण क्षेत्र का चुना हुआ छोटा-सा अंश मात्र होता है, जिसे समुचित नियमों के आधार पर सावधानी से चुना जाता है एवं जो सम्पूर्ण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है।

कटिहार प्रखण्ड के अन्तर्गत आठ ऐसे प्रत्यक्ष गाँवों का चयन यादृच्छिक पद्धति से भौतिक एवं सांस्कृतिक सभी विशेषताओं को ध्यान में रखकर किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में इन्हीं चयनित आठों गाँवों के उपयोग का सूक्ष्म विश्लेषण किया गया है।

**7.1 ग्राम बोरा** - यह गाँव (25°38' उत्तरी अक्षांश तथा 87°41' पूर्वी देशान्तर) कटिहार मुख्यालय से 27 कि० मी० दक्षिण-पूर्व में स्थित है। इस गाँव में जनसंख्या का घनत्व 216 व्यक्ति प्रति एकड़ तथा शुद्ध बोया क्षेत्र का औसत 0.43 एकड़ प्रति व्यक्ति है। भू-उपयोग की दृष्टि से वर्ष 1991 में इस गाँव का 95.93% भाग शुद्ध बोये गये क्षेत्र के अन्तर्गत सम्मिलित है। कृषि अप्राप्य भूमि 4.86%, बाग-बगीचों 1.46%, दो फसली 50.77% तथा मिश्रित क्षेत्र 40.2% भाग सुविधाओं से युक्त है। इस गाँव के मध्य से सोनोली को पक्की सड़क जाती है। यह समतल उर्वर मिट्टी वाला महत्वपूर्ण गाँव है, जहाँ शुद्ध कृषित क्षेत्र का प्रतिशत बहुत उँचा है। इस गाँव की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि कृषि बजार का क्षेत्र बहुत ही अल्प मात्रा में है (चित्र 7। एवं सारणी 7।)।

## सारणी 7.1

ग्राम - बोर, न्याय प्रचायत - डुमरिया

भूमि उपयोग में परिवर्तनशील वितरण प्रतिरूप (1951-91)

(क्षेत्रफल एकड़ में)

क्र०स०	भूमि उपयोग प्रतिरूप	1951		1991		अन्तर	परिवर्तन (% में)
		क्षेत्रफल	प्रतिशत	क्षेत्रफल	प्रतिशत		
1	क्षेत्रफल(एकड़ में)	102 04		102 04	-	-	-
2	शुद्ध बोया गया क्षेत्र	56 36	54 85	95 93	93.68	39 57	(+) 70.21
3	कृषि अप्राप्य	28 36	2 75	4 98	4 86	23 38	(-) 82.44
4	कृष्य बजर	02 80	28 25	0 00	-	2 80	(-) 100.00
5	बाग-बगीचा	14 88	14 15	1 49	1.46	13 39	(-) 89.98
6.	सिंचित क्षेत्र	08 08	10 25	48 70	40.20	40.62	(+) 502.72
7	दो-फसली	05 77	14 35	38 60	50.77	32 83	(+) 568.97
8	सकल कृषित	80 45	-	175 03	-	94 58	(+) 117.56

स्रोत जिला सांख्यिकीय कार्यालय कटिहार (बिहार)

भूमि उपयोग की दृष्टि से वर्ष 1991 में 93.68% भू-भाग शुद्ध बोये गये क्षेत्र के अन्तर्गत विद्यमान है। इस गाँव में सड़क के दोनों ही तरफ विस्तृत क्षेत्र पर कृषि क्षेत्र आच्छादित है। कृषि के अन्तर्गत सर्वाधिक क्षेत्र होने का अभिप्राय है कि यहाँ पर कृषि सम्बन्धित सभी भौगोलिक दशाएँ अनुकूल है, इसलिए इस गाँव में भदई, अगहनी, रबी तथा




Fig 7.1

गरमा दी फसलें पर्याप्त भूमियों पर उत्पन्न की जाती है । फसलों के अन्तर्गत भूमि की अधिकता के कारण इस गाँव में वर्ष 1991 में कृषि बजर का क्षेत्र बहुत ही कम हो गया है । कृष्य-बंजर भूमि आबादी के दक्षिण-पश्चिम तथा गडक के किनारे संकीर्ण पतली पट्टी के रूप में विस्तृत है । अकृष्य भूमि जो सामान्य रूप से आबादी एवं सड़कों के रूप में विद्यमान है, मुख्य रूप से आबादी का क्षेत्र मानचित्र में उत्तरी-पश्चिमी भाग में तथा सड़कों का जाल इस गाँव के सीमांत क्षेत्र में उत्तरी-पश्चिमी भाग, दक्षिणी भाग तथा सम्पूर्ण पश्चिमी भाग में विस्तृत है । बहुत ही छोटे भू-भाग पर अध्ययन क्षेत्र के दक्षिणी भाग में बाग-बगीचों के अन्तर्गत क्षेत्र विस्तृत है (चित्र संख्या 7 1)।

सारणी 7 1 से ग्राम - बौरा के भूमि उपयोग में परिवर्तनशील वितरण प्रतिरूप को प्रदर्शित किया गया है । सारणी के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि भूमि-उपयोग से सम्बन्धित सभी घटकों में तीव्र परिवर्तन हुआ है । वर्ष 1951-91 (चार दशकों) की अवधि में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के अन्तर्गत 70.21% भू-क्षेत्र की वृद्धि हुई है । इसी भाँति अन्य घटकों के अन्तर्गत भी अन्तर देखने को मिलता है ।

अकृष्य क्षेत्र के अन्तर्गत 82.44% का हास हुआ है । 1951 से इस गाँव के अन्तर्गत 28.36 एकड़ भू-क्षेत्र 1991 में घटकर 4.98 एकड़ भू-क्षेत्र अकृष्य के अन्तर्गत परिवर्तित हो गया । चित्र संख्या 7 1 ए को देखने से यह ज्ञात होता है कि अध्ययन-क्षेत्र में छिट-पुट रूप से कृष्य बजर क्षेत्र का विस्तार है । कृष्य-बजर भूमि का विशेष जमाव टिकैली की सीमा, उत्तरी भाग में डुमरिया की सीमा, सोनौली को जाने वाली सड़क के पश्चिमी भाग में तथा झुनकी बसन्ता की सीमा पर विस्तृत है । वर्ष 1951 के चित्र-संख्या 7.1 ए की तुलना जब हम 1991 के मानचित्र 7 1 बी से करते हैं तब हम यह पाते हैं कि कृष्य बंजर का क्षेत्र वर्ष 1951 की तुलना में कृषित क्षेत्र परिवर्तन हो गया है । यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम बौरा में वर्ष 1951 के अन्तर्गत जो कृष्य-बजर तथा बाग-बगीचे के अन्तर्गत क्षेत्र सम्मिलित था, वह परिवर्तित होकर कृषित क्षेत्र में आ गया । बौरा में पुराने बाग-बगीचे वाले क्षेत्रों में जूट एवं केले की खेती शुरू की गई है । यहाँ केले और आम के फलों की खेती प्रायः एक साथ देखने को मिलती है ।

शोधकर्ता के सर्वेक्षण के समय प्रस्तुत चयनित गाँव में जो कृष्य बंजर क्षेत्र प्रदर्शित किया गया है उसके अन्तर्गत भी केले की खेती का विस्तार देखने को मिला । इस प्रकार ग्राम बौरा के अन्तर सम्पूर्ण कृषि बंजर को कृषि भूमि के अन्तर्गत परिवर्तित कर दिया गया है ।

अकृष्य क्षेत्र के अन्तर्गत भी वर्ष 1951 की तुलना में (अधिवारों, सडकों के अन्तर्गत) क्षेत्र का विस्तार हुआ है । 1951 से 1991 की तुलना में बाग-बगीचों के क्षेत्र में हास दृष्टिगोचर होता है । ग्रामवासी अपने बाग-बगीचों को काटकर उस क्षेत्र पर केले की खेती तथा पटसन की खेती के अन्तर्गत उपयोग में ला रहे हैं । भूमि-उपयोग की दृष्टि से सर्वाधिक हास बाग-बगीचों के अन्तर्गत ही हुआ है । पारिस्थितिकीय दृष्टि से क्षेत्र के विकास हेतु बाग-बगीचों का क्षेत्र होना आवश्यक है ।

भूमि-उपयोग विशेषकर कृषि भूमि-उपयोग में सिंचित क्षेत्र का उँचा होना गहन कृषि का परिचायक है । सिंचित क्षेत्र के अन्तर्गत चार दशकों में 502.72% की वृद्धि हुई है । बढ़ती हुई जनसंख्या के भरण-पोषण हेतु सिंचाई की सुविधाओं का प्राविधान कर अत्यधिक उत्पादन प्राप्त करने का प्रयास जारी है । सिंचाई के साधनों के रूप में व्यक्तिगत नलवृषों के फलस्वरूप सिंचित क्षेत्र में तीव्र वृद्धि हुई है ।

दो-फसली क्षेत्र का उच्च प्रतिशत गहन कृषि का उद्बोधक है । वर्ष 1951-91 की तुलना में 568.97% की वृद्धि दृष्टिगोचर होती है । तुलनात्मक दृष्टि से वर्ष 1951 में 14.35% से बढ़कर 1991 में 50.77% के रूप में परिवर्तित हो गया है । सर्वेक्षण से यह ज्ञात हुआ कि इस गाँव के अन्तर्गत सभी प्रकार की फसलों की खेती भदई, अगहनी, रबी तथा गरमा की कृषि वर्ष के सभी मौसमी दशाओं में विस्तृत क्षेत्र पर उत्पन्न की जाती है । सिंचाई की सुविधा को और अधिक बढ़ाकर दो-फसली क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है ।

सिंचाई की सुविधा एवं बहुफसली कृषि के परिणामस्वरूप सकल कृषित क्षेत्र के अन्तर्गत पर्याप्त भू-भाग सम्मिलित है । तुलनात्मक दृष्टि से वर्ष 1951 में 80.45 एकड़ क्षेत्र सकल कृषित के रूप में व्याप्त था जो 1991 में बढ़कर 175 03 एकड़ के रूप में बदल गया है इस प्रकार अध्ययन क्षेत्र का सूक्ष्म अध्ययन के फलस्वरूप यह ज्ञात हुआ है कि चार 17 50%

की वृद्धि सकल कृषित क्षेत्र के अन्तर्गत प्राप्त है । यह प्रतिशत क्रम सिचाई तथा दो-फसली बहुफसली क्षेत्रों में वृद्धि कर बढ़ायी जा सकती है । सकल कृषित क्षेत्र के विकास की अभी भी सम्भावना है ।

**7.2 ग्राम - गोपालपुर :-** यह गाँव (25<sup>0</sup>36' उत्तरी अक्षांश एवं 87<sup>0</sup>28' पूर्वी देशान्तर) कटिहार मुख्यालय से लगभग 23 कि० मी० की दूरी पर न्याय प्रचायत हफलागंज में दक्षिणी-पूर्वी भाग में स्थित है । इस गाँव का कुल क्षेत्रफल 342 एकड़ है । इस गाँव में जनसंख्या का घनत्व 0 25 व्यक्ति एकड़ तथा शुद्ध बोया क्षेत्र 2 35 एकड़ प्रति व्यक्ति है । इस गाँव के उत्तरी-पूर्वी भाग में कमला नदी बहती है जिसका प्रवाह उत्तर से दक्षिण की ओर है जो मैरा तथा भखरीपुर गाँव की सीमा निर्धारण करती है । यह नदी पूर्वी भाग में मियान्डर बनाती हुई प्रवाहित होती है । इस गाँव के दक्षिणी भाग में बसंतपुर तथा पश्चिमी भाग में नारायणपुर एवं उत्तरी-पश्चिमी भाग में ग्राम सिरनियों स्थित है । गाँव के मध्य भाग में पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पूर्वी भाग में सड़क है । इस गाँव का चयन कृष्य बजर भूमि के रूप में किया गया है ।

भूमि उपयोग परिवर्तनशील वितरण प्रतिरूप (1951-91) की दृष्टि से चार दशकों की अवधि में तीव्र परिवर्तन देखने को मिलता है ।

कृष्य बजर के अन्तर्गत वर्ष 1951 में 35 84% (122.57 एकड़) भू-क्षेत्र सम्मिलित था जो वर्ष 1991 में 20 64% (70 6 एकड़) हो गया, अर्थात् चार दशकों में 42 40% (51 97 एकड़) भू-भाग कृषि तथा अन्य कार्यों में लगा लिया गया है, जो सारणी (7 2) से स्पष्ट है । शोधकर्ता ने अध्ययन की अवधि में एक वर्ष के अन्तर्गत प्रतिदर्श गाँव में पर्याप्त अन्तर पाया है । अधिकांश भू-भाग जो पहले डीह, बंजर था, उसे कृषि, आवास, सड़क, नहर तथा अन्य सांस्कृतिक कार्यों के उपयोग में ला लिया गया है, जो मानचित्र 7 2 ए तथा 7 2 बी से स्पष्ट हो जाता है ।

शुद्ध बोया गया क्षेत्र पर जब विचार करते हैं तो पाते हैं कि चार दशकों (1951-91) की अवधि में पर्याप्त अन्तर है । यहाँ जनसंख्या विरल है, फिर भी शुद्ध

बोया गया क्षेत्र वर्ष 1951 में 37.27% (127.32 एकड़) भू-क्षेत्र वर्ष 1991 में 58.54% (200.20 एकड़) अर्थात् 57.24% (72.88 एकड़) की वृद्धि हुई ।

आज कृषि के प्रति लोगों की रुझान बढ़ी है फिर भी गाँव का अधिकांश भाग आज भी बंजर के रूप में विस्तृत है । सिंचाई की पर्याप्त सुविधा न होने के कारण कृषि कार्य ठीक ढंग से नहीं हो पाता है । पश्चिमी भाग की भूमि ऊँची है । इस पर मुख्य रूप से दलहन की खेती होती है। गाँव का पूर्वी भाग जो कमला नदी के समीप है, वहाँ धान, पटसन, गेहूँ तथा गरमा धान की खेती होती है ।

### सारणी 7.2

ग्राम - गोपालपुर, न्याय पंचायत - हफलासंज

भूमि-उपयोग में परिवर्तनशील वितरण प्रतिरूप (1951-91)

(क्षेत्रफल एकड़ में)


क्र०स०	भूमि-उपयोग प्रतिरूप	1951 क्षेत्रफल	1991 प्रतिशत	1991 क्षेत्रफल	प्रतिशत	अंतर वर्ष-1951- 1991 के क्षेत्रफल पर आधारित	परिवर्तन (% में)
1.	क्षेत्रफल	342.00	-	342	-	-	-
2	शुद्ध बोया गया क्षेत्र	127.32	37.23	200.20	58.54	72.88	(+) 57.24
3	कृष्य अप्राप्य क्षेत्र	40.80	11.93	71.20	20.81	30.40	(+) 74.50
4.	कृष्य बजर	122.57	35.84	70.60	20.60	51.97	(-) 42.40
5	बाग-बगीचा	51.31	15.00	00.00	0.0	51.31	(-) 100.00
6.	सिंचित क्षेत्र	14.32	11.25	56.59	28.27	42.27	(+) 295.18
7	दो-फसली क्षेत्र	20.56	16.15	65.06	32.5	44.60	(+) 216.43
8	सकल कृषित क्षेत्र	150.35	-	203.50	-	53.15	(+) 35.35

# GENERAL LANDUSE PATTERN


VILLAGE - GOPALPUR  
PRAKHAND-KATI HAR







1951



1991



-  CULTIVATED LAND
-  CULTIVABLE WASTE
-  NON-CULTIVABLE
-  GARDEN AND ORCHARD




FIG 7-2



वृष्य अप्राप्य के अन्तर्गत भी पर्याप्त अंतर विगत चार दशकों में देखने को मिलता है । वर्ष 1951 में 11.93% (40.80 एकड़) भू-भाग अप्राप्य के अन्तर्गत था जो वर्ष 1991 में बढ़कर 20.81% (71.2 एकड़) हो गया, अर्थात् इन चार दशकों में 74.50% (30.40 एकड़) भू-भाग, आवास, सड़क, शैक्षिक संस्थान तथा अन्य सांस्कृतिक उपयोगों में ले लिया गया है । वृष्य अप्राप्य के विभिन्न पक्षों के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि कृषि अप्राप्य भूमि का 62.44% मानव अधिवास, परिवहन एवं सिंचाई के साधनों के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है । भूमि अनुपयुक्त होने के कारण इस गाँव के अधिकांश लोग जीविकोपार्जन हेतु बाहर (पंजाब) चले जाते हैं । गाँव में छोटे-छोटे लघु उद्योग देखने को मिलते हैं जिसमें हॉलर (धान कूटने की मशीन) चूड़ा कूटने की मशीन, स्पेलर (तेल तैयार करने की मशीन) आदि प्रमुख हैं ।

बाग-बगीचों के क्षेत्र में विशेष परिवर्तन शोधकर्ता को मिला है, क्योंकि वर्ष 1951 में 15% (51.31 एकड़) भू-भाग बाग-बगीचों के अन्तर्गत था जो वर्ष 1991 में नगण्य हो गया है । विगत चार दशकों में 100% का ह्रास बाग-बगीचों के अन्तर्गत हुआ है । बाग-बगीचों की कटाई से संबंधित अनेक उद्योग-धंधे विकसित किए गए । दुर्भाग्य इस बात का है कि सभी सरकारी कार्यक्रमों के बावजूद भी इस गाँव के बगीचों की कटाई पर कोई नियंत्रण नहीं लग पाया है । इसकी पूर्ति वृक्षारोपण करके की जा सकती है । जो बजर क्षेत्र है, वहाँ वृक्षारोपण किया जाय । नदी के तटीय क्षेत्रों पर वृक्षारोपण कार्यक्रम द्वारा मृदा अपरदन से बचाया जा सकता है ।

सिंचित क्षेत्र में भी पर्याप्त अंतर देखने को मिलता है । वर्ष 1951 में 11.25% (14.32 एकड़) भू-भाग सिंचित क्षेत्र के अन्तर्गत था जो वर्ष 1991 में बढ़कर 28.27% (56.59 एकड़) भू-भाग हो गया, अर्थात् विगत चार दशकों में 295.18% (42.27 एकड़) की वृद्धि हुई है । कमला नदी से कई छोटे नलिकाओं का निर्माण हुआ है जिससे किसानों को सिंचाई कार्य में विशेष सहायता मिलती है । गाँव के मध्यवर्ती भू-भाग जो समतल है वहाँ व्यक्तिगत बोरिंग करके सिंचाई कार्य होता है ।

द्वि-फसली क्षेत्र में भी पर्याप्त अन्तर हुआ है, क्योंकि वर्ष 1951 में 16.15% (20 56 एकड़) भू-भाग द्वि-फसली क्षेत्र के अन्तर्गत था जो वर्ष 1991 में बढ़कर 32.5% (65 06 एकड़) भू-भाग हो गया अर्थात् चार दशकों में 216 43% (44 60 एकड़) की वृद्धि हुई है। इन क्षेत्रों में पहले मूल रूप से धान की खेती होती थी, लेकिन अब धान (भदई, अगहनी, गरमा) गेहूँ, पटसन का उत्पादन होता है। नदी के समीप वाले भू-भाग में परवल, भिन्डी, लौकी, बन्डा की खेती देखने को मिलती है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त जब हम सकल कृषित क्षेत्र पर विचार करते हैं तो इनमें भी पर्याप्त अन्तर देखने को मिलता है। वर्ष 1951 में 150.35 एकड़ भू-भाग पर सकल कृषि होती थी जो अब 1991 में 203 50 एकड़ भू-भाग पर सकल कृषि हो रही है। अर्थात् चार दशकों में 35.35% (53 5 एकड़) की वृद्धि हुई है। इस प्रकार शोधकर्ता ने देखा कि जिस तरह से शुद्ध कृषि, अप्राप्य भूमि में परिवर्तन देखने को मिलता है, उस अनुपात में कृष्य बजर के अन्तर्गत नहीं हुआ है अर्थात् आज भी बड़ा भू-भाग कृष्य बजर के रूप में विद्यमान है। इस भू-भाग को कृषित क्षेत्र तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में परिवर्तन करके आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सकता है, एवं ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाया जा सकता है। नदियों पर बाँध का निर्माण करके जो भूमि आज भी अनुपयुक्त है, वहाँ सिंचाई की सुविधा प्रदान करके फसलों का उत्पादन किया जा सकता है।

**7.3 ग्राम - कजरी :-** यह गाँव (25<sup>0</sup>38' उत्तरी अक्षांश एवं 87<sup>0</sup>39' पूर्वी देशान्तर) कटिहार - मुख्यालय से लगभग 19 कि० मी० उत्तरी-पूर्वी भाग में स्थित है। इस गाँव में जनसंख्या का घनत्व 2 93 व्यक्ति प्रति एकड़ तथा शुद्ध बोया गया क्षेत्र 0 39 एकड़ प्रति व्यक्ति है। इस गाँव का कुल क्षेत्रफल 211 00 एकड़ है। इस गाँव के पश्चिमी सीमान्त में कमला नदी प्रवाहित होती है जो सीमा का निर्धारण भी करती है। कमला नदी पूर्वी भाग में चयनित गाँव कजरी को पकड़िया से अलग करती है। उत्तरी-पश्चिमी भाग में डेडवा, दक्षिणी-पश्चिमी भाग में महमदिया तथा दक्षिणी-पश्चिमी भाग में भारीडीह गाँव स्थित है। कृषि उपयोग की दृष्टि से वर्ष 1951 में इस गाँव में 45 65% (78.98 एकड़) शुद्ध बोया गया क्षेत्र, 6 35% (10 98 एकड़) कृषि अप्राप्य, 26 48% (45 81 एकड़) कृष्य बजर तथा

21 52% (37 23 एकड़) बाग-बगीचों के अन्तर्गत सम्मिलित था जो चार दशकों (1951-1991) के अन्तराल बाद क्रमशः 83 12% (143 79 एकड़) शुद्ध बोया गया क्षेत्र 12.58% (21 77 ए.व.ड.) कृषि अप्राप्य 4 39% (7 6 एकड़) कृष्य बजर में परिवर्तित हो गया बाग-बगीचों के अन्तर्गत 100% का हास हुआ है अर्थात् वर्ष 1951-1991 की अवधि में विशेष अन्तर देखने को मिलता है, जो सारणी (7.3) से स्पष्ट है । वर्ष 1951-91 (चार दशकों) की अवधि में प्रतिशत परिवर्तन क्रमशः क्षेत्रफल के अन्तर्गत कुछ भी नहीं , परन्तु शुद्ध बोये गये क्षेत्र में 59 01% की वृद्धि, कृष्य अप्राप्य में 222 55% की वृद्धि तथा कृषि बंजर एव बाग-बगीचों में 100% का हास हुआ है । इसके साथ ही सिंचित क्षेत्र, दो फसली क्षेत्र और सकल कृषित क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है जो क्रमशः 208%, 372 90% तथा 81 39% है । शोधकर्ता ने अपने सूक्ष्म अध्ययन के आधार पर यह पाया कि चयनित गाँव के अन्तर्गत भूमि-उपयोग से संबंधित सभी घटकों में तकनीकी विकास के कारण भरपूर परिवर्तन हुआ है । कृष्य बजर तथा बाग-बगीचों का हास बहुत ही तेजी से हुआ है ।

कजरी गाँव का चयन कृषि हेतु अप्राप्य भूमि के रूप में किया गया है, क्योंकि यादुच्छिव प्रतिदर्श आठ गावों में से कजरी गाँव इसके लिए उपयुक्त पाया गया है इसलिए इसे इस श्रेणी में रखा गया । कजरी गाँव का विस्तार उत्तर से दक्षिण अपेक्षाकृत अधिक है । इस गाँव का अधिकांश भाग खेती के योग्य नहीं है । कमला नदी के प्रवाह के कारण समतल भूमि का अभाव है, जिसके कारण सही ढंग से खेती नहीं हो पाती है । खेती के लिए सभी भौगोलिक दशाएँ प्रतिकूल हैं, जबकि गाँव के समीप ही कमला नदी प्रवाहित होती है । भदई एव अगहनी की फसल अतिवृष्टि एव बाढ़ से प्रभावित होती है । वर्षाकाल की अधिकांश फसलें बाढ़ के कारण नष्ट हो जाती हैं लेकिन प्रस्तुत गाँव में विस्तृत क्षेत्र पर बाग-बगीचों का क्षेत्र भी विस्तृत था (सारणी 7.3 एवं मानचित्र 7.3) । तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि एव तकनीकी विकास के कारण बाग-बगीचों को काटकर केले एवं जूट की कृषि कर रहे हैं । चयनित गाँव में यह भी देखने को मिला कि आम, लीची, कटहल के बगानों के बीच में केले की सफल खेती सम्पन्न हो रही है । मानचित्र संख्या-7.3 ए को देखने से स्पष्ट होता है कि पहले जंगल, बाग-बगीचों के अन्तर्गत 33.86 एकड़ क्षेत्र सम्मिलित था, लेकिन जब मानचित्र 7 3 बी पर दृष्टि डालते हैं तो गाँव में बाग-बगीचों

का भू-क्षेत्र समाप्त प्राय दिखाई पड़ता है । पारिस्थितिकीय तन्त्र को ध्यान में रखते हुए भूमि-उपयोग का उचित उपयोग आवश्यक है । इस दृष्टि से जो क्षेत्र बाग-बगीचों के लिए उपयुक्त है, उन पर शीघ्र वृक्षारोपण आवश्यक है । चयनित गाँव में कजरी गाँव के अन्तर्गत विगत चार दशकों (1951-91) की अवधि में अधिकांश भूमि आवास, विद्यालय, सड़क, खलिहान, न्याय पंचायत तथा अन्य सांस्कृतिक उपयोगों में परिवर्तित हो गया है ।

### सारणी 7.3

ग्राम - कजरी, न्याय पंचायत - महमूदिया

कृषि उपयोग में परिवर्तनशील वितरण प्रतिरूप (1951-91)

(क्षेत्रफल एकड़ में)

क्र.सं०	भूमि उपयोग प्रतिरूप	क्षेत्रफल	1951		1991		अन्तर	परिवर्तन (% में)
			प्रतिशत	क्षेत्रफल	प्रतिशत	क्षेत्रफल		
1	क्षेत्रफल	211 00	-	211.00	-	-		
2	शुद्ध बोयागया क्षेत्र	99 92	47 35	158 98 75 35	59 06	(+)	59.01	
3	कृषि अप्राप्य	16 14	7 65	52 06 24 67	35.92	(+)	222.55	
4.	कृष्य बजर	61 08	28 95	00.00 00 00	61 08	(-)	100.00	
5	बाग-बगीचा	33 86	16.05	00.00 00 00	33 86	(-)	100.00	
6	सिंचित क्षेत्र	12 24	12 25	37 7 23 7	25.46	(+)	208.00	
7	दो-फसली क्षेत्र	13 84	13 85	65 45 41 17	51 61	(+)	372.90	
8	सकल कृषित क्षेत्र	185 15	-	335 85	-	150 7	(+)	81.39

सारणी 7 3 से ग्राम कजरी के भूमि-उपयोग में परिवर्तनशील वितरण प्रतिरूप को प्रदर्शित किया गया है । सारणी से यह ज्ञात होता है कि भूमि उपयोग से सम्बन्धित सभी घटकों में तीव्र परिवर्तन हुआ है । वर्ष 1951-91 (चार दशकों) की अवधि में कृषि अप्राप्य क्षेत्र के अन्तर्गत 222 55% की वृद्धि हुई है । इसी भाँति अन्य घटकों के अन्तर्गत भी अन्तर देखने को मिलता है ।




FIG 73

शुद्ध बोये गए क्षेत्र के अन्तर्गत 59.01% की वृद्धि हुई है। 1951 में इस गाँव के अन्तर्गत 99.92 एकड़ भू-क्षेत्र सम्मिलित था, वह बढ़कर 1991 में 158.98 एकड़ शुद्ध कृषित में परिवर्तित हो गया। इस गाँव में विशेषकर पटसन, धान, गरमा धान की खेती होती है। यत्र-तत्र केले की भी खेती देखने को मिलती है। पटसन और केला यहाँ की मुद्रादायिनी फसल के रूप में उत्पन्न की जाती है। पटसन का उत्पादन अधिक होने का एक मुख्य कारण कटिहार जिले में जूट उद्योग की स्थापना है। बढ़ती जनसंख्या के कारण लोग कृष्य बजार भूमि पर भी खेती का कार्य शुरू कर दिए हैं। जिसके कारण कृष्य बजार क्षेत्र को कृषित भूमि में परिवर्तित कर दिया गया है।

कृषि अप्राप्य भूमि के अन्तर्गत वर्ष 1951 में 16.14 एकड़ भू-क्षेत्र था, जो वर्ष 1991 में बढ़कर 52.06 एकड़ हो गया अर्थात् चार दशकों के दौरान 222.55% (35.92 एकड़) की वृद्धि हुई है।

कृष्य बजार के अन्तर्गत वर्ष 1951 में 61.08 एकड़ भू-क्षेत्र था जो वर्ष 1991 में समाप्त प्राय हो गया है अर्थात् 100% (61.08 एकड़) की कमी आयी है।

बाग-बगीचों के अन्तर्गत वर्ष 1951 में 33.86 एकड़ भू-क्षेत्र सम्मिलित था जो वर्ष 1991 (चार दशकों) की अवधि में सम्पूर्ण बाग-बगीचों को कृषि क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया। गाँव के लोगों का शुकाय भी वृक्षारोपण के प्रति दिखाई पड़ रहा है। विभिन्न प्रकार के फलदार वृक्षों का रोपण केले के साथ मिश्रित रूप में कर रहे हैं।

भूमि-उपयोग के लिए कृषि-भूमि उपयोग में सिंचित क्षेत्र का ऊँचा होना गहन कृषि का परिचायक होता है। सिंचित क्षेत्रों के अन्तर्गत चार दशकों में 208.00% की वृद्धि हुई है। जनसंख्या बढ़ने के साथ-साथ सिंचाई की सुविधाओं में सतत बढ़ोत्तर की जा रही है। इसके बावजूद कुछ क्षेत्र सिंचाई से वंचित रह जाते हैं।

दो फसली क्षेत्र में चार दशकों के दौरान 372.9% की वृद्धि हुई है। सर्वेक्षण के दौरान इस गाँव में लगभग सभी प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है। उनमें अधिकांश

पटसन और धान की खेती होती है । पटसन कृषि की मौसमी दशाओं में विस्तृत क्षेत्र पर उत्पन्न की जाती है । यदि सिंचाई की सुविधा बढ़ा दी जाय तो अनुमान है कि उत्पादन की मात्रा में दुगुनी वृद्धि हो जायेगी । अतः सिंचाई, उन्नत कृषि उपकरणों तथा उन्नतशील बीजों की व्यवस्था प्रदान कर दो-फसली क्षेत्र तथा उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है । अध्ययन क्षेत्र में व्यक्तिगत बॉस-बोरिंग की सुविधा है, जिससे समयानुसार फसलों की सिंचाई हो जाती है ।

बहुफसली कृषि के परिणाम स्वरूप सकल कृषित क्षेत्र के अन्तर्गत पर्याप्त भू-भाग सम्मिलित है । तुलनात्मक दृष्टि से वर्ष 1951 में 185.15 एकड़ सकल कृषि प्राप्त था जो वर्ष 1991 में बढ़कर 335.85 एकड़ के रूप में परिवर्तित हो गया है । अर्थात् 150.7 एकड़ (81.39%) सकल कृषित क्षेत्र के अन्तर्गत विद्यमान है । यह वृद्धि चार दशकों की अवधि में हुई । सकल कृषित क्षेत्र को सिंचाई, उन्नतशील बीज, नवीन कृषि पद्धति, कृषि यंत्रों आदि अन्यान्य सुविधाओं को प्रदान कर सकल कृषित क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है ।

**7.4 ग्राम - जंकरपुर :-** यह गाँव (25°34' उत्तरी अक्षांश एवं 87°38' पूर्वी देशान्तर) कटिहार मुख्यालय से लगभग 19 कि० मी० पूर्वी भाग में न्याय पंचायत बोरनी गोरगाम के अन्तर्गत स्थित है । यह एक गैर, आबाद गाँव है । इसका चयन दो - फसली भूमि अधिक होने के फलस्वरूप अध्ययन हेतु किया गया है । यह गाँव तीन तरफ से कमला नदी से घिरा हुआ है जो पूर्व में रतनपुर, दक्षिण में रतनपुर एवं दक्षिण-पश्चिम में धुसमर बेलवा की सीमा से अलग करती है । इस गाँव के उत्तर में नीमा गाँव स्थित है । भौगोलिक दृष्टिकोण से यह गाँव नदी के प्रवाह क्षेत्र में पड़ता है । कमला नदी का अपरदन और निक्षेपण का प्रभाव इस गाँव पर स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है ।

भूमि-उपयोग परिवर्तनशील वितरण प्रतिरूप (1951-91) की दृष्टि से चार दशकों में विशेष परिवर्तन हुआ है जो सारणी 7.4 से स्पष्ट है ।

दो फसली क्षेत्र के अन्तर्गत इस गाँव का वर्ष 1951 की अवधि में 25.35% (13 20 एकड़) भू-क्षेत्र सम्मिलित था जो वर्ष 1991 में बढ़कर 90.32% (76 1 एकड़) भू-क्षेत्र में परिवर्तित हो गया, अर्थात् चार दशकों (1951-91) की अवधि में 62 90 एकड़ की एव 476.5% की वृद्धि हुई। कमला नदी के द्वारा प्रतिवर्ष नई मिट्टी के विस्तृत जमाव के फलस्वरूप भरपूर उत्पादन प्राप्त होता है। वर्ष में भदई, अगहनी, रबी एवं गरमा की फसलें पर्याप्त क्षेत्र पर उत्पन्न की जाती हैं। धरातल निम्न होने के फलस्वरूप भदई, अगहनी की फसल पर्याप्त होती है। सिंचाई की सुविधा से रबी एवं गरमा की फसलें भी विस्तृत क्षेत्र पर उत्पन्न की जाती हैं। अपेक्षाकृत उत्पादन भी अधिक होता है। मानचित्र संख्या 7 4 ए एव 4.4 बी को देखने से स्पष्ट होता है कि विस्तृत क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है। प्रतिवर्ष नये जलोढ़ मृदा के फलस्वरूप खाद एवं सिंचाई की भी कम आवश्यकता पड़ती है। अल्प श्रम में ही पर्याप्त उत्पादन मिल जाता है।

शुद्ध बोये गये क्षेत्र के अन्तर्गत भी पर्याप्त अंतर देखने को मिलता है। वर्ष 1951 में 52 07 एकड़ (48.36%) भू-क्षेत्र सम्मिलित था जो वर्ष 1991 में बढ़कर 84.25 एकड़ (78.27%) भू-क्षेत्र में परिवर्तित हो गया। यह परिवर्तन चार दशकों (1951-91) की अवधि में 32 18 एकड़ तथा 61.80% की वृद्धि हुई। मानचित्र 7.4 बी देखने से स्पष्ट हो जाता है कि वर्ष 1991 में शुद्ध बोये गये क्षेत्र में परिवर्तन हुआ है। इसका प्रमुख कारण तकनीकी ज्ञान तथा खेती के प्रति बढ़ती उत्सुकता है। गाँव के मुखिया एवं सरपंच से मिलने के फलस्वरूप यह ज्ञात हुआ कि चार दशकों के बाद पैदावार में काफी वृद्धि हुई है। फसलों का प्रतिरूप बदला है। अत्यधिक उत्पादन देने वाली फसलों की खेती हो रही है।

कृष्य अप्राप्य क्षेत्र में भी पर्याप्त अंतर देखने को मिलता है। वर्ष 1951 में 4.55% (4.89 एकड़) भू-क्षेत्र सम्मिलित था जो वर्ष 1991 में बढ़कर 7.53% (8 1 एकड़) भू-क्षेत्र में परिवर्तित हो गया है। यह परिवर्तन चार दशकों में 65.64% की वृद्धि हुई है। मानचित्र से स्पष्ट हो जाता है कि वर्ष 1951 में यत्र-तत्र कृष्य अप्राप्य भूमि दिखाई दे रहा है लेकिन 1991 के मानचित्र में इसके अन्तर्गत तीव्र परिवर्तन देखने को मिलता



है । अर्थात् अनुपयुक्त भूमियो पर सडक, अधिवास, नहर तथा अन्य सांस्कृतिक क्षेत्रों के रूप में उपयोग मे लाया गया है ।

#### सारणी 7.4

ग्राम - शंकरपुर, न्याय पंचायत - बोरनी  
भूमि उपयोग में परिवर्तनशील वितरण प्रतिरूप (1951-91)  
(क्षेत्रफल एकड में)

क्र०सं०	भूमि उपयोग प्रतिरूप	क्षेत्रफल	1951 प्रतिशत	1991 क्षेत्रफल प्रतिशत	अंतर	परिवर्तन (% में)
1	क्षेत्रफल	107 63	-	107 63	-	-
2	शुद्ध बोया गया क्षेत्र	52 07	48 36	84 25	78.27	32.18
3	कृष्य अप्राप्य	4.89	4.55	8 10	7.53	3 21 (+) 65.64
4	बाग-बगीचा	17 69	16 44	5 02	4.66	12 67 (-) 71.62
5	कृष्य बंजर	32 98	30 65	10 26	9.53	22.72 (-) 68.89
6	सिंचित क्षेत्र	9.54	18.32	30 50	36.19	20.96 (+) 219.71
7	दो-फसली क्षेत्र	13.20	25 35	76 10	90.32	62.90 (+) 476.51
8.	सकल कृषित क्षेत्र	95.06	-	158.80	-	63 74 (+) 67.05

कृष्य बंजर के अन्तर्गत भी पर्याप्त अन्तर देखने को मिलता है । शोधकर्ता ने अध्ययन क्षेत्र मे भ्रमण के दौरान पाया कि कृष्य बंजर का प्रतिशत कम हो गई जो सारणी (7.4) से स्पष्ट है । वर्ष 1951 में 26 48% (45 81 एकड) भू-क्षेत्र सम्मिलित था जो वर्ष 1991 मे घटकर 4 39% (7 6 एकड) भू-क्षेत्र में परिवर्तित हो गया, अर्थात् चार दशकों के अन्तर्गत 68 81% का हास हुआ । अनुपयुक्त भूमि को कृषि की नई तकनीक के फलस्वरूप खेती कार्य मे लाया गया जिसके कारण इनके भू-क्षेत्र मे तेजी से हास हुआ ।




Fig.7 4

बाग-बगीचों में विशेष परिवर्तन हुआ है, क्योंकि वर्ष 1951 में 16.44% (17.69 एकड़) भू-क्षेत्र इसके अन्तर्गत सम्मिलित था जो वर्ष 1991 में घटकर 4.66% (5.02 एकड़) भू-क्षेत्र शेष रह गया है। यह अन्तर 71.62% (12.67 एकड़) का हुआ। वर्तमान में जो भी बाग-बगीचा का क्षेत्र विद्यमान है उसके मुख्य रूप से आम, कटहल, लीची तथा अमरुद के वृक्ष देखने को मिलते हैं। साथ ही क्षेत्रीय जागरूकता के परिणामस्वरूप इन बगीचों में बीच-बीच में केले की खेती की जा रही है। बाग-बगीचों के तीव्र कटाव से प्रतिदर्श गाँव वनस्पति विहीन होने के कारण पर पहुँच गया है। अतः इस पर नियंत्रण आवश्यक है, अन्यथा क्षेत्र असन्तुलन का शिकार बन सकता है।

सिंचित क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए जब प्रतिदर्श गाँव का अध्ययन किया गया तो चार दशकों (1951-91) की अवधि में काफी परिवर्तन मिला है। वर्ष 1951 में 18.32% (9.54 एकड़) भू-क्षेत्र सिंचित था जो वर्ष 1991 में बढ़कर 36.19% (30.5 एकड़) पहुँच गया है। अर्थात् सिंचाई की पर्याप्त सुविधा देखने को मिलती है। सिंचाई के रूप में नदी के जल का प्रयोग करते हैं। इस गाँव की 80% भूमि की सिंचाई कमला नदी के जल से सम्पन्न होती है। पम्पिंग सेट का प्रयोग विशेष रूप से देखने को मिलता है। मध्यवर्ती भाग में बाँस - बोरिंग की सहायता से सिंचाई की जाती है। इन सब सुविधाओं के कारण उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। सिंचन क्षेत्र में पर्याप्तता के कारण दो-फसली क्षेत्र में वृद्धि हुई है। सिंचाई की सुविधा एवं दो फसली क्षेत्र की अधिकता के कारण सकल कृषित क्षेत्र भी अधिक है। वर्षाकाल में अतिवृष्टि से बाढ़ के फलस्वरूप निम्न भूमि पर आच्छादित फसलें नष्ट हो जाती हैं। वर्षाकाल में विशेषकर भदई एवं अगहनी की फसलें निम्नवर्ती भू-भाग में जो बोई गई रहती हैं, प्रभावित होती हैं। फसलों के बचाव के लिए नदी के किनारे-किनारे बाँध का निर्माण आवश्यक है। बाँध के निर्माण से कृषि क्षेत्र के विस्तार की ओर पर्याप्त सभावना है तथा कृषि कार्य में विशेष विकास देखने को मिलेगा।

इस प्रकार उपर्युक्त बातों के साथ जब हम सकल कृषित क्षेत्र पर ध्यान देते हैं तो चार दशकों की अवधि (1951-91) में विशेष परिवर्तन मिलता है, क्योंकि वर्ष 1951

मे 95 06 एकड भू-क्षेत्र सम्मिलित था जो वर्ष 1991 मे बढ़कर 158 80 एकड अर्थात् 63 74 एकड की वृद्धि हुई है जो 67 05% की वृद्धि की प्रदर्शित करती है ।

इस तरह सभी बिन्दुओं पर प्रकाश डालने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि नदियों के किनारे बाँध बनाकर इस गाँव की स्थिति मे विशेष सुधार लाया जा सकता है ।

**7.5 ग्राम- परियाग दह :-** यह गाँव (25<sup>0</sup>40' उत्तरी अक्षांश एवं 87<sup>0</sup>36' पूर्वी देशान्तर) कटिहार मुख्यालय से लगभग 24 कि.0 मी0 दूर चन्देरी भर्मा न्याय-पचायत मे स्थित है । इस गाँव का कुल क्षेत्रफल 173 00 एकड है । इस गाँव में जनसंख्या का घनत्व 2.83 व्यक्ति प्रति एकड तथा शुद्ध बोया गया क्षेत्र 0 23 एकड प्रति व्यक्ति है । इस गाँव के उत्तरी भाग में हरखा, पूर्वी भाग मे चन्देरी, दक्षिणी भाग में जगन्नाथपुर तथा पश्चिमी भाग मे रामपुर कोसपाली गाँव स्थित हैं । इस गाँव का चयन सचित क्षेत्र के रूप में किया गया है ।

भूमि-उपयोग परिवर्तनशील वितरण - प्रतिरूप (1951-1991) की दृष्टि से चार दशकों मे काफी परिवर्तन देखने को मिलता है , सारणी 7 5 से स्पष्ट है ।

सचित क्षेत्र के अन्तर्गत इस गाँव का 11 15 एकड (14.13%), भू-क्षेत्र वर्ष 1951 के अन्तर्गत था, जो वर्ष 1991 मे बढ़कर 62 34 एकड (43.35%) भू-क्षेत्र में परिवर्तित हो गया । यह अन्तर चार दशकों में 51 19 एकड का हुआ, अर्थात् 459.10% परिवर्तन वृद्धि हुई । इस गाँव मे पर्याप्त सिंचाई की सुविधा है । गाँव के सरपच तथा मुखिया से साक्षात्कार फलस्वरूप गाँव का सूक्ष्म अध्ययन करने मे शोधकर्ता को काफी सहूलियत मिली अध्ययन अवधि मे यह पाया गया कि कृषक सिंचाई के साधन के रूप में ट्र्यूबेल, बॉस-बॉरिंग, नहर, नलकूप तथा पवन चक्की का प्रयोग करते हैं । धरातल समतल है । गाँव की मिट्टी दोमट, मटियार, दोमट प्रकार की है । पडोसी गाँवों की तुलना में इस गाँव में पैदावार अधिक होती है । गाँव के उत्तरी-पश्चिमी तथा मध्यवर्ती भाग में सडक गुजरती है, जिसके चलते

आवागमन की सुविधा है, चित्र संख्या 7 5 बी ।

शुद्ध बोये गये क्षेत्र के अन्तर्गत भी पर्याप्त विषमता है । वर्ष 1951 में कुल क्षेत्रफल 173 00 एकड़ में 78 98 एकड़ (45 65%) भू-क्षेत्र शुद्ध बोये गये क्षेत्र के अन्तर्गत सम्मिलित था, जो वर्ष 1991 में बढ़कर 143 79 एकड़ (83 12%) भू-क्षेत्र हो गया अर्थात् 64 81 एकड़ की वृद्धि हुई जो 82 5% वृद्धि को प्रदर्शित करता है । कृषकों के अन्तर्गत चार दशकों की अवधि में विशेष चेतना एवं दक्षता आई है । अनुपयुक्त भूमियों को कृषि क्षेत्र में परिवर्तित कर फसलोत्पादन प्राप्त कर रहे हैं । 1951 में कृषित क्षेत्रों पर केवल ज्वार, बाजरा, धान आदि मोटे अनाजों का उत्पादन होता था । जो अब कई फसलों का उत्पादन हो रहा है । वर्तमान में धान, गेहूँ, दलहन, तिलहन तथा व्यावसायिक फसलों में केला, पटसन आदि की खेती देखने को मिल रहा है । नहर की सुविधा तो इस गाँव में है लेकिन समय से पानी नहीं आने के कारण कृषकों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है । यदि नहर में समय से पानी तथा सरकारी नलकूप की पर्याप्त सुविधा प्रदान किया जाय तो इस गाँव में फसलोत्पादन का आशातीत परिवर्तन देखने को मिलेगा ।

#### सारणी 7.5

ग्राम - परियागदह, न्याय प्रंचायत - चन्देली भर्ग

भूमि-उपयोग में परिवर्तनशील वितरण प्रतिरूप (1951-91)

(क्षेत्रफल एकड़ में)

क्र०सं०	भूमि-उपयोग	क्षेत्रफल	1951 प्रतिशत	क्षेत्रफल	1991 प्रतिशत	अंतर	परिवर्तन (% में)
1.	भौगोलिक क्षेत्रफल	173 00	-	173 00	-	-	-
2.	शुद्ध बोया गया क्षेत्र	78 98	45 65	143 79	83 12	64 81 (+)	82.05
3.	कृष्य अप्राप्य क्षेत्र	10 98	6 35	21 77	12 58	10 79 (+)	98.26
4.	कृष्य बंजर	45.81	26 48	7 60	4.39	38 21 (-)	42 32
5.	बाग-बगीचा	37.23	21.52	00 00	0 00	37.23 (-)	100.00
6.	सिंचित क्षेत्र	11.15	14 13	62 34	43.35	51 19 (+)	459.10
7.	दो-फसली	12.04	15 25	79 61	55.37	67 57 (+)	561.21
8.	सकल कृषित क्षेत्र	166 90	-	285 82	-	118 92 (+)	71.25




Fig 7.5

कृषि अप्राप्य क्षेत्र के अन्तर्गत भी पर्याप्त अंतर आया है क्योंकि वर्ष 1951 में कुल क्षेत्रफल का 10 98 एकड़ (6 35%) भू-क्षेत्र सम्मिलित था जो 1991 में बढ़कर 21 77 एकड़ (12.58%) भू-क्षेत्र हो गया है। यह परिवर्तन चार दशकों के दौरान 10.79 एकड़ तथा प्रतिशत परिवर्तन वृद्धि 98.26% की हुई है, क्योंकि मानचित्र संख्या 7 5 ए में आबादी पश्चिमी भाग तथा उत्तरी-पूर्वी भाग में गाँव विस्तृत था जो मानचित्र संख्या 7.5 बी वर्ष 1991 में इसका काफी फैलाव देखने को मिलता है। जनसंख्या बढ़ती गई, लोग आवास के रूप में भूमियों पर विस्तृत होते गये। साथ ही सड़क, न्याय-पंचायत, विद्यालय, नहर, नलकूप, चकरोड आदि में विशेष भूमि उपयोग में आ गयी है, जिसके फलस्वरूप कृषि अप्राप्य में काफी वृद्धि हुई है। यहाँ तक कि लोग बाग-बगीचों को काटकर वहाँ अपना मकान बना लिए हैं। प्रायः अध्ययन क्षेत्र के सभी गाँवों में बाग-बगीचों का कटाव देखने को मिला है। पेड़-पौधों के क्षेत्र में तेजी से हास हुआ है।

कृष्य बजर के अन्तर्गत भी काफी परिवर्तन हुआ है, क्योंकि वर्ष 1951 में 45 81 एकड़ (26.48%) भू-क्षेत्र सम्मिलित था जो वर्ष 1991 में घटकर 7.6 एकड़ (4 39%) भू-क्षेत्र कृष्य बजर के रूप में शेष रह गया। यह परिवर्तन चार दशकों की अवधि में 38 21 एकड़ अर्थात् 42 32% की कमी हुई। इससे स्पष्ट होता है कि लोग अनुपयुक्त भूमियों को खेती तथा अन्य सांस्कृतिक कार्यों में लगाये हैं। भीठ, डीह आदि ऊँची जमीन को जोतकर खेती में परिवर्तन कर लिए हैं। मानव की जैसे-जैसे आवश्यकता बढ़ती गई, अनुपयुक्त भूमि को उपयुक्त बनाकर उपयोग में लाये हैं, और यह क्रम अनवरत चलता ही रहेगा।

बाग-बगीचों में विशेष परिवर्तन देखने को मिला है, क्योंकि वर्ष 1951 में 37 27 एकड़ (21 52%) भू-क्षेत्र सम्मिलित था जो वर्ष 1991 तक तीव्र शोषण के फलस्वरूप नगण्य हो गया अर्थात् चार दशकों - 1951-91 के बाद 37 23 एकड़ का हास अर्थात् 100% की कमी हुई। सम्पूर्ण गाँव बाग-बगीचों से वीरान हो गया, दुर्भाग्य इस बात का है कि विस्तृत व्यापक सरकारी योजना के बावजूद भी वृक्षारोपण इस प्रतिदर्श गाँव में वंचित रहा। आज भी इस गाँव के लोगों की चेतना वृक्षारोपण की ओर नहीं हुआ है। यदि इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो इस गाँव में रहने वाले लोग अनेक प्रकार के भौतिक एवं-

सांस्कृतिक बाधाओं का शिकार हो जायेगे । अतः इस गाँव के नहरों, सडकों तथा अन्य सांस्कृतिक स्थलों पर गहन वृक्षारोपण करके इस कमी की पूर्ति की जा सकती है ।

दो फसली क्षेत्र में भी पर्याप्त अन्तर मिलता है । वर्ष 1951 में 12 04 एकड़ (15 25%) भू-क्षेत्र दो-फसली के अन्तर्गत सम्मिलित था जो वर्ष 1991 में बढ़कर 79.61 एकड़ (55 37%) भू-क्षेत्र में परिवर्तित हो गया है । यह वृद्धि चार दशकों की अवधि में 67 57 एकड़ अर्थात् 561 21% की वृद्धि हुई है । गाँव के भूस्वामियों से बातचीत के दौरान यह पाया गया कि वर्ष 1951 में केवल इस भू-क्षेत्र पर मोटे अनाजों वाली फसलों की खेती होती थी, परन्तु आज तकनीकी ज्ञान, सिंचाई की सुविधा, उन्नतशील बीज एवं अन्य भौगोलिक सुविधाओं के फलस्वरूप दो फसली क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई है । फसलों में आज पटसन, गेहूँ, धान, मक्का तथा दलहन का भरपूर उत्पादन होता है । जो छोटे कृषक हैं उनके पास सुविधा न होने के कारण अच्छी पैदावार नहीं कर पाते हैं । अतः इन्हें सरकारी सुविधा जैसे बीज, ऋण, भूमि एवं सिंचाई की व्यवस्था प्रदान कर उन्हें अच्छे उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जाय एवं इनके जीवन - स्तर को ऊँचा उठाया जा सकता है ।

सकल कृषित क्षेत्र का अवलोकन करने के बाद काफी अन्तर देखने को मिला है क्योंकि वर्ष 1951 में 166 90 एकड़ भू-क्षेत्र पर सकल कृषित क्षेत्र था, जो बढ़कर वर्ष 1991 में 285 82 एकड़ भू-क्षेत्र में परिवर्तित हो गया । यह परिवर्तन 118 92 एकड़ का चार दशकों (1951-91) के दौरान 71 25% की वृद्धि के रूप में हुआ ।

प्रतिदर्श गाँव में लोगो की जीविका का मुख्य आधार कृषि है । शिक्षा का स्तर निम्न है । मजदूर कृषक अधिक है । इस गाँव के अधिकतर लोग जीविकोपार्जन हेतु देश के विभिन्न भागो विशेषकर पंजाब में मजदूरी करने के लिए जाते है । गाँव में कुटीर उद्योग के रूप में जूता-चप्पल, धनकुट्टी, मुर्गीपालन आदि देखने को मिलता है । वर्तमान में इस गाँव के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए सिंचाई की पर्याप्त सुविधा, विद्यालय, बिजली की आवश्यकता है । जो लोग बाहर जाकर दैनिक मजदूरी करते है, अर्द्ध-ऋण प्रदान कर छोटे-छोटे उद्योग लगवाये जायें तो निश्चय ही इस गाँव का आने वाले समय में द्रुतगति से विकास तथा लोगो



का जीवन-स्तर ऊँचा होगा ।

**7.6 ग्राम सहिसिया** - यह गाँव ( $25^{\circ}31'$  उत्तरी अक्षांश एव  $87^{\circ}36'$  पूर्वी देशान्तर) कटिहार मुख्यालय से लगभग 15 कि० मी० की दूरी पर दक्षिणी-पूर्वी भाग में स्थित है । इस गाँव का चयन 'गेर आबाद गाँव' के रूप में किया गया है । इस गाँव के उत्तरी भाग में बेगना, पश्चिमी भाग में महदेई तथा दक्षिण-पूर्वी भाग में डहरिया गाँव स्थित है । इस गाँव का कुल क्षेत्रफल 36 42 एकड़ है । क्षेत्रफल की दृष्टि से यह छोटा गाँव है । शोधकर्ता ने इस चयनित गाँव के निरीक्षण के दौरान पाया कि गावों में फसलों का सम्मिश्रण प्रायः नहीं है अथवा सम्मिश्रण बहुत ही कम है ।

भूमि उपयोग परिवर्तनशील वितरण प्रतिरूप (1951-91) की दृष्टि से चार दशकों के अन्तराल बाद क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं मिला, परन्तु शुद्ध बोया गया क्षेत्र वर्ष 1951 में 16 86 एकड़ (46 32%) वर्ष 1991 में 26 02 एकड़ (71 44%) में परिवर्तित हो गया है । चार दशकों के दौरान 9 16 एकड़ का अन्तर और 54 32% की वृद्धि हुई । -

कृषि अप्राप्य के अन्तर्गत वर्ष 1951 में 4 49 एकड़ (12 35%) क्षेत्र था जो वर्ष 1991 में 10 4 एकड़ (28 55%) में परिवर्तित हो गया है । यह परिवर्तन चार दशकों के अन्तराल बाद 5 91 एकड़ का हुआ अर्थात् प्रतिशत परिवर्तन वृद्धि 131 62% की हुई है । प्रतिदर्श गाँव में कृषि अप्राप्य के विभिन्न पक्षों के अध्ययन के फलस्वरूप इसके निम्नांकित परिवर्तन देखने को मिलता है । जलयुक्त क्षेत्र के अन्तर्गत (1951-91) चार दशकों में 32 92% का हास, मानव-अधिवास, परिवहन, सिंचाई के अन्तर्गत 72 08% की वृद्धि, कब्रिस्तान एव मरघट के अन्तर्गत कोई परिवर्तन नहीं है । अब कृषि अयोग्य क्षेत्र में 74 61% का हास तथा कुल कृषि अप्राप्य क्षेत्र के अन्तर्गत 49 56% की वृद्धि देखने को मिलता है ।

कृषि बजर के अंतर्गत 6 68 एकड़ भू-क्षेत्र (1951-91) चार दशकों बाद कृषि क्षेत्र में

परिवर्तित कर लिया गया, अर्थात् कृषि बंजर भूमि में 100.00% का हास हुआ -

बाग-बगीचों के अन्तर्गत वर्ष 1951 में 8.39 एकड़ (22.27%) भू-क्षेत्र था जो वर्ष 1991 में कटकर साफ हो गया। चार दशकों (1951-91) के दौरान इस गाँव में 100.00% का हास हुआ, सारणी 7.6 से स्पष्ट है।

### सारणी 7.6

ग्राम - सहिसिया, न्याय पंचायत - परतेली

भूमि उपयोग में परिवर्तनशील वितरण प्रतिरूप (1951-91)

(क्षेत्रफल एकड़ में)

क्र०सं०	भूमि-उपयोग प्रतिरूप	1951		1991		अंतर	परिवर्तन (% में)
		क्षेत्रफल	प्रतिशत	क्षेत्रफल	प्रतिशत		
1	क्षेत्रफल	36.42	-	36.42	-	-	-
2	शुद्ध बोया गया क्षेत्र	16.46	46.32	26.02	71.44	9.16	(+) 54.32
3.	कृषि उप्राप्य	4.49	12.35	10.40	28.55	5.91	(+) 31.62
4.	कृष्य बंजर	6.68	18.36	00.00	00.00	6.68	(-) 100.00
5	बाग-बगीचा	8.39	22.97	00.00	00.00	8.39	(-) 100.00
6	सिंचित क्षेत्र	2.99	17.73	4.27	16.41	1.28	(+) 42.80
7	दो-फसली क्षेत्र	3.27	19.38	18.15	69.75	14.88	(+) 455.04
8	सकल कृषित क्षेत्र	25.85	-	35.95	-	10.1	(+) 39.07

सिंचित क्षेत्र के अन्तर्गत भी परिवर्तन देखने को मिलता है। वर्ष 1951 में 2.99 एकड़ (17.25%) भू-क्षेत्र सिंचित के अन्तर्गत था जो वर्ष 1991 में 4.27 एकड़ (16.41%) में परिवर्तित हो गया, अर्थात् अन्तर 1.28 एकड़ का और परिवर्तन 42.80% की वृद्धि देखने को मिलती है।




Fig 7 6

दो-फसली क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष 1991 में 3 27 एकड़ (19 38%) भू-क्षेत्र सम्मिलित था जो वर्ष 1991 में 18 15 एकड़ (69 75%) अर्थात् 14 88 एकड़ का अन्तर हुआ अर्थात् 455 04% की वृद्धि हुई ।

उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए अध्ययन क्षेत्र के प्रतिदर्श गाँव के सकल कृषित क्षेत्र में भी परिवर्तन देखने को मिलता है । वर्ष 1951 में 25 85 एकड़ भू-क्षेत्र सकल कृषित क्षेत्र के अन्तर्गत था जो वर्ष 1991 में 35.95 एकड़ में परिवर्तित हो गया, अर्थात् 10 । एकड़ का अन्तर प्राप्त है जो 39 07% की वृद्धि को प्रदर्शित करता है । उपर्युक्त बातों से स्पष्ट होता है कि वर्ष 1951-91 (चार दशक) के दौरान प्रतिदर्श गाँव में काफी अन्तर देखने को मिलता है । सर्वाधिक परिवर्तन कृष्य बंजर तथा बाग-बगीचों के अन्तर्गत हुआ है ।

मानचित्र सख्या 7 6 ए को देखने से स्पष्ट होता है कि गाँव के उत्तरी भाग में बेगना से सटे पश्चिम से पूर्व की ओर आवागमन हेतु मार्ग है । सड़क के किनारे कृष्य बंजर, बाग-बगीचा का क्षेत्र विस्तृत है, जबकि मानचित्र सख्या 7 6 बी को देखने से स्पष्ट होता है कि बाग-बगीचा, कृष्य बंजर क्षेत्र कृषित क्षेत्र में परिवर्तित हो गया है । साथ ही गाँव के पश्चिम -पूर्व तथा दक्षिणी-पश्चिमी दिशा में आवागमन के लिए मार्ग का निर्माण किया गया है ।

प्रतिदर्श गाँव के मुख्य रूप से गेहूँ, धान, पटसन, मटर तथा दलहन की खेती देखने को मिलती है । सर्वेक्षण से यह ज्ञात हुआ कि इस गाँव में सिंचाई तथा कृषि उपकरणों का पर्याप्त अभाव है । कहीं-कहीं केले की खेती भी देखने को मिलती है । सिंचाई यहाँ व्यक्तिगत साधन द्वारा किया जाता है । यदि सिंचाई की सुविधा, अच्छे बीज, कृषि-उपकरण तथा कृषि के लिए भौगोलिक सुविधाएँ पर्याप्त मिले तो सम्भव है कि उत्पादन की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है । प्रतिदर्श गाँव में तत्काल वृक्षारोपण की नितात आवश्यकता है क्योंकि सरकार का ध्यान वृक्षारोपण के क्षेत्र में सर्वव्यापी होते हुए भी प्रतिदर्श गाँव इससे

वंचित है । सांस्कृतिक भूमियों पर वृक्षारोपण करके गाँव का उन्नयन किया जा सकता है। प्रतिदर्श गाँव के दक्षिणी भाग की मिट्टी काफी उपयुक्त है । यदि यहाँ सिंचाई की सुविधा दी जाय तो बहुफसली (गेहूँ, चना, मटर, धान, पटसन ) का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में किया जा सकता है ।

इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि गाँव के उन्नयन के लिए, शिक्षा, मार्ग, सिंचाई तथा कुटीर उद्योगों की नितात आवश्यकता है ।

**7 7 ग्राम - खेरा** - यह गाँव 25<sup>0</sup>33' उत्तरी अक्षांश एवं 87<sup>0</sup>37' पूर्वी देशान्तर) कटिहार मुख्यालय से लगभग 16 कि० मी० पूर्वी भाग न्याय पंचायत मधेपुरा में स्थित है । इस गाँव में जनसंख्या का घनत्व 1.29 व्यक्ति प्रति एकड़ तथा शुद्ध बोया गया क्षेत्रक 0.57 एकड़ प्रति व्यक्ति है । इस गाँव की पश्चिमी सीमा पर कमला नदी उत्तर-दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है । यह नदी अध्ययन क्षेत्र के मध्यक मियाण्डर बनाती हुई प्रवाहित होती है । इस गाँव के उत्तर-पूर्व में रतनपुरा, पूर्व में डण्डखोरा, दक्षिण में बतेली, दक्षिण-पश्चिम में गरमैली, पश्चिम में घुसमर तथा उत्तर पश्चिमी में घुसमर बेलवा गाँव स्थित है । इस गाँव के उत्तरी भाग से छोटी रेलवे लाइन (एन०एफ०रेलवे) कटिहार से सिलीगुडी को जाती है । सड़कों का निर्माण एवं शहर क्षेत्र में जड़ना होने के कारण इस गाँव का चयन यातायात उन्मुख गाँव के रूप में किया गया है ।

भूमि उपयोग परिवर्तनशील वितरण प्रतिरूप की दृष्टि से चार दशकों (1951-91) की अवधि में इस प्रतिदर्श चयनित गाँव में काफी परिवर्तन देखने को मिलता है । जो सारणी 7 7 से स्पष्ट है ।

शुद्ध बोये गये क्षेत्र पर प्रकाश डालने के फलस्वरूप यह देखा गया कि वर्ष 1951 में 43.83% (178 97 एकड़) भू भाग इसके अन्तर्गत था, जो वर्ष 1991 में बढ़कर 74.03% (302 30 एकड़) भूभाग में परिणत हो गया । यह परिवर्तन चार दशकों (1951-91) की अवधि में 68 91% (123 33 एकड़) की वृद्धि देखने को मिला है

## सारणी 7-7

ग्राम - खेरा न्याय पंचायत - मधेपुरा

भूमि उपयोग में परिवर्तनशील वितरण प्रतिरूप (1951-91)

(क्षेत्रफल एकड़ में)

क्र.सं०	भूमि उपयोग प्रतिरूप	क्षेत्रफल	1951		1991		अन्तर	परिवर्तन (% में)
			प्रतिशत	क्षेत्रफल	प्रतिशत	क्षेत्रफल		
1	क्षेत्रफल	408 35	-	408 35	-	-	-	-
2	शुद्ध बोया गया क्षेत्र	178 97	43 83	302 30	74.03	123 33	(+)	68.91
3	कृषि अप्राप्य	50 47	12 36	106 05	25.97	55 58	(+)	110.12
4	कृष्य-बंजर	78 52	19.23	00 00	00 00	78.52	(-)	100.00
5	बाग-बगीचा	100 39	24.58	00 00	00.00	100.39	(+)	100.00
6.	सिंचित क्षेत्र	32 50	18 16	125 80	41.61	93.30	(+)	287.07
7	दो-फसली	41 61	23 25	269 00	88 98	227 39	(+)	546.57
8	सकल कृषित क्षेत्र	215 15	-	571 90	-	356 75	(+)	165.81

1991

VILLAGE - KHAIRA  
PRAKHAND-KATI HAR B

1951

A




Fig 7.7

चयनित गाँव की मिट्टी दोमट एव बलुआर दोमट प्रकार की है । साथ ही नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से निर्मित है , जिसके कारण उर्वर मृदा कृषि कार्य के लिए विशेष भूमि-उपयोग में तीव्र परिवर्तन नवीन कृषि तकनीकी के कारण अनुकूल भी हुआ है । मानचित्र 7.7 ए तथा 7.7 बी को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि पहले कृषि-भूमि का क्षेत्र कम था । वर्तमान में अधिकांश भू-भाग पर कृषि कार्य देखने को मिल रहा है । रेलवे लाइन के दोनों तरफ कृषि क्षेत्र विस्तृत है । नदियों के समीपस्थ भागों में धान की अच्छी खेती होती है ।

कृष्य अप्राप्य क्षेत्र के अन्तर्गत भी पर्याप्त अन्तर देखने को मिलता है । वर्ष 1951 में 12.36% (50.47 एकड़) भू-भाग कृष्य अप्राप्य के अन्तर्गत सम्मिलित था जो वर्ष 1991 में बढ़कर 25.97% (106.05 एकड़) भू-भाग में बदल गया अर्थात् यह वृद्धि चार दशकों (1951-91) की अवधि में 110.12% (55.58 एकड़) भूभाग की वृद्धि हुई है । कृष्य अप्राप्य के अन्तर्गत 1951-91 की अवधि में 13.53% का हास जलयुक्त क्षेत्र, 70.47% की वृद्धि मानव-अधिवास, परिवहन, सिंचाई के साधनों के अन्तर्गत 44.60% हास कश्मिस्तान एव मरघट के अन्तर्गत कृषि अयोग्य क्षेत्रों में 19.8% का हास हुआ है । अतः कुल वृद्धि अप्राप्य क्षेत्र में चार दशकों (1951-91) के अन्तर्गत 52.61% की हुई है ।

कृष्य बंजर के क्षेत्र में विशेष परिवर्तन हुआ है । वर्ष 1951 में 19.23% (78.52 एकड़) भूक्षेत्र था जो वर्ष 1991 में नगण्य हो गया अर्थात् चार दशकों (1951-91) की अवधि में 100% (78.52 एकड़) का हास हुआ है । अतः जो भूमि 1951 में अनुपयुक्त थी, आज वहाँ पर कृषि कार्य देखने को मिलता है । मानचित्र 7.7 ए में रेलवे लाइन के उत्तरी-पश्चिमी एवं उत्तरी -पूर्वी भाग में कृष्य-बंजर का क्षेत्र विस्तृत था जहाँ पर अब खेती की जा रही है जो चित्र सख्या 7.7 बी से स्पष्ट है ।

बाग-बगीचों के अन्तर्गत वर्ष 1951 में 24.58% (100.39 एकड़) भूभाग सम्मिलित था जो वर्ष 1991 में पूर्णतया समाप्त हो गया । विगत चार दशकों (1951-91)



मे 100% (24 58 एकड) का हास हुआ । बंगला देश से प्रवासियों के आगमन से जनसंख्या मे तेजी से वृद्धि हुई है । यातायोन्मुख होने के कारण कुटीर उद्योग धन्धो का विकास हुआ है । मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाग-बगीचों का शोषण तेजी से किया है । अत इसकी पूर्ति सडकों, नहरों, चकरोडो तथा रेलवे लाइन के किनारे बेकार पडी जमीन पर वृक्षारोपण करके किया जा सकता है । इससे न केवल हमें ईधन की प्राप्ति होगी बल्कि पर्यावरण की स्तुलित एव शुद्ध रहेगा ।

सिंचित क्षेत्र मे परिवर्तन विगत चार दशकों (1951-91) की अवधि मे हुई है । वर्ष 1951 मे 18 16% (32 50 एकड) भूभाग सम्मिलित था जो वर्ष 1991 में बढ़कर 41 61% (125 8 एकड) भूभाग मे परिवर्तित हो गया - यह परिवर्तन 287.07% (93 30 एकड) वृद्धि हुई है । अध्ययन क्षेत्र मे सिंचाई के रूप मे ट्यूबेल, पम्पिंग सेट, बॉस - बोरिंग, पवन-चक्की तथा नहर आदि देखने को मिलता है । जल स्तर ऊँचा होने के कारण बॉस-बोरिंग की सुविधा है । अध्ययन क्षेत्र के प्रतिदर्श गाँव मे 20 से 25 फीट पाइप के द्वारा आसानी से पानी आ जाता है । जिससे लोगों को कम खर्च में बॉस बोरिंग करके अपनी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है । गाँव के दक्षिणी भाग मे सिंचाई की पर्याप्त सुविधा न होने के कारण कृषकों को काफी परेशानी का सामना करना पडता है । अत इन क्षेत्रों मे नहर, सरकारी ट्यूबेल आदि की नितान्त आवश्यकता है ।

द्विफसली क्षेत्र में परिवर्तन अधिक हुआ है, जो सारणी 7 7 से स्पष्ट है । वर्ष 1951 में 23 25% (41 61 एकड़) भूभाग पर द्वि-फसली का उत्पादन होता था जो अब 1991 मे 88 98 (269 00 एकड़) भूभाग पर द्विफसली फसलों का उत्पादन कार्य हो रहा है । इस प्रकार चार दशकों (1951-91) में 596.57% (227 39 एकड) भू-भाग की वृद्धि हुई है । शोधकर्ता द्वारा प्रतिदर्श गाँव मे भूस्वामियों से मिलने के उपरान्त यह पता चला कि पहले इस भू-भाग पर केवल मोटे अनाज वाली फसल हाती थी लेकिन अब तकनीकी ज्ञान , उत्तम बीज तथा सिंचाई की सुविधाओं के फलस्वरूप बहुफसली उत्पादन हो रहा है । अध्ययन क्षेत्र के ऊतरी भाग मे अर्थात् रेलवे लाइन के दोनों तरफ केला, पटसन, गेहूँ, धान (भदई, अगहनी, गरमा) तथा सब्जियों की खेती देखने को मिलती है । गाँव के

पश्चिमी भाग में कमला नदी के तटवर्ती भाग सब्जियों की मिश्रित खेती, जैसे - लौकी, परबल, कद्दू, टमाटर, भिन्डी आदि एक साथ उत्पादन की जाती है। कहीं-कहीं केला के साथ मिर्चा की खेती भी देखने को मिला। मक्का के साथ धान की खेती पर्याप्त होती है।

सकल कृषित क्षेत्र में भी उपर्युक्त परिवर्तन की भाँति चार दशकों (1951-91) की अवधि में परिवर्तन देखने को मिलता है। वर्ष 1951 में 215.15 एकड़ भू-भाग सम्मिलित था जो वर्ष 1991 में 571.90 एकड़ भूभाग पर सकल कृषि कार्य होने लगा। यह परिवर्तन विगत चार दशकों में 165.81% (356.75 एकड़) भूभाग का हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि गाँव का उन्नयन तेजी से हुआ है, परन्तु बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है। यहाँ उद्योग-धन्धों का पर्याप्त अभाव है। गाँव स्तर एवं जन-जीवन को ऊँचा बनाने के लिए कुटीर उद्योग धन्धे (मुर्गी पालन, चमड़ा, बढईगिरी, सिलाई, कढ़ाई, मत्स्य पालन) की नितान्त आवश्यकता है। छोटे-छोटे उद्योग जैसे पशु पालन, मुर्गी पालन आदि देखने को मिलता है। यदि इन्हे पर्याप्त सुविधा प्रदान किया जाय तो निश्चय ही इस गाँव का आने वाले समय में काफी विकास होगा।

**7.8 ग्राम - रक्सा** - यह गाँव ( $25^{\circ}32'$  उत्तरी अक्षांश तथा  $87^{\circ}37'$  पूर्वी देशान्तर) कटिहार मुख्यालय से लगभग 18 कि० मी० दूर दक्षिण-पूर्वी भाग में न्याय पंचायत मधेपुरा में अवस्थित है। इस गाँव का कुल क्षेत्रफल 437 एकड़ है। यहाँ जनसंख्या का घनत्व 1.34 व्यक्ति प्रति एकड़ एवं शुद्ध बोया गया क्षेत्र 0.76 एकड़ प्रति व्यक्ति है। इस गाँव के उत्तर-पूर्वी भाग में रामपारा अराजी, दक्षिण-पूर्वी भाग में बेरझल, दक्षिणी भाग में बुधनगर, दक्षिण पश्चिम में परानपुर, मधुरापुर तथा पश्चिमी भाग में परानपुर, उत्तर पश्चिम में तरजना एवं उत्तर में बुधेली गाँव स्थित है। भौगोलिक दृष्टि से इस गाँव का घरातल निम्न है जिसके कारण वर्षाकाल में उत्तर से प्रवाहित होने वाली कमला नदी के जल से जल प्लावन एवं जल-जमाव के कारण विस्तृत क्षेत्र की फसलें नष्ट हो जाती हैं। इस गाँव की फसलें प्रति वर्ष जल-जमाव एवं जल-प्लावन से प्रभावित होती रहती हैं। अतः इस गाँव का चयन बाढ़ग्रस्त गाँव के रूप में किया गया है।

पश्चिमी भाग में कमला नदी के तटवर्ती भाग सब्जियों की मिश्रित खेती, जैसे - लौकी, परबल, कद्दू, टमाटर, भिन्डी आदि एक साथ उत्पादन की जाती है। कहीं-कहीं केला के साथ मिर्चा की खेती भी देखने को मिला। मक्का के साथ धान की खेती पर्याप्त होती है।

सकल कृषित क्षेत्र में भी उपर्युक्त परिवर्तन की भाँति चार दशकों (1951-91) की अवधि में परिवर्तन देखने को मिलता है। वर्ष 1951 में 215.15 एकड़ भू-भाग सम्मिलित था जो वर्ष 1991 में 571.90 एकड़ भूभाग पर सकल कृषि कार्य होने लगा। यह परिवर्तन विगत चार दशकों में 165.81% (356.75 एकड़) भूभाग का हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि गाँव का उन्नयन तेजी से हुआ है, परन्तु बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है। यहाँ उद्योग-धन्धों का पर्याप्त अभाव है। गाँव स्तर एवं जन-जीवन को ऊँचा बनाने के लिए कुटीर उद्योग धन्धे (मुर्गी पालन, चमड़ा, बढईगिरी, सिलाई, कढ़ाई, मत्स्य पालन) की नितान्त आवश्यकता है। छोटे-छोटे उद्योग जैसे पशु पालन, मुर्गी पालन आदि देखने को मिलता है। यदि इन्हे पर्याप्त सुविधा प्रदान किया जाय तो निश्चय ही इस गाँव का आने वाले समय में काफी विकास होगा।

**7.8 ग्राम - रक्सा** - यह गाँव (25°32' उत्तरी अक्षांश तथा 87°37' पूर्वी देशान्तर) कटिहार मुख्यालय से लगभग 18 कि० मी० दूर दक्षिण-पूर्वी भाग में न्याय पंचायत मधेपुरा में अवस्थित है। इस गाँव का कुल क्षेत्रफल 437 एकड़ है। यहाँ जनसंख्या का घनत्व 1.34 व्यक्ति प्रति एकड़ एवं शुद्ध बोया गया क्षेत्र 0.76 एकड़ प्रति व्यक्ति है। इस गाँव के उत्तर-पूर्वी भाग में रामपारा अराजी, दक्षिण-पूर्वी भाग में बेरझल, दक्षिणी भाग में बुधनगर, दक्षिण पश्चिम में परानपुर, मधुरापुर तथा पश्चिमी भाग में परानपुर, उत्तर पश्चिम में तरजना एवं उत्तर में बुधेली गाँव स्थित है। भौगोलिक दृष्टि से इस गाँव का धरातल निम्न है जिसके कारण वर्षाकाल में उत्तर से प्रवाहित होने वाली कमला नदी के जल से जल प्लावन एवं जल-जमाव के कारण विस्तृत क्षेत्र की फसलें नष्ट हो जाती हैं। इस गाँव की फसलें प्रति वर्ष जल-जमाव एवं जल-प्लावन से प्रभावित होती रहती हैं। अतः इस गाँव का चयन बाढ़ग्रस्त गाँव के रूप में किया गया है।

भूमि उपयोग परिवर्तनशील वितरण प्रतिरूप की दृष्टि से चार दशकों (1951-91) की अवधि में इस प्रतिदर्श चयनित गाँव में काफी परिवर्तन देखने को मिलता है, जो सारणी (7 8) से स्पष्ट है ।

### सारणी 7.8

ग्राम - रकसा, न्याय पंचायत - मधेपुरा

भूमि-उपयोग में परिवर्तन वितरण प्रतिरूप (1951-91)

(क्षेत्रफल एकड़ में)

क्र०स०	भूमि-उपयोग प्रतिरूप	1951		1991		अंतर	परिवर्तन (% में)
		क्षेत्रफल	प्रतिशत	क्षेत्रफल	प्रतिशत		
1.	क्षेत्रफल	437 00	-	437.00	-	-	-
2.	शुद्ध बोया गया क्षेत्र	195 23	44 67	310.85	71.13	115 62	(+) 59.22
3.	कृष्य अप्राप्य	54 88	12 56	126 15	28.46	71.27	(+)129.86
4.	कृष्य बंजर	119 38	27 32	00 00	00 00	119 38	(-)100.00
5.	बाग-बगीचा	67 51	15 45	00.00	00.00	67.51	(-)100.00
6.	सिंचित क्षेत्र	24.25	12 42	105.40	33 90	81.15	(+)334 63
7.	दो-फसली क्षेत्र	36.04	18 46	207 05	66.61	171.01	(+)474.50
8.	सकल कृषित क्षेत्र	215 45	-	517 83	-	302.38	(+)140.34

शुद्ध बोया गया क्षेत्र के अन्तर्गत काफी परिवर्तन देखने को मिला है, क्योंकि वर्ष 1951 में 44 67% (195 23 एकड़) भूभाग पर शुद्ध कृषि की जाती थी जो वर्ष 1991 में बढ़कर 71 13% (310.85 एकड़) भूभाग पर कृषि कार्य होने लगा, अर्थात् विगत चार दशकों (1951-91) की अवधि में 59 22% (115.62 एकड़) भूभाग की वृद्धि हुई । इसका प्रमुख कारण कमला नदी द्वारा प्रतिवर्ष बहाकर लाई गई मिट्टी से इस क्षेत्र की मिट्टी में काफी जीवाश् की मात्रा बढ़ जाती है । उत्पादन पर्याप्त होता है , सिंचाई की आवश्यकता

# GENERAL LANDUSE PATTERN

VILLAGE-RAKSA  
PRAKHAND-KATI HAR

1991

1951

N




Fig 7-8

अपेक्षाकृत कम पडती है ,जिसके फलस्वरूप शुद्ध बोय गये क्षेत्र मे उत्तरोत्तर वृद्धि-दर रही है । मानचित्र सख्या 7 8 ए को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि शुद्ध कृषित क्षेत्र का प्रतिशत कम था तथा मानचित्र 7 8 बी को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि अधिकांश क्षेत्रों मे कृषित कार्य हो रही है ।

कृष्य अप्राप्य क्षेत्र मे भी पर्याप्त परिवर्तन देखने को मिलता है । वर्ष 1951 मे 12 56% (54 88 एकड़) भू-भाग सम्मिलित था जो वर्ष 1991 मे बढ़कर 28.86% (126 15 एकड़) भूभाग हो गया है । यह परिवर्तन चार दशकों (1951-91) की अवधि मे 129 86% (71 27 एकड़) भूभाग की वृद्धि हुई । सम्पूर्ण कृष्य अप्राप्य क्षेत्र का 52.97% जलयुक्त क्षेत्र मे 66 49% मानव-अधिवास, परिवहन एवं सिंचाई के अन्तर्गत वृद्धि हुई जबकि कृषि अयोग्य क्षेत्र मे 27 76% का हास हुआ ।

कृष्य बंजर के क्षेत्र मे विशेष अन्तर देखने को मिलता है । शोधकर्ता के अध्ययन के दौरान क्षेत्र मे कृषि कार्य विशेष देखने को मिला है । वृष्य बंजर की मात्रा नगण्य रही जिसकी पुष्टि मानचित्र एवं सारणी से स्पष्ट हो जाती है । वर्ष 1951 में 27 32% (119.38 एकड़) भूक्षेत्र सम्मिलित था जो वर्ष 1991 में घटकर 100% (119.38 एकड़) का हास हुआ, अर्थात् चार दशकों (1951-91) की अवधि मे सम्पूर्ण बंजर क्षेत्र को कृषि कार्य प्रयुक्त किया गया । जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप अनुपयुक्त भूमियों को अधिवास, परिवहन तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों के रूप में उपयोग किया जा रहा है ।

बाग - बगीचे के क्षेत्र में भी इसी प्रकार का हास देखने को मिला है जो कृष्य बंजर से हुआ है । वर्ष 1951 मे 15 45% (67 51 एकड़) भूभाग सम्मिलित था जो वर्ष 1991 मे बाग-बगीचे समाप्त प्राय हो गये । अर्थात् चार दशकों (1951-91) की अवधि में 100% का हास हुआ है जो मानचित्र 7 8 ए एवं 7 8 बी को देखने से स्पष्ट हो जाता है बाग-बगीचों की कटाई तेजी से हुई है । धरातल निम्न होने के कारण जल जमाव प्रायः बना रहता है । जिसके फलस्वरूप यहाँ वृक्षारोपण भी सम्भव नहीं हो पाता है । इसके लिए आवश्यक है कि गाँव के जल निकास के लिए नालियों का निर्माण किया जाय ताकि

पानी एकत्रित न होकर प्रवाहित हो जाय। इससे बाढ़ से बचा जा सकता है। साथ ही फसल भी नष्ट होने से बचाया जा सकता है।

सिंचित क्षेत्र में भी परिवर्तन पर्याप्त देखने को मिला है, क्योंकि वर्ष 1951 में 12.42% (24.25 एकड़) भूभाग इसके अन्तर्गत सम्मिलित था जो वर्ष 1991 में बढ़कर 33% (105.4 एकड़) भूभाग हो गया है, अर्थात् चार दशकों - (1951 - 91) की अवधि में 334.63% (81.5 एकड़) की वृद्धि हुई है। प्रायः इन क्षेत्रों में सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है।

दो फसली क्षेत्र में भी पर्याप्त अंतर विगत चार दशकों (1951-91) की अवधि में हुआ है, क्योंकि वर्ष 1951 में 18.66% (36.04 एकड़) भू-भाग इसके अन्तर्गत सम्मिलित था जो वर्ष 1991 में बढ़कर 66.61% (207.05 एकड़) भूभाग हो गया, अर्थात् यह वृद्धि 474.50 (171.01 एकड़) भू क्षेत्र की हुई। मानचित्र को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि कृषि कार्य के उन्नयन तेजी से हुआ है। साथ ही शोधकर्ता ने सर्वेक्षण की अवधि में इन चयनित गावों का प्रत्येक फसल में निरीक्षण किया है। निरीक्षण के समय यह ज्ञात हुआ कि इन गावों में दो फसली क्षेत्र पर्याप्त है। निम्न धरातल होने के कारण अधिकांश कृषित क्षेत्र पर भदई एवम् अगहनी फसलों के पटसन, धान की खेती, रबी में गेहूँ और आलू, जौ, मटर चना आदि फसलें उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर मिश्रित खेती का प्रचलन है अर्थात् गेहूँ जौ, जौ-चना, जौ-मटर आदि मिश्रित खेती करते हैं। गाँव के मध्यवर्ती में भाग में सड़क के दोनों ओर द्विफसली क्षेत्र देखने को पर्याप्त मिला।

सकल कृषि क्षेत्र के स्वरूप में उपर्युक्त परिवर्तन के अनुरूप ही देखा गया है। वर्ष 1991 में 215.45 एकड़ भूभाग पर कृषिकार्य होता था। चार दशक अन्तराल बाद जो वर्ष 1991 में बढ़कर 517.84 एकड़ हो गया। यह वृद्धि चार दशकों के दौरान 140.34% (302.38 एकड़) भूभाग की हुई है। अध्ययन के दौरान गाँव के सरपंच, मुखिया से मिलने के फलस्वरूप यह बात स्पष्ट हुई कि पहले बहुत कम लोग एक साथ कई फसल उगाते थे, आज नई तकनीक, उत्तम बीज तथा नये कांप मृदा एवम् बढ़ती जनसंख्या के कारण एक साथ कई फसलों का उत्पादन किया जाता है। जहाँ भूमि ऊँची है, वहाँ अरहर के

साथ हल्दी की खेती देखने को मिला।

उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए तत्काल इस गांव के जल-जमाव के विकास के लिए मध्यवर्ती भाग में नालों की आवश्यकता है। इस कार्य से इस गांव का गुणोत्तर विकास हो सकता है। साथ ही गांव के पश्चिमी ओर पूर्वी भागों में बांध बनाकर बाहर से प्रवेश करने वाले जल को रोका जा सकता है। उद्योग-धर्मों की दृष्टि से गांव काफी पिछड़ा हुआ है। पशुपालन कार्य देखने को मिला है लेकिन मात्र इससे इस गांव का उन्नयन सम्भव नहीं है। लघु कृषकों को ऋण प्रदान कर कुटीर उद्योग धर्मों को विकसित किया जा सकता है। पटसन से यहां चटाई का कार्य होता है। यदि इन्हे सुविधा प्रदान किया जाय तो अपने कार्य को ऊचे स्तर पर ला सकते हैं।

कटिहार प्रखंड के चयनित गांवों के भूमि-उपभोग के तुलनात्मक अध्ययन से निम्नलिखित तथ्यों पर प्रकाश पड़ता है -

1. अधिकांश गांवों में कृषित क्षेत्र अपनी चरमावस्था पर पहुँच चुका है जिसमें और अधिक वृद्धि बहुत कम सम्भावनायें हैं। वर्ष 1951-91 की अवधि में तकनीकी विकास के फलस्वरूप कृषित क्षेत्र के अन्तर्गत सतत् वृद्धि हुई है।

2. इन गांवों में कृषिगत बेकार भूमि (परती, बजर, डीह) आदि का क्षेत्रफल उत्तरोत्तर हासोन्मुख है। तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ने एवं नवीन कृषि उपकरणों कृषि पद्धति तथा अन्य तकनीकी विकास के फलस्वरूप कृष्य बजर क्षेत्र में कमी आयी है। चयनकृत गांवों में इसका प्रतिशत बहुत ही अल्प था, कुछ गांवों में कृष्य बजर क्षेत्र समाप्त प्राय है। 3- अप्राप्य भूमि का क्षेत्र क्रमश बढ़ रहा है, इसके परिणाम स्वरूप बाग-बगीचों एवं चारागाहों का क्षेत्र विस्तार सिकुड़ता जा रहा है। जबकि जनसंख्या के बढ़ते दबाव के कारण अधिवासों, परिवहन एवं सिंचाई के साधनों का तीव्र गति से विकास हो रहा है। उदाहरणार्थ ग्राम कजरी जिसका 24.67% क्षेत्र कृषि हेतु अप्राप्य भूमि के रूप में विद्यमान है, सड़कों, अधिवासों, सांस्कृतिक स्थलों आदि के रूप में है। इस गांव के बाग-बगीचों का क्षेत्र समाप्त हो गया



है। बाग-बगीचों को काटकर कृषक केले तथा जूटकी कृषि के प्रति उन्मुख हुए हैं।

4. चयनित गांवों के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि बाग - बगीचों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का निरन्तर हास हो रहा है। परियाम दह, कजरी, सहसिया, रकसा, गोपालपुर एवं खैरा में बाग-बगीचों के अन्तर्गत क्षेत्रफल समाप्त प्राय है। यदि गांवों में इस हरीतिमा को समाप्त होने से न रोका गया तो निकट भविष्य में पर्यावरण के संकड खडा हो जाने की पूर्ण शका है ।

5 वर्ष 1951-91 के सिंचित क्षेत्रों के अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि अध्ययन क्षेत्र के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्र की तेजी से वृद्धि हुई है। सिंचित क्षेत्र में यह वृद्धि सिंचाई के नये साधनों नहरों, नलकूपों (व्यक्तिगत, सरकारी) पम्पिंग सेट के कारण सम्भव हुई है। सिंचाई की सुविधा के फलस्वरूप कृष्य बजर क्षेत्र के हास के साथ ही फसल प्रतिरूप में भी परिवर्तन हुआ है।

6 सिंचाई एव नवीन कृषि, पद्धतियों के विकास के साथ-साथ द्विफसली एवं बहुफसली क्षेत्रों में तीव्रवृद्धि हो रही है। 1951-91 की अवधि मे द्विफसली क्षेत्रों में भी तीव्र परिवर्तन देखने को मिलता है। विशेषकर यह परिवर्तन रवि एव गरमा के फसलों में देखने को मिलता है। इन दोनों फसलों मे क्षेत्र-विस्तार के साथ ही फसलों का प्रतिरूप भी बदला है। हरी-साग सब्जियां, दलहन, तिलहन एव उन्नत कोटि के खाद्यान्न फसलों की कृषि के प्रति उन्मुख हैं।

7 वर्ष 1951-91 के विभिन्न फसलों के अध्ययन के उपरान्त यह देखने को मिला कि भदई एव अगहनी फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र का प्रतिशत कम हो रहा है जबकि रबी एव गरमा फसलों के अन्तर्गत वृद्धि मुख्य रूप से सिंचाई के साधनों नवीन तकनीकी एवं समुन्नत कृषि पद्धति के फलस्वरूप हुई है।

8. अध्ययन क्षेत्र में आज भी परम्परागत कृषि की प्रधानता है। गरीबी, अशिक्षा, आदि के कारण कृषक नई कृषि-पद्धतियों को अपनाने में असमर्थता व्यक्त करते हैं, जिसके कारण नवीन कृषि पद्धतियों के विकास को पर्याप्त अवसर नहीं मिल पा रहा है।

9. भूमि उपयोग में खाद्यान्न फसलों के कृषि को प्राथमिकता प्राप्त है। इस प्रकार कृषि का स्वरूप गहन जीवन निर्वाहन प्रकार की है। हाल के वर्षों में केले की कृषि की शुरुआत की गई है। कृषकों के आर्थिक स्तर के उन्नयन हेतु मुद्रादायिनी फसलों (जूट, केला) आदि के उत्पादन पर बल देने के अतिरिक्त कृषि को व्यापारिक स्तर देने की आवश्यकता है।

10. अधिकांश गावों में कृषित क्षेत्र अनुकूलतम अवस्था को प्राप्त कर चुका है। अतः इसके अनतर्गत वृद्धि की संभावनाएँ अल्प हैं। गहन कृषि पद्धति को अपनाकर कृषि उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है।

XXXXXXXXXX

XXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

अध्याय - अष्टम्  
भूमि उपयोग नियोजन

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXX

## अध्याय - अष्टम

### भूमि-उपयोग नियोजन

भूमि उपयोग के विभिन्न पक्षों का सम्यक विश्लेषण किसी भी क्षेत्र में उसके भूमि-उपयोग नियोजन की रूपरेखा प्रस्तुत करने के उद्देश्य से किया जाता है, जिससे उपलब्ध भूमि उपयोग प्रतिरूप अपनाया जा सके। विकासोन्मुख राष्ट्र में, जिसकी अधिकांश जनसंख्या गांवों में रहती है तथा अधिकांश राष्ट्रीय आय कृषि से प्राप्त होती है और अधिकांश श्रमिक प्राथमिक कार्यों में सलग्न होते हैं। ग्रामीण भूमि-उपयोग नियोजन समन्वित ग्रामीण विकास की दिशा में एक सामाजिक एवं सही प्रयास है। यद्यपि ग्रामीण विकास की प्रक्रिया अपेक्षाकृत अधिक व्यापक एवं बहुलक्षीय होती है, फिर भी कृषि विकास एवं भूमि-उपयोग नियोजन उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है। समन्वित कृषि ग्रामीण विकास की आधारशिला होती है एवं उसकी प्रक्रिया को आत्म-निर्भरता प्रदान करती है तथा ग्रामीण विकास की भू-वैज्ञानिक रूपरेखा, भूमि-उपयोग नियोजन हेतु दिशा-निर्देशन प्रदान करती है।

उपर्युक्त सदर्भ में ग्रामीण जनसंख्या की विभिन्न आवश्यकताओं की सतुष्टि सीमित भूमि-ससाधन द्वारा किस प्रकार की जाय, इसका एक मात्र समाधान भूमि-उपयोग नियोजन है। प्रो० स्टैम्प<sup>1</sup> के शब्दों में नियोजन द्वारा भूमि की प्रत्येक इकाई के अनुकूलतम उपयोग को निर्धारित किया जाता है। इस उद्देश्य से नियोजन प्रक्रिया में आवश्यकतानुसार परिमार्जन एवं सशोधन की सुविधा के साथ ही समयानुसार बदलती परिस्थितियों के सदर्भ में उसमें परिवर्तन की सभावितता होनी चाहिए।

अध्ययन क्षेत्र पूर्णतः ग्रामीण है, अतएव इसके विकास के लिए कृष्योत्पादन हेतु योजनाबद्ध प्रयास आवश्यक है। साथ ही कृषि पर जनसंख्या भार को कम करने के लिए कृषि पर आधारित उद्योगों एवं अन्य कृष्यन्तर्गत व्यवसायों को प्रोत्साहन देकर रोजगार के अतिरिक्त अवसरों का प्राविधान किया जाना चाहिये।

भूमि उपयोग के विधि पक्षों, यथा शुद्ध कृषित भूमि, कृष्य-बजर अप्राप्य तथा

बाग-बगीचों आदि का अध्ययन किया गया है । विश्लेषणों से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र का भूमि-उपयोग गहन जीवन निर्वाहक भूमि-उपयोग अथवा परम्परागत परन्तु विकासोन्मुख कृषि-तन्त्र से संबधित है । अध्ययन क्षेत्र में अनुकूलतम भूमि उपयोग की स्थिति की प्राप्ति में भौतिक कारकों के साथ ही साथ आर्थिक एवं सामाजिक कारक अवरोध उपस्थित करते रहे हैं । अध्ययन क्षेत्र के समन्वित विकास एवं इस प्रक्रिया में कृषि की भूमिका को दृढ़ता बनाने के लिए प्राकृतिक विपदाओं एवं सामाजिक आर्थिक समस्याओं के निवारण हेतु प्रस्तुत अध्याय में भूमि-उपयोग नियोजन की रूपरेखा प्रस्तुत करते समय अध्ययन क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखा गया है । क्योंकि गहन उत्पादक कृषि समन्वित ग्रामीण विकास की आधारशिला होती है । कृष्येत्तर रोजगार अवसरों में वृद्धि, विकास कार्यक्रमों की आत्मनिर्भरता तथा स्थानीय जनसहयोग कृषि के उत्पादन आदि पर ही निर्भर करता है ।

पूर्व विश्लेषणों से स्पष्ट है कि भौतिक एवं मानवीय वातावरण के विभिन्न तत्त्व संयुक्त रूप से किसी भी क्षेत्र के भूमि-उपयोग को विशिष्टता एवं विविधता प्रदान करते हैं । उल्लेखनीय है कि प्राकृतिक कारक (जलवायु, मिट्टी एवं उच्चावच) भूमि-उपयोग, शस्य स्वरूप, प्रतिरूप एवं शस्य संयोजन के निर्धारक है, जबकि जल-प्लावन, जल-जमाव, नदी-मार्ग परिवर्तन जैसे स्थानीय, प्राकृतिक कारकों के साथ ही आर्थिक, सामाजिक एवं ऐतिहासिक कारक सामान्य प्रतिरूप में क्षेत्रीय विभिन्नता को जन्म देते हैं । अतएव किसी भी क्षेत्र-विशेष में भौतिक परिवेश के विभिन्न तत्वों की एकरूपता के बावजूद ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सामाजिक परिवेश एवं आर्थिक संसाधनता के क्षेत्रीय आयाम के अनुरूप भू-वैज्ञानिक प्रतिरूप विकसित होता है । प्राकृतिक कारक (जल प्रभाव, जल-प्लावन, जल-जमाव एवं नदी मार्ग परिवर्तन) अपने प्रभाव क्षेत्र में भूमि को प्रायः पूर्णरूपेण नष्ट कर देते हैं । इनके द्वारा नष्ट होने पर जागरूक कृषक भी असहाय हो जाता है और देखते-देखते उनकी सारी आशाओं पर पानी फिर जाता है । अतः कृषि को प्रभावित करने वाली प्राकृतिक विपत्तियों की रोकथाम ग्रामीण-विकास की दिशा में अत्यावश्यक एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम है । आर्थिक विपन्नता एवं सामाजिक मान्यताओं के साथ ही कृषि विकास हेतु आवश्यक सुविधाओं तथा कृषि पूरक सेवाओं का अभाव कृषि के आधुनिकीकरण एवं व्ययसायीकरण की गति एवं कृष्योत्पादन

की मात्रा को प्रभावित करता है । परिणामस्वरूप क्षेत्रीय भूमि-उपयोग एवं कृषि भूमि उपयोग निम्न उत्पादकता के दुश्चक्र से ग्रसित खाद्यान्नों तथा प्रधान परम्परागत स्वरूप भी बनी रहती है । ग्रामीण अर्थतंत्र के इस निम्नस्तरीय सन्तुलन को बनाये रखने में प्राकृतिक कारकों की भूमिका महत्वपूर्ण है ।

#### 8.1 प्राकृतिक समस्याओं के समाधान हेतु योजना -

प्राकृतिक विपदाओं में जल-प्लावन, जल-जमाव, नदियों द्वारा अपरदन एवं मार्ग-परिवर्तन इत्यादि प्रमुख कारक है, जिनसे प्रतिवर्ष करोड़ों रूपये की फसल नष्ट हो जाती है । अध्ययन क्षेत्र का दक्षिणी -पूर्वी भाग एक विस्तृत जल-जमाव का क्षेत्र है । मध्यवर्ती भाग में सौरा, गिदरी, कमला आदि नदियों के कारण अधिकांश भाग जल-प्लावित रहता है अथवा नमी की मात्रा अधिक रहती है । इन क्षेत्रों में या तो रबी की फसलों का बोया जाना कठिन हो जाता है अथवा ये विलम्ब से बोई जाती है । अधिक जल-जमाव वाले क्षेत्रों में तो धान की फसलें नष्ट हो जाती है । उदाहरणार्थ न्याय पचायत मधेपुरा और हफलागंज में लगभग 70% भाग जलमग्न रहता है, जिसके कारण यहाँ केवल रबी तथा गरम की फसलें ही हो पाती है । कभी-कभी कोशी का बाँध टूट जाने से इन क्षेत्रों में जल-प्लावन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है । इसका ज्वलन्त प्रमाण वर्ष 1988-89 की बाढ़ के दृश्य से मिलता है । रातों रात पानी गाँवों में प्रवेश कर गया था । सैकड़ों लोग पानी में बह गए थे तथा शेष ऊँचे स्थानों पर जाकर शरण लिए । इस भयावह स्थिति से बचने के लिए हर वर्ष प्रयास होता है लेकिन सफलता हाथ नहीं लग पाती है । धन-जन की विशेष हानि होती है । अतः जल-प्लावन की समस्या के निवारण हेतु निम्न उपायों का प्रयोग किया जा सकता है -

1. नदियों एवं नालों को गहरा कर जल-निकास की समुचित व्यवस्था करना ।
2. कोशी नदी एवं सहायक नदी (गिदरी, सौरा, कमला, फरही) के किनारे जल संग्रहण हेतु बड़े-बड़े तालाबों का निर्माण ।
3. नहरों द्वारा वर्षा जल को सूखाग्रस्त क्षेत्रों में स्थानान्तरण ।

- 4 उत्तरी एव पूर्वी भाग मे कमला नदी के विशर्पा को सीधा करना ।
- 5 कटानग्रस्त एव खड्ड भूमि वाले क्षेत्रो मे वृक्षारोपण कार्य को विकसित करना।
- 6 क्षेत्र के दक्षिणी एव पूर्वी भाग मे नलकूपों तथा पम्पिंग सेटों का अधिकाधिक मात्रा में लगवाना ताकि सिचाई की सुविधा हो सके ।
- 7 उत्तरी-पश्चिमी भाग में नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्रों मे नलकूपों आदि द्वारा अधोभूमिक जल स्तर को नीचा करना ।
- 8 मध्यवर्ती भाग मे विशेषकर न्याय-पंचायत महमदिया, बलुआ, बौरनी तथा मधेपुरा आदि जल -जमाव वाले क्षेत्रो मे खेतो की मेडों, नालों, नदियों एव सडकों के किनारे वृक्षारोपण करना ।
- 9 मध्यवर्ती भाग विशेषकर कमला, मोनाली एवं गिदरी नदियों के तटवर्ती भागों मे बाँधों को ऊँचा करना ।
- 10 कोशी घाट एवं कमला नदी के तटबन्धों पर मुख्य-मुख्य स्थानों पर जहाँ प्रवाह तीव्र रहता है, सुरक्षा चौकियाँ स्थापित हो ताकि यदि तटबन्ध क्षतिग्रस्त हो या टूटे तो स्थानीय जनता को पूर्व सूचना दी जा सके ।
- 11 तटबन्धों की सुरक्षा हेतु इनके दोनों ओर घास, मूँज, कस, पतहर, मेंउड तथा ताड़ और खजूर का वृक्षारोपण किया जाय ।
12. बाढ क्षेत्रों मे बडी-बडी नौकाओं एव स्टीमरों की समुचित व्यवस्था हो जिससे लोगो को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जा सके एव धन-जन की हानि को कम किया जा सके ।
- 13 नहरों, नालों आदि की बराबर सफाई हो ताकि जल का निकास बराबर होता रहे ।
- 14 कोशी बाँध से नहरों तथा नालों का निर्माण किया जाय ताकि जल-स्तर अधिक न होने पाये, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि प्रतिवर्ष कोशी का बाँध टूट जाता है । करोड़ों रूपये प्रति वर्ष मरम्मत मे खर्च होता है । इसका प्रमुख कारण जल-स्तर का ऊँचा

होना होता है और कोशी का पानी तेजी से (रातों-रात) अध्ययन क्षेत्र को जलप्लावित कर देता है ।

15. बरसात के पूर्व सभी तटबन्धों की जाँच एवं मरम्मत कर ली जाय ताकि कैसे स्थान पर पुन कटाव कार्य न हो सके ।

16. बाढग्रस्त इलाकों में नवयुवक मगलदल की स्थापना कर निगरानी समिति का गठन किया जाय ताकि ये नवयुवक वर्ग तटबन्धों की देख-रेख कर सके ।

17 नवयुवक वर्ग में सामुदायिक भावना का प्रचार-प्रसार एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय ताकि विषम परिस्थितियों में तत्काल कारगर हो ।

## 8.2 सामाजिक - आर्थिक समस्याओं का समाधान :-

अध्ययन क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक समस्याओं के समाधान हेतु निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाना अपेक्षित है ।

- (अ) भूमि उपयोग के वर्तमान स्वरूप में सुधार ।
- (ब) कृषि भूमि उपयोग में परिवर्तन हेतु आवश्यक सुविधाओं का प्रविधान ।
- (स) शस्य स्वरूप में परिवर्तन ।
- (द) कृष्येत्तर ग्रामीण उद्योगों की सस्थापना एवं
- (य) स्थानीय जनसंख्या के जीवन स्तर में सुधार ।

(अ) भूमि उपयोग के वर्तमान स्वरूप में सुधार - अध्ययन क्षेत्र में भूमि सम्पदा के समुचित दोहन हेतु भूमि उपयोग के सन्तुलित एवं वैज्ञानिक अध्ययन पर बल दिया जाना अति आवश्यक है, एतदर्थ भूमि-उपयोग के सुधार के कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ।

शुद्ध कृषित भूमि के अन्तर्गत अध्ययन क्षेत्र का 75.56% (20255 हे०) भू-भाग सम्मिलित है, जिस पर कृषि कार्य हो रहा है । प्रयास करने पर इसे 80.52% भू-भाग में बदला जा सकता है । अध्ययन क्षेत्र में कुछ ऐसे न्याय पचायत हैं, जहाँ शुद्ध कृषित



भूमि का क्षेत्र अपेक्षाकृत कम है, जिनमें मुख्य रूप से महमदिया 57.17% (665 हे०), परतेली 61.05% (1469 हे०), रामपुर 61.42% (688 हे०), सौरिया 65.22% (784 हे०) एवं राजयवाडा का 65.97% (917 हे०) सम्मिलित है। इन न्याय पंचायतों के शुद्ध कृषित भूमि में लगभग 5 से 15% तक की वृद्धि की जा सकती है। शुद्ध कृषित भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र न्याय पंचायत रषेली का 93.31% है। सिचाई की सुविधा, नवीन-तकनीक तथा कृषि पद्धति में सुधार कर उच्च कृषित प्रतिशत में बदला जा सकता है।

कृषि अप्राप्य भूमि कुल क्षेत्रफल का 14.74% है जिसके अन्दर अधिवास, परिवहन, सिचाई तथा अन्य सांस्कृतिक भू-भाग सम्मिलित है। अध्ययन क्षेत्र के न्याय पंचायत रषेली का 2.43%, दोआसे 3.89%, मधेपुरा 6.95%, बोरनी 7.03%, बिजैली 8.56% भू-भाग कृषि अप्राप्य भूमि के अन्तर्गत है जो बहुत ही कम है। इन न्याय पंचायतों में आवास, परिवहन, तथा सिचाई सहित अन्य सांस्कृतिक स्थलों की आवश्यकता है। न्याय पंचायतों में सड़क तथा शिक्षण सस्थाओं का अभाव देखने को मिलता है। अतः इनमें 10% की वृद्धि कर उपर्युक्त कमी की पूर्ति की जा सकती है। भूमि को सांस्कृतिक उपयोग में लेने के पूर्व यह हमेशा ध्यान में रखना आवश्यक है कि भूमि की सक्षमता कैसी है? सक्षमता के आधार पर ही भूमि का उपयोग विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक प्रयोगों में लाना श्रेयष्कर होगा।

कृष्य बंजर भूमि पर विचार करने पर स्पष्ट होता है कि इस क्षेत्र में हास हुआ है। कृषक अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु बेकार भूमि का उपयोग किए हैं लेकिन कुछ ऐसे न्याय पंचायत हैं, जहाँ कृष्य बंजर भूमियों का प्रतिशत अभी भी अधिक है, उनमें मुख्य रूप से न्याय पंचायत राजभवाड़ा 10.07%, रामपुर 9.37%, जगन्नाथपुर 7.83%, परतेली 7.81%, महमदिया 7.30%, डण्डखोरा 6.98% है। इन उपर्युक्त न्याय पंचायतों के कृष्य बंजर भूमि को घटाकर कृष्य बजर के रूप में 5% तक लाया जा सकता है। बाग-बगीचों, सामुदायिक विकास केन्द्र, विद्यालय तथा आवासीय व्यवस्था कर ग्रामीण जन-जीवन के स्तर को सुधारा जा सकता है। साथ ही जो अनुपयुक्त क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त हैं उन्हें कृषि क्षेत्र में परिवर्तित करना लाभप्रद होगा। बढ़ती हुई जनसंख्या के भरण-पोषण के लिए

खाद्यान्न फसलों की आवश्यकता भी अपेक्षित है ।

बाग-बगीचों के अन्तर्गत क्षेत्र का हास तेजी के साथ अध्ययन क्षेत्र में हुआ है विगत चार दशकों (1951-91) की अवधि में अध्ययन क्षेत्र के बाग-बगीचों में अधिकांश कृषित क्षेत्र में परिवर्तित कर दिए गये है । बाग-बगीचों के सन्दर्भ में यदि यही क्रम जारी रहा तो यहाँ की जनता को भयावह परिणाम का सामना करना होगा । यहाँ की पारिस्थितिकीय तन्त्र अस्त-व्यस्त हो जायेगा । सम्पूर्ण तन्त्र प्रभावित हो सकता है क्योंकि वर्ष 1951 में अध्ययन क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल का 12.28% (3294 हे०) बाग-बगीचों का विस्तार था जो वर्ष 1991 में मानव अविवेक उपयोग से मात्र 4.25% (1139 हे०) भू-भाग ही बाग-बगीचों के रूप में रह गया है । न्याय पंचायत स्तर पर सर्वाधिक हास डुमरिया 0.71%, बिजौली 1.63%, बौरनी 1.44%, दोआसे 1.55%, दलन 2.29%, रघेली 2.43%, भू-भाग शेष रह गया है । अतः इन न्याय पंचायतों में पारिस्थितिकीय सन्तुलन हेतु शीघ्र वृक्षारोपण की नितान्त आवश्यकता है । क्षेत्र में कृष्य बजर भूमियों पर वृक्ष लगाकर लगभग 10% भू-भाग को हरीतिमा के अन्तर्गत लाना आवश्यक है ।

सिंचित क्षेत्र के सन्दर्भ में विचार-विमर्श करने के उपरान्त यह पाया कि विगत चार दशकों में क्षेत्र विस्तार तेजी से हुआ है लेकिन यह क्षेत्रफल सिंचाई की दृष्टि से अनुकूलतम नहीं है । बढ़ती हुई जनसंख्या की दर को ध्यान में रखते हुए सिंचित क्षेत्र के प्रतिशत में वृद्धि आवश्यक है क्योंकि वर्ष 1951 में 15.7% क्षेत्र सिंचन के अन्तर्गत था । वर्ष 1991 में बढ़कर 38.01% हो गया है, अपेक्षाकृत यह प्रतिशत कम है । इसमें लगभग 25% की वृद्धि कर फसलोत्पादन में तीव्रता लायी जा सकती है । न्याय पंचायत स्तर पर सर्वाधिक कम सिंचन कार्य राजपारा 9.79%, दोआसे 17.56%, रघेली 23.17%, डण्डखोरा 23.42%, जगन्नाथपुर 25.21%, जबडा पहाडपुर 27.54%, भू-भाग पर होता है जो बहुत ही कम है । सिंचाई सम्बन्धी आधुनिक साधनों की वृद्धि का सिंचन क्षेत्र में बढ़ोत्तरी आवश्यक है । अतः इन न्याय पंचायतों में लगभग 12% क्षेत्र की वृद्धि कर सिंचन प्रतिशत को बढ़ाया जा सकता है जिससे निश्चय ही क्षेत्र का सर्वाधिक विकास सम्भव है ।

दो फसली क्षेत्र के अन्तर्गत वर्तमान में 41.65% भू-भाग सम्मिलित है। यद्यपि हाल के वर्षों में द्विफसली के अन्तर्गत वृद्धि तेजी से हुई है। द्विफसली क्षेत्रों में वृद्धि, सिंचाई की सुविधा, नवीन कृषि तकनीक तथा शीघ्र तैयार होने वाले बीजों को अपनाकर दो फसली क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है। इस प्रकार बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए दो फसली क्षेत्र में वृद्धि को अपनाकर उत्पादकता में बढोत्तरी आवश्यक है। अतः लगभग 10% क्षेत्र को दो फसली क्षेत्र में बदलना अपरिहार्य है। न्याय पंचायत स्तर पर सबसे कम द्विफसली क्षेत्र दलन 11.37%, बेलवा 16.76%, डण्डखोरा 20.67%, सौरिया 23.59% एवं राजभवाड़ा 24.31% भू-भाग पर द्विफसली के अन्तर्गत है जबकि सर्वाधिक हफलागंज 85.13% भू-भाग पर द्विफसली क्षेत्र विद्यमान है। इस अनुपात में अन्य न्याय पंचायत के अन्तर्गत दो फसली प्रतिशत कम है। अतः इन न्याय पंचायतों में लगभग 15 से 25% भू-भाग को अतिरिक्त द्विफसली में परिवर्तन आवश्यक है। इस कार्यक्रम से खाद्य पदार्थों और जनसंख्या के बीच खाद्यान्नों के अभाव को पूरा किया जा सकता है।

इस प्रकार उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि प्रखण्ड तथा न्याय पंचायत स्तर पर उपर्युक्त सभी घटकों में विरोधाभास है। अतः सुझाए गए प्रतिशत वृद्धि द्वारा अध्ययन क्षेत्र में गुणोत्तर विकास किया जा सकता है।

### (ब) आवश्यक सुविधाओं का प्राविधान -

कटिहार प्रखण्ड में कृषि भूमि पर प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन हेतु आवश्यक सेवाओं का उपलब्ध कराना अति आवश्यक है, क्योंकि अध्ययन क्षेत्र में लघु कृषकों की संख्या अधिक है, जो अत्यन्त गरीब हैं। इनके उन्नयन तथा क्षेत्र के चतुर्दिक विकास के लिए सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि की जानी चाहिए, एवं खाद-उर्वर, उन्नतशील बीज, नवीन कृषि यंत्र आदि सुविधाओं को सुलभ बनाया जाना चाहिए।

1. सिंचाई - सिंचाई का किसी क्षेत्र के भूमि उपयोग क्षमता, दो-फसली क्षेत्र, प्रति हेक्टेयर उत्पादन, शस्य-स्वरूप एवं शस्य-गहनता आदि पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। यद्यपि अध्ययन क्षेत्र में शुद्ध कृषित क्षेत्र का लगभग 38.01% भाग सिंचाई की सुविधाओं से लाभान्वित है,

जो अत्यन्त ही अल्प है । सबसे कम सिंचित क्षेत्र न्याय पंचायत दोअम्मे (17.56%), रवेनी (23.17%), डण्डखोरा (23.41%) तथा जगन्नाथपुर मे (25.21%) मिलता है । अतः कृषि उत्पादन मे वृद्धि हेतु क्षेत्र के इन न्याय पंचायतों सहित अन्य कम सिंचित क्षेत्रों में इसकी सुलभता की आवश्यकता है । इस भाग मे राजकीय नलकूपों एवं सहकारी वित्तीय सहायता द्वारा व्यक्तिगत नलकूपों के लगाए जाने का प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए । इसी प्रकार अध्ययन क्षेत्र के उत्तरी भाग मे यद्यपि नहरों का जाल बिछा हुआ है, परन्तु इन नहरों में समयानुसार पानी नहीं मिल पाता । साथ ही नहरों मिट्टी से भर गयी हैं । इनकी सफाई होनी चाहिए। तथा दक्षिणी भाग में नहरों का निर्माण होना चाहिए । प्रखण्ड के नालों-नदियों एवं तालाबों में भी पम्पिंग सेटों द्वारा सिंचाई की सुविधा को बढ़ाया जा सकता है ।

**2. खाद एवं उर्वरक** - कृषि उत्पादकता की वृद्धि हेतु खाद एवं उर्वरकों का अधिकधिक प्रयोग 1970 के बाद हुआ है । उर्वरकों के वितरण हेतु सहकारी समितियाँ हैं, जो कृषकों को ऋण की सुविधायें प्रदान करती है । इन सहकारी समितियों को प्रखण्ड के आन्तरिक भागों (इण्टीरिमेर) मे भी स्थापित कर कमजोर वर्ग के कृषकों को उर्वरकों की सुविधा प्रदान की जा सकती है । अध्ययन क्षेत्र मे मृदा-परीक्षण की सुविधायें न्याय-पंचायत मुख्यालयों पर प्रदान की जानी चाहिए, जिससे कृषकों को उर्वरकों की किस्मों में मात्रा के बारे में सही जानकारी प्रदान की जा सके । प्रखण्ड मे गोबर गैस प्लाण्टों की संख्या 45 है । सरकारी सहायता आदि प्रदान कर इनकी संख्या मे वृद्धि की जानी चाहिए ताकि किसानों को सस्ता ईंधन एवं अच्छी खाद प्राप्त हो सके । साथ ही हरी खाद के लिए मूँग, सनई आदि फसलों की कृषि को प्रोत्साहित किया जाना अति आवश्यक है ।

**3. उन्नतशील बीजों का प्रयोग** :- क्षेत्रान्तर्गत उन्नतशील बीजों की कमी है, जो सुगमतापूर्वक कृषकों को सुलभ नहीं हो पाता है । कृषकों को अधिक उत्पादन देने वाली एवं रोगों से बचने वाली नयी किस्म के बीजों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए ताकि इनका अधिकधिक प्रयोग कर कृषि उत्पादन मे पर्याप्त वृद्धि की जा सके । प्रयोगों से यह सिद्ध हो चुका है कि 19% उपज केवल उन्नतशील बीजों के प्रयोगों से बढ़ाई जा सकती है । धान, गेहूँ, केला, मक्का, चना, मटर, अरहर, ज्वार, बाजरा, आलू, मूँगफली तिलहन आदि उन्नतशील बीजों की किस्में उपलब्ध है । विशेषकर छोटी जोत वाले कृषकों के लिए 50-60 किंटल

प्रति हेक्टेयर उपज देने वाली - परमल, मन्सूरी, जया, पूसा, पञ्जाली, पदमा आदि किस्मों का प्रयोग लाभकारी सिद्ध होगा। इन किस्मों की उत्पादन अवधि कम होती है जिसे वर्ष में इनकी दो फसलें उगाई जा सकती है। धान की कृषि की सिंचाई के सुविधा के अनुसार तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। असिंचित ऊपरी भूमि (अपर लैंड) के लिए परमल, मसूरी, जया की किस्में उपयुक्त होंगी। मध्यवर्ती भूमि (मिडलैण्ड) के लिए सीता, रामगुलर पञ्जाली आदि का प्रयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार संरक्षित सिंचाई वाले उपरवार क्षेत्र में कजर गौड़, दूधकाड़, सिंधरा ललमुनिया, नाजिर, मडवाडॉंगर किस्म की धान को बोया जा सकता है। विशेषकर निचली भूमि (लो-लैण्ड) के लिए पानी की गहराई के आधार पर बीजों का चयन किया जाना चाहिए। इसी प्रकार गेहूँ की कृषि के अन्तर्गत अधिक उपज देने वाली उन्नतशील किस्म की बीजों का प्रयोग किया जाना चाहिए।

केला की जातियों का चयन क्षेत्रीय विशेषताओं को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। अध्ययन क्षेत्र में केला की (सिगापुरी, अल्पान, चम्पा, मालभोग, सकरचिनिया, बागलर, मुठिया) विभिन्न प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं, जो विशेष उपयुक्त हैं। यदि इनके लिए समुचित खाद पानी की व्यवस्था की जाय तो निश्चय ही मुद्रादायिनी फसलों में इनका विशेष स्थान रहेगा। पटसन की जातियों का चयन क्षेत्रीय विशेषताओं को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए ताकि पैदावार में सही ढंग से वृद्धि हो सके। केला और पटसन जिन क्षेत्रों में भूमि पर गिर जाता हो ऐसे क्षेत्रों में छोटे-छोटे किस्म वाली प्रजातियाँ लाई जाय, ताकि वे भूमि पर न गिर सकें। क्षेत्र में शरदकालीन पटसन और केला की खेती को बढ़ावा देने के लिए पटसन और केला की बुआई सह-फसलों के रूप में तोरी, मटर, आलू, प्याज, मसाला (धनिया) आदि के साथ की जा सकती है। इन फसलों में आवश्यकतानुसार उर्वरक एवं सिंचाई की व्यवस्था की जानी चाहिए। सह-फसलों की कतार क्रम में होनी चाहिए।

मक्का की खेती के संस्कार मक्का आदि उन्नतशील जातियों का प्रयोग कर उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। विशेषकर अध्ययन क्षेत्र में अल्पान, सिगापुरी, मालभोग, आदि उन्नतशील जातियाँ लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं।

बाजरा की औसत ऊपज 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है जिसे सकर एवं मनुपुर आदि जातियों द्वारा 20-25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक बढ़ाया जा सकता है । ज्वार जो चारे एवं अनाज दोनों के लिए उगाया जाता है , टाइप 8वीं, टा0 22, सी0एस0एच0 5, 6,7 आदि उन्नतशील जातियों को अपनाकर उत्पादन में प्रगति किया जा सकता है ।

अरहर जो दलहन की मुख्य फसल है, के उत्पादन को टाइप-7, टा0-17, एवं टा0-21 आदि जातियों द्वारा बढ़ाया जा सकता है । इसे उड़द, भूँग, तिल, ज्वार, बाजरा एवं मक्का आदि के साथ मिलाकर भी बोया जा सकता है । इसी प्रकार चना एवं मटर की अनेक उन्नतशील जातियाँ जिनके प्रचार प्रसार द्वारा उत्पादन बढ़ाया जा सकता है ।

रबी एवं खरीफ की सब्जियाँ हेतु आलू, गोभी, भिन्डी, बैंगन, टमाटर, प्याज आदि की कृषि को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ।

**4. नवीन कृषि यन्त्र** -- अध्ययन क्षेत्र में वैज्ञानिक यंत्रीकरण का अभाव है । केवल बड़े कृषकों के पास ही ट्रैक्टर, नलकूप, पम्पिंग सेट, थ्रेसर, केयर हल, शाबास हल, पडवर, स्तर हल, कल्टीवेटर, हैरों, सीडकम, फर्टिलाइजर ड्रिल, ए0 एस0 पी0 टाइप हैण्ड सीड ड्रिल, सिंह हैण्ड हो, पहियेदार हो, थार्डन रेक आदि नवीन कृषि उपकरण उपलब्ध है । इन यंत्रों के प्रचार-प्रसार हेतु सरकारी सहयोग की आवश्यकता है । विकास खण्ड या सहकारी समितियों द्वारा भारी कृषि यन्त्रों जैसे- ट्रैक्टर, पम्पिंग सेट, लेबर विनेविंग पैन आदि की सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए ।

**(स) शस्य स्वरूप में परिवर्तन** --

शस्य प्रतिरूप में परिवर्तन से अभिप्राय अधिक ऊपज देने वाली फसलों को प्राथमिकता देने से है । अध्ययन क्षेत्र में सर्वत्र जीवन निर्वाहक खाद्यान्न प्रधान कृषि की प्रमुखता है । शस्य स्वरूप में परिवर्तन, व्यापक मृदा सर्वेक्षण, सिंचाई के साधनों की सुलभता एवं उर्वरक के आधार पर किया जा सकता है । एतदर्थ अधिक उत्पादन एवं मूल्य देने वाली फसलों

के कृषि को बढ़ावा देने की आवश्यकता है । अध्ययन क्षेत्र के उत्तरी भाग उत्तरी-पश्चिमी भाग में गेहूँ, धान, केला, मध्यवर्ती भाग में धान, पटसन, गेहूँ एवं दक्षिणी भाग में धान, पटसन की खेती की प्रधानता पाई जाती है । 1951-52 से 1991-92 के मध्य शस्य -परिवर्तन के अध्ययन के फलस्वरूप यह ज्ञात होता है कि हाल के वर्षों में प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन एवं अधिक मूल्य देने वाली फसलों के क्षेत्रों में आशातीत वृद्धि हुई है । गेहूँ की नई ऊन्नतशील किस्मों के प्रयोग के कारण पिछले दशक में गेहूँ के क्षेत्रफल में (121.68%) की वृद्धि हुई है । इसके विपरीत धान के कृषि क्षेत्रों में अच्छे बीजों के फलस्वरूप 85.35% की वृद्धि देखी गयी है । ऊन्नतशील बीजों के प्रयोग में इसी प्रकार की वृद्धि, अन्य फसलों के क्षेत्रों एवं उत्पादन में करने की आवश्यकता है ।

मुद्रादायिनी फसलों में केला और पटसन के क्षेत्रफल में वृद्धि परिवहन के साधनों के विकास के द्वारा की जा सकती है । इसी प्रकार सब्जियों एवं मसालों (धनिया, सौंफ, मिर्चा इत्यादि) के कृषि क्षेत्रों में वृद्धि कर कृषकों की आर्थिक दशा को सुधारा जा सकता है । न्याय पंचायत दलन, राजभवाडा तथा जगन्नाथपुर के क्षेत्रों में रबी फसल के अन्तर्गत मक्के की खेती को प्रोत्साहित किया जा सकता है । अध्ययन क्षेत्र के दक्षिणी भाग में न्याय पंचायत हफलागंज, मधेपुरा में मखाना की खेती को प्रोत्साहित किया जा सकता है ।

खरीफ एवं रबी के अतिरिक्त अगहनी एवं गरमा की फसलों के प्रतिरूप में भी परिवर्तन की आवश्यकता है जबकि विगत दस वर्षों (1981-91) के मध्य इन दोनों फसलों में क्रमशः 38.51% तथा 55.68% की वृद्धि हुई है परन्तु इतना ही पर्याप्त नहीं है । गरमा फसलों में ऊन्नतशील बीजों की सुविधा प्रदान कर इनकी उपज को बढ़ाया जा सकता है । पश्चिमी एवं उत्तरी बिहार की भौतिक बाधों, उद्यानों आदि में फलदार वृक्षों के साथ ही विभिन्न फसलों को उगाकर उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है । ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे तालाबों एवं पोखरों को विकसित कर मत्स्य पालन हेतु उपयोगी बनाया जा सकता है ।

1. **फसल चक्र** - प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन प्राप्त करने एवं मृदा की उर्वरता को बनाये रखने के लिए सही फसल चक्र का ज्ञान कृषकों के लिए लाभदायक होता है । परन्तु निरक्षरता, आर्थिक विपन्नता, सिंचाई एवं परिवहन की असुविधा तथा प्राचीन कृषि पद्धति के

कारण आज भी अध्ययन क्षेत्र के कृषक खाद्यान्न प्रधान पारम्परिक फसल चक्र को ही अपनाते आ रहे हैं। यद्यपि हाल के वर्षों में फसल चक्र में कुछ नवीनता अवश्य आई परन्तु उसमें कभी भी सन्तुलन एवं वैज्ञानिकता का अभाव है। प्रखण्ड की भौतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए निम्नलिखित फसल चक्र का प्रस्ताव किया जा सकता है।

## 2. प्रस्तावित फसल चक्र :-

भदई, अगहनी, रबी, गरमा।

### (अ) एक फसल चक्र :-

1. धान	धान	गेहूँ	धान
2. मक्का	मक्का	मटर	मक्का
3. चारा	चारा	चना, जौ	चारा
4. सब्जी	सब्जी	मसूर	सब्जी

भदई	अगहनी	रबी	गरमा
5. केला	-	-	-
6. पटसन	पटसन	-	-
7. मूँग	-	गेहूँ, तोरी	प्याज, लहसून

### (ब) दोफसली चक्र :-

भदई	अगहनी	रबी	गरमा
1. धान + पटसन	धान + पटसन	गेहूँ + जौ	धान + पटसन
2. धान + मक्का	धान + मक्का	चना + मटर	धान + मक्का
3. धान + केला	धान + हल्दी	लतरी + उड़द	उड़द + मूँग
4. पटसन + मूँग	पटसन + मूँग	पटसन + सनई	पटसन + मूँग
5. मक्का + गन्ना	गन्ना + आलू	गन्ना + धनियों	आलू + प्याज + गन्ना

3. बहुफसली कृषि :- बहुफसली कृषि एक वर्षीय फसल नियोजन है, जिनके अनुसार किसी खेत में एक ही वर्ष में दो तीन या इससे अधिक फसलें उर्वरक, सिंचाई एवं अन्य सुविधाओं



आदि के समुचित प्रयोग के फलस्वरूप उगाई जाती है। परन्तु नवीन परिस्थितियों को देखते हुए इसे अन्य फसलों के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। कटिहार प्रखण्ड के अधिकांश क्षेत्र पर कोई-न-कोई फसल वर्ष भर सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है और इस प्रकार एक ही वर्ष में किसी एक खेत में तीन-चार फसलों को लेकर लाभ कमाया जा सकता है। बहुफसली कृषि के अन्तर्गत एक फसली गहरी जड़ वाली हो तो उसके बाद उथली जड़वाली फसल बोना चाहिए। इस कृषि में एक दालवाली फसल अवश्य होनी चाहिए। साथ ही भूमि की उर्वरा शक्ति बनाये रखने के लिए प्राकृतिक एवं कृत्रिम रसायनों का उपयोग एवं सिंचाई की सम्यक व्यवस्था ऐसी कृषि के लिए अनिवार्य है।

#### बहुफसली कृषि के फसल-चक्र

- (अ) दो फसल वाले - 1 धान या मक्का गेहूँ  
2 धान मटर या चना  
3 चरी - बरसीम

- (ब) तीन फसल वाले - 1 मक्का - आलू - बेहन (धान)  
2 धान - गेहूँ - मूँग  
3 ज्वार + बाजरा - गेहूँ - मूँग  
4. मक्का - तोरी - गेहूँ

- (स) चार फसल वाले - 1 मक्का - तोरी - गेहूँ - मूँग  
2. मक्का - आलू - गेहूँ - सब्जी  
3. ज्वार + बाजरा - आलू - गेहूँ - मूँग  
4. ज्वार + चरी - तोरी - गेहूँ - मूँग

#### (द) ग्रामीण औद्योगीकरण -

ग्रामीण उद्योगों की स्थापना कृषि द्वारा प्राप्त कच्चे मालों पर आधारित है इन उद्योगों के द्वारा न केवल कृषि भूमि पर जनसंख्या के दबाव को कम कर सकते हैं,

ग्रामीणी बेरोजगारी को कम कर सकते हैं वरन् इसके द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सकता है ।

अध्ययन क्षेत्रों में कृषि उत्पादनों पर आधारित चावल, दाल, आँटा, तेल निकलने की मिले बड़े गावों में जहाँ विद्युत उपलब्ध है, स्थापित की गई है । उदाहरणार्थ दलन, परतेली, हफलागज, डण्डखोरा आदि न्याय पंचायतों के ग्रामीण केन्द्रों में देखने को मिलता है । अध्ययन क्षेत्र के जो ग्रामीण केन्द्र शहरी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वहाँ पर लघु उद्योग विकसित है। यदि अध्ययन क्षेत्र में उद्योग कर्ता को पर्याप्त सुविधा प्रदान की जाय तो निश्चय ही अध्ययन क्षेत्र का चतुर्दिक विकास संभव है क्योंकि कटिहार में बड़े उद्योग जैसे - दो जूट मिल, दो फ्लावर मिल, अभियन्त्रण उद्योग, वन आधारित उद्योग, बिस्कुट निर्माण उद्योग स्थापित है । इन उद्योगों के सम्पर्क से अब छोटे लघु उद्योग आसानी से ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित की जा सकती है ।

न्याय पंचायत चन्देरी, जगन्नाथपुर एवं महमदिया में छोटे उद्योग दिखाई देते हैं, जैसे मुर्गी पालन, मत्स्यपालन, जूट पर आधारित उद्योग परन्तु इनसे सही ढंग से उत्पादन नहीं प्राप्त किया जा रहा है । ग्रामीण केन्द्रों पर औद्योगिक विकास के लिए यदि ऋण प्रदान की जाय तो निश्चय ही आर्थिक विकास संभव है । इनका न्याय पंचायत स्तर के ग्रामीण केन्द्रों में आइस्क्रीम, कूट, कागज आदि उद्योगों की भी स्थापना की जा सकती है ।

इसी प्रकार हाल के वर्षों में कटिहार शहरी क्षेत्र में साबुन, बिस्कुट, अल्यूमीनियम, जूट, चम्पल आदि कई इकाइयों की स्थापना की गयी है । इन उद्योगों को अध्ययन क्षेत्र के न्याय पंचायत हफलागज, परतेली, मधेपुरा, बेलवा, डुमरिया तथा पहाडपुर में लघु इकाइयों को स्थापित किया जा सकता है , क्योंकि इन न्याय पंचायतों के अधिकांश कारीगर कटिहार प्रतिदिन काम करने आते हैं । इनको विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है । इन्हें पूँजी (ऋण) प्रदान कर ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों को स्थापित किया जा सकता है । इसके साथ-ही-साथ चमड़े से बनी वस्तुएँ (जूता, चम्पल, बैग आदि) टोकरी, रस्सी एवं आइस्क्रीम निर्माण सम्बन्धी लघु उद्योगों का भविष्य अध्ययन क्षेत्र में उज्ज्वल है ।

न्याय पंचायत दोआसे, रघेली, बिजेली, बलुआ, बेलवा तथा अन्य कई न्याय पंचायतों में पशुपालन उद्योग को विकसित कर दूध एवं दूध से बनी वस्तुओं का उत्पादन किया जा सकता है। अन्तोदय कार्यक्रम के अन्तर्गत छोटे जोतवाले कृषकों को दुधारू पशु खरीदने हेतु सरकारी सहायता प्राप्त होती है। इसके लिए बाजार-समिति बनायी गई है। अध्ययन क्षेत्र के कृषक अधिकांशतः भैंस, गाय आदि खरीदने के लिए कटिहार बाजार समिति आते हैं। यह राजेन्द्र कृषि महाविद्यालय के पास है। यहाँ दुधारू किस्म की अच्छी भैंस प्रायः खरीद एवं बिक्री की आती है। परन्तु ऋण आदि के वितरण की त्रुटिपूर्ण पद्धति के कारण कृषकों को पर्याप्त लाभ सम्भव नहीं हो पाता है।

अध्ययन क्षेत्र में अण्डे की खपत न्याय पंचायत सौरिया, दोआसे, बेलवा, दलन, हफलागज, बिजेली, डुमरिया तथा महमदिया में उत्तरोत्तर बढ़ रही है। अतः कृषकों को मुर्गीपालन के लिए प्रोत्साहन दिया जाना आवश्यक है। एतदर्थ मुर्गियों की उन्नतिशील नस्लों के वैज्ञानिक तरीकों के बारे में कृषकों को प्रशिक्षण आवश्यक है।

क्षेत्रान्तर्गत फल-उद्योग की स्थिति दयनीय है। तेजी से बाग-बगीचों की कटाई हुई है। अतः आम, अमरूद, कटहल, आँवला, नीबू, पपीता, लीची, लगाकर फल उद्योग को विकसित करना अति आवश्यक है। अध्ययन क्षेत्र के बेहतर बजर भूमि में इस प्रकार के वृक्षों को लगाया जा सकता है। खेतों के मेड़ों आदि के किनारे शहतूत आदि के वृक्षों को लगाकर रेशम उद्योग को प्रोत्साहित किया जा सकता है। फलों को छिन्नो में धरने पर उनसे आम, जैली आदि पदार्थों के निर्माण हेतु छोटे उद्योग भी गाँवों में खोले जा सकते हैं जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो सके एवं कृषकों को कुछ अतिरिक्त लाभ प्राप्त हो सके।

अध्ययन क्षेत्र में कुछ न्याय पंचायतों में भेड़ पालन व्यवसाय देखा जाता है परन्तु इन भेड़ों से ऊन, माँस एवं दूध का वार्षिक उत्पादन बहुत ही कम है। उत्पादन में वृद्धि हेतु भेड़ों की नस्लों में सुधार के अतिरिक्त रख-रखाव को ठीक ढंग से व्यवस्थित करने की आवश्यकता है, ताकि व्यवसाय को आर्थिक दृष्टि से उपयोगी बनाया जा सके।

इन भेड़ों से प्राप्त उन का उपयोग गाँवों में स्थापित कबल, गलीचे आदि बनाने वाले उद्योगों में किया जा सकता है ।

अध्ययन क्षेत्र में तालाबों की अधिकता है । पटसन का उत्पादन की अधिक होता है । उसकी सफाई आदि के लिए प्रत्येक गाँव के आस-पास छोटा-बड़ा तालाब देखने को मिलता है । इन तालाबों को सुधार कर मत्स्य-व्यवसाय को प्रोत्साहित किया जा सकता है । विकास - केन्द्रों से यदि इन्हे सहायता दी जाय तो निश्चय ही मत्स्य उद्योग का विकास संभव होगा और इससे आय की प्राप्ति होगी । इसके लिए विकसित तकनीकी को अपनाकर देशी मछलियों के साथ कुछ चुनी हुई उत्तम मछलियों को पालकर न केवल ग्रामीणों के भोजन स्तर को सुधारा जा सकता है वरन् इनके आर्थिक स्तर को भी ऊपर उठाया जा सकता है । इन तालाबों का उपयोग 'सिंघाड़ा' (जिसे पानी फल कहते हैं) मखाना आदि लगाकर अर्थोपार्जन किया जा सकता है ।

अध्ययन क्षेत्र में कुछ ग्रामीण केन्द्रों पर लघु औद्योगिक इकाइयों की स्थापना न्याय पंचायत परतेली, चन्देली, दोआसे, डुमरिया, हफलागज आदि में की जा सकती है, जहाँ परिवहन, बैंक, तकनीकी प्रशिक्षण आदि सुविधाएँ देकर बड़े कृषकों को उद्योगों की स्थापना हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए । इन न्याय पंचायतों के सेवा केन्द्रों में बनी वस्तुओं के विक्रय हेतु समुचित प्रबन्ध आवश्यक है । यदि सरकार लघु एवं ग्रामीण उद्योगों में उत्पादित वस्तुओं को बड़े उद्योगों में न बनने दें तो निश्चय ही इसकी खपत और मूल्य बढ़ेगी तथा इससे धीरे-धीरे बड़े उद्योगों की स्थापना हो सकेगी ।

ग्रामीण सेवा केन्द्रों के समीप जहाँ बीज उर्वरक आदि के वितरण के केन्द्रों की आवश्यकता है वहाँ आलू, प्याज जैसी कृष्योत्पादित वस्तुओं के भण्डारण हेतु हफलागज, परतेली, रघैली, बिजैली, डुमरिया एवं दलन आदि सेवा केन्द्रों में शीतगृहों का होना अतिआवश्यक है । राजेन्द्र कृषि महाविद्यालय एवं शोध-संस्थान कटिहार में जहाँ अध्ययन एवं अध्यापन कार्य सम्पादित किया जाता है , को विकसित कर कृषि बीजों, बीमारियों आदि के अध्ययन हेतु तथा कृषि तकनीक प्रशिक्षण हेतु शोध केन्द्रों को विकसित कर क्षेत्र के उन्नयन एवं चतुर्दिक् विकास को और प्रोत्साहित किया जा सकता है ।

(य) सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुविधायें -

किसी भी क्षेत्र के आर्थिक विकास में परिवहन साधनों का विशेष योगदान होता है। अध्ययन क्षेत्र में मुख्य सड़के-कटिहार-पूर्णियाँ, कटिहार गेडावाडी, कटिहार-मनिहारी, कटिहारी-मनसाही, कटिहार-सोनाली, कटिहार-प्राणपुर है। इसके अलावा अन्य कई छोटी कच्ची सड़के हैं जिसका रख-रखाव अच्छा नहीं है। इन पर अपेक्षाकृत कम बसें चलती हैं। इन्हें जनपद के मध्यम श्रेणी के मार्गों में परिवर्तित करना अति आवश्यक है। वैसे यहाँ प्रथम श्रेणी के मार्ग भी काफी टूटे-फूटे हैं, जिनकी स्थिति काफी दयनीय है। अधिकांश सड़के बरसात में जल-स्तर ऊपर आ जाने से शीघ्र नष्ट हो जाती हैं। इनकी सही ढंग में मरम्मत नहीं होती है। अतः अध्ययन क्षेत्र के इन सभी भागों का मरम्मत आवश्यक है क्योंकि कोई कोई भी उद्योग - धंधे चलाने के लिए परिवहन की आवश्यकता अपरिहार्य है। अतः इनके अभाव में कोई भी विकास संभव नहीं हो सकेगा।

अध्ययन क्षेत्र में पाँच रेलमार्ग हैं जो कटिहार से असम (ब्राड गेज), कटिहार से दिल्ली (ब्राड गेज), कटिहार से सिलीगुड़ी (मीटरगेज), कटिहार से पूर्णियाँ (मीटर गेज), कटिहार से मनिहारी (मीटर गेज) को जाती हैं। कटिहार एन० एफ० रेलवे का मुख्यालय है। छोटी रेलवे लाइनों को बड़ी रेल लाइन में बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि बस, टैम्पू, आदि गाड़ियों की पर्याप्त सुविधा न होने के कारण ट्रेनों का ही सहारा लेते हैं। कटिहार शहर एक औद्योगिक प्रतिष्ठान होने के कारण देहात से हजारों श्रमिक प्रतिदिन काम करने आते हैं जो अक्सर बस और ट्रेनों की छतों पर देखे जाते हैं। इसलिए क्षेत्र विकास के लिए परिवहन साधनों की और अधिक आवश्यकता है। अध्ययन क्षेत्र के न्याय-पचायत मंत्र पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जच्च-बच्चा केन्द्र एवं परिवार नियोजन केन्द्रों को और अधिक विकसित कर दवाई इत्यादि की पर्याप्त सुविधा प्रदान किया जाय। इसके अतिरिक्त पशुपालन एवं चिकित्सा केन्द्रों की ओर ध्यान दिया जाय क्योंकि अधिकांशतः चिकित्सा केन्द्रों की स्थिति जर्जर और दयनीय हो गयी है। इनकी मरम्मत तथा दवाइयों की पर्याप्त व्यवस्था की जाय, क्योंकि अध्ययन क्षेत्र का अधिकांश भाग बाढ़ग्रस्त रहता है। जिसके चलते अनेक प्रकार की बीमारियाँ देखने को मिलती हैं। इसके साथ ही पशु-चिकित्सा केन्द्रों पर नस्ल सुधार की योजना को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

शिक्षा के विकास हेतु प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति, जर्जर स्कूलों की मरम्मत, ग्रामीण स्तर माध्यमिक स्कूल और इसके साथ 10 + 12 की शिक्षा लागू करनी चाहिए। शिक्षा ही वह कड़ी है जिससे राष्ट्र का गुणोत्तर विकास संभव हो सकेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। ग्रामीणों के सहयोग एवं भाई-चारे की भावना को बनाये रखने के लिए सामाजिक उत्सवों, मनोरंजन के साधनों, सद्भावना यात्राओं का आयोजन किया जाना चाहिए।

### 8-3 ग्राम्य स्तर पर नियोजन

ग्राम्य स्तर एवं परिवार स्तर पर भूमि उपयोग नियोजन, विकासशील अर्थव्यवस्था के सम्वर्द्धन के लिए अति आवश्यक है। इसकी महत्ता उस दशा में और भी बढ़ जाती है, जब किसी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था कृषिगत आय पर ही आधारित हो। ग्राम्य स्तर पर भूमि उपयोग नियोजन में निम्न समस्याएँ नियोजकों के समक्ष उभरकर आती हैं -

1. प्रति व्यक्ति भूमि की औसत मात्रा का निर्धारण।
2. प्रति व्यक्ति उत्पादित खाद्य पदार्थों की मात्रा का आँकलन।
3. भावी जनसंख्या का पूर्वानुमान एवं उसके लिए खाद्यान्न की मात्रा का आँकलन।
4. उत्पादक कृषि में लगने वाले लोगों की अधिकतम संख्या।
5. अतिरिक्त जनसंख्या के लिए उद्योगों का चयन एवं विकास।
6. सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान हेतु सुविधाओं का विकास।

उपर्युक्त इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए प्रतिदर्श स्वरूप 'गोपालपुर' गाँव का चयन किया गया है। इस गाँव का कुल क्षेत्रफल 342 एकड़ है। इस गाँव की 58.54% (200.20 एकड़) भूमि पर शुद्ध कृषि की जाती है, जबकि 20.64% (70.60 एकड़) कृष्य बजर के रूप में विद्यमान है। शोधकर्ता द्वारा प्रतिदर्श गाँव का सूक्ष्म सर्वेक्षण करने के उपरान्त वर्तमान शुद्ध कृषित क्षेत्र को 58.54% से 63.00%, कृषि अप्राप्य भूमि को

20 81% से 22% के रूप में परिणत किया जा सकता है । प्रतिदर्श गाँव में बाग-बगीचों का क्षेत्र नगण्य है जबकि कृष्य बजर के रूप में 20 64% क्षेत्र विद्यमान है । इस अनुपयुक्त क्षेत्र के 5% भू-भाग पर आसानी से वृक्षारोपण कार्य किया जा सकता है । साथ ही कृष्य बजर के शेष क्षेत्र पर अधिवास, परिवहन तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में उपयोग कर गाँव का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है । शुद्ध कृषित क्षेत्र के 28 27% के बजाय सिंचन कार्य 38.25% भूभाग पर होना चाहिए । द्विफसली फसलोत्पादन किया जा रहा है । इसको क्रमश 30.25% के बजाय 4 05% तक उपयोग में लाया जा सकता है, जो सारणी 8 1 से स्पष्ट है ।

### सारणी 8.1

#### गोपालपुर का प्रस्तावित भूमि-उपयोग

क्र०स०	वर्तमान क्षेत्रफल (एकड़ में)	क्षेत्र प्रतिशत	प्रस्तावित क्षेत्र (एकड़ में)	क्षेत्र प्रतिशत
1	गाँव का क्षेत्रफल 342 00	-	342 00	-
2	शुद्ध बोया गया क्षेत्र 200 20	58 54	215 46	63.00
3	कृषि अप्राप्त्य 71 20	20 81	75 24	22.00
4	कृष्य बजर 70 60	20 64	34.20	10 00
5	बाग-बगीचा -	-	17 10	05 00
6	सिंचित 56.59	28 27	82 41	38 25
7	द्विफसली 65 06	32 05	86.29	40.05

स्रोत प्रखण्ड कार्यालय कटिहार (बिहार)

गोपालपुर गाँव के शस्य स्वरूप का सूक्ष्म अवलोकन के उपरान्त पाया गया कि सिंचाई आदि सुविधाओं के फलस्वरूप इसके वर्तमान क्षेत्र को प्रस्तावित क्षेत्र में बदला जा सकता है जो सारणी 8 2 से स्पष्ट है ।

**सारणी 8.2**  
**गोपालपुर का प्रस्तावित ऋष्य स्वरूप**

क्र०सं०	वर्तमान क्षेत्र फसल	क्षेत्र (एकड मे)	प्रतिशत	प्रस्तावित क्षेत्र	
				क्षेत्र (एकड मे)	प्रतिशत
1	भदई	-	-	-	-
	धान	48 1	13	56 70	14
	मक्का + अहरहर	29 6	8	32.40	8
	पटसन	33 3	9	28 35	7
	केला	18 5	5	24 30	6
2	अगहनी	-	-	-	-
	धान	37 00	10	36 45	9
	मक्का	25 09	7	24 30	6
	भूँग + खेसारी	18 05	5	12.15	3
3	रबी	-	-	-	-
	गेहूँ	54 8	14	64 90	16
	जौ + चना	14 8	4	12.15	3
	मटर-उडद	7 4	2	08 10	2
	तेलहन	7 4	2	12 15	3
4.	गरमा	-	-	-	-
	धान	40 7	11	48.60	12
	मक्का	14 8	4	16.20	4
	पटसन	11 1	3	12.15	3
	सब्जी	11 1	3	16.20	4
<b>कुल योग</b>		<b>370 00</b>	<b>100</b>	<b>405.00</b>	<b>100</b>



भदई फसलों में मुख्य रूप से धान और पटसन है, जिसका वर्तमान क्षेत्र 13% एव 9% है, इसमें धान के क्षेत्र को 14% में बदला जा सकता है ।

अगहनी फसलों में मुख्यतः धान, मक्का, भूँग और खेसारी की खेती की जाती है जिसका वर्तमान क्षेत्र 10%, 7%, एव 5% है । इसे क्रमशः 9%, 6%, 3% में परिणत कर मुख्य खाद्यान्न फसलों के वर्तमान क्षेत्र को प्रस्तावित क्षेत्र में बदला जा सकता है ।

रबी की फसल का वर्तमान क्षेत्र कम है, इसके वर्तमान क्षेत्र को गेहूँ का 14% से 16% में बदला जा सकता है ।

उपर्युक्त फसलों के अलावा एक प्रमुख फसल गरमा है । इसमें मुख्य रूप से धान, मक्का, पटसन एव शब्जी का उत्पादन होता है । धान तथा शब्जी के वर्तमान क्षेत्र क्रमशः 11%, एव 3% है । प्रस्तावित क्षेत्र 12% एव 4% में परिवर्तित किया जा सकता है ।

प्रतिदर्श गाँव के सामाजिक एव सांस्कृतिक उत्थान हेतु गन्दे जल के निकाली हेतु नालियों का होना आवश्यक है । गाँव के गलियों को ईंटों के खडन्जों से बरसात में यातायात हेतु सुगम बनाया जा सकता है । गाँव में प्राविधिक एव तकनीकी शिक्षा हेतु व्यवस्था आवश्यक है, जिससे ग्रामीण नवयुवकों में आत्मनिर्भरता की भावना का सृजन हो सके एवं ग्रामीण औद्योगीकरण को प्रोत्साहन मिल सके ।

गाँव में स्वास्थ्य केन्द्र की सुविधा उपलब्ध है जिसे विकसित करने की आवश्यकता है । समीप ही पशु-केन्द्र की स्थापना पशुओं के स्वास्थ्य एव नस्ल सुधार हेतु आवश्यक है । मड़क-व्यवस्था में सुधार कर परिवहन की सुविधाओं के विकास की भी तीव्र आवश्यकता है जिससे गाँव में प्रसन्नता के अंग भागों में सुधार बनाए जा सके ।

इसी प्रकार पंचायत-गृह, नवयुवक केन्द्र, क्रीडा क्षेत्र, सार्वजनिक पुस्तकालय

आदि की सुविधाओं से गाँव वासियों में भाई चारे की भावना का संचार अथवा स्वास्थ्य वातावरण के विकास में सहायता मिल सकती है । गाँव में छोटे-छोटे कई लघु उद्योग हैं जिन्हें सहकारी सहायता प्रदान कर बड़े उद्योगों में विकसित किया जा सकता है ।

यद्यपि गाँव में बिजली की सुविधा है, परन्तु समय से उपलब्ध नहीं होने के कारण जनता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । यदि गाँव में गोबर गैस प्लाण्ट की व्यवस्था कर दी जाय तो जनता को काफी राहत मिलेगी । साथ ही इसका उपयोग लघु-उद्योगों में भी किया जा सकता है । पटसन और धान की खेती अच्छी होती है, इससे सम्बन्धित उद्योग स्थापित कर गाँव का उन्नयन किया जा सकता है । ग्रामीण विकास हेतु सरकार द्वारा अनेक योजनाएँ लागू होती हैं परन्तु अधिकारियों की शोषक-प्रकृति, प्रबन्ध-व्यवस्था दोषपूर्ण एवं ग्राम वासियों की तटस्थता के कारण कार्यक्रमों को अपने लक्ष्य प्राप्ति में पर्याप्त सफलता नहीं मिल पाती है । एतदर्थ ग्रामीण प्रशासन को अधिक सक्रिय प्रभावकारी बनाने की आवश्यकता है ।

#### 8.4 भूमि विकास में विधि नियमन -

भूमि के उपयोग में विकसशील प्रवृत्तियों के उद्भूत करने के लिए यह आवश्यक है कि कृषि भूमि के अधिकार एवं प्रयोग का पुनः नियमन किया जाए । सरकार ने इस दिशा में कुछ सक्रिय प्रयास किये हैं जिनमें कृषि भूमि सीमा निर्धारण उल्लेखनीय है । इस नियम के अन्तर्गत जिन कृषकों के पास एक निश्चित सीमा से अधिक कृषि भूमि है, उनसे अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण कर कृषि-हीन या सीमान्त कृषकों में स्थानान्तरित किया जाता है । यद्यपि यह कार्यक्रम पूर्णतः सफल नहीं हो पाया है, तथापि इससे उन कृषकों को कृषि भूमि मिलने में कुछ हद तक राहत हुई है, जो कृषि कार्य में रुचि रखते हैं एवं जो भूमि-विहीन हैं ।

भारत के भिन्न-भिन्न गाँवों में कृषि भूमि में चकबन्दी का प्रयास भी कृषि भूमि सुधार की दृष्टि से सहायक सिद्ध हुआ है । इससे छोटे-छोटे जातों को एकत्र कर

बड़े-बड़े जोतों से परिणत किया जा रहा है, जिनके माध्यम से कृषि कार्य सम्पन्न करना कम व्यय साध्य एवं लाभदायक होगा । इन बड़े जोतों को पुन लघु जोतों में परिवर्तित होने से बचाने के लिए उत्तराधिकार के नियमों से भी यथोचित संशोधन की आवश्यकता है ।

### 8.5 भूमि विकास में व्यवधानों का नियन्त्रण :-

भूमि विकास में कई ऐसे व्यवधान उपस्थित हो जाते हैं जिनके नियन्त्रण के बिना कृषि का लाभदायक होना कठिन हो जाता है । बाढ़ भूक्षरण एवं सूखे आदि प्राकृतिक आपदाएं इसी प्रकार के व्यवधान हैं । कटिहार प्रखण्ड इन आपदाओं से प्रायः उत्पीडित रहता है । इस क्षेत्र में बाढ़ एवं भू-क्षरण की समस्याएँ अब भी बनी हुई हैं, जिनके नियन्त्रण से कृषि विकास में निश्चय ही सहायता मिलेगी ।

अध्ययन क्षेत्र में कीड़ों एवं बीमारियों के कारण भी अधिक क्षति पहुँचती है धान, गेहूँ तथा पटसन में ऐसे कीड़ों तथा बीमारियों का प्रकोप अधिक पाया जाता है । इनमें कुछ बीमारियाँ (जैसे- राइस एलगी) पौधों के जड़ों, तनों एवं पत्तियों को क्षति पहुँचाती है इसके अतिरिक्त पत्तियों, फूलों आदि में कई प्रकार के कीड़ों का भी प्रकोप होता है जैसे हिस्पा, राइसवर्म, गाल फ्लार्ड इत्यादि । यदि इन बीमारियों एवं कीड़ों से फसल को नहीं बचाया जाता है तो अनुमानतः 40 से 60% तक फसल नष्ट हो जाती है ।

सरकार द्वारा यदि इन कीड़ों और बीमारियों का बड़े पैमाने पर रोकथाम नहीं किया गया तो कृषि उत्पादन का एक बहुत बड़ा भाग नष्ट हो जायेगा तथा किसानों को इससे प्रति वर्ष अधिक हानि उठानी पड़ेगी । सरकार के कृषि विभाग ने 'प्लाण्ट प्रोटेक्शन' अनुभाग द्वारा इन कीड़ों तथा बीमारियों को रोकने का प्रयास किया है किन्तु उनका प्रयास अपर्याप्त है और इससे समस्या का वांछित समाधान सम्भव नहीं हो पा रहा है । इस अनुभाग को विस्तृत एवं सशक्त करने की आवश्यकता है जिससे 'प्लाण्ट प्रोटेक्शन' का कार्य अधिक सक्रिय एवं अधिक प्रशस्त बनाया जा सके ।

बीमारियों तथा कीड़ों से फसलों को बचाने के लिए कुछ रासायनिक धूलियों का भी प्रयोग किया जाता है । जिन्हे इन्सेक्टोसाइड एण्ड पेस्टीसाइड पाउडर कहते हैं । किसानों में इनके प्रति ज्ञान एवं जिज्ञासा उत्पन्न करना आवश्यक है ।

फसलों के उत्पादन के उपरान्त उत्पादित अन्न को सुरक्षित रखने की भी एक कठिन समस्या है । समुचित व्यवस्था के अभाव में अनुमानत लगभग 15 से 25% तक उत्पादित अन्न सीलन एवं कीड़ों द्वारा प्रति वर्ष नष्ट हो जाता है । बड़े कृषक 'बरवार' एवं 'ठेक' में रसायन का प्रयोग कर रख देते हैं लेकिन लघु कृषक के पास इनका पूर्णतः अभाव होता है, जिसे उनका अधिकांश अनाज नष्ट हो जाता है। ऐसी स्थिति में सरकारी प्रयासों द्वारा वैज्ञानिक ढंग से निर्मित ऐसे बरवारों का निर्माण किया जाना चाहिए, जहाँ लघु कृषक अपने उत्पादन का एक भाग कम खर्च पर संचित रख सकें ।

अध्ययन क्षेत्र के अधिकांश भागों में आलू की खेती की जाती है जो गाँव, नगर या कस्बों के निकट है, वे आलू के अतिरिक्त विपणन के दृष्टिकोण से पर्याप्त मात्रा में साग-सब्जी भी उगाते हैं । ऐसे कच्चे पदार्थ शीघ्र नाशवान होते हैं । इनके संरक्षण के लिए यद्यपि शीतालयों का प्रचलन हुआ है किन्तु ये बहुत ही कम हैं, साथ ही पर्याप्त विद्युत सुलभता न होने के कारण ये शीतालय भी सुचारू रूप से क्रियाशील नहीं रह पाते हैं जिसे प्रति वर्ष संचित आलू का एक बड़ा भाग नष्ट हो जाता है । सरकारी एवं निजी प्रयत्नों द्वारा शीतालयों की संख्या बढ़ाना तथा उनमें विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति करना अति आवश्यक है ।

कृषि से सलग्न पशुपालन उद्योग को कुछ हद तक कृषि का ही अनुभाग समझा जाता है । वहाँ भी दुग्ध, अण्डे आदि जैसे शीघ्र नाशवान पदार्थों के संचय एवं विपणन की बड़ी समस्या है । अतः यह आवश्यक है कि कृषि में प्रयुक्त तथा किसानों के लिए लाभदायी जानवरों की नस्लों में सुधार के साथ-साथ उनसे प्राप्त उत्पादनों को संरक्षित रख कर कृषकों को अधिक-अधिक लाभ देने की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

## 8.6 कृषि उत्पादनों का विपणन -

सभी किसान अपने उत्पादनों के कुछ भाग अवश्य बेचते हैं, जिसे द्रव्य प्राप्त कर वे अपनी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। बहुधा ऐसा पाया जाता है कि इन किसानों को अपने उत्पादनों का उचित मूल्य नहीं मिलता और जिन सामानों का वे क्रय करते हैं उसके लिए इन्हें अधिक मूल्य देना पड़ता है। इस प्रकार व्यापारी उनसे दोनों दशाओं में अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। कृषकों को ऐसे परोक्ष शोषणों से बचाने के लिए आवश्यक उपाय होने चाहिए। निर्धन किसान सक्षम रूप से एव सफलतापूर्वक कृषि भूमि उपयोग नहीं कर सकता। सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए कृषि मण्डलों का आयोजन किया है, जहाँ किसान अपना उत्पादन उचित मूल्य पर बेच सकता है। किन्तु इन मण्डलों की कार्य प्रणाली दोषपूर्ण होने से किसानों को उचित लाभ नहीं मिल पाता है। कभी-कभी तो उन्हें सामान्य विपणन से भी कम मूल्य पर कृषि उत्पादनों को बेचना पड़ता है।

किसानों में मिल-जुलकर कृषि-कार्य, लेन-देन कार्य एव विपणन कार्य करने के लिए कृषि सहकारी समितियों का गठन किया गया है। किन्तु किसानों में इनके प्रति विशेष अभिरूचि के अभाव एव उनके आपसी तनावों के कारण ऐसी समितियों का कार्य शिथिल पाया जाता है। यही कारण है कि सहकारिता एव सहकारी समितियों से किसान दूरवकतराते हैं। यदि इनकी कार्य विधि को सुधारा जाय तो किसानों को अधिक लाभ दिया जा सकता है।

## 8.7 अभिनव प्रवृत्तियों का प्रसरण :-

(अ) **भूमि सक्षमता** - आज के वैज्ञानिक युग में भूखण्डों के भिन्न-भिन्न उपयोग बढ़ते जा रहे हैं। कृषि भूमि उपयोग में भी ऐसी विधियाँ प्रचलित हो गयी हैं। यदि किसानों को इनसे अवगत कराया जाय तो उनसे कृषि भूखण्डों के उचित उपयोग के प्रति जागरूकता उत्पन्न होगी और नूतन विधियों द्वारा अधिक सुनियोजित ढंग से अपने कृषि क्षेत्रों का उपयोग कर सकेंगे।

(ब) **बहुफसलीकरण** - भारत जैसे घने आबाद देश में एक ही कृषित क्षेत्र से एक ही

वर्ष में कई फसलें प्राप्त करना आवश्यक सा होने लगा है क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्याके कारण पोषण के लिए अधिक साधनों की माग बढ़ने लगी है । कटिहार प्रखण्ड भी एक घना आबाद क्षेत्र है, अतः यहाँ भी बहुफसली क्षेत्र में वृद्धि से कृषि उत्पादनों को बढ़ाया जा सकता है एवं इसे बढ़ती हुई जनसंख्या की उदर पूर्ति की समस्या का समुचित समाधान खोजा जा सकता है ।

प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र में केवल 41.65% कृषि भूमि ही दो-फसली कृषि में प्रयुक्त होती है । साधनों की प्रचुरता को बढ़ाकर इस क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि की जा सकती है । ऐसा करने से मुद्रादायिनी फसलों के विकास में वृद्धि होगी और किसानों को अधिक द्रव्य लाभ हो सकेगा ।

कटिहार प्रखण्ड में दो फसली क्षेत्रों में धान के बाद गेहूँ एवं मक्का तथा पटसन बोनो की प्रथा है । इसके साथ ही कई न्याय पचायतों में तीन फसलों के उत्पादन का भी प्रयास किया जाता है जैसे - धान के बाद गेहूँ और तत्पश्चात् ग्रीष्मकालीन धान, मक्का और मूँग बोया जाता है, इसे गरमा फसल के नाम से जाना जाता है । यदि किसानों में अभिन्वित उत्पन्न कर दो-फसली एवं तीन फसली कृषि को बढ़ाया जाय तो कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि की जा सकती है । इस प्रकार यह भूमि का अनुकूलतम उपयोग होगा ।

(स) **कृषि कार्य कुशलता** - फसल सान्द्रण एवं फसल विविधता कृषि कुशलता पर बहुत हद तक निर्भर है । सान्द्रण इस तथ्य का द्योतक है कि किस प्रकार साधनों का उपयोग कर सक्रिय एवं जागरूक किसानों ने कृषि गहनता को सम्पादित किया है । यदि उनमें कृषि कुशलता नहीं होती तो ऐसा सम्भव नहीं था । कृषि विविधता भी कृषि कुशलता से विशेष रूप से संलग्न है ।

कृषि कुशलता के सम्बन्ध में वीवर<sup>2</sup> ने (1954), रामचन्द्रन<sup>3</sup> (1963), भाटिया<sup>4</sup> (1965) एवं जार्ज<sup>5</sup> (1965) आदि ने सराहनीय कार्य किए हैं । कृषि कुशलता को विश्लेषित करने और समझने में सबसे अधिक कठिनाई यह है कि कृषि के समरूप एवं विश्वसनीय आँकड़े नहीं उपलब्ध

होते है ।

खाद्यान्नों, दालों, तिलहनों एवं लघु खाद्यान्नों के सन्दर्भ में पृथक-पृथक कृषि कुशलता का अनुमान लगाया जा सकता है । उत्कल विश्वविद्यालय के प्रो० वी०एन० सिन्हा<sup>6</sup> ने इस सन्दर्भ में सराहनीय कार्य किया है । उन्होंने अलग-अलग फसल समूहों का विवेचन किया है और उनसे संबंधित कृषि कुशलता का अनुमान लगाया है । इनके अनुसार भारत के 320 जिलों में से 227 जिलों में धनात्मक और 93 जिलों में ऋणात्मक कृषि कुशलता पाई जाती है ।

यदि ऐसे अध्ययनों को प्रखण्ड स्तर पर अपनाया जाय तो इन विश्लेषणों से अधिक वास्तविक प्रतिफल प्राप्त किया जा सकता है ।

**8.8 कृषि उत्पादकता** - किसी भी क्षेत्र में कृषि सक्रियता, कृषि गहनता एवं कृषि कुशलता को प्रदर्शित करने में कृषि उत्पादकता का विशेष स्थान है । यदि उत्पादकता क्षीण होती है तो स्वतः कृषि कुशलता घट जाती है । कृषि उत्पादकता बढ़ाने के जिन कारकों का महत्वपूर्ण योगदान है उनमें भौतिक पृष्ठभूमि के अतिरिक्त सुधारे हुए बीजों, उर्वरकों, सिंचन साधनों, यंत्रण क्रियाओं कृषक प्रशिक्षण आदि अधिक उल्लेखनीय है ।

कृषि उत्पादकता में असन्तुलन भी एक ऐसा कारक है जिससे कृषि कुशलता के होते हुए भी उत्पादन क्षीण होने लगता है । अली मुहम्मद<sup>7</sup> के अनुसार सुविधाओं के आधार पर गहन खेती का अभियान चलाने से भारत के कुछ क्षेत्रों में उत्पादन अवश्य बढ़ा है लेकिन इससे क्षेत्रीय उत्पादन में असन्तुलन उत्पन्न हो गया है । इसलिए यह आवश्यक है कि संसाधनों का अधिक विस्तार किया जाय और असन्तुलनताओं को घटाया जाय ।

कृषि उत्पादकता से कृषि उत्पादन का गहरा सम्बन्ध है क्योंकि पहला जहाँ समक्षमता का द्योतक है वही दूसरा वास्तविकता का प्रतीक है । अतः कृषि उत्पादन का निर्धारण भी आवश्यक है जिससे कृषि उत्पादकता के प्रयासों का प्रतिकलन ज्ञात हो सके कुछ विद्वानों के अनुसार कृषि उत्पादन का तुषिभात्मक आँकलन किया जा सकता है । सिंह

और चौहान<sup>8</sup> (1977) ने इस विधियों द्वारा उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादकता का परिमणन किया है। उन्होंने निम्न तीन विधियों का आश्रय लिया है -

- (अ) मानक उत्पादन सूचकांक,
- (ब) फसल मात्रा तुल्य सूचकांक
- (स) फसल गहनता सूचकांक

### 8.9 भूमि उपयोग नियोजन तथा कृषि विकास सम्बन्धी योजनाएँ<sup>9</sup> .-

भारत में भूमि उपयोग नियोजन तथा कृषि विकास योजनाओं के अन्तर्गत निम्न उल्लेखनीय है।

(अ) **सघन कृषि विकास योजना** - इसके अन्तर्गत कृषि की सघनता को बढ़ाने के लिए कृषि सुविधाओं को बढ़ाया जाता है। कृषकों को वैज्ञानिक धारणा प्रदान की जाती है। इसके अन्तर्गत फसलों का चयन, फसलों का चक्र तथा पशुधन विकास भी सम्मिलित किया जाता है।

(ब) **अधिक उपज वाली फसलों के विकास की योजना :-**

इस योजना के अन्तर्गत कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा विकसित अधिक उपज वाली फसलों का प्रचार किया जाता है और कृषकों को उनके उपज की वृद्धि से अवगत कराया जाता है। भारत जैसे सघन आबाद देश में इस योजना का विशेष महत्व है।

(स) **बहुफसली योजना -**

कृषि पर जनसंख्या के अधिक धार के कारण एक ही कृषि क्षेत्र से कई फसलों का उगाना अधिक लाभदायी है। कृषि विद्वानों ने अपने प्रयोगों द्वारा भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में बहुफसली योजना का विश्लेषण किया है और क्षेत्रों के सम्बन्ध में उनकी सार्थकता को अवगत कराया है। इसमें फसल को इस रूप में चलाया जाता है ताकि मृदा की उर्वरता



भी बनी रहे और मौसमी साधनों का लाभ उठाकर उपज भी अधिक प्राप्त की जा सके ।

#### (द) लघु कृषक विकास योजना -

इस योजना के अन्तर्गत छोटे-छोटे किसानों की कृषि समस्याओं का अध्ययन और उनके समाधान का प्रयास किया जाता है । भारत में ऐसे किसानों की संख्या अधिक होने से इस प्रकार योजना का विशेष महत्व है । छोटे कृषक पृथक-पृथक आधुनिक संसाधनों का उचित लाभ नहीं उठा सकते हैं इसलिए उन्हें संगठित रूप में लाभ प्रदान करने की योजनाएँ बनाई जाती चाहिए । इन कृषकों के पास पूँजी कम होने से अच्छे बीजों अथवा रासायनिक उर्वरकों या कृषि नियन्त्रण सुविधाओं से भरपूर लाभ उठाना कठिन हो जाता है एतएव उन्हें सामूहिक रूप से ऐसे सुविधाओं से लाभान्वित करने का प्रयास करना चाहिए।

#### (य) साझा विकास योजना -

कृषि विकास योजनाओं पर सामाजिक रूप-रेखा, आर्थिक प्रक्रिया, प्रशासनिक विधि तंत्र तथा राजनैतिक ढाँचे आदि का भी उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है । लघु प्रदेश नियोजन के अन्तर्गत कृषि, संलग्न अर्थ क्रिया क्षेत्रों एवं सामाजिक प्रारूप क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए विकास योजनाएँ बनाई हैं जिनमें पंचायत राज्य, सहकारिता, एकीकृत ग्रामीण विकास ऐसी अनेक योजनाएँ सम्मिलित की गई हैं । इसी उद्देश्यों से प्रखण्ड के रूप में छोटी ईकाइयों का निर्धारण किया गया है, जो आधुनिक विकास योजना के आधार के रूप में क्रियाशील हो रहे हैं । यदि ये प्रखण्ड व्यवधानों एवं भ्रष्टाचारों से अलग होकर कार्य करें तो निश्चय ही कृषकों की अनेक समस्याओं का समाधान हो सकता है और कृषि विकास योजनाएँ भी सफल होंगी ।

#### (र) कृषि श्रमिकों हेतु विकास योजनाएँ -

कृषि विकास में कृषि श्रमिकों का महत्वपूर्ण योगदान है । सघन कृषि वाले क्षेत्रों में तो उत्पादेयता और भी बढ़ जाती है । धान या केले वाली फसलों में इन कृषक मजदूरों का योगदान और भी उल्लेखनीय होता है । फलों तथा तरकारियों की खेती में भी श्रमिकों का कार्य महत्वपूर्ण होता है ।

भारत में कृषि यन्त्रण का विशेष प्रसार न होने से आज भी श्रमिकों का कृषि में महत्वपूर्ण योगदान है ।

ग्रामीणी अचलों में भूमिहीन कृषि श्रमिक भी पाए जाते हैं जो दूसरे कृषकों के कृषि क्षेत्रों पर कार्य करते हैं । यदि इन कृषकों की कार्य पद्धति में विकास नहीं किया गया तो कृषि में नवीन विक्तियों का प्रचलन कठिन हो जायेगा । ऐसे कृषि श्रमिक अपने श्रम का उचित पारिश्रमिक नहीं पाते हैं और बड़े किसान उनका शोषण करते हैं । ये प्रायः हरिजन या पिछड़ी जातियों से सम्बन्धित होते हैं । अतः इन पर यातनाओं का भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । भारत सरकार ने सन 1970-71 में इन श्रमिकों की आर्थिक दशा सुधारने हेतु अनेक योजनाएँ चलायी हैं जिससे इनकी सामाजिक और आर्थिक स्तर में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है ।

#### (ल) कृषि ऋण योजना -

भूमि विकास में कृषि योजना को सफल बनाने के लिए पूँजी का प्रसारण भी आवश्यक है । लघु एवं सीमान्त कृषकों के सन्दर्भ में तो कम ब्याज पर ऋण की सुलभता आवश्यक है । ऐसी सुविधा कृषि उधार बैंक एवं कृषि उधार समितियों द्वारा प्रदान की जाती है किन्तु इनके सुचारु रूप से कार्य न करने तथा दोषपूर्ण व्यवस्था से इन कृषकों को वांछित लाभ नहीं मिल पाता है । इन समितियों की कार्य प्रणाली में सुधार के अतिरिक्त ऋण नीति उधार बनाने की आवश्यकता है ।

उपर्युक्त विवेचनों से यह स्पष्ट है कि कटिहार प्रखण्ड ऐसे कृषि प्रधान क्षेत्र के लिए भूमि उपयोग में कृषि नियोजन का विशेष महत्व है क्योंकि इसके बिना कृषकों की कार्य पद्धति तथा उनकी कार्य कुशलता में वांछित सुधार नहीं लाया जा सकता है । कृषि से सम्बन्धित नवीनताओं के प्रसारण के लिए भी कृषि नियोजन आवश्यक है ।

आधुनिक कृषि धीरे-धीरे उद्योगों का रूप धारण कर रही है इसलिए, इसमें पूँजी, श्रम, साहस, वितरण तथा विपणन जैसे कार्यों की सह सम्बद्धता आवश्यक है ।

इन सम्बन्धों को निर्धारित करने में नियोजित विधियों का विशेष योगदान होता है ।

कटिहार प्रखण्ड में अभी तक भूमि उपयोग का सार्थक स्वरूप नहीं विकसित हो सका है । आशा की जाती है कि वर्तमान अध्ययन से इन उद्देश्यों की पूर्ति में अभीष्ट सफलता मिलेगी ।

xxxxxxxxxxxx

सन्दर्भ - सूचिका (References)

1. **Stamp L.D.** : "The Land of Britain Ist use and misuse." 1962, p.246. (Third Edition)
2. **Weaver J.C.** : Crop Combination Regions in middle west, Geographical Review , 1954, Vol. 44, No.2 pp. 175-200.
3. **Ram Chandran, R.** : "Crop Regions of India". The Indian Geographical Journal, 1963 Vol. 38.
4. **Bhatia, S.S.** . "A New measure of Agricultural Efficiency, in U.P." Economic Geography 1967, Vol 43, No.3 p. 248.
5. **Blyn, Geogre,** : Measurment of Geographical Association, . The Indian Geographical Journal, 1965, Vol 40, July, Sept. & Oct. - Dec. No. 3 and 4.
6. **Sinha, B.N.** . Agricultural Efficiency in India, Vol. 4 Chap Ten in Perspecteves in Agricultural Geography 1980, pp. 183-209.
7. **Mohammade Ali** : Regional Imbalances in levels of Agricultural Productivity, Vol.4, 1980, p. 227.
8. **Singh, Surendra and Chauhan, V.S.** : Measurment of of Agricultural Productivity in U.P. Geog. Rev. of India, 1977, Vol, 39, No 3, pp. 222-31.

9.        *Jana, M.M. Programme for Agricultural Development in India* Ed Noor Mohammad *Perspective in Agricultural Geography* vol.4, 1980, pp. 289-303.

\*\*\*\*\*

### सारांश

भूमि उपयोग सर्वेक्षण भौगोलिक अध्ययन का एक महत्वपूर्ण पहलु है । इसकी सकल्पना गत्यात्मक है । मानव अपने आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दो प्रकार की सांस्कृतिक प्रक्रियाएँ सम्पन्न करता है । प्रथमतः नये-नये क्षेत्रों की खोज तथा दूसरा भूमि-उपयोग की गहनता में वृद्धि । विश्व स्तर पर बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण भूमि-उपयोग सम्बन्धी अध्ययन की उपादेयता और अधिक बढ़ गयी है । बढ़ती हुई जनसंख्या के भरण-पोषण के लिए वनों के कटान के फलस्वरूप भूमि बन्ध्या होती जा रही है । आज का मानव तकनीकी विकास के मद में चूर होकर इस बात को भूल बैठा है , और वह प्रकृति पर विजय श्री प्राप्त करने की होड में अपने अस्तित्व को ही सकट में डाल लिया है । मानव का मर्वांगीण विकास एवं कल्याण प्रकृति के साथ सामंजस्यता पर ही निर्भर है , उस पर विजय प्राप्त करने में नहीं ।

मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु भूमि का उपयोग विविध रूपों में करता है । भूमि -उपयोग की अज्ञानता के कारण भूमि दुरुपयोग तेजी से बढ़ रहा है । अतः भूमि के लिए भूमि सम्बन्धी सर्वेक्षण एवं उसका मूल्यांकन आवश्यक है । जो प्राकृतिक सामाजिक, आर्थिक एवं तकनीकी दशाओं के सन्दर्भ में अध्ययन किया जाना चाहिए । भूमि उपयोग सम्बन्धी अध्ययन में कृषि के स्वरूप एवं प्रतिरूप सम्बन्धी अध्ययन महत्वपूर्ण है । जो कृषि नियोजन की पहली सीढ़ी है । भूमि उपयोग सर्वेक्षण से भूमि की उर्वरता, उत्पादकता एवं गहनता आदि की दृष्टि से भूमि के वर्गीकरण में सहायता मिलती है । इसके आधार पर भूमि का सही मूल्यांकन होता है - तदनुसार भूमि का उपयोग किया जाता है । इस प्रकार भूमि उपयोग सम्बन्धी अध्ययन उन देशों के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, जहाँ जनसंख्या घन है एवं उनके भरण पोषण हेतु कृषि उत्पादों की विशेष माँग है ।

मानवीय आर्थिक-क्रियाओं में कृषि कार्य का विशेष महत्व है क्योंकि यह उदर पूर्ति का सबसे बड़ा साधन है । जहाँ पर जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है वहाँ खाद्यान्नों की आवश्यकता भी अधिक होती है तथा वहाँ कृषि कार्य भी अधिक होता है। कृषि से हमें खाद्यान्न के साथ ही चारा एवं फलों की भी प्राप्ति होती है । कृषि उत्पादों

से सम्बन्धित अनेक छोटे-बड़े उद्योग हैं। इस प्रकार कृषि से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में खाद्य, वस्त्र एवं गृह निर्माण के पदार्थ उपलब्ध होते रहते हैं। प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध का मुख्य उद्देश्य भूमि उपयोग के साथ ही कृषि प्रधान कटिहार प्रखण्ड के कृषि भूमि उपयोग की समुचित व्याख्या प्रस्तुत करना भी है, जिससे भौतिक, मानवीय एवं ऐतिहासिक कारकों के सन्दर्भ में भूमि-उपयोग की क्षेत्रीय एवं कालिक विशिष्टताओं की समुचित व्याख्या, सम्भाव्य क्षमता का मूल्यांकन तथा प्रखण्ड वासियों की आवश्यकताओं एवं उनके आर्थिक उन्नयन हेतु भूमि उपयोग से सम्बन्धित वैज्ञानिक नियोजन हेतु कुछ कार्यक्रम प्रस्तावित किये जा सकें।

कटिहार प्रखण्ड बिहार के उत्तरी -पूर्वी भाग में स्थित है, जिसका विस्तार  $25^{\circ}28'$  उत्तरी से  $25^{\circ}41'$  उत्तरी अक्षांश एवं  $87^{\circ}32'$  से  $87^{\circ}43'$  पूर्वी देशान्तर के मध्य  $26807$  हे० क्षेत्र पर है। 1991 की जनगणना के अनुसार इसकी कुल जनसंख्या 127,683 थी। प्रशासनिक दृष्टि से कटिहार को 20 न्याय प्रचायतों एवं 126 गाँवों में विभाजित किया गया है।

उच्चावच की दृष्टि से अध्ययन क्षेत्र नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी द्वारा निर्मित समतल मैदान है, जिसका सागर तल से औसत ऊँचाई लगभग 31.2 मीटर है। भौतिक दृष्टि से कटिहार प्रखण्ड को दो भौतिक रूपों बागर क्षेत्र एवं कछरी क्षेत्रों में बाँटा गया है। अपवाह तन्त्र की दृष्टि से कोसी धार, कमला, मोनाली तथा गिहरी नदियाँ मुख्य हैं। अधिक वर्षा एवं मन्द ढाल के कारण प्रखण्ड का लगभग 45% क्षेत्र बाढ़ों से प्रभावित होता है। बाढ़ का विशेष प्रभाव इसके उत्तर में बहने वाली कोसी एवं उसकी सहायक नदियों की घाटी क्षेत्र में परिलक्षित होता है। बड़ी बाढ़ों के समय लगभग 85 गाँव बरसात में जलमग्न हो जाता है।

संरचनात्मक दृष्टि से अध्ययन क्षेत्र कोसी मैदान का एक भाग है। इसका निर्माण हीलोसीन युग से लेकर अद्यतन जमाव के परिणाम स्वरूप हुआ है। जलवायु की दृष्टि से अध्ययन क्षेत्र की स्थिति आर्द्र-उपोष्ण मानसूनी प्रकार की है। जहाँ औसत वार्षिक तापमान  $24.4^{\circ}$  से  $0$  तथा औसत वार्षिक तापान्तर  $8.10^{\circ}$  से  $0$  पाया जाता है। वायु प्रवाह की दिशा अधिकांश अवधि में पूरब से पश्चिम की ओर है। यहाँ जनवरी माह में सर्वाधिक वायुभार

1032 मिलीवार पाया जाता है । औसत वायुगति लगभग 5 48 कि०मी० प्रति घंटा है । सापेक्षिक आर्द्रता लगभग 43-85% के बीच पाई जाती है । वर्षा का वार्षिक औसत 196.24 से०मी० है । अध्ययन क्षेत्र के मौसम को प्रमुख तीन ऋतुओं शीत, ग्रीष्म एवं वर्षा में विभाजित किया जा सकता है ।

कटिहार प्रखण्ड की मिट्टियों को दो मुख्य प्रकारों एवं 6 उपविभागों में विभाजित किया जा सकता है । पेड-पौधों के रूप में आम, जामुन, कटहल, लीची, अमरूद, महुआ, तथा सेमल नारियल एवं ताड़ के वृक्ष पाये जाते हैं । इसके अलावा मूँज, कूश तथा अन्य घासों पाई जाती हैं । दलदल वाले स्थानों पर बाँस खरही (नरकल) आदि देखने को मिलता है ।

अध्ययन क्षेत्र के भू-आर्थिक संसाधनों में जनसंख्या के अन्तर्गत वृद्धि, विकसित, घनत्व वर्ग, यौन अनुपात, साक्षरता, क्रियाशीलता एवं व्यवसायिक संरचना आदि का अध्ययन किया गया है । अध्ययन क्षेत्र में जनसंख्या की वृद्धि एवं वितरण में असमानता मिलती है । ग्रामीण क्षेत्र में औसत घनत्व 476 व्यक्ति, नगरीय क्षेत्र कटिहार का औसत घनत्व 428। तथा नगरीय एवं ग्रामीण दोनों मिलकर 927 व्यक्ति प्रति वर्ग कि०मी० जनघनत्व मिलता है । सामान्य जनघनत्व 6.3 व्यक्ति प्रति हेक्टेअर एवं कृषि घनत्व 2.26 व्यक्ति प्रति हेक्टेअर पाया जाता है । यौन अनुपात 1991 की जनगणना के अनुसार प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 923 पाई गई है । 1991 की जनगणना के अनुसार कटिहार प्रखण्ड में 18.74% जनसंख्या शिक्षित है जिसमें स्त्रियों का अनुपात 23.7%, पुरुषों की साक्षरता 76.23% की तुलना में बहुत ही कम है ।

कार्य करने वाले श्रमिकों का 95.74% भाग प्राथमिक वर्ग उत्पादन में लगा हुआ है जिसमें 18% कृषक, 25.03% खेतिहार मजदूर एवं 0.16% पशुपालक हैं । पशु संसाधनों में गौ-पशु, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर, कुक्कुट, बत्तख, मुर्गे, मुर्गियाँ, कबूतर एवं भेड़ों का महत्व है ।

खनिज सम्पदा की दृष्टि से कटिहार प्रखण्ड एक विपन्न क्षेत्र है क्योंकि यहाँ खनिजों का पर्याप्त अभाव है । सिंचाई के साधन में नहर नलकूप तालाब आदि का



प्रमुख स्थान है । सडक परिवहन की अपेक्षा रेल परिवहन काफी सक्रिय है । कटिहार एन० एफ० रेलवे का मुख्यालय है । यहाँ से पाँच दिशाओं की ओर ट्रेनें जाती हैं ।

अध्ययन क्षेत्र के लगभग 64.28% गावों में विद्युत की सुविधा प्राप्त है । कृषि यन्त्रों में लोहे एवं लकड़ी का हल, ब्लेड हेरो, पडलर, ट्रैक्टर, सीड ड्रिलर, प्लेट ग्रेसर एवं दवा छिड़कने वाली मशीनों आदि का प्रयोग विगत दो दशकों से प्रारम्भ हुआ है । म्याद एवं उर्वरक के लिए सभी न्याय पचायत कार्यालयों एवं गोदाम उपलब्ध हैं । उद्योग की दृष्टि से जूट उद्योग का प्रखण्ड के आर्थिक विकास में मुख्य योगदान है । इसके अतिरिक्त तेल पेरने, धान कूटने, आटा-चक्की आदि लघु उद्योग देखने को मिलते हैं । कटिहार शहर में जूट उद्योग के अलावा फ्लावर मिल्स, सिलकेट उद्योग, बड़े पैमाने पर विस्तृत है । यहाँ का जूट उद्योग तो बिहार में अपना विशेष स्थान रखता है । उपर्युक्त उद्योगों के अलावा अन्य छोटे उद्योग जैसे - बर्दईगिरी, दर्जीबिगरी, लौहारी, चर्म कार्य, प्रिंटिंग, ईट तथा मिट्टी के बर्तनों से सम्बन्धित उद्योगों का विकास हुआ है ।

कृषि भूमि-उपयोग सिद्धान्तों वानथ्यूनेन, ओलोफ जोनासन, ओ० ई० वेकर, आगस्ट लॉश एवं वाल्टर इजार्ड प्रकृति विद्वानों के विचारों का अध्ययन किया गया है । अध्ययन क्षेत्र के सन्दर्भ में यह पाया जाता है कि भूमि उपयोग में किसी सर्वमान्य एवं सर्वव्यापी विधि तन्त्र के विकास में अनेक कठिनाइयाँ हैं । वास्तव में भूमि उपयोग भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक आदि ऐसे विचलकों से प्रभावित होता है जो निरन्तर परिवर्तनशील हैं । पाया गया है कि भूमि-उपयोग में प्रायोगिक पक्ष सैद्धान्तिक पक्ष के विकास के द्वारा ही भूमि-उपयोग की समस्याओं का समाधान तथा भावी सम्भावनाओं का प्रारूप निश्चित करना चाहिए।

सामान्य भूमि-उपयोग का विश्लेषण शुद्ध कृषि क्षेत्र बाग-बगीचों, अप्राप्य एवं बजर भूमि के अन्तर्गत किया गया है । कटिहार प्रखण्ड के कुल 26807 हेक्टेयर क्षेत्र का 75.56% कृषि के अन्तर्गत है । कृषि अप्राप्य एवं कृष्य बजर के अन्तर्गत क्रमशः 14.74% एवं 5.45% क्षेत्र सम्मिलित है । शेष 4.25% क्षेत्र बाग-बगीचों के अन्तर्गत है । भूमि को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक एवं मानवीय कारकों के क्षेत्रीय वितरण के आधार

पर क्षेत्र के भूमि उपयोग में पर्याप्त भिन्नता मिलती है । जनसंख्या वृद्धि एवं मानवीय आर्थिक, सामाजिक क्रियाओं के विकास के कारण कृषि हेतु अप्राप्य भूमि की मात्रा उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, जबकि कृष्य बजर एवं बाग-बगीचों के क्षेत्रों में सतत हास हो रही है ।

कृषित भूमि से अभिप्राय कृषि फसलों में लगे क्षेत्र में है, के अन्तर्गत मिश्रित क्षेत्र एवं दो फसली क्षेत्रों का अध्ययन किया गया है । अध्ययन क्षेत्र में कृषित क्षेत्र मुख्यतः सिचाई के साधनों, उर्वरकों, उन्नतिशील बीजों, नवीन कृषि यंत्रों, नतून कृषि पद्धति एवं प्राविधिक ज्ञान आदि से प्रभावित होता है । भूमि-उपयोग को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारकों में सिचाई का महत्वपूर्ण स्थान है । यही कारण है कि वर्ष 1951 में शुद्ध कृषित क्षेत्र का 50.75% से बढ़कर 1991 में 75.56% हो गया है । इस प्रकार 1951 और 1991 की अवधि में शुद्ध बोये गए क्षेत्र के अन्तर्गत 24.81% की वृद्धि हुई है ।

इस तरह अध्ययन क्षेत्र में लगभग 95% गावों में शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल में वृद्धि की सम्भावनाये समाप्त प्राय है । दो फसली क्षेत्र का उच्च प्रतिशत भूमि उपयोग गहनता का सूचक है । वर्तमान में शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का 41.65% दो फसली है । ग्राम्य स्तर पर भी इसमें पर्याप्त अन्तर मिलता है ।

अध्ययन क्षेत्र में भदई, अगहनी, रबी एवं गरमा का क्रमशः 25.74%, 40.77%, 21.02% एवं 12.47% क्षेत्र सम्मिलित है । इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल अगहनी है जिसके अन्तर्गत सकल कृषित क्षेत्रफल का 46.9% सम्मिलित है । मक्का का उत्पादन भी भदई, रबी एवं गरमा फसलों के अन्तर्गत किया जाता है जिसका प्रतिशत 11.15 है । दलहन के अन्तर्गत चना, मूँग, अरहर, उरद, कुल्थी खेसारी का उत्पादन सकल कृषित क्षेत्र के 14.84% क्षेत्र पर की जाती है । पटसन और साग-सब्जी का उत्पादन क्रमशः 3.98% एवं 8.08% भू-क्षेत्र पर की जाती है ।

रबी की सबसे महत्वपूर्ण फसल गेहूँ है जो 9.75% भू-क्षेत्र पर उत्पन्न की जाती है । इसके अलावा आलू, मक्का, साग-सब्जी का उत्पादन किया जाता है ।

गरमा फसलों में धान, साग-सब्जी तथा फलों का उत्पादन किया जाता है । शुद्ध बोये गए क्षेत्रफल के लगभग 68.07% पर खाद्योत्पादन होता है । पटसन, केला एवम् तिल मुख्य मुद्रादायिनी फसलें जिसके अन्तर्गत 8.2% क्षेत्र सम्मिलित हैं ।

1951-91 (चार दशकों) में फसलों के प्रतिरूप में तीव्र परिवर्तन हुआ है भदई फसलों में 190.38%, अगहनी फसल 101% क्षेत्र सम्मिलित । रबी की फसल 738.93% एवं गरमा फसल 552.7% की वृद्धि हुई है । इस प्रकार तुलनात्मक सर्वाधिक वृद्धि रबी फसलों के अन्तर्गत हुआ है ।

अध्ययन क्षेत्र की शस्य गहनता 1951 में 53.39% की जो बढ़कर 1991 में 130% हो गई । न्याय पचायत एव ग्राम्य स्तर पर भी इसमें पर्याप्त भिन्नता देखने को मिलती है । सर्वाधिक शस्य गहनता न्याय पचायत दोआसे में 227.44% एवं ग्राम नीमा में 229% तथा न्यूनतम शस्य गहनता न्याय पचायत रघेली में 24.43% एवं ग्राम कजरी में 70% पाया गया ।

इस प्रकार शस्य गहनता सम्बन्धी अध्ययन से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र के अन्तर्गत लगभग 42% गाँव उच्च एव उच्चतम कृषि गहनता वाले हैं । न्यून गहनता वाले क्षेत्रों को नवीन कृषि तकनीक, उत्तम बीज, सिंचाई की सुविधा आदि प्रदान कर उच्च श्रेणी में बदला जा सकता है ।

प्रतिदर्श गाँवों का अध्ययन करते समय 8 गाँवों का चयन भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि विशेषताओं को ध्यान में रखकर किया गया है । अधिकांश गाँवों में कृषित क्षेत्र का विकास अपनी चरमा अवस्था पर पहुँच चुका है । गाँवों में कृषि बंजर एवं बाग-बगीचों में क्षेत्रफल उत्तरोत्तर हासोन्मुख है । अधिकांश चयनकृत गाँवों में पारम्परिक कृषि की प्रधानता पाई गई है । कृषकों की अशिक्षा गरीबी के कारण नई कृषि पद्धतियों के विकास को पर्याप्त अवसर नहीं मिल पा रहा है । अतः कृषकों के आर्थिक स्तर को उठाने के साथ ही साथ व्यापारिक स्तर का भी ध्यान देना अति आवश्यक है ।

कटिहार प्रखण्ड में भूमि उपयोग के नियोजन हेतु कुछ ठोस सुझाव प्रस्तावित किए गए हैं। अध्ययन क्षेत्र में बाढ़ एवं जल - जमाव आदि प्राकृतिक समस्याओं के निराकरण हेतु कोसी धार, कमला, गिदरी, मोनाली नदी के तटबन्धों को मजबूत करने तथा इनके विसर्पो को सीधा करने की आवश्यकता है। अध्ययन क्षेत्र के आर्थिक समस्याओं के समाधान हेतु भूमि उपयोग के वर्तमान स्वरूप में सुधार करके अध्ययन क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया जा सकता है।

अध्ययन क्षेत्र में कृषित क्षेत्र के अन्तर्गत 75.56% भू-भाग सम्मिलित है। कृष्य बंजर के अन्तर्गत 5.45% क्षेत्र है। कृष्य बंजर क्षेत्र को आधुनिक सुविधाओं के द्वारा कृषित क्षेत्र में बदला जा सकता है।

क्षेत्रान्तर्गत 4.25% क्षेत्र बाग-बगीचों में सम्मिलित है जो बहुत ही कम है अतः अप्राप्य भूमि जो अधिवासों, सड़कों, रेलवे लाइन नहरों या विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक उपयोगों में सम्मिलित है वहाँ बहुत सी बंजर भूमि पड़ी है, उस पर वृक्षारोपण कर विरान क्षेत्र को हरीतिमा से परिपूर्ण किया जा सकता है।

अध्ययन क्षेत्र में कटिहार नगर पालिका को छोड़कर पूर्णतः ग्रामीण क्षेत्र है अतः इसके विकास के लिए उच्चतम भूमि उपयोग क्षमता एवं अधिकतम कृषि उत्पादन हेतु योजनाबद्ध प्रयास आवश्यक है। अध्ययन क्षेत्र के समन्वित विकास को दृढतर बनाने के लिए प्राकृतिक विपदाओं एवं सामाजिक आर्थिक समस्याओं के निराकरण हेतु सुझाव प्रस्तुत हैं।-

(अ) (1) जल जमाव की समस्या के निराकरण हेतु - जल निकासी की सुविधा का प्राविधान, तालाबों, पोखरों को गहरा कर उसकी जल ग्रहण क्षमता में वृद्धि, जहाँ जल स्तर ऊँचा हो वहाँ भूमिगत जल का अधिकधिक उपयोग। नहरों, सड़कों, तालाबों तथा अन्य बेकार पड़ी भूमि पर वृक्षारोपण किया जाय।

(2) कोसी धार एवं सहायक नदियों की बाढ़ नियन्त्रण हेतु बाँधों का निर्माण, नदी विसर्पो को सीधा करना, नदियों में रेत, बालू को निकाल कर घाटी को गहरा करना,



**BIBLIOGRAPHY**

- Alonso, W.:** *Location and Land use, Towards a General Theory of Landrent*, Cambridge, Mass, Harvard Uni. Press.
- Anuchin, V.A.:** "Theory of Geography" in *Directions in Geography*, Edited by Chorley, R.J. Methuen London 1973.
- Ahmad, A. and Siddiqui, M.F.,** *Crop Association Patterns in Luni Basin*, *The Geographer* 1967.
- अग्निहोत्री, एन०के० एवं अग्निहोत्री सुनीता :** भूमि - उपयोग मानचित्रण, राष्ट्रीय एटलस एव थिमैटिक मानचित्रण संगठन, कलकत्ता, 1986
- Barlowe, R. and Johnson, V.W.:** *Land Problems and Policies*, Mac Graw Hill Book Company, New York, 1954.
- Barlowe, R.:** "Land Resources Economics, The Political Economics of rural and urban land Resource use, Prentice Hall Newyork, 1961.
- Baron Miston:** *The Geography of On Indian village Geography. Quarterly Jr. of the Geographical Association, Manchester, 1935.*
- Baker, Q.E.:** *Agricultural Regions of North America, Economic Geography, 1926.*
- Bhardwaj, O.P.:** *Problems of soil Erosion in East Jullunder doab (Punjab) 1960, N.G.J.I. 1960.*

*Landuse in the low land of Beas in the Bist-Jullunder Doab 1961, N.G.J.I.*

*Land use in the low land of Sutlej in the Bist-Jullunder Doab, Sample study, 1964.*

**Bhatia, S.S.** *Patztern of crop concentration and Diversification of in India Economic Geography, 1965.*

*A New measure of Agricultural Efficiency in U.P. Economic Geog. 1967*

**Blyn George:***Measurement of Geographical Association, The Indian Geographical Journal, 1965.*

**Buchanan, R.O.:** *Some Reflection on Agricultural Geography, 1956.*

**Buck, J.L.:** *Land Utilization in China Nanking University Press, 1937.*

**बसु जेके०, वेद्य डी०सी०, रामाराव एम०एस०बी०** *भारत मृदा सर्वेक्षण, उत्तर प्रदेश हिन्दी एकादमी, लखनऊ 1973*

**Çhatterjee, S.P.** *Landuse Survey in India, Proceedings of International Geographical Seminar, Aligarh, India, 1965.*

*Land Utilization survey in India, Proceedings of summer school in Geography, Simla Proceedings of Summer school in Geography, Simla India.*

*Land Utilization in the Distt. of 24 Purganas west-Bengal, 1945, Calcutta.*

*Land Utilization survey of Howrah Distt. Geographical Review of India, 1954.*

- Chauhan, D.S.:** *Studies in Utilization of Agricultural Land*, Agrwal & Company, Agra, 1966.
- Cannon, A.M.O.:** *New Railway Construction and the Pattern of economic development in East Africa*, Transactions I.B.G. 36, 1965.
- Christaller Walter:** *Die Zentrallen Orte in Suddentschland, fisher Jena 1933*. Translated as "Central Places in Southern Germany" by Carlisle W. Baskin, Prentice Hall, N.J. 1966.
- Chischolm, M.:** *Problems in the classification and use of farming - Type Regions*, Inst. of British Geographers, Transactions and Paper 1954, Vol. 35.
- Donahue, R.L.:** *Our soil and their management*, Indian Edition, Asia Publishing House, Bombay 1963.
- Dunn, E.S.:** *The Location of Agricultural Production*, Gainesville, Univ. of Florida Press 1954.
- दत्त, ज्ञानेन्द्र कुमार:** भूमि उपयोग-मूल्यांकन एवं मानचित्रण, राष्ट्रीय एटलस एवं थिमैटिक मानचित्रण संगठन, कलकत्ता, 1988
- Garrison, W.L. and D.F. Marble:** *The spatial Structure of Agricultural Activities*, *Annals of Assn. of Amer. Geogrs.* 1957.
- Grotewald, A.:** *Van Thunen in Retrospect Economic Geography*, 1956.
- गौरी शंकर:** भूमि उपयोग-मूल्यांकन एवं मानचित्रण, राष्ट्रीय एटलस एवं थिमैटिक मानचित्रण संगठन, कलकत्ता, 1988
- Hoover, E.M.:** *The Location of Economic Activity* New York, Mac Graw Hill 1948.



- Harvarth, R.J.:** *Van Thunen's Isolated State and ground*  
Addis - Ababa, Geogrs. 1969.
- Hartshorn R. and S.N. Dicken:** *A Classification of the*  
*Agricultural Regions of Europe and North America*  
*on a Uniform satistical Basis, Annals, 1935.*
- Isard, W.:** "Industrial Location" by David M. Smith,  
1977.
- Jha, M.K.:** *Land use in Katihar Anchal, A Study in*  
*Problems, Development Planning, Unpublished*  
*Ph.D. Thesis, Bhagalpur University, 1990.* \*
- Jenna, M.M.:** *Programme for Agricultural Development*  
*in India, Edited by Noor Mohd., Perspective*  
*in Agricultural Geography, 1980.*
- Jpnes, W.D. and Finch, V.C.:** *Detailed field Mapping*  
*of American Geographer, Vol. 15, 1925.*
- Jonasson, O.:** *Agriculturla Regions of Europe, Economic*  
*Geography, 1925.*
- Kariel, B.G. and Kariel, P.E.:** *Exploration in Social*  
*Geog., Addision welsley Publishing Comp. 1972.*
- Losch, A.:** *The Economics of Location, New Haven,*  
*Conn. Yale University Press, 1954.*
- Lokanathan, P.S.:** *Cropping Pattern in Madhya Pradesh,*  
*National Council of Applied Economic Research*  
*New Delhi, 1967.*
- Marsh, G.P.:** *Man and Nature, Physical Geog. As modified*  
*by Human Action, New York, 1984.*

- Mamorta, C.B.:** *Agricultural Problems in India. (Kitab Mahal, Alld.), 1960.*
- Mohammad Ali:** *Regional Imbalances in Levels of Agricultural Productivity, 1980.*
- मिश्र, सूर्यमणि** भूमि उपयोग-मूल्यांकन एवं मानचित्रण, राष्ट्रीय एटलस एवं थिमैटिक मानचित्रण संगठन कलकत्ता, 1988
- Prakash Rao, V.L.S.:** *Soil survey and Landuse analysis, Indian Geographical journal 1947.*
- Landuse survey in India, Its scope and Problems, Proceedings of International Geog. Seminar, India, 1956.*
- Powers, W.L.:** *Soil and Land Capability in Iraq Geographical Review, 1954.*
- पाण्डेय, श्री कान्त:** फरेन्दा तहसील (जनपद गोरखपुर) में भूमि उपयोग (अप्रकशित शोध प्रबन्ध) गोरखपुर विश्वविद्यालय ।
- Roy, B.K..** *Crop Association on and Changing Pattern of Crops in Ganga-Ghaghra Doab East, N.G.J.I. 1967.*
- Ronald, R. Renna:** *Land Economics Principles, Problems and Policies in Utilization of Land Resources, Harper Brothers, New York, 1947.*
- Ram Chandran, R.:** *Crop Regions of India The Indian Geographical Journal, 1963.*
- Stamp, L.D.:** *The Land of Britain: Its Use and Misuse, 1962.*
- Sauer, C.O.:** *Mapping The Utilization of Land, Geographical Review 1919, New York.*
- Salter, C.S.:** *The flow of water through soil, Agr. Eng. Vol. 31, 1950.*

- Spate O.H.K.:** *India and Pakistan*, 1954.
- Singh R.L.:** *India - A Regional Geography*, 1956.
- Shafi M.:** *Land utilization in Eastern Uttar Pradesh Aligarh*, 1960.
- Measurement of Agricultural Sufficiency in Uttar Pradesh, Economic Geog.* 1960.
- Agricultural Efficiency in Relation to landuse in Uttar Pradesh, Geographical Outlook*, 1962.
- Singh Jasbir:** *A New Technique of Measuring Agricultural Productivity in Haryana (India) The Geographer*, 1972.
- Agricultural Atlas of India, Kure Keshetra*, 1974.
- Singh Harpal:** *Crop Combination Region in Malwa Treet of Punjab, Deccan Geographer*, 1965.
- Sharma, S.C.:** *Land Utilization in Sadabad Tahsil (Mathura), U.P. India, 1966, Unpublished Ph.D. Thesis, Agra, University.*
- Singh Surendra and Chauhan V.S.** *Measurement of Agricultural Productivity in U.P., Geog. Rev. of India*, 1977.
- Sinha B.N.:** *Agricultural Efficiency in India, Vol. 4, Chap.X, Perspective in Agricultural Geog*, 1980.
- Singh B.B.** *Land use Efficiency, Stage and Optimum land use Uttar Bharat Bhoogol Patrika, Gorakhpur*, 1971.

सिंह, ब्रजभूषण: कृषि भूगोल, 1979

सिंह, बी०एन० देवरिया<sup>तहसील</sup> से कृषि भूमि उपयोग (अप्रकशित शोध-प्रबन्ध), 1984 इलाहाबाद  
विश्वविद्यालय ।

**Tyagi B.S.:** *Agricultural Intensity in Chunar Tahsil, Distt. Mirzapur, N.G.J.I. 1972.*

**Tripathi, V.B. and Agarwal U.:** *Changing Pattern of Crop land use in lower Ganga Yamuna Doab, The Geographer, 1968.*

**Tewari, P.S.:** *Agricultural Atlas of Uttar Pradesh, 1970.*

**Tandon R.K. and Dhondyal S.P.:** *Principles and Methods of Farm Management 1967.*

**Thunen, J.H. Van.** *Der Isolier to statt in Bexiehung aut land wirts chaft land National Okonomic, hombure, 1857.*

**Vanjetti C.:** *Landuse and Natioanl Vegetation in International Geography Edited by W.Peter Admas and Fredrick, M. Helleiver, Toranto University, 1977.*

**Wood, H.A.:** *A Classification of Agricultural Landuse for Development Planning International Geography (22.L.G.U.) Canada University of Toranto, 1972).*

**Whittlessey, D.:** *Major Agricultural Regions of the Earth, Annals, Asso. Amer. Geogrs. Vol. 26, 1936.*

**Weaver, J.C.:** *Crop Combination Regions in Middle West, Geographical Review, 1954.*

PLAN REPORTS

*First five years plan*

*Second five years plan*

*Fifty five years plan*

*Eights five years plan*

CENSUS

*Distt. Census handbook Purnea, 1956.*

*Distt. Census handbook Purnea, 1961.*

*Distt. Census Handbook Purnea, 1971.*


*Distt. Census handbook Katihar, 1981.*

GAZETTEER


*Bihar District Gazetteer Purnea, 1963.*

हस्त पुस्तिका  
-----


- 1 जिला सांख्यिकी हस्त पुस्तिका, कटिहार, 1990
2. कटिहार एक झलक 1987, 86, 85, 84, 83, 82, 81
- 3 अखिल भारतीय पंचम शिक्षा सर्वेक्षण, कटिहार जिला का सक्षिप्त प्रतिवेदन, 1986/87 ।
4. रबी उत्पादन योजना - 1992-92
- 5 खरीफ उत्पादन योजना 1991-92
6. गरमा उत्पादन योजना योजना 1991-92
7. बिहार राज्य भूमि उपयोग सर्वेक्षण पुस्तिका, 1975-76.



*A view of Jute Factory (Katihar)*



*A view of Flour Mills {Katihar}*



*A view of Engineering Workshop (Katihar)*



*A view of Silicate Industry (Katihar)*



A view of  
River Kosi  
(Katihar)



view of  
lood and  
oded Areas



A view of  
to Collecting  
Fodder in rainy  
Season.





*A view of Paddy Field*



*A view of Jute Cultivation*



A view of Plantation Agriculture (Banana)




A view of Newly Planted Banana Plants



A view of  
BAZAR SAMAIT  
Katihar

A view of  
Village Market



A view of  
Mandi Samiti  
(Katihar)